



एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)

Touching Millions of Lives

Beyond Boundaries



वार्षिक प्रतिवेदन 57th ANNUAL REPORT 2022 - 2023

विषय सूची

CONTENTS

| | | | |
|--|-----|-----|---|
| निदेशक मंडल | 09 | 09 | Board of Directors |
| अध्यक्ष का भाषण | 14 | 15 | Chairman's Speech |
| अंशधारियों को सूचना | 16 | 17 | Notice to Shareholders |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 24 | 25 | Directors' Report |
| कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट | 138 | 139 | Report on Corporate Governance |
| प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण | 160 | 161 | Management Discussion and Analysis |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 216 | 217 | Auditors' Report on Standalone Financial Statements |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ | 250 | 251 | Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Standalone Financial Statements |
| वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखा | 254 | 255 | Standalone Financial Statement for the year 2022-23 |
| लेखे को टिप्पणियाँ | 276 | 277 | Notes to Accounts |
| समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 428 | 429 | Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements |
| समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ | 464 | 465 | Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Consolidated Financial Statements |
| वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरण | 468 | 469 | Consolidated Financial Statements for the year 2022-23 |
| समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ | 494 | 495 | Notes to Consolidated Financial Statements |



डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री
Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers



डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
Hon'ble Union Minister of State for Health & Family Welfare and Tribal Affairs



प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

Prof. S. P. Singh Baghel

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
Hon'ble Union Minister of State for Health & Family Welfare



श्री सुधांश पंत आई ए एस

Shri. Sudansh Pant IAS

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Board of Directors निदेशक मंडल



श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस
Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS
अपर सचिव & एफ.ए,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, भारत सरकार
Additional Secretary &
F.A, Ministry of Health &
Family Welfare, Government of India



श्री के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
Shri. K. Beji George IRTS
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director



श्रीमती रोली सिंह आई ए एस
Smt. Roli Singh IAS
अपर सचिव स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
Additional Secretary
Ministry of Health and
Family Welfare, Govt. of India



डॉ. गीता शर्मा
Dr. Geeta Sharma
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)



डॉ. अनिता तंपी
Dr. Anitha Thampi
निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
Director (Technical & Operations)



प्रो. (डॉ.) आदर्श पाल विज
Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director



श्रीमती नीता बूचरा
Smt Neeta Boochra
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

दृष्टिकोण/ दौत्य तथा उद्देश्य

दृष्टिकोण

निरंतर नवाचार के ज़रिए सस्ती एवं गुणवत्तावाले स्वास्थ्य रक्षा समाधान प्रदान करके समविष्टि पर संकेंद्रित विश्वस्तरीय सम्मानित संगठन बन जाना।

दौत्य

कॉर्पोरेट दृष्टिकोण पूरा करने की ओर, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने निम्नलिखित दौत्य उल्लिखित किया है जो प्रमुख क्षेत्रों पर संकेंद्रित हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने वाले गुणवत्तावाले उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।
- उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने से निरंतर सुधार के द्वारा उत्कृष्टता।
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, लागत प्रबंधन और उपभोक्ता रक्षा के द्वारा उपभोक्ता आनंद और मूल्य सृजन।
- चुनौतीपूर्ण व्यवसाय वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित करना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने के द्वारा सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट बन जाना।
- हरी पहल और धारणीय विकास के प्रोन्नमन के ज़रिए पृथ्वी माँ की भलाई और भविष्य पीढ़ियों के लिए प्रतिबद्ध रहना।

उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता लागत प्रतियोगी के साथ प्रचालन की त्वरित वृद्धि और ग्लोबल स्तर हासिल करना और प्रत्येक मुख्य उत्पाद श्रेणी में मुख्य तीन खिलाड़ियों में एक बन जाना।
- अनुसंधान एवं विकास पहल के ज़रिए निरंतर नवाचार की संस्कृति बनाना।
- 90% से अधिक कर्मचारी संतुष्टि स्तर के साथ भारत में विकल्प के नियोक्ता रहने के लिए प्रयास करना।
- समाज को प्रतिबद्धता के साथ पुनरुत्पादन एवं महिला स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करना - इन खंडों में सभी सरकारी एवं बहुपार्थीय पहलों को कार्यान्वित करने के लिए विकल्प के साझेदार बनना।
- अधिकार हीन एवं अल्पाधिकार प्राप्त वर्गों को सशक्तिकरण और आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके फायदा की ओर क्षमता निर्माण, कौशल विकास और अवसरचना विकास पर संकेंद्रित करना।
- उच्च सतत विकास की ओर नेतृत्व कर रहे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जो पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों पर ज़ोर देकर कंपनी अपना दृष्टिकोण/दौत्य पूरा करने का प्रयास करेगी।

VISION, MISSION & OBJECTIVES

VISION

To be a globally respected organisation, focusing on inclusiveness by providing affordable and quality healthcare solutions through continuous innovation.

MISSION

To accomplish the Corporate Vision, HLL Lifecare Ltd has outlined following Mission which focus on six key areas:

- Provide quality products and services meeting international standards.
- Excellence through continual improvement by adoption of best technologies and practices.
- Customer delight and value creation through innovation, R & D, cost management and customer care.
- Focusing on human resource development to meet the needs of challenging business environment.
- Be a socially committed corporate by maintaining highest standards of corporate governance and corporate social responsibility.
- Committed to the well-being of mother earth and future generations through green initiatives and promotion of sustainable development.

OBJECTIVES

The company will strive to fulfill its vision/mission by

- Attaining rapid growth and global levels of operations with high quality cost competitiveness and be among the top three players in each main product category.
- Create a culture of continuous innovation through R& D initiatives.
- Strive to be the employer of choice in India with employee satisfaction levels of over 90%.
- Be recognized as the leading social organization in the field of Reproductive and Women's Healthcare with commitment to the society - a partner of choice for implementing all government and multi-lateral initiatives in these segments.
- Focussing on capacity building, skill development and infrastructural development for the benefit of the marginalized and under privileged sections for their empowerment and inclusion in the economic mainstream.
- To place emphasis on environmental friendly activities that brings out conservation of resources and waste management leading to top sustainable development.

गुणवत्ता नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड प्रतिबद्ध है :

- हमारे ग्राहकों को गुणवत्ता के उच्चतम सुसाध्य स्तर के किफायती स्वास्थ्य रक्षा समाधानों को लगातार प्रदान करना।
- हमारी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को लगातार सुधार करना, उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाना और हर समय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करना।
- नवान्वेषण, अनुसंधान व विकास, लागत प्रबंधन पर फोकस करना और हमारे ग्राहकों के अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ग्राहक मूल्य प्रदान करना।
- सामूहिक अभिशासन तथा सामूहिक सामाजिक दायित्व से युक्त उच्चतम मानकों को पूरा करनेवाले संगठन बन जाना।

सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड पर्यावरण के संरक्षण, व्यावसायिक जोखिमों को दूर करना और स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं :

- पर्यावरण पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना और उपयुक्त विधिक एवं अन्य अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करना।
- कर्मचारी प्रशिक्षण और उनकी भागीदारी के साथ सुरक्षित प्रचालन प्रथाओं को अपनाना।
- पर्यावरणिक गुणवत्ता को, अपशिष्ट एवं उत्सर्जन कम करके, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने के ज़रिए, सुधार करना।
- स्थानीय प्रबंधन प्रणाली एवं उत्तम प्रथाओं पर वैश्विक एवं सुसंगत दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना और स्थायी निष्पादन प्राप्त करना।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवधिक समीक्षा।

प्रयोगशाला गुणवत्ता नीति

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जाँच प्रणाली का अनुपालन करके तथा अच्छे व्यावसायिक आचरणों के प्रयोग द्वारा विश्वसनीय, सुसंगत, निष्पक्ष तथा अनुमार्गणीय जाँच परिणाम सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता प्रचालन में सम्मिलित सभी कर्मिकों को आई एस ओ/आई ई सी 17025 : 2017 के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली की नीतियों और कार्यविधियों के साथ सक्षम करना और सुपरिचित बनाना, सुनिश्चित करना तथा उसको उनके कार्य में कार्यान्वित करना।
- प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को निरंतर सुधारना।

ऊर्जा नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड सबसे लागत प्रभावी, कार्यक्षम और पर्यावरणिक रूप से जिम्मेदार तरीके के ज़रिए ऊर्जा प्रापण और उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है :

- ऊर्जा कार्यक्षमता निष्पादन नियमित रूप से समीक्षा करना और सुसंगत सुधार अपनाना ;
- प्रापण प्रक्रिया में ऊर्जा कार्यक्षम को एक मुख्य मापदंड के रूप में प्रयोग करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना;
- ऊर्जा उपयोग, उपभोग और कार्यक्षमता से संबंधित उपयुक्त विधिक और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन।
- कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच में ऊर्जा की उद्योगी खपत और संरक्षण की आवश्यकता संबंधी जागरूकता का बढ़ावा देना सुनिश्चित करना।

Quality Policy

HLL Lifecare Limited is committed to:

- Consistently provide our customers with affordable Healthcare solutions of the highest possible level of quality.
- Continually improve our processes, products and services, adopt best technologies and practices and meet national / international regulatory requirements at all times.
- Focus on innovation, R&D, cost management and deliver customer value nationally and globally, conforming to the needs of our customers.
- Be an organization that meets highest standards in Corporate Governance and Corporate Social responsibility.

Safety, Health and Environment Policy

HLL Lifecare Limited is committed to protect environment, eliminate occupational hazards and maintain a healthy and safe work place by

- Preventing any adverse impact to the environment and complying with applicable legal and other requirements.
- Adopting safe operating practices, with employee training and their involvement.
- Improving the environmental quality by minimizing waste & emission, reusing & recycling, reducing the use of natural resources.
- Striving for a global and consistent approach that builds on local management system & best practices and to achieve sustainable performance.
- Periodic review of safety, health and environment management system.

Lab Quality Policy

- Ensure reliable, consistent, impartial and traceable test results by using test methods complying with national / international standards and by following good professional practices.
- Ensure that all personnel involved in the testing operations are competent and familiar with the policies and procedures of the management system conforming to ISO/IEC 17025: 2017 and implement the same in their work.
- Continually improve the effectiveness of the management system.

Energy Policy

HLL Lifecare Limited is committed to buying and using energy in the most cost effective, efficient and environmentally responsible way through:

- Regularly reviewing the energy efficiency performance and adopt relevant improvement;
- Using energy efficiency as one of the key criteria within procurement process and encourage usage of renewable energy source;
- Compliance of applicable legal and other requirements related to energy use, consumption & efficiency;
- Ensuring promotion of awareness about the need for diligent consumption and conservation of energy among the employees and other stakeholders.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यों,

आज आयोजित हो रही एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की 57 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंपनी और उसके प्रबंधन के प्रति आपके निरंतर विश्वास, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। कंपनी की 57 वीं वार्षिक सामान्य बैठक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन और उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी है।

वर्ष 2022-23 के दौरान एचएलएल की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

- वर्ष 2022-23 के लिए प्रचालन से राजस्व रु. 3708.01 करोड़ था, जबकि कुल राजस्व रु. 35712.36 करोड़ था। पिछले वर्ष में मुख्य रूप से कोविड वैक्सीन राजस्व के कारण वर्ष का राजस्व 90% कम हो गया है। हालाँकि सामान्य प्रचालन राजस्व रु.2223.00 करोड़ है जबकि 2021-22 में यह रु. 1764.25 करोड़ था, जिसमें वर्षों वर्ष 26% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कर के पूर्व लाभ, वर्ष 2021-22 के रु.547.97 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु.69.19 करोड़ है। लाभ में गिरावट मुख्य रूप से पिछले वर्ष के दौरान कोविड प्रचालन से अधिक मुनाफे के कारण है। हालाँकि 2022-23 के लिए पीबीटी में कोविड प्रचालन लाभ का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, लेकिन चालू वर्ष के प्रचालन से पीबीटी (प्रावधानों और राइट-ऑफ से पहले) रु.109.35 करोड़ के नुकसान से रु.45.11 करोड़ के लाभ तक काफी बढ़ गया है, जो 141% की वृद्धि दर्ज करती है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2021-22 के रु.404.38 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु.39.77 करोड़ है।
- एचएलएल का निवल मूल्य 31.03.2023 तक रु.658.84 करोड़ था, जबकि 31.03.2022 को यह रु. 747.42 करोड़ था। निवल मूल्य में कमी मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 122.47 करोड़ के लाभांश के भुगतान के कारण है।
- कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.11.93 करोड़ का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है।

अंत में निदेशक मंडल की तरफ से, मैं भारत सरकार के विविध विभागों, विशेषतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए, अपना हार्दिक धन्यवाद और अभिस्वीकृति अदा करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री (एमओएचएफडब्लियु), राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव (एमओएचएफडब्लियु) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से कृतज्ञता अदा करने के लिए विनियोग करता हूँ।

मैं बोर्ड के मेरे सहयोगियों को भी, कंपनी को चलाने के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे, मैं एचएलएल के सभी कर्मचारियों को, कंपनी को मज़बूत करने में उनके अमूल्य योगदान एवं समर्थन के लिए, धन्यवाद करता हूँ।

आपकी कंपनी के बोर्ड की ओर से, मैं बैंकों, वित्तीय संस्थानों, हितधारकों और व्यावसायिक सहयोगियों की गहरी सराहना करना चाहता हूँ। आपकी कंपनी के विकास को आगे बढ़ाने में उनका समर्थन अमूल्य रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया था।

अंत में, मैं आज के वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अब सूचना के अनुसार कार्यसूची मदों को आपके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

तारीख : 12.12.2023

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08419099

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Members,

It is my great pleasure to welcome you all to the 57th Annual General Meeting of HLL Lifecare Ltd. being held today. I thank you all for your continued trust, encouragement and support provided to the Company and its management. The 57th Annual General Meeting of the Company is convened through virtual mode in compliance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs.

I am happy to share with you the performance highlights and achievements of your Company during the financial year 2022-23.

The major achievements of HLL during year 2022-23 includes matters such as:

- Revenue from operations for the year 2022-23 was Rs.3708.01 Cr, as against the total revenue of Rs 35712.36 Crores. The revenue of the year has reduced by 90% mainly due to COVID vaccine revenue in the previous year. However, the Revenue from Normal Operations is Rs.2,223.00 Cr as against Rs.1764.25 Cr in 2021-22 recording an increase of 26 % year on year.
- Profit Before Tax is Rs.69.19 Cr in 2022-23 compared to a profit of Rs. 547.97 cr in 2021-22. The dip in profit is mainly due to higher profits from Covid operations during the previous year. Though the PBT for 2022-23 includes a small portion of COVID operations profits but the PBT, (Before the provisions and write-offs) from the current year operations has increased substantially from a loss of Rs 109.35 crore to a profit of Rs 45.11 crore, registering a growth of 141%.
- Profit After Tax is Rs. 39.77 Cr in 2022-23 as compared to a profit of Rs. 404.38 Cr in 2021-22.
- Net Worth of HLL stands at Rs 658.84 crore as on 31.03.2023, as compared to Rs 747.42 crore as at 31.03.2022. The reduction in net worth is primarily due to the payout of dividend for Rs 122.47 during 2022-23.
- The Company proposes to pay Dividend of Rs. 11.93 crores for the financial year ended 31st March, 2023.

To conclude, on behalf of the Board of Directors, I would like to convey my sincere thanks and acknowledgment for the co-operation and support extended by various departments of Government of India, particularly by the Ministry of Health & Family Welfare. I take this opportunity to specially thank Honorable Health Minister (MoHFW), Minister of State for Health, Secretary (MoHFW) and the Senior officials of MoHFW for reposing the Ministry's confidence in HLL.

I would also like to thank my colleagues on the Board for their valuable contribution in driving performance of the Company. Further, I thank all employees of HLL for their invaluable contribution and support in strengthening the Company.

On behalf of your Company's Board, I would like to extend my deep appreciation to the banks, financial institutions, stakeholders and business associates. Their support has been invaluable in driving your Company's growth.

During the year 2022-23, your Company had substantially complied with Corporate Governance Guidelines issued by Department of Public Enterprises.

Finally, I thank all present here for having attended today's Annual General Meeting. I now move the Agenda items as per notice for your consideration and approval.

Date : 12. 12. 2023

K. Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
DIN: 08419099

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक 12 दिसंबर, 2023 अपराह्न 3.00 बजे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना

(क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।

(ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर के बाद लाभ रु.11.93 करोड़ का 30% लाभांश घोषित करना।
- वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेश मंडल को प्राधिकृत करना।
- निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

- निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6 (2) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन बताये गए नियमों के साथ पढ़े, के अनुसरण में, मेसर्स विजेंदर शर्मा & कं. लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000180 को देय रु.5,00,000 प्लस लागू जीएसटी और वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की पुष्टि कंपनी एतद्वारा दी जाती है जिनको निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : तिरुवनंतपुरम

जयकृष्णन ए.आर
कंपनी सचिव

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the shareholders of HLL Lifecare Limited will be held on 12th December 2023 at 03.00 pm. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt

- a. the audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2023 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - b. the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2023 along with the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
2. To declare dividend amounting to INR 11.93 Cr. being 30% of Profit After Tax for the financial year ended 31st March, 2023
 3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration payable to the Statutory Auditors of the Company for the year 2023-24.
 4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the requirement of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2023-24".

SPECIAL BUSINESS:

Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2023- 24

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148(3) of Companies Act, 2013, and rule 6(2) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Company hereby ratifies remuneration of of INR 5,00,000/- plus applicable GST besides reimbursement of actual travelling and out of pocket expenses to M/s Vijender Sharma & Co, Cost Accountants, with Firm Registration No. 000180, who were appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2024."

By the order of the Board

Place: Thiruvananthapuram

Jaikrishnan A R
Company Secretary

टिप्पणियाँ :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021 और 05/05/2022, 28/12/2022, 25/09/2023 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 & 17/2020 (बाद में सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
2. चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है , सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवाह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों को कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फ़ेरेन्स सुविधा सभी सदस्यों को आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफ़ टेलिकॉन्फ़ेरेंसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को समवर्ती रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है या कंपनी सचिव के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।
3. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।
4. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसरण में सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ा दी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फ़ेरेन्स के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।
5. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए अध्यक्ष होगा।
6. सामान्यतः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सि कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।
7. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।
8. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए अध्यक्ष की सहमति से मतदान हाथ दिखाकर करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग न की जाए। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान कंपनी सचिव के ई-मेल आईडी jaikrishnanar@lifecarehll.com पर दे सकते हैं।
9. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेज़ों शेरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।
10. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ़ेरेन्स के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।
11. सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।
12. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

Notes:

1. Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021, 05/05/2022, 28/12/2022 & 25/09/2023 respectively (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.
2. Since this AGM is being held through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Company Secretary.
3. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.
4. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.
5. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.
6. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.
7. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.
8. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email i.d of the Company Secretary at jaikrishnanar@lifecarehll.com
9. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.
10. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.
11. A copy of the notice shall also be posted on the website of the company.
12. For any assistance, a member may contact the Company Secretary during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के तहत, लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। सी & ए जी ने पत्र सं. सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एच लैटेक्स (1)/ 338 दिनांक 13/09/2023 द्वारा वर्ष 2023 - 24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स श्रीधर & कंपनी, सनदी लेखाकार, श्रीनिधि, टी सी 37/275, पद्मतीर्थम, नोर्थ स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम, केरल को नियुक्त किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने की ओर निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया है।
14. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों में रखे व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

13. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). In terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 the remuneration of auditors has to be fixed by the company in the Annual General Meeting or in such manner as the company in annual general meeting may determine. C&AG has vide letter No.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HLATEX(1)/338 dated 13/09/2023 appointed M/s. Sridhar & Co., Chartered Accountants, Sreenidhi, TC.37/275, Padmatheertham, North Street, Trivandrum, Kerala as Statutory Auditors of the Company for the year 2023-24. Accordingly, necessary resolution has been placed before the Members for authorising the Board of directors to fix up the remuneration to the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2023-24.
14. Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies, Act, 2013 with Companies (Management and Administration) Rules 2014, setting out the material facts in respect of Special Business is annexed.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन के अनुसरण में, विशेष व्यवसाय के लिए प्रस्तावित प्रमुख तथ्यों और कारणों को निर्धारित करनेवाले स्पष्टीकरण विवरण नीचे दिये गये हैं:

मद सं. : 4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पठित व्यवहार में रहे लागत लेखाकार द्वारा आयोजित इसके लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के लिए निदेश की जाती है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के परिपत्र संकल्प के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स विजेंद्र शर्मा : कं., 11, (3वाँ तल), हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110 092, फर्म पंजीकरण सं.000180 की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (क)(ii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सामान्य संकल्प को पारित करने की ओर सदस्यों की अनुमति माँगती है।

बोर्ड आप के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

उपरोक्त सामान्य संकल्प में निदेशकों में से कोई या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

सेवा में

1. सभी शेयरधारक
2. सभी निदेशक
3. सांविधिक लेखापरीक्षक
4. सचिवालयीन लेखापरीक्षक

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out material facts and reasons for the proposed Special Business is given below.

Item No: 4 Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2023-2024

The Company is directed, under Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. The Board of Directors of your Company vide circular resolution dated 21st October 2023 approved the appointment and remuneration of M/s Vijender Sharma & Co, 11, (3rd Floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110 092 with Firm Registration No.000180 as Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2024. In accordance with the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14(a)(ii) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, the remuneration payable to the Cost Auditors has to be ratified by the members of the Company. Accordingly, consent of the members is sought for passing ordinary resolution for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2024.

The Board recommends the aforesaid resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested in the aforesaid ordinary resolution.

To

1. All Shareholders
2. All Directors
3. The Statutory Auditors
4. The Secretarial Auditors

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

1. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन नीचे संक्षिप्त रूप से दिया जाता है।

(₹ करोड़ों में)

| वित्तीय विवरण | स्टैंडअलॉन | | समेकित | |
|-----------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| प्रचालन से राजस्व | 3,708.01 | 35,712.36 | 4,115.60 | 36,083.61 |
| अन्य आय | 79.77 | 26.62 | 70.84 | 16.38 |
| कुल आय | 3,787.78 | 35,738.98 | 4,186.44 | 36,099.99 |
| कर के पहले लाभ/(हानि) | 69.19 | 547.96 | 86.98 | 558.37 |
| कर व्यय | 29.42 | 143.59 | 36.78 | 155.61 |
| कर के बाद लाभ/(हानि) | 39.77 | 404.37 | 50.20 | 402.77 |

कंपनी के निष्पादन के मुख्य हाइलाइट्स नीचे दिए जाते हैं।

- वर्ष 2022-23 के लिए प्रचालन से राजस्व रु.3708.01 करोड था जबकि कुल राजस्व रु. 35712.36 करोड था। पिछले वर्ष में मुख्य रूप से कोविड वैक्सीन राजस्व के कारण वर्ष का राजस्व 90% कम हो गया है। हालाँकि सामान्य प्रचालन से राजस्व रु.2,223.00 करोड है, जबकि 2021-22 में यह रु.1764.25 करोड था, जिसमें वर्ष पर 26% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2021-22 में रु.547.97 करोड के लाभ की तुलना में वर्ष 2022-23 में कर पूर्व लाभ रु.69.19 करोड है। लाभ में गिरावट मुख्य रूप से पिछले वर्ष के दौरान कोविड प्रचालन से अधिक मुनाफे के कारण है। हालाँकि वर्ष 2022-23 के लिए पीबीटी में कोविड प्रचालन मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, लेकिन चालू वर्ष के प्रचालन से पीबीटी, (प्रावधानों और राइट-ऑफ से पहले) 141% की वृद्धि दर्ज करके रु.109.35 करोड के नुकसान से रु.45.11 करोड के लाभ तक काफी बढ़ गया है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2021-22 के रु.404.38 करोड की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु.39.77 करोड है।
- एचएलएल का निवल मूल्य ने 31.03.2022 तक के रु.747.42 करोड की तुलना में 31.03.2023 को रु. 658.84 करोड है। निवल मूल्य में कमी मुख्य रूप से 2022-23 के दौरान रु.122.47 करोड के लाभांश के भुगतान के कारण है।

2. लाभांश

निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.11.93 करोड के लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

3. शेयर पूँजी

31 मार्च, 2023 तक की कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी पिछले वर्ष के जैसे ₹ 300.00 करोड रही है। 31 मार्च 2023 तक के जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.15.53 करोड है।

4. एम ओ यु लक्ष्य की तुलना में कंपनी के निष्पादन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई का.ज्ञा.सं. एम-03/0021/2022-डीपीई (एमओयु) दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से

DIRECTORS REPORT 2022-23

1. FINANCIAL RESULTS

The Company's financial performance, for the year ended March 31, 2023 is summarized below:

(Rs. In Crs)

| Financial Particulars | Standalone | | Consolidated | |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Revenue from operations | 3,708.01 | 35,712.36 | 4,115.60 | 36,083.61 |
| Other Income | 79.77 | 26.62 | 70.84 | 16.38 |
| Total Income | 3,787.78 | 35,738.98 | 4,186.44 | 36,099.99 |
| Profit/(Loss) before Tax | 69.19 | 547.96 | 86.98 | 558.37 |
| Tax Expenses | 29.42 | 143.59 | 36.78 | 155.61 |
| Profit/(Loss) after Tax | 39.77 | 404.37 | 50.20 | 402.77 |

The major highlights of the Company's performance is given below

- Revenue from operations for the year 2022-23 was Rs.3708.01 Cr, as against the total revenue of Rs 35712.36 Crores. The revenue of the year has reduced by 90% mainly due to COVID vaccine revenue in the previous year. However, the Revenue from Normal Operations is Rs.2,223.00 Cr as against Rs.1764.25 Cr in 2021-22 recording an increase of 26 % year on year.
- Profit Before Tax is Rs.69.19 Cr in 2022-23 compared to a profit of Rs. 547.97 cr in 2021-22. The dip in profit is mainly due to higher profits from Covid operations during the previous year. Though the PBT for 2022-23 includes a small portion of covid operations profits but the PBT, (Before the provisions and write-offs) from current year operations has increased substantially from a loss of Rs 109.35 crore to a profit of Rs 45.11 crore, registering a growth of 141%.
- Profit After Tax is Rs. 39.77 Cr in 2022-23 as compared to a profit of Rs. 404.38 Cr in 2021-22.
- Net Worth of HLL stands at Rs 658.84 crore as on 31.03.2023, as compared to Rs 747.42 crore as at 31.03.2022. The reduction in net worth is primarily due to the payout of dividend for Rs 122.47 during 2022-23.

2. DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend of amounting to Rs.11.93 crores for the financial year ended 31st March, 2023. Payment of dividend is subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3. SHARE CAPITAL

The Authorized Share capital of the Company as on 31st March, 2023 stood at Rs. 300.00 Cr. as the same of previous year. The issued, subscribed and paid up equity share capital as on 31st March, 2023 was Rs.15.53 Cr.

4. PERFORMANCE OF THE COMPANY vis-à-vis MoU TARGETS

Department of Public Enterprises (DPE) vide DPE OM No. M-03/0021/2022-DPE(MoU) dated 17.01.2023 exempted HLL

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को वर्ष 2022-23 के लिए एमओयु पर हस्ताक्षर करने से छूट दी। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 के एमओयु लक्ष्य की तुलना में कंपनी का निष्पादन, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

5. जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी नियम, 2014(जमाओं की स्वीकृति) के द्वारा अध्याय V- जमाओं की स्वीकृति के प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. उधार, गारंटी या निवेश के विवरण

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने बीमार/प्रारंभिक और कमज़ोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए 29 अक्टूबर 2015 को दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश बीमार/प्रारंभिक और कमज़ोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए उपलब्ध कई प्रक्रिया विकल्पों को प्रतिस्थापित करते हैं। सीपीएसई को बीमार मानने को 'बीमार/प्रारंभिक बीमार और कमज़ोर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करने' के लिए डीपीई दिशानिर्देश निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करते हैं :-

क) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बीमार घोषित किया गया है (दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की शुरुआत के साथ, यह अप्रासंगिक हो गया है।)

ख) कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) (एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी) के वित्तीय विवरण के अनुसार, कंपनी के निवल मूल्य नकारात्मक थी और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक बीमार कंपनी बन गई। 9 मई 2022 को आयोजित जीएपीएल की 191वीं बोर्ड बैठक में जीएपीएल का संशोधित पुनरुद्धार योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। पुनरुद्धार योजना के अनुसार, जीएपीएल को अपने पुनरुद्धार के लिए रु.14.31 करोड़ (कैपेक्स आवश्यकताओं के लिए रु.2.31 करोड़ और कार्यशील पूँजी के रूप में रु.12 करोड़) की आवश्यकता थी। जीएपीएल बोर्ड सैद्धांतिक रूप से एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड से संयुक्त रूप से रु.14.31 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की योजना सहित जीएपीएल को पुनरुद्धार करने के प्रस्ताव पर सहमत हुआ, जिसमें एचएलएल की हिस्सेदारी रु.10.59 करोड़ (74%) और ईडीसी की हिस्सेदारी रु.3.72 करोड़ (26%) की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि कुछ निर्दिष्ट अतिरिक्त विवरण पुनरुद्धार योजना में शामिल किए जाएंगे और जल्द ही जीएपीएल के बोर्ड सदस्यों के साथ साझा किए जाएंगे। तदनुसार जीएपीएल ने एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड से जीएपीएल की इक्विटी पूँजी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान करने का अनुरोध किया।

24 मई 2022 को आयोजित 283वीं बोर्ड बैठक में एचएलएल के निदेशक मंडल ने जीएपीएल की इक्विटी पूँजी में अपने योगदान के रूप में रु.10.59 करोड़ के योगदान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी बशर्ते कि शेष राशि रु.3.72 करोड़ का योगदान ईडीसी लिमिटेड द्वारा किया जाना है। जीएपीएल द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त इक्विटी शेयर पूँजी के अनुरोध के जवाब में, ईडीसी ने 15 जुलाई 2022 के अपने पत्र के माध्यम से जीएपीएल को सूचित किया है कि ईडीसी बोर्ड ने 30 जून 2022 को आयोजित अपनी 389वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया है कि जीएपीएल में कोई और इक्विटी निवेश नहीं किया जाएगा। हालाँकि एचएलएल, निर्णय के अनुसार जीएपीएल में अतिरिक्त इक्विटी का निवेश कर सकता है और जीएपीएल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है ताकि जीएपीएल की पुनरुद्धार योजना का समर्थन किया जा सके। 26 जुलाई 2022 को आयोजित एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के निदेशक मंडल की 284वीं बैठक में नीचे उल्लिखित चरणों में जीएपीएल की इक्विटी शेयर पूँजी में रु.14.31 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने का निर्णय लिया गया।

- चरण 1 - जीएपीएल द्वारा प्राधिकृत शेयर पूँजी की लंबित वृद्धि और शेयरधारकों के निबंधन व शर्तों और जीएपीएल के शेयर क्रय समझौते में संशोधन, एचएलएल शुरू में जीएपीएल में रु.4.42 करोड़ तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो उक्त कंपनी के रु.5.98 करोड़ की उपलब्ध मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 74% है।
- चरण 2 - जीएपीएल में अतिरिक्त निवेश की सुविधा के लिए शेयरधारकों एवं शेयर क्रय समझौते के निबंधन व शर्तों में उपयुक्त संशोधन के बाद एचएलएल, जीएपीएल में रु.1.56 करोड़ तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो रु.5.98 करोड़ की शेष मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 26% है।
- चरण 3 - जीएपीएल द्वारा अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी को रु.34 करोड़ या किसी अन्य कम लेकिन पर्याप्त राशि तक बढ़ाने के बाद एचएलएल, जीएपीएल में शेष रु.8.33 करोड़ (यानी रु.14.31 करोड़ घटाकर रु.5.98 करोड़) तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है।

Lifecare Limited from signing of the MoU for the year 2022-23. Hence the performance of the Company vis-à-vis MoU Targets for FY 2022-23 is not required to be disclosed in the Annual Report for Financial Year 2022-23.

5. DEPOSITS

During the year under review, your Company did not accept any deposits within the meaning of provisions of Chapter V - Acceptance of Deposits by Companies of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

6. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The Department of Public Enterprises (DPE) had issued guidelines dated 29th October 2015 for streamlining the mechanism for revival and restructuring of sick/incipient and weak CPSEs. These guidelines replace the multiple process options available for revival and restructuring of sick / incipient and weak CPSEs. The DPE guidelines for "Streamlining the mechanism for revival and restructuring of sick/incipient sick and weak Central Public Sector Enterprises" lays down the following criteria to consider a CPSE as sick:--

- a. The company is declared as sick as per the provisions of Companies Act, 2013 (with the introduction of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, this has become irrelevant)
- b. The net worth of the Company is negative.

As per the Financial Statements of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd. [GAPL] (subsidiary of HLL Lifecare Ltd.) for the year ended 31st March 2021, the company's net worth was negative and as per DPE guidelines, GAPL became a sick company. In 191st Board Meeting of GAPL held on 9th May 2022 revised Revival Plan proposal of GAPL was presented and discussed in detail in the meeting. As per the revival plan, GAPL required an amount of Rs.14.31 Cr. (Rs.2.31 for capex requirements and Rs.12 Cr. as Working Capital) for its revival. GAPL Board in-principle agreed to the proposal to revive GAPL including plan to raise additional equity of Rs.14.31 Cr. jointly from HLL Lifecare Ltd and EDC Ltd, envisaging HLL's share of Rs. 10.59 Cr. (74 %) and EDC's share of Rs. 3.72 Cr. (26 %), subject to the condition that certain specified additional details shall be included in the revival plan and shared with the Board-members of GAPL soon. Accordingly, GAPL requested HLL Lifecare Limited and EDC Limited to contribute further amount towards equity capital of GAPL.

In the 283rd Board Meeting held on 24th May 2022, the Board of Directors of HLL had approved the proposal to contribute Rs.10.59 Cr. as its contribution towards equity capital of GAPL subject to the condition that the balance amount of Rs.3.72 Cr. has to be contributed by EDC Limited. In response, to the request for additional equity share capital submitted by GAPL, EDC has vide its letter dated 15th July 2022 informed GAPL that EDC Board in its 389th Board Meeting held on 30th June 2022 has decided that no further Equity infusion to be made in GAPL. However, HLL could invest additional equity in GAPL as decided and increase its stake in GAPL so as to support the revival scheme of GAPL. The 284th Meeting of Board of Directors of HLL Lifecare Limited held on 26th July 2022 decided to make additional investment aggregating to Rs.14.31 Cr. in the equity share capital of GAPL in stages mentioned below.

- Stage 1 - Pending increase of Authorised Capital by GAPL and amendment of Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement GAPL, HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of Rs.4.42 Cr. being 74% of available free authorized share capital of Rs.5.98 Cr. of the said Company.
- Stage 2 – HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of Rs. 1.56 Cr. being 26 % of remaining free authorized share capital of Rs.5.98 Cr. up on GAPL amending Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement GAPL to facilitate such additional investment.
- Stage 3 - HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of remaining Rs. 8.33 Cr. (i.e. Rs. 14.31 Cr. minus Rs. 5.98 Cr.) after GAPL increases its authorized share capital to Rs. 34.00 Cr. or to any other lower but sufficient amount.

एचएलएल ने इक्विटी शेयर पूँजी में चरण 1 निवेश के लिए 22 नवंबर 2022 को जीएपीएल को अग्रिम के रूप में रु.4.43 करोड़ भेजा। 13/03/2023 को आयोजित निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठक में एचएलएल द्वारा जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। आईएमजी बैठक में दी गई मंजूरी के मद्देनजर, एचएलएल ने 15.05.2023 को जीएपीएल शेयर आवेदन राशि रु.1,55,48,000/- (केवल एक करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार रुपए) भेजा, जो एचएलएल को आर्बिट्रिबट किए जाने के लिए प्रत्येक रु.100 के 1,55,480 इक्विटी शेयरों पर विचार किया जा रहा है।

7. संबंधित पार्टी लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभित सभी संबंधित पार्टी लेनदेन व्यतिरेक आधार पर और व्यवसाय के साधारण तौर पर थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं थे, जो कंपनी के हितों के विपरीत थे। इंड ए एस-24 के अधीन अपेक्षित उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण की टिप्पणी के नोट सं.35 में बनाये गये हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अनुसार, निर्धारित फार्म ए ओ सी- 2 में संबंधित पार्टियों के साथ बनाए अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन के विवरण अनुबंध | के रूप में जोड़ा गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

8. समनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम

आज की तारीख तक आपकी कंपनी को तीन समनुषंगी कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, फॉर्म ए ओ सी - 1 में समनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं सहित विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न किया जाता है। समनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

8.1. गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)

31 मार्च 2023 तक के जीएपीएल की प्राधिकृत शेयर पूँजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी क्रमशः रु. 25 करोड़ और रु.19.02 करोड़ थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचालन से राजस्व में 26.95% की वृद्धि हुई है।

8.1.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपलब्धियाँ/हाइलाइट्स

गोवा सरकार ने जीएपीएल को लिए विस्तारित मूल्य और खरीद वरीयता नीति को बहाल कर दिया है। जीएपीएल को वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गोवा से रु.6.78 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) का आदेश प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, जीएपीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.35.92 करोड़ (कर को छोड़कर) के होम्योपैथिक आदेश प्राप्त करके निष्पादित किया है।

8.2 एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)

अवसरचना विकास, सुविधा प्रबंधन, प्राण परामर्शदाता और संबद्ध सेवाओं जैसे इन क्षेत्रों में व्यापार के विशाल दायरे को देखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराने के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 3 अप्रैल, 2014 को हाइट्स संस्थापित किया गया। 31 मार्च 2023 तक के हाइट्स की प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 200.00 लाख है।

8.2.1 निष्पादन हाइलाइट्स

- * वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रचालन से राजस्व रु.359.15 करोड़ था, जबकि 2021-22 में रु.303.05 करोड़ था, जिसमें वर्ष पर 18.51% की वृद्धि दर्ज की गई।
- * कर के पूर्व लाभ वर्ष 2021-22 के रु.25.45 करोड़ लाभ की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु.33.60 करोड़ है, जिसमें वर्ष पर 32.02% की वृद्धि दर्शाती है।
- * कर के बाद लाभ वर्ष 2021-22 के रु.17.60 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु.25 करोड़ है।
- * निवल मूल्य ने 31/03/2022 तक के रु.30.70 करोड़ से 31/03/2023 को रु.42.54 करोड़ तक बढ़ा है।

HLL remitted Rs.4.43 Cr. as advance to GAPL on 22 nd November 2022 towards Stage 1 investment in equity share capital. The Inter Ministerial Group (IMG) meeting of Department of Investment and Public Asset Management held on 13/03/2023 agreed the proposal of investment of Rs.14.31 Cr by HLL to GAPL. In view of the approval granted in the IMG meeting, on 15-05-2023, HLL remitted to GAPL share application money of Rs.1,55,48,000 (Rupees One Crore Fifty Five Lakhs Forty Eight Thousand Only) being the consideration for 1,55,480 equity shares of Rs.100 each to be allotted to HLL.

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2022-2023 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under INDAS-24 have been made in Note No.35 of the Notes to the Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as Annexure I which forms part of this report.

8. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE

As on date, your Company has three subsidiary companies and one joint venture Company. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries and joint venture companies in Form AOC- 1 is attached to the financial statements. The summary of performance of the two subsidiaries and joint venture companies is provided below:

8.1 Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited [GAPL]

The authorized share capital and paid up equity share capital of GAPL as on 31st March 2023 was Rs.25.00 Cr and Rs.19.02 Cr respectively.

During the year under review, the Revenue from operations during 2022-23 has decreased by 26.95% as compared with the previous year.

8.1.1 Achievements/Highlights for FY 2022-23

Govt. of Goa has reinstated the Price & Purchase Preference Policy extended to GAPL. GAPL has received orders worth Rs.6.78 Crores (exclusive of GST) from Directorate of Health Services, Goa in the Financial year 2022-23.

Further GAPL has received and executed Homeopathic Orders worth Rs.35.92 Crores (excluding tax) in the FY 2022-23.

8.2 HLL Infra Tech Services Limited [HITES]

HITES was incorporated on 3rd April' 2014 as a wholly owned subsidiary of HLL Lifecare Limited to carry on the business of providing services viz, Infrastructure Development, Facilities Management, Procurement Consultancy and allied services, foreseeing the enormous scope of business in these segments. The authorized and paid up equity share capital of HITES as on 31st March 2023 is Rs.200.00 lakh each.

8.2.1 Performance Highlights

* Revenue from Operations for the FY 2022-23 was Rs.359.15 Cr as against Rs.303.05 Cr in 2021-22, recording an increase of 18.51% year on year.

* Profit before Tax is Rs.33.60 Cr in 2022-23 compared to corresponding profit of Rs.25.45 Cr in 2021-22 reflecting an increase of 32.02% year on year.

* Profit after tax is Rs.25 Cr in 2022-23 compared to corresponding profit of Rs.17.60 Cr in 2021-22.

* Networth has increased from Rs.30.70 Cr as at 31/03/2022 to Rs.42.54 Cr as at 31/03/2023.

8.2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्धियाँ

स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र के विकास ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थ व्यवस्था के अग्रणी क्षेत्र में से एक के रूप में उभरा है। हाइट्स ने अवसरों का उपयोग किया और प्रभावशाली प्रगति दिखाई। वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी को प्राप्त कुछ मुख्य अनुबंध नीचे सूचीबद्ध हैं :

1. एम्स राजकोट/देवघर/बीबीनगर(एम्स, एमओएचएफडब्लियु और हाइट्स के बीच में त्रिपक्षीय समझौता) के लिए रु.300 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
2. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश के लिए रु.250 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
3. एम्स पटना आवासीय एवं शैक्षणिक ब्लॉक के लिए रु.277 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
4. एम्स गोरखपुर आवासीय एवं नर्सिंग कॉलेज के लिए रु.226 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
5. पीएमएसएसवाई 2 कॉलेजों (आईजीआईएमएस पटना + आईएमएस बीएचयु) के लिए रु.120 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
6. केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम (केरल) के लिए रु.150 करोड का डिज़ाइन परामर्श।
7. रु.115 करोड के सीबीआरएन चेंब्रे (तृतीयक रक्षा केंद्र) के लिए पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
8. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली के लिए रु.100 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
9. पीएसए एम्स गुवाहटी के प्रापण के लिए रु.100 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
10. एमसी, कोषिकोड, केरल में रु.33.59 करोड से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण।
11. एमसी, तिरुवनंतपुरम, केरल में रु.33.59 करोड से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण।
12. मलबार कैंसर सेंटर, कण्णूर, केरल के लिए रु. 100 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
13. वीएमएमसी सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए रु.65 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
14. एलएचएमसी & एसोसिएट अस्पताल, नई दिल्ली के लिए रु.65 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
15. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के लिए रु.50 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
16. डीएचएस लक्षद्वीप के लिए रु.10 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
17. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली के लिए रु.65 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
18. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा के लिए रु.65 करोड का पीएसए (प्रापण एवं समर्थन अभिकर्ता)।
19. इंडियन बैंक, चेंब्रे के लिए रु.44 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
20. इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी, तोन्नक्कल, तिरुवनंतपुरम, केरल में बीएसएल -III सुविधा और बीएसएल-II प्रयोगशालाओं के लिए रु.10 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
21. बहु-विषयक पशु चिकित्सा अस्पताल, तिरुवनंतपुरम, केरल के लिए रु.10 करोड का डिज़ाइन कार्य।
22. एम्स बिलासपुर (एम ओ टैंक अ एमजीपीएस) के लिए रु.6 करोड का पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता)।
23. डिजिटल साइंस पार्क, केएसआईटीएल, केरल के लिए रु.2.5 करोड का डीपीआर परामर्श।
24. पारगमन उन्मुखी विकास के लिए डिज़ाइन, अवधारणा योजना, पश्चिमी तट नहर, केरल सरकार के लिए रु.100 करोड।

8.3 एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल)

31 मार्च 2023 तक एचएमसीसीएचएल एल की प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक रु. 10 लाख हैं।

महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2016 में, उत्तर प्रदेश सरकार (परियोजना) में 20 जिला अस्पतालों में 100 बेडड मातृ व शिशु अस्पताल (एम सी एच) विंग्स का संचालन के लिए निविदा अधिसूचना जारी की थी। इस परियोजना को ईएफओएमटी (सज्जित करना, वित्त, प्रचालन, रख-रखाव और अंतरण) आधार पर निष्पादित किया जाना है, जिसमें सफल बोली धारक को जिला अस्पतालों के एम सी एच विंग्स को 10 वर्षों की अवधि के लिए वित्त, सज्जित और संचालन करना होगा। निविदा अधिसूचना अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि परियोजना लागू करने के लिए सफल बोलीधारक को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) पंजीकृत करना होगा।

8.2.2 Achievements during 2022-23

Development of Healthcare sector played a key role in building the nation and indeed emerged as one of the leading sector of the economy during COVID-19 Pandemic. HITES utilized the opportunities and shown impressive progress. Some of the main contracts received by your Company and during 2022-23 are as listed below: -

1. PSA (Procurement and Support Agent) for AIIMS Rajkot/Deoghar/Bibinagar (tri- partite agreement between AIIMS, MoHFW and HITES) of Rs. 300 Cr.
2. PSA (Procurement and Support Agent) for Dept. Medical Education, U. P of Rs. 250 Cr.
3. PMC (Project Management Consultant) for AIIMS Patna Residential and academic block of Rs. 277 Cr.
4. PMC(Project Management Consultant) for AIIMS Gorakhpur Residential and Nursing College of Rs. 226 Cr.
5. PSA (Procurement and Support Agent) for PMSSY 2 Colleges (IGIMS Patna+ IMS BHU) of Rs. 120 Cr.
6. Design Consultancy for Kerala State IT Infrastructure Ltd., Trivandrum, (Kerala) of Rs. 150 Cr.
7. PMC (Project Management Consultant) for CBRN Chennai (Tertiary Care Centre) of Rs. 115 Cr.
8. PSA (Procurement and Support Agent) for All India Institute of Ayurveda, Delhi of Rs. 100 Cr.
9. PSA (Procurement and Support Agent) for Procurement of PSA AIIMS Guwahati of Rs. 100 Cr.
10. Construction of Isolation Ward at MC, Kozhikode, Kerala of Rs. 33.59 Cr.
11. Construction of Isolation Ward at MC, TVM, Kerala of Rs. 33.59 Cr.
12. PMC(Project Management Consultant) for Malabar Cancer Centre, Kannur, Kerala of Rs. 100 Cr.
13. PSA (Procurement and Support Agent) for VMMC Safdarjung Hospital, New Delhi of Rs. 65 Cr.
14. PSA (Procurement and Support Agent) for LHMC & Associate Hospitals, New Delhi of Rs. 65 Cr.
15. PSA (Procurement and Support Agent) for National Institute of Ayurveda, Jaipur of Rs. 50 Cr.
16. PSA (Procurement and Support Agent) for DHS Lakshadweep of Rs. 10 Cr.
17. PSA (Procurement and Support Agent) for RML Hospital Delhi of Rs. 50 Cr.
18. PSA (Procurement and Support Agent) for All India Institute of Ayurveda, Goa of Rs. 40 Cr.
19. PMC (Project Management Consultant) for Indian Bank , Chennai of Rs. 44 Cr.
20. PMC(Project Management Consultant) for BSL-III facility & BSL-II labs at Institute of Advanced Virology, Thonnakkal, Trivandrum, Kerala of Rs. 10 Cr.
21. Design work for Multi-disciplinary Veterinary Hospital, Trivandrum, Kerala of Rs. 10 Cr.
22. PMC (Project Management Consultant) for AIIMS Bilaspur (MO Tank + MGPS) of Rs. 6 Cr.
23. DPR consultancy for Digital Science Park, KSITL, Kerala of Rs. 2.5 Cr.
24. Design, Concept planning for transit Oriented Development, West Coast Canal Govt. of Kerala of Rs. 100 Cr.

8.3 HLL Mother & Child Care Hospitals Limited [HMCCHL]

The authorized and paid up equity share capital of HMCCHL as on 31st March 2023 was Rs.10.00 lakh each.

In December 2016, Director General (Medical & Health Services), Government of Uttar Pradesh [GoUP] had issued a tender notification inviting proposals for Operationalization of 100 bedded Mother & Child Hospital (MCH) wings at 20 district hospitals in Uttar Pradesh (the project). The project has to be executed on EFOMT (Equip, Finance, Operate, Maintain and Transfer) basis, wherein the successful bidder has to finance, equip and operate the MCH wings of District hospitals for a period of 10 years. The tender notification inter alia has stipulated that the successful bidder has to register a Special Purpose Vehicle [SPV] under the Companies Act, 2013 to implement the project.

एचएलएल को सफल और एल 1 बोलीधारक के रूप में चुन लिया गया और ईएफओएमटी के आधार पर 20 एमसीएचडब्लियुएस के संचालन के लिए 27 मार्च 2017 को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) को प्रदान करने का पत्र जारी किया गया। एचएलएल ने एसपीवी एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) को 1 अगस्त 2017 को पंजीकृत किया था।

मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल परियोजना लागू करने के लिए कंपनी को एक एसपीवी के रूप में गठन किया गया था और जिस के लिए एसपीवी की स्थापना की गयी थी वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। एक शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के बीच प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एचएमसीसीएचएल के निदेशकों के मंडल ने 23 जुलाई 2021 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (आरओसी) की रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल के नाम हटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त एचएलएल के निदेशक मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280वीं बोर्ड बैठक में आरओसी के रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल का नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।

कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से नाम को स्वैच्छिक रूप से हटाने से संबंधित है। कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के अनुसार, जहाँ कोई कंपनी पिछले दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है और एक निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है तो कंपनी अपनी सभी देयताओं को समाप्त करने के बाद शेयरधारकों से विशेष संकल्प के माध्यम से स्वेच्छा से हटाने के लिए एसटीके-2 फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ आवेदन दाखिल करके अनुमोदन प्राप्त कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 & 2022-23 के दौरान, एचएमसीसीएल ने वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने परिसंपत्ति एवं देयताओं को समाप्त कर दिया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'शून्य' तुलन पत्र तैयार की थी। कंपनियों के रजिस्ट्रार से एचएमसीसीएल को हटाने के लिए एसटीके-2 में आवेदन 04/08/2023 को एसआरएन नंबर एए 3820649 के ज़रिए दायर किया गया था।

8.4 लाइफसिंग्रिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड (एल एस एच)

31 मार्च 2023 को लाइफसिंग्रिंग की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः रु.20 करोड़ और रु.19.02 करोड़ थीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाइफसिंग्रिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड ने रु.2563.30 लाख का व्यापारावर्त और रु.31.50 लाख का कर के बाद लाभ दर्ज किया।

तेलंगाना में सार्वजनिक सुविधाओं में प्रसव में 6% की वृद्धि के बावजूद लाइफसिंग्रिंग अस्पताल प्रसव की संख्या को बनाए रखने में सक्षम था। आपकी कंपनी ने सेवाओं के मामले में अच्छी वृद्धि दर्ज की है जिसके माध्यम से गर्भावस्था समाप्त हो सकती है और साथ ही दी जानेवाली अन्य सेवाओं की मात्रा भी बढ़ सकती है। चालू वर्ष के दौरान हासिल की गई मात्रा का एक स्नेपशॉट (पिछले दो वर्षों की तुलना में) नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

| वर्ष | सेवित अद्वितीय महिला | प्रस्तावित परामर्श | किए गए नैदानिक परीक्षण | किए गए अल्ट्रा साउण्ड स्कैन | संभाले गए प्रवेश | हो गए प्रसव | गर्भावस्था समाप्ति सेवाएँ |
|---------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 2020-21 | 21,000 | 67,788 | 49,004 | 10,444 | 3,674 | 2,779 | 3,081 |
| 2021-22 | 27,000 | 1,07,209 | 77,575 | 18,429 | 7,114 | 5,178 | 6,007 |
| 2022-23 | 33,128 | 1,16,745 | 83,189 | 19,589 | 7,841 | 5,056 | 6,318 |

8.4.1 बाज़ार के आकार में व्यापक परिवर्तन

निम्नलिखित कारकों ने हैदराबाद में मातृत्व सेवाओं के लिए बाज़ार के आकार में व्यापक परिवर्तन में योगदान दिया :

गर्भवती महिलाएँ शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चली गईं - शायद इसलिए कि परिवार की अन्य महिला सदस्य शहरी क्षेत्रों में आकर गर्भवती महिला की सहायता नहीं करना चाहतीं।

तेलंगाना में तीसरे और उच्च क्रम के जन्म बढ़ रहे हैं- विशेष रूप से हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिलों में जहाँ लाइफसिंग्रिंग अस्पताल स्थित हैं।

कुल प्रसवों में सरकारी अस्पतालों की हिस्सेदारी बढ़ रही है - शायद इसलिए कि अर्थव्यवस्था अभी भी बहाल नहीं हुई है और तेलंगाना सरकार ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वालों के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना शुरू कर दिया है।

HLL was selected as the successful and L1 bidder and issued Letter of Award to HLL Lifecare Ltd. [HLL] on 27th March 2017 for Operationalization of 20 MCHWs on EFOMT basis. HLL had registered the SPV HLL Mother and Child Care Hospitals Ltd [HMCCHL] on 1st August 2017.

The company was formed as a SPV to implement the Mother & Child Care Hospitals project and could not serve the objective for which the SPV was set up. Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board of Directors of HMCCHL in the 12th Board meeting held on 23rd July, 2021 decided to remove the name of HMCCHL from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013. Additionally, HLL Board of Directors in their 280th Board meeting held on 27th July, 2021 approved the proposal to submit the application for removing the name of HMCCHL from the records of ROC.

Section 248(2) of companies act deals with voluntary removal of name from the Register of Companies. As per section 248(1) of Companies Act 2013, where a company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company then the company may after extinguishing all its liabilities obtain approval from shareholders by way of special resolution voluntarily there by filing application with the Registrar of Companies in form STK-2 for strike off.

During the Financial Year 2021-22 & 2022-23, HMCCL has not prepared Financial Statements as the company had extinguished assets and liabilities and prepared "Nil" Balance sheet for the Financial Year 2020-21. Application in Form STK-2 for strike off of HMCCL from Register of Companies was filed on 04/08/2023 vide SRN No. AA3820649.

8.4 LifeSpring Hospitals (P) Limited [LSH]

The authorised and paid-up equity share capital of LifeSpring Hospitals as on 31 March 2023 was ₹ 20 crore and ₹ 19.02 crore respectively. During FY 2022-23 Lifespring Hospitals Private Limited recorded a Turnover of Rs.2563.30 lakhs and Profit After Tax of Rs.31.50 lakhs.

Lifespring Hospitals was able to maintain the number of deliveries despite 6% increase in the deliveries in public facilities in Telangana. Your company had posted a good growth in terms of services through which pregnancy can come to an end; as also in the volume of other services offered. A snapshot of the volumes achieved during current year (as compared to the last two years) is presented below:

| Year | Unique Women served | Consultations offered | Diagnostic tests done | Ultrasound scans done | Admissions handled | Deliveries done | Pregnancy end services |
|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 2020-21 | 21,000 | 67,788 | 49,004 | 10,444 | 3,674 | 2,779 | 3,081 |
| 2021-22 | 27,000 | 1,07,209 | 77,575 | 18,429 | 7,114 | 5,178 | 6,007 |
| 2022-23 | 33,128 | 1,16,745 | 83,189 | 19,589 | 7,841 | 5,056 | 6,318 |

8.4.1 Broad changes in market size

The following factors contributed to broad changes in market size for maternity services in Hyderabad:

Pregnant women moved out of urban areas to the rural areas – probably as other women members of the family do not want to come to the urban areas & support the pregnant woman.

Births of third and higher order are increasing in Telangana – more so in Hyderabad and Ranga Reddy districts where LifeSpring Hospitals are situated.

Share of government hospitals in total deliveries is increasing – probably as the economy is yet to restore and as the Government of Telangana has once again started providing the cash incentives for those delivering in government hospitals.

पिछले वर्ष के दौरान गर्भस्राव और गर्भपात में भारी वृद्धि हुई है। यह एनएफएचएस 5 के अवलोकन के अनुरूप है कि तेलंगाना में अनियोजित गर्भधारण की संख्या अधिक है।

लाइफसिंग ने प्रतिकूल रुझान के बावजूद कई मापदंडों पर अच्छा निष्पादन किया। हमारे लक्षित समूह का एक बड़ा वर्ग सरकारी अस्पताल और लाइफसिंग के बीच की दुविधा में है। इसके बावजूद, लाइफसिंग अस्पताल में ग्राहकों की बढ़ती व्यस्तता के कारण लगातार ग्राहकों की प्रतिशतता बढ़ती रही। (अर्थात् जिनके संदर्शन के 105 दिनों के भीतर कम से कम 3 ओपी संदर्शन हुए हों या उनके पहले संदर्शन के 45 दिनों के भीतर आईपी प्रवेश हुआ हो।) यह वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 55% पर बनी रही। रूपांतरणों की प्रतिशतता भी पिछले वर्ष के 43% के समान स्तर पर जारी रहा (वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक)। लाइफसिंग में प्रसव करानेवाली सभी महिलाओं में मुसलमानों का प्रतिशतता भी बढ़कर 17.8% हो गया, जबकि लाइफसिंग में प्रसव करानेवाली प्रति महिला की औसत संख्या बढ़कर 9.6% हो गई। लाइफसिंग को प्राइवेट रूम और डीलक्स रूम अधिभोग (प्रति प्रसव पर बेहतर राजस्व प्राप्त करने के लिए) को लगातार बढ़ावा देने से लाभ हुआ। समीक्षाधीन वर्ष में लगभग 35% प्रसव प्रवेश प्राइवेट रूम में थे (लाइफसिंग की इतिहास में अब तक के सबसे अधिक) और 5.25% डीलक्स रूम में थे।

प्रवृत्ति यह भी दर्शाती है कि नए गर्भावस्था पंजीकरणों में पिछले ग्राहकों की हिस्सेदारी भविष्य में भी जारी रहेगी और हमें विशेष प्रत्साहन के माध्यम से इस समूह को बनाए रखने के प्रयास करने की आवश्यकता है। लाइफसिंग में, जब कि सभी नए गर्भावस्था पंजीकरणों के बीच में अपनी नई गर्भधारण के लिए वापस आनेवाले ग्राहक लगभग 30% थे, लाइफसिंग अस्पताल में तीसरे या उच्चतर क्रम के जन्मों की प्रतिशतता 25% से अधिक बना रहा।

8.4.2 बाज़ार प्रतिभागियों में व्यापक परिवर्तन

नर्सिंग होम का चलन जारी नहीं रह सका है और छोटे अस्पतालों के बीच एक त्वरित मंथन (कुछ डॉक्टरों द्वारा साझेदार के रूप में शुरू हुआ) जारी है। लॉन्ग-कोविड के डर के कारण मरीजों के लिए पूर्ण सेवा अस्पताल (यानी जो मरीज को बाहर रेफर किए बिना एक ही छत के नीचे सभी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं) चुनने की प्राथमिकता बढ़ गई है। डॉक्टरों और नर्सों के बीच में कम जुड़ाव से जुड़े छोटे अस्पतालों के बीच में इस मंथन से नर्सों की संख्या में वृद्धि हुई जिन्होंने कोई व्यावहारिक अनुभव प्राप्त नहीं किया है लेकिन जिनका वेतन बढ़ गया है। सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण, छोटे अस्पतालों द्वारा अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता वाले नियामक अनुपालन में भी वृद्धि हुई है।

लाइफसिंग अस्पतालों ने सेवा पोर्टफोलियो को बढ़ाकर ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव पर प्रतिक्रिया दी है। लाइफसिंग में देर रात और सुबह के दौरान दाखिले कुल दाखिलों के 20% तक बढ़ गए हैं, जिससे पता चलता है कि लाइफसिंग लोगों के लिए तब भी अधिक प्रासंगिक हो रही है, जब उनका झुकाव सरकारी अस्पतालों की ओर अधिक हो रहा है। डबल सरफेस फोटोथेरेपी भी 9 अस्पतालों में पेश की गई और इसे 835 दिनों में लिया गया - यह पिछले वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। 8 शाखाओं में अल्ट्रासाउंड भी उपलब्ध कराया गया। लगभग 3.11% केशों में उपस्थित रहने के लिए जनरल सर्जनों को बुलाया गया था और रेफरल को कम करने के लिए युवा प्रसूती विशेषज्ञों ने सहयोगात्मक तरीके से गंभीर केशों को संभाला। हमारे अस्पताल से कुल रेफरल (प्रवेश से पहले और बाद में, दोनों में) सभी ईडी ग्राहकों का 2.87% थे।

9. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 से 'इंड ए एस' को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण पर इंड ए एस के अनुसार वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। समनुषंगी कंपनियों के संबंधित सूचना सहित वार्षिक लेखा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और संबंधित समनुषंगी कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए कार्य घंटे के दौरान उपलब्ध है।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और पर्याप्तता

आपकी कंपनी को इसके कारोबार की प्रकृति आकार, स्केल और प्रचालन की जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन (डी ओ पी) के अनुसार सभी लेनदेन अनुमोदित और प्राधिकृत किया जाता है, एस ए पी संचालित वातावरण में लेखा रिकॉर्डों की सटीकता और संपूर्णता सही ढंग से रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी की जाती है और परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग या प्रकृति से होनेवाले नुकसान से सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाते हैं। इन प्रणालियों को सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जाँच करके प्रमाणित किया जाता है जो सभी यूनिटों, प्रभागों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर करता है।

Abortions and miscarriages have increased tremendously during the last year. This is in line with the observation in NFHS5 that Telangana has higher number of unplanned pregnancies.

LifeSpring performed well on several parameters despite the adverse trend. A large section of our target group is indecisive between government hospital and LifeSpring. Despite that, the percentage of continuing customers (i.e., those who had at least 3 OP visit within 105 days of their visit or IP admission within 45 days of their first visit) continued to grow due to increased customer engagement at LifeSpring Hospital. It continued to be at 55% in the third quarter of 2022-23. Percentage of conversions too continued at the same level as that of the previous year at 43% (till second quarter of 2022-23). Muslims as a percentage of all delivered women at LifeSpring also grew to 17.18%, while the average number of visits per woman delivered at LifeSpring grew to 9.6. LifeSpring gained by consistently promoting Private Room and Deluxe Room occupancy (to get a better revenue per delivery). In the year under review, about 35% of delivery admissions were in private room (the highest so far in the history of LifeSpring) and 5.25% were in Deluxe Room.

The trend also shows that the share of past customers in new pregnancy registrations would continue in future, and we need to make efforts to retain this group through special incentives. At LifeSpring, while customers returning for their newer pregnancies was about 30% among all new pregnancy registrations, the percentage of 3rd or higher order births at LifeSpring Hospitals continued to be over 25%.

8.4.2 Broad changes in market players

The trend of nursing homes not being continued and a quick churn among small hospitals (started by a few doctors coming together as partners) has continued. The preference for the patients to opt for full service hospitals (i.e., those that can provide all the services under one roof without further referring the patient out) has increased due to fear of long-Covid. This churn among the smaller hospitals, associated with lower attachment between the doctors and nurses, led to an increase in the number of nurses who have not gained any practical experience but whose pay has increased. Due to social and political factors, the regulatory compliances requiring additional investments by small hospitals has also increased.

LifeSpring Hospitals has responded to the changes in customer preferences by increasing the service portfolio. Admissions during late night and early mornings increased to 20% of the total admissions at LifeSpring, showing that LifeSpring is becoming more relevant to the people even when they are leaning more towards government hospitals. Double Surface Phototherapy too was offered in 9 hospitals and was taken up on 835 days – an increase of over 15% from the previous year. Ultrasound too was made available in 8 branches. General Surgeons were called to attend about 3.11% of cases and younger obstetricians managed critical cases in a collaborative manner to decrease the referrals. The overall referrals from our hospital (both before and after admissions) were contained at 2.87% of all EDD customers.

9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has adopted “Ind As” with effect from 1st April 2016. The Financial Statements in accordance with the Ind As on Consolidated Financial Statements is provided in the Annual Report. The Annual Accounts of the Subsidiary Companies, along with related information are available for inspection at the Registered Office of the Company, and also at the registered offices of the respective subsidiary companies during working hours.

10. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND ADEQUACY

Your Company has a proper and adequate system of Internal Controls, commensurate with the nature of its business, size, scale and complexity of operations which ensures that all transactions are approved and authorized as per Delegation of Powers (DOP), recorded and reported correctly the accuracy and completeness of the accounting records in SAP driven environment. Also ensures timely preparations of reliable financial statements are maintained and assets are safeguarded and protected against loss from unauthorized use or disposition. These systems are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors which cover all units, divisions and key business areas.

कंपनी एक सार्वजनिक उद्यम होने से नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की लेखापरीक्षा के अधीन भी है। कॉर्पोरेट लेखा परीक्षा सेवाएँ, आंतरिक नियंत्रणों पर निष्पादन दक्षता एवं आश्वासन की समीक्षा करने के उद्देश्य से चयनित क्षेत्रों पर संचालन व प्रबंधन लेखा परीक्षा आयोजित करती है। लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाती है। लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करती है तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों व प्रणालियों को मज़बूत करने से संबंधित लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

11. विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति

आपकी कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को एक औपचारिक तंत्र प्रदान करने के लिए विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति अपनायी है। यह नीति तंत्र का लाभ उठानेवाले कर्मचारियों के जुर्मा के खिलाफ और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधी पहुँच के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास जाने से वंचित नहीं किया गया है और इस संबंध में वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विसिल ब्लोवर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है।

12. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है और एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम) प्रणाली है, जो जोखिम निर्धारण के लिए सभी व्यवसाय कार्यक्षेत्रों के साथ कार्य करता है और यह सुनिश्चित करती है कि जोखिम प्रबंधन योजना लागू है।

13. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कंपनी के लाभकारी कारोबारवाले को प्रभावित महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश।

कंपनी के कामकारी कारोबारवाला और प्रचालन को प्रभावित करनेवाले नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश नहीं है।

14. वित्तीय स्थिति को प्रभावित यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

14.1 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश

आर्थिक कार्य की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर 2017 को आयोजित उनकी बैठक में तीन महीने की अवधि के अन्दर अलग एसपीवीएस के रूप में एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) की वैकसीन उद्यम और मेडीपार्क परियोजना को अलग करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया था और इसके बाद दो - चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल में सरकार की 100% इक्विटी की बिक्री करेगी।

एचएलएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन के लिए मसौदा तैयार किया गया है और लेन-देन सलाहकार ने 14 अप्रैल 2021 को दीपम को अद्यतन पीआईएम भी प्रस्तुत किया था। एचएलएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने की अधिसूचना 14 दिसंबर 2021 को लेनदेन सलाहकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। पात्र ईओआई की शॉर्टलिस्टिंग के बाद, संभावित बोलीदाताओं को जुलाई 2022 की शुरुआत में वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) तक पहुँच प्रदान की गई थी। आज तक, बोलीदाताओं द्वारा सम्यक तत्परता जारी है और एचएलएल बोलीदाताओं द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अपेक्षाओं के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, उपयुक्त लेखा मानकों का पालन किया गया है और उससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

The Company, being a Public Sector Enterprise, is subject to audit by Comptroller and Auditor General (CAG) also. Corporate Audit Services conduct operations and management audit on selected areas with an objective of reviewing the performance efficiency and assurance on internal controls. Significant audit observations and follow-up actions thereon are reported to the Audit Committee. The Audit Committee reviews adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment and monitors the implementation of audit recommendations, including those relating to strengthening of the Company's Risk management policies and systems and provides strategic guidance.

11. VIGIL MECHANISM / WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has adopted a Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy, to provide a formal mechanism to the Directors and employees to report their concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's Code of Conduct or ethics policy. The Policy provides for adequate safeguards against victimization of employees who avail of the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company has been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed on the website of the company.

12. RISK MANAGEMENT

Your Company has adopted a robust Risk Management Policy approved by the Board of Directors and established an Enterprise Risk Management (ERM) system that engages with all the business verticals for risk assessment and ensures that the risk mitigation plans are in place

13. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS OF THE COMPANY

There were no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and operations of the Company.

14. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which this financial statements relate and on the date of this report.

14.1 Strategic Disinvestment of HLL Lifecare Limited

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 had granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process.

Draft Preliminary Information Memorandum for inviting Expression of Interest for Strategic Disinvestment of HLL has been prepared and the Transaction Advisor had also submitted the updated PIM to DIPAM on 14th April, 2021. The Notification inviting Expression of Interest (EoI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL was published by the Transaction Advisor on 14th December, 2021. Post shortlisting of the eligible EoIs, the prospective Bidders were given access to the Virtual Data Room ('VDR') in early July 2022. As on date, due diligence by the Bidders is ongoing and HLL is providing clarifications/ additional information as is being sought by the Bidders.

15. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, your Directors confirm that:

- a. in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and that no material departures have been made from the same;

- ख) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा सुसंगत रूप से उनको प्रयुक्त किया गया और लगातार विवेकी एवं समझदार निर्णय एवं आकलन बनाए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की दशा की दृष्टि सही एवं साफ विवरण और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ दे सकें।
- ग) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।
- घ) उन्होंने लाभकारी कारोबार वाला के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ङ) सभी उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से प्रचालन करती है।

16. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेने वालों का विवरण, कंपनी नियम 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति और पारिश्रमिक) के आधार पर लागू नहीं है कि समीक्षाधीन वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरण करने वाले कंपनी के कोई भी कर्मचारी नहीं है।

17. वार्षिक विवरणी के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा 3(क) में पठित कंपनी के नियम, 2014 के नियम 12 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध II के रूप में एम जी टी फॉर्म 9 में 31 मार्च, 2023 तक की वार्षिक विवरणी के उद्धरण संलग्न किया जाता है।

18. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बनाये गए अवलोकन/प्रतिबंध उस पर संगत टिप्पणियों के साथ पठित स्वतः & स्पष्ट है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन आगे की कोई टिप्पणी के लिए आमंत्रित नहीं है। (निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट देखें।)

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा नियम) 2014 के अधीन निर्धारित विविध उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स धनंजय वी जोशी & एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, कोलकत्ता को लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा चलाने को प्रेकटीस कर रही कंपनी सेक्रेटरियों के फर्म द्वारा मेसर्स बी वी आर एण्ड एसोसियेट्स को पुनः नियुक्त किया था। फर्म सं. एम आर 3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुबंध III के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है। सचिवीय लेखापरीक्षकों से कोई अवलोकन नहीं है।

19. एमएसएमई से मालों का प्रापण

वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से कुल खरीद ₹1408.58 करोड़ में से ₹380.41 करोड़ मूल्य के माल का प्रापण किया जो 25% के लक्ष्य की ओर 27% रहा है।

20. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन, विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय

कंपनी नियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अधीन निर्धारित ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुबंध-क के रूप में दिए जाते हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

- b. they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profits of the Company for that period;
- c. they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. they have prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e. they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such

16. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of the limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the Company has drawn remuneration in excess of the stipulated limit, during the year under review.

17. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2023 in form MGT 9 is appended as Annexure II to the Board's Report.

18. AUDITORS

Statutory Auditors

The observations/qualifications made in the Auditors' Report read together with relevant notes thereon are self-explanatory and hence, do not call for any further comments under Section 134 of the Companies Act, 2013 (Refer Addendum to Directors report).

Cost Auditors

M/s Dhananjay V Joshi & Associates, Cost Accountants, Kolkatta was appointed as Cost Auditors for the financial year 2022-23 to conduct cost audit of the accounts maintained by the Company in respect of the various products prescribed under Companies (Cost Records & Audit Rules), 2014.

Secretarial Auditors

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors of the Company had reappointed M/s. BVR & Associates, a firm of Company Secretaries in Practice to undertake the Secretarial Audit of the Company for the year ended 31st March, 2023. The Secretarial Audit Report in Form No. MR3 forms part of the Annual Report as Annexure III to the Board's Report. There is no observation by Secretarial Auditors.

19. PROCUREMENT OF GOODS FROM MSMEs

During the year 2022-23, the Company has procured goods of value of Rs. 380.41 Crs from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) out of the total procurement of Rs.1408.58 Crs which is about 27% against the target of 25%..

20. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNICAL ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS/ OUTGO

The particulars regarding Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo, as prescribed under sub-section 3 (m) of Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, are given as Annexure-A, which forms part of this report.

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

एचएलएल सी एस आर पहल का प्रारंभिक आदाता है। एचएलएल, सी एस आर कार्यकलापों को सीधे और अभिकरणों जैसे एचएलएल परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) और एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित करता है। धारा 135 के उप - धारा 5 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए सी एस आर के प्रावधान लागू हैं, जो वित्तीय वर्ष से तत्काल पहले तीन वर्ष के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व तीन वर्ष के निवल लाभ नीचे दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ (रु. लाखों में) |
|--|--|
| 2019-20 | 12,458.28 |
| 2020-21 | 15,154.63 |
| 2021-22 | 55,181.19 |
| कुल | 82,794.10 |
| न्यून : तीन वर्षों के लिए हाइट्स से लाभांश | 4,075.00 |
| निवल लाभ | 78,719.10 |
| तीन वर्षों के औसत निवल लाभ | 26,239.70 |
| औसत निवल लाभ का 2 % | 524.79 |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल सीएसआर दायित्व रु.524.79 लाख की ओर कंपनी ने रु.549 लाख खर्च किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एचएलएल द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का सारांश अनुबंध बी के रूप में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने उच्च मानक एवं अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिनांक 14.05.2010 की डी पी ई का.ज्ञा. सं 18(8)2005- जीएम में निर्धारित सभी शर्तों के पालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाया है। वृत्तिशील कंपनी सचिव मैसर्स बी वी आर & एसोसिएट्स, एलएलपी से कंपनी को कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करके एक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है जो अनुबंध IV के रूप में इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

23. प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग बननेवाले अलग खंड के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

24. निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशकशिप में निम्नांकित परिवर्तन आया है :

समाप्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को कंपनी के निदेशक (कों) के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया गया था।

| निदेशक का नाम | दिन संख्या | समाप्ति की तिथि |
|------------------------------|------------|-----------------|
| श्री आशिष श्रीवास्तव आई ए एस | 00445688 | 18/10/2022 |
| डॉ. विजयचंद्र रेड्डी पेसारू | 01494347 | 27/01/2023 |
| श्री राजशेखर टिमोथी | 07808705 | 31/03/2023 |

नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

HLL has been an early adopter of CSR initiatives. HLL implements CSR programmes directly and through its implementing agencies such as Hindustan Latex Family Planning and Promotion Trust [HLFPPT], HLL Management Academy and HLL Pratheeksha Charitable Society. As per sub-section 5 of Section 135 every Company for which the provisions of CSR is applicable shall spend at least 2% of the average net profit of the Company made during the three immediately preceding financial years. The average net profit of three immediately preceding financial year is given below:

| Financial Year | Net profit as per Section 198 of the Companies Act, 2013 (Rs. In lakhs) |
|---|--|
| 2019-20 | 12,458.28 |
| 2020-21 | 15,154.63 |
| 2021-22 | 55,181.19 |
| Total | 82,794.10 |
| Less: Dividend from HITES for three years | 4,075.00 |
| Net profit | 78,719.10 |
| Average net profit of the three years | 26,239.70 |
| 2% of average net profit | 524.79 |

Against the total CSR obligation of Rs.524.79 Lakhs, the Company spent Rs.549 lakhs during the Financial Year 2022-23. A summary of CSR activities carried out by HLL during the financial year 2022-23 is provided as Annexure B which forms part of this report.

22. CORPORATE GOVERNANCE

Your Company is committed to maintain the highest standards of good corporate governance and has taken adequate steps to adhere to all stipulations laid down in DPE O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14- 05-2010 issued by Department of Public Enterprises. The Company has obtained a Certificate from the Practicing Company Secretaries M/s. BVR & Associates, LLP confirming compliance of conditions of Corporate Governance forming part of this report as Annexure IV.

23. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report for the year under review is presented in a separate section forming part of this report.

24. BOARD OF DIRECTORS

The following changes took place on the Board of the Company:

Cessation

The following directors were ceased to be the Director(s) of the Company during the year 2022-23.

| Name of director | DIN Number | Date of Cessation |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Shri Ashish Srivastava IAS | 00445688 | 18/10/2022 |
| Dr. Vijaychander Reddy Pesaru | 01494347 | 27/01/2023 |
| Shri Rajasekar Timothy | 07808705 | 31/03/2023 |

Appointment

The following Directors were appointed to the Board of Directors of HLL Lifecare Limited during the Financial year 2022-23.

| निदेशक का नाम | डिन संख्या | नियुक्ति की तिथि |
|------------------------------------|------------|------------------|
| श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस | 08712776 | 18/10/2022 |
| डॉ. अनिता तंपी | 09698495 | 03/01/2023 |

महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को कंपनी के मंडल पर महिला निदेशक के रूप में श्रीमती रोली सिंह आई ए एस (निदेशक), डॉ. गीता शर्मा, निदेशक (वित्त), श्रीमती नीता बूचरा (स्वतंत्र निदेशक) और डॉ. अनिता तंपी, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) थीं।

बोर्ड की समितियाँ

आपकी कंपनी को विविध समितियाँ हैं, जिनको उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के रूप में संस्थापित की गयी हैं और उपयुक्त नियम और विधियों के संगत प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन करती हैं। कंपनी को बोर्ड की निम्न समितियाँ हैं :

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

संगत समितियों की संरचना, अधिकार, भूमिका, संदर्भ की शर्त आदि से संबंधित विस्तृत नोट कॉर्पोरेट अभिशासन खण्ड की रिपोर्ट के पैरा 11 के अधीन प्रदान किए जाते हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा

बोर्ड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं और बोर्ड संतुष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित जैसे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गयीं। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित जैसे किसी दो बैठकों के बीच के अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

25. कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति

कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुख्यालय के साथ-साथ इसके यूनिटों और सहायक कंपनियों में निवारण समितियों का गठन किया है - एक अधिनियम, कार्यस्थल में कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, रोकथाम और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण प्रदान करता है। आपकी कंपनी को दृढ़ विश्वास है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिणाम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन स्त्री समत्व के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में परिणत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन सम्मान के साथ जीने का अधिकार और कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने के लिए अधिकार है, जिस में लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण के लिए अधिकार भी शामिल हैं।

कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं के साथ बैठकें आयोजित की हैं। इस प्रावधान को कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के भाग के रूप में कंपनी में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

| Name of director | DIN Number | Date of Appointment |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS | 08712776 | 18/10/2022 |
| Dr. Anitha Thampi | 09698495 | 03/01/2023 |

Women Directors

In terms of the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013, your Company shall have at least one Woman Director on the Board. During the year under review, your Company had Smt Roli Singh IAS (Director), Dr. Geeta Sharma, Director(Finance), Smt Neeta Boochra (Independent Director) & Dr.Anitha Thampi, Director (Technical & Operations) as women Directors on the Board of the Company.

Committees of the Board

Your Company has several committees which have been established as a part of the best corporate governance practices and are in compliance with the requirements of the relevant provisions of applicable laws and statutes. The Company has following Committees of the Board:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Corporate Social Responsibility Committee

A detailed note with respect to the compositions, powers, roles, terms of reference, etc. of relevant committees are provided under Para 11 of the Report on Corporate Governance section which forms part of this Annual Report.

Declaration from Independent Directors

The Board has received declarations from the Independent Directors as per the requirement of Section 149(7) of the Companies Act, 2013 and the Board is satisfied that the Independent Directors meet the criteria of independence as mentioned in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

Board Meetings held during the year

During the year, six meetings of the Board of Directors were held. The maximum interval between any two meetings did not exceed 120 days, as prescribed in the Companies Act, 2013. The details of the meetings are furnished in the Corporate Governance Report which forms part of this Report.

25. POLICY ON PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

The Company has constituted Redressal committees in the Head office as well as in its Units and Subsidiary Companies in accordance with the provisions of Sexual Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - an Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment. Your Company firmly believes that sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and the right to life and live with dignity under article 21 of the constitution and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes right to safe environment free from Sexual Harassment.

Company has organized meetings with ladies for creating awareness about the provisions of the Act and their rights. The provision was incorporated in the Conduct, Discipline and Appeal Rules of the Company. As part of International Women's Day Celebrations various competitions were conducted for ladies in the company.

No complaints received during the year under review in this regard.

26. सूचना प्रौद्योगिकी

एसएपी एप्लिकेशन और एचएलएल में कार्यान्वित अन्य विशिष्ट एप्लिकेशन उभरती व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संभालने के लिए उचित रूप से कॉन्फिगर किए जाते हैं।

रीटेल व्यवसाय प्रभाग की बढ़ती माँगों को संभालने और केंद्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर उचित रूप से व्यवस्थित और समेकित डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवसाय इंटरलिजेंस डैशबोर्ड समाधान लागू किया गया था। यह क्लाउड आधारित समाधान इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन जैसे उपकरणों में कहीं से भी उपलब्ध है। समाधान पिछले पाँच वर्षों के ऐतिहासिक डेटा के साथ क्लाउड डेटा वेयरहाउस में डेटा रिपॉजिटरी बनाएगा। व्यवसाय इंटरलिजेंस डैशबोर्ड मुख्य निष्पादन संकेतक और अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय मेट्रिक्स की स्थिति प्रदर्शित करते हैं जो डेटा विश्लेषण को आसान और सहज बनाते हैं।

27. अनुसंधान एवं विकास

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना, भारतीय आबादी की गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त, किफायती तथा नवीन उत्पादों को विकसित करने व पेश करने के उद्देश्य से की गई है। सीआरडीसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है, जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं उत्पाद विकास दोनों के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। इसको एक स्व-निहित पूर्ण परिसर है जिसमें कई सुविधाएँ हैं, जैसे चिकित्सा उपकरण प्रयोगशाला, फार्मा प्रयोगशाला और निदानिकी प्रयोगशाला। इन सुविधाओं ने हार्मोन सहित विभिन्न एपीआई के साथ इम्प्लॉन्ट, रिलीज़ सिस्टम जैसे पैच, रिंग, जैल, क्रीम, टैबलेट, फिल्म आदि विकसित किया है। सीआरडीसी एक डीएसआईआर अनुमोदित सुविधा है।

उपलब्धियाँ/हाइलाइट्स

कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए आरटी लैप आधारित प्लेटफॉर्म कोवि-शुअर किट को आरटी-पीसीआर संबंधित किटों के लिए आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सम्मानित पेटेंट

1. 29 नवंबर 2022 को 'म्यूकोएडेसिव पॉलिमर लेपित लौह कणों की लक्षित, जैवउपलब्ध और सुरक्षित सुपुर्दगी' के लिए भारत में पेटेंट प्रदान किया गया।
2. 02 फरवरी 2023 को 'नॉन-स्टिरोइडल मौखिक गर्भनिरोधक और इसके औषधीय रूप से स्वीकार्य लवण के संश्लेषण की प्रक्रिया' के लिए भारत में पेटेंट प्रदान किया गया।

सहयोग/टाइ-अप

फैक्टरी से संबंधित परियोजनाओं के लिए कारुण्य इंस्टिट्यूट ऑफ तकनॉलजी एंड साइंसेस, कोयंबतूर के साथ सहयोग।

सम्मानित परियोजनाएँ

वैकल्पिक सिलिकॉन तेल कंडोम स्नेहक विकसित करने के लिए आईसीएमआर प्रस्ताव को मंजूरी और प्रथम वर्ष के लिए रु.8,95,160/- का अनुदान आईसीएमआर से प्राप्त हुआ है।

प्रकाशन

1. एम.एस. बाबुराज, मिधु जॉर्ज वीरन, दीक्षा पाइनुली, एस.श्रीलक्ष्मी, आर.जे.राजकुमार, अबी संतोष अप्रेम, अपशिष्ट जल शोधन, अलवणीकरण के लिए पॉलीकैप्रोलैक्टोन/जिलेटिन/चिटोसिन (पीसीएल/जीईएल/सीएचआई) इलक्ट्रोस्पिन नानो मेम्ब्राइन्स का निर्माण और लक्षण वर्णन, खंड 563,2023,116709, आईएसएसएन 0011-9164.
2. पैनी डीना वर्गीस, कृष्णा श्रीलेखा हेमचंद्रन, पार्वती जयश्री। ' मासिक धर्म कप के उपयोग पर ज्ञान और जागरूकता पैदा करने का प्रभाव : केरल के आलप्पुषा नगर पालिका में 'थिंकल' परियोजना पर आधारित एक अध्ययन ' पब्लिक हेल्थ इन प्रैक्टिस, एल्सेवियर, 2023,5,100352.
3. घाव भरने के लिए इलेक्ट्रोस्पिन पॉलीयूरेथेन-जेलेटिन कृत्रिम त्वचा मचान, एस.एस. लता, ए.एस. कुमार, एन.यु. एम.जे.रोसमेरी। दि जर्नल ऑफ दि टेक्स्टाइल इंस्टिट्यूट 113(3), 378-387, 2022

26. INFORMATION TECHNOLOGY

The SAP application and other specific applications implemented at HLL are appropriately configured to handle emerging business processes.

In order to handle the growing demands of Retail Business Division and ensure the availability of properly organized and consolidated data at the central/regional level, a business Intelligence Dashboard solution was implemented. This Cloud based solution is accessible from anywhere in devices like Laptop, Desktops, Mobile Phone with internet connectivity. The solution will create a data repository in a cloud data warehouse with historical data of the past five years. The Business Intelligence Dashboards display the status of Key performance indicators and other important business metrics that make the data analysis easier and intuitive

27. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Corporate Research & Development Centre (CRDC) of HLL Lifecare Ltd. has been established with the objective to develop and introduce appropriate, affordable and innovative products with a view to address the contraceptive and healthcare needs of Indian population. CRDC is envisioned to function as a Centre of excellence in conformance with international standards facilitating a platform for both applied research and product development. It has a self-contained full-fledged campus housing a number of facilities ie Medical Devices lab, Pharma lab and Diagnostics lab. These facilities have developed implants, releases systems like patches, rings, gels, creams, tablets, films etc with different APIs including hormones. CRDC is a DSIR approved facility.

Achievements/Highlights

RT lamp based platform for detection of covid-19 virus COVI-SURE kit approved by ICMR for RT-PCR related kits.

Patents Awarded

1. Patent granted in India for "Targeted, Bioavailable and safe delivery of mucoadhesive polymer coated iron particles" on 29 Nov 2022.
2. Patent granted in India for "The process for the synthesis of non-steroidal oral contraceptive and its pharmaceutically acceptable salts" on 02 Feb 2023.

Collaborations/Tie-Ups

Collaborated with Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore for factory related projects

Projects Awarded

ICMR proposal sanction to develop alternative silicone oil condom lubricant and 1st year grant of Rs. 8,95,160 have been received from ICMR.

Publications

1. M.S. Baburaj, Midhu George Veeran, Diksha Painuly, S. Sreelekshmi, R.J. Rajkumar, Abi Santhosh Aprem, Fabrication and characterisation of polycaprolactone/gelatin/chitosan (PCL/GEL/CHI) electrospun nano-membranes for wastewater purification, Desalination, Volume 563, 2023, 116709, ISSN 0011-9164.
2. Shiny Deena Vargheese, Krishna Sreelekha Hemachandran, Parvathy Jayasree* "Impact of imparting knowledge and awareness on the usage of menstrual cups: A study based on project 'Thinkal' at Alappuzha Municipality in Kerala" Public health in Practice, Elsevier, 2023, 5, 100352.
3. Electrospun polyurethane-gelatin artificial skin scaffold for wound healing SS Letha, AS Kumar, N U, MJ Rosemary. The Journal of The Textile Institute 113 (3), 378-387, 2022.

हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन द्वारा पीएलजीए पॉलिमर फिल्म के अनुकूलन व प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन दृष्टिकोण द्वारा गुणवत्ता। एम जी वीरन, आर आर तोमस, आर रामकृष्णन, ए एस अप्रेम - जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, 2022.

विभिन्न स्रोत के मानव कैंसर लाइनों में नैदानिक रूप से प्रयुक्त सेर्म्स की तुलनात्मक अंतर साइटोटोक्सिसिटी और कैंसर की प्रगति व उपचार प्रतिक्रियाओं में शामिल प्रमुख लक्ष्य जीनों के भावी सूचक मोलिकुलर डॉकिंग अध्ययन। लक्ष्मी एस, षानिता ए, षैनी डी वी, राहुल बी एस, सायकांत आर, शहना शरफ, अबी एस.ए, राजमोहन जी। करंट रिसर्च इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी, खंड 3,2022, 100080 .

28. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

28.1 गुणवत्ता नीति

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड प्रतिबद्ध है :

- हमारे ग्राहकों को गुणवत्ता के उच्चतम सुसाध्य स्तर के किफायती स्वास्थ्य रक्षा समाधानों को लगातार प्रदान करना।
- हमारी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को लगातार सुधार करना, उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाना और हर समय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करना।
- नवान्वेषण, अनुसंधान व विकास, लागत प्रबंधन पर फोकस करना और हमारे ग्राहकों के अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ग्राहक मूल्य प्रदान करना।
- सामूहिक अभिशासन तथा सामूहिक सामाजिक दायित्व से युक्त उच्चतम मानकों को पूरा करनेवाले संगठन बन जाना।

28.2 सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड पर्यावरण के संरक्षण, व्यावसायिक जोखिमों को दूर करना और स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है :

- उपयुक्त विधिक एवं अन्य अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करके पर्यावरण पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना, जोखिमों को दूर करना और ओ एच & एस उलझनों को कम करना।
- परामर्श एवं भागीदारी के ज़रिए कर्मचारी प्रशिक्षण और उनकी भागीदारी के साथ सुरक्षित प्रचालन प्रथाओं को अपनाना।
- काम से संबंधित चोट एवं बीमार स्वास्थ्य की रोकथाम के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यकारी परिस्थितियाँ प्रदान करना।
- पर्यावरणिक गुणवत्ता को, अपशिष्ट एवं उत्सर्जन कम करके, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने के ज़रिए, सुधार करना।
- स्थानीय प्रबंधन प्रणाली एवं उत्तम प्रथाओं पर वैश्विक एवं सुसंगत दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना और स्थायी निष्पादन एवं निरंतर सुधार प्राप्त करना।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवधिक समीक्षा।

28.3 प्रयोगशाला गुणवत्ता नीति

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड इसके लिए प्रतिबद्ध है:

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जाँच प्रणाली का अनुपालन करके तथा अच्छे व्यावसायिक आचरणों के प्रयोग द्वारा विश्वसनीय, सुसंगत, निष्पक्ष तथा अनुमार्गणीय जाँच परिणाम सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता प्रचालन में सम्मिलित सभी कार्मिकों को आई एसओ /आई ई सी 17025: 2017 के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली की नीतियों और कार्यविधियों के साथ सक्षम करना और सुपरिचित बनाना, सुनिश्चित करना तथा उसको उनके कार्य में कार्यान्वित करना।
- प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को निरंतर सुधारना।

28.4 प्रबंधन प्रणालियाँ और उत्पाद प्रमाणन

कंपनी के विनिर्माण यूनिटों/प्रभागों को नीचे उल्लिखित प्रमाणपत्र हैं :

Quality-by-Design Approach for Optimization and Processing of PLGA Polymer Film by Hot Melt Extrusion. MG Veeran, RR Thomas, R Ramakrishnan, AS Aprem - Journal of Pharmaceutical Innovation, 2022

Comparative differential cytotoxicity of clinically used SERMs in human cancer lines of different origin and its predictive molecular docking studies of key target genes involved in cancer progression and treatment responses, Lakshmi S, Shanitha A, Shiny Dv, Rahul Bs, Saikant R, Shehna Sharaf, Abi Sa, Rajmohan G, Current Research in Pharmacology and Drug Discovery, Volume 3, 2022, 100080.

28. QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

28.1 QUALITY POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to:

- Consistently provide our customers with affordable Healthcare solutions of the highest level of quality.
- Continually improve our processes, products and services, adopt best technologies and practices and meet national / International regulatory requirements at all times.
- Focus on innovation, R&D, Cost management and deliver customer value nationally and globally, conforming to the needs of our customers.
- Be an organization that meets highest standards in Corporate Governance and Corporate Social responsibility.

28.2 SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to protect environment, eliminate occupational hazards and maintain a healthy and safe work place by:

- Preventing any adverse impact to the environment, eliminate hazards and reduce OH&S risks by complying with applicable legal and other requirements.
- Adopting safe operating practices with employee training and their involvement through consultation and participation.
- Providing safe and healthy working conditions for prevention of work related injury and ill health.
- Improving the environmental quality by minimizing waste & emission, reusing & recycling, reducing the use of natural resources.
- Striving for a global and consistent approach that builds on local management system & best practices and to achieve sustainable performance and continual improvement.
- Periodic review of safety, health and environment management system.

28.3 LAB QUALITY POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to:

- Ensure reliable, consistent, impartial and traceable test results by using test methods complying with national / international standards and by following good professional practices
- Ensure that all personnel involved in the testing operations are competent and familiar with the policies and procedures of the management system conforming to ISO/IEC 17025: 2017 and implement the same in their work.
- Continually improve the effectiveness of the management system.

28.4 MANAGEMENT SYSTEMS & PRODUCT CERTIFICATIONS

The company's manufacturing units/divisions continue to possess the certifications mentioned below:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम,कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला की विनिर्माण यूनिटों के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन।
- चिकित्सा उपाय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला की विनिर्माण यूनिटों के लिए आई एस ओ 13485:2016 प्रमाणन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि और कनगला की विनिर्माण यूनिटों के लिए आई एस ओ 14001 : 2015 प्रमाणन।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कनगला और कोच्चि की यूनिटों के लिए आई एस ओ 45001 : 2018 प्रमाणन।
- पेरूरकड़ा यूनिट में उत्पादित पुरुष कंडोम और कोच्चि यूनिट में उत्पादित महिला कंडोम के लिए एसएबीएस मार्क।
- पेरूरकड़ा फैक्टरी डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता प्राप्त है और एफडीए 510के पंजीकृत है।
- पुरुष एवं महिला कंडोम के लिए काक्कनाड फैक्टरी, कोच्चि की डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता ।
- पुरुष कंडोम के लिए ऐरापुरम फैक्टरी, कोच्चि की डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता।
- पेरूरकड़ा यूनिट में पुरुष कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- कोच्चि यूनिट में उत्पादित टाइप ए और टाइप बी महिला कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- आक्कुलम यूनिट में उत्पादित ब्लड बैग के लिए सी ई मार्क ।
- आई एस ओ 17025 : 2017 के अनुसार पेरूरकड़ा यूनिट, तिरुवनंतपुरम में तैयार उत्पादों की प्रत्यक्ष परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एन ए बी एल प्रत्यायन ।
- आई एस ओ 15189 : 2012 के अनुसार नई दिल्ली, नवी मुंबई, नागपुर, कोलकत्ता, चेन्नै, बेंगलूरु, तिरुवनंतपुरम के हिंदलेब्स में चिकित्सा परीक्षण के लिए एन ए बी एल प्रत्यायन ।

29. मानव संसाधन

1. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी उनके द्वारा नियोजित मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यपालकों के लिए 451 और कामगार को 1355 कार्यदिवस को शामिल करके विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे ।

2. औद्योगिक संपर्क

वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष के जैसे कंपनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की साक्षी बनी है, श्रमिक अशांति के कारण कोई भी कार्यदिवस नष्ट नहीं हुआ है ।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुसरण कर रही है और भर्ती एवं पदोन्नति में निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रयास किये जाते हैं । विशेष भर्ती अभियान के लिए गंभीर और केंद्रित प्रयास भी किया गया ।

01.04.2023 तक के कुल कर्मचारी शक्ति में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिये जाते हैं ।

| विवरण | कर्मचारियों की संख्या |
|------------------------------|-----------------------|
| प्रतिनिधित्व : अनुसूचित जाति | 225 |
| अनुसूचित जनजाति | 63 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 355 |
| शारीरिक रूप से विकलांग | 41 |
| अन्य वर्ग | 604 |
| कर्मचारियों की कुल संख्या | 1288 |

- ISO 9001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram and Kanagala for Quality Management System.
- ISO 13485:2016 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram & Kanagala for Medical Devices Quality Management System.
- ISO 14001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi and Kanagala for Environment Management System.
- ISO 45001: 2018 certification for units at Peroorkada, Akkulam, Kanagala and Kochi for Occupational Health and Safety Management System.
- SABS Mark for Male Condoms produced at Peroorkada Unit and Female condom produced at Kochi Unit.
- Peroorkada Factory is WHO/UNFPA prequalified and FDA 510K registered.
- WHO/UNFPA prequalification of Kakkanad Factory, Kochi for Male Condoms and Female Condoms.
- WHO/UNFPA prequalification of Irapuram Factory, Kochi for Male Condoms.
- CE Mark for Male Condoms at Peroorkada Unit.
- CE Mark for Type A and Type B Female Condoms produced at Kochi Unit.
- CE Mark for Blood Bags produced at Akkulam Unit.
- NABL accreditation for finished products physical testing laboratory at Peroorkada Unit, Thiruvananthapuram in accordance with ISO 17025:2017.
- NABL accreditation for medical testing at HINDLABS, at New Delhi, Navi Mumbai, Nagpur, Nashik, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Trivandrum in accordance with ISO 15189:2012.

29. HUMAN RESOURCES

1. Human Resources Development

Your company gives high priority for development of human resources employed by them. During the year under review, the company had organized various training programmes involving 451 man days for executives and 1355 man days for workmen.

2. Industrial Relations

The year 2022-23 witnessed harmonious industrial relations in the company as in the previous years, and no mandays lost on account of labour unrest.

3. Reservation for SC /ST/OBC and Persons with Disabilities

The company continues to follow the presidential directives in respect of reservation to SC/ST/OBC Communities and efforts are taken to fulfill the directives in Recruitment and Promotion. Serious and focused effort was also taken for Special Recruitment Drives.

The representation of SC/ST/OBC/Persons with Disabilities categories in the total employee strength as on 01.04.2023 is given below:

| Description | No. of employees |
|-----------------------------|------------------|
| Representation of : SC | 225 |
| ST | 63 |
| OBC | 355 |
| Persons with Disabilities | 41 |
| Other Categories | 604 |
| Total Strength of Employees | 1288 |

4. एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में 01.04.2023 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के क्रियान्वयन की स्थिति ।

| श्रूप | पहचान की गयी कुल पदों की संख्या | विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या | | | | वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की स्थिति | | | |
|-------|---------------------------------|--|-------------|---|------|--|-------------|---|------|
| | | अंधापन या अल्प दृष्टि | खराब सुनवाई | लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात | अन्य | अंधापन या अल्प दृष्टि | खराब सुनवाई | लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात | अन्य |
| क & ख | 397 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| ग & घ | 891 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 16 | 1 |

5. एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी

यह सोसाइटी वृत्तिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ रजिस्टर की गयी है। तदनुसार, सोसाइटी द्वारा दो पद्धतियाँ लॉच की गयी थीं, एक विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और दूसरा गंभीर बीमारियों के लिए इलाज प्राप्त करने की ओर कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय समर्थन देने के लिए है।

वर्तमान में, कंपनी, तिरुवनंतपुरम जिला और कनगला जिला, दो जिला जहाँ कंपनी के दो प्रमुख विनिर्माण यूनिट स्थित हैं, से चुने गये विविध स्ट्रीम के वृत्तिक पाठ्यक्रमों के अनुसार पिछले वर्ष के विद्यार्थियों सहित 72 विद्यार्थियों को प्रायोजित करती है। एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी के चार सदस्यों और एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी के सदस्य के एक आश्रित परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य रक्षा उद्देश्यों के लिए कुल रु.3,25,000/- की वित्तीय सहायता दी। सोसाइटी की निधि सभी कर्मचारियों के मासिक व्यक्तिगत अंशदान के द्वारा जमा की जाती है।

30. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 का पूरी निष्ठा से पालन किया है। कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करने और कंपनी में अनुकूल माहौल बनाने की ओर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान कुल 407 कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हैं :

1. अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति एवं टिप्पण व आलेखन पर अखिल भारतीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
2. कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति पर जागरूकता कार्यक्रम।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति पर राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
4. एचएलएल के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति पर अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम।
5. भारतीय भाषा कवि सम्मेलन।
6. 'एचएलएल- स्वस्थ पीढ़ियों के लिए सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध संगठन' विषय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी।
7. अखिल भारतीय राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी।
8. 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पर कॉलेज के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय राजभाषा सेमिनार।
9. कॉलेज छात्रों के लिए 'अनुवाद की संभावनाएँ और सामान्य समस्याएँ' पर राज्य स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सह उपाध्यक्ष (राजभाषा) और वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भाग लिया। एचएलएल और उसके यूनिटों और सहायक कंपनियों ने हिंदी पखवाड़ा समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान, कर्मचारियों और उसके बच्चों के लिए अलग-अलग हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। हिंदी पखवाड़ा समारोह के भाग के रूप में 'महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा पर एचएलएल की भूमिका' विषय पर वाक्-पटुता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। समापन समारोह का उद्घाटन डॉ. बिजु जेकब, आई ए & एस, प्रिंसिपल ए जी, तिरुवनंतपुरम ने किया।

4. Status of implementation of posts reserved for persons with disabilities in HLL Lifecare Limited as on 01.04.2023

| Group | Total number of posts identified | No. of Post reserved for PwDs | | | | No. of Post currently held by PwDs | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|--------|------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | Blindness or low vision | Hearing impaired | Locomotor disability or cerebral identified | Others | Blindness or low vision | Hearing impaired | Locomotor disability or cerebral identified | Others |
| A & B | 397 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| C & D | 891 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 16 | 1 |

5. HLL PRATHEEKSHA Charitable Society

The Society is registered with the Objective of sponsoring students belonging to the BPL category to pursue professional studies and also to support the health care of retired employees. Accordingly two schemes were launched by the society; one for sponsoring students and the other for giving financial support to the retired employees of the company for availing treatment for critical illness.

Currently Company is sponsoring 72 students, including students of the previous years, pursuing various streams of professional courses selected from Trivandrum district and Kanagala district, being the two districts where the two major manufacturing units of the Company are located. HLL Pratheeksha Charitable Society extended financial support for healthcare purposes of four members of HLL Pratheeksha Charitable Society and one dependent family member of the member of HLL Pratheeksha Charitable Society for FY 2022-23 aggregating to Rs. 3,25,000. The funds for the society are pooled through the monthly individual contribution of all the employees.

30. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Your Company has complied with the provisions of Official Language Act of 1963 and OL Rules 1976, Presidential Directions and the Annual Programme - 2022-23 issued by the Department of Official Language with utmost devotion. Various training programmes were organized for the employees and officers in order to motivate the employees to do work in Hindi and to create a conducive atmosphere in the company. A total of 407 employees/officers were trained in Hindi during the year. The programmes include :

1. All India Refresher Training on OL Policy & Noting & Drafting for officers/employees.
2. Awareness Programme on OL Policy for employees.
3. State Level Orientation Programme on OL Policy for officers/employees.
4. All India Awareness Programme on OL Policy for the officers/employees of HLL.
5. Bharathiya Bhasha Kavi Sammelan.
6. All India Seminar for officers/employees on 'HLL a Socially Committed Organization for Healthy Generations.'
7. All India OL Technical Seminar
8. State Level OL Seminar for college students on 'Azadi ka Amrith Mahotsav'.
9. State Level Translation Training for college students on the 'Scope of Translation and common problems.'

The Chairman & Managing Director, Associate vice president (OL) and Senior Manager (OL) attended the Hindi day celebrations conducted at Surat by the Department of OL, Ministry of Home Affairs, New Delhi. HLL and its Units and subsidiaries observed the Hindi Fortnight Celebrations in a befitting manner. During Hindi Fortnight Celebrations, various Hindi Competitions were organised separately for employees & children of employees. Eloquence programme was also conducted as part of Hindi Fortnight Celebrations on the subject 'Role of HLL on Women's Healthcare'. The valedictory function was inaugurated by Dr Biju Jacob, IA&AS, Principal AG, Trivandrum.

वर्ष के दौरान एचएलएल ने अपनी राजभाषा पत्रिका 'समन्वया' के दो अंक प्रकाशित किया। इन हाउस पत्रिका 'दि फैमिली' त्रिभाषी में प्रकाशित की जाती है और मासिक समाचार पत्र 'मोमेंट्स' द्विभाषी में प्रकाशित करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति ने भी 5 जनवरी 2023 को मून्नार में हमारी कंपनी का निरीक्षण किया। समिति ने कंपनी में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए सराहना की।

एचएलएल तिरुवनंतपुरम में टोलिक (यु) का संयोजक भी है। हम अपने सदस्य कार्यालयों के साथ-साथ दक्षिणी क्षेत्र के अन्य टोलिक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों आदि के माध्यम से राजभाषा का प्रचार-प्रसार करते हैं। हमारी टोलिक ने 5 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित दक्षिण पश्चिम राजभाषा सम्मेलन में वर्ष 2020-21, 2021-22 के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। टोलिक(यु) ने उपरोक्त सम्मेलन के लिए 900 किट (बैग, पेन और राइटिंग पैड) प्रायोजित किया। टोलिक के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ नीचे जैसी हैं :-

1. वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा नीति पर अंतर टोलिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
2. भारतीय भाषा कवि सम्मेलन।
3. दक्षिणी क्षेत्रीय कंठस्थ सम्मेलन।
4. कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति पर जागरूकता कार्यक्रम।
5. कर्मचारियों और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ।
6. राजभाषा नीति पर राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
7. राज्य स्तरीय तकनीकी सेमिनार।
8. दक्षिणी क्षेत्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता।
9. विश्व हिंदी दिवस और विश्व मातृभाषा दिवस।
10. हिंदी पखवाडा समारोह।
11. कार्यालयों को प्रोत्साहित करने हेतु सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण एवं सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार।

31. कॉर्पोरेट संचार

आपकी कंपनी को एक सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट संचार विभाग (सी सी डी) है, जो पूरे संगठन के लिए अभिसरण मीडिया एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लगातार विकसित हो रहे संचार परिदृश्य में, सीसीडी ने नवीन संचार रणनीतियों के साथ रूढ़िवादी पीआर हस्तक्षेपों को पूरक करके अनुकूलित किया है। सीसीडी का लक्ष्य, एचएलएल को वैश्विक स्वास्थ्यरक्षा कंपनी के रूप में संस्थापित करना है जो वैश्विक समुदाय के हितलाभ के लिए उच्चतम मूल्यों को संभालता है। इसे प्राप्त करने के लिए, सीसीडी सभी संचार सामग्रियों के लिए अनुकूलित रचनात्मक और डिज़ाइन समर्थन प्रदान करने की ओर अपने इन-हाउस डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। विभाग, व्यापक सूचना प्रसार और कंपनी की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है। यह स्थानीय जनता और प्रभावशाली समूहों के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से हासिल किया जाता है, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी, विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, प्रमुख प्रकाशनों में लेख सुरक्षित करना, जानकारीपूर्ण ब्रोशर प्रकाशित करना, प्रभावशाली कॉर्पोरेट वीडियो बनाना और कंपनी के विकास की घोषणा करने के लिए नियमित रूप से प्रेस बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकडइन और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय उपस्थिति बनाए रखती है। हितधारकों को नवीनतम विकास के बारे में सूचित रखने के लिए इन चैनलों पर नियमित अपडेट प्रदान किए जाते हैं।

31.1 आंतरिक संचार :

कंपनी यह सुनिश्चित करने में प्रभावी आंतरिक संचार के महत्व को स्वीकार करती है कि संगठन के कर्मचारी कंपनी के मिशन, लक्ष्यों और रणनीतियों को समझें और अपनाएँ। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मासिक फोटो न्यूज़लेटर, मासिक बुलेटिन, त्रैमासिक पत्रिका, पत्रक और विभिन्न गतिविधियों/ विकास पर प्रकाश डालने वाले लघु वीडियो जैसे संचार उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है।

During the year HLL published two issues of its OL magazine 'Samanvaya'. The inhouse magazine 'The Family' is published in trilingual and the monthly news letter 'moments' published bilingually.

OL Inspection was conducted by the Ministry of Health & Family Welfare. The Parliamentary Committee on (OL) also inspected our Company on 5th January 2023 at Munnar. The Committee appreciated for the best implementation of OL Policy in the Company.

HLL is also the convener of TOLIC (U) in Thiruvananthapuram. We propagate and promote OL in our member offices as well as in other TOLICs in Southern Region by way of extending training programmes, Seminars etc. Our TOLIC bagged Southern Regional Awards first prize for the years 2020-21, 2021-22 in the South West OL conference held on 5th January, 2023 at Trivandrum. TOLIC (U) sponsored 900 Kits(bag, pen and writing pad for the above Conference. The main highlights of the programmes of TOLIC are as given below:

1. Inter TOLIC orientation Programme on Annual Programme & OL Policy
2. Bharathiya Bhasha Kavi Sammelan
3. Southern Regional Kantasth Training
4. Awareness Programme on OL Policy for the Employees
5. Competitions for Employees & Children
6. State Level Orientation Programme on OL Policy
7. State Level Technical seminar
8. Southern Regional Essay writing competition etc.
9. Viswa Hindi Diwas and world mother tongue day
10. Hindi Fortnight Celebrations.
11. Inspection of member offices, and awards for the best implementation for encouraging the offices.

31. CORPORATE COMMUNICATION

Your company has a well-organised Corporate Communications Department (CCD) that serves as a convergence media agency for the entire organisation. In an ever-evolving communication landscape, CCD has adapted by complementing conservative PR interventions with innovative communication strategies. The goal of CCD is to position HLL as a Global Healthcare Company that upholds the highest values, benefiting the global community. To achieve this, CCD leverages its in-house design platform to provide customized creative and design support for all communication materials. The department prioritises widespread information dissemination and fostering a positive company image. This is achieved through active engagement with local publics and influential groups, including participation in local and national events, issuing press releases to various media outlets, securing write-ups in prominent publications, publishing informative brochures, producing impactful corporate videos, and regularly organizing press meetings to announce company developments. Furthermore, the company maintains an active presence on various social media platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and YouTube. Regular updates are provided on these channels to keep stakeholders informed about the latest developments.

31.1 Internal Communication :

The company acknowledges the significance of effective internal communications in ensuring that employees across the organisation comprehend and embrace the company's mission, goals, and strategies. To facilitate this, a range of communication tools is utilised such as monthly photo newsletter, monthly bulletins, a quarterly magazine, leaflets and short videos highlighting various activities / developments.

31.2 संचार के साधन :

- कंपनी अद्यतन : कंपनी के भीतर के सभी विकास और परिवर्तन हमारे मासिक फोटो न्यूज़लेटर्स, बुलेटिन और त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। ये अद्यतन हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट, www.lifecarehll.com पर भी उपलब्ध हैं।
- मीडिया विज्ञप्ति : बाहरी दर्शकों को प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट्स के माध्यम से कंपनी के विकास परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जाता है।
- मल्टीमीडिया उत्पादन : कॉर्पोरेट संचार विभाग, ब्रोशर, पत्रक, बैनर और बोर्ड सहित विभिन्न रचनात्मक सामग्रियों का उत्पादन करता है। यह कंपनी के कार्यक्रमों की फोटो और वीडियो कवरेज भी प्रदान करता है।
- वेबसाइट: एचएलएल की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.lifecarehll.com कंपनी के उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों, आगामी परियोजनाओं और अधिक के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है।

31.3 सोशल मीडिया

कंपनी के नए लांच, बदलाव और घटनाएँ प्रकाशित किए जाते हैं।

| सोशल मीडिया | लिंक |
|-----------------|---|
| फेसबुक पेज | https://www.facebook.com/lifecarehll |
| इंस्टाग्राम पेज | https://www.instagram.com/hlllifecarelimited/ |
| ट्विटर पेज | https://twitter.com/HLLlifecare |
| लिंकडिन | https://www.linkedin.com/in/hll-lifecare-ltd-1a7432224/ |
| यूट्यूब | Channel HLL – www.youtube.com/channelHLL |

32. एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए)

एचएलएल प्रबंधन अकादमी, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की एक शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पहल है। एचएमए को त्रावणाकोर कोच्चिन साहित्यिक वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1955 के अधीन एक लाभ - रहित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और प्रतिष्ठित साझेदार संस्थानों की ताकत से आकर्षित, एचएमए स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में मुख्य ध्यान के साथ शैक्षणिक पहल एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित है। प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

32.1 सामाजिक विकास परियोजना प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 में एचएमए ने पूरे भारत में ₹.8,19,13,896/- के कुल परियोजना मूल्य के साथ 234 सामाजिक विकास परियोजनाएँ (8 सीएसआर परियोजनाएँ, 207 स्थानीय स्वशासी निकाय (एलएसजीबी) परियोजनाएँ और 19 उपयोगकर्ता शुल्क परियोजनाएँ) निष्पादित की हैं।

32.1.1 एम-कप परियोजनाएँ

एचएमए की नवीन परियोजना 'थिंकल-मासिक धर्म कप का जागरूकता सृजन और वितरण' को स्थानीय सरकार और चिकित्सा पेशवरों के समर्थन के माध्यम से शुरूआत में ही विश्व स्तर पर व्यापक स्वीकृति मिली है। एचएमए एक सामाजिक पहल के रूप में आकर्षक एवं विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करता है कि एम-कप जो कभी कुछ सर्कलों में बोले जाते थे और फुसफुसाए हुए चर्चा करते थे, वह 'थिंकल' के माध्यम से बहुत ही कम समय में 2,45,000 लाभार्थियों तक पहुँच गई है।

1. सीएसआर मॉडल एम-कप परियोजनाएँ

- परियोजना ज्योत्सना - कोल इंडिया लिमिटेड की एक सीएसआर पहल।

एचएमए ने कोल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर निधि के साथ वित्तीय वर्ष 2022-24 के लिए झारखंड राज्य के चतरा और लातेहार जिलों में 20,000 महिलाओं के बीच में एम-कप की जागरूकता पैदा करने और वितरण करने के लिए 'ज्योत्सना-एक अभिनव मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम' लागू किया और कुल परियोजना मूल्य ₹.1,01,01,000/- था। यह परियोजना 12 जुलाई 2022 को चतरा और लातेहार जिलों के जिला प्रशासन, जिला समाज कल्याण अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से शुरू हुई।

31.2 Means of Communication:

- **Company Updates :** All developments and changes within the company are communicated through our monthly photo newsletters, bulletins and quarterly magazine. These updates are also available on our corporate website : www.lifecarehll.com
- **Media Releases :** External audiences are kept informed about company developments and changes through press releases and press notes.
- **Multimedia Production :** Corporate Communication Department produces various creative materials in-house including brochures, leaflets, banners, and boards. It also provides photo and video coverage of company events.
- **Website:** HLL's corporate website www.lifecarehll.com provides comprehensive information about company's products, services, business segments, upcoming projects and more.

31.3 Social Media

Company's new launches, changes and events are published in the

| Social Media | Link |
|----------------|---|
| Facebook Page | https://www.facebook.com/lifecarehll |
| Instagram page | https://www.instagram.com/hlllifecarelimited/ |
| Twitter page | https://twitter.com/HLLlifecare |
| Linkedin | https://www.linkedin.com/in/hll-lifecare-ltd-1a7432224/ |
| Youtube | Channel HLL – www.youtube.com/channelHLL . |

32. HLL MANAGEMENT ACADEMY(HMA)

HLL Management Academy is an educational and social development initiative of HLL Lifecare Ltd. HMA was registered as a not-for-profit society under the Travancore Cochin Literary Scientific and Charitable Societies Registration Act 1955. Drawing from the strengths of HLL Lifecare Ltd and partner institutions of repute, HMA is devoted to academic initiatives and social development projects with a primary focus in the healthcare domain. The major activities are as follows:

32.1 Social Development Projects Division

In the financial year 2022-23, HMA has executed 234 Social development projects all over India (8 CSR projects, 207 Local Self-Governing Bodies {LSGB} projects and 19 User fee projects) with a total project value of Rs. 8,19,13,896/-.

32.1.1 M-Cup Projects

HMA's innovative project "Thinkal – Awareness creation and distribution of menstrual cups" has gained wide acceptance globally at the beginning itself via the support of local government and medical professionals. HMA as a social initiative feels enthralled and privileged that M- cups which were once spoken in few circles and discussed in whispers have reached out to 2, 45,000 beneficiaries within a very short span of time through 'THINKAL'.

1. CSR Model M –Cup Projects

- Project Jyotsna - A CSR initiative of Coal India Ltd.

HMA with the CSR fund of Coal India Limited, implemented Project "Jyotsna" - An innovative menstrual hygiene management programme to create awareness and distribution of M-cups among 20,000 women in Chatra and Latehar districts of Jharkhand state for the FY 2022-24 and the total project value was Rs 1,01,01,000/-.

यह परियोजना 'तेजस्विनी' परियोजना टीम के सदस्यों (झारखंड महिला विकास सोसाइटी) और सेविकाओं (अंगनवाडी कार्यकर्ताओं) के सहयोग और मार्गदर्शन से शुरू हुई। पाँच महीने की अवधि के भीतर, चतरा और लातेहार जिलों में महिला आबादी को 20,016 एम-कप वितरित किए गए।

- मुख्य हाइलाइट्स हैं ,
- परियोजना ज्योत्सना एचएमए की केरल राज्य के बाहर लागू की गई पहली परियोजना है, जो सफल रही।
- नियमित रूप से चुने गए 918 लाभार्थियों से फीडबैक एकत्र किया गया है और यह पुष्टि की गई है कि 51.74%(475 संख्या) लाभार्थियों ने अपने हाल ही मासिक धर्म के दौरान एम-कप का उपयोग करना शुरू किया है।
- चतरा और लातेहार में, ज्योत्सना पहला अभिनव मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम था जो झारखंड राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचा, जहाँ साक्षरता, स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं आदि का अभाव है।

परियोजना थिंकल - एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की एक सीएसआर पहल।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, थिंकल परियोजना, 5000 लाभार्थियों को शामिल करके तिरुवनंतपुरम, केरल और बेलगावी, कर्नाटक में निष्पादित की गई थी और कुल परियोजना मूल्य रु.14,50,000/- था। तिरुवनंतपुरम जिले में, परियोजना, तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत के सहयोग से कार्यान्वित की गई थी। इस परियोजना का उद्घाटन 13 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री सुरेश कुमार द्वारा एस बी सामुदायिक हॉल, पूवार, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। पूवार ग्राम पंचायत, जो मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम जिले का एक मछली पकड़नेवाला और विशिष्ट तटीय गाँव है, को परियोजना के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चुना गया था। इस परियोजना से पूवार गाँव की 3750 महिलाएँ लाभान्वित हुईं और इस तटीय पंचायत को तिरुवनंतपुरम जिले की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है।

इसके अलावा महिला दिवस 2023 को एचएमए ने महिला एवं बाल विकास विभाग, केरल सरकार के सहयोग से निशागंधी सभागार में 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने' को संबोधित करते हुए एक एम-कप जागरूकता सत्र आयोजित किया। यह सत्र मासिक धर्म कप के उपयोग के संबंध में ज्ञान एवं जागरूकता पैदा करने का एक जानबूझकर और सचेत प्रयास था। एचएमए के चिकित्सा पेशेवरों द्वारा एक एम-कप काउंटर स्थापित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य स्थायी मासिक धर्म कप के उपयोग को बढ़ावा देना है। सत्र में एनीमिया के कारण होनेवाले मेनोरेजिया और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की गई। आयोजन के माध्यम से हम 500 लाभार्थियों तक पहुँच सके।

अगस्थमला पर्वतमाला के कोट्टूर आदिवासी गाँव की लगभग 50 महिलाएँ एचएलएल सीएसआर थिंकल परियोजना से लाभान्वित हुईं। बिग एफएम के सहयोग से एचएमए आदिवासी महिलाओं की मासिक धर्म प्रथा का वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के लिए उनकी बस्तियों में गया। एचएमए के चिकित्सा पेशेवरों ने कोट्टूर आदिवासी गाँव की महिलाओं को एम-कप जागरूकता सत्र लिया और एम-कप वितरित किया। एचएलएल सीएसआर के हिस्से के रूप में, थिंकल परियोजना को कर्नाटक के बेलगावी जिले में भी 550 लाभार्थियों को शामिल करके लागू किया गया था।

एचएलएल -सीएसआर परियोजनाओं के मुख्य हाइलाइट्स हैं :

- ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता एक गंभीर मुद्दा है और यह तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ सुरक्षित एवं स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों की पहुँच सीमित है। इस संदर्भ में, पूवार जिले में मासिक धर्म कप परियोजना लागू करना लाभार्थियों के लिए अत्यंत फायदेमंद था।

2. स्थानीय स्वशासी निकाय मॉडल एम-कप परियोजनाएँ

एलएसजीबी परियोजनाओं के माध्यम से, हम केरल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देकर मजबूत कर सकते हैं। एचएमए ने 1,63,882 लाभार्थियों को कवर करते हुए विभिन्न ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों में निष्पादित 207 एलएसजीबी एम-कप परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। चिकित्सा पेशेवर, पंचायत अधिकारियों के लिए कक्षाएँ आयोजित करते हैं और प्रत्येक पंचायत में संबंधित पीएचसी के माध्यम से जागरूकता सत्र के बाद एम-कप का वितरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

The project kick-started on 12th July 2022 in association with the district administration, District Social Welfare Officer and Public health officials of the Chatra and Latehar districts. The project with the support and guidance of “Tejaswini” project team members (Jharkhand Women Development Society) and Sevikas (Anganwadi workers). Within a span of five months, 20,016 M-cups were distributed to the women population in Chatra and Latehar districts.

- The main highlights are,
 - Project Jyotsna is HMA's first project implemented outside the state of Kerala, which turned out to be a success.
 - Feedback from 918 beneficiaries selected at random has been collected and it has been confirmed that 51.74% (475 numbers) of the beneficiaries have already started using M-Cups during their most recent menstruation periods.
 - In Chatra & Latehar, Jyotsna was the 1st innovative menstrual hygiene management programme that reached out to the interiors of the Jharkhand state which lacks literacy, Healthcare facilities, etc.

Project Thinkal - a CSR initiative of HLL Lifecare Ltd

During the financial year, 2022-23 the Thinkal project was executed in Thiruvananthapuram, Kerala & Belagavi, Karnataka covering 5000 beneficiaries and the total project value was Rs14,50,000/-. In Thiruvananthapuram district, the project was implemented in association with Thiruvananthapuram District Panchayat. The project was inaugurated on 13th March 2023 by Shri. Suresh Kumar, Thiruvananthapuram District Panchayat President at S B Community Hall, Poovar, Trivandrum. Poovar Grama Panchayat, predominantly a fishing and typical coastal village in Trivandrum district was chosen as the thrust area of the project. The project benefitted 3750 women of Poovar village and is considered to be the first step towards converting the coastal panchayat as the first sanitary napkin free panchayat of Trivandrum district.

In addition to this, on Women's Day 2023, HMA executed an M-Cup awareness session addressing the “Importance of menstrual hygiene management (MHM) and maintaining a healthy lifestyle” at Nishagandhi auditorium in association with the Department of Women and Child Development, Government of Kerala. The session was a deliberate and conscious attempt to create knowledge and awareness regarding the use of Menstrual Cups. An M-Cup counter was set up by medical professionals of HMA. This initiative aimed to promote the use of sustainable menstrual cups. The session also addressed menorrhagia leading to anemia and its impact on women's health. Through the event we could reach out to 500 beneficiaries.

Around 50 women of Kottur Tribal village in the Agasthyamala ranges benefitted from HLL CSR Thinkal project. HMA in association with the Big FM team went to the tribal settlement to provide an alternative solution to their current menstrual practice. The medical professionals of HMA took an M-Cup awareness session and distributed M-Cups to the women of the Kottur Tribal village.

As part of HLL CSR, the Thinkal project was also implemented in Belgavi district of Karnataka covering 550 beneficiaries.

The main highlights of HLL-CSR projects includes:

- Menstrual hygiene is a critical issue in rural India, and it is particularly important in coastal areas where access to safe and hygienic menstrual products is limited. In this context, implementing a menstrual cup project in Poovar district was extremely beneficial for the beneficiaries.

2. Local Self-Governing Bodies Model M –Cup projects

Through LSGB projects, we could enhance and strengthen the welfare activities of the local self-government system in Kerala. HMA has implemented 207 LSGB M-cup projects executed at various block panchayats & grama panchayaths covering 1, 63,882 beneficiaries. Medical professionals conduct classes for panchayat officials and the distribution of M-Cups was successfully completed after the awareness sessions through corresponding PHCs in each panchayat.

3. उपयोगकर्ता शुल्क मॉडल एम-कप परियोजनाएँ

‘थिंकल-एम कप का जागरूकता सृजन और वितरण’ को केलट्रोन, टीवीएस, एसबीआई, कुसाट, टेक्नोपार्क, आस्टर मेडिसिटी और वाईडब्लियुसीए जैसे विभिन्न संगठनों में उपयोगकर्ता शुल्क मॉडल के रूप में निष्पादित किया गया था। एचएलएल के वीबीडी और सीएमओ प्रभागों ने एचएमए के सहयोग से 19 उपयोगकर्ता शुल्क एम-कप परियोजनाएँ भी संचालित कीं। इन परियोजनाओं से केरल की **4763 कामकाजी** महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

32.1.2 स्वास्थ्य परियोजना

एचएमए की अग्रणी परियोजना ‘स्वास्थ्य’ - प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के लिए एक नवीन व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम।

1. परियोजना स्वास्थ्य - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की एक सीएसआर पहल।

एचएमए ने 15-49 वर्ष की आयु के बीच की 150 महिला लाभार्थियों के लक्ष्य के साथ वायनाड जिले के प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के लिए अपनी अग्रणी परियोजना, ‘स्वास्थ्य’ - एक नवीन व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और कुल परियोजना मूल्य रु. 10,00,000/- था। यह परियोजना केरल राज्य सरकार की वीवा परियोजना के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। वायनाड जिले की जिला चिकित्सा टीम के अनुसार, हमने एनीमिया स्ट्रिप्स और एनीमिया पर जागरूकता सृजन के साथ हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग करके एनीमिया स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया। वायनाड जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से परियोजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड और आयरन सुक्रोज वितरित किए गए।

2. परियोजना स्वास्थ्य - आईओसीएल की एक सीएसआर पहल।

हम एर्नाकुलम जिले के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर सहयोग के साथ परियोजना स्वास्थ्य लागू कर रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य पोषण संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाकर और चिकित्सा पेशेवरों के माध्यम से प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के प्रमुख कारणों का समाधान करके एनीमिया के केसों की संख्या को कम करना है। यह एक चालू परियोजना है, जिसका लक्ष्य प्रजनन आयु की 15,000 महिलाओं तक पहुँचना है और कुल परियोजना मूल्य रु.65,00,000/- है। इस परियोजना का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को कलमशशेरी, एर्नाकुलम में माननीय कानून, उद्योग और कॉयर मंत्री, श्री पी राजीव द्वारा किया गया था। हम राष्ट्रीय आयुर मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग और एर्नाकुलम जिले के विभिन्न स्थानीय स्वशासी निकायों (एलएसजीबी) के सहयोग से परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं।

32.1.3 सामुदायिक विकास परियोजनाएँ

1. परियोजना ‘गरिमा’

गरिमा-मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति और मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन, यह रु.64,98,399/- के कुल परियोजना मूल्य के साथ आईओसीएल, पानीपत, हरियाणा द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से 3 पैड के 81,000 हैप्पी डेज़ सैनिटरी नैपकिन के हर पैकेट के साथ 150 वेंडिंगो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और 50 वेंडिंगो इंसिनरेटर्स की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग की जाएगी। यह परियोजना वीबीडी, एचएलएल के ज़रिए कार्यान्वित की गई।

2. एनएसएफडीसी सीएसआर परियोजना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा कुल परियोजना मूल्य, रु.13,13,909/- के साथ वित्तपोषित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति और मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रमों के संचालन पर परियोजना। 10 राज्यों के विभिन्न जिलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और इंसिनरेटर्स के 20 सेटों की आपूर्ति और संस्थापन। परियोजना को वीबीडी, एचएलएल के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

3. एसईसीआईएल सीएसआर परियोजना

सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल परियोजना मूल्य रु.33,65,800/- के साथ वित्त पोषित वीबीडी के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और इंसिनरेटर की आपूर्ति और स्थापना पर परियोजना।

4. माई सिटी परियोजना

माई सिटी, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा कुल परियोजना मूल्य रु.12,00 लाख के साथ वित्त पोषित तिरुवनंतपुरम जिले में कवडियार क्षेत्र में एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा निष्पादित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना है। माई सिटी परियोजना वर्ष 2013 से एचएलएल का चालू सीएसआर परियोजना है।

3. User Fee Model M –Cup Projects

“Thinkal – Awareness Creation and distribution of M-Cups” were executed as User fee models in various organizations such as Keltron, TVS, SBI, CUSAT, Techno park, Aster Medicity and YWCA. VBD and CMO divisions of HLL also conducted 19 User Fee M-Cup projects in association with HMA. Through these projects, **4763 working women** in Kerala have benefitted.

32.1.2 Swasthya project

HMA's pioneering project “Swasthya” - An Innovative behaviour change programme for Anaemia in Women of Reproductive Age

1. Project Swasthya - a CSR initiative of HLL Lifecare Ltd

HMA has successfully implemented its pioneering Project “Swasthya” - An Innovative behaviour change programme for Anemia in Women of Reproductive Age in Wayanad districts, with a target of 150 women beneficiaries between 15-49 years of age and the total project value was Rs10,00,000/-. The project was implemented in association with the Viva project of the State Government of Kerala. In accordance with the district medical team of Wayanad District we conducted health awareness camps focusing on anaemia screening using hemoglobinometer along with anaemia strips and awareness creation on anemia. Health cards and Iron Sucrose were distributed to the beneficiaries of the project via District Medical Officer, Wayanad District.

2. Project Swasthya - a CSR initiative of IOCL

We are implementing Project Swasthya with the CSR support of Indian Oil Corporation Ltd in Ernakulam district. The objective of the project is to reduce the number of anaemic cases by introducing nutritional behavioural changes and addressing the major causes of anemia among women of reproductive age through medical professionals.. It is an ongoing project that aims to reach out to 15,000 women of reproductive age and the total project value is Rs 65,00,000/-. The project was inaugurated by the Honourable Minister Shri. P Rajeeve, Minister for Law, Industries & Coir on 12th February 2023 at Kalamassery, Ernakulam. We are implementing the project with the support of the National Ayur Mission, Department for Women and Child Development and various Local Self Government Bodies (LSGBs) of Ernakulam district.

32.1.3 Community Development Projects

1. Project 'Garima'

Garima - Supply of Menstrual hygiene products & conduction of menstrual hygiene awareness programmes is a CSR project funded by IOCL, Panipat, Haryana with a total project value of Rs.64,98,399/-. Through this project, supply, installation, testing & commissioning of 150 VENDIGO Sanitary Napkin Vending Machines & 50 VENDIGO Incinerators with 81,000 Happy Days sanitary Napkin Packets of 3 pads per packet. The project was executed through VBD, HLL.

2. NSFDC CSR project

Project on supply of Menstrual hygiene products & conduction of menstrual hygiene awareness programmes funded by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) with a total project value of Rs. 13,13,909/-. Supply & installation of 20 sets of sanitary napkin vending machines and incinerators in different districts of 10 states. The project was executed through VBD, HLL.

3. SECIL CSR project

Project on supply & installation of sanitary napkin vending machines and incinerators in Govt. Hospitals via VBD with a total project value of Rs. 33, 65,800/- funded by Solar Energy Corporation of India Limited.

4. My City Project

My city is the integrated solid waste management project being executed by HLL Lifecare Limited in the Kowdiar area of Thiruvananthapuram district with a total project value of Rs. 12.00 lakhs funded by HLL Lifecare Limited. My City project is an ongoing CSR project of HLL from 2013 onwards.

32.2 अकादमिक प्रभाग

- 134 कार्यपालकों को शामिल करते हुए नौ प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किए गए। एचएलएल और उसकी सहायक कंपनियों के अलावा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य बहु-राष्ट्रीय कंपनियों जैसे अन्य संगठनों के भी प्रतिनिधित्व थे।
- एचएलएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 225 कर्मचारियों को शामिल करते हुए दस कर्मचारी विकास कार्यक्रम (एसडीपी) आयोजित किए गए।
- मैसर्स लर्नेट स्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित जीडीए और टीआईटीपी पाठ्यक्रम के पाँच बैचों में 89 छात्र शामिल हैं।
- 182 छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एचएलएल के विभिन्न यूनिटों में अपनी परियोजनाओं/इंटरशिप को ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के लिए सुविधा प्रदान की।

32.3 मान्यताएँ

भारत सरकार के समन्वय से केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा नेडुमंगाड मुनिसिपल हॉल में 06 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में कई सरकारी संगठनों जैसे वीएसएससी, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अग्निशमन एवं बचाव विभाग आदि ने भाग लिया। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और एचएमए 'थिंकल अवेयरनेस क्रिएशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ़ एम-कप प्रोजेक्ट' का प्रतिनिधित्व करनेवाली इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का हिस्सा बनने में सक्षम थे।

33. सतर्कता

एचएलएल सतर्कता विभाग का उद्देश्य कंपनी के सभी स्तरों के विभाग, कार्यालयों और यूनिटों में सत्यनिष्ठा और विभिन्न अखंडता सुनिश्चित करना है। इसका प्राथमिक फोकस क्षेत्र निवारक सतर्कता है और इसे सुनिश्चित करने की ओर सतर्कता विभाग समय-समय पर सीवीसी से प्राप्त सलाह/प्रणाली सुधार निर्देश साझा करता है ताकि सभी हितधारकों द्वारा नियमों व विनियमों का पालन संभव हो सके जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिया जा सके।

अपने कार्यों के हिस्से के रूप में, कंपनी की विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों के साथ आवश्यक पर्यवेक्षण, प्रासंगिक सहायता और समन्वय, विभाग द्वारा उठाए गए कदम हैं। इसके अलावा, प्रभाग द्वारा आयोजित किए गए आकस्मिक एवं नियमित सतर्कता निरीक्षण, जाँच/पूछताछ, प्रणाली अध्ययन आदि से चूक, कमियों के बारे में जानकारी का पता चलता है और अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है जिसे संबंधित क्षेत्रों में उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुईं उनमें से 24 का निपटान किया गया और 3 की अभी जाँच चल रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में 31.10.2022 से 06.11.2022 की अवधि के दौरान 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसकी शुरुआत कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेने के साथ हुई और कंपनी के सभी कार्यालयों/यूनिटों में बैनर भी प्रदर्शित की थी।

34. अखण्डता समझौता

प्रापण कार्यकलाप में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक पहल है, सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेके में अखण्डता समझौता का परिचय। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए मार्गनिर्देश/कार्यालय ज्ञापन के आधार पर, आप की कंपनी ने पहले ही अखण्डता समझौता नीति अपनायी है। कंपनी द्वारा अपनायी अखण्डता समझौता नीति, रु. 10.00 करोड़ की सीमा से अधिक राजस्व और पूँजी प्रकृति के सभी ठेके के संबंध में लागू होती है। इसके अलावा, पूँजी और राजस्व मदों के मामले में जो स्वामित्व प्रकृति का है, अखण्डता समझौता लेनदेन के मूल्य के बावजूद सभी लेनदेन/अनुबंधों पर लागू होगा।

श्री अशोक मंगोत्रा आईसीएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव (भारत सरकार) को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक है। आपकी कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यपालकों के साथ स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक की संरचित बैठकें भी आयोजित कीं। अखण्डता समझौता नीति कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की दो बैठकें 16 अगस्त 2022 और 26 दिसंबर 2022 को आयोजित की गईं।

35. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना अधिकार (आर टी आई) अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है, जो उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बनाए रखने के सिलसिले में सूचना प्रदान करके आम नागरिक को बढ़ावा देता है। कंपनी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आर टी आई अधिनियम 2005 से विविध सक्षम प्रावधानों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है।

32.2 Academic Division

- Nine Management Development Programmes (MDP) covering 134 executives was conducted. There were also representation from other organizations like state PSU's and other multi-national companies apart from HLL and its subsidiaries.
- Ten Staff Development Programmes (SDP) covering 225 employees were conducted of HLL and its subsidiaries.
- Five batches of GDA and TITP course conducted in association with M/s Learnet Skills Pvt Ltd covering 89 students.
- Facilitated 182 students for doing their projects/internships online as well as offline at various units of HLL as part of their curriculum.

32.3 Recognitions:

Exhibition was conducted by **The Central Bureau of Communication** in coordination with the **Government of India** at Nedumangad Municipal Hall from **06-Feb-2023 to 10-Feb-2023** from 10:30 am to 3:30 pm. In the exhibition, many Government organizations were participated such as VSSC, All India Radio, Dooradarsan, Fire & rescue department etc. HLL Lifecare Limited and HMA were able to be part of this prestigious exhibition representing "Thinkal Awareness Creation and Distribution of M-Cup project".

33. VIGILANCE

The objective of HLL Vigilance Department is to ensure probity & across the various integrity at all levels Department offices and units of the company. The primary focus area of the is Preventive Vigilance and towards ensuring this, the Department shares relevant advice l system improvement directives received from CVC from time to time So that adherence to rules and regulations by all stakeholders becomes possible resulting in transparent and quality decision making.

As part of its functions, necessary supervision, relevant assistance and cOordination with various units/offices of the company are the steps taken by the Department. Further surprise and routine vigilance inspections, investigations / enquires, system study etc. conducted by the Division reveals information on lapses, lacuna and provides insights which is submitted before Competent Authority for appropriate action in the relevant areas. During the year 2022-23 a total of 27 complaints were received, 24 of them disposed off and 3 currently under investigation. Under the auspices of the Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week was observed during the period 31.10.2022 to 06.11.2022 on the theme "Corruption Free India for a Developed Nation" commencing with officers and staff of the company taking integrity pledge and also display of banners across all offices / units of the company.

34. INTEGRITY PACT

One of the initiatives of the Central Vigilance Commission (CVC) to eradicate corruption in procurement activity is introduction of the Integrity Pact in large value contracts in Government Organizations. Based on the guidelines/ Office Memorandum issued by the Central Vigilance Commission, your Company has already adopted Integrity Pact Policy. The Integrity Pact Policy adopted by the Company is applicable in respect of all contracts of both revenue & capital nature exceeding the threshold limit of Rs.10.00 Cr. Besides, In the case of Capital and Revenue items that are Proprietary in nature, the Integrity Pact would apply to all transactions/contracts irrespective of the value of transaction.

Shri Ashok Mangotra IAS (Retd.), Ex-Secretary to Government of India is the Independent External Monitor for HLL Lifecare Ltd. appointed by the Central Vigilance Commission. Your Company has also conducted structured meetings of the Independent External Monitor with Chairman & Managing Director and other Executives. Integrity Pact Policy has been uploaded on the web site of the Company. During Financial Year 2022-23, two Meetings of Independent External Monitor were held on 16th August 2022 and on 26th December 2022.

35. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which enhances the common citizens by providing access to information with a view to enlighten them on the accountability and transparency practised in the Company. The Company has always endeavoured to ensure that various enabling provisions of the RTI Act, 2005 are implemented in letter and spirit.

आर टी आई रिटर्न सारांश

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और निपटान किए गए आर टी आई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती है:

| | |
|---|-----|
| 01.04.2022 को अथशेष | 23 |
| वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त कुल आवेदन | |
| तिमाही I | 22 |
| तिमाही II | 58 |
| तिमाही III | 28 |
| तिमाही IV | 32 |
| कुल | 163 |
| वर्ष 2022-23 के दौरान अस्वीकृत आवेदन | 7 |
| वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई सूचना | 146 |
| 31.03. 2023 तक उत्तर देने के लिए लंबित | 10 |

36. पुरस्कार एवं सम्मान

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) द्वारा लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 18वाँ राष्ट्रीय पुरस्कार- स्वास्थ्य रक्षा श्रेणी, रिटेल और ई-कॉमर्स/आतिथ्य और पर्यटन/स्वास्थ्य रक्षा में प्रथम स्थान। निदेशक (वित्त), डॉ.गीता शर्मा ने एचएलएल की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।



RTI Return Summary

The number of RTI applications received and disposed off during year 2022-23 is given below:

| | |
|--|-----|
| Opening Balance as on 01.04.2022 | 23 |
| Total applications received during 2022-23 | |
| Quarter I | 22 |
| Quarter II | 58 |
| Quarter III | 28 |
| Quarter IV | 32 |
| Total | 163 |
| Applications rejected during 2022-23 | 7 |
| Information furnished during 2022-23 | 146 |
| Pending to Reply as on 31.03.2023 | 10 |
| | |

36. AWARDS AND RECOGNITIONS

18th National award for Excellence in Cost Management, by Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) 1st Position in Healthcare - Category Retail & E-Commerce/Hospitality & Tourism/Healthcare. Dr Geeta Sharma, Director (Finance) receives the Award on behalf of HLL.





सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र इरुम्पनम, एर्नाकुलम में 04.03.2023 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में एचएलएल पेरूरकडा फैक्टरी को बडी श्रेणी (रासायनिक और इंजीनियरिंग के अलावा) में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से उत्कृष्ट सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।



श्री गोकुल वी बाबु, प्रबंधक (सुरक्षा एवं पर्यावरण), एचएलएल पेरूरकडा फैक्टरी को 04.03.2023 को सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र इरुम्पनम, एर्नाकुलम में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अधिकारी का पुरस्कार मिला।



श्री राजकिरण डी, अधिकारी -2 (डिज़ाइन और अनुमान) एचएलएल पेरूरकडा फैक्टरी ने 04.03.2023 को सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पर्यवेक्षक का पुरस्कार हासिल किया।



HLL Peroorkada Factory received SRESHTA SURAKSHA PURASKAR from National Safety Council (Kerala Chapter) for outstanding safety performance in very large category (other than chemical & engineering) on National safety day celebrations held on 04.03.2023 at Safety Training & Research Centre Irumpanam, Ernakulam.



Shri. Gokul V Babu, Manager (Safety & Environment) HLL Peroorkada Factory received BEST SAFETY OFFICER award for the year 2022 from National Safety Council (Kerala Chapter) on National safety day celebrations held on 04.03.2023 at Safety Training & Research Centre Irumpanam, Ernakulam.



Shri. Rajkiran.D, officer -2(Design & Estimation) HLL Peroorkada Factory received BEST SAFETY OBSERVER award for the year 2022 from National Safety Council (Kerala Chapter) on National safety day celebrations held on 04.03.2023 at Safety Training & Research

1. एचएलएल आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम ने फैक्टरीस एवं बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा निष्पादन पुरस्कार (प्रथम स्थान) जीता।
2. श्री विजित वी.एस, कार्ड नं. 102440, आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम को फैक्टरीस एवं बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त हुआ।
3. ईयु एमडीआर 2017/745 अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए मेसर्स डीएनवी द्वारा ब्लड बैग के लिए सीई मार्क प्रमाणन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सीई प्रमाणपत्र 23.12.2022 को प्राप्त हुआ।

37. प्रशंसा और कृतज्ञता

आपके निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किये जा रहे बहुमूल्य मार्गनिर्देश, समर्थन एवं सहकारिता का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उनका लगातार समर्थन की प्रतीक्षा भी करते हैं।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यक लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक एवं लेखापरीक्षा मंडल के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सहकारिता और समर्थन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी के बैंकरों, विनियामक प्राधिकारी, ग्राहकों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं, प्रौद्योगिकी लैसेन्सकताओं, ठेकेदारों और अन्य व्यवसायिक सहयोगियों एवं व्यापारिक भागीदारों को कंपनी के प्रति उनके लगातार सहयोग और विश्वास पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस अवसर का विनियोग करते हैं।

आपके निदेशक सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति गहरी सराहना भी व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन :08419099]

दिनांक : 28 अगस्त, 2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम

1. HLL Akkulam Factory, Thiruvananthapuram won the BEST SAFETY PERFORMANCE AWARD (First Place), from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala.
2. Shri. Vijith V.S, Card no.102440, of Akkulam Factory, Thiruvananthapuram received the Best Safety Worker award, from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala
3. Successfully completed CE mark certification audit for Blood bags by M/s DNV complying with EU MDR 2017/745 requirements. CE certificate received on 23.12.2022

37. APPRECIATION AND ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to make a special mention of the valuable guidance, support and co-operation your Company has been receiving from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries of Government of India and look forward to their continued support in all future endeavors.

The Directors express their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member of Audit Board, Statutory Auditors, Cost Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors for the co-operation and support extended by them.

The Directors take this opportunity to thank the Company's bankers, regulatory authorities, customers, vendors, consultants, technology licensors, contractors and other business associates and trading partners for their continued support and confidence reposed in the Company.

Your Directors also place on record their deep appreciation to employees at all levels for their hard work, dedication and commitment.

For and on behalf of the Board of Directors

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 28th August, 2023

Place: Thiruvananthapuram

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार कंपनी नियम 2014(लेखा) के साथ पठित सूचना 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के भाग बनती है।

[क] ऊर्जा संरक्षण

पेरूरकड़ा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी) में क्रियान्वित ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे दिए जाते हैं :

- क) पी एफ टी में 180 टी आर चिल्लर संस्थापित किया गया । प्राप्त ऊर्जा बचत 537600 यूनिट/वर्ष है (बचत लागत - 37.63 लाख/वर्ष) ।
- ख) पी एफ टी में 800 के वी ए ट्रांसफार्मर संस्थापित किया गया। प्राप्त ऊर्जा बचत 43800 यूनिट/वर्ष (बचत लागत - 3.00 लाख/वर्ष) है।
- ग) ऊर्जा कुशल पंप और मोटर संस्थापित किया गया - प्राप्त ऊर्जा बचत 92000 यूनिट/वर्ष है (लागत बचत - 6.50 लाख/वर्ष) ।

आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (एएफटी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे दिए जाते हैं :

1. सर्वोत्तम उपयोग द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए 200 टी आर प्रोसेसिंग कूलिंग टवर में वी एफ डी का संस्थापन (औसतन ऊर्जा बचत प्रति वर्ष 17160 के डब्लियु एच)
2. ब्लड बैग और स्यूचर उत्पादन के ए एच यु को ठंडे पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए त्री-वे वाल्व का संस्थापन ।
3. विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए ब्लड बैग उत्पादन के सभी ए एच यु में फीडबैक नियंत्रण तंत्र का संस्थापन ।
4. जल के उपयोग को संरक्षित करने के लिए डी एम जल और शीतल जय भंडारण टैंकों में स्वचालित स्तर नियंत्रण प्रणाली का संस्थापन।
5. ए एफ टी के लिए अतिरिक्त जल स्रोत का उपयोग करने के लिए क्लब परिसर में बोरवेल का नवीकरण किया गया । पुनर्निर्मित बोरवेल की औसतन प्राप्ति - 7 के एल/दिन)
6. भाप की खपत को कम करने के लिए प्युअर स्टीम जनरेटर के एन सी जी टैंक पर दबाव कम करने वाले वाल्व (पी आर वी) प्रणाली का संस्थापन ।

ऐरापुरम फैक्टरी, कोचिन (आईएफसी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे दिए जाते हैं :

- 1) हमारे विद्यमान 12 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलार के साथ 12713 किलोवाट यूनिट बिजली उत्पन्न की गई ।
- 2) 70 पंखों को ऊर्जा कुशल बी एल डी सी पंखों में बदले गए, 18396 किलोवाट की बचत हुई (लगभग रु. 1.19 लाख) ।

कनगला फैक्टरी, बेलगाम (केएफबी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे दिए जाते हैं :

100 नंबर पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स को ऊर्जा दक्ष एल ई डी ट्यूबलाइट्स से सफलतापूर्वक बदल दिया। ऊर्जा खपत को कम करके प्रति वर्ष रु. 0.9576 लाख की बचत हासिल किया ।

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

Information as per Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules 2014 forming part of the Directors' Report for the year ended 31st March 2023

[A] CONSERVATION OF ENERGY

Energy conservation measures executed at the Peroorkada factory, Thiruvananthapuram [PFT] are mentioned below:

- a) Installed 180 TR chiller at PFT. Energy savings obtained is 537600 units/year (Cost savings – 37.63 lakhs / year)
- b) Installed 800 KVA transformer at PFT. Energy savings obtained 43800 units / year (Cost savings – 3.00 lakhs / year)
- c) Installed energy efficient pumps and motors – Energy savings obtained is 92000 units / year (Cost savings – 6.50 lakhs / year)

Energy conservation measures taken at Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT] are mentioned below:

1. Installation of VFD in 200 TR processing cooling tower to conserve energy by optimal usage (Average energy savings/year 17160KWH).
2. Installation of three-way valves to control the chilled water supply to AHU's in Blood Bag and Suture production.
3. Installation of feedback control mechanism in all AHU's of blood bag production to conserve electrical energy.
4. Installation of automatic level control system in DM water and soft water storage tanks to conserve the usage of water.
5. Revamped the bore well at the Club premises to tap additional water source for AFT. The average yield of revamped bore well – 7 KL/day).
6. Installation of Pressure Reducing Valve (PRV) system at NCG tank of Pure Steam Generator to reduce steam consumption.

Energy conservation measure taken at Irapuram Factory, Cochin [IFC] is mentioned below.

- 1) Generated 12713 KWH Units of power with our existing 12 KW on grid solar
- 2) Replaced 70 No of fans to Energy Efficient BLDC Fans savings 18396KWH (Rs 1.19 Lakhs approx)

Energy conservation measure taken at Kanagala Factory, Belgaum [KFB] is mentioned below.

Successfully replaced 100 Nos. of conventional Flurosent tubelights with energy efficient LED tubelights. Achieved a saving of Rs. 0.9576 Lacs / annum by reducing energy consumption.

फार्म बी

[क] तकनीकी आमेलन, अभिग्रहण व नवाचार

आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

1. ए एफ टी में विद्युत ऊर्जा खपत की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए एस सी ए डी ए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक उन्नत ऊर्जा निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन ।
2. पुराने फॉइल रिवाइंडर का पुनरुद्धार करके 100 एम एल बैगों के लिए शीट स्लिटिंग और वाईंडिंग मशीन का डिज़ाइन और विकास।
3. वेल्ड असंतुलन को कम करने और वेल्ड की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पेरल एच एफ वेल्डिंग मशीन की रेडियल वेल्डिंग के लिए एक स्टैंड-अलोन कूलिंग सिस्टम का कार्यान्वयन ।

मनेसर फैक्टरी, गुडगाव (एमएफजी)

ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए व्यापारिक वस्तुओं के रूप में नए उत्पादों, चिकित्सा साधनों -उपकरण, प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों को शामिल करना ।

कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

ब्रेइकडाउन को टालने के लिए ओ सी पी संयंत्र में 240 एसएस ब्लिस्टर पैकिंग मशीन के लिए प्रिंट पंजीकरण नियंत्रण (पी आर सी) को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो पी एल सी के लिए एप्लिकेशन प्रोग्राम का इन-हाउस विकास ।

के एफ बी को 09 दिसंबर, 2022 को हमारे मिश्रण उत्पाद यानी लेवोनोर्गेस्ट्रैल 0.15 मिली ग्राम और एथिनाइलैस्ट्राडिओल 0.03 मिली ग्राम गोलियों के लिए डब्लियु एच ओ पूर्व-योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है । इसके अलावा हमारा पहला उत्पाद यानी लेवोनोर्गेस्ट्रैल 1.5 मिली ग्राम गोलियाँ भी अगले 03 वर्षों के लिए डब्लियु एच ओ द्वारा पुनः योग्य है ।

(ख) अनुसंधान एवं विकास (आर & डी) कार्यकलाप

नए वैरिएंट डॉटेड हार्ट मोटिफ (मूड्स एल यु बी 24) का लॉन्चिंग

(ग) सतत विकास पहल

कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

वर्ष 2022-23 के दौरान सौर ऊर्जा के उपयोग से 91486 केएचडब्लियू बिजली का उत्पाद किया गया।

FORM B

[A] TECHNOLOGY ABSORPTION, ADOPTION AND INNOVATION

Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Implementation of an Advanced Energy Monitoring system using SCADA software for effective monitoring and control of electrical energy consumption at AFT.
2. Design and development of Sheet slitting and winding machine for 100 ml bags by revamping old foil rewinder.
3. Implementation of a stand-alone cooling system for radial welding of Pearl H.F welding machine to reduce the weld imbalance and improve the weld quality.

Manesar Factory Gurgaon [MFG]

Addition of new products - Medical Devices - Equipment, lab consumables as traded goods to serve customers requirements better

Kanagala Factory Belgaum [KFB]

In-house development of application programme for Micro PLC, to control Print Registration Control (PRC) for 240SS Blister packing machine in OCP plant in order to avoid breakdown.

KFB has received WHO pre-qualification certificate for our combination product i.e. Levonorgestrel 0.15 mg and Ethinylestradiol 0.03 mg tablets on 09th December 2022. In addition to that our first product i.e. Levonorgestrel 1.5 mg tablets is also requalified by WHO for the next 03 years.

[B] RESEARCH AND DEVELOPMENT (R & D) ACTIVITIES

Launching of new variant with Dotted Heart motif (MOODS LUV 24)

[C] SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES

Kanagala Factory Belgaum [KFB]

91486 KWH power generated by harnessing Solar energy during the year 2022-23.

कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पहल

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(कंपनियों के अनुसार (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)संशोधन नियम, 2021)

कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और स्थिरता कंपनी की प्रकृति एवं नीति का अभिन्न अंग है और कंपनी लगातार इसका पालन कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 में और इसके अधीन नियम बनाये और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति निर्देश पर विचार करके और समाविष्ट सी एस आर के लक्ष्य और कार्यकलापों के साथ सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों को जारी रखने और उपायों को प्रारंभ करने के लिए अपने दर्शनशास्त्र को सम्मिलित करने की ओर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पर एक नीति की ढाँचा बनायी और स्वीकार किया है। कंपनी नियम, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नये रूप से शुरू की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रावधानों के साथ सम्मिलित करने की ओर वर्ष 2013 को सूत्रीकृत सी एस आर एवं स्थिरता पर नीति तदनंतर संशोधित की गयी।

1. सीएसआर समिति की रचना

| क्रम सं. | निदेशकों का नाम | पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या |
|----------|--|----------------------------|---|--|
| 1. | डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डी | स्वतंत्र निदेशक | 3 | 2 |
| 2. | श्री टी.राजशेखर | पूर्णकालिक निदेशक | 3 | 2 |
| 3. | डॉ.गीता शर्मा | पूर्णकालिक निदेशक | 3 | 3 |
| 4. | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | स्वतंत्र निदेशक | 3 | 3 |
| 5. | श्रीमती नीता बूचरा | स्वतंत्र निदेशक | 3 | 3 |
| 6. | डॉ.अनिता तंपी (17/03/2023 से सदस्य) | पूर्णकालिक निदेशक | 3 | लागू नहीं |

2. वेब लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

http://www.lifecarehll.com/page/render/reference/_Corporate_Social_Responsibility

3. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 8 (3) के अनुसार, “हर कंपनी जिस के पास अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की औसत सीएसआर दायित्व है, एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY INITIATIVES OF THE COMPANY

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

(Pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021)

Brief outline on CSR Policy of the Company

Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability is an integral part of the Company's ethos and policy and the Company has been pursuing this on a sustained basis. The Company has framed and adopted a Policy on CSR & Sustainability to align its philosophy to initiate measures and pursue socially useful programmes with the objectives and activities of CSR envisaged and incorporated in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the policy directions issued by the Government from time to time. The Policy on CSR & Sustainability formulated in 2013 was subsequently revised to align with the newly introduced provisions for Corporate Social Responsibility under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and Schedule VII of the Companies Act, 2013

1. Composition of CSR Committee:

| Sl. No. | Name of Director | Designation / Nature of Directorship | Number of meetings of CSR Committee held during the year | Number of meetings of CSR Committee attended during the year |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Dr P Vijayachander Reddy | Independent Director | 3 | 2 |
| 2 | Shri T Rajasekar | Whole-time Director | 3 | 2 |
| 3 | Dr Geeta Sharma | Whole-time Director | 3 | 3 |
| 4 | Prof. (Dr) Adarsh Pal Vig | Independent Director | 3 | 3 |
| 5 | Smt Neeta Boochra | Independent Director | 3 | 3 |
| 6 | Dr Anitha Thampi (Member w.e.f 17/03/2023) | Whole-time Director | 3 | N.A |

2. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

http://www.lifecarehll.com/page/render/reference/_Corporate_Social_Responsibility

3. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub- rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

As per Rule 8(3) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, "Every company having average CSR obligation of ten crore rupees or more in pursuance of subsection (5) of section 135 of the Act, in the three immediately

परिव्यय वाले अपनी सीएसआर परियोजनाओं, प्रभाव मूल्यांकन का कार्य करेंगे और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी का कुल सीएसआर दायित्व केवल रु. 524.79 लाख (दस करोड़ रुपए से कम) था और वहाँ दस करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कोई भी परियोजना नहीं थी और अतः यह प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) और वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में) | वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो(रुपये में) |
|-------------|--------------|--|---|
| 1 | 2020-21 | 2.62 | 2.62 |
| 2 | 2021-22 | - | - |
| 3 | 2022-23 | - | शून्य |
| | कुल | 2.62 | 2.62 |

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसतन निवल लाभ

रु.26, 239.70 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत

रु. 524.79 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई है

शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7 ख - 7ग)

रु. 524.79 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | अव्ययित राशि (रु. लाखों में) | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-----------|---------------------------|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि | | धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूचि VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी फंड को स्थानांतरित राशि | | |
| | राशि | स्थानांतरित करने की तारीख | निधि का नाम | राशि | स्थानांतरित करने की तारीख |
| 548.73 लाख | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

preceding financial years, shall undertake impact assessment, through an independent agency, of their CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study". For the Financial Year 2022-23, the total CSR obligation of Company was only Rs.524.79 lakhs (less than Rupees Ten Crore) and there was no single project of value having more than Rupees Ten Crore and hence this provision is not applicable to the Company.

5. of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

| Sl. No. | Financial Year | Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs) | Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs) |
|---------|----------------|---|--|
| 1 | 2020-21 | 2.62 | 2.62 |
| 2 | 2021-22 | - | |
| 3 | 2022-23 | - | Nil |
| | Total | 2.62 | 2.62 |

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

Rs 26,239.70 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)

Rs 524.79 Lakhs

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.

Nil

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any

Nil

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).

Rs 524.79 Lakhs

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

| Total Amount Spent for the Financial Year. | Amount Unspent (in Rs. lakhs) | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------|-------------------|
| | Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6). | | Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5). | | |
| | Amount. | Date of transfer. | Name of the Fund | Amount. | Date of transfer. |
| 548.73 Lakhs | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |



ख. वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गये परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण।

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूचि VII में गतिविधियों की सूची का आइटम | स्था नीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना की अवधि | परियोजना के लिए आर्बित राशि (रुपये में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) | धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए आव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन की तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
|----------|--|--|------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---|---|--|-----|
| | | | | राज्य | जिला | | | | | कार्यान्वयन की तरीका- सीधा (हाँ/नहीं) | नाम |
| 1 | श्री सत्य साई ट्रस्ट केरल श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी हेल्थकेयर, थोरनूर, पालक्काड, केरल के ऑफतालमोलजी विभाग के लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की खरीदी। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हाँ | केरल | पालक्काड | लागू नहीं | 4,48,000 | 4,48,000 | हाँ | | |
| 2. | नवीकरण और सुविधा वृद्धि परियोजना - सरकारी अंगनवाड़ी, लेटेक्स कॉलोनी, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम, केरल | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना। | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 3,00,000 | 3,07,037 | हाँ | | |

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

| Sl No. | Name of the Project | Item from the list of activities in Schedule VII to the Act. | Local area (Yes/No) | Location Of The Project | | Project Duration | Amount allocated for the project (in Rs.). | Amount spent in the current financial Year (in Rs.) | Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.). | Mode of Implementation - Direct | Mode of Implementation- Through Implementing Agency | |
|--------|--|---|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--|---|---|---------------------------------|---|----------------------|
| | | | | State | District | | | | | | Name | Registration number. |
| 1 | Sri Sathya Sai Trust Kerala Purchase of Operating microscope for Ophthalmology Department functioning in Sri Sathya Sai Institute of Primary Health-care, Shornur, Palakkad, Kerala. | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Palakkad | Not Applicable | 4,48,000 | 4,48,000 | Yes | | | |
| 2 | Renovation and facility enhancement project - Govt. Anganwadi, Latex colony, Akkulam, Thiruvananthapuram, Kerala | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 3,00,000 | 3,07,037 | | Yes | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--------------|-----------|----------|-----------|-----|
| सरकारी अंगनवाड़ी, पेपर मिल रोड़, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम में चिल्ड्रेन्स पार्क की स्थापना और सुविधा वृद्धि | (i) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 3,50,000 | 3,91,931 | हाँ |
| सरकारी अंगनवाड़ी एन सी ई एस एस के पास, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम में सुविधा वृद्धि परियोजना | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 2,00,000 | 1,06,327 | हाँ |
| नवीकरण और सुविधा वृद्धि परियोजना सरकारी अंगनवाड़ी, आई टी कोनम, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम में छत वाले क्षेत्र (पहला तल) और खेल क्षेत्र सहित नवीकरण | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 9,00,000 | 11,14,188 | हाँ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----|
| 3 | Setting up of Children's park and facility enhancement at Govt. Anganwadi, Paper Mill Road, Akkulam, Thiruvananthapuram, Kerala | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 3,50,000 | 3,91,931 | Yes |
| 4 | Facility enhancement project Govt. Anganwadi Near NCESS, Akkulam, Thiruvananthapuram | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 2,00,000 | 1,06,327 | Yes |
| 5 | Renovation and facility enhancement project Govt. Anganwadi, I T Konam, Akkulam, Thiruvananthapuram including refurbishment of roofed area (first floor) & playing area | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 9,00,000 | 11,14,188 | Yes |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|--------------|-----------|----------|----------|-----|--|
| 6. | सुविधा वृद्धि परियोजना सरकारी अंगनवाड़ी, नमिक्कल, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 50,000 | 57,537 | हाँ | |
| 7 | सरकारी केयर होम, पुलयनारकोट्टा, तिरुवनंतपुरम, केरल के लिए एम्बुलेंस | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 7,63,267 | 7,82,217 | हाँ | |
| 8 | सरकारी यु पी स्कूल, चेरुविककल, तिरुवनंतपुरम, केरल में सुविधा वृद्धि | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 3,50,000 | 3,19,816 | हाँ | |
| 9 | स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा बढ़ाने के लिए तिरुवनंतपुरम के विभिन्न स्कूलों में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बॉक्स | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 5,00,000 | 5,90,064 | हाँ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--------|--------------------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 6 | Facility enhancement project Govt. Anganwadi, Nambikkal, Akkulam, Thiruvananthapuram | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 50,000 | 57,537 | Yes | |
| 7 | Ambulance for Govt. Care Home, Pulayanarkotta, Thiruvananthapuram, Kerala | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 7,63,267 | 7,82,217 | Yes | |
| 8 | Facility enhancement at Govt UP School, Cheruvaikkal, Thiruvananthapuram, Kerala | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 3,50,000 | 3,19,816 | Yes | |
| 9 | Ultra Violet Sanitization Boxes to different schools in Thiruvananthapuram for enhancing hygiene, health & safety | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 5,00,000 | 5,90,064 | Yes | |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|-----|--|
| 10 | जुहानोन मार तोमा एंड माल्टस मार अथेनोसियस मेमोरियल सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, पत्तनमतिट्टा जिला, केरल | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | नहीं | केरल | पत्तनमतिट्टा | लागू नहीं | 1,25,000 | 4,67,982 | हैं | |
| 11 | 21 बेघर प्रशामक रोगियों और अन्य रोगियों के लिए एक बिस्तर, एक मेज और दो कुर्सियाँ सहित एक फर्नीचर सेट प्रायोजित करें । | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 3,50,000 | - | हैं | |
| 12 | मार्थोमा वयोजन मंदिरम, काट्टाक्कड़ा बायोगैस संयंत्र और आर ओ जल उपचार | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | हैं | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 2,66,000 | 2,66,900 | हैं | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--------|--------------------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 10 | Juhanon Mar Thoma & Mathews Mar Athanasius Memorial Centre for Holistic Development, Pathanamthitta District, Kerala. | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | No | Kerala | Pattanamthitta | Not Applicable | 1,25,000 | 4,67,982 | Yes | |
| 11 | Sponser a furniture set comprising of a cot, a table and two chairs for 21 homeless palliative patients and other patients | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Na | Na | Na | Not Applicable | 3,50,000 | - | | |
| 12 | Marthoma Vayojana Mandiram, Kattakada Biogas plant and RO water treatment | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 2,66,000 | 2,66,900 | Yes | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---|--------------------------|
| <p>मदाला गोवर्धन राव चैरिटेबल ट्रस्ट, गुंटूर, आंध्रा प्रदेश मोबाइल मिनी होस्पिटल- 'स्वास्थ्य रथ' नासिक, महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में एक स्वास्थ्य देखभाल रथ सुविधा है। ट्रक - अनुरोध 2 करोड़ रुपए के लिए था (1वर्ष का रखरखाव शामिल है)</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना।</p> | <p>नहीं</p> | <p>आंध्रा प्रदेश</p> | <p>गुंटूर</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>20,00,000</p> | <p>20,00,000</p> | <p>हाँ</p> | <p>हाँ</p> | <p>हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास</p> | <p>सी एस आर 00010248</p> |
| <p>राइज़ अप फोरम, कोषिकोड, केरल पूरे भारत में ग्रुप फॉरेस्टर केयर होम लॉच करना, जिसका लक्ष्य है शिशु रक्षा संस्थानों के बच्चों को परिवार का जोश और देखभाल प्रदान करके संस्थागतकरण से मुक्त करना।</p> | <p>(ii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्यों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।</p> | <p>नहीं</p> | <p>केरल</p> | <p>कोषिकोड</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>1,00,000</p> | <p>1,00,000</p> | <p>हाँ</p> | <p>हाँ</p> | <p>हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास</p> | <p>सी एस आर 00010248</p> |
| <p>एमपीपीएस लाडला स्कूल, दमेरा, हनुमकोडा, तेलंगाना</p> | <p>(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।</p> | <p>नहीं</p> | <p>तेलंगाना</p> | <p>हनुमकोडा</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>2,85,000</p> | <p>2,83,812</p> | <p>नहीं</p> | <p>हाँ</p> | <p>हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास</p> | <p>सी एस आर 00010248</p> |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----|--|--|---|
| 13 | Madala Govardhan Rao Charitable Trust, Guntur, Andhra Pradesh. Mini Hospital- "Swasthya Rath" a health care chariot facility in Rural and Remote areas in Nasik Maharashtra. Truck- Request was for Rs.2 Cr. (include 1-year maintenance) | Andhra Pradesh | Guntur | Not Applicable | 20,00,000 | 20,00,000 | Yes | | | |
| 14 | Rise Up Forum, Kozhikode, Kerala Launching Group foster care homes across India, with the goal to deinstitutionalizing children in child-care institutions by providing them with warmth and care of family. | Kerala | Kozhi kode | Not Applicable | 1,00,000 | 1,00,000 | Yes | | | |
| 15 | (1) MPPS Ladella School, Damera, Hanumakonda, Telangana | Telengana | Hanumakonda | Not Applicable | 2,85,000 | 2,83,812 | No | | | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust CSR 00010248 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 16 | (2)इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी- हनुमकोंडा जिले, तेलंगाना में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना । | नहीं | तेलंगाना | हनुमकोंडा | लागू नहीं | 12,15,000 | 12,15,000 | हैं |
| 17 | केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन, केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के अधीन | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना । | लागू नहीं | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 5,00,000 | - | |
| 18 | कड़प्पाकड़ा स्पोर्ट्स क्लब और रीडिंग रूम कड़प्पाकड़ा, कोल्लम, केरल स्मृति हनि वाले रोगियों की सहायता के लिए धन का आबंटन । | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना । | नहीं | केरल | कोल्लम | लागू नहीं | 10,00,000 | 10,00,000 | हैं |
| 19 | सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में खड़ियाल रोड़ पर श्री सर्वहितकारी विद्या मंदिर में स्थित ऑडिटोरियम हॉल में फॉल्स सीलिंग का काम । | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | नहीं | पंजाब | संगरूर | लागू नहीं | 6,04,000 | 6,03,980 | हैं |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| 16 | (2) Indian Red Cross Society - For construction of Rural Health Centre in Hanamkonda District, Telangana | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | No | Telen Gana | Hanum-konda | Not Applicable | 12,15,000 | 12,15,000 | 12,15,000 | Yes | |
| 17 | Kerala Social Security Mission, under the department of social justice, government of Kerala. | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | No | Kerala | Thiruvana-thapuram | Not Applicable | 5,00,000 | - | | | |
| 18 | Kadappakada Sports Club & Reading Room- Kadappakada, Kollam, Kerala. Allocation of funds for supporting patients with memory loss. | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | No | Kerala | Kollam | Not Applicable | 10,00,000 | 10,00,000 | | Yes | |
| 19 | False Ceiling Work in the Auditorium Hall situated in Shri Sarvhitkari Vidya Mandir on Khadial Road at Sunam, Distt Sangrur, Punjab. | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | No | Punjab | Sangrur | Not Applicable | 6,04,000 | 6,03,980 | | Yes | |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|----------|-----|--|
| 20 | सर्वहितकारी शिक्षा सोसाइटी, चंडीगढ़ -3 स्कूलों में जल संचयन संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध। | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना। | नहीं | पंजाब | बोगोवाल, अमृतसर & मोहाली | लागू नहीं | 8,55,000 | 8,55,000 | हैं | |
| 21 | प्रत्याशित परियोजनाएं जिनके लिए पूछताछ प्राप्त हुई | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 2,75,494 | - | - | |
| 22 | भारत की पैरालिंपिक समिति | (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण। | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 3,00,000 | - | - | |
| 23 | विभिन्न लाभार्थी स्कूलों में सुविधा सारथी परियोजना | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना। | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 72,000 | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|--------|----------------------------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 20 | Sarvhitkari Educational Society, Chandigarh - request to install water harvesting plants in 3 schools | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | No | Punjab | Begowal, Amritsar & Mohali | Not Applicable | 8,55,000 | 8,55,000 | Yes | |
| 21 | Anticipated projects for which enquiries received | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Na | Na | Na | Not Applicable | 2,75,494 | - | | |
| 22 | Paralympic Committee of India | (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports; | Na | Na | Na | Not Applicable | 3,00,000 | - | | |
| 23 | Suvidh Sarathi Project in Various Beneficiary Schools | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Na | Na | Na | Not Applicable | 72,000 | - | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|--|-------------------|
| जब भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 100 करोड़ डोसस हासिल की तो लाल किला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | शून्य | दिल्ली | दिल्ली | लागू नहीं | 3,00,00,000 | 3,00,00,000 | हैं | | |
| 24 | | शून्य | दिल्ली | दिल्ली | लागू नहीं | 3,00,00,000 | 3,00,00,000 | हैं | | |
| मेडिकल डायग्नोस्टिक सेवाएं - मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग करके संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों की जांच। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | शून्य | उत्तर प्रदेश | नोएडा | लागू नहीं | 9,99,000 | 9,80,476 | नहीं | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास | सी एस आर 00010248 |
| 25 | | शून्य | उत्तर प्रदेश | नोएडा | लागू नहीं | 9,99,000 | 9,80,476 | नहीं | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास | सी एस आर 00010248 |
| बच्चों और वयस्कों के लिए क्षय रोग कार्यक्रम | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | शून्य | उत्तर प्रदेश | नोएडा | लागू नहीं | 9,99,000 | 9,15,226 | नहीं | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास | सी एस आर 00010248 |
| 26 | | शून्य | उत्तर प्रदेश | नोएडा | लागू नहीं | 9,99,000 | 9,15,226 | नहीं | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्राम न्यास | सी एस आर 00010248 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------------|-------|----------------|-------------|-------------|-----|---|--------------|
| 24 | National Flag hoisted in Red Fort, New Delhi when India achieved 100 crore doses of vaccination for COVID-19 | No | Delhi | Delhi | Not Applicable | 3,00,00,000 | 3,00,00,000 | Yes | | |
| 25 | Medical Diagnostic services - screening of communicable and non-communicable diseases using Mobile Medical Unit | No | Uttar Pradesh | Noida | Not Applicable | 9,99,000 | 9,80,476 | No | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust | CSR 00010248 |
| 26 | Tuberculosis Programme For Children And Adults | No | Uttar Pradesh | Noida | Not Applicable | 9,99,000 | 9,15,226 | No | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust | CSR 00010248 |



| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|--|------------------------------|
| <p>स्वास्थ्य परियोजना वायनाड, केरल पोषण संबंधी व्यवहार परिवर्तन शुरू करके एनीमिया के मामलों की संख्या को कम करना और एनीमिया के प्रमुख कारणों जैसे निष्क्रिय गर्भाशय रक्तस्राव (डी यू बी) का समाधान करना ।</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना ।</p> | <p>केरल</p> | <p>वयनाड</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>10,00,000</p> | <p>10,00,000</p> | <p>नहीं</p> | <p>एचएलएल प्रबंधन अकादमी, तिरुवनंतपुरम</p> | <p>सी एस आर 00004546</p> |
| <p>माई सिटी परियोजना केरल के तिरुवनंतपुरम में कवीडियार वार्ड, कोक्कोड़, करिमठम और चेंगलचूला में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना ।</p> | <p>केरल</p> | <p>तिरुवनंतपुरम</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>12,00,000</p> | <p>12,00,000</p> | <p>नहीं</p> | <p>एचएलएल प्रबंधन अकादमी, तिरुवनंतपुरम</p> | <p>सी एस आर 00004546</p> |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------------------|----------------|-----------|-----------|----|--|---------------|
| 27 | <p>Swasthya Project Wayanad, Kerala Reducing the number of anemic cases by introducing nutritional behavioral changes an addressing the major causes of anemia like dysfunctional uterine bleeding (DUB)</p> | <p>(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [Promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water</p> | Kerala | Wayanad | Not Applicable | 10,00,000 | 10,00,000 | No | HLL Management Academy, Thiruvananthapuram | CSR 0000 4546 |
| 28 | <p>My City Project Waste management programme at Kowdiar ward, Kakkode, Karimadam and Chenkalchulla, in Thiruvananthapuram, Kerala</p> | <p>(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [Promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water</p> | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 12,00,000 | 12,00,000 | No | HLL Management Academy, Thiruvananthapuram | CSR 0000 4546 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|--------------------------|
| 29 | <p>शिंगल परियोजना, तिरुवनंतपुरम, केरल और बेलगावी, कर्नाटक नवीनमेथी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन छात्रावास स्थापित करना, बरिष्ठ कार्यक्रम । स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एम-कप के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एम-कप के बारे में जागरूकता पैदा करना और वितरण करना ।</p> | <p>(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्यों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, बरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय ।</p> | <p>केरल/ कर्नाटक का हैं</p> | <p>तिरुवनंतपुरम & बेलगाव</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>14,50,000</p> | <p>14,50,000</p> | <p>14,50,000</p> | <p>नहीं</p> | <p>एचएलएल प्रबंधन अकादमी, तिरुवनंतपुरम</p> | <p>सी एस आर 00004546</p> |
| 30 | <p>सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, कन्नगला में - हर्बल पार्क का विकास</p> | <p>(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि- वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना 4(गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष के लिए योगदान सहित)</p> | <p>कर्नाटक का हैं</p> | <p>बेलगाव</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>55,861</p> | <p>57,104</p> | <p>57,104</p> | <p>हैं</p> | | |
| 31 | <p>कन्नगला और आसपास के गांवों में एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ।</p> | <p>कर्नाटक का हैं</p> | <p>बेलगाव</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>2,00,000</p> | <p>1,09,589</p> | <p>1,09,589</p> | <p>हैं</p> | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----|--|--------------|
| 29 | Project Thinkal, in Thiruvananthapuram, Kerala and Belgavi, Karnataka Innovative menstrual hygiene management programme. Awareness creation and distribution of M-cups considering the impact of M-cups to health and environment. | (iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups | Yes | Kerala/ Karnataka | Thiruvananthapuram & Belgaum | Not Applicable | 14,50,000 | 14,50,000 | No | HLL Management Academy, Thiruvananthapuram | CSR 00004546 |
| 30 | Public Health Centre, Kanagala - Developing Herbal Park at | (iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water 4. [Including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga] | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 55,861 | 57,104 | Yes | | |
| 31 | Anemia Control Programs at Kanagala and nearby villages | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 2,00,000 | 1,09,589 | Yes | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---------|--------|-----------|----------|----------|-----|
| 32 | कनगला और आसपास के गांवों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हैं | कनॉट का | बेलगाम | लागू नहीं | 2,00,000 | 86,724 | हैं |
| 33 | कनगला और आसपास के गांवों में मुफ्त दवा वितरण के साथ चिकित्सा जांच शिविर | (ii) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि- वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शून्यनिश्चित करना और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना ₹ 4 (गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष के लिए योगदान सहित) | हैं | कनॉट का | बेलगाम | लागू नहीं | 1,00,000 | 99,329 | हैं |
| 34 | निपानी में एच आई वी प्रभावित बच्चों के लिए मेसर्स बसवोगोपाल अनाथ गृह में अवसंरचना विकास | (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय। | हैं | कनॉट का | बेलगाम | लागू नहीं | 1,91,112 | 1,91,112 | हैं |
| 35 | सोलापुर घाट, बेलगावी जिला, कनॉटका में बोर-वेल | (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि- वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना 4 (गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष के लिए योगदान सहित) | हैं | कनॉट का | बेलगाम | लागू नहीं | 2,00,000 | 64,900 | हैं |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----------|---------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 32 | Free Eye Check-up camps at Kanagala and nearby villages | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 2,00,000 | 86,724 | Yes | |
| 33 | Medical check-up camps with free medicine distribution at Kanagala and nearby villages | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 1,00,000 | 99,329 | Yes | |
| 34 | Infrastructure development at M/s Basavagopal Orphan Home for HIV affected children at Nipani | (iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 1,91,112 | 1,91,112 | Yes | |
| 35 | Bore-well at SolaphurGhad, Belagavi District, Karnataka | (iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water 4 [including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga] | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 2,00,000 | 64,900 | Yes | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----|--|--|
| 36 | कर्नाटका के बेलगावी जिले के हितानी गाँव में बस स्टैंड का निर्माण । | (X) ग्रामीण विकास परियोजनाएं । | हाँ | कर्नाट का | बेलगाम | लागू नहीं | 3,00,000 | 2,35,336 | हाँ | | |
| 37 | के एफ बी के आसपास के गाँवों में ग्राम पंचायतों के सहयोग से बी पी एल श्रेणी के लिए शौचालयों का निर्माण । | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना । | हाँ | कर्नाट का | बेलगाम | लागू नहीं | 5,00,000 | 4,71,765 | हाँ | | |
| 38 | के एफ बी और उसके आसपास स्थित स्कूलों में पेयजल की सुविधा (2 संख्याएं) । | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना । | हाँ | कर्नाट का | बेलगाम | लागू नहीं | 2,50,000 | 2,10,580 | हाँ | | |
| 39 | के एफ बी और उसके आसपास स्थित स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा (1 संख्या) । | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | कर्नाट का | बेलगाम | लागू नहीं | 1,50,000 | 1,46,500 | हाँ | | |
| 40 | के एफ बी और उसके आसपास स्थित स्कूलों में बैचों का दान (50 संख्याएं) । | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | कर्नाट का | बेलगाम | लागू नहीं | 2,50,000 | 2,49,975 | हाँ | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------|---------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 36 | Construction of Bus Stand at Hitani Village, Belagavi District, Karnataka | (x) rural development projects | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 3,00,000 | 2,35,336 | Yes | |
| 37 | Construction of toilets for BPL category in gram panchayats at villages in and around of KFB | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 5,00,000 | 4,71,765 | Yes | |
| 38 | Drinking Water Facility at schools located in and around of KFB (2 numbers) | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 2,50,000 | 2,10,580 | Yes | |
| 39 | Smart class facility at schools located in and around of KFB (1 number) | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 1,50,000 | 1,46,500 | Yes | |
| 40 | Donation of benches at schools located in and around of KFB (50 numbers) | (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects; | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 2,50,000 | 2,49,975 | Yes | |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|--------------|-----------|----------|----------|-----|--|--|
| 41 | कनगला फेक्टरी बेलगाम द्वारा विविध परियोजनाएं। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | कर्नाटक का | बेलगाम | लागू नहीं | 1,00,000 | - | हैं | | |
| 42 | कोचिन स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, काक्कनाड, एण्डुलम, केरल के पास करियिल एस सी कॉलोनी, थुथियूर में स्थित दो घरों में मोबाइल फाइबर बाथरूम की स्थापना। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हैं | कोच्चि | लागू नहीं | 4,57,489 | 4,57,489 | हैं | | |
| 43 | सरकारी यु पी स्कूल, कुडप्पनक्कुडु, तिरुवनंतपुरम, केरल सरकारी यु पी कुडप्पनक्कुडु में खेल क्षेत्र की स्थापना। | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना। | हैं | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 8,00,000 | 7,98,623 | हैं | | |
| 44 | कॉनकोडिया लूथरन यु पी स्कूल, पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम, केरल कॉनकोडिया लूथरन यु पी स्कूल के डेस्क, बैंच और अन्य फर्नीचर | (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना। | हैं | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 2,46,491 | 2,45,830 | हैं | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|--------------------|----------------|----------|----------|-----|--|--|
| 41 | Miscellaneous Projects by Kanagala Factory Belgaum | Yes | Karnataka | Belgaum | Not Applicable | 1,00,000 | - | | | |
| 42 | Installation of Mobile Fibre Bathroom to two houses situated in Kariyil SC colony, Thuthiyoor near Cochin Special Economic Zone, Kakkanaad, Ernakulam, Kerala | Yes | Kerala | Kochi | Not Applicable | 4,57,489 | 4,57,489 | Yes | | |
| 43 | Govt.U.P School Kudappanakkunnu, Thiruvananthapuram, Kerala Setting up play area at Govt.U.P Kudappana kunnun | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 8,00,000 | 7,98,623 | Yes | | |
| 44 | Concordea lutheran U.P school, peroorkada, thiruvananthapuram, Kerala Desks, Benches and other furniture of Concordea Lutheran U.P school. | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 2,46,491 | 2,45,830 | Yes | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 45 | मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, ऊलनपारा, पेरुरकड़ा, तिरुवनंतपुरम, केरल - वार्ड नं.5 का नवीकरण। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 23,00,000 | 23,00,000 | हाँ |
| 46 | वालसल्या द्वारा नियोजित गतिविधियाँ - क) पी एफ टी के निवासियों को रु.500/- मूल्य का भोजन किट प्रदान करना। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 74,928 | 74,928 | हाँ |
| 47 | वालसल्या द्वारा नियोजित गतिविधियाँ - ख) पी एफ टी के आसपास के निवासियों के लिए निःशुल्क मेडिकल चेकअप का आयोजन। | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 8,456 | 8,456 | हाँ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----|--|
| 45 | Mental Health Centre, Oolampara, Peroorkada, Thiruvananthapuram, Kerala - Renovation Of Ward No.5 | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 23,00,000 | 23,00,000 | Yes | |
| 46 | Activities Planned by Valsalya - a) Provide Rs 500/- worth food kits to nearby residents of PFT | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 74,928 | | Yes | |
| 47 | Activities Planned by Valsalya - b) Organize free medical checkup camp for nearby residents of PFT | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 8,456 | | Yes | |



| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|----------|----------|-----------|--------------|------|-----|
| 48 | <p>वालसल्या द्वारा नियोजित गतिविधियाँ - ग) पी एफ टी के पास अनाथालयों (चेसायर होम, अंबलमुक्कु और स्नेहालयम) के निवासियों को भोजन और कपड़े प्रदान करना ।</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ।</p> | हैं | 25,634 | 2,56,531 | लागू नहीं | तिरुवनंतपुरम | केरल | हैं |
| 49 | <p>वालसल्या द्वारा नियोजित गतिविधियाँ - घ) पी एफ टी के पास मानसिक अस्पताल (ऊलनपारा) के निवासियों को भोजन प्रदान करना ।</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ।</p> | हैं | 1,22,412 | | लागू नहीं | तिरुवनंतपुरम | केरल | हैं |
| 50 | <p>बी टी एम एन एस एस जी एच एस एस, धनुवच्चपुरम में सैनिटरी नैपकिन इंसीनेरेटर ।</p> | <p>(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ।</p> | हैं | - | 45,524 | लागू नहीं | तिरुवनंतपुरम | केरल | हैं |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--------|--------------------|----------------|----------|----------|-----|--|
| 48 | <p>Activities Planned by Valsalya – c) Provide food and clothing to Inmates of Orphanages near PFT(Cheshire Home, Ambalamukku & Snehalayam ,</p> | <p>(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water</p> | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 2,56,531 | 25,634 | Yes | |
| 49 | <p>Activities Planned by Valsalya – D) Provide food to Inmates of nearby mental hospital (Oolampara)</p> | <p>(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water</p> | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | | 1,22,412 | Yes | |
| 50 | <p>Sanitary Napkin Incinerator at VTM Nss GHSS, Dhanuvachapuram</p> | <p>(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [promoting health care including preventive health] and sanitation [including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water</p> | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 45,524 | - | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 51 | हाई कोर्ट, कोच्चि में सैनिटरी नेपकिन वॉडिंग मशीन । | (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, (निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना) और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान शामिल है) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | हाँ | केरल | कोच्चि | लागू नहीं | 40,982 | - | 5,43,056 | 17,25,000 | हाँ | | |
| 52 | लुई माता केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल | (ii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 22,55,000 | 5,43,056 | 17,25,000 | हाँ | | | |
| 53 | एल बी एस सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल पूजप्पुरा में सेंटर ऑफ एकसलेंस फॉर डिसेंबिलिटी स्टडीज (सी ई डी एस) भवन की मरम्मत और रखरखाव, जो भारी गर्मी की बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था । | (xii) स्लम क्षेत्र विकास, स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत घोषित कोई भी क्षेत्र होगा । | हाँ | केरल | तिरुवनंतपुरम | लागू नहीं | 1,94,000 | 1,93,051 | | हाँ | | | |
| | | | | | | | 5,65,49,751 | 5,31,47,886 | 17,25,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----------|
| 51 | Sanitary napkin vending machine at High Court, Kochi | (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, [Promoting health care including preventive health] and sanitation [Including contribution to the Swatch Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water | Yes | Kerala | Kochi | Not Applicable | 40,982 | - | | | | |
| 52 | Lourdes Matha Care, Thiruvananthapuram, Kerala | (iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 22,55,000 | 5,43,056 | 17,25,000 | Yes | | |
| 53 | LBs Center For Science And Technology, Thiruvananthapuram, Kerala Repair and maintenance of Center of excellence for Disability Studies (CeDS) building at Poojappura, damaged during heavy summer rain. | (xii) slum are development. Explanation.— For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force | Yes | Kerala | Thiruvananthapuram | Not Applicable | 1,94,000 | 1,93,051 | | Yes | | 17,25,000 |
| | | | | | | | 5,65,49,751 | 5,31,47,886 | 17,25,000 | | | |

1. वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य
2. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि लागू नहीं
3. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो लागू नहीं
4. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8 ख + 8ग + 8घ + 8ड.) रु.548.73 लाख
5. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो रु. 23.94 लाख

| क्रम संख्या | विवरण | रकम (रुपये लाखों में) |
|-------------|--|-----------------------|
| (i) | धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत | 524.79 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | 548.73 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(iii)-(i)] | 23.94 |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | शून्य |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | शून्य |

9.(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

| क्रम संख्या | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपये में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूचि VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, | | | आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) |
|-------------|-------------------------|--|---|---|-----------------|---------------------|---|
| | | | | निधि का नाम | रकम (रुपये में) | स्थानांतरण की तिथि. | |
| | कुल | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (i) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|----------|----------------|-----------------|---|---------------|---|--|---|----------------------------------|
| क्रम सं. | परियोजना आई डी | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी। | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपये में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गयी राशि (रुपये में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गयी संचयी राशि (रुपये में) | परियोजना की स्थिति - पूर्ण /चालू |
| | शून्य | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किये सीएसआर के माध्यम से इस तरह बनाई या हासिल की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एचएलएल के लिए कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई ।

(संपत्ति वार विवरण)

- क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि - लागू नहीं
 - ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि -लागू नहीं
 - ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि - लागू नहीं
- सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें - लागू नहीं

1. Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: Nil
2. Amount spent in Administrative Overheads Not Applicable
3. Amount spent on Impact Assessment, if applicable Not Applicable
4. Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) Rs.548.73 Lakhs
5. Excess amount for set off, if any Rs. 23.94 Lakhs

| Sl. No. | Particular | Amount (Rs. in Lakhs) |
|---------|---|-----------------------|
| (i) | Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) | 524.79 |
| (ii) | Total amount spent for the Financial Year | 548.73 |
| (iii) | Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)] | 23.94 |
| (iv) | Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any | Nil |
| (v) | Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)] | Nil |

(9. a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

| Sl. No. | Preceding Financial Year. | Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹) | Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹). | Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any. | | | Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹) |
|---------|---------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | Name of the Fund | Amount (in ₹). | Date of transfer. | |
| | Total | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

(b). Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|-------------|----------------------|--|-------------------|--|---|---|--|
| Sl. No. | Project ID. | Name of the Project. | Financial Year in which the project was commenced. | Project duration. | Total amount allocated for the project (in Rs.). | Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.). | Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.). | Status of the project - Completed / Ongoing. |
| | Nil | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year :- No Capital assets was created for HLL during FY 2022-23

(asset-wise details).

- a. Date of creation or acquisition of the capital asset(s). - Not Applicable
- b. Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset. - Not Applicable
- c. Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc. - Not Applicable

Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset). - Not Applicable

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है - लागू नहीं

12. सी एस आर समिति का एक जिम्मेदारी बयान है कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सी एस आर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है ।

सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी के सी एस आर उद्देश्यों एवं नीति को पूरा करने के लिए डी पी ई दिशानिर्देश।

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | (अध्यक्ष सीएसआर समिति) | (अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति) (जहाँ लागू हो) |
|-----------------------------|------------------------|--|

सीएसआर पहल

एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी

यह सोसाइटी वृत्तिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ रजिस्टर की गयी है। तदनुसार, सोसाइटी द्वारा दो पद्धतियाँ लॉच की गयी थीं, एक विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और दूसरा गंभीर बीमारियों के लिए इलाज प्राप्त करने की ओर कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय समर्थन देने के लिए है।

वर्तमान में, कंपनी, तिरुवनंतपुरम जिला और कनगला जिला, दो जिला जहाँ कंपनी के दो प्रमुख विनिर्माण यूनिट स्थित हैं, से चुने गये विविध स्टीम के वृत्तिक पाठ्यक्रमों के अनुसार पिछले वर्ष के विद्यार्थियों सहित 108 विद्यार्थियों को प्रायोजित करती है। सोसाइटी की निधि सभी कर्मचारियों के मासिक व्यक्तिगत अंशदान के द्वारा जमा की जाती है।

हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएलएफपीपीटी)

हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएलएफपीपीटी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (भारत सरकार का एक मिनी रत्ना उद्यम) द्वारा स्थापित और प्रोन्नमित एक न्यास है। एचएलएलएफपीपीटी एक गैर-लाभकारी संगठन है जो पिछले तीन दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर पैन इंडिया परियोजनाओं को लागू कर रहा है। एचएलएलएफपीपीटी भारत के 18 राज्यों में मौजूदगी के साथ कमज़ोर और हाशिये पर पड़ी आबादी की सेवा करते हुए आरएमएनसीएचए+, एचआईवी/एड्स, परिवार नियोजन, बुजुर्गों की देखभाल और सहायता, क्षय रोग, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और कोविड-19 राहत और सहायता के लिए काम करता है। अब एचएलएलएफपीपीटी निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है:

1. मातृ शिशु स्वास्थ्य रक्षा
2. परिवार नियोजन
3. किशोर स्वास्थ्य रक्षा
4. एचआईवी & टीबी निवारण, रक्षा और समर्थन
5. सीएसआर साझेदारी
6. कुशलता विकास
7. बुजुर्गों की रक्षा और समर्थन
8. पोषाहार
9. मानसिक स्वास्थ्य
10. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
11. अनुसंधान एवं विकास
12. कोविड राहत और सेवाएं

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5). :- Not Applicable

12. A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Implementation of CSR activities is in compliance with Companies Act, 2013 & DPE guidelines to meet the CSR objectives and policy of the Company.

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| (Chairman and Managing Director). | (Chairman CSR Committee). | [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable). |
|-----------------------------------|---------------------------|---|

CSR Initiatives:

HLL Pratheeksha Charitable Society

The Society is registered with the Objective of sponsoring students belonging to the BPL category to pursue professional studies and also to support the health care of retired employees. Accordingly two schemes were launched by the society; one for sponsoring students and the other for giving financial support to the retired employees of the company for availing treatment for critical illness.

Currently Company is sponsoring 108 students, including students of the previous years, pursuing various streams of professional courses selected from Trivandrum district and Kanagala district, being the two districts where the two major manufacturing units of the Company are located. The funds for the society are pooled through the monthly individual contribution of all the employees.

Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT),

Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) is a trust established and promoted by HLL Lifecare Ltd. (a Mini Ratna enterprise of Government of India) under MoHFW. HLFPPT is a not-for-profit organisation working in the domain of public health sector since last three decades and has been implementing large scale projects PAN India. HLFPPT works on RMNCHA+, HIV/AIDS, Family Planning, Elderly Care & Support, Tuberculosis, Nutrition, Mental Health, Skill Development and Covid-19 relief and support, serving the vulnerable and marginalized population with a presence in 18 states of India. HLFPPT is currently providing services in the following thematic areas:

1. Maternal and Child Health
2. Family Planning
3. Adolescent Health
4. HIV & TB Prevention, Care and Support
5. CSR Partnerships
6. Skill Development
7. Elderly Care and Support
8. Nutrition
9. Mental Health
10. Capacity Building and Training
11. Research and Development
12. COVID Relief and Services

निम्नांकित खंड वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य हाइलाइट्स प्रदान करते हैं

1. क्षय रोग

क) निजी प्रदाता समर्थन एजेंसी

एचएलएफपीपीटी गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त टीबी देखभाल सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एनटीईपी और निजी स्वास्थ्यरक्षा सिस्टम के बीच इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। निजी क्षेत्रों से टीबी सूचना बढ़ाने के लिए, उच्च जोखिम वाले समूह में टीबी के मामलों का शीघ्र पता लगाने में तेजी लाने के उद्देश्य से 5 राज्यों के कुल 44 जिलों को कवर किया गया है। वर्तमान में एचएलएफपीपीटी महाराष्ट्र राज्य के 5 जिलों, छत्तीसगढ़ के 6 जिलों ओडिशा के 3 जिलों, गुजरात के 12 जिलों और उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में निजी प्रदाता समर्थन एजेंसी (पीपीएसए) के रूप में टीबी देखभाल कार्यक्रम लागू कर रहा है।

इस कार्यक्रम के अधीन पीपीएसए, डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम, लेबोरेटरी और केमिस्ट सहित निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रदाताओं के साथ जुड़ रहा है और सहयोग कर रहा है और टीबी मामलों को प्रबंधित करने के लिए एंड-टु-एंड एनटीईपी सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी स्वास्थ्य सुविधा में निक्षयमित्रा की स्थापना कर रहा है। इन सेवाओं में टीबी देखभाल के निम्नलिखित मानकों के लिए समर्थन के साथ-साथ मुफ्त नैदानिक (सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण), नमूने संग्रह और टेस्टिंग सुविधा के लिए परिवहन, उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई, पालन और सामाजिक समर्थन शामिल हैं। कर्मचारियों की उपस्थिति, मासिक सुविधा दौरों का रिकॉर्ड, नमूना संग्रह का रिकॉर्ड और नमूना संग्रह एवं रिपोर्ट की प्राप्ति का रिकॉर्ड, सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से रोगियों को लैब रिपोर्ट की डिलीवरी, रोगी से संबंधित सूचनाएं और एफडीसी के रिकॉर्ड के लिए अभिनव मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से फील्ड गतिविधियों की निगरानी की जाती है।



मोबैल ऐप - पीपीएसए

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीपीएसए कार्यक्रम के अधीन एचएलएफपीपीटी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में निजी क्षेत्र के माध्यम से 70,055 रोगियों को अधिसूचित किया है। जिस में महाराष्ट्र से 9,143 रोगी, छत्तीसगढ़ से 9,229 रोगी, ओडिशा से 3,976 रोगी, उत्तर प्रदेश से 32,243 रोगी और 15,464 रोगी गुजरात राज्य से हैं।

ख) राज्य तकनीकी समर्थन यूनिट (टीबी)

एचएलएफपीपीटी भारत के लक्षित राज्य यानी बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में क्षय रोग नियंत्रण हस्तक्षेपों की कवरेज और गुणवत्ता सुधार करने के लिए केंद्रीय क्षय रोग विभाग (सीटीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार के माध्यम से 2025 तक टीबी उन्मूलन के सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य तकनीकी सहायता यूनिट (एसटीएसयू) का पबंधन कर रहा है।

तकनीकी समर्थन यूनिट में 11 विशेषज्ञों का एक टीम शामिल है जिस में 2 प्रबंधकीय और 9 डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की भागीदारी, कार्यनीतिक खरीद, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) बहु-क्षेत्रीय सहयोग का प्रबंधन करने के लिए राज्य टीबी सेल को अपना समर्थन देते हैं।

The following sections will share the key highlights for the year 2022-23:

1. Tuberculosis

A) Private Provider Support Agency

HLFPPT is acting as interface agency between NTEP & Private Healthcare systems for supporting Private Health Sector for quality and free TB Care services. To increase the TB notification from the Private Sectors, a total of 44 districts in 5 states are covered with the aim to accelerate early detection of TB cases in the high-risk group. At present, HLFPPT is implementing TB Care programme as Private Provider Support Agency (PPSA) in 5 districts of Maharashtra state, 6 districts of Chhattisgarh, 3 districts of Odisha, 12 districts of Gujarat and 18 districts of Uttar Pradesh.

Under this program PPSA is engaging and collaborating with private health care providers including doctors, hospitals, Nursing homes, laboratories and chemists and establishing Nikshay Mitra at their health facility for providing end-to-end NTEP services to managed the TB cases. These services include free diagnostic (Universal Drug Susceptibility Testing), samples collection & transportation to testing facility, treatment, public health action, adherence, and social support along with advocacy for following standards of TB care. Monitoring of field activities is done through innovative mobile application for staff attendance, record of facility visits per month, record of sample collection and receipt of reports, delivery of lab reports to patients through direct WhatsApp, patient related notifications and record of FDC.



Mobile APP- PPSA

Under the PPSA programme for FY-2022-23, HLFPPT has notified 70,055 patients through the private Sector in Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, UttarPradesh, and Gujarat State which includes 9,143 patients from Maharashtra, 9,229 patients from Chhattisgarh, 3,976 patients from Odisha, 32,243 patients from Uttar Pradesh and 15,464 patients from Gujarat State.

B) State Technical Support Unit (TB)

HLFPPT through the Central Tuberculosis Division (CTD), Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), GoI is managing State Technical Support Units (STSU) for achieving common goal of TB elimination by 2025. The program aims to improve the coverage and quality of Tuberculosis control interventions in the public sector in targeted states of India viz. Bihar, Karnataka and Madhya Pradesh.

Technical support unit comprising a team of 11 experts includes 2 managerial and 9 domain experts who extend their support to state TB cell to manage the large-scale private sector engagement, strategic purchasing, Direct Benefit Transfer (DBT), multi-sectorial collaboration.

2. एचआईवी/एड्स निवारण, रक्षा और समर्थन

क. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) को तकनीकी समर्थन प्रदान करना

एचएलएफपीपीटी ने एसडीजी के साथ संरेखित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) को समर्थन प्रदान करने की ओर तकनीकी सहायता यूनिटों का प्रबंधन किया है। तकनीकी सहायता यूनिट (टीएसयुएस) तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण और उच्च जोखिम वाले समूहों (एचआरजी) और ब्रिज जनसंख्या के लिए लक्षित हस्तक्षेप (टीआई) को मजबूत करने से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के कार्य पेशकश की।

एचएलएफपीपीटी 2007 से आंध्र प्रदेश, तेलुंगाना, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और ओडिशा में समर्थन प्रदान कर रहा है। एचएलएफपीपीटी 100 से अधिक विशेषज्ञों के समर्थन से 137 जिलों और 549 कार्यात्मक लक्षित हस्तक्षेपों को समाविष्ट कर रहा है।

ख) ग्लोबल फंड सहयोग

एचएलएफपीपीटी सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण और विद्यमान आईटी सिस्टम के सुदृढीकरण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2021-24 की अवधि को ग्लोबल फंड के अधीन नाको अनुदान के लिए एक उप - प्राप्तकर्ता है।

1) सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण- यह परियोजना सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण (सीएसएस) और सशक्तिरण पर केंद्रित है और एनएसीओ और एसएसीएस दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के कैंडर सहित विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक भागीदारी का आह्वान करती है। सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण का उद्देश्य राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना है, विशेष रूप से लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम को मजबूत करना, कलंक और भेदभाव को कम करना, उपचार साक्षरता बढ़ाना, निर्णय लेने में समुदायों की अधिक भागीदारी और सामुदायिक नविगरानी की संरचित प्रणाली विकसित करना है। 2020 तक देश की प्रतिबद्धता के अनुसार 90:90:90 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी 2024 तक 95:95:95 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समग्र हस्तक्षेप को तेज कर सकती है। सीएसएस के अधीन 731 सामुदायिक चैंपियन्स को सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण के 6 मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया।

2) विद्यमान आईटी सिस्टम का सुदृढीकरण - विद्यमान आईटी सिस्टम का सुदृढीकरण करने के लिए एचएलएफपीपीटी एनएसीपी के अधीन व्यापक और एकीकृत एमईएस प्रणाली लागू कर रहा है। यह परियोजना फास्ट-ट्रैक लक्ष्यों, एचआईवी कैस्केड मॉनिटरिंग, रोगी की फॉलो-अप और क्लाइंट - आधारित मॉनिटरिंग के अनुरूप निर्णय लेने में प्रभावी ढंग से समर्थन करती है, एप्लिकेशन सर्वर अनुरक्षण समर्थन प्रदान करके, डेटा आकलन और बिजनेस एल्गोरिदम आयोजित करते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स सहायता प्रदान करती है।

3) क्षमता निर्माण - एचएलएफपीपीटी के नेतृत्व में पीएचएआई और एफएचआई इंडिया के साथ एसएसआर के रूप में एक संघ देश भर में एनएसीपी के अधीन प्रबंधकीय संवर्गों के क्षमता निर्माण कार्य आगे बढ़ाने को लक्ष्य करता है। एचएलएफपीपीटी एनएसीपी कार्यबल की क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए इस घटक को लागू कर रहा है जो 2024 तक 95:95:95 प्राप्त करने के लिए समग्र हस्तक्षेप को तेज कर सकता है। इस कार्यकलाप के अधीन एसएसीएस, टीएसयु और डीएपीसीयु अधिकारियों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और वर्ष 2022-23 में 716 अधिकारियों (एसएसीएस अधिकारी - 307, टीएसयु -73, डीआईएसएच/डीएपीसीयु -330) को प्रशिक्षित किया गया है।

ग) माँ से बच्चों में संक्रमण का उन्मूलन (ईएमटीसीटी)

एचएलएफपीपीटी छत्तीसगढ़ के 28 जिलों और बिहार राज्य के 38 जिलों में 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2021 तक अहाना कार्यक्रम का प्रबंधन कर रहा है और तदनुसार इस परियोजना के अधीन माँ से बच्चों में संक्रमण के उन्मूलन (ईएमटीसीटी) के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 तक अगला समर्थन जारी रखा है, एचएलएफपीपीटी सकारात्मक गर्भवती महिलाओं के प्रारंभिक पहचान और उन्हें पीपीटीसीटी में जोड़ने के लिए, एनसी के हिस्से के रूप में गर्भवती महिलाओं के बीच परिधीय स्तर की एचआईवी स्क्रीनिंग का प्रचार करके माँ से बच्चों में संक्रमण (ईएमटीसीटी) सेवाओं के उन्मूलन के लिए गर्भवती महिलाओं के परीक्षण की गति बढ़ाने का समर्थन कर रहा है।

वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान बिहार में 29,08,191 (80%) गर्भवती महिलाएं और छत्तीसगढ़ में 6,68,479 (103%) गर्भवती महिलाएं कुल एनसी पंजीकरण के प्रति अपनी एचआईवी स्थिति जानती है। (डेटा स्रोत : बिहार और छत्तीसगढ़ एसएसीएस)

2.HIV/AIDS Prevention, Care and Support

A) Providing Technical Support to State AIDS Control Society (SACS)

HLFPPT has managed the Technical Support Units to provide assistance to the State AIDS Control Society (SACS) to maintain the quality of program implementation in achieving the Goals and objective of the National AIDS Control Programme (NACP) aligned with SDGs. The TSUs offered technical & professional expertise, capacity building and facilitating activities related to strengthening Targeted Interventions (TIs) for High-Risk Groups (HRGs) and Bridge Population.

Since 2007 HLFPPPT has provided support in Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Odisha. HLFPPPT is covering 137 districts and 549 functional Targeted Interventions with the support of more than 100 experts.

B) Global Fund Sahyog

To take forward the operations on Community System Strengthening, Capacity Building and Strengthening the Existing IT System, HLFPPPT is a Sub Recipient for NACO Grant under the Global Fund for the period of 2021- 2024.

1) Community System Strengthening – The project focuses on community system strengthening (CSS) and empowerment and calls for community engagement at different level including cadre of health delivery system, at both NACO and SACS level. Community System Strengthening aims to achieve improved health outcomes of National AIDS Control Programme specifically strengthening Targeted Interventions programme, reducing stigma and discrimination, enhancing treatment literacy, greater Involvement of communities in decision making, and developing structured systems of community monitoring. To achieve 90:90:90 sustainable development goals as per the country commitment by 2020, hence active involvement of the Community at all level can intensify the overall intervention to Achieve the 95:95:95 target by 2024. Under CSS 731 community champions got trained on 6 modules of community system strengthening.

2) Strengthening the Existing IT System-To strengthen the existing IT systems, HLFPPPT is implementing the comprehensive and Integrated MES system under NACP.This project effectively supports decision-making in line with Fast-Track targets, HIV cascade monitoring, patient follow-ups and, client-based surveillance by providing application server maintenance support, provide business intelligence and Data analytics support by conducting Data Assessments and Business algorithms.

3) Capacity Building- A consortium led by HLFPPPT with PHFI and FHI India as SSRs are aiming to take forward the operation on Capacity building of managerial Cadres under NACP across country.HLFPPPT is implementing this component for providing capacity building of the NACP workforce can intensify the overall intervention to achieve 95:95:95 by 2024.Under this activity a continuous capacity building programs has been organised for SACS, TSU and DAPCU officials and 716 officials (SACS Officials – 307, TSU – 73, DISHA / DAPCU – 336) got trained in year 2022 – 23.

C) Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT)

HLFPPT has been managing AHANA Programme in 28 districts of Chhattisgarh and 38 districts of Bihar state w.e.f. 1st January 2018 to 31st March 2021 and subsequently continuing the next grant w.e.f. 1st April'2021 to 31st March'2024 for the Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT).To increase the uptake of Prevention of Parent to Child Transmission (PPTCT) services,HLFPPT is advocating the testing of pregnant women for the Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT) services by promoting peripheral level HIV screenings among pregnant women as part of ANC, for early identification of positive pregnant women and linking them with PPTCT services.

During the financial year (2022-23) 29,08,191 (80%) pregnant women in Bihar and 6,68,479 (103%) pregnant women in Chhattisgarh know their HIV status against the total ANC registration (Data Source: Bihar & Chhattisgarh SACS).

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सीएसआर समाज और कमजोर समुदायों की बेहतरी के लिए काम करने की विभिन्न संस्थानों/हितधारकों की जिम्मेदारी है। एचएलएफपीपीटी ने प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं का सुधार करने के लिए, किफायती एवं आसानी से स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने और देश के अंतिम मील तक पहुंचने के लिए एक सीएसआर प्रभाग का सृजन किया है। एचएलएफपीपीटी राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) इंडिया, न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), एस्सार ऑयल, अप्रावा एनर्जी सीएलपी इंडिया प्राइवट लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठनों/निगमों के साथ साझेदारी किया गया है। सी एस आर के अधीन समर्थित प्रमुख कार्यक्रम हैं:

क) मोबाइल मेडिकल यूनिट और सामुदायिक औषधालय

वर्ष 2022-22 सीएसआर प्रभाग के लिए एक और लाभदायक वर्ष रहा है, क्योंकि हम सार्वभौमिक स्वस्थ कलरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिंदल स्टील वर्क्स के सहयोग से थेलकोलोई, संबलपुर (ओडिशा) में एक सामुदायिक औषधालय और पारादीप (ओडिशा) में 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा वित्त पोषित 1 एमएमयू का प्रचालन एवं प्रबंधन भी बस्तर (छत्तीसगढ़) में कर रहे हैं और एनटीपीसी रामगुंडम (तेलंगाना) में 1 एमएमयू जोड़ा है।

इस क्रम में हम को जेएसडब्लियु संबलपुर (ओडिशा), आईटीसी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) & मुंगेर (बिहार), एस्सार ऑयल & गैस लिमिटेड दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), एनटीपीसी बाहं & बरौनी (बिहार), एनटीपीसी मोदा (महाराष्ट्र), एनटीपीसी कवास (गुजरात), एनटीपीसी लारा (छत्तीसगढ़), हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान), दारुहेरा (हरियाणा), हलोल (गुजरात) और चित्तूर (आंध्र प्रदेश) और ओटीपीसी दहलाई और गोमती (त्रिपुरा) के सीएसआर फंडिंग के अधीन मोबाइल चिकित्सा यूनिट है। लोक सेवा यूनिटों और कॉर्पोरेट्स के साथ कार्य करते हुए, एचएलएफपीपीटी ने दूर-दराज के क्षेत्रों में हाशिए की आबादी पर ध्यान केंद्रित करके असम, उत्तराखंड, ओडिशा और त्रिपुरा के कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए एकजुट रूप से उपलब्धि हासिल की है।



ख) बच्चों और किशोरों के लिए क्षय रोग कार्यक्रम

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हिंदुस्तान लैटैक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसे एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा वित्त पोषित किया गया, जिसका उद्देश्य निदान और उपचार के कमियों को दूर करने के लिए बच्चों और किशोरों के बीच टीबी के मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और सक्रिय मामले का पता लगाना है। इस परियोजना के अधीन 38 स्कूल और 60 अंगनवाड़ी केंद्रों को समाविष्ट किया गया और एचएलएफपीपीटी की टीम ने समुदाय में विशेष रूप से माता-पिता, देखभाल करनेवालों और समुदाय के नेताओं के बीच टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संवेदीकरण अभियान चलाया।

- 38 स्कूलों में कुल 3895 स्कूल छात्रों को नर्स के माध्यम से लक्षणों और नमूने के आधार पर 4 एस स्क्रीनिंग का उपयोग करके टीबी की जांच की गई।
- माता-पिता की उपस्थिति में नर्स के माध्यम से लक्षणों और नमूने के आधार पर 4 एस स्क्रीनिंग का उपयोग करके कुल 1408 बच्चों की टीबी की जांच की गई। साथ ही, बच्चों की ऊंचाई और वजन भी मापा गया।

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR is the responsibility of the various institutions/stakeholders to work for the betterment of the society and vulnerable communities. Since a decade, HLPPT has established a CSR division for improving primary healthcare services, providing affordable and easy access to healthcare, and reaching to the last mile in the country. HLPPT has been partnering with renowned organizations/ corporations like National Thermal Power Corporation Limited (NTPC), Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Neyveli Lignite Corporation (NLC) India, Nuclear Power Corporation India Limited (NPCIL), Essar Oil, and Apraava Energy (CLP India Private Ltd.) The Major programs supported under CSR are:

A) Mobile Medical Units and Community Dispensary

The year 2022-23 has been another rewarding year for CSR division, as we are operationalising and managing one community dispensary at Thekoloji, Sambalpur (Odisha) and 1 Mobile Medical Unit (MMU) in Paradip (Odisha) with the support of Jindal Steel Works (JSW) to provide primary healthcare services to the community with an aim to ensure universal health coverage. Apart from it, we are also operating & managing 1 MMU in Bastar (Chhattisgarh) funded by National Mineral Development Corporation (NMDC) and added 1 MMU in NTPC Ramagundam (Telangana).

In continuation, we have MMUs under the CSR funding of JSW Sambalpur (Odisha), ITC Saharanpur (Uttar Pradesh) & Munger (Bihar), ESSAR Oil and Gas Ltd Durgapur (West Bengal), NTPC Barh & Barauni (Bihar), NTPC Mauda (Maharashtra), NTPC Kawas (Gujarat), NTPC Lara (Chhattisgarh), Hero Moto Corp Ltd Haridwar (Uttarakhand), Jaipur (Rajasthan), Daruhera (Haryana), Halol (Gujarat) & Chittoor (Andhra Pradesh) and OTPC Dhalai & Gomti (Tripura). Working with these Public Service Units and Corporates, HLPPT has unitedly achieved to reach the hard terrains of Assam, Uttarakhand, Odisha & Tripura focussing on marginalized population in far-flung areas.



B) Tuberculosis Programme for Children and Adolescents

This program is implemented by Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLPPT) in Bijnor district of Uttar Pradesh which was funded by HLL Lifecare Limited (A Government of India Enterprise), aimed to create awareness and active case finding of TB cases among children and adolescents to plug the gaps in diagnosis and treatment. Under the project 38 school and 60 anganwadi centres were covered and Team of HLPPT conducted sensitization campaigns in the community to raise awareness about TB, particularly among parents, caregivers, and community leaders.

- A total of 3895 school students in 38 schools were screened for TB using the 4S screening based on symptoms and sampling via nurse.
- A total of 1408 children were screened for TB using the 4S screening based on symptoms and sampling via nurse in the presence of parents. Also, height and weight were measures of the children.

ग) नैदानिक सेवाएं

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) को सभी व्यक्तियों, विशेषकर जिनको कम पहुँच है, को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर प्रबंधन के लिए संचारी और गैर संचारी रोगों की प्रभावी, किफायती और शीघ्र पहचान/स्क्रीनिंग प्रदान करने को अधिदेशित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य संचारी और गैर संचारी रोग के शीघ्र निदान और जांच को बढ़ावा देना, नैदानिक परीक्षणों की अभिगम्यता, उपलब्धता और किफायती मूल्य में सुधार करना और स्वास्थ्य जीवन शैली, व्यवहार और भलाई को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1200 लाभार्थियों को मुफ्त नैदानिक जांच और स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये गए। इस स्वास्थ्य कार्ड में जनसांख्यिकीय विवरण, चिकित्सा स्थिति और रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए तैयार किए गए रोगियों के नैदानिक जांच की श्रेणी शामिल है। इसके लिए मलिन बस्तियों में सामुदायिक जागरूकता और जुटाव से संबंधित कार्यक्रम और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थीं।



4. मोबाइल मेडिकल यूनिट

स्वास्थ्य सेवाओं को समान पहुंच और कवरेज में सुधार करना दुर्गम क्षेत्रों में रहनेवाले सबसे वांचित समुदायों तक पहुँचने के लिए सेवा वितरण का एक बुनियादी सिद्धांत है। मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) ऐसी कमज़ोर आबादी तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख सेवा कार्यनीति है। 2022-23 में एचएलएफपीपीटी ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न कॉर्पोरेट और पीएसयू के अलावा एनएचएम - उत्तराखंड, एनएचएम - असम केरल मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमएससीएल) और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) जैसी राज्य सरकारों द्वारा समर्थित 178 मोबाइल मेडिकल यूनिटों की श्रृंखला का परिचालन किया जाता है। इन एमएमयू का मुख्य उद्देश्य देश के कठिन इलाकों तक पहुँचना है जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्यरक्षा की आसान पहुँच दुःसाध्य है। यह संचारी रोगों और गैर- संचारी रोगों के प्रारंभिक नैदानिक निदान द्वारा उपचारात्मक और निवारक देखभाल सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए सुसज्जित है; जटिल मामलों का रेफरल; गर्भावस्था का प्रारंभिक निदान; प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी); नवजात



C) Diagnostic Services

Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) has mandated by HLL Life Care Ltd to provide effective, economical and early detection/screening of communicable and non-communicable diseases for timely management of all individuals especially to those people who have little access to healthcare services. The project aims to promote early diagnosis and screening of communicable and non-communicable disease, improve the accessibility, availability and affordability of diagnostic tests, and promote healthy lifestyle, behaviour, and wellbeing. With this project, 1200 beneficiaries were reached in Varanasi, Uttar Pradesh with free-of-cost diagnostic screenings and health cards. The health card contains demographic details, medical status and category of diagnostic tests of patients drafted for records and reference. For this, community awareness and mobilization at slums regarding Program and Intervention were important activities.



4. Mobile Medical Units

Improving equitable access and coverage to health services is a fundamental principle of service delivery to reach the most underserved communities living in difficult to reach areas. Mobile Medical Units (MMUs) are a key service strategy to reach such vulnerable populations. In 2022-23 HLFPPT has operationalised a fleet of 178 Mobile Medical Units supported by state governments like NHM - Uttarakhand, NHM- Assam, Kerala Medical Service Corporation Ltd. (KMCSL) and Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC), in addition to various corporates and PSUs mentioned above. The main objective of these MMUs is to reach the difficult terrains where easy access of primary healthcare is crucial. It is equipped to provide range of curative and preventive care services by early clinical diagnosis of communicable diseases and non-communicable diseases; referral of complicated



शिशु की बुनियादी देखभाल; परिवार नियोजन परामर्श; गर्भ निरोधकों का प्रावधान; यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) की रोकधाम और प्रबंधन, आँखों की जाँच, दवाएं आदि। यह मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की अनुभवी एवं जानकार टीम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

5. विशेष स्वास्थ्य शिविर सेवाएँ

एचएलएफपीपीटी ने एनबीसीएफडीसी (राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त एवं विकास निगम) और एनएसएफडीसी (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम) के साथ सहयोग से गरीब पिछड़े वर्गों और कमजोर आबादी के लिए विशेष रक्षा प्रदान करने की ओर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है। लगभग 1400 प्रतिभागियों की औसत उपस्थिति के साथ कुल 14 शिविर आयोजित किए गए। प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में गैनेकोलॉजिस्ट, ई एन टी विशेषज्ञ, डेरमटोलजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक जैसे कई विशेषज्ञ थे। ये शिविर नियमित ओपीडी के साथ-साथ आँखों की जाँच के बाद मुफ्त रूप से चश्मे का वितरण, एच आई वी/एड्स स्क्रीनिंग, टी बी स्क्रीनिंग और विभिन्न अन्य प्रकार के रक्त परीक्षण आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के साथ समुदाय के लिए एक सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य करते हैं।



6. कोविड-19 पहल

क) समृद्ध - रीच

एचएलएफपीपीटी ने आईपीई ग्लोबल द्वारा वित्त पोषित युएसएआईडी के समृद्ध अनुदान के अधीन 5 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम में रीच (सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए समग्र मंच द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करना) नाम से एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य तकनीकी - आधारित एम्बुलेंस एकत्रीकरण मंच के माध्यम से बाद की महामारियों और उच्च और निम्न मांग अवधि के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य



cases; early diagnosis of pregnancy; antenatal check-up (ANC) check-ups; basic new-born care; family planning counselling; provision of contraceptives; Sexual Transmitted Infection (STI) prevention and management, eye check-ups, Medicines etc. It also focuses on quality healthcare services through the experienced and knowledgeable team of medical and para medical staff.

5. Special Health Camps Services

HLFPPT has organised specialized health camps in collaborations with NBCFDC (National Backward Classes Finance & Development Corporation) and NSFDC (National Scheduled Castes Finance & Development Corporation) for providing range of specialized care for poorly served Backward Classes and Vulnerable Population. A total of 14 camps were organised with an average footfall of around 1400 participants. Each health camp had multiple specialists like Gynaecologist, ENT Specialist, Dermatologist, Ophthalmologist and General Physician. These camps serve as a common platform for the community for various services like free distribution of spectacles after eye check-up, HIV/AIDS screening, TB Screening and various other types of blood tests etc. along with regular OPDs.



6. COVID-19 Initiatives

A) SAMRIDH – REACH

HLFPPT has implemented a project under the SAMRIDH grant of USAID funded by IPE Global by the name REACH (Reinforcing Emergency response system by aggregating platform for Community Health) in 5 states i.e., Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Assam. The project objective is to strengthen emergency



कम से कम समय में निकटतम एम्बुलेंस और अस्पताल तक पहुँच की सुविधा के लिए निजी एम्बुलेंस को एकत्रित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 134 जिलों से 2935 अस्पताल और 763 एम्बुलेंस को लगाया गया है। परियोजना के अधीन चिकित्सा आपतकालीन रक्षा और परिवहन के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए 6989 अस्पताल के कर्मचारियों और 1829 एम्बुलेंस ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण आयोजित किया गया है। इसने हज़ारों से अधिक लाभार्थियों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम समय में अपनी निकटतम एम्बुलेंस बुक करने और प्राप्त करने या 27/7 हेल्पलाइन केंद्र से पूर्ण समर्थन प्राप्त करने में सक्षम बनाया। प्लेटफॉर्म ने रोगी के वास्तविक समय स्थान और आवश्यकताओं के आधार पर टियर 2 और 3 क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं आसानी से पता लगाने में सक्षम किया।

ख) मोमेंटम - टीकाकरण के लिए नियमित प्रतिरक्षण परिवर्तन और इक्विटी परियोजना (एम- आरआईटीई)

एचएलएफपीपीटी, जेएसआई द्वारा यूएसएआईडी द्वारा निधि एम-आरआईटीई परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ओडीशा के आठ चयनित जिलों (केबीके क्षेत्र) में जागरूकता और जुटाव गतिविधियों के माध्यम से वैक्सीन कवरेज में सुधार करना है। इस परियोजना के साथ, लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन प्रतिरोधी समुदाय तक पहुँचना और उन्हें वैक्सीन की डोज के लिए जुटाना है। हस्तक्षेप सीमांत आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ, इन जिलों में अंतिम छोर तक पहुँच में सुधार और इन जिलों में कोविड -19 वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्रित है। यह परियोजना वैक्सीन के कुशल उपयोग और इसकी आपूर्ति के साथ-साथ स्वास्थ्य कार्यबल एफएलडब्लियु और एचएसपी की क्षमताओं के निर्माण के लिए, वैक्सीन शिबिरों के लिए सरकार, निजी और अन्य हितधारकों के साथ वकालत और नेटवर्किंग के माध्यम से आपूर्ति गतिविधियों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

रैलियों और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जागरूकता सृजन ।

इस परियोजना हस्तक्षेप के माध्यम से, टीम ने 1893182 से अधिक लोगों के लिए कोविड -19 टीकाकरण अभियान का समर्थन किया है और मिड- मीडिया आईपीसी सामुदायिक बैठकों, टेली कॉलिंग सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों सहित मांग सृजन और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आठ चयनित जिलों के 5784883 लोगों तक पहुँच गया। इस परियोजना ने 377375 पहला डोस, 879123 दुसरा डोस और 636684 निवारक डोस के टीकाकरण का समर्थन किया। मोबाइल वैक्सीन एक्सप्रेस का उपयोग आम तौर पर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचने और सीधे टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को जुटाने के लिए किया जाता है। सीमा बढ़ाने के लिए स्थानीय भागीदारों, सीबीओ और एनवाईक, डीएसएसओ, एसएचजी और अन्य संगठनों के साथ विभिन्न सहयोग बनाए गए।



7. नंदघर : आधुनिक अंगनवाडी

एचएलएफपीपीटी ने उत्तर प्रदेश में 345 नंदघरों का सफातापूर्वक परिचालित किया है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्लियुसीडी) के साथ वेदांत लिमिटेड द्वारा निधि एक परियोजना है। ये घर भारत में ग्रामीण बच्चों एवं महिलाओं को लाभ के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी छलांग है।

एचएलएफपीपीटी की नंदघर टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ डिलिवरी प्रदान करने के लिए फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। एचएलएफपीपीटी ने ड्राई एंड टेक होम राशन की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए पहल की है, साथ ही जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को सही पोषण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और 2500 पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) विकसित किया है। वीएचएनडी के दौरान बच्चों की नियमित जांच और वृद्धि की निगरानी और टीकाकरण सत्र भी आयोजित किया जाता है।

response infrastructure for subsequent pandemics and high & low demand periods through a tech-based ambulance aggregation platform. The thrust of the programme is to provide digital platform to aggregate private ambulances for facilitating access to the nearest ambulance and hospital in the shortest possible time. Through this platform, over 2935 hospitals and 763 ambulances from 134 districts have been engaged to provide the services to the patients. Under the project, capacity building for 6989 hospital staff and 1829 ambulance operators were conducted to ensure quality standards and protocols for medical emergency care & transportation are followed. This enabled over thousands of beneficiaries to book and get their nearest ambulance in shorter times through the platform or complete support from a 24/7 helpline centre. The platform enabled the ease of locating health facilities in tier 2 and 3 regions based on the patient's real time location and requirements.

B) MOMENTUM-Routine Immunization Transformation and Equity project for Vaccination (M-RITE)

HLFPPT is implementing the USAID funded M-RITE project by JSI which aims to improve vaccination coverage through awareness and mobilization activities in eight selected districts (KBK region) of Odisha. With this project, the objective is to reach the vaccine-resistant community in the hard-to-reach areas and mobilize them for their vaccination dosage. The intervention focuses on improving last-mile accessibility and availability of COVID-19 vaccination in these districts, with a special focus on marginalized populations. The project focuses on strengthening the supply activities through advocacy and networking with the Government, private & other stakeholders for the vaccination camps for efficient utilization of vaccine and its supply, as well as building the capacities of the health workforce FLWs and HSPs.

Awareness generation through rallies and community meetings

Through this project intervention, the team has supported COVID-19 vaccination campaign for over 1893182 people and reached 5784883 people of the eight selected districts through demand generation and awareness activities including mid-media, IPC, community meetings, tele-calling, social media, and other activities. The project supported vaccination of 377375 first doses, 879123 second dose and 636684 precautionary doses. Mobile vaccine express was used to typically access the hard-to-reach areas and mobilize the beneficiaries for direct vaccination. Various collaborations were formed with the local partners, CBOs and organizations such as NYK, DSSO, SHGs and others to expand the reach.



7. NandGhar: Modern Anganwadis

HLFPPT has successfully operationalized 345 NandGhars in Uttar Pradesh, a project funded by Vedanta Limited with Ministry of Women and Child Development (MoWCD). These homes are a transformative leap dedicated to benefit rural children and women in India.

HLFPPT's Nand Ghar team worked in close coordination with Front line workers to provide accessible delivery of health services. HLFPPT has taken initiatives to ensure the timely delivery of Dry and Take-Home Rations, while also encouraging communities to adopt right nutrition practices through awareness campaigns and developed 2500 PoshanVatikas (Nutrition Garden). During VHNDs, regular screening and growth monitoring of the children and immunisation sessions were conducted.



3-6 वर्ष के बच्चों के साथ
अंगनवाड़ी कार्यकलाप



समुदाय सदस्यों के साथ पोषण पर
जागरूकता

8. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)

एचएलएलएफपीपीटी किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और बड़वानी में जिलों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) लागू कर रहा है। कार्यक्रम का जोर छः प्रमुख क्षेत्रों पर है, अर्थात् स्वास्थ्य संवर्धन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, चोट और हिंसा जिसमें लिंग आधारित हिंसा, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग शामिल है। इस समुदाय आधारित हस्तक्षेप के अधीन, एचएलएलएफपीपीटी ने मध्य प्रदेश में मास्टर प्रशिक्षकों, आशा,एनएम,एमपीडब्लियु,एलएचवी आदि को व्यापक प्रशिक्षण (जिला और ब्लॉक स्तर सहित) प्रदान किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में स्थित किशोर स्वास्थ्य हितैषी क्लिनिकों के माध्यम से किशोरों को नैदानिक एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कूल जाने वाले किशोरों के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 'साथियास' नामक प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षक समुदाय-आधारित सहायता प्रदान करते हैं और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। (मध्य प्रदेश में सहकर्मी शिक्षकों को दिया गया नाम) को सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से समुदाय आधारित सहायता प्रदान की जा रही है।

सिंगरौली जिले में 17698 किशोरों (पुरुष 5902 और महिला 11796) को उमंग क्लिनिक में नैदानिक और परामर्श सेवाओं के लिए पंजीकृत किया गया और 909 लाभार्थियों को उच्च केंद्र में भेजा गया। सिंगरौली में कुल 15 बैचों के लिए प्रशिक्षित आयोजित किया गया जहाँ 1937 साथियास को प्रशिक्षण किया गया। इसके अलावा, काउंसलर और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 688 आउटरीच गतिविधियाँ संचालित की गईं। बड़वानी जिले में 12657 किशोरों (पुरुष 4636 और महिला 8021) को उमंग क्लिनिक में नैदानिक और परामर्श सेवाओं के लिए पंजीकृत किया गया और 909 लाभार्थियों को उच्च केंद्र में भेजा गया। कुल 2015 साथियास को आरकेएसके मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया और काउंसलर और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 487 आउटरीच गतिविधियाँ संचालित की गईं।



आरकेएसके विषय पर साथियास प्रशिक्षण



Anganwadi activity with
3-6 years of children



Awareness on Nutrition
with community members

8. Rashtriya Kishore SwasthyaKaryakram(RKSK)

HLFPPT is implementing the Rashtriya Kishore SwasthyaKaryakram (RKSK) programme in Singrauli and Barwanidistrictsof Madhya Pradeshin order to ensure the holistic development of the adolescent population. The thrust of the programme is on six major areas namely developing a community-based approach to health promotion under-nutrition, sexual & reproductive health, injuries, and violence including gender-based violence, non-communicable diseases, mental health and substance misuse. Under this community-based intervention, HLPPT has capacitated and imparted comprehensive training (including District & Block Levels) in Madhya Pradesh to Master Trainers, ASHAs, ANMs, MPWs, LHVs, etc. Clinical and counselling services are being provided to adolescents through Adolescents Health Friendly Clinics based at Community Health Centres and District Hospital. For school-going adolescents, counselling services are being provided through outreach activities. The trained peer educator called “Sathiyaas” provide Community-based support and ensure smooth implementation of the programme.

In Singrauli district,17698 adolescent (Male 5902 and Female 11796) were registered for clinical and counselling services at umang clinic and 909 beneficiaries were referred to higher centre. A total of 15 batches trainings were conducted in Singrauliwhere 1937 Sathiyaas were trained. Apart from it, 688 outreach activities wereconducted by Counsellor and Master Trainers. InBarwani district, 12657 adolescents (Male 4636 and female 8021) were registered for clinical and counselling services at umang clinic and 909 beneficiaries were referred to higher centre. A total 2015 Sathiyaas were trained on RKSK module and 487 outreach activities were conducted by Counsellor and Master Trainers.



Sathiyaas training on RKSK content

9. कुशल विकास कार्यक्रम - युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए कुशल बनाना।

एचएलएफपीपीटी को 18 कुशल क्षेत्र परिषदों अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी), दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी). भारतीय निर्माण क्षेत्र विकास परिषद (सीएसडीसीआई), रीटेलर्स एसोसियेशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आर ए एस सी आई), टूरिसम & होस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल (टी एच एस सी), आईटी & आईटी ई एस सेक्टर स्किल काउंसिल, अप्पारल मेड-अप्स : होम फर्नीशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, ब्यूटी & वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल, पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, प्लंबिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, रबर स्किल डेवलेपमेंट काउंसिल, अग्रिकल्चर स्किल सेक्टर काउंसिल, बैंकिंग फिनान्सियल सर्विस और इश्योरेंस सेक्टर स्किल काउंसिल, क्यापिटल गुड्स स्किल काउंसिल, सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीस, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ संबद्ध किया गया है। एचएलएफपीपीटी ने अपने बहु कौशल विकास कार्यक्रम के ज़रिए 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यभर अपनी सेवायें सफलतापूर्वक बढ़ायी है।

एचएलएफपीपीटी उत्तर प्रदेश कुशल विकास मिशन (यु पी एस डी एम), दिव्यांग व्यक्तियों के विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (एम ओ एस जे ई), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) के लिए सरकारी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एचएलएफपीपीटी को राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में भी सम्मानित किया गया है। एचएलएफपीपीटी विभिन्न संगठनों पेट्रोनेट, सीडब्ल्यूसी, गेल, आईआरएफसी,बीडीएल, एचसीएल, अलायंस इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है और अपनी सीएसआर पहल के अधीन कौशल प्रशिक्षण लागू कर रहा है।

महिलाओं, किशोर न्याय अधिनियम के अधीन उम्मीदवारों, ट्रांसजेंडर, एस सी/एस टी उम्मीदवारों, ओबीसी/ईबीसी उम्मीदवारों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के साथ, एचएलएफपीपीटी संबंधित एसएससी द्वारा अनुमोदित 74 नौकरी भूमिकाओं/ट्रेडों के तहत कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। केंद्र और राज्य स्तर पर, डीडीयूजीकेवाई, पीएमकेवीवाई, पीएमएवाई-जी आदि के तहत कुशल प्रशिक्षण पहल एचएलएफपीपीटी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्तमान में, 17 राज्यों में 100 से अधिक कुशल केंद्रों में 79 कुशल विकास कार्यक्रम फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से 65,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।



जनरल ड्यूटी असिस्टेंट पर प्रशिक्षण

10. दूसरी इत्रिंग होम- बुजुर्गों की देखभाल

सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार के सहयोग से एचएलएफपीपीटी केरल के तीन जिलों कन्नूर, कोल्लम, मलप्पुरम में 24x7 मॉडल वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। परियोजना को सफलतापूर्वक 'दूसरी इत्रिंग होम' के रूप में चलाया जा रहा है। पुनर्निर्मित घर बुजुर्ग लोगों



9. Skill Development Programs- Skilling Youth for a sustainable livelihood

HLFPPT has been affiliated with 18 skill sector councils namely Health Sector Skill Council (HSSC), Skill Council for Persons with Disability (SCPWD), Construction Sector Development Council of India (CSDCI), Retailers Association Skill Council of India (RASCI), Tourism & Hospitality Sector Skill Council (THSC), IT & TeS Sector Skill Council, Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council, Beauty & Wellness Sector Skill Council, Logistics Sector Skill Council, Electronics and Hardware Sector Skill Council, Power Sector Skill Council, Plumbing Sector Skill Council, Rubber Skill Development Council, Agricultural Skill Sector Council, Banking Financial Services and Insurance Sector Skill Council, Capital Goods Skill Council, Sector Skill Council for Food Processing Industries, Telecom Sector Skill Council. HLFPPT through its multiple skill development programmes has successfully expanded its services across the country in 16 states and 1 union territory.

HLFPPT is empanelled as the Government Training Partner for Uttar Pradesh Skill Development Mission (UPSDM), Department of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment (MOSJE), Ministry of Minority Affairs (MoMA), National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), HLFPPT is also awarded as Knowledge Partner with National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC). HLFPPT is also associated with various organisations Petronet, CWC, GAIL, IRFC, BDL, HCL, Alliance India and implementing skill training under their CSR initiatives.

With a special focus on skill training programmes for women, candidates under juvenile justice act, transgenders, SC/ST candidates, OBC/EBC candidates and differently abled beneficiaries, HLFPPT is providing skill training under 74 job roles/trades approved by the concerned SSC. At Centre Level and State levels, skill training initiatives such as DDU GKY, PMKVY, PMAY-G etc. are implemented by HLFPPT. Currently, 79 skill development programmes at more than 100 skill centres are spread across the 17 states through which more than 65,000 candidates have been trained.



Training on General Duty Assistant

10. Second Innings Home- Elderly Care

HLFPPT is operating a 24 x 7 model old age home in three districts of Kerala namely Kannur, Kollam and Malappuram with the support of Department of Social Justice, Government of Kerala. The project is being successfully run as "Second Innings Home." The renovated home gives a lively ambience, good health care facilities, and many



को शामिल करने के लिए एक जीवंत माहौल, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और कई गतिविधियाँ प्रदान करता है। यह केंद्र बुजुर्गों को अनुकूल सेवाएँ प्रदान करता है, जो आसानी से सुलभ, प्रयोग करने योग्य और यूजर फ्रेंडली है। घर अद्वितीय विचारों से सुसज्जित है जैसे आपातकालीन बेल स्विच, रेलिंग समर्थन पुस्तकालय सह वाचनालय, लैब सुविधाएं, फार्मसी, योगा कक्ष, समूह भोजन के लिए भोजनालय, छोटा व्यायामशाला आदि। फूलदान बनाने, सिलाई आदि गतिविधियों में बुजुर्ग निवासियों को शामिल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशवरों द्वारा संचालित एक छोटी कौशल प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। परियोजना सक्रिय दैनिक जीवन और खुशी पर एक चिकित्सीय घर - आधारित देखभाल की परिकल्पना करती है।

11. प्रतीक्षा भवन - एडल्ट एम आर होम

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और मानवाधिकारों की रक्षा करना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन मानसिक रूप से अक्षम कैदियों के सामने आनेवाली कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता, विकलांग अमित्र बुनियादी ढांचे, मौजूदा चिकित्सा और अन्य परामर्श संसाधनों के लिए प्रशिक्षण की कमी, शिक्षा के लिए सीमित गुंजाइश, कौशल विकास, सक्रिय दैनिक जीवन, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित मंच, प्रतिभा व्यक्त करना। इसलिए सामाजिक न्याय विभाग ने बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए एचएलएफपीपीटी 'प्रतीक्षा भवन, थवनूर को सौंपा है।

एनएचएफडीसी और एचएलएफपीपीटी के बीच दीर्घकालिक सहयोग के साथ, हमें एचएलएफपीपीटी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में दिव्यांग लाभार्थियों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने और विपणन करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं बिक्री मेला - दिव्य कला मेला में आमंत्रित किया गया है।



12 तेजोमया - पोक्सो से बचे लोगों के पुनर्वास की एक पहल

महिला एवं बाल विकास विभाग, केरल ने 'तेजोमया' नामक एक परियोजना शुरू की, जिसके लिए एचएलएफपीपीटी को लैगिंग उत्पीडन से पीड़ितों के पुनर्वास करने के लिए घर चलाने का काम सौंपा गया है।

लैगिंग उत्पीडन के आघात से उबरने के लिए निवासियों का समर्थन करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके एक स्थायी जीविका के लिए तैयार करना, निवासी (19) विभिन्न संभावित क्षेत्रों में कौशल विकास से विविध गतिविधियों जैसे जीविका के लिए सिलाई, मुर्गी पालन और बेकिंग, इंटरपर्सनल और सामाजिक विकास में लगे हुए हैं। परियोजना के तहत उनके स्वयं के व्यावसायिक उद्यमों को प्रबंधित करने और चलाने में सक्षम छात्रों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवसाय मॉडल की परिकल्पना और प्रोत्साहन किया जा रहा है।

13. पुण्य भवन: मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आदर्श गृह

पुण्यभवन का संचालन और प्रबंधन एचएलएफपीपीटी द्वारा सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार (पहले मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह के रूप में जाना जाता है) के तहत किया जा रहा है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को चिकित्सा देखभाल, जीवन कौशल के लिए प्रशिक्षण, दैनिक जीवन की गतिविधियों, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित एक बहुआयामी जीवन शैली प्रदान करके पुनर्वास के उद्देश्य से नियमित आधार पर आयोजित किया जा रहा है। एचएलएफपीपीटी निवासी बच्चों की भलाई में सकारात्मक योगदान दे रहा है, जहाँ चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षकों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा विशेष ध्यान और देखभाल दी जाती है। कार्यक्रम के तहत निवासियों को बागबानी, गमले बनाने, पेपर पेन बनाने आदि गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त निवासी बच्चों के मोटर कौशल को बढ़ाने और उन्हें जीविका के लिए सज्जित करने के लिए 'आला' नामक एक पहल शुरू की गई है जिसमें मिट्टी के बर्तनों, पेंटिंग, कॉफी बनाने आदि का प्रशिक्षण शामिल है।

activities to engage elderly people. This centre provides elderly-friendly services, which are easily approachable, usable and user friendly. The home is equipped with unique ideas like emergency bell switches, railing support library cum reading room, laboratory facility, pharmacy, yoga room, food court for group dining, mini gymnasium, etc. To engage elderly residents in activities like flower pot making, tailoring etc. a small skill lab has been set up manned by social workers and health care professionals. The project envisages a Therapeutic home-based care on active daily living and happiness.

11. Pratheeksha Bhavan- Adult MR Home

Providing care and protecting the human rights of the poor mentally challenged persons stands as a big challenge for society. Some of the major issues faced by these mentally disabled inmates are unavailability of Medical and paramedical staff, disabled unfriendly infrastructure, lack of training to existing medical and other counselling resources, limited scope for education, skill development, active daily living, Limited platforms for satisfying social needs, express talents Therefore, Department of Social Justice has entrusted HLPPT 'Pratheeksha Bhavan, Thavanur, to refurbish and upgrade infrastructure.

Residents visiting a heritage site on World Heritage Day Residents lighting lamp as part of World Earth Day With the long-term association between NHFDC and HLPPT, we have been invited Divya Kala Mela- a national exhibition cum sale fair to showcase and market the various products made by disabled beneficiaries in various projects by HLPPT.



12. Thejomaya- An initiative for rehabilitation of POCSO survivors

Department of Women and Child Development, Kerala initiated a project named "Thejomaya" for which HLPPT is entrusted with running the home to rehabilitate sexual assault victims.

To support the residents to overcome the trauma of the sexual assault and equip them for a sustainable livelihood by providing them with training, the residents (19) are engaged in various activities diversifying from skill development in various potential areas like stitching, poultry farming and baking for livelihood, to intrapersonal and social development. A business model to promote entrepreneurship among the students capable to manage and run business ventures of their own is being envisaged and encouraged under the project.

13. Punnya Bhavan- Model Home for Mentally Challenged Children

Punnya Bhavan is being run and managed by HLPPT under Social Justice Department, Government of Kerala (Formerly known as Home for Mentally Disabled Children). With the aim of rehabilitation of mentally challenged children by providing them with a multi-faceted lifestyle including medical care, training for life skills, daily living activities, special education and vocational training are being organised on a regular basis. HLPPT has been positively impacting the well-being of resident children where special attention and care are given by an expert team of therapists, psychologists, and special educators. A skill lab for engaging residents in activities like gardening, pot making, paper pen making etc. has also been set up under the program. Additionally, to enhance the motor skills of resident children and equip them for livelihood an initiative named "AALA" has been launched which includes training in various activities like pottery, painting, coffee making etc.



14. आउटरीच क्लिनिक- वंचितों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

एचएलएलएफपीपीटी सामाजिक न्याय विभाग के साथ साझेदारी के साथ पांच अलग देखभाल घरों में आउटरीच चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है - सरकारी वृद्धावस्था देखभाल गृह, पुलयनारकोट्टा, सरकारी आशा भवन पुरुष, सरकारी आशा भवन महिला, शारीरिक रूप से विकलांग और वृद्धावस्था देखभाल गृह, पुजप्पुरा। कुल 60 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिससे इन देखभाल घरों के निवासियों को मुफ्त गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अवसर मिला है। विशेषज्ञ प्रबंधन के लिए विभिन्न अस्पतालों से विशेष प्रदाताओं की पहचान की गयी।

घरों के निवासियों के लिए मूल रोग निदान, उपचार और रेफरल सेवाओं सहित प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित दौरा आयोजित किए गए। स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए रक्त परीक्षण और ईसीजी सहित नियमित चिकित्सा जांच की गई। प्रत्येक निवासियों का उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड उनके प्रगति नोट्स के साथ डैश बोर्ड के साथ रखा जाता है। दवा और उपचार सहित पूरी रक्षा, संपूर्ण शारीरिक परीक्षण, दवा संशोधन और प्रसंगिक चिकित्सा मुद्दों की पता करने की योजना शामिल करके समीक्षा की। सभी दवाओं की समय-समय पर समीक्षा और मॉनिटरिंग ठीक से की गई।



मेडिकल जांच

15. त्रिशूर में मॉडल होम - निवासियों के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप प्रदान करना

पुनर्वास और मुख्यधारा के हिस्से के रूप में, केरल सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन निर्भया सेल ने त्रिशूर मॉडल होम के निवासियों के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप प्रदान करने का प्रस्ताव किया। एचएलएलएफपीपीटी 1. जीवन कौशल प्रशिक्षण 2. माइंडफुल मेडिटेशन प्रशिक्षण 3. योग 4.भाषा और सौंदर्य प्रशिक्षण 5.डिजिटल प्रशिक्षण 6. ललित कला प्रशिक्षण 7. एक्सपोजर विजिट 8. उत्सव और दिवस अवलोकन जैसे आठ श्रेणियों के कार्यकलापों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वित करता है। भविष्य में उचित प्लेसमेंट सक्षम करने की



14. Outreach Clinics- Healthcare services for the underserved

HLFPPT has been conducting outreach medical camps in five different care homes - Govt. Old Age Care Home, Pulyanarkotta, Govt. Asha Bhavan Men, Govt. Asha Bhavan Women, Home for Physically Handicapped and Old Age Day Care, Poojappura in partnership with Social Justice Department. A total of 60 camps have been conducted, which gave an opportunity for residents of these care homes to access free quality health services. Specialty providers were sourced from various hospitals, for expert management.

Scheduled visits were conducted to provide primary health care services including basic diagnostic, treatment, and referral services for the residents of homes. Regular medical check-up including blood test and ECG were done to identify early signs of health issues. Proper health record of each inmate along with their progress notes are maintained with dash board. Total care including medication and treatment was reviewed including thorough physical examination, drug modification and plan to address relevant medical issues. Periodic review and monitoring of all medications were properly done.



Medical check-up

15. Model Home in Thrissur – Providing Extracurricular Activities for Residents

As part of rehabilitation and mainstreaming, Nirbhaya cell under Women and Child Development Department, Govt. of Kerala proposed to provide extracurricular activities for the residents of Model Home in Thrissur. HLFPPT implements the project through eight categories of activities such as 1. Life Skill Training, 2. Mindful Meditation Training, 3. Yoga, 4. Language and Grooming Training, 5. Digital Training, 6. Fine Arts Training 7. Exposure Visits, 8. Celebrations and

ओर आईसीपी तैयार करने के लिए निवासियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया था। कुछ निवासियों के लिए परिवार के साथ सफल पुनर्एकीकरण संभव था।



योगा प्रशिक्षण



प्रशिक्षण के बाद ललित कला कार्यक्रम



सिल्वरस्टॉर्म पर एक्सपोज़र दौरा

16. आफ्टरकेयर कार्यक्रम - मुख्य धारा के समाज में केयर लीवेर्स को सतत एकीकरण के लिए पहल

आफ्टरकेयर पाय लट कार्यक्रम डब्लियुसीडी विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से एचएलएफपीपीटी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थागत घरों में केयर लीवेर्स को व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं और परामर्श प्रदान करना है। यह कार्यक्रम प्रारंभ में कोषिकोड और कन्नूर चार संस्थागत घरों में लागू किया गया था और अंततः कोल्लम और कोट्टयम के तीन घरों में विस्तारित किया गया। पहल के प्रथम चरण में सात घरों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 142 केयर लीवेर्स की सहायता की गई। लक्षित जनसंख्या के व्यवस्थित मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं (आईसीपी) विकसित की गईं। आईसीपी के अलावा व्यक्तिगत परामर्श के 937 सत्र, 40 समूह जीवन कौशल प्रशिक्षण और 96 संज्ञानात्मक पुनर्प्रशिक्षण सत्र लक्षित केयर लीवेर्स के लिए आयोजित किए गए। परिणामस्वरूप 28 केयर लीवेर्स को स्वास्थ्य सेवा, यात्रिक, होटल प्रबंधन और सौंदर्य एवं कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक रखा गया। फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से केयर लीवेर्स के साथ कुल 949 पोस्ट-प्लेसमेंट अनुवर्ती सत्र आयोजित किए गए। आफ्टर केयर कार्यक्रम चरण 2 सभी जिलों में विस्तारित किया गया, जिसमें 19 धर शामिल किये 172 केयर लीवेर्स का मूल्यांकन किया गया और व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं तैयार की गईं। कार्यक्रम की सुस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, 140 जेजे स्टाफ सदस्यों (16 अधीक्षक, 14सीडब्लियुआई, 106 कार्यवाहक, 2 मेंटर्स और 2 चौकीदार-महिला) को प्रशिक्षित किया गया। संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल प्रबंधन के अधीन के लिए परामर्शदाताओं को केयर लीवेर्स के लिए हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

Day Observations. Psychosocial assessment of the residents was conducted for preparing ICP to enable appropriate placement in the future. Successful reintegration with family was possible for some residents.



Yoga training



Fine arts programme after training



Exposure visit to Silverstorm

16. Aftercare Programme – An Initiative for Sustainable integration of Care leavers into mainstream society

The Aftercare Pilot Program is a project initiated by HLPPT, in collaboration with the WCD Department and UNICEF, aimed at providing individualized care plans and counselling to care leavers in government institutional homes. This program was initially implemented in four institutional homes in Kozhikode and Kannur and eventually expanded to three more homes in Kollam and Kottayam. The first phase of the initiative assisted 142 care leavers over the age of 15 in seven homes. Based on a systematic evaluation of the target population, individualized care plans (ICP) were developed. In addition to the ICP, 937 sessions of individual counselling, 40 group life skill training, and 96 cognitive retraining sessions were conducted for the targeted care leavers. As a result, 28 care leavers were successfully placed in various positions in the domains of healthcare, mechanical, hotel management, and beauty and wellness. A total of 949 post-placement follow-up sessions were conducted with care leavers via phone calls and in-person visits. The Aftercare Program was expanded to all districts in Phase 2, covering 19 homes in which 172 care leavers were evaluated and prepared individual care plans. To ensure the sustainability of the program, 140 JJ staff members (16 superintendents, 14 CWIs, 106 caretakers, 2 mentors, and 2 watch women) were trained. The counsellors under institutional care and non - institutional care management were trained to provide interventions for care leavers.



क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम



केयर लीवेस की नियुक्ति के लिए कौशल प्रशिक्षण

इसके अलावा, डब्लियूसीडी विभाग के अधीन 23 परामर्शदाताओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण के साथ आफ्टरकेयर कार्यक्रम में सहायता करने के लिए शिक्षित किया गया। वर्तमान में, 38 केयर लीवेस को स्वास्थ्य सेवा, रिटेल, होटल, इलेक्ट्रिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादन, फैशन, प्लंबिंग और बीपीओ सेक्टर में विभिन्न कैरियर मार्गों पर सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया है। आफ्टरकेयर पायलट कार्यक्रम सरकारी संस्थागत घरों में केयर लीवेस को व्यक्तिगत देखभाल योजना, परामर्श और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रहा है। कार्यक्रम ने केयर लीवेस को विभिन्न कैरियर मार्गों में रोजगार के अवसर खोजने में भी मदद की है, जिससे समाज में उनका स्थायी पुनर्एकीकरण सुनिश्चित किया है।

17. मॉडल आवासीय विद्यालय परियोजना - छात्रों की भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

एमआरएस परियोजना एचएलएफपीपीटी, केरल के अनुसूचित जनजाति विकास (एसटीडीडी) और यूनिसेफ के बीच एक सहयोगी पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे केरल में 20 मॉडल आवासीय विद्यालयों (एमआरएस) में भाग लेने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कक्षा एक से सात तक के छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमता, भाषा क्षमता, अल्पकालिक स्मरण और सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के अनुभवों का मूल्यांकन करने के लिए उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन एचएलएफपीपीटी के मनोवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा स्कूलों में दौरा करके किया गया। परियोजना के भाग के रूप में कुल 1864 छात्रों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन का उद्देश्य केरल में एमआरएस स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करना था। यह परियोजना केरल के एसटीडीडी और यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है।



मनोवैज्ञानिक सामाजिक मूल्यांकन

18. सामाजिक विपणन

एचएलएफपीपीटी समाज के सभी वर्गों को किफायती और सुलभ प्रजनन स्वास्थ्य उत्पाद उपलब्ध कराकर समुदाय के व्यवहार और स्वस्थ जीवन की धारणा में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। गर्भनिरोधक और आरसीएच उत्पादों के सामाजिक विपणन का एक आत्मनिर्भर मॉडल वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू किया गया है जहाँ एचएलएफपीपीटी के स्वामित्ववाले कंडोम (रक्षक 2 & जोश 3 डॉटेड) का ब्रांड सी & डी विपणन में विशेष रूप से पहचान किया जाता है। लक्षित हस्तक्षेप प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विपणन कार्यबल के समुदाय - आधारित नेटवर्क को स्थापित करना और मजबूद करना जो व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित और सिस्टम में अंतर्निहित है के द्वारा किए जाते हैं।



Capacity Building training program Skill training for placement of care leavers

In addition, 23 counsellors under the WCD department were educated to assist the aftercare program with life skills training. Currently, 38 care leavers are successfully placed in various career pathways within the healthcare, retail, hotel, electrical, information technology, food production, fashion, plumbing, and BPO sectors. The Aftercare Pilot Program has been successful in providing individualized care plans, counselling, and life skill training to care leavers in government institutional homes. The program has also helped care leavers to find employment opportunities in various career pathways, thus ensuring their sustainable reintegration into society.

17. Model Residential School Project – Psychosocial Assessment for students' well-being

The MRS Project is a collaborative initiative between HLPPT, the Scheduled Tribe Development Department (STDD) of Kerala, and UNICEF. The project aims to gain insights into the mental health of students attending the 20 Model Residential Schools (MRS) across Kerala. Psychosocial assessments were conducted on students in grades one through seven to evaluate their cognitive abilities, language proficiency, short-term memory, and experiences of positive and negative emotions. The assessments were carried out by a team of psychologists from HLPPT by visiting the schools. A total of 1864 students were assessed as part of the project. The objective of the assessment was to gain a better understanding of the mental health of students attending MRS schools in Kerala. The project is funded and supported by the STDD of Kerala and UNICEF.



Psycho social assessment

18. Social Marketing

HLPPT has been working to bring a change in the Community's behaviour and perception of healthy life by providing affordable and accessible reproductive health products to all sections of society. A self-sustainable model of social marketing of contraceptive and RCH products is implemented in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and West Bengal in FY 2022-23 where HLPPT owned brands of condoms (Rakshak 2 and Josh 3 Dotted) are particularly recognized in the C&D market. Targeted interventions are undertaken by effective supply chain management, establishing and strengthening community-based networks of marketing workforce who are systematically trained and embedded into the system.

19. सामाजिक फ्रेंचाइसिंग - मेरीगोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्क

एचएलएफपीपीटी ने भारत में सबसे अनोखा और सबसे बड़ा सामाजिक फ्रेंचाइसिंग स्वास्थ्य नेटवर्क मेरी गोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्क (एम जी एच एन) की स्थापना की है। यह पब्लिक -प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है जो सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत एक सामान्य मंच शेयर करने के लिए निजी क्षेत्रों और स्वास्थ्य प्रदाताओं को शामिल करने के लिए एक अभिनव और आत्मनिर्भर ढांचा है। लाभार्थियों को विविध एमजीएचएन सुविधाओं से जोड़ने के लिए, मेरी तरंग नेटवर्क सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक समुदाय को प्राथमिक एम सी एच जानकारी प्रदान करते हैं। एचएलएफपीपीटी ने 250 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों के साथ दो राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में सामाजिक फ्रेंचाइसिंग स्वास्थ्य नेटवर्क की स्थापना की है। इस कार्यक्रम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 4.5 दशलक्ष प्रसवपूर्व चेकअप, 17 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव, 4 लाख नसबंदी और 4.25 लाख आईयूसीडी निवेश सुनिश्चित किया है।



मेरी तरंग कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण (एमटीडब्लियूएस)

20. निजी क्षेत्र का एकीकरण - भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं जुड़ाव

एचएलएफपीपीटी का लक्ष्य संयुक्त गुणवत्ता मानकों (एनएबीएच और मान्यता) के अनुसार गुणवत्ता सुधार के लिए 60 अस्पतालों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य या सुनिश्चित करना है कि सभी संलग्न सुविधाओं को सफलता मैट्रिक्स के रूप में प्रत्यायन/प्रमाणन के लिए तैयार स्तर मानक के लिए तैयार किए जाते हैं। एचएलएफपीपीटी योग्य मातृ शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) सुविधाओं को साथ देगा, जो कार्यक्रम डिलिवरेबल्स द्वारा योग्य गुणवत्ता सुधार (क्यूआई) के लिए तैयार हैं। यह परिकल्पना की गई है कि हमारे प्रस्तावित हस्तक्षेप के माध्यम से, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम को सक्षम करने से माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच और उपयोग बढ़ाने की दिशा में प्रगति तेज हो जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान राज्यों के प्राथमिकता वाले जिलों पर केंद्रित है। लक्षित लाभार्थी प्रजनन आयु की महिलाएं हैं जिन्हें राज्यों के प्राथमिकता वाले जिलों में लगी सुविधाओं पर सेवाओं की आवश्यकता होगी। टीम ने समावेशन मानदंडों के अनुसार उनकी उपयुक्तता का आकलन करने और जेक्यूएस (एनएबीएच- एफओजीएसआई मानक) और अन्य संकेतकों पर उनकी सेवा वितरण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए लैंडस्केपिंग प्रयोग से सुविधाओं की पहचान की है।



19. Social Franchising- MerryGold Health Network

HLFPPT has instituted one of the most unique and largest Social Franchising health networks in India - Merrygold Health Network (MGHN). It is based on the Public-Private Partnership (PPP) model that offers quality Maternal & Child Healthcare and Family Planning Services at affordable rates. It is an innovative and self-sustainable framework for engaging private sectors & health providers to share a common platform under this program. In order to link beneficiaries with various MGHN facilities, Merry Tarang Network (Community health volunteers provide elementary MCH information to community. HLFPPT has instituted the Social Franchising health network in two States (Uttar Pradesh & Rajasthan) with 250+ private hospitals. The programme has ensured 4.5 million Antenatal Check-ups, more than 17 lakh institutional deliveries, 4 lakh sterilizations and 4.25 lakhs IUCD insertions till FY 2022-23.



Training of Merry Tarang Workers (MTWs)

20. Private Sector Integration - Building Quality and Linkages

HLFPPT aims to provide technical support to 60 hospitals for Quality Improvement as per Joint Quality Standards (NABH and Manyata) which will improve healthcare services being offered through these facilities. The deliverable of the program is to ensure all the engaged facilities are prepared for accreditations/certifications ready level standards as a success matrix. HLFPPT will engage eligible Maternal Child Health (MCH) facilities that are willing for Quality Improvement (QI) as defined by the program deliverables. It is envisaged that through our proposed intervention, the health impact for mothers and new-borns would be maximized by enabling better health outcomes. This would accelerate the progress towards increasing access to and utilization of quality services. The project focuses on priority districts in the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand and Rajasthan. The target beneficiaries are women of reproductive age who would need services at the engaged facilities in the priority districts of the states. The team has identified the facilities from Landscaping Exercise to assess their suitability as per inclusion criteria and to assess the quality of their service delivery on the JQS (NABH-FOGSI standards) and other indicators.



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अभिशासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी प्रारंभ से अनुकरणीय अभिशासन मानकों के लिए प्रसिद्ध हैं और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखण्डता पर अपना ज़ोर समर्पित करना जारी रखती है। कंपनी नैतिक मूल्यों का पालन करने और इसके द्वारा ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में भी प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा अभिस्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियों का मूल लक्ष्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखण्डता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है। यह लक्ष्य सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर मार्गनिर्देश के अनुपालनार्थ मात्र ही नहीं, बल्कि कार्यपद्धतियों और प्रणालियों को समाविष्ट करके उसके परे भी जाना है, जो कॉर्पोरेट अभिशासन के उत्तम प्रथा के अनुसार है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश विधिपूर्वक पालन कर रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम 2013 के अधिकांश प्रावधानों को बना दिया है। नया अधिनियम, देश में कॉर्पोरेट अभिशासन व्यवस्था को मज़बूत करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। आपकी कंपनी पहले ही नए कानून के अधीन प्रावधान किए गए अधिकांश अभिशासन अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन कर रही है।

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियाँ एवं प्रथाएँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर फोकस करती हैं :

- 1) बोर्ड और प्रबंधन से संबंधित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को पहचानना।
- 2) प्रकटीकरण स्तर के उच्च स्तरों को बनाये रखने हुए पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।
- 3) इसकी कार्य पद्धति में उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना और बनाये रखना।
- 4) जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की मज़बूत पद्धति सुनिश्चित करना।
- 5) यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के कर्मचारी कॉर्पोरेट मूल्यों को स्वीकार करते हैं और उनको अपने व्यवहार में लागू करता है।
- 6) यह सुनिश्चित करना कि निर्णय बनाने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शक है।
- 7) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी वैश्विक रूप से स्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों का अनुसरण करती है।
- 8) आपकी कंपनी में अनुसरण करने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये जाते हैं।

1. मंडल के आकार और बनावट :

मंडल की संरचना, व्यावसायिकता, ज्ञान और अनुभव के सर्वोत्तम मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड को सक्षम बनाता है और व्यवसाय के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है। आपकी कंपनी एक सरकारी उपक्रम होने से, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज़रिए किया जाता है। मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उचित मिश्रण है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम यह विनिर्धारित करता है कि निदेशकों की संख्या तीन (3) से कम नहीं और दस (10) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या नौ (9) है और कंपनी निदेशक मंडल की वर्तमान शक्ति सात (7) है

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले दो (2)
- दो (2) स्वतंत्र निदेशक और
- तीन (3) कार्यात्मक निदेशक - यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) शामिल हैं।

बोर्ड के सात निदेशकों से चार (4) महिला निदेशक हैं। मंडल की संरचना पर्याप्त रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company's philosophy on Code of Governance

Your Company is renowned for exemplary governance standards since inception and continues to devote its emphasis on transparency, accountability and integrity. The Company is committed to adhere to the ethical values and thereby ensures fairness to all stakeholders including customers, employees, investors and society at large. The basic objective of Corporate Governance policies adopted by the Company is to attain the highest levels of transparency, accountability and integrity. This objective extends not merely to complying with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, but also to go beyond them by putting in place procedures and systems, which are in accordance with the best practices of Corporate Governance. The Company has been methodically following the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises.

The Ministry of Corporate Affairs has made the majority of the provisions of the Companies Act, 2013 effective from 1st April, 2014. The new Act is a positive step towards strengthening corporate governance regime in the country. Your Company is already in substantial compliance with most of the governance requirements provided under the new law.

The Company's Corporate Governance policies and practices focus on the following principles:

1. To recognize the respective roles & responsibilities of the Board and Management.
2. To achieve the highest degree of transparency by maintaining a high degree of disclosure levels.
3. To ensure and maintain high ethical standards in its functioning.
4. To ensure a sound system of risk management and internal controls.
5. To ensure that employees of the Company subscribe to the corporate values and apply them to their conduct.
6. To ensure that the decision making process is fair and transparent.
7. To ensure that the Company follows globally recognized corporate governance practices
8. A brief description of the Corporate Governance practices followed in your Company is given below.

1. SIZE AND COMPOSITION OF BOARD:

The composition of the Board represents an optimal mix of professionalism, knowledge and experience and enables the Board to discharge its responsibilities and provide effective leadership to the business. Your Company, being a Government Undertaking, the appointment/nomination of all the Directors is done by the President of India, through the Ministry of Health & Family Welfare. The Board has an appropriate mix of executive and non-executive Directors. The Articles of Association of the Company stipulates that the number of Directors shall not be less than three (3) and not more than ten (10).

The sanctioned strength of Board of Directors is Nine (9) and the present actual strength of Board of Directors of the Company is Seven (7) comprising

- Two (2) official Directors representing the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- Two (2) Independent Directors and
- Three (3) Functional Directors namely Chairman & Managing Director, Director (Finance), and Director (Technical & Operations)

Among the present Seven directors there are four (4) women directors on the Board. The composition of the Board is substantially in line with the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

31 जुलाई, 2023 तक के निदेशक मंडल की बनावट नीचे दी जाती है। निदेशकों में कोई भी सार्वजनिक कंपनियों के 10 से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य नहीं रहे हैं, जिन में वे ऐसी पाँच समितियों से अधिक में या तो निदेशक हैं या अध्यक्षता नहीं संभालते हैं।

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | निदेशक की श्रेणी | संभाले अन्य निदेशकशिप की संख्या | अन्य कंपनियों में मंडल समिति के अध्यक्षता/ सदस्यता की संख्या |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1 | श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस | अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक | 5 | शून्य |
| 2 | श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस | सरकार नामित निदेशक | 4 | शून्य |
| 3 | श्रीमती रोली सिंह आई ए एस | सरकार नामित निदेशक | 2 | शून्य |
| 4 | डॉ गीता शर्मा | निदेशक (वित्त) | 4 | शून्य |
| 5 | डॉ अनिता तंपी | निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) | 0 | शून्य |
| 6 | श्रीमती नीता बूचरा | गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) | 2 | शून्य |
| 7 | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) | 0 | शून्य |

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छा अभिशासन, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोर्ड के भूमिका, कार्यकलाप, उत्तरदायित्व और जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित किये गये हैं। मंडल अपने प्रत्ययी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपनी स्ट्रेटैजिक पर्यवेक्षण करने में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रबंध नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों का अनुसरण करता है। गैर कार्यपालक निदेशकों सहित मंडल के हर सदस्य को कंपनी से संबंधित किसी भी जानकारी का पूर्ण पहुँच है।

2. बैठक और हाजिरी

जहाँ तक संभव है बैठक की नोटीस और कार्यसूची नोट निदेशकों को पहले से ही परिचालित किए जाते हैं। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 24 मई 2022, 26 जुलाई 2022, 02 अगस्त 2022, 28 सितंबर 2022, 20 दिसंबर 2022 और 17 मार्च 2023 को छः बोर्ड बैठकें आयोजित की गयीं।

मंडल बैठक और गत वार्षिक सामान्य बैठक की हाजिरी सूचना नीचे दी जाती है।

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल बैठकों की संख्या | 2022-23 के दौरान बैठक की हाजिरी | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|------------|
| | | मंडल बैठक | गत ए जी एम |
| श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस | 6 | 6 | जी हाँ |
| श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस | 3 | 3 | लागू नहीं |
| श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस | 2 | 2 | जी हाँ |
| श्रीमती रोली सिंह आई ए एस | 6 | 6 | जी नहीं |
| श्री टी.राजशेखर | 6 | 6 | जी हाँ |
| डॉ.गीता शर्मा | 6 | 6 | जी हाँ |
| डॉ. अनिता तंपी | 1 | 1 | लागू नहीं |
| डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डी | 5 | 5 | जी हाँ |
| श्रीमती नीता बूचरा | 6 | 6 | जी हाँ |
| प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | 6 | 6 | जी हाँ |

The Composition of the Board of Directors as on 31st July 2023 is given below. None of the Directors are member of more than 10 Board level Committees of public companies in which they are Directors nor holds chairmanship in more than five such committees.

| Sl. No. | Name of the Director | Category of Director | No. of Other Directorship held | No. of membership / Chairmanship of Board Committee in other companies |
|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1 | Shri. K Beji George IRTS | Chairman and Managing Director | 5 | Nil |
| 2 | Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS | Government Nominee Director | 4 | Nil |
| 3 | Smt Roli Singh IAS | Government Nominee Director | 2 | Nil |
| 4 | Dr Geeta Sharma | Director (Finance) | 4 | Nil |
| 5 | Dr Anitha Thampi | Director (Technical & Operations) | 0 | Nil |
| 6 | Smt Neeta Boochra | Non official part Time Director (Independent Director) | 2 | Nil |
| 7 | Prof. (Dr.)Adarsh Pal Vig | Non official part Time Director (Independent Director) | 0 | Nil |

The Board of Directors plays a primary role in ensuring good governance and smooth functioning of the Company. The Board's role, functions, responsibility and accountability are clearly defined. The Board acts with autonomy and independence in exercising its strategic supervision, discharging its fiduciary responsibilities and ensuring that the management observes the highest standards of ethics, transparency and disclosure. Every member of the Board, including the Non-Executive Directors, has full access to any information related to the Company.

2. MEETING AND ATTENDANCE

The Notice and Agenda notes of the Meetings are circulated to the Directors as far as possible in advance. During the financial year under review, six Board meetings were held on 24th May 2022, 26th July 2022, 02nd August 2022, 28th September 2022, 20th December 2022 and 17th March 2023 .

Information of attendance at the board meetings and the last annual general meeting is given below:

| Name of the Director | No. of Board Meetings held during the tenure | Attendance in Meetings during 2022-23 | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| | | Board Meetings | Last AGM |
| Shri K Beji George IRTS | 6 | 6 | Yes |
| Shri Ashish Srivastava IAS | 3 | 3 | N.A |
| Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS | 2 | 2 | Yes |
| Smt Roli Singh IAS | 6 | 6 | No |
| Shri T. Rajasekar | 6 | 6 | Yes |
| Dr.Geeta Sharma | 6 | 6 | Yes |
| Dr. Anitha Thampi | 1 | 1 | N.A |
| Dr P Vijayachander Reddy | 5 | 5 | Yes |
| Smt Neeta Boochra | 6 | 6 | Yes |
| Prof. (Dr.)Adarsh Pal Vig | 6 | 6 | Yes |

3. निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम चयन विभाग द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके निदेशकशिप के पारिश्रमिक और शर्त व निबंधन के निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहला है, नियुक्त किए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भी तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 20,000/- और बोर्ड की उप समितियों में भाग लेने के लिए रु.15,000/- का भुगतान किया जाता है।

4. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक) नियम 2014 जो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों/कार्यपालकों को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) के रूप में पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के उनके वर्तमान शर्त व निबंधन पर नियुक्त किया है:

1. श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री टी.राजशेखर - निदेशक (विपणन)
3. डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त)
4. श्री संतोष चेरियान सी - मुख्य वित्तीय अधिकारी & वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त)प्रभारी (दिसंबर 2022 तक)
5. श्री रमेश पी - मुख्य वित्तीय अधिकारी & उपाध्यक्ष (वित्त) (जनवरी 2023 से)
6. श्री जयकृष्णन.ए.आर - कंपनी सचिव

5. कंपनी नीतियाँ

संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने की नीति

कंपनी संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने पर, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 के सभी संगत प्रावधानों का अनुसरण करती है।

नामांकन और पारिश्रमिक नीति

एचएलएल एक सरकारी कंपनी रहने से निदेशकों को नियुक्त करने और उनके पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भारत सरकार के साथ निहित है। कंपनी निदेशकों की पारिश्रमिक नीतियों के संबंध में डी पी ई मार्गनिर्देशों के अधीन शासित किया जाता है। कंपनी ने इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संगत मार्गनिर्देशों के साथ अनुपालन किया था।

6. बोर्ड चार्टर

कंपनी के न्यासी के रूप में बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास उपलब्धि के लिए स्पष्ट उद्देश्य और नीतियाँ हैं, जो कंपनी के दृष्टिकोण और लक्ष्य के अनुरूप हैं। बोर्ड स्ट्रैटेजिक निर्देश प्रदान करता है, कॉर्पोरेट निष्पादन की समीक्षा करता है, स्ट्रैटेजिक निर्णयों को अधिकृत और अनुवीक्षण करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और पणधारियों की हित की सुरक्षा करता है। निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल द्वारा कंपनी में अभिस्वीकृत बोर्ड चार्टर का पालन करता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल और उसके प्राधिकरणों का प्रत्यायोजन के कर्तव्य, संरचना, उत्तरदायित्व और प्रचालन और उसके प्राधिकार के प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है।

7. व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मंडल सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता और नैतिकता निर्धारित की है। सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने वर्ष 2022 - 23 के दौरान आचरण संहिता के साथ अनुपालन करने की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा नीचे दी गयी है।

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India appoints Chairman & Managing Director and the other Functional Directors after the due process of selection is completed by Public Enterprises Selection Board. The remuneration and terms and conditions of their directorship are decided by Department of Public Enterprises. The Chairman & Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Non-official part-time Independent Directors are also appointed by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India for a period of three years and are paid a sitting fee of Rs.20,000/- for attending each meeting of the Board of Directors and Rs.15000/- for attending the Sub Committees of Board.

4. APPOINTMENT OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to the provisions of Section 203 of Companies Act 2013 read with Companies (Appointment Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, which have come into force from 1st April, 2014 the Board of directors has appointed the following Directors/Executives as the Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company on their existing terms & conditions of appointment, including remuneration:

1. Shri K BejiGeorge IRTS - Chairman & Managing Director
2. Shri T Rajasekar - Director (Marketing)
3. Dr. Geeta Sharma - Director (Finance)
4. Shri Santhosh Cherian C - Chief Financial Officer & Senior Vice President (Finance) i/c (Upto December 2022)
5. Shri Remesh P - Chief Financial Officer & Vice-President(Finance) (w.e.f January 2023)
6. Shri Jaikrishnan A R - Company Secretary

5. COMPANY POLICIES

Policy on dealing with Related Party transactions:

The Company strictly follows all relevant provisions in the Companies Act, 2013 and the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 on dealing with Related Party transactions.

Nomination and Remuneration Policy:

HLL being a Government Company, the power to appoint Directors and to fix their remuneration vests with Government of India. The Company is governed under DPE Guidelines regarding the Remuneration Policies of Directors. The Company had complied with the relevant guidelines prescribed by the Department of Public Enterprises in this regard.

6. BOARD CHARTER

As Trustees of the Company, the Board ensures that the Company has clear goals and policies for achievement which are in alignment with the Vision and Mission of the Company. The Board provides strategic directions, reviews corporate performance, authorizes and monitors strategic decisions, ensures regulatory compliances and safeguards interest of stakeholders. The Board of Directors adhere to the Board Charter adopted by the Board of Directors, which clearly sets out the role, structure, responsibilities and operation of Company's Board of Directors and its delegation of authority.

7. CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors of your Company has laid down a Code of Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct during the year 2022-23. A declaration to this effect signed by the Chairman & Managing Director is provided below.

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की पणधारी को
विषय : आचरण संहिता और नैतिकता का अनुपालन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचरण संहिता के साथ अनुपालन की पुष्टि की है ।

के बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 27 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। नीचे उल्लिखित दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया।

| क्रम सं | बैठक में भाग लिए स्वतंत्र निदेशक (ओं) | पदनाम |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | स्वतंत्र निदेशक |
| 2 | श्रीमती नीता बूचरा | स्वतंत्र निदेशक |

9. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने निदेशक मंडल की बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स (एस एस -1) और सामान्य बैठक पर सेक्रेटेरियल मानकों (एस एस-2) का अनुमोदन दिया। ये मानक 1 जुलाई, 2015 के प्रभाव से लागू हो गये। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने दोनों मानकों का अनुपालन किया है। एस एस -1 और एस एस -2 निदेशक मंडल की बैठक, समितियों की बैठक, सामान्य बैठक और इससे संबंधित अन्य मामलों के आयोजन और संचालन करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

10. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

कंपनी ने 'इंड ए एस' के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण तैयार किये हैं ।

11. मंडल की समितियाँ

मंडल की समितियाँ अपने अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्यायोजित प्राधिकरण के भीतर सूचित निर्णयों को लेने के लिए गठित की गयी है। अच्छे अभिशासन प्रथा के भाग के रूप में, कंपनी की समितियाँ बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के साथ गठित की जाती हैं और सदस्यों की नियुक्ति एवं विचारार्थ विषय का स्थायीकरण/समितियों की भूमिका निदेशक मंडल द्वारा किये जाते हैं। जब कभी आवश्यक हो, समितियाँ विभिन्न मामलों पर मंडल के लिए विशिष्ट सिफारिशें भी देती हैं। समितियों के सभी अवलोकन, सिफारिशें और निर्णय, सूचनार्थ या अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

वर्तमान में कंपनी के साथ नीचे उल्लिखित बोर्ड उपसमितियाँ हैं, यानी:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. सीएसआर & एसडी समिति

To the Stakeholders of HLL Lifecare Limited
 Sub: Compliance with Code of Conduct and Ethics

I hereby declare that all the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct as adopted by the Board of Directors.

K Beji George IRTS
 Chairman and Managing Director

8. INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING

A Separate Meeting of Independent Directors for FY 2022-23 was held on 27th March 2023 as per the provisions of Companies Act, 2013. Both the Independent Directors mentioned below participated in the Meeting.

| Sl. No. | Independent Director(s) participated in the Meeting | Designation |
|---------|---|----------------------|
| 1 | Prof (Dr.) Adarsh Pal Vig | Independent Director |
| 2 | Smt Neeta Boochra | Independent Director |

9. SECRETARIAL STANDARDS

The Central Government has issued the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2). These Standards came into force on 01st July 2015. Adherence by the Company to these Standards is mandatory as per the provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, your Company has complied with both the Standards. The SS 1 and SS 2 prescribes a set of principles for convening and conducting the Meetings of the Board of Directors, meetings of Committees, General Meetings and such other matters related thereto

10. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

The Company has prepared the financial statements for the year 2022-23 in accordance with the IND AS..

11. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board Committees play a crucial role in the governance structure of the Company and have been constituted to focus on specific areas and make informed decisions within the authority delegated. As a part of good governance practice, the Committees of the Company are constituted with the formal approval of the Board and appointment of members and fixing of terms of reference/role of the Committees done by the Board of Directors. The Committees also make specific recommendations to the Board on various matters whenever required. All observations, recommendations and decisions of the Committees are placed before the Board for information or for approval.

Currently the Company has the below mentioned Board subcommittees namely

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. CSR & SD Committee

11.1. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में एक है बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अखण्डता के विश्वास को बढ़ाने का लक्ष्य करती है और यह लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

11.1.1 31.3.2023 तक की संरचना

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- क) श्री टी राजशेखर, निदेशक (विपणन)
- ख) प्रो.(डॉ.)आदर्श पाल विज, स्वतंत्र निदेशक
- ग) श्रीमती नीता बूचरा, स्वतंत्र निदेशक
- घ) डॉ. अनिता तंपी, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)

11.1.2. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित मामलों की समीक्षा करती है:

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में शामिल हैं :

- I. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के शर्तों के लिए सिफारिश;
- II. लेखापरीक्षकों के स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण;
- III. वित्तीय विवरण की परीक्षा और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;
- IV. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या कोई भी आगामी संशोधन;
- V. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेशों की संवीक्षा ।
- VII. जहाँ कहीं आवश्यक है, कारबार या कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- VIII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन और
- VIII. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के जरिए जुड़ाई गई निधियों के उद्दिष्ट उपयोग की निगरानी करना;
- IX. कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वास योग्य सुनिश्चित करने की ओर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और इसके वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण करना;
- X. लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन के लिए मंडल को सिफारिश करना;
- XI. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- XII. वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले निम्न विशेष संदर्भ के साथ प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
 - (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के शर्तों में मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामले।
 - (ख) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में यदि कोई बदलाव है और उसके कारण ;
 - (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय लिए जाने के आधार पर प्राकलन सहित मुख्य लेखा प्रविष्टियाँ;
 - (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में बनाए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;
 - (च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और
 - (छ) प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिबंध;
- i. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना;
- ii. प्रबंध के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- iii. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रधान कर रहे अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, विस्तार और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित कोई आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की पर्याप्तता है तो समीक्षा करना ;

11.1 Audit Committee

Audit Committee at the Board level is one of the main pillars of Corporate Governance mechanism of the Company. Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of Company's financial reporting, Internal control processes and act as a link between the Auditors and Board of Directors

11.1.1 Composition as on 31.03.2023

The Audit committee comprises the following members.

- a. Shri T.Rajasekar, Director (Marketing)
- b. Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig, Independent Director
- c. Smt. Neeta Boochra, Independent Director
- d. Dr Anitha Thampi, Director (Technical and Operations)

11.1.2 Audit Committee reviews the following matters:

The terms of reference of the Audit Committee includes:

- I. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
- II. Review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- III. Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
- IV. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;
- V. Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- VI. Valuation of undertakings or assets of the Company, where it is necessary;
- VII. Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- VIII. and Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
- IX. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- X. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
- XI. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
- XII. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - (a) Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of Section 134 of the Companies Act 2013;
 - (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - (e) Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - (f) Disclosure of any related party transactions;and
 - (g) Qualifications in the draft audit report.
- i. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- ii. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
- iii. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

- iv. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और/या उसपर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- v. आंतरिक लेखापरीक्षकों/अभिकरणों द्वारा कोई आंतरिक जाँच निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ मामले की संदेहित धोखेबाज़ी, अनियमिता या प्रत्यक्ष प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है, मामले बोर्ड को रिपोर्ट करना;
- vi. लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के बारे में चर्चा करने के अतिरिक्त कोई उद्दिग्नता के क्षेत्र के पता लगाने के लिए उत्तर लेखापरीक्षा की चर्चा;
- vii. जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के लिए कारणों की जाँच करना;
- viii. विसिल ब्लोवर मेकानिसम के कार्य की समीक्षा करना;
- ix. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;
- x. संसद के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा करना;
- xi. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच में एक खुला अवसर प्रदान करना
- xii. कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित किया जाय जो संबंधित पार्टी लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा;
- xiii. स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ कवरेज की पूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को आश्वस्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वयन की समीक्षा करना;
- xiv. स्वतंत्र लेखापरीक्षा और प्रबंधन के साथ निम्नलिखितों को विचार करना और समीक्षा करना :
- xv. कंप्यूटीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
- xvi. प्रबंध प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशों।
- xvii. प्रबंधन आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना
- xviii. पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित चालू वर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
- xix. कार्यकलापों के कार्य-क्षेत्र या अपेक्षित जानकारी के लिए पहुँच पर कोई भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामना करने पड़ी कठिनाइयाँ
- xx. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ के शर्तों में उल्लिखित किए जैसे कोई अन्य कार्य कार्यान्वित करना।

11.1.4 बैठकें और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की छह बैठकें क्रमशः & 21 मई 2022, 11 जुलाई 2022, 26 जुलाई 2022, 01 अगस्त 2022, 27 सितंबर 2022, 07 दिसंबर 2022 और 14 मार्च 2023 को आयोजित की गईं।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है।

| समिति के सदस्यों का नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|-------------------------|---|--------------------------|
| डॉ.पी विजयचंद्र रेड्डी | 6 | 6 |
| श्री टी राजशेखर | 7 | 7 |
| प्रो.(डॉ.)आदर्श पाल विज | 7 | 7 |
| श्रीमती नीता बूचरा | 7 | 7 |

11.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्दिष्ट मामलों को शामिल करके समिति के कार्यक्षेत्र और संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया गया।

- iv. Discussion with internal auditors and/or auditors on significant findings and follow up thereon.
- v. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- vi. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
- vii. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
- viii. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
- ix. To review the follow up action on the audit observations of the C&A G audit.
- x. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
- xi. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.
- xii. Review all related party transactions in the Company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.
- xiii. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
- xiv. Consider and review the following with the independent audit or and the management:
- xv. The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
- xvi. Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
- xvii. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
- xviii. Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
- xix. Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.
- xx. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

11.1.4 Meetings and Attendance

During the year under review, seven meetings of the Audit Committee were held on 21st May 2022, 11th July 2022, 26th July 2022, 01st August 2022, 27th September 2022, 07th December 2022 and 14th March 2023 respectively.

The attendance of the members at the meeting is as follows

| Name of the Committee Member | No. of meetings held during the tenure | No. of meetings attended |
|------------------------------|--|--------------------------|
| Dr P Vijayachander Reddy | 6 | 6 |
| Shri T Rajasekar | 7 | 7 |
| Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig | 7 | 7 |
| Smt. Neeta Boochra | 7 | 7 |

11.2 Nomination and Remuneration Committee

The scope and terms of reference of the Committee was enlarged by including the matters specified in Section 178 of the Companies Act, 2013.

11.2.1.संरचना 31.03.2023 को

- क) डॉ गीता शर्मा, निदेशक (वित्त)
ख) प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज, स्वतंत्र निदेशक
ग) श्रीमती नीता बूचरा, स्वतंत्र निदेशक

11.2.2 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 30 अगस्त 2022 & 21 अक्तूबर 2022 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें हुई थीं।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

| समिति के सदस्यों का नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|--------------------------|---|--------------------------|
| डॉ. पी. विजयचंद्र रेड्डी | 2 | 2 |
| डॉ.गीता शर्मा | 2 | 2 |
| प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | 2 | 2 |
| श्रीमती नीता बूचरा | 2 | 2 |

11.3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी & सतत विकास समिति

11.3.1.संरचना (31.03.2023 को)

- प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- डॉ गीता शर्मा, निदेशक (वित्त)-सदस्य
- श्री टी राजशेखर, निदेशक (विपणन)
- श्रीमती नीता बूचरा, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
- डॉ अनिता तंपी, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)-सदस्य

11.3.2 विचारार्थ विषय

सी एस आर के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। सी एस आर & एस डी समिति के कार्यक्षेत्र/विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।

- क) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी सिफारिश करना जो कंपनी द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों को इंगित करेगा।
- ख) उपरोक्त कार्यकलापों पर खर्च किए जानेवाली राशि की सिफारिश करना।
- ग) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का अनुवीक्षण करना।

11.3.3 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 26 जुलाई 2022, 27 सितंबर 2022 और 14 मार्च 2023 को सीएसआर समिति की तीन बैठकें हुई थीं।

11.2.1 Composition as on 31.03.2023

- a. Dr. Geeta Sharma, Director (Finance)
- b. Prof.(Dr.)Adarsh Pal Vig, Independent Director
- c. Smt Neeta Boochra, Independent Director

11.2.2 Meetings and Attendance

During the year under review, two Nomination & Remuneration Committee meetings were held on 30th August 2022 & 21st October 2022.

The attendance of the members at the meeting is as follows:

| Name of the Committee Member | No. of meetings held during the tenure | No. of meetings attended |
|------------------------------|--|--------------------------|
| Dr P Vijayachander Reddy | 2 | 2 |
| Dr Geeta Sharma | 2 | 2 |
| Prof.(Dr.)Adarsh Pal Vig | 2 | 2 |
| Smt Neeta Boochra | 2 | 2 |

11.3 Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee

11.3.1 Composition (As on 31.03.2023)

- Prof (Dr.) Adarsh Pal Vig, Independent Director –Chairman
- Dr. Geeta Sharma [Director (Finance)] – Member
- Shri T Rajasekar, Director (Marketing)
- Smt Neeta Boochra, Independent Director-Member.
- Dr. Anitha Thampi, Director(Technical & Operations)—Member

11.3.2 Terms of reference

The terms of reference of the CSR Committee are as per the provisions of the Companies Act, 2013. The following are the scope/terms of reference of the CSR & SD Committee:

- a. Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Company.
- b. Recommend the amount of expenditure to be incurred on the above activities
- c. Monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Company from time to time.

11.3.3 Meetings and Attendance

During the year under review, three CSR committee meetings were held on 26th July 2022, 27th September 2022 & 14th March 2023.

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

| समिति के सदस्यों का नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|--------------------------|---|--------------------------|
| डॉ. पी. विजयचंद्र रेड्डी | 2 | 2 |
| श्री टी.राजशेखर | 3 | 3 |
| डॉ.गीता शर्मा | 3 | 3 |
| प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | 3 | 3 |
| श्रीमती नीता बूचरा | 3 | 3 |
| डॉ अनिता तंपी | लागू नहीं | लागू नहीं |

12. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

मंडल को कंपनी के भीतर किसी भी सूचना के लिए संपूर्ण पहुँच है। मंडल को नियमित रूप से प्रदान की गई सूचना में शामिल हैं:

- क) वार्षिक प्रचालन योजनाएं एवं बजट और कोई भी अद्यतन
- ख) वार्षिक खाता, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- ग) कंपनी की तिमाही परिणाम।
- घ) समनुषंगी कंपनी और संयुक्त - उद्यम कंपनी के कार्यवृत्त सहित मंडल के अन्य समितियों और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।
- ङ) प्रमुख निवेश, और संयुक्त उद्यम, स्ट्रेटेजिक गठबंधनों आदि का गठन।
- च) बड़े संविदा प्रदान करना।
- छ) निदेशकशिप के बारे में निदेशकों की हित का प्रकटीकरण और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिग्रहित समिति पद।
- ज) विभिन्न चालू परियोजनाएँ/योजनाएं और बजट उपयोगिता की स्थिति पर रिपोर्ट
- झ) वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संपर्क कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण विकास।
- ञ) लाभांश का गैर भुगतान, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि जैसे कोई भी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और अंशधारियों की सेवा का गैर-अनुपालन।
- ट) अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना।

13 बैठकोत्तर अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी के अभिशासन प्रक्रिया में मंडल और मंडल समिति (ओं) के निर्णयों पर ली गई/लंबित कार्रवाई के लिए प्रभावी बैठकोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल हैं।

14. शेयरधारण स्वरूप

एचएलएल भारत या विदेश के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण साम्या प्रदत्त शेयर पूँजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नॉमिनियों द्वारा अधिकार में रखी है।

The attendance of the members at the meeting is as follows:

| Name of the Committee Member | No. of meetings held during the tenure | No. of meetings attended |
|------------------------------|--|--------------------------|
| Dr P Vijayachander Reddy | 2 | 2 |
| Shri T Rajasekar | 3 | 3 |
| Dr Geeta Sharma | 3 | 3 |
| Prof (Dr) Adarsh Pal Vig | 3 | 3 |
| Smt Neeta Boochra | 3 | 3 |
| Dr Anitha Thampi | N.A | N.A |

12. INFORMATION TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Board has complete access to any information within the Company. The information inter alia, regularly supplied to the Board includes:

- a. Annual operating plans and budgets and any updates
- b. Annual Accounts, Directors' Report, etc.
- c. Quarterly results of the Company.
- d. Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board including minutes of Subsidiary Company and Joint-venture Company.
- e. Major Investments, formation of Subsidiaries and Joint Ventures, Strategic Alliances, etc.
- f. Award of large Contracts.
- g. Disclosure of Interest by Directors about directorship and committee positions occupied by them in other Companies.
- h. Report on the status of various on going projects / scheme and Budget Utilization.
- i. Any significant development in Human Resources/Industrial Relations front like signing of wage agreement, etc.
- j. Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders' service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- k. Other materially important information.

13. POST MEETING FOLLOW-UP SYSTEM:

The Governance process in the Company include an effective post-meeting follow-up, review and reporting process for action taken/pending on decisions of the Board and the Board Committee(s).

14. SHAREHOLDING PATTERN

HLL is not listed at any Stock Exchange in India or abroad. The entire paid up equity share capital of the Company is held by the President of India and his nominees

15. सामान्य निकाय बैठकें

कंपनी के पिछले तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

| एजीएम | वित्तीय वर्ष | तारीख | समय | स्थान | क्या विशेष संकल्प (') पारित किया गया या नहीं |
|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| 54वीं | 2019-2020 | 30दिसंबर, 2020 | पूर्वाह्न 10.30 बजे | वी सी/ओ ए वी एम | जी हाँ |
| 54वीं स्थगित ए जी एम | 2019-2020 | 31 मार्च, 2021 | अपराह्न 03.00 बजे | वी सी/ओ ए वी एम | जी नहीं |
| 55वीं ए जी एम | 2020-2021 | 30 नवंबर, 2021 | पूर्वाह्न 10.30 बजे | वी सी/ओ ए वी एम | जी हाँ |
| 56वीं ए जी एम | 2021-2022 | 03दिसंबर ,2022 | अपराह्न 02.00 बजे | वी सी/ओ ए वी एम | जी हाँ |

16. प्रकटीकरण:

- वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच लेन-देन का विवरण, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे की टिप्पणी सं 2.38 के रूप में दिया गया है। इन लेन-देनों को कंपनी के हितों के साथ कोई अधिक संभावित संघर्ष नहीं है। संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन सामान्य व्यापार और व्यतिरेक लेन-देन आमने सामने की कीमत पर थे। कंपनी द्वारा किसी भी गैर अनुपालन और किसी भी सांविधिक भुगतान अपेक्षाओं पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर आरोपित जुर्माना, निंदा करने का कोई मामला नहीं था।
- राजभाषा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देश।
- वर्ष के दौरान और कंपनी में पिछले तीन वर्षों में भी राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन किया गया है।
- वित्तीय विवरण की तैयारी करते समय कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा अधिसूचित सभी सुसंगत लेखा मानकों का पालन किया है।
- व्यय के कोई भी मद खाता बही में डेबिट नहीं की गयी थी, जो व्यवसाय उद्देश्यों के लिए नहीं है।
- कंपनी ने पर्याप्त रूप से अपनी सभी परिसंपत्तियों और सभी व्यापार जोखिम का पर्याप्त रूप से बीमा किया है और कंपनी के व्यापार इस के लिए विधिवत् बीमा प्रीमियम भुगतान किया है।
- कंपनी के विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के रुपया मूल्य को और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है।
- कंपनी विसल ब्लोवर नीति अपनायी है और यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्टिंग के संबंध में लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

17. सामान्य सूचनाएँ

निदेशकों का प्रशिक्षण :

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश मई 2010 को अपनाया है। डी पी ई दिशानिर्देशों के आधार पर, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति अपनायी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के निदेशकों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

15. GENERAL BODY MEETINGS:

The Date, Time and Venue of the last three Annual General Meetings of the Company is as follows

| AGM | Financial Year | Date | Time | Venue | Whether Special Resolution(s) Passed or Not |
|--------------------|----------------|--------------------|------------|---------|---|
| 54th | 2019-2020 | 30th Dec. 2020 | 10.30 a.m. | VC/OAVM | Yes |
| 54th Adjourned AGM | 2019-2020 | 31st Mar. 2021 | 03.00 p.m. | VC/OAVM | No |
| 55th AGM | 2020-2021 | 30th Nov. 2021 | 10.30 a.m. | VC/OAVM | Yes |
| 56th AGM | 2021-2022 | 03rd December 2022 | 02.00 p.m. | VC/OAVM | Yes |

16. DISCLOSURES:

- Details of transactions between the Company and its subsidiaries, associates, key managerial personnel during the year 2022-23 are given as Note No. 2.38 to the Annual Accounts for the year ended 31 March, 2023. These transactions do not have any potential conflict with the interests of the Company at large. All transactions with the related parties were in the ordinary course of business and at arm's length price. There were no cases of non-compliance by the Company and penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any statutory payment requirements.
- Presidential directives issued by the Central government in respect of Official Language
- Implementation have been complied with during the year and also in the last three years in the Company.
- The Company has followed all relevant Accounting Standards notified by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 while preparing the Financial Statements.
- There were no items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.
- The Company has adequately insured all its assets and also the various business risks connected with the business of the Company and that it has duly paid insurance premium.
- The Company has adopted Foreign Exchange & Risk Management Policy to protect Rupee value of Foreign currency cash flows of the Company from adverse impact of fluctuations in exchange rates and interest rates.
- The Company has adopted Whistle Blower policy and it is affirmed that no person has been denied access to the Audit Committee in respect of reporting of suspected violations.

17. GENERAL INFORMATION

Training of Directors:

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance May 2010 issued by Department of Public Enterprise. Based on the DPE guidelines the company has adopted Training policy for Board members. During FY 2022-23, the following Training Programs were attended by Directors of HLL Lifecare Limited.

| तिरुवनंतपुरम में एडवोकेट रहेजा, पुणे द्वारा नेतृत्व उत्कृष्टता कार्यक्रम | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| क्रम सं. | नाम | पदनाम | प्रशिक्षण की तिथि | विषय | संकाय | स्थान |
| 1 | श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 04.04.2022 | नेतृत्व उत्कृष्टता कार्यक्रम | श्री आदि रहेजा, पुणे | हिल्टन गार्डन इन |
| 2 | श्री सुब्रमण्यन ई ए | निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) | | | | |
| 3 | श्री टी राजशेखर | निदेशक (विपणन) | | | | |

सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 & 16 जुलाई 2022 को सीपीएसई के गैर शासकीय (स्वतंत्र) निदेशकों को दो दिवसीय अभिमुखीकरण & शिक्षण शिखर

| क्रम सं. | नाम | पदनाम | प्रशिक्षण की तिथि | स्थान |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | डॉ.पी विजयचंदर रेड्डी | स्वतंत्र निदेशक | 15 & 16 जुलाई 2022 | दि ग्रैंड वसंत कुंज - दिल्ली |
| 2 | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज | स्वतंत्र निदेशक | | |
| 3 | श्रीमती नीता बूचरा | स्वतंत्र निदेशक | | |

संचार का साधन

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के समयोचित प्रकटीकरण अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन अभ्यास का मूल है। इसकी ओर आपकी कंपनी ने निम्नलिखित पहल ले लिया है।

| | |
|------------------|---|
| वेबसाइट | कंपनी के कॉर्पोरेट वेबसाइट www.lifecarehll.com उत्पादों, व्यवसाय खंडों, आगामी परियोजनाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कंपनी अपनी लेखों के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों का विवरण कार्यालयीन वेबसाइट में भी प्रकाशित करती है। |
| समाचार विज्ञप्ति | कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन कंपनी के मासिक फोटो न्यूज़ लेटर, मासिक बुलेटिन और त्रैमासिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं और कार्यालय के वेबसाइट www.lifecarehll.com पर प्रदर्शित किये जाते हैं। |
| मीडिया विज्ञप्ति | कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन प्रेस विज्ञप्तियों के ज़रिए बाहरी दर्शकों को घोषित किया जाता है। माँग के अनुसार, मीडिया को जानकारी देने के लिए कॉर्पोरेट संचार कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। |
| मल्टिमीडिया रचना | कॉर्पोरेट संचार एचएलएल के विविध प्रभागों/विभागों के लिए पूर्णतया इन-हाउस तरीके से ब्रोशर, पत्रक, बैनर, बोर्ड सहित विभिन्न रचनात्मक सामग्रियों और कई अन्य सामग्रियों को बनाता है। सी सी कंपनी के घटनाओं के फोटो और वीडियो कवरेज भी करता है। |
| सामाजिक मीडिया | कंपनी के नये लॉच, परिवर्तन और घटनायें फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/lifecarehll में प्रकाशित किये जाते हैं। कंपनी के वीडियो वेबसाइट में वेबिनार के ज़रिए और यूट्यूब चैनल- www.youtube.com/channel/HLL के माध्यम से भी प्रदर्शित किये जाते हैं। |
| वार्षिक रिपोर्ट | कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों आदि जैसे अन्य सभी हकदारों को परिचालित की जाती है। |

Leadership Excellence Programme by Advocate Raheja, Pune at Thiruvananthapuram

| Sl. No | Name | Designa-tion | Date of Training | Subject | Faculty | Venue |
|--------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Shri K Beji George IRTS | CMD | 04.04.2022 | Leadership Excellence Programme | Mr. Adi Raheja, Pune | Hilton Garden Inn |
| 2 | Shri Subramanian E A | D(T&O) | | | | |
| 3 | Shri Rajasekar T | D(M) | | | | |

Two Day Orientation & Learning Summit of Non-official (Independent) Directors of CPSEs on 15th and 16th July 2022 by Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India

| Sl. No | Name | Designation | Date of Training | Venue |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Dr P Vijaychander Reddy | Independent Director | 15th and 16th July 2022 | The Grand, Vasant Kunj – Delhi |
| 2 | Prof (Dr) Adarsh Pal Vig | Independent Director | | |
| 3 | Smt Neeta Boochra | Independent Director | | |

Means of Communication:

Timely disclosure of relevant and reliable information is at the core of good Corporate Governance practice. Toward this end your Company has taken following initiatives.

| | |
|-----------------------|--|
| Website | The Company's Corporate Website www.lifecarehll.com provides comprehensive information about the products, business segments, upcoming projects etc. The Company also publishes its annual audited statement of accounts in its official website. |
| News Releases | All updates on company's developments and changes are published through Company's Monthly photo newsletter, monthly bulletin and quarterly magazine and are also displayed on the company's website www.lifecarehll.com |
| Media Releases | All updates on company's developments and changes are announced to the external audiences through Press Releases. As the matter demands, CC occasionally conducts Press Conferences to brief the media directly. |
| Multimedia Production | CC produces various creative materials including brochures, leaflets, banners, boards and several other materials totally in-house for HLL's various divisions/departments. CC also conducts photo and video coverage of company's events. |
| Social Media | Company's new launches, changes and events are published in the Facebook Page- https://www.facebook.com/lifecarehll . The company videos are displayed through webinar in the website and also through the YouTube channel – www.youtube.com/channelHLL |
| Annual Report | The Annual Report of the Company is circulated to the shareholders, Ministry of Health & Family Welfare, Comptroller and Auditor General of India and all others entitled thereto like Statutory Auditors etc. |

संयंत्र स्थान

| विनिर्माण | संयंत्र का नाम एवं स्थान | पता |
|---|---|--|
| गर्भनिरोधक | पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी), केरल | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,पेरूरकडा फैक्टरी, पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम - 695005 |
| अस्पताल उत्पादें | आक्कुलम फैक्टरी तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी), केरल | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड आक्कुलम फैक्टरी, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम - 695017 |
| गर्भनिरोधक | काक्कनाड फैक्टरी कोच्चि, (के एफ सी), केरल | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कोचिन स्पेशल इकॉनॉमिक ज़ोन डिविज़न, प्लॉट नं. 16ए/1, काक्कनाड, कोचिन - 682037 |
| गर्भनिरोधक,फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादें | कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी), कर्नाटका | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कनगला फैक्टरी, बेलगाम, कर्नाटका - 591225 |
| अस्पताल उत्पादें | मनेसर फैक्टरी, गुडगाव, (एम एफ जी), हरियाणा | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड मनेसर यूनिट, प्लॉट नं:71 सेक्टर-7, गुडगाव, हरियाणा - 122050 |
| फार्मा उत्पादें | सानवर रोड फैक्टरी इंदौर, मध्य प्रदेश (पी एफ आई) | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, सेक्टर - ई, सानवर रोड औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर - मध्यप्रदेश |
| गर्भनिरोधक | ऐरापुरम फैक्टरी, कोचिन, (आई एफ सी), केरल | एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, रि-सर्वे नं.156/3, ब्लॉक नं. 29, रबडु पार्क, वलयनचिरंगरा, ऐरापुरम, कोचिन - 683 556 |
| आयुर्वेद और यूनानी उत्पादें | हरिद्वार फैक्टरी, उत्तराखंड | घर्सा सं. 37, ग्राम मखनपुर, भगवानपुर तहसील, हरिद्वार जिला, उत्तराखंड - 247 661 |

Plant Locations

| Manufacturing | Plant Name & Location | Address |
|---|--|---|
| Contraceptives | Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram (PFT), Kerala | HLL Lifecare Ltd, Peroorkada Factory, Peroorkada Thiruvananthapuram - 695005 |
| Hospital Products | Akkulam Factory, Thiruvananthapuram (AFT), Kerala | HLL Lifecare Ltd, Akkulam Factory, Akkulam, Thiruvananthapuram - 695017 |
| Contraceptives | Kakkanad Factory Kochi, (KFC),Kerala | HLL Lifecare Ltd, Cochin Special Economic Zone, Division, Plot No:16A/1, Kakkanadu, Cochin - 682037 |
| Contraceptives Pharma and personal hygiene Products | Kanagala Factory, Belgaum, (KFB) Karnataka | HLL Lifecare Ltd Kanagala Factory, Belgaum, Karnataka - 591225 |
| Hospital Products | Manesar Factory, Gurgaon, (MFG),Haryana | HLL Lifecare Ltd, Manesar Unit, Plot No: 71 Sector 7, Gurgaon, Haryana -122050 |
| Pharma Products | Sanver Road Factory, Indore, Madhya Pradesh (PFI) | HLL Lifecare Ltd, Sector-E, Sanver Road Industrial Area, Indore - Madhya Pradesh |
| Contraceptives | Irapuram Factory, Cochin, (IFC), Kerala | HLL LifecareLtd, Re-Sy.No156/3, Block No.29 Rubber Park, Valayanchirangara Irapuram, Cochin-683 556 |
| Ayurveda & Unani products | Haridwar Factory, Uttarakhand | Kharsa No. 37, Gram Makhanpur, Bhagwanpur Tehsil, Haridwar District, Uttarakhand – 247 661 |

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग विश्लेषण

स्वास्थ्यरक्षा उद्योग - आउटलुक

स्वास्थ्य रक्षा राजस्व और रोजगार दोनों की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। ई-हेल्थ बाज़ार का आकार 2025 तक 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में, स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% था, जबकि 2020-21 में 1.8% और 2019-20 में 1.3% था। सरकार 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को देश की जी डी पी का 2.5% तक बढ़ाने की योजना बना रही है।

भारतीय चिकित्सा पर्यटन बाज़ार का मूल्य 2020 में 2.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2026 तक 13.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। इंडिया टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस 2020 रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 में करीब 697,300 विदेशी पर्यटक भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आए। मेडिकल टूरिज़्म एसोसिएशन द्वारा मेडिकल टूरिज़्म इंडेक्स (एम टी आई) 2020-21 के लिए भारत 46 गंतव्यों में से 10 वें स्थान पर है। ई-स्वास्थ्य बाज़ार का आकार 2025 तक 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

गर्भनिरोधक :

वैश्विक गर्भनिरोधक बाज़ार 6.9% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) पर 2022 में 24.13 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 25.79 बिलियन डॉलर हो गया। रूस-यूक्रेन युद्ध ने कम से कम अल्पावधि में, कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न किया है। इन दोनों देशों के बीच के युद्ध के कारण कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि हुई है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं में महंगाई बढ़ गई है और दुनिया भर के कई बाज़ारों पर प्रभाव पड़ा है। गर्भनिरोधक बाज़ार 6.6% की सीएजी आर पर 2027 में 33.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है।

फार्मास्यूटिकल्स :

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत दुनिया भर में फार्मा उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर और मूल्य के हिसाब से 14 वें स्थान पर है। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत शेयर रखता है और 60 प्रतिशत बाज़ार शेयर के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता भी है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा की मांग में गिरावट के बावजूद सकारात्मक वृद्धि कायम रखते हुए फार्मा निर्यात का प्रदर्शन मज़बूत रहा है। फार्मा क्षेत्र में संचयी एफडीआई सितंबर, 2022 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित फंड आबंटन को 100 करोड़ रुपए से 12 गुना अधिक बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपए करके फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा दिया है।

अस्पताल उत्पादें - ब्लड बैग्स :

डिस्पोजेबल ब्लड बैग बाज़ार की बिक्री आकार 2020 में \$221.1 मिलियन था और 2030 तक \$357.2 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2022 से 2030 तक 4.9% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में रक्तदान शिविरों की बढ़ती संख्या और प्लाज़्मा संग्रह में वृद्धि से डिस्पोजेबल रक्त बैग के उपयोग में वृद्धि हो रही है। कैंसर सर्जरी की बढ़ती संख्या भविष्य में डिस्पोजेबल ब्लड बैग के उपयोग को बढ़ाएगी। कोविड - 19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बढ़ने से, ब्लड बैग की मांग बढ़ गई है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले कई व्यक्ति कोविड - 19 से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और कई लोगों को रक्त आधान की आवश्यकता भी होती है। इसके फलस्वरूप, महामारी के बाद ब्लड बैग और उपकरणों की मांग बढ़ गई है। कई सरकार भी रक्तदान बढ़ाने को मदद करने के लिए पहल ले रही है। इसके परिणामस्वरूप, ब्लड बैग की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

नैदानिक सेवाएँ :

निदान किसी भी बीमारी का पता लगाने, निदान करने और आकलन करने का मुख्य आधार है। भारत के नैदानिक उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है। महामारी ने कंपनियों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने और परीक्षण, तेज परिणाम और सटीक निदान

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

INDUSTRY ANALYSIS

Healthcare Industry-Outlook

Healthcare has become one of India's largest sectors, both in terms of revenue and employment. The e-health market size is estimated to reach US\$ 10.6 billion by 2025. In the Economic Survey of 2022, India's public expenditure on healthcare stood at 2.1% of GDP in 2021-22 against 1.8% in 2020-21 and 1.3% in 2019-20. The Government is planning to increase public health spending to 2.5% of the country's GDP by 2025.

The Indian medical tourism market was valued at US\$ 2.89 billion in 2020 and is expected to reach US\$ 13.42 billion by 2026. According to India Tourism Statistics at a Glance 2020 report, close to 697,300 foreign tourists came for medical treatment in India in FY19. India has been ranked 10th in the Medical Tourism Index (MTI) for 2020-21 out of 46 destinations by the Medical Tourism Association. The e-health market size is estimated to reach US\$ 10.6 billion by 2025.

Contraceptives:

The global contraceptives market grew from \$24.13 billion in 2022 to \$25.79 billion in 2023 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9%. The Russia-Ukraine war disrupted the chances of global economic recovery from the COVID-19 pandemic, at least in the short term. The war between these two countries has led to economic sanctions on multiple countries, a surge in commodity prices, and supply chain disruptions, causing inflation across goods and services and affecting many markets across the globe. The contraceptives market is expected to grow to \$33.31 billion in 2027 at a CAGR of 6.6%.

Pharmaceuticals:

The Indian Pharmaceuticals industry plays a prominent role in the global pharmaceuticals industry. India is ranked 3rd worldwide in the production of pharma products by volume and 14th by value. The sector is the largest provider of generic medicines globally, occupying a 20 per cent share in global supply by volume, and is also the leading vaccine manufacturer globally with a market share of 60 per cent. The performance of pharma exports has been robust, sustaining positive growth despite the global trade disruptions and drop in demand for Covid-19-related treatments. The cumulative FDI in the pharma sector crossed the US\$ 20 billion mark by September 2022. Furthermore, the Union Budget 2023-24 has given a boost to the pharmaceutical industry by increasing the fund allocation by more than 12 times from Rs 100 crore to Rs 1,250 crore including drugs and medical devices.

Hospital Products- Blood Bags:

The disposable blood bag market size was valued at \$221.1 million in 2020, and is estimated to reach \$357.2 million by 2030, growing at a CAGR of 4.9% from 2022 to 2030. Increase in number of blood donation camps across the world, and rise in plasma collection lead to surge in use of disposable blood bag. The growing number of cancer surgeries can lead to rise in use of disposable blood bags in the future. With the rise of the COVID-19 public health emergency, the demand for blood bags has increased. Many individuals with weak immune systems have been infected by COVID-19 and hospitalized, and many require a blood transfusion. As a result, the demand for blood bags and equipment has risen, following the pandemic. Many governments are also taking initiatives to help increase blood donation. As a result, the demand for blood bags is expected to increase.

Diagnostic Services:

Diagnostics are the mainstay of the detection, diagnosis and assessment of any disease. The India diagnostic industry has shown unprecedented growth in the last few years. The pandemic forced companies to come out of their comfort

की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया। प्रौद्योगिकी को अपनाने से बढ़ते मध्य वर्ग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बेहतर जागरूकता और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में वृद्धि के अलावा नैदानिक कंपनियों का भविष्य भी उज्ज्वल हो गया है।

दीर्घकालिक, जीवन शैली और संक्रामक रोगों के बढ़ने से भी नैदानिक उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य रक्षा जांच के लिए विभिन्न अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों के साथ कॉर्पोरेट्स और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग ने बाज़ार को और ऊपर उठाया है। कम कीमत पर बेहतर नैदानिक सेवाएँ उपलब्ध होने के साथ, भारत तेज़ी से एक चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ दुनिया भर में लागत प्रभावी, परेशानी मुक्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा विकल्पों के लिए मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब अध्ययन इसे 11-12 प्रतिशत की वार्षिक सीएजीआर के साथ एक बढ़ते क्षेत्र के रूप में चिह्नित करते हैं और आगामी दशक में अद्वितीय मूल्य को योगदान करने का अनुमान लगाते हैं।

रीटेल फार्मसी : (आई बी ई एफ)

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और अपने किफायती वैक्सिनों और जेनेरिक दवाओं के लिए जाना जाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग पिछले नौ वर्षों से 9.43% की सीएजीआर पर बढ़ते हुए एक संपन्न उद्योग के रूप में विकसित होने के बाद वर्तमान में मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारतीय फार्मा उद्योग के कुछ प्रमुख खंड हैं - जेनेरिक दवाएँ, ओवर-द-काउंटर दवाएँ, थोक दवाएँ, वैक्सिन, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स। भारत में सबसे अधिक फार्मास्यूटिकल विनिर्माण सुविधाएँ हैं जो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यु एस एफ डी ए) के अनुपालन में हैं और 500 एपीआई उत्पादक हैं जो दुनिया भर के एपीआई बाज़ार का लगभग 8% हिस्सा बनाते हैं।

भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र विभिन्न वैक्सिनों की वैश्विक माँग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक माँग का 40% और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। देशीय दवा उद्योग में 3,000 दवा कंपनियों और 10,500 विनिर्माण यूनिटों का नेटवर्क शामिल है। भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा समूह है जो उद्योग को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। वर्तमान में, एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएन्सी सिंड्रोम) से मुकाबला करने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरिट्रोवायरल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा कंपनियों द्वारा की जाती है। भारत को अपनी दवाओं की कम लागत और उच्च गुणवत्ता के कारण “विश्व की फार्मसी” के रूप में जाना जाता है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी जेनेरिक दवाओं और कम लागत वाले वैक्सिनों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एक जीवंत क्षेत्र के रूप में परिवर्तित, वर्तमान में भारतीय फार्मा मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा है और मूल्य के आधार पर चौदहवें सबसे बड़ा है। फार्मा सेक्टर वर्तमान में देश की जीडीपी में लगभग 1.72% का योगदान देता है।

हाल ही के ईवाईएफआईसीसीआई रिपोर्ट के अनुसार, 2030 के अंत तक भारतीय फार्मास्यूटिकल बाज़ार 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, क्योंकि मरीजों को नए नवाचार थरेपी उपलब्ध कराने पर आम सहमति बढ़ रही है।, इसलिए इस बीच, फार्मास्यूटिकल उत्पादों के वैश्विक बाज़ार का आकार 2023 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

zones and cater to the increasing demand of testing, fast results and accurate diagnosis. The adoption of technology has further brightened the future of diagnostic companies in addition to the growing middle class, better awareness of preventive healthcare and increased expenditure on healthcare.

The rise of chronic, lifestyle and communicable diseases has also positively impacted the diagnostic industry. The collaboration of corporates and multi-national companies with various hospitals and diagnostic centers for the healthcare checkup for their employees has further uplifted the market. With superior diagnostic services available at low prices, India is fast emerging as a medical tourism hub, witnessing a surge in patients across the world for cost-effective, hassle free and quality treatment options.

It therefore comes as no surprise when studies mark it as a growing sector with an annual CAGR of 11-12 per cent and is projected to contribute unparalleled value in the coming decade.

Retail Pharmacy: (ibef)

India is the largest provider of generic drugs globally and is known for its affordable vaccines and generic medications. The Indian Pharmaceutical industry is currently ranked third in pharmaceutical production by volume after evolving over time into a thriving industry growing at a CAGR of 9.43% since the past nine years. Generic drugs, over-the-counter medications, bulk drugs, vaccines, contract research & manufacturing, biosimilars, and biologics are some of the major segments of the Indian pharma industry. India has the most number of pharmaceutical manufacturing facilities that are in compliance with the US Food and Drug Administration (USFDA) and has 500 API producers that make for around 8% of the worldwide API market.

Indian pharmaceutical sector supplies over 50% of global demand for various vaccines, 40% of generic demand in the US and 25% of all medicine in the UK. The domestic pharmaceutical industry includes a network of 3,000 drug companies and ~10,500 manufacturing units. India enjoys an important position in the global pharmaceuticals sector. The country also has a large pool of scientists and engineers with a potential to steer the industry ahead to greater heights. Presently, over 80% of the antiretroviral drugs used globally to combat AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) are supplied by Indian pharmaceutical firms. India is rightfully known as the "pharmacy of the world" due to the low cost and high quality of its medicines.

Indian pharmaceutical industry is known for its generic medicines and low-cost vaccines globally. Transformed over the years as a vibrant sector, presently Indian Pharma ranks third in pharmaceutical production by volume. The Pharmaceutical industry in India is the third largest in the world in terms of volume and 14th largest in terms of value. The Pharma sector currently contributes to around 1.72% of the country's GDP.

According to a recent EY FICCI report, as there has been a growing consensus over providing new innovative therapies to patients, Indian pharmaceutical market is estimated to touch US\$ 130 billion in value by the end of 2030. Meanwhile, the global market size of pharmaceutical products is estimated to cross over the US\$ 1 trillion mark in 2023.

वित्तीय निष्पादन स्नैपशॉट

पिछले 10 वर्षों के लिए कंपनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए जाते हैं : दस वर्षों के निष्पादन परिणाम का झलक (ऑकडे रुपए लाखों में)

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| व्यापारवर्त | 94,168.16 | 1,05,804.96 | 1,04,469.12 | 1,05,434.98 | 1,07,538.27 | 1,44,436.65 | 1,67,764.97 | 5,08,131.02 | 35,66,866.72 | 3,70,800.81 |
| कुल आय | 95,368.83 | 1,06,203.33 | 1,05,197.12 | 1,06,470.71 | 1,08,854.76 | 1,47,168.59 | 1,73,913.91 | 5,13,884.30 | 35,69,816.59 | 3,78,777.77 |
| मूल्यहास, ब्याज और कर (ई बी डी आई टी) के पूर्व अर्जन | 7,837.31 | 9,330.25 | 1,0137.26 | 2,829.47 | 1,608.45 | 1,03,20.83 | 21,249.25 | 22,270 | 62,048.26 | 12,690.62 |
| मूल्यहास | 2,375.87 | 2,983.12 | 3,652.03 | 3,860.54 | 5,134.24 | 5,428.86 | 5,333.77 | 4,760 | 4,456.76 | 4,024.63 |
| ब्याज | 1,840.35 | 2,594.34 | 2,870.64 | 3,028.44 | 2,961.15 | 3,355.90 | 3,457.20 | 2,320 | 2,410.31 | 1,746.66 |
| कर | 1,050.31 | 597.65 | 900.27 | -1,521.31 | 471.40 | -310.77 | 1,409.75 | 3,920 | 14,358.78 | 2,941.97 |
| कर के बाद लाभ/ (हानि) | 2,570.77 | 3,155.14 | 2,714.32 | -2,538.21 | -6,958.34 | 1,846.84 | 11,048.53 | 11,270 | 40,822.40 | 3,977.36 |
| इक्विटी लाभांश % | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.24 | 124% | 788% |
| लाभांश भुगतान | 387.07 | 387.07 | 387.07 | - | - | - | - | 1,490 | 1,928.71 | 12,247.00 |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 19,353.50 | 19,353.50 | 29,041.50 | 29,041.50 | 29,041.50 | 29,041.50 | 29,041.50 | 1,553.50 | 1,553.50 | 1,553.50 |
| आरक्षित और अधिशेष | 20,586.01 | 23,275.31 | 25,950.97 | 22,946.09 | 15,884.34 | 17,070.41 | 28,254.79 | 37,064 | 75,337.96 | 64,329.67 |
| निवल मूल्य | 39,939.51 | 42,628.81 | 54,992.47 | 51,987.59 | 44,925.84 | 46,111.91 | 57,296.29 | 38,617.5 | 76,891.46 | 65,883.17 |
| सकल अचल परिसंपत्तियाँ | 35,771.72 | 42,379.98 | 55,244.09 | 43,590.75 | 49,312.16 | 50,293.66 | 54,795.43 | 55,703 | 59,109.44 | 59,741.61 |
| निवल अचल परिसंपत्तियाँ | 25,663.53 | 30,903.52 | 32,878.41 | 36,339.22 | 36,974.16 | 32,684.5 | 31,904.1 | 32,296 | 26,716.06 | 24,155.30 |
| कुल परिसंपत्तियाँ | 1,83,348.62 | 2,10,189.10 | 2,38,530.28 | 2,49,321.19 | 2,51,297.32 | 2,77,458.63 | 2,80,523.13 | 4,38,587 | 6,68,945.09 | 3,25,895.35 |
| कर्मचारियों की संख्या | 1,831 | 1,837 | 1,868 | 1,728 | 1,659 | 1,569 | 1,440 | 1,410 | 1,379 | 1,288 |

FINANCE PERFORMANCE SNAPSHOT

The summarized financial results of the company for the last 10 years are given below: Ten year's performance results at a glance (Figures ₹ in Lacs)

| Description | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Turnover | 94,168.16 | 1,05,804.96 | 104,469.12 | 105,434.98 | 107,538.27 | 144,436.65 | 167,764.97 | 508,131.02 | 35,66,866.72 | 3,70,800.81 |
| Total Income | 95,368.83 | 1,06,203.33 | 105,197.12 | 106,470.71 | 108,854.76 | 147,168.59 | 173,913.91 | 513,884.3 | 35,69,816.59 | 3,78,777.77 |
| Earnings Before Depreciation, Interest and Tax (EBDIT) | 7,837.31 | 9,330.25 | 10,137.26 | 28,29.47 | 16,08.45 | 10,320.83 | 21,249.25 | 22,270 | 62,048.26 | 12,690.62 |
| Depreciation | 2,375.87 | 2,983.12 | 3,652.03 | 3,860.54 | 5,134.24 | 5,428.86 | 5,333.77 | 4,760 | 4,456.76 | 4,024.63 |
| Interest | 1,840.35 | 2,594.34 | 2,870.64 | 3,028.44 | 2,961.15 | 3,355.9 | 3,457.2 | 2,320 | 2,410.31 | 1,746.66 |
| Tax | 1,050.31 | 597.65 | 900.27 | -1,521.31 | 471.4 | -310.77 | 14,09.75 | 3,920 | 14,358.78 | 2,941.97 |
| Profit/(Loss) After Tax | 2,570.77 | 3,155.14 | 2,714.32 | -2,538.21 | -6,958.34 | 18,468.84 | 110,48.53 | 11,270 | 40,822.40 | 3,977.36 |
| Equity Dividend % | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.24 | 124% | 788% |
| Dividend Payout | 387.07 | 387.07 | 387.07 | - | - | - | - | 1,490 | 1,928.71 | 12,247.00 |
| Equity Share Capital | 19,353.50 | 19,353.50 | 29,041.50 | 29,041.5 | 29,041.5 | 29,041.5 | 29,041.5 | 15,535 | 1,553.50 | 1,553.50 |
| Reserves and Surplus | 20,586.01 | 23,275.31 | 25,950.97 | 22,946.09 | 15,884.34 | 17,070.41 | 28,254.79 | 37,064 | 75,337.96 | 64,329.67 |
| Net Worth | 39,939.51 | 42,628.81 | 54,992.47 | 51,987.59 | 44,925.84 | 46,111.91 | 57,296.29 | 38,617.5 | 76,891.46 | 65,883.17 |
| Gross Fixed Assets | 35,771.72 | 42,379.98 | 55,244.09 | 43,590.75 | 49,312.16 | 50,293.66 | 54,795.43 | 55,703 | 59,109.44 | 59,741.61 |
| Net Fixed Assets | 25,663.53 | 30,903.52 | 32,878.41 | 36,339.22 | 36,974.16 | 32,684.5 | 31,904.1 | 32,296 | 26,716.06 | 24,155.30 |
| Total Assets | 1,83,348.62 | 2,10,189.10 | 2,38,530.28 | 2,49,321.19 | 2,51,297.32 | 2,77,458.63 | 2,80,523.13 | 4,38,587 | 6,68,945.09 | 3,25,895.35 |
| Number of Employees | 1831 | 1837 | 1868 | 1728 | 1659 | 1569 | 1440 | 1410 | 1,379 | 1,288 |

3. प्रत्यक्ष निष्पादन

एचएलएल विश्व भर में गर्भनिरोधक उत्पादों की एक श्रृंखला का अग्रणी निर्माता और विपणनकर्ता है। यह विभिन्न प्रकार के अस्पताल उत्पाद, फार्मा उत्पाद और स्वास्थ्य रक्षा वितरण सेवाएँ भी प्रदान करता है। 2022-23 के दौरान एचएलएल की विनिर्माण गतिविधियों की समीक्षा नीचे दी गई है :

| क्रम सं. | उत्पाद | यूनिट | संस्थापित क्षमता | विनिर्मित मात्रा (चालू वर्ष) (अनंतिम) | उपयोग क्षमता (%) | विनिर्मित मात्रा (पिछले वर्ष) |
|----------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | कंडोम | दशलक्ष अदद | 1,971.00 | 1,183.78 | 60.1% | 1,063.3 |
| 2 | ब्लड बैग | दशलक्ष अदद | 12.50 | 11.19 | 89.5% | 8.2 |
| 3 | स्यूचर | लाख डज़न | 6.00 | 0.91 | 15.2% | 0.8 |
| 4 | कॉपर-टी | दशलक्ष अदद | 17.75 | 8.27 | 46.6% | 4.1 |
| 5 | मौखिक गर्भनिरोधक गोलीयाँ | दशलक्ष साइकिल्स | 460.00 | 16.41 | 3.6% | 27.4 |
| 6 | सैनिटरी नैपकिन | दशलक्ष अदद | 392.00 | 33.51 | 8.5% | 66.1 |
| 7 | नैदानिक टेस्ट किट | दशलक्ष किट्स | 52.00 | 18.00 | 34.6% | 9.2 |

4. वेंडिंग व्यवसाय प्रभाग (वीबीडी)

1. केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर्स की मंजूरी

वीबीडी ने केएसपीसीबी के मानदंडों का अनुपालन करते हुए डबल चेंबर के साथ सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर पेश किया था। मशीन को केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और चलचित्र अकादमी, केरल से पहला कार्य आदेश प्राप्त हुआ।

2. केरल में आयोजित एम एच एम कार्यक्रम में औषधि जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत

कोविड 19 महामारी के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के मद्देनज़र, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम ऑफ़लाइन मोड में जारी रखे जा रहे हैं। एमएचएम कार्यक्रम में औषधि जागरूकता मॉड्यूल और मानसिक स्वास्थ्य मॉड्यूल जोड़े गए। वित्त वर्ष 22-23 में लगभग 93 स्कूलों में कार्यक्रम लागू किए गए थे।

3. केरल राज्य महिला विकास निगम (के एस डब्लियु डी सी) के साथ षीपैड के अनुबंध के ठेके को 2 और वर्षों के लिए विस्तार।

एचएलएल ने सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर और जागरूकता कार्यक्रमों की आपूर्ति की ओर षीपैड कार्यक्रम को और 2 वर्षों के लिए के लिए केएसडब्लियुडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 22-23 में, केएसडब्लियुडीसी बोर्ड ने मासिक धर्म कप के लिए एचएलएल के साथ सहयोग को मंजूरी दी।

4. नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली से पूनः आदेश

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली से 46.76 लाख रुपए मूल्य के हैप्पी डेज़-3 के 4.92 लाख पैक का आदेश प्राप्त हुआ था। सिंगरौली और सोनभद्र के 24 स्कूलों में नैपकिन की आपूर्ति की जा रही है।

5. दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड से नया आदेश

एचएलएल को सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और इंसीनरेटर्स के 96 सेटों की आपूर्ति के लिए दिल्ली पर्यटन से 53.95 लाख रुपए का सीएसआर आदेश प्राप्त हुआ। मशीनें दिल्ली के विभिन्न बाल देखभाल घरों में स्थापित की जा रही हैं।

6. महिला पुलिस जी सी सी, चेन्नै के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम

एचएलएल ने ग्रेटर चेन्नै कॉर्पोरेशन की महिला पुलिस के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सत्र आयोजित किया है। इस सत्र के दौरान नियम व कानून शाखा की 2485 महिला पुलिस लाभान्वित हुईं। यह सत्र हर सप्ताह के शुक्रवार को 70 महिला पुलिस दर्शकों के साथ होता है। इसकी शुरुआत जुलाई, 2022 को हुई थी और दिसंबर तक रहा। इस कार्यक्रम के बाद का सत्र अब सशस्त्र बल महिला पुलिस के लिए है, जिसमें 2780 पुलिस शामिल हैं।

3. PHYSICAL PERFORMANCE

HLL is a leading manufacturer and marketer of a range of contraceptive products around the globe. It also provides a variety of hospital products, pharma products and healthcare delivery services. A review of HLL's manufacturing activities during 2022-23 is given below:

| Sl. No. | Product | Unit | Installed Capacity | Quantity Manufactured (Current year) (Provisional) | Capacity utilization (%) | Quantity Manufactured (Previous Year) |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Condoms | Mn. Pcs | 1,971.00 | 1183.78 | 60.1% | 1,063.3 |
| 2 | Blood Bags | Mn. Pcs | 12.50 | 11.19 | 89.5% | 8.2 |
| 3 | Suture | Lakh Doz. | 6.00 | 0.91 | 15.2% | 0.8 |
| 4 | Copper-T | Mn. Pcs | 17.75 | 8.27 | 46.6% | 4.1 |
| 5 | Oral Contraceptive Pills | Mn.Cycles | 460.00 | 16.41 | 3.6% | 27.4 |
| 6 | Sanitary Napkin | Mn. Pcs | 392.00 | 33.51 | 8.5% | 66.1 |
| 7 | Diagnostic Test Kits | Mn. Kits | 52.00 | 18.00 | 34.6% | 9.2 |

4. VENDING BUSINESS DIVISION (VBD)

1. Approval of Sanitary Napkin Incinerators by Kerala State Pollution Control Board

VBD had introduced Sanitary Napkin Incinerators with double Chamber complying the norms of KSPCB. The machine has got approval from Kerala State Pollution Control Board and received the first work order from Chalchitra Academy, Kerala.

2. Introduction of Drug Awareness and Mental Health program in MHM program conducted in Kerala

In the wake of reopening of schools after Covid 19 pandemic, the awareness programs are being continued in offline mode in Schools. The drug awareness module and Mental health modules were added in the MHM program. The programs were implemented in around 93 schools in the FY 22-23.

3. Extension of Contract of SHEPAD with Kerala State Womens Development Corporation (KSWDC) for 2 more years

HLL signed agreement with KSWDC for SHEPAD program for 2 more years for supply of Sanitary Napkins, Sanitary Napkin Incinerators and Awareness programs. In the FY 22-23, KSWDC board approved association with HLL for Menstrual Cups

4. Repeat Order from Northern Coalfields Limited, Singrauli

An order for 4.92 lac packs of Happy Days-3 with a value of Rs 46.76 lacs was received from Northern Coalfields Limited, Singrauli. The napkins are being supplied in 24 schools of Singrauli and Sonebhadra.

5. New order from Delhi Tourism & Transportation Development Corporation Limited

HLL received a CSR order amounting Rs 53.95 lacs from Delhi Tourism for the supply of 96 sets of sanitary napkin vending machine and incinerators. The machines are being installed in various child care homes in Delhi.

6. Menstrual Health & Hygiene Awareness Program for Women Police GCC, Chennai

HLL has conducted Menstrual Hygiene Session to Women Police of Greater Chennai Corporation, Chennai. 2485 women Police of Law & Order branch were benefitted during this session. This session happens on Friday of very week with audience of 70 women police. It started in the month of July 2022 and lasted till December. This program is now followed by sessions to armed force women police which consists of 2780 numbers.

7. सी एस आर परियोजना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन आर पी एल, पानिपत, हरियाना

उत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान और दिल्ली के 41 चयनित स्कूलों में 150 वेंडिंग मशीन, 50 इंसीनरेटर्स और 81,000 पैक सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति के लिए दिसंबर, 22 में आईओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एचएलएल ने 42 वेंडिंग मशीनों, 10 इंसीनरेटर की आपूर्ति और स्थापना और 5 मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके गरिमा परियोजना का चरण 1 पूरा किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम :

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों में फैले 20 सरकारी स्कूलों में वेंडिंग मशीनों और इंसीनरेट सेटों के 20 सेट की आपूर्ति के लिए एनएसएफडीसी से पत्र प्राप्त हुआ था।

सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दिल्ली और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर के 44 सेट की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक सीएसआर आदेश प्राप्त हुआ था।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम, हैदराबाद

तेलंगाना के भूपालल्ली जिले के स्कूलों में वितरित किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक सीएसआर आदेश प्राप्त हुआ था।

तेलंगाना में नए प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र

1. आदिवासी कल्याण विकास विभाग, तेलंगाना
2. महिला एवं शिशु विकास विभाग, करीमनगर
3. स्कूल शिक्षा विभाग, करीमनगर
4. बी सी विकास कार्यालय, संगारेड्डी

प्रमुख विपणन उपलब्धियाँ और पहल - क्यू 1 वित्तीय वर्ष 23-24

1. कम्प्यूनिटी इंसीनरेटर का परिचय

सैनिटरी नैपकिन, डायपर जैसे सभी प्रकार के सैनिटरी अपशिष्टों को नष्ट करने वाले सामुदायिक इंसीनरेटरों की शुरुआत की गई और यह वृद्धाश्रम, समाज कल्याण विभाग में सत्यापनाधीन है। आवेदन सुचित्व मिशन में अनुमोदनाधीन है।

2. आईओसीएल सीएसआर परियोजना

गरिमा परियोजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है।

5. स्वास्थ्यरक्षा सेवा प्रभाग (एच सी एस)

एचएलएल ने आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कदम रखा। आज, एचएलएल पूरे भारत में नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार और श्रम विभाग और सी जी एच एस और एम्स जैसे केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ साझेदारी करता है। एचएलएल ने 'किफायती लागत पर गुणवत्ता निदान' के आदर्श वाक्य के साथ देश भर में उच्च स्तरीय स्पेशलिटी चिकित्सा प्रयोगशालाएँ और इमेजिंग केंद्र स्थापित किए हैं। आज, एचएलएल 7000 + कर्मचारियों के साथ भारत के 13 राज्यों में संचालित करता है और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र के सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक प्लेयर है, जिसको पूरे भारत में 231 मेडिकल लैब्स, 50 इमेजिंग यूनिट और 12 एन ए बी एल लैब्स हैं।

हिंदलैब्स नामक स्वास्थ्य रक्षा नैदानिक केंद्रों की एक शृंखला के माध्यम से, एचएलएल ऑफर करता है:

- क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब सेवाएँ
- रेडियो डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवाएँ

7. CSR Projects

Indian Oil Corporation Limited, NRPL, Panipat, Haryana:

A MoU was signed with IOCL in Dec'22 for the supply of 150 vending machines, 50 incinerators and 81,000 packs of sanitary napkins in 41 selected schools of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. HLL completed Phase 1 of Project Garima with the supply and installation of 42 vending machines, 10 incinerators and conduction of 5 menstrual hygiene awareness programs.

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation:

Letter of Intent was received from NSFDC for the supply of 20 sets of vending machines and incinerator sets in 20 government schools spread in 10 states namely Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Tripura and West Bengal.

Solar Energy Corporation of India Limited, New Delhi:

A CSR order was received for the supply and installation of 44 sets of vending machine and incinerator in various government hospitals of Delhi like AIIMS, Safdarjung Hospital, Lady Hardinge Medical College Hospital, Delhi and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi

Electronic Corporation of India, Hyderabad

A CSR order was received for the supply and installation of Sanitary Napkins, Sanitary Napkin Vending Machines, Sanitary Napkin Incinerators in Bhupalpally District, Telangana to be distributed in Schools.

New Key Business Accounts in Telangana

1. Tribal Welfare Development Department, Telangana
2. Women & Child Development Department Karimnagar
3. School Education Department, Karimnagar
4. BC Development Office, Sangareddy

Major Marketing Achievements & Initiatives – Q1 FY 23-24

1. Introduction of Community Incinerators

Community Incinerators which can destroy all types of Sanitary Waste like Sanitary Napkins, Diapers is introduced and is under validation in Old Age Home, Social Welfare Department. The application is under approval in Suchitwa Mission.

2. IOCL CSR Project

The second phase of Project Garima has been commenced.

5. HEALTHCARE SERVICES DIVISION (HCS)

HLL forayed into the Healthcare Services sector to provide affordable healthcare services to the economically weaker and needy citizens. Today, HLL partners with various National Health Mission, State Government, and Department of Labour and Central Government institutions like CGHS and AIIMS for providing diagnostic services across India. HLL has set up high-end specialty Medical Laboratories & Imaging centres across the country. With the motto "Quality Diagnostics at Affordable Cost". Today, HLL operates in 13 states of India with 7000+ staffs and is the largest Diagnostic player in the Public Sector domain having 231 Labs Medical labs 50 imaging units and 12 NABL labs across India.

Through a chain of Healthcare Diagnostic centers, called HINDLABS, HLL offers:

- Clinical Pathology Lab services
- Radio diagnostic imaging services

हिंदलैब्स सबसे व्यापक और उन्नत इमेजिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है। सुविधाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) मानकों का अनुपालन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एचएलएल ने अपना पहला हिंदलैब वर्ष 2008 में मुख्य रूप से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) लाभार्थियों के लिए आर के पुरम, नई दिल्ली में पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधाओं के साथ शुरू किया था। सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, हिंदलैब्स एक फ्रैचाइज़ी मॉडल में अपनी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के आस-पास संग्रह केंद्र स्थापित करके अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। हिंदलैब्स ने स्पेशलिटी क्लिनिक भी स्थापित किए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं और प्रमुख चिकित्सक इसकी सूपर स्पेशलिटी आउट पेशेंट विभाग सेवाओं के लिए एक छत के नीचे आते हैं। स्वास्थ्य रक्षा सेवा प्रभाग अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, विभिन्न सेवाओं और उत्पादों की लागत को कम करके बाज़ार में हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखता है ताकि उन्हें आम आदमी के लिए किफायती बनाया जा सके।

- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रु. 224.52 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की ओर 674.69 करोड़ रुपए हासिल किया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रु. 10.74 करोड़ के लाभप्रदता लक्ष्य की ओर 30.03 करोड़ रुपए हासिल किए।
- नकद और क्रेडिट बिक्री अनुपात (क्रेडिट-रु. 631.48 करोड़ और नकद - रु. 41.98 करोड़)।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु, 552.41 करोड़ रुपए समाहरित किए।

1. महाराष्ट्र :

- एचएलएल को एनएचएम महाराष्ट्र द्वारा निःशुल्क नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने का काम सौंपा गया था और इसका संचालन 03 फरवरी, 2017 से शुरू हुआ। एचएलएल वर्तमान में हब और स्पोक मॉडल के रूप में राज्य भर में 2318 सुविधाओं को नैदानिक सेवाएँ प्रदान कर रहा है। अब, 438 लाख मरीज और 1312 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एनएचएम महाराष्ट्र परियोजना ने 5 वर्षों के लिए परियोजना को आगे बढ़ा दिया है।
- एक वर्ष में 36 लाख लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए श्रम विभाग के साथ निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य जांच परियोजना को 2027 तक 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया।

2. उत्तर प्रदेश :

- एचएलएल उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में सी टी स्कैन उपकरणों की स्थापना और संचालन करता और जिला अस्पतालों में 12 सी टी स्कैन उपकरणों के संचालन और रखरखाव की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। नवंबर, 2017 में लक्ष्मीपुर खेरी जिला अस्पताल में प्रचालन शुरू हुआ और वर्तमान में 9.7 लाख स्कैन के साथ 9.3 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, हमें 8 और जिला अस्पतालों : शामली, गाज़ियाबाद, अमरोहा, संभल, बरेली, मैनपुरी, इटावा, झांसी के लिए अपनी सी टी स्कैन सेवाओं का विस्तार करने के लिए सम्मानित किया गया है।

3. असम :

- असम राज्य में सी एम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेस प्रोजेक्ट ने 2 अक्टूबर, 2017 से प्रचालन शुरू किया और 29 जिला अस्पतालों और 40 एफ आर यू अस्पतालों में प्रयोगशाला सुविधाएँ स्थापित कीं। वर्तमान में, 65.68 लाख परीक्षण किए गए हैं और लगभग 426.99 लाख रोगियों को सेवाएँ प्रदान की गई हैं।
- एनएचएम असम परियोजना को 30 जून, 2023 तक बढ़ाया गया।

4. केरल:

3 नैदानिक केंद्र, 2 सी टी स्कैन केंद्र और 5 एम आर आई केंद्र और 1 पॉलिक्लिनिक सहित केरल के 5 मेडिकल कॉलेजों में हमें उपस्थिति है। हमने 10 लाख लाभार्थियों और 62 लाख परीक्षणों के लिए सेवाएँ प्रदान की हैं। इस प्रकार, हमने 4 प्रयोगशालाओं, 1 सी टी और एम आर आई सहित 5 डी एच एस को सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 5.1 लाख लाभार्थियों और 14 लाख परीक्षणों की सेवा की है।

- 10 वर्षों के लिए नेव्याटिनकरा में सी टी परियोजना
- 5 वर्षों के लिए नेडुमंगाडु तालुक अस्पताल के साथ एच जी परियोजना के लिए एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए।

HINDLABS uses state-of-the-art technology to provide the most comprehensive and advanced imaging services. The facilities are designed to comply with National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) standards. HLL started its first Hindlabs in year 2008 with pathology lab, X-Ray and ultrasound facilities at R.K Puram in New Delhi primarily for Central Government Health Scheme (CGHS) beneficiaries. To make the service more accessible, HINDLABS is expanding its network by establishing collection centres around its pathology labs in a franchisee model. HINDLABS has also established Specialty clinics which are open for 24 hours and top doctors come under one roof for its super-specialty outpatient department services. Through its various ventures, Healthcare Services Division targets market intervention to bring down the cost of various services and products to make them affordable for common man.

- Achieved Rs.674.69 Cr Against the Revenue Target of Rs.224.52 Cr for the FY 2022-23.
- Achieved Rs.30.03 Cr Against the Profitability Target of Rs.10.74 Cr for the FY 2022-23.
- Cash and Credit sales ratio (Credit - Rs. 631.48 Cr & Cash - Rs. 41.98 Cr).
- Collected Rs.552.41 Cr during the FY 2022-23.

1. Maharashtra:

- HLL had been entrusted by NHM Maharashtra to provide Free Diagnostic services and the operations started from 03rd February 2017 onwards. HLL is currently providing diagnostic services to 2318 facilities across the state as a hub and spoke model. Currently, 438 lakhs patients and 1312 Lakhs tests have been performed.
- During FY 2022-23, NHM Maharashtra project has further extended the project for 5 Years.
- Construction Workers Health Screening Project with Labour Dept renewed for 5 years till 2027 for reaching 36 Lakhs beneficiaries in a year.

2. Uttar Pradesh:

- HLL is the setting up and operation of CT scan equipment in 28 districts of Uttar Pradesh and additional responsibility for operation and maintenance of 12 Nos of CT scan equipment in district hospitals. The operations commenced in November 2017 with Lakhimpur Kheri district hospital and currently has served 9.3 Lakhs beneficiaries with 9.7 Lakhs of scans.
- During FY 2022-23, we have been awarded to expand our CT scan services for 8 more District Hospitals: Shamli, Ghaziabad, Amroha, Sambhal, Bareilly, Mainpuri, Etawah, Jhansi.

3. Assam:

- CM Free Diagnostic Services Project in the state of Assam, started operations from 2nd October 2017 and had established Laboratory facilities in 29 District Hospitals and 40 FRU Hospitals. Currently, 65.68 Lakhs tests have been conducted and services offered to around 426.99 Lakhs patients.
- NHM Assam Project extended till 30th June 2023.

4. Kerala:

We have presence in 5 Medical colleges of Kerala with 3 diagnostic centres, 2 CT Scan centres and 5 MRI centres and 1 polyclinic. We have offered services for 10 lakh beneficiaries and 62 lakh tests. Similarly, we signed an MOU with the Government of Karnataka to provide services to 5 DHs with 4 labs, 1 CT & MRI each and serviced 5.1 Lakh beneficiaries and 14 lakhs tests.

- CT Project at Neyyantinkara for 10 Years.
- USG Project MoU signed with Nedumangad Taluk Hospital for 5 Years.

- तालूक अस्पताल, कोच्चि में एकीकृत नैदानिक केंद्र के लिए एम ओ यु पर हस्ताक्षर किए।
- एम सी एच आलप्पुषा में एम आर आई केंद्र 2009 में शुरू हुआ। यह समझौता 2029 तक वैध है, 84000 से अधिक रोगियों को सेवा दी गई और लगभग 92000 स्कैन किए गए।
- एम सी एच त्रिशूर में एम आर आई केंद्र 2009 में शुरू हुआ। यह समझौता 2029 तक वैध है, 80000 से अधिक रोगियों को सेवा दी गई और लगभग 90000 स्कैन किए गए।
- एम सी एच कोट्टयम में एम आर आई केंद्र 2010 में शुरू हुआ। यह समझौता 2032 तक वैध है, 90000 से अधिक रोगियों को सेवा दी गई और लगभग एक लाख स्कैन किए गए।
- एम सी एच कोषिकोड में लैब और एम आर आई केंद्र 2013 में शुरू हुआ। यह समझौता 2023 तक वैध है, 2.18 लाख से अधिक रोगियों को सेवा दी गई और लगभग 2.74 लाख परीक्षण किए गए।
- एस ए टी अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में एम आर आई और सी टी परियोजना 2017 में शुरू हुआ और यह समझौता 2023 तक वैध है 0.4 लाख से अधिक रोगियों को सेवा दी गई और 0.7 लाख स्कैन किए गए।

5. कर्नाटका :

कर्नाटका में निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के लिए बंगलुरु में 3 यूनिटों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह हमने 4 प्रयोगशालाओं और 1 सी टी और एम आर आई के साथ 5 डी एच को सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- के सी जी अस्पताल में लैब और इमेजिंग केंद्र 2014 में शुरू हुआ। समझौते की वैधता 2029 तक है, 2.8 लाख लाभार्थियों को सेवा दी गई और 5.9 लाख परीक्षण किए गए।
- डी एच चित्रदुर्गा में लैब 2014 में शुरू हुई। समझौते की वैधता 2029 तक है, 2.4 लाख लाभार्थियों को सेवा दी गई और 8.2 लाख परीक्षण किए गए।
- डी एच तुमकुर में लैब 2014 में शुरू हुई। समझौते की वैधता 2029 तक है, 0.8 लाख लाभार्थियों को सेवा दी गई और 1.9 लाख परीक्षण किए गए।
- डी एच दावणगिरी में लैब 2014 में शुरू हुई। समझौते की वैधता 2029 तक है, 0.2 लाख लाभार्थियों को सेवा दी गई और 0.8 लाख परीक्षण किए गए।
- मैंगलोर वेनलॉक अस्पताल में एम आर आई और सी टी सेवाएँ 2014 में शुरू हुईं। समझौते की वैधता 2029 तक है, 0.4 लाख लाभार्थियों को सेवा दी गई और 0.42 लाख स्कैन किए गए।

6. अरुणाचल प्रदेश :

- सी टी, एक्स रे और एम आर आई की टेली रिपोर्टिंग के लिए एम ओ यु पर हस्ताक्षर किए।
- ए ई आर बी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए स्वास्थ्य रक्षा सुविधा की एक्स रे यूनिट का उन्नयन।
- चेन्ने (फरवरी 2024) और कोलकाता (23 अप्रैल) तक कोविड परीक्षण लैब का प्रचालन बढ़ाया गया।

7. ट्रिडा लैब और पॉली क्लिनिक :

केरल में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हुई विशाल प्रगति को समझते हुए, हमने मई, 2016 के दौरान ट्रिडा कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल में एक निजी सुविधा में अपनी पहली नैदानिक प्रयोगशाला सुविधा और पॉलीक्लिनिक स्थापित की। हम प्रयोगशाला नैदानिक परीक्षणों के लिए एम आर पी दरों से 10-60% तक की भारी छूट प्रदान करते हैं। अंततः हिंदलैब्स ट्रिडा ने तिरुवनंतपुरम शहर परिसर में मिनीलैब्स लॉच किया है। प्रमुख मिनीलैब जिला अस्पताल नेडुमंगाड, जिला अस्पताल पेरूरकड़ा, कवडियार महल डिस्पेंसरी में मिनीलैब, जनरल अस्पताल, वडियूरकाव, आक्कुलम, हिंदलैब्स तिरुमला, हिंदलैब्स पेयाड, बालरामपुरम, मणक्काड, पाप्पनमकोड, वडुप्पारा, वेडुकाड, कणियापुरम, पोत्तनकोड, वेंजारामूड, मलयिनकीष, काट्टाक्कड़ा, किलिमानूर एवं नालाचिरा में स्थित है। हिंदलैब्स ट्रिडा हर दिन 300 से 400 रोगियों की स्वास्थ्य रक्षा समर्थन प्रदान करता है और मिनी लैब सहित 1200 से 2000 स्वास्थ्य परीक्षण सहायता प्रदान करता है।

- MoU Signed for Integrated diagnostic Centre at Taluk Hospital Kochi.
- MRI centre at MCH Alappuzha started at 2009. The agreement is valid till 2029, served more than 84000 patients and conducted around 92000 scans.
- MRI centre in MCH Thrissur started at 2009. The agreement is valid till 2029, served more than 80000 patients and conducted around 90000 scans.
- MRI centre in MCH Kottayam started at 2010. The agreement is valid till 2032, served more than 90000 patients and conducted around one lakh scans.
- LAB & MRI centre in MCH Kozhikode started at 2013. The agreement is valid till 2023 , served more than 2.18 lakh patients and conducted more than 2.74 lakh tests.
- MRI & CT project at SAT Hospital Trivandrum started at 2017 and the agreement valid till 2026 served 0.6 lakh patients and conducted 0.7 lakh scans.

5. Karnataka:

MoU signed for 3 units in Bangalore for construction workers health screening program, Karnataka. Similarly we signed an MoU with Government of Karnataka to provide services to 5 DHs with 4 labs and 1 CT & MRI.

- Lab & imaging centre at KCG Hospital started at 2014 . The validity of the agreement is upto 2029, served 2.8 lakh beneficiaries and conducted 5.9 lakh tests.
- Lab at DH Chitradurga started at 2014. The validity of the agreement is upto 2029, served 2.4 lakh beneficiaries and conducted 8.2 lakh tests.
- Lab at DH Tumkur started at 2014. The validity of the agreement is upto 2029, served 0.8 lakh beneficiaries and conducted 1.9 lakh tests.
- Lab at DH Davangere started at 2014. The validity of the agreement is upto 2029, served 0.2 lakh beneficiaries and conducted 0.8 lakh tests.
- MRI & CT services at Mangalore Wenlock Hospital started at 2014. The validity of the agreement is upto 2029, served 0.4 lakh beneficiaries and conducted 0.42 lakh scans.

6. Arunachal Pradesh:

- MoU signed for tele reporting of CT, X Ray and MRI.
- Upgradation of X Ray unit of Health care facility to comply with AERB guideline.
- Covid Testing Lab operations extended at Chennai till (Feb 2024) and Kolkata (April 23).

7. TRIDA Lab & Poly clinic:

Understanding the giant strides in the field of healthcare at Kerala. we set up our First Diagnostic Laboratory facility and Polyclinic at a Private facility at TRIDA Complex, Medical College, Trivandrum, Kerala during May 2016. We offer huge discounts to the tune of 10-60% below MRP rates for the Laboratory Diagnostic tests. Eventually Hindlabs TRI-DA have launched Minilabs across the Trivandrum City premises. The Major Minilabs are situated at District hospital Nedumangad, District hospital Peroorkada, Minilabs at Kowdiar palace dispensary, General hospital, Vattiyoorkavu, Akkulam, Hindlabs Tirumala , HindlabsPeyad , Balaramapuram, Manacaud, Pappanamcode, Vattapara, Vettukkad, Kaniyapuram, Pothencode, Venjarammoodu, Malayinkeezhu , kattakada , kilimanoor&Nalanchira. Every day Hindlabs TRIDA giving health care support of 300 to 400 patients and giving aids for 1200 to 2000 health test aids including

हिंदलैब्स इस केंद्र को क्षेत्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए सर्वोत्तम निदान गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए समर्पित है। और यह सुविधा 2020 से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है।

- डी एच नेडुमंगाड के मिनिलैब ने औसतन लगभग 0.001 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.005 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- डी एच पेरूरकडा के मिनिलैब ने औसतन 0.005 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- कवडियार पैलेस डिस्पेंसरी के मिनिलैब ने औसतन 0.01 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.05 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- जी एच तिरुवनंतपुरम के मिनिलैब ने औसतन 0.01 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.04 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- वट्टियूरकाव के मिनिलैब ने औसतन 0.007 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.02 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- आक्कुलम के मिनिलैब ने औसतन 0.004 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- तिरुमला के मिनिलैब ने औसतन 0.01 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.03 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- पेयाड के मिनिलैब ने औसतन 0.007 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.02 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- बालरामपुरम के मिनिलैब ने औसतन 0.005 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- मणक्काड के मिनिलैब ने औसतन 0.01 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.05 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- पाप्पनमकोड के मिनिलैब ने औसतन 0.01 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.03 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- वट्टुपारा के मिनिलैब ने औसतन 0.006 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- वेट्टुकाड के मिनिलैब ने औसतन 0.005 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- कणियापुरम के मिनिलैब ने औसतन 0.002 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.008 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- पोत्तनकोड के मिनिलैब ने औसतन 0.005 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- वेंजारामूड के मिनिलैब ने औसतन 0.001 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.003 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- मलयिनकीष के मिनिलैब ने औसतन 0.001 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.003 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- काट्टाकडा के मिनिलैब ने औसतन 0.001 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.003 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- किलिमानूर के मिनिलैब ने औसतन 0.004 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.01 लाख टेस्ट आयोजित किए।
- नालाचिरा के मिनिलैब ने औसतन 0.002 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान की और प्रति महीने 0.007 लाख टेस्ट आयोजित किए।

8. एएआई चेन्नै/कोलकाता

- कोविड महामारी के दौरान, एचएलएल ने अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट करने के लिए चेन्नै और कोलकाता हवाई अड्डों पर कोविड जांच केंद्र स्थापित किए थे। हमने इन सुविधाओं में 6.04 लाख यात्रियों की जांच की है और 11.71 लाख आर टी-पी सी आर/टू नेट का परीक्षण किया है।

mini labs. Hindlabs is dedicated to establish this centre as the finest diagnostic destination to all kinds of people in the region. And this facility is NABL Accredited laboratory since 2020.

- Minilab at DH Nedumangad served on an average of around 0.001 lakh beneficiaries and conducting 0.005 lakhs tests per month.
- Minilab at DH Peroorkada served on an average of 0.005 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Kowdiar palace dispensary served on an average of 0.01 lakh beneficiaries and conducting 0.05 lakhs tests per month.
- Minilab at GH Trivandrum served on an average of 0.01 lakh beneficiaries and conducting 0.04 lakhs tests per month.
- Minilab at Vattiyoorkkavu served on an average of 0.007 lakh beneficiaries and conducting 0.02 lakhs tests per month.
- Minilab at Akkulam served on an average of 0.004 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Thirumala served on an average of 0.01 lakh beneficiaries and conducting 0.03 lakhs tests per month.
- Minilab at Peyad served on an average of 0.007 lakh beneficiaries and conducting 0.02 lakhs tests per month.
- Minilab at Balaramapuram served on an average of 0.005 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Manacaud served on an average of 0.01 lakh beneficiaries and conducting 0.05 lakhs tests per month.
- Minilab at Pappanamcode served on an average of 0.01 lakh beneficiaries and conducting 0.03 lakhs tests per month.
- Minilab at Vattappara served on an average of 0.006 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Vettucaud served on an average of 0.005 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Kaniyapuram served on an average of 0.002 lakh beneficiaries and conducting 0.008 lakhs tests per month.
- Minilab at Pothencode served on an average of 0.005 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Venjarammood served on an average of 0.001 lakh beneficiaries and conducting 0.003 lakhs tests per month.
- Minilab at Malayinkeezhu served on an average of 0.001 lakh beneficiaries and conducting 0.003 lakhs tests per month.
- Minilab at Kattakada served on an average of 0.001 lakh beneficiaries and conducting 0.003 lakhs tests per month.
- Minilab at Kilimanoor served on an average of 0.004 lakh beneficiaries and conducting 0.01 lakhs tests per month.
- Minilab at Nalanchira served on an average of 0.002 lakh beneficiaries and conducting 0.007 lakhs tests per month.

8. AAI Chennai/Kolkata

- During COVID pandemic, HLL had set up COVID Testing centres at Chennai and Kolkata airports for conducting Covid tests for passengers arriving from international destinations. We have screened 6.04 Lakh passengers and tested 11.71 lakhs RT-PCR/True Nat in these facilities.

9. सी जी एच एस

- हिंदलैब ने सी जी एच एस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के साथ साझेदारी में सीजीएच एस के लाभार्थियों को सी जी एच एस दरों पर गुणवत्तापूर्ण नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए आर के पुरम, दिल्ली और वर्ली, मुंबई में सुविधाएँ स्थापित की थीं। हमें दिल्ली और वर्ली के लिए क्रमशः 10 और 8 संग्रह केंद्र हैं। 8 वर्षों की अवधि में, हमने दोनों केंद्रों से 9.47 लाख लाभार्थियों के साथ 44 लाख जाँच किए हैं।

10. बी एच ई एल रानीपेट

- एचएलएल ने बीएचईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दिसंबर, 2020 को प्रचालन शुरू किया। अब तक हमने 0.75 लाख जाँच किए हैं और 0.35 लाख रोगियों को सेवाएँ प्रदान की हैं। एम ओ यु को 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

11. एन आई टी त्रिची

- डीन द्वारा जारी किए गए एनओए के अनुसार, हमने फरवरी, 2017 से एनआईटी त्रिची के अंदर अपनी प्रयोगशाला शुरू की है। इस सुविधा के ज़रिए कुल 0.32 लाख मरीजों और 2.03 लाख जाँचों की सेवा दी गई है।

12. एम्स

हिंदलैब्स को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संस्थानों के भीतर नैदानिक प्रयोगशाला चलाने वाला पहला संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभी तक प्रतिष्ठित संस्थान ने मंगलगिरी, नागपुर, गोरखपुर, देवघर, बिलासपुर और भोपाल की प्रयोगशालाओं का कामकाज सौंप दिया है।

- एम्स मंगलगिरी - एचएलएल ने एम्स मंगलगिरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 2019 से प्रयोगशाला सेवाओं का प्रचालन शुरू किया और यह समझौता 2024 तक वैध है। अभी तक हमने 1.96 लाख से अधिक लोगों की सेवा की और 6.64 लाख जाँच आयोजित कीं।
- एम्स नागपुर - एम ओ यु पर नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए और एचएलएल ने जनवरी 2019 में प्रचालन शुरू किया और 2024 तक वैध रहा। नैदानिक सुविधा के ज़रिए अब तक 1.34 लाख से अधिक लोगों की सेवा की और 4.17 लाख जाँच की।
- एम्स गोरखपुर - जनवरी 2019 को हस्ताक्षरित एमओयु के अनुसार, हमने 2019 से एम्स आयुष ब्लॉक के अंदर नैदानिक लैब और एक्स रे सेवाएँ शुरू कीं और 2024 तक समझौता वैध था। 3.14 लाख से अधिक लोगों को सेवा दी और 12.36 लाख जाँच आयोजित किए। फरवरी 2023 के मध्य में, एम्स प्राधिकारियों ने इमेजिंग सुविधा एचएलएल को सौंप दी और बाद में हमने ओ पी ब्लॉक पर सी टी और एम आर आई सेवाओं का प्रचालन शुरू कर दिया।
- एम्स देवघर - 2021 को शुरू हुआ और समझौता 2026 तक वैध है। लगभग 50000 लोगों की सेवा की और 1.98 लाख परीक्षण किए।
- एम्स बिलासपुर - एचएलएल ने अगस्त 2021 को एम्स बिलासपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और दिसंबर 2021 से सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया और समझौता 2026 तक वैध है। हम मेडिकल लैब सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और अब तक, हम 0.50 लाख लाभार्थियों तक पहुँच चुके हैं और 3 लाख से अधिक जाँच कर चुके हैं।
- एम्स भोपाल - एम ओ यु के अनुसार, मेडिकल लैब और मेडिकल इमेजिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए मई 2023 से प्रचालन शुरू हुआ।

13. हरियाना

स्थिरांक श्रमिक स्वास्थ्य जाँच परियोजना के लिए हरियाना के श्रमिक विभाग के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

14. वर्ष के दौरान स्थापित किए और बंद हुए प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी

- हिंदलैब्स मॉलिक्युलर पी सी आर लैब, तिरुवनंतपुरम वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बंद कर दी।
- हिंदलैब्स मॉलिक्युलर पी सी आर लैब, बेंगलुरु वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बंद कर दी।
- हिंदलैब्स मॉलिक्युलर पी सी आर लैब, नासिक वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बंद कर दी।
- हिंदलैब्स मैसूर लैब, कर्नाटक, निर्माणाधीन श्रमिक परियोजना वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बंद कर दी।

9. CGHS

- HINDLABS in partnership with CGHS (Central Government Health Scheme) had set up facilities at RK Puram, Delhi and Worli, Mumbai for providing quality diagnostic services to CGHS beneficiaries at CGHS rates. We have 10 & 8 collection centres for Delhi and Worli respectively. Over the span of 8 years, we have done 44 lakhs tests with 9.47 lakhs beneficiaries from both the centres.

10. BHEL Ranipet

- HLL signed MoU with BHEL and started operation on December 2020 . So far we have tested 0.75 Lakhs tests and provided services to 0.35 Lakhs patients. The Mou has further extended till 2025.

11. NIT Trichy

- As per the NoA issues by Dean, We have started our own lab inside NIT Trichy from February at 2017. A total number of 0.32 lakhs patients and 2.03 Lakhs tests has been serviced through this facility.

12. AIIMS

Hindlabs has been privileged to be the first organization to run a diagnostic laboratory within All India Institute of Medical Science (AIIMS) Institutions. So far the prestigious institute has handed over the functioning of laboratories of Mangalagiri, Nagpur, Gorakhpur, Deoghar, Bilaspur & Bhopal.

- AIIMS Mangalagiri- HLL signed a MoU with AIIMS Managalgiri and started operating laboratory services from 2019 and the agreement is valid till 2024. So far we have offered our services to more than 1.96 lakh people and conducted 6.64 lakhs tests.
- AIIMS Nagpur- The MoU was signed on November 2018 and HLL Started operations in January 2019 and agreement valid till 2024. Served more than 1.34 lakh people and conducted 4.17 lakhs tests so far through the diagnostic facility.
- AIIMS Gorakhpur- As per the Mou signed on January 2019, we started diagnostic lab and x ray services inside AIIMS ayush block from 2019 and agreement was valid till 2024. Served more than 3.14 lakh people and conducted 12.36 lakhs tests. During the mid of February 2023 , AIIMS authorities handed over the imaging facility to HLL and subsequently we started operating CT & MRI services on OP block.
- AIIMS Deoghar- Started on 2021 and agreement valid till 2026. Served around 50000 people and conducted 1.98 lakhs tests.
- AIIMS Bilaspur- HLL signed an agreement with AIIMS Bilaspur on August 2021 and started providing services from December 2021 and agreement valid till 2026. We are providing medical lab services and so far, we have reached 0.50 Lakhs beneficiaries and conducted over 3 lakhs tests.
- AIIMS Bhopal- As per the MoU, the operations commenced from May 2023 for providing medical lab and medical imaging services.

13. Haryana

MoU Signed for Const. Workers Health Screening Project with Labour Dept of Haryana renewed for 3 years.

14. Information about labs set up and wound up during the year.

- Hindlabs Molecular PCR Lab, Trivandrum closed during the FY 22-23.
- Hindlabs Molecular PCR Lab, Bengaluru closed during the FY 22-23.
- Hindlabs Molecular PCR lab, Nashik closed during the FY 22-23.
- Hindlabs Mysuru lab, Karnataka, under construction worker project closed during the FY 22-23.

15. वर्ष के दौरान स्थापित किए और बंद हुए इमेजिंग केंद्रों के बारे में जानकारी

- हिंदलैब्स एम्स गोरखपुर सी टी & एम आर आई प्रचालन नवंबर 2022 में शुरू हुआ।
- हिंदलैब्स नेव्याट्टिनकरा सी टी प्रचालन नवंबर 2022 में शुरू हुआ।
- हिंदलैब्स बुर्ला, ओडिशा ने दिसंबर 2022 को अपना प्रचालन बंद कर दिया।
- हिंदलैब्स बेरहामपुर, ओडिशा ने दिसंबर 2022 को अपना प्रचालन बंद कर दिया।

16. प्रयोगशालाओं की संख्या क्षेत्रानुसार हो सकती है

| क्रम सं. | राज्य | नैदानिक लैबों की गणना | सेवाएँ |
|----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | असम | 70 | लैब |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 | लैब |
| 3 | दिल्ली | 1 | लैब & इमेजिंग |
| 4 | हरियाणा | 1 | लैब & इमेजिंग |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 1 | लैब |
| 6 | कर्नाटका | 11 | लैब |
| 7 | केरल | 1 | पॉलिक्लिनिक |
| 8 | | 2 | लैब |
| 9 | महाराष्ट्र | 139 | लैब |
| 10 | तमिलनाडु | 3 | लैब |
| 11 | उत्तर प्रदेश | 1 | लैब |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 1 | लैब |
| 13 | झारखंड | 1 | लैब |

17. इमेजिंग केंद्रों की संख्या क्षेत्रानुसार हो सकती है

| क्रम सं. | राज्य | नैदानिक लैबों की गणना | सेवाएँ |
|----------|----------------|-----------------------|---------|
| 1 | कर्नाटका | 2 | इमेजिंग |
| 2 | केरल | 8 | इमेजिंग |
| 3 | ओडिशा | 2 | लैब |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 40 | इमेजिंग |
| 5 | पश्चिम बंगाल | 2 | इमेजिंग |
| 6 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | इमेजिंग |

18. वर्ष के दौरान मरीजों की सेवा की

| क्रम सं. | विवरण | मरीजों की कुल संख्या |
|----------|----------------|----------------------|
| 1 | लैब | 1,29,33,499 |
| 2 | इमेजिंग | 4,72,486 |
| 3 | टेलीरेडियोलॉजी | 1,23,986 |

19. एमओयु पर हस्ताक्षर किए गए

- उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद, शामली, संभल, मैनपुरी, एटा, झांसी, बरेली और अमरोहा नामक 8 जिलों के लिए सी टी 32 स्लाइस की खरीदी, स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और सेवा वितरण के लिए एनएचएम और डीजीएमएच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 20 सीएचएस, 40 पीएचसी और 376 उप केंद्रों में नैदानिक केंद्र स्थापित करने और सभी 23 जिला अस्पतालों, 55 सीएचसी के लिए एक्स-रे टेलीरेडियोलॉजी रिपोर्टिंग सेवाएँ, आलो, बोमडिला, नामसाई, जीरो, पासीघाट और तवांग के 6 जी एच/डी एच में सी टी स्कान सेवाएँ और नामसाई एवं तवांग में एम आर आई सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-अरुणाचल प्रदेश के साथ 18 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

15. Information about imaging centres set up and wound up during the year.

- Hindlabs AIIMS Gorakhpur CT & MRI operations started in November 2022.
- Hindlabs Neyyatinkara CT operations started from November 2022.
- Hindlabs Burla, Odisha closed its operations on December 2022.
- Hindlabs Berhampur, Odisha closed its operations on December 2022.

16. Number of labs may be region wise.

| S.No | State | Diagnostic LabsCount | Services |
|------|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Assam | 70 | Lab |
| 2 | Andhra Pradesh | 1 | Lab |
| 3 | Delhi | 1 | Lab& Imaging |
| 4 | Haryana | 1 | Lab & Imaging |
| 5 | Himachal Pradesh | 1 | Lab |
| 6 | Karnataka | 11 | Lab |
| 7 | Kerala | 1 | Polyclinic |
| 8 | | 2 | Lab |
| 9 | Maharashtra | 139 | Lab |
| 10 | Tamil Nadu | 3 | Lab |
| 11 | Uttar Pradesh | 1 | Lab |
| 12 | West Bengal | 1 | Lab |
| 13 | Jharkhand | 1 | Lab |

17. Number of imaging centres- may be region wise.

| S.No | State | Imaging Centre Count | Services |
|------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | Karnataka | 2 | Imaging |
| 2 | Kerala | 8 | Imaging |
| 3 | Odisha | 2 | Lab |
| 4 | Uttar Pradesh | 40 | Imaging |
| 5 | West Bengal | 2 | Imaging |
| 6 | Arunachal Pradesh | 6 | |

18. Patients served during the year.

| S.No | Description | Total Number of Patients |
|------|---------------|--------------------------|
| 1 | Labs | 1,29,33,499 |
| 2 | Imaging | 4,72,486 |
| 3 | Teleradiology | 1,23,986 |

19. MoU's signed.

- MoU signed with NHM & DGMH for the Procurement, Installation, Operations, Maintenance, And Service Delivery of CT 32 slice for 8 districts in the state of Uttar Pradesh named Ghaziabad, Shamli, Sambhal, Mainpuri, Etah, Jhansi, Bareilly & Amroha.
- Signed an MoU with National Health Mission – Arunachal Pradesh dated 18th April 2022 to set up diagnostic centre at 20 Nos CHS, 40 Nos PHC and 376 Nos of Sub Centres and offer X ray teleradiology reporting services for all 23 District Hospitals, 55 CHCs, CT scan services in 6 GH/DHs at Aalo, Bomdila, Namsai, Ziro, Pasighat & Tawang & MRI services at Namsai and Tawang.

20. वर्ष के दौरान शामिल किए समझौते

- बुर्ला और बरहामपुर में एमआरआई सुविधा स्थापित करने के लिए 25 जून, 2012 को ओडिशा सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 24 जून, 2022 को समाप्त हो गया है।
- चेत्रे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 जाँच सुविधा की स्थापना और प्रचालन के लिए एचएलएल और एएआई चेत्रे के बीच का समझौता ज्ञापन पर समझौता 25-02-2023 को समाप्त हो गया।
- चेत्रे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 जाँच सुविधा की स्थापना और प्रचालन के लिए एचएलएल और एएआई कोलकाता के बीच का समझौता ज्ञापन पर समझौता 13-05-2022 को समाप्त हो गया।

21. प्राप्त हुई मान्यताएँ आदि

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदलैब ने प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स - 'बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड्स-2021' पुरस्कार जीता।

6. जोखिम और उद्भिन्नता

- जोखिम: एचएलएल व्यवसाय के लिए सरकार और सरकारी संगठन पर अत्यधिक निर्भर है। 'सरकार को अधिमानित विक्रेता' की हानि की स्थिति एचएलएल की दूरदर्शिता और रणनीति पर काफी रूप से प्रभावित कर सकती है।
- शमन योजना : कंपनी 'नए उत्पादों और सेवाओं को प्रारंभ करना' और 'लगातार मार्केट शेयर को बढ़ाने' के दो आयामी रणनीतियों द्वारा इस जोखिम को शमन करने की योजना बनाती है, जो मध्यम जोखिम रणनीतियों से कम हैं।
- जोखिम : निर्यात एवं देशीय बाज़ार, दोनों के लिए अपेक्षित अनुपालन के वर्धित स्तर, उत्पादों और सेवाओं की लागत को बढ़ाता है।
- शमन योजना : कंपनी को लक्षित राज्यक्षेत्रों में उपयुक्त विनियमन के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीम को सुव्यवस्थित करके इस जोखिम को शमन करने का भरोसा है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी उपयुक्तता

व्यापार की प्रकृति और प्रचालन के आकार के अनुसार, आपकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न मद्दों को प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गयी है :

- आंतरिक जाँच और शीघ्र रिपोर्टिंग के साथ लेन-देन का सही रिकॉर्डिंग।
- लागू लेखांकन मानकों एवं नीतियों का पालन करना।
- लागू विधियों, नीतियों और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग और परिसंपत्तियों की सुरक्षा।
- सभी संयंत्रों, बिक्री कार्यालयों, मुख्यालय आदि को जोड़ने वाली इंटरग्रेटेड एसएपी प्रणाली।
- आंतरिक लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों की लेखापरीक्षा समिति बैठक में समीक्षा की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- कंपनी के प्रचालनों के बढ़ते आकार और जटिलता के साथ तालमेल रखने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों/ मार्गनिर्देशों, प्राधिकरणों और अनुमोदन प्रक्रियाओं को प्रदान करती है। उद्देश्य को बनाए रखने के लिए कंपनी को सदस्यों के रूप में अधिकांश स्वतंत्र निदेशक सहित एक लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी सनदी लेखाकारों के स्वतंत्र फर्मों एवं अपने ही कोर्पोरेट लेखापरीक्षा आश्वासन सेवा प्रभाग (सी ए एस) के ज़रिए, सभी स्थानों पर आवधिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित योजना पर आधारित कार्यकलाप कार्यान्वित करती हैं और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में कोई भी विचलन लाती। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का संक्षेप और कार्यान्वयन की स्थिति लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

20. Contracts concluded during the year.

- In MoU signed with Government of Odisha dated 25th June 2012 to set up MRI facility at Burla and Berhampur has been ended on 24th June 2022.
- The MoU agreement between HLL and AAI Chennai for the set up and operations of COVID-19 Testing Facility at Chennai international airport has been ended on 25-02-2023.
- The MoU agreement between HLL and AAI Kolkata for the set up and operations of COVID-19 Testing Facility at Chennai international airport has been ended on 13-05-2022.

21. Recognitions won etc.

Hindlabs won the prestigious Economic Times- “Best Healthcare Brands -2021” award during the FY 2022-23

6. RISK AND CONCERNS

- Risk: HLL is highly dependent on Government and Government organization for business. Loss of ‘preferred vendor to government’ status may impact HLL’s vision and strategies significantly.
- Mitigation plan: The Company plans to mitigate this risk by two-pronged strategies of ‘introducing new products and services’ and ‘continuously increasing market share’, which are low to medium risk strategies.
- Risk: Increasing levels of compliance required for both export and domestic markets increases cost of products and services.
- Mitigation plan: The Company is confident of mitigating this risk by establishing dedicated teams to ensure compliance with applicable regulations in target territories.

7. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Given the nature of the business and size of operations, your Company’s internal control system has been designed to provide for

- Accurate recording of transactions with internal checks and prompt reporting.
- Adherence to applicable Accounting Standards and Policies.
- Compliance with applicable statutes, policies and management policies and procedures.
- Effective use of resources and safeguarding of assets.
- An integrated SAP System connecting all Plants, Sales Offices, Head office, etc.
- Observations arising out of Internal Audit are reviewed at the Audit Committee meeting and follow up action taken.
- Systems and Procedures are periodically reviewed to keep pace with the growing size and complexity of Company’s operations.

The internal control system provides for well documented policies/guidelines, authorisations and approval procedures. The Company has an Audit Committee with majority of Independent Directors as members to maintain the objective. The Company through independent firms of Chartered Accountants and its own Corporate Audit/Assurance Service Division (CAS), carries out periodic audits at all locations and functions based on the plan approved by Audit Committee and brings out any deviation to internal control procedures. The summary of Internal Audit observations and status of implementation are submitted to the Audit Committee periodically on quarterly basis.

8. सचेतक विवरण

निदेशक रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, उम्मीदों एवं आकलनों के वर्णन करनेवाले विवरण चालू व्यवसाय परिवेश के आधार पर हैं। कई घटक कंपनी के वास्तविक परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों के कारण हो सकते हैं, जो भविष्य के परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों से अधिक मात्रा में अलग होगा, वह ऐसे अग्रवर्ती विवरणों द्वारा अभिव्यक्त या सूचित किया जाएगा। पाठकों से आगाह किया जाता है कि दूरदेशी बयानों पर अनुचित दृढ़ विश्वास न रखें।

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन :08419099)

तारीख : 28 अगस्त, 2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम

8.CAUTIONARY STATEMENT

Statements in the Director's Report and Management Discussion & Analysis describing the Company's objectives, projections, expectations and estimates are based on current business environment. Many factors could cause the actual results, performances or achievements of the Company to be materially different from any future results, performances or achievements that may be expressed or implied by such forward looking statements. Readers are cautioned not to place undue conviction on the forward looking statements.

For and on behalf of Board of Directors

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 28th August 2023

Place: Thiruvananthapuram

फार्म सं.एओसी- 2

(कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3)

के खण्ड (एच) और नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा प्रारंभ किये ठेके/व्यवस्थाओं के सिवा तीसरे उपबंध के अधीन कुछ व्यतिरेक लेन-देन सहित विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म :

1. व्यतिरेक के आधार पर न रहे ठेके या व्यवस्थाएँ या लेन-देन के विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रारंभित कोई ठेके या व्यवस्थाएँ या लेन - देन नहीं थे जो व्यतिरेक के आधार पर नहीं थे ।

2. व्यतिरेक के आधार पर महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्था या लेन-देन का विवरण।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएँ या व्यतिरेक के आधार पर लेन-देन के विवरण इस प्रकार है:

| संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति | ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति | ठेका/ व्यवस्था/ लेन -देन की अवधि | मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (₹ लाखों में) | बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) - सहयोगी | बिक्री | लागू नहीं | 30.97 | | शून्य |
| | किराया आय | लागू नहीं | 60.06 | | शून्य |
| | अन्य व्यय | लागू नहीं | | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | 81.93 | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | 62.82 | | शून्य |
| लाइफ़ सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त उद्यम कंपनी | अन्य व्यय | लागू नहीं | | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | | | शून्य |
| | शेयरों में निवेश | लागू नहीं | 951.76 | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | | | शून्य |
| गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) - सहायक कंपनी | वेतन और भत्ते | लागू नहीं | 74.85 | | शून्य |
| | शेयरों में निवेश | लागू नहीं | 708.75 | | शून्य |
| | अन्य व्यय | लागू नहीं | 7.42 | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | 1,504.73 | | शून्य |
| | विविध लेनदार | लागू नहीं | (101.59) | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | 113.47 | | शून्य |
| | खरीदियाँ | लागू नहीं | 26.14 | | शून्य |

FORM NO. AOC-2

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2)
of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended March 31st, 2023, which were not on arm's length basis.

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year ended 31st March 2023 are as follows:

| Name (s) of the related Party & Nature of relationship | Nature of contract/ arrangements/ transactions | Duration of contract/ arrangements/ transactions | Salient terms including the value, if any (Rs. in lakhs) | Date of Board approval, if any | Amount paid as advance, if any |
|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)- Associate | Sales | NA | 30.97 | | Nil |
| | Rental Income | NA | 60.06 | | Nil |
| | Other Expenses | NA | | | Nil |
| | Sundry Debtors | NA | 81.93 | | Nil |
| | Consultancy / service | NA | 62.82 | | Nil |
| Life Spring Hospitals Private Limited- Joint venture Company | Other Expense | NA | - | | Nil |
| | Sundry Debtors | NA | | | Nil |
| | Investment in shares | NA | 951.76 | | Nil |
| | Consultancy / service | NA | | | Nil |
| Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) -Subsidiary company | Salaries & allowances | NA | 74.85 | | Nil |
| | Investment in shares | NA | 708.75 | | Nil |
| | Other expenses | NA | 7.42 | | Nil |
| | Sundry debtors | NA | 1,504.73 | | Nil |
| | Sundry Creditors | NA | (101.59) | | Nil |
| | Consultancy/ Services | NA | 113.47 | | Nil |
| | Purchases | NA | 26.14 | | Nil |



| संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति | ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति | ठेका/ व्यवस्था/ लेन -देन की अवधि | मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (₹ लाखों में) | बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसस लिमिटेड - सहायक कंपनी | किराया आय | लागू नहीं | 315.96 | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | 184.33 | | शून्य |
| | लाभांश आय | लागू नहीं | 1,000.00 | | शून्य |
| | अन्य व्यय | लागू नहीं | 186.73 | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | 189.63 | | शून्य |
| | विविध लेनदार | | 0.82 | | शून्य |
| | शेयरों में निवेश | लागू नहीं | 5.00 | | शून्य |
| एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी - सहयोगी | अन्य व्यय | लागू नहीं | | | शून्य |
| | अन्य देयताएं | लागू नहीं | 1.00 | | शून्य |
| एचएलएल प्रबंधन अकादमी - सोसाइटी | वेतन और भत्ते | लागू नहीं | 20.00 | | शून्य |
| | अन्य व्यय | लागू नहीं | 1.00 | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | 421.00 | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | 5.00 | | शून्य |
| एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड - सहायक कंपनी | अन्य व्यय | लागू नहीं | - | | शून्य |
| | विविध देनदार | लागू नहीं | - | | शून्य |
| | शेयरों में निवेश | लागू नहीं | - | | शून्य |
| | परामर्श/ सेवाएं | लागू नहीं | - | | शून्य |

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन :08419099)

तारीख : 28 अगस्त, 2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम

| Name (s) of the related Party & Nature of relationship | Nature of contract/ arrangements/ transactions | Duration of contract/ arrangements/ transactions | Salient terms including the value, if any (Rs. in lakhs) | Date of Board approval, if any | Amount paid as advance, if any |
|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| HLL Infra Tech Services Limited - Subsidiary company | Rental Income | NA | 315.96 | | Nil |
| | Consultancy/ Service | NA | 184.33 | | Nil |
| | Dividend Income | NA | 1,000.00 | | Nil |
| | Other Expense | NA | 186.73 | | Nil |
| | Sundry Debtors | NA | 189.63 | | Nil |
| | Sundry Creditors | | 0.82 | | Nil |
| | Investment in shares | NA | 5.00 | | Nil |
| HLL Pratheeksha Charitable Society – Associate | Other expenses | NA | | | Nil |
| | Other liabilities | NA | 1.00 | | Nil |
| HLL Management Academy – Society | Salaries & allowances | NA | 20.00 | | Nil |
| | Other Expenses | NA | 1.00 | | Nil |
| | Sundry Debtors | NA | 421.00 | | Nil |
| | Consultancy / Services | NA | 5.00 | | Nil |
| HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd. – Subsidiary Company | Other Expenses | NA | | | Nil |
| | Sundry Debtors | NA | | | Nil |
| | Investment in shares | NA | | | Nil |
| | Consultancy / Services | NA | | | Nil |

For and on behalf of Board of Directors

K Beji George IRTS
 Chairman & Managing Director
 [DIN:08419099]

Date: 28th August 2023

Place: Thiruvananthapuram

फार्म नं.एमजीटी - 9

वार्षिक विवरणी का उद्घरण

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621

पंजीकरण तारीख : 01/03/1966

कंपनी का नाम : एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : पब्लिक कंपनी

पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :

एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम -695012

क्या सूचीबद्ध कंपनी : जी नहीं

रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर टी ए) का नाम, पता व संपर्क विवरण, यदि कोई है :

मैसर्स इंडग्रेटेड रेजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

नंबर 30, रमणा रेजिडेंसी,

चौथा क्रॉस, संपिंगे रोड

मल्लेश्वरम

बैंगलोर - 560 003

II. कंपनी के मुख्य व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के कुल व्यापारावर्त के 10% या उसके अधिक योगदान कर रहे सभी व्यवसाय कार्यकलापों को बनाया जाएगा :-

| क्र.सं. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम व विवरण | उत्पाद/सेवा के एन आई सी कोड | कंपनी के कुल व्यापारावर्त का % |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | गर्भनिरोधक उत्पादें | | 7.90 |
| 2 | नैदानिक सेवाएँ | | 13.29 |
| 3 | रीटेल व्यवसाय | | 27.69 |
| 4 | परियोजनाएं और सेवाएं | | 6.39 |
| 5 | कोविड व्यवसाय | | 40.05 |
| 6 | अन्य | | 4.68 |

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2023 of HLL LIFECARE LIMITED
[Pursuant to Section 92(1) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

CIN :U25193KL1966GOI002621

Registration Date:01/03/1966

Name of the Company: HLL Lifecare Limited

Category/Sub-Category of the Company: Public Company

Address of the Registered Office and contact details:

HLLBhavan, Mahilamandiram Road, Poojappura, Trivandrum-695 012

Whether listed company:No

Name, Address and contact details of Registrar & Transfer Agents (RTA), if any:

M/s Integrated Registry Management Services Private Limited
No 30, Ramana Residencies,
4th Cross, Sampige Road
Malleswaram
Bangalore – 560 003

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

| Sl. No. | Name and Description of main products/services | NIC Code of the Product/service | % to total turnover of the company |
|---------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Contraceptive Products | | 7.90 |
| 2 | Diagnostic services | | 13.29 |
| 3 | Retail Business | | 27.69 |
| 4 | Projects and Services | | 6.39 |
| 5 | Covid Business | | 40.05 |
| 6 | Others | | 4.68 |



III. नियंत्रण, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

| क्र. सं. | कंपनी के नाम व पता | सी आई एन/जी एल एन | नियंत्रण/ सहायक/ सहयोगी | रखे गए शेयरों की % | लागू खंड |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. | गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | यु24231जीए1980एसजीसी000412 | सहायक | 74% | 2(6) |
| 2. | एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्वोसिस लिमिटेड | यु45200केएल2014जीओआई036617 | सहायक | 100% | 2(87) |
| 3. | एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड | यु85200युपी2017जीओआई095591 | सहायक | 100% | 2(87) |
| 4. | लाइफ स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड | यु85110केएल2008पीटीसी021819 | सहयोगी | 50% | 2(87) |

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या % | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------|
| | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | |

क. प्रमोटर

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|-------|-----------|----------|----------|-------|-----------|
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क)व्यक्ति/एचयुएफ | | | | नगण्य | | | | नगण्य | |
| (ख)केंद्र सरकार | | 15535000 | 15535000 | 100 | | 15535000 | 15535000 | 100 | लागू नहीं |
| (ग)राज्य सरकार (रें) | | | | | | | | | |
| (घ)निकाय/कॉर्पोरेशन | | | | | | | | | |
| (ड)बैंक/एफ आई | | | | | | | | | |
| (च) अन्य कोई (पी एस ई & आई टी एस नॉमिनी) | | | | | | | | | |
| उप-कुल (क) (1) :- लागू नहीं | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100 | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100 | लागू नहीं |

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

| S. NO | Name and address of the Company | CIN/GLN | Holding/ Subsidiary/ Associate | % Of Shares Held | Applicable Section |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited | U24231GA1980SGC000412 | Subsidiary | 74% | 2(6) |
| 2. | HLL Infra Tech Services Limited | U45200KL2014G0I036617 | Subsidiary | 100% | 2(87) |
| 3. | HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd. | U85200UP2017G0I095591 | Subsidiary | 100% | 2(87) |
| 4. | Life Spring Hospitals Pvt.Ltd. | U85110KL2008PTC021819 | Associate | 50% | 2(87) |

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

| Category of Shareholders | No. of Shares held at the beginning of the year | | | | No. of Shares held at the end of the year% | | | | % Changes during the year |
|----------------------------------|---|----------|----------|------------------|--|----------|----------|-------------------|---------------------------|
| | De-mat | Physical | Total | % of Total Share | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | |
| A. Promoters | | | | | | | | | |
| (1) Indian | | | | | | | | | |
| a) Individual/ HUF | | | | Negligible | | | | Negligible | |
| b) Central Govt | | 15535000 | 15535000 | 100 | | 15535000 | 15535000 | 100 | NA |
| c) State Govt(s) | | | | | | | | | |
| d) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| e) Banks/FI | | | | | | | | | |
| f) Any Other (PSE & ITS Nominee) | | | | | | | | | |
| Sub-total (A) (1):- | NA | 15535000 | 15535000 | 100 | NA | 15535000 | 15535000 | 100 | NA |



| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|------|-----------|--|
| (2) विदेशी | | | | | | | | | | |
| (क) एन आर आई- व्यक्ति | | | | | | | | | | |
| (ख) अन्य-व्यक्ति | | | | | | | | | | |
| (ग) निकाय कॉर्पोरेशन | | | | | | | | | | |
| (घ) बैंक/एफ आई | | | | | | | | | | |
| (ङ) अन्य कोई | | | | | | | | | | |
| उप-कुल (क)(2) :- | | | | | | | | | | |
| कुल प्रमोटर का शेयरधारण (क) = (क)(1)+(क)(2) | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100% | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100% | लागू नहीं | |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या % | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % | |
|--|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|--------------------------|--|
| | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | | |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | | | | |
| 1. संस्थाएँ | | | | | | | | | | |
| (क) म्यूचल फंड | | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक/एफ आई | | | | | | | | | | |
| (ग) केंद्र सरकार | | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार (रें) | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | |
| (ङ) उद्यम पूँजी निधियों | | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियों | | | | | | | | | | |
| (छ) एफ आई आई एस | | | | | | | | | | |
| (ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि | | | | | | | | | | |
| (i) अन्य | | | | | | | | | | |
| उप-कुल (ख) (1) :- | | | | | | | | | | |
| (2). गैर संस्थाएँ | | | | | | | | | | |
| (क) निकाय कॉर्पोरेशन | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | |
| (i) भारतीय | | | | | | | | | | |
| (ii) प्रवासी | | | | | | | | | | |
| (ख) व्यक्ति | | | | | | | | | | |
| (i) ₹ 1 लाख तक नाममात्र शेयर पूँजी रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक व्यक्ति | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | |
| (ii) ₹ 1 लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूँजी रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | | | | | | | | | | |
| प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी (क) = (क)(1) + (क)(2) | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----------|----------|------|----|----------|----------|------|----|
| (2) Foreign | | | | | | | | | |
| (a) NRIs - Individuals | | | | | | | | | |
| (b) Other – Individuals | | | | | | | | | |
| (c) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| (d) Banks/FI | | | | | | | | | |
| (e) Any Other | | | | | | | | | |
| Sub-total(A) | | | | | | | | | |
| (2):- | | | | | | | | | |
| Total Share holding of Promoter (A) = (A) (1)+(A)(2) | NA | 15535000 | 15535000 | 100% | NA | 15535000 | 15535000 | 100% | NA |

| Category of Shareholders | No. of Shares held at the beginning of the year | | | | No. of Shares held at the end of the year% | | | | % Changes during the year | |
|--|---|----------|-------|------------------|--|----------|-------|-------------------|---------------------------|--|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Share | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | | |
| B. Public Shareholding | | | | | | | | | | |
| 1. Institutions | | | | | | | | | | |
| a. Mutual Funds | | | | | | | | | | |
| b. Banks/FI | | | | | | | | | | |
| c. Central Govt | | | | | | | | | | |
| d. State Govt(s) | | | | | | | | | | |
| e. Venture Capital Funds | | | | | | | | | | |
| f. Insurance Companies | | | | | | | | | | |
| g. FIs | NA | Nil | Nil | Nil | NA | Nil | Nil | Nil | NA | |
| h. Foreign Venture Capital Funds | | | | | | | | | | |
| i. Others | | | | | | | | | | |
| Sub-total (B)(1):- | NA | Nil | Nil | Nil | NA | Nil | Nil | Nil | NA | |
| 2. Non-Institutions | | | | | | | | | | |
| (a) Bodies Corp. | | | | | | | | | | |
| (i) Indian | | | | | | | | | | |
| (ii) Overseas | | | | | | | | | | |
| (b) Individuals | | | | | | | | | | |
| (i) Individual share holders holding nominal share capital upto ₹1 lakh | NA | Nil | Nil | Nil | NA | Nil | Nil | Nil | NA | |
| (ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh | | | | | | | | | | |
| Total Share holding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2) | NA | Nil | Nil | Nil | NA | Nil | Nil | Nil | NA | |



| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या % | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|
| | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | डीमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों की % | |
| ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखे गए शेयर | | | | | | | | | |
| | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| कुल योग (क+ख+ग) | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100% | लागू नहीं | 15535000 | 15535000 | 100% | लागू नहीं |

V. प्रमोटरों की हिस्सेदारी

| क्रम.सं. | शेयरधारकों का नाम | वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी | | | वर्ष के अंत में हिस्सेदारी | | | वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन % |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % | कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % | कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की % | |
| 1 | भारत सरकार | 15535000 | 100% | - | 15535000 | 100% | - | लागू नहीं |

VI. प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो, कृपया स्पष्ट करें)

| क्रम.सं. | | वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी | | वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी | |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % | शेयरों की संख्या | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |
| 2 | प्रमोटरों की तारीखवार वृद्धि/कमी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | *वर्ष के दौरान शेयरधारिता में कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) : | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |
| 4 | वर्ष के अंत में | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |

| Category of Shareholders | No. of Shares held at the beginning of the year | | | | No. of Shares held at the end of the year% | | | | % Changes during the year |
|--|---|----------|----------|------------------|--|----------|----------|-------------------|---------------------------|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Share | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | |
| C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs | | | | | | | | | |
| | NA | Nil | Nil | Nil | NA | Nil | Nil | Nil | NA |
| Grand Total (A+B+C) | NA | 15535000 | 15535000 | 100% | NA | 15535000 | 15535000 | 100% | NA |

V. Shareholding of Promoters

| Sl No. | Shareholder's Name | Shareholding at the beginning of the year | | | Shareholding at the end of the year | | | % change In share holding during the year |
|--------|--------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | No. of Shares | % of total Shares of the company | % of Shares Pledged/encumbered to total shares | No. of Shares | % of total Shares of the company | % of Shares Pledged/encumbered to total shares | |
| 1. | Govt. of India | 15535000 | 100% | - | 15535000 | 100% | - | NA |

VI. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

| Sl. No. | | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|---------|--|---|----------------------------------|---|-----|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | No. of shares | |
| 1 | At the beginning of the year | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |
| 2 | Date wise Increase/ Decrease in Promoters | NA | NA | NA | NA |
| 3 | *Share holding during the Year specifying the reasons for decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc): | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |
| 4 | At the end of the year | 15535000 | 100 | 15535000 | 100 |

VII. उच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारिता स्वरूप (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रमोटर्स और धारकों के अलावा)

| क्र.सं. | प्रत्येक 10 उच्च शेयरधारकों के लिए | वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी | | वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी | |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | शून्य | | शून्य | |
| 2 | वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी(उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि) : | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान यदि अलगाव हो गया है तो, अलगाव की तारीख) | शून्य | | शून्य | |

VIII. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

| क्रम.सं. | प्रत्येक निदेशकों और केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी | | वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी | |
|----------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों की % |
| | वर्ष के प्रारंभ में | | | | |
| 1) | डॉ धर्मेन्द्र एस गंगवार आई ए एस, निदेशक | 100 | नगण्य | 100 | नगण्य |
| 2) | डॉ.मंदीप कुमार भंडारी आई ए एस, निदेशक | 100 | | 100 | |
| 3) | श्री ई.ए.सुब्रमण्यन, निदेशक | 100 | | 100 | |
| 4) | श्री टी.राजशेखर, निदेशक | 100 | | 100 | |
| 5) | डॉ.गीता शर्मा | 100 | | 100 | |
| | वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी(उदा.आबंटन/ अंतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि) : | | | | |
| | वर्ष के अंत में | | | | |
| 1) | श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस, निदेशक | 100 | नगण्य | 100 | नगण्य |
| 2) | श्रीमती रोली सिंह आई ए एस, निदेशक | 100 | | 100 | |
| 3) | श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस, अध्यक्ष | 100 | | 100 | |
| 4) | श्री टी.राजशेखर, निदेशक | 100 | | 100 | |
| 5) | डॉ.गीता शर्मा, निदेशक | 100 | | 100 | |

VII. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

| Sl. No. | For Each of the Top 10 Shareholders | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative shareholding during the year | |
|---------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | No. of shares | % of total shares of the company |
| 1 | At the beginning of the year | Nil | | Nil | |
| 2 | Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g.allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc): | | | | |
| 3 | At the End of the year (or on the date of separation, if Separated during theyear) | Nil | | Nil | |

VIII. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

| Sl No | For Each of the Directors and KMP | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|-------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | No. of shares | % of total shares of the company |
| | At the beginning of the year | | | | |
| 1 | Dr Dharmendra S Gangwar IAS, Director | 100 | Negligible | 100 | Negligible |
| 2 | Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS, Director | 100 | | | |
| 3 | Shri E A Subramanian, Director | 100 | | | |
| 4 | Shri T Rajasekar, Director | 100 | | | |
| 5 | Dr Geeta Sharma | 100 | | | |
| | Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment /transfer/bonus/sweat equity etc) | | | | |
| | At the end of the year | | | | |
| 1 | Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS, Director | 100 | Negligible | 100 | Negligible |
| 2 | Smt Roli Singh IAS, Director | 100 | | | |
| 3 | Shri. K Beji George IRTS, Chairman | 100 | | | |
| 4 | Shri. T Rajasekar, Director | 100 | | | |
| 5 | Dr. Geeta Sharma, Director | 100 | | | |

IX. ऋण प्रस्तता

शेष/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणप्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं।

| ऋण प्रस्तता | जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण | (रुपए करोड़ों में) | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | जमा | कुल ऋण |
| वर्ष के प्रारंभ में ऋणप्रस्तता | | | | |
| मूल | 157.80 | | | 157.80 |
| देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए | - | | | - |
| उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं | - | | | - |
| कुल परिवर्तन | 157.80 | | | 157.80 |
| जोड़ | 232.05 | | | |
| कमी | | | | - |
| निवल परिवर्तन | 232.05 | | | 232.05 |
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण प्रस्तता | | | | |
| मूल | 389.85 | | | 389.85 |
| देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए | | | | - |
| उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं | | | | - |
| कुल | 389.85 | | | 389.85 |

X. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | एम डी/डब्ल्यू टी डी/प्रबंधक के नाम | | | | | कुल रकम |
|----------|---|------------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| | | श्री के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस | श्री ई.ए.सुब्रह्मण्यन (अप्रैल 2022 तक) | डॉ.गीता शर्मा | श्री टी.राजशेखर | डॉ.अनिता तंपी (04/01/2023) से | |
| 1. | सकल वेतन | | | | | | |
| | (क)आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। | 54.39 | 3.14 | 61.39 | 45.75 | 9.05 | 173.72 |
| | (ख)आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। | | | | | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वेतन के बजाय लाभ | | | | | | |
| 2. | स्टॉक विकल्प | | | | | | |
| 3. | उद्यम इक्विटी | | | | | | |
| 4. | कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें | | | | | | |
| 5. | अन्य, स्पष्ट करें (नियोक्ता पी एफ अंशदान और अंशदायी पेंशन) | 1.23 | | 5.45 | 7.80 | 1.96 | 16.44 |
| 6. | अंतिम लाभ | | 31.86 | | 42.48 | | 74.34 |
| 7. | कुल (क) अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा | 55.62 | 35.00 | 66.84 | 96.03 | 11.01 | 264.50 |

IX. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

| Indebtedness | Secured Loans excl.deposits | Unsecured Loans | In crs | |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|--------|
| | | | Deposits | Total |
| Indebtness at the beginning of the year | | | | |
| Principal | 157.80 | | | 157.80 |
| Interest due but not paid | - | | | - |
| Interest accrued but not paid | - | | | - |
| Total | 157.80 | | | 157.80 |
| Changes: | | | | |
| Addition | 232.05 | | | |
| Reduction | | | | - |
| Net change | 232.05 | | | 232.05 |
| Indebtness at the end of the year | | | | |
| Principal | 389.85 | | | 389.85 |
| Interest due but not paid | | | | - |
| Interest accrued but not paid | | | | - |
| Total | 389.85 | | | 389.85 |

X. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(Rs. in Lakh)

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Name of MD / WTD / Manager | | | | | Total Amount |
|---------|---|----------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Shri K Beji George IRTS | Shri E A Subramanian (Upto April 2022) | Dr Geeta Sharma | Shri T Rajasekar | Dr Anitha Thampi (w.e.f 04/01/2023) | |
| 1. | Gross salary | | | | | | |
| | a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act,1961 | 54.39 | 3.14 | 61.39 | 45.75 | 9.05 | 173.72 |
| | b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 | | | | | | |
| | c) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income tax Act, 1961 | | | | | | |
| 2. | Stock Option | | | | | | |
| 3. | Sweat Equity | | | | | | |
| 4. | Commission as % of profit others, specify. | | | | | | |
| 5 | Others, please specify (Employer PF contribution & contributory pension) | 1.23 | | 5.45 | 7.80 | 1.96 | 16.44 |
| 6 | Terminal Benefits | | 31.86 | | 42.48 | | 74.34 |
| 7 | Total (A) | 55.62 | 35.00 | 66.84 | 96.03 | 11.01 | 264.50 |
| | Ceiling as per the Act | | | | | | |

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(₹ लाखों में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | एम डी/डब्लियु टी डी/प्रबंधक के नाम | | | कुल रकम |
|----------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| | | डॉ.विजय चंद्र रेड्डी | डॉ.आदर्श पाल विज | श्रीमती नीता बूचरा | |
| 1. | स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। कमीशन अन्य, स्पष्ट करें | | | | |
| | कुल (1) | | | | |
| 2. | अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, स्पष्ट करें | - | - | - | - |
| | कुल (2) | शून्य | | | शून्य |
| | कुल (ख) = (1+2) | | | | |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | | | | |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा | | | | |

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लियु टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | | कुल |
|----------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| | | सी ई ओ | श्री जयकृष्णन ए.आर, कंपनी सचिव | श्री संतोष चेरियान सी,सी एफ ओ (दिसंबर 2022 तक) | श्री रमेश पी,सी एफ ओ (जनवरी 2023 से) | |
| 1 | सकल वेतन | - | - | - | - | |
| | (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। | - | 25.74 | 24.69 | 11.19 | 61.62 |
| | (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। | - | - | | | |
| | (ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बजाय लाभ | - | - | - | - | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | - | |
| 3. | उद्यम इक्विटी | - | - | - | - | |
| 4. | कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य, स्पष्ट करें (नियोक्ता पी एफ अंशदान और अंशदायी पेंशन) | - | 2.52 | 1.86 | 0.70 | 5.08 |
| 6 | कुल | - | 28.26 | 26.55 | 11.89 | 66.70 |

B. Remuneration to other directors:

(Rs.in Lakh)

| Sl.No | Particulars of Remuneration | Name of MD/WTD/ Manager | | | Total Amount |
|-------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Dr.Vijay chander Reddy | Dr.Adarsh Pal Vig | Mrs.Neeta Boochra | |
| 1 | Independent Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify | | | | |
| | Total (1) | | | | |
| 2. | Other Non-Executive Directors | | | | |
| | Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify | - | - | - | - |
| | Total (2) | Nil | | | Nil |
| | Total (B) = (1+2) | | | | |
| | Total Managerial Remuneration | | | | |
| | Overall Ceiling as per the Act | | | | |

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD / MANAGER / WTD.

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Key Managerial Personnel | | | | Total |
|---------|---|--------------------------|---|--|---|--------------|
| | | CEO | Shri Jaikrishnan A R, Company Secretary | Shri Santosh Cherman C, CFO (Upto December 2022) | Shri Remesh P, CFO (w.e.f January 2023) | |
| 1 | Gross salary | - | - | - | | - |
| | a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act,1961 | - | 25.74 | 24.69 | 11.19 | 61.62 |
| | b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 | - | | | | |
| | c) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income- tax Act, 1961 | - | | | | |
| 2. | Stock Option | - | | | | |
| 3. | Sweat Equity | - | | | | |
| 4. | Commission as % of profit, others specify. | - | | | | |
| 5 | Others, please specify (Employer PF contribution & contributory pension) | - | 2.52 | 1.86 | 0.70 | 5.08 |
| 6 | Total | - | 28.26 | 26.55 | 11.89 | 66.70 |



XI. जुर्माना/दंड/अपराध का समझौता करना :

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाए जुर्माना /दंड/ अधिरोपित समझौता शुल्क का विवरण | प्राधिकरण झार डी/ एन सी एल टी/अदालत | यदि कोई अपील बनाया गया है (विवरण दें) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| क. कंपनी | | | | | |
| जुर्माना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख. निदेशक | | | | | |
| जुर्माना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग. भूल-चूक में अन्य अधिकारीगण | | | | | |
| जुर्माना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

XI. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES

| Type | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed | Authority [RD/ NCLT/ COURT] | Appeal made, if any (give Details) |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A. COMPANY | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| B. DIRECTORS | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |

फर्म सं.एम आर 3

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में

सदस्य

मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हम, बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एलएलपी ने मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (सी आई एन: यु25193केएल1966 जी ओ आई 002621) (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन करने की सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवालयीन लेखापरीक्षा उस तरीके से आयोजित की गयी जो कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय प्रकट करने के लिए एक उचित आधार हमें प्रदान किया गया।

बही, कागज़ातें, कार्यवृत्त, प्रपत्र एवं फाइल किए गए रिटर्न और हमें दिए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कंपनी के संस्था के ज्ञापन व अंतर्नियम और अनुबंध 1 में उल्लिखित जैसे नियमों के प्रयोज्य प्रावधान, मानक, दिशानिर्देश आदि का भी अनुपालन किया है और इसके पश्चात् बनाए गए रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी को उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र भी है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के प्रावधानों के अनुसार, 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे कार्यवृत्त, प्रपत्र और दाखिल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए नियम ;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, उसके अधीन नियम और विनियम;
- जमाकर्ता अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम;
- प्रतिभूति अनुबंध विनियम अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम

हमने कंपनी द्वारा उद्योग विशिष्ट लागू अधिनियमों, सामान्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए सिस्टम और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अन्य मुख्य शीर्ष/ग्रुपों की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

Form No: MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2023
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and
Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To

The Members

HLL LIFECARE LIMITED

CIN: U25193KL1966GOI002621

HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,

POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM

KERALA - 695012, INDIA

We, BVR & ASSOCIATES Company Secretaries LLP, have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by M/s. HLL LIFECARE LIMITED [CIN: U25193KL-1966GOI002621] (hereinafter called "the Company"). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of books, papers, minutes, forms and returns filed and other records produced to us and according to information and explanations given to us by the Company, its officers, agents, and authorised representatives during the conduct of the secretarial audit, we hereby report that, in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2023 complied with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made there under, the Memorandum and Articles of Association of the Company and also applicable provisions of the laws as mentioned in Annexure 1, standards, guidelines etc., and also the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the minutes, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31.03.2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations framed there under
- (iv) The Securities Contract Regulation Act, 1956 and the Rules made there under

We have relied on the representations made by the company and its officers for systems and mechanisms formed by the company for compliances under industry specific applicable Acts, general Laws and regulations to the company. The list of other major head/Groups of Acts, Laws and Regulations as applicable to the company is given in Annexure 1.

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है :

भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक लागू सीमा तक ।

कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी रहने से, लिस्टिंग विनियम कंपनी के लिए लागू नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल को अपेक्षित संख्या स्वतंत्र निदेशकों के अलावा कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक, महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के उचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की बनावट में हुए बदलाव शुल्क/अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ अनुपालन करके कार्यान्वित किए गए हैं।

बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गयी कि कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिवस पूर्व अग्रिम रूप से भेजी गईं और बैठक के पूर्व कार्यसूची मद्दों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। बहुमत निर्णय के माध्यम से किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार भी कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

निदेशकों ने उनकी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुपालन किया है, वे स्वतंत्र रहने से और निदेशकों और प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता के साथ और ठेके और व्यवस्थाओं में हित के प्रकटीकरण और शेयरहोल्डिंग/डिबेंचर होल्डिंग और अन्य कंपनियों में और अन्य संस्थाओं में निदेशकशिप के रूप में अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश घोषित किया है और कंपनी अधिनियम 2013, के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन देखा गया ।

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों के अतिरिक्त विधियों की एक सूची प्रदान की है और यह देखा गया है कि कंपनी को लागू सभी कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

यहाँ लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन का अनुवीक्षण करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एफ सी एस नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : एफ011868इ000816045

पी आर नं.706/2019

स्थान : तिरुवनंतपुरम

दिनांक : 17.08.2023

यह रिपोर्ट हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ भी पढ़ी जानी है जिसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable.

The Company being an unlisted company the Listing Regulations are not applicable to the company.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc mentioned above.

We further report that

The Board of Directors of the Company is constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Woman Director and Independent Director during the reporting period. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 with payment of fee/additional fees.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent at least seven days in advance, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel and also with regard to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings/debenture holdings and directorships in other companies and interests in other entities.

We report that, during the year under review:

The Company has declared final dividend for FY 2021-22 to its shareholders during the period under scrutiny and all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 were seen complied with.

The Company has provided a list of statutes in addition to the laws as mentioned above and it has been observed that there are systems in place to ensure compliance of all laws applicable to the company.

We further report that;

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For BVR & Associates Company Secretaries LLP

Gokul R I

Designated Partner

FCS No.11868

C P No.14245

UDIN:F011868E000816045

PR No.706/2019

Place: Trivandrum

Date: 17.08.2023

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

अनुबंध क

सेवा में

सदस्य,

मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड

इस तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है :

1. सचिवालयीन अभिलेख का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर एक राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो, सचिवालयीन अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।
3. सचिवालयीन अभिलेखों पर सही तथ्य परिलक्षित किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हम मानते हैं कि जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वह हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखाबहियों के शुद्धता एवं औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ कहीं अपेक्षित हैं, हमें कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधान का अनुपालन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच, परीक्षा के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
7. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।
8. हमने सी पी एस ई के लिए निगमित अभिशासन पर डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एफ सी एस नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : एफ011868ई000816045

पी आर नं.706/2019

स्थान : तिरुवनंतपुरम

दिनांक : 17.08.2023

Annexure A

To,
The Members,
M/s. HLL LIFECARE LIMITED

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records.
3. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
8. We have not commented on the compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs.

For BVR & Associates Company Secretaries LLP

Gokul R I
Designated Partner
FCS No.11868
C P No.14245

UDIN:F011868E000816045
PR No.706/2019

Place: Trivandrum
Date: 17.08.2023

अनुबंध 1

कंपनी के लिए लागू उद्योग विशिष्ट नियम की सूची

1. फैक्टरी अधिनियम, 1948
2. वायु (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986
5. कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013
6. औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एफ सी एस नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : एफ011868ई000816045

पी आर नं.706/2019

स्थान : तिरुवनंतपुरम

दिनांक : 17.08.2023

Annex 1

List of Industry specific laws applicable to the company

1. The Factories Act, 1948
2. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
3. Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974
4. The Environment (Protection) Act, 1986
5. Sexual Harassment of Women at the work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
6. Drugs & Cosmetics Act, 1940

For BVR & Associates Company Secretaries LLP

Gokul R I
Designated Partner

FCS No.11868

C P No.14245

UDIN:F011868E000816045

PR No.706/2019

Place: Trivandrum

Date: 17.08.2023

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्य

मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हमने दिनांक 14 मई, 2010 के डी पी ई का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जी एम द्वारा निर्धारित जैसे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन की शर्तों की जाँच की है ।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन करना प्रबंध का उत्तरदायित्व है । हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत कार्य पद्धतियों और कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा या मत की अभिव्यक्ति नहीं है ।

हमारी राय और हमें दिए विवरणों पर अपनी सूचना के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित डी पी ई का.ज्ञा. में निर्धारित जैसे कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है न ही कार्य क्षमता या प्रभावकारिता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को चलाया है ।

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सेक्रेटरीस एलएलपी

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 16.08.2023

गोकुल आर आई
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एम नं. एफ 11868
सी पी नं.14245
युडीआईएन : एफ011868ई000809381

COMPLIANCE CERTIFICATE

To
The Members
HLL LIFECARE LIMITED
CIN: U25193KL1966GOI002621
HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,
POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA – 695 012, INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by HLL Lifecare Limited for the financial year ended on 31st March 2023, as stipulated by DPE OM No. 18(8)/2005-GM dated 14th May 2010.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE O.M.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

for BVR& Associates Company Secretaries LLP

Gokul R I
Practicing Company Secretary
M.No.F11868
CP.No.14245
UDIN: F011868E000809381

Place: Trivandrum
Date: 16.08.2023

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

लेखापरीक्षा अर्हताओं पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

अर्हता 1:

गैर चालू कर परिसंपत्ति (नोट :8) में विभिन्न तृतीय पक्षों द्वारा कंपनी को किए गए भुगतान पर स्रोत पर काटा गया कर शामिल है। चूंकि, जैसा कि नोट 8 में बताया गया है, फॉर्म 26 एएस में उपलब्ध डेटा के साथ इसका मिलान पूरा नहीं हुआ है, हम उक्त राशि की वसूली के विस्तार पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

गैर चालू कर परिसंपत्ति में फॉर्म 26एएस के 55.48 करोड़ रुपए की अपेक्षा, वर्ष 2022-23 के लिए 43.36 करोड़ रुपए के टैक्स क्रेडिट शामिल हैं। यह अंतर मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में लेनदेन और ग्राहक मास्टर, व्यापार और कानूनी नाम में बेमेल और ग्राहकों के लिए कई कर कटौती खातों के कारण विभिन्न ग्राहकों से संग्रह की अपेक्षा टीडीएस की गैर-पहचान के कारण है। जबकि पहचान और मैनुअल समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, समाधान के लिए एक स्वचालित समाधान की खोज की जा रही है।

अर्हता 2:

अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 14) में 124.99 करोड़ रुपए का माल और सेवा कर (जीएसटी)/वैट/एसटी इनपुट शामिल हैं। चूंकि लेखा-पुस्तकों और बही-खातों और जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध डेटा के अनुसार इनपुट क्रेडिट का मिलान कंपनी द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उपरोक्त राशि की उचित सटीकता का आकलन हमारे द्वारा नहीं किया जा सका है।

प्रबंधन प्रतिक्रिया :

वित्त वर्ष 22-23 की अर्हता में बताए गए 31.03.2023 तक के 124.99 करोड़ रुपए के इनपुट बही संतुलन में जीएसटी शासन की शुरुआत यानी वित्त वर्ष 2017-18 के बाद के शेष शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस रकम को योग्यता दी थी। 124.99 करोड़ रुपए के ब्रेक अप में समेकित ई-कैश लेजर बैलेंस, सुलझे हुए निर्यात रिफंड लेजर बैलेंस और पिछली कर व्यवस्था के परोक्ष कर शेष की राशि शामिल है, जिसके लिए प्रावधान पहले से ही पुस्तकों में बनाया गया है। समेकित शेष और प्रावधानों को हटाने के बाद, 31.03.2023 तक पुस्तकों के अनुसार जीएसटी इनपुट का निवल शेष 102.16 करोड़ रुपए है। खातों की पुस्तकों में इस इनपुट टैक्स क्रेडिट शेष की अपेक्षा, जीएसटी पोर्टल में 49.83 करोड़ रुपए का शेष उपलब्ध है। इसलिए 31.03.2023 को पुस्तकों के अनुसार इनपुट शेष और जीएसटी पोर्टल में दर्शाए गए इनपुट के बीच निवल अंतर 52.33 करोड़ रुपए है। खातों की पुस्तकों में उपयुक्त प्रयोग के लिए इस शेष का विश्लेषण किया जा रहा है।

Addendum to Directors Report

Management Response to Audit Qualifications

Qualification1:

Non Current Tax Asset (Note: 8) include Tax deducted at Source on the payments made to the company by various third parties. Since, as disclosed in Note 8, reconciliation of the same with the data available in Form 26AS is not complete, we are unable to express an opinion on extend of the realisability of the said amount.

Management Response:

Non Current Tax Asset includes Rs.43.36 Cr being Tax credit accounted for the year 2022-23 as against Rs. 55.48 Cr in Form 26AS. The difference is mainly due to large volume of transactions and non-identification of TDS against collections from various customers due to mismatches in customer master, Trade and Legal name and multiple tax deduction accounts for customers . While continuous efforts are done for identification and manual reconciliation , an automated solution for the reconciliation is being explored.

Qualification 2:

Other current assets (Note 14) include the Goods and Service Tax (GST) / VAT/ ST input of Rs 124.99 Cr. Since the reconciliation of the input credit as per books of accounts and Ledgers and data available in the GST portal is not yet completed by the company, the reasonable accuracy of the aforesaid amount could not be assessed by us.

Management Response :

The Input ledger balance of Rs 124.99 Cr as on 31.03.2023 stated in the qualification of FY 22-23 includes the balances from the inception of GST regime ie FY 2017-18 onwards. This amount was qualified by the statutory auditors during the FY 2022-23. The break up of Rs 124.99 Cr includes amounts of reconciled e cash ledger balance, reconciled export refund ledger balance and the indirect tax balances of previous tax regime for which provision is already created in the books. After removing the reconciled balances and provisions, the net balance of GST Input as per books as on 31.03.2023 is Rs 102.16 Cr. Against this Input tax credit balance in the books of accounts, there is an available balance of Rs 49.83 Cr in the GST portal. Hence the net variation between Input balance as per books and Input reflecting in GST portal as on 31.03.2023 is Rs 52.33 Cr. This balance is being analysed for suitable treatment in the books of accounts.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के सदस्यों को
पूजप्पुरा, केरल - 695012

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अन्य मामले भाग के तहत पैरा 21 में दिए गए कारणों के लिए यूडीआईएन 23205660बीजीएसटीएडी6541 के साथ दिनांक 06.09.2023 की रिपोर्ट को संशोधित करके जारी किया गया है और इसे उपरोक्त यूडीआईएन वाले वित्तीय विवरणों में संदर्भित सम तिथि की रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है।

प्रतिबंध राय

1. हमने एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सार्थक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी समाविष्ट है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

2. हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिबंध राय अनुच्छेदों के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, नीचे अनुच्छेद के प्रतिबंध विचार के लिए आधार में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों, 31 मार्च 2023 तक की कंपनी के कार्यों की स्थिति में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है:

प्रतिबंध राय के आधार पर

3. गैर चालू कर परिसंपत्ति (टिप्पणी : 8) में विभिन्न तृतीय पक्षों द्वारा कंपनी को किए गए भुगतान से स्रोत पर कटौती किए कर शामिल है। जैसा कि टिप्पणी 8 में बताया गया है, चूंकि फॉर्म 26 ए एस में उपलब्ध डेटा के साथ इसका मिलान पूरा नहीं हुआ है, हम उक्त राशि की वास्तविकता पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

4. अन्य चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में 124.99 करोड़ रुपए का माल और सेवा कर (जी एस टी)/वैट/एस टी इनपुट शामिल है। चूंकि कंपनियों द्वारा अभी तक जी एस टी पोर्टल में उपलब्ध लेखाबहियों और बहीखातों और डेटा के अनुसार इनपुट क्रेडिट का मिलान पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हम उपरोक्त राशियों की उचित सटीकता का आकलन करने में असमर्थ हैं।

5. हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा चलायी। उन मानकों के अधीन हमारी उत्तदायित्वों को हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र हैं, के साथ-साथ उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिबंध राय प्रदान करने के लिए एक आधार देने की ओर पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

6. हम नीचे विस्तृत मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 2.1, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के अधीन ब्याज के प्रावधान के संबंध में कार्य का वर्णन करती है।

ख. शेष और सुलह की पुष्टि पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 2.30

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of HLL Lifecare Limited
Poojapura, Kerala-695012

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Issued by revising the report dated 06-09-2023 with UDIN 23205660BGSTAD6541 for the reasons given in para 21 under Other Matters section and this may be treated as the report of even date referred in the financial statements bearing the aforementioned UDIN.

QUALIFIED OPINION

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of HLL Lifecare Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year ended on that date and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2023, its profit, total comprehensive income, the changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

BASIS OF QUALIFIED OPINION

3. Non Current Tax Asset (Note: 8) include Tax deducted at Source on the payments made to the company by various third parties. Since, as disclosed in Note 8, reconciliation of the same with the data available in Form 26AS is not complete, we are unable to express an opinion on extend of the realisability of the said amount.
4. Other current assets (Note 14) include the Goods and Service Tax (GST)IVAT/ST input of Rs 124.99 Cr. Since the reconciliation of the input credit as per books of accounts and Ledgers and data available in the GST portal is not yet completed by the company, the reasonable accuracy of the aforesaid amount could not be assessed by us.
5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the standalone financial statements.

EMPHASIS OF MATTER

6. We draw attention to the matters detailed below. Our opinion is not modified in respect of these matters.
 - a. Note No 2.1 of the standalone financial statements, which describes the practice regarding provisioning of interest under section 16 of the Micro, Small & Medium Enterprises, Development Act.
 - b. Note No 2.30 of the standalone financial statements on the confirmation of balance and reconciliation.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

7. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबंधित किये गये थे, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

8. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जानेवाली प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला विवरण

कंपनी की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है, जैसे कि एक जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में अंतराल के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी एसएपी ईआरपी समाधान के एक पुराने संस्करण का उपयोग कर रही है जिसे बहुत पहले लागू किया गया था और इसलिए अब इसे पूर्ण विकसित एंड टु एंड समाधान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कुछ स्तरों पर मैनुअल गणना की आवश्यकता होती है। कंपनी द्वारा उपयोग किए गए जानेवाले विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर से डेटा जिनमें से कुछ कई स्थानों पर बड़े लेनदेन की मात्रा को संभाल रहे हैं, को भी एकीकरण इंटरफेस के माध्यम से एसएपी में कैचर किया जाता है। पुराने संस्करण के उपयोग, रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए मैनुअल गणना और हाल ही में व्यापक परीक्षण और समीक्षा के बिना कई सॉफ्टवेयर के उपयोग के कारण हमने आईटी सिस्टम और नियंत्रण को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।

हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबंधित किया गया था

निष्पादित मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर यूजर एक्सेस प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, कर्तव्यों का अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम ऑप्लिकेशन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन, मास्टर प्रबंधन, कर्तव्यों के प्रबंधन अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम समाधान नियंत्रण और प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग ध्यान केंद्रित किया। हमने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन पर प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता और कर्तव्यों के अलगाव को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए निवारक नियंत्रणों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर संचालित प्रमुख नियंत्रणों के एक नमूने का परीक्षण किया। वित्तीय और रिपोर्टिंग प्रणालियों पर प्रमुख नियंत्रणों के एक चयनित समूह के लिए हमने स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया कि ये नियंत्रण वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहे या मानक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के पालन करके बदले गए। अन्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया उन में सुरक्षा कॉन्फिगरेशन और सिस्टम इंटरफेस नियंत्रण शामिल हैं।

हमने मैनुअल गणना क्षेत्रों की पहचान की है और हमारी राय से उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किया है। हमने प्रभारी नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में नमूनों का परीक्षण किया है।

9. आंतरिक नियंत्रण

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले का विवरण

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता में संगत कमज़ोरियों की पहचान की है। इन संगत कमज़ोरियों का विवरण हमारी अलग रिपोर्ट के प्रतिबंध राय खंड परिशिष्ट 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक

KEY AUDIT MATTERS

7. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

8. Key Information technology (IT) systems used in financial reporting process

Key Audit Matter Description

The Company's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being misstated. Also, the company is using an older version of the SAP ERP Solution implemented long back and hence could not be used now as a full fledged end to end solution, necessitating manual calculations at certain levels for reporting purposes. Data from various other software used by the company, some of which are handling large transaction volumes at multiple locations, are also captured into SAP through integration interfaces. A comprehensive system testing and review of the present software environment is pending. We have identified 'IT systems and controls' as key audit matter because of the use of older version, manual calculation for reporting purpose and the use of multiple software without a recent comprehensive test and review.

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

We focused on user access management, master management, change management, segregation of duties, system reconciliation controls and system application controls over key financial accounting and reporting systems.

We tested a sample of key controls operating over the information technology in relation to financial accounting and reporting systems, design and operating effectiveness of key controls over user access management and preventive controls designed to enforce segregation of duties. For a selected group of key controls over financial and reporting systems, we independently performed procedures to determine that these control remained unchanged during the year or were changed following the standard change management process. Other areas that were assessed included security configurations and system interface controls.

We have identified the manual calculation areas and performed additional test to obtain reasonable assurance to form our opinion. We have tested samples in key areas of concern to ensure the effectiveness of the control system in force.

9. Internal Control

Key Audit Matter Description

We have identified material weaknesses in the operating effectiveness of the Company's internal control over financial reporting. These material weaknesses are detailed in the Qualified Opinion section of our separate report, as presented in Annexure I. The existence of material weaknesses in the Company's internal control over financial

नियंत्रण में संगत कमज़ोरियों का अस्तित्व वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। ये कमज़ोरियाँ वित्तीय विवरणों में संगत गलत विवरण को रोकने या उनका पता करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में कमियों का संकेत देता है।

पहचानी गई संगत कमज़ोरियों को देखते हुए, यह जोखिम बढ़ गया है कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय विवरणों में संगत गलत विवरण को रोकने या उनका पता लगाने में विफल हो सकते हैं। आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता से त्रुटियों, चूकों या कपटपूर्ण गतिविधियों का समय पर पता न करने की संभावना बढ़ जाती है। इसका संभावित परिणाम वित्तीय विवरण में हो सकते हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रचालन के परिणाम और नकद प्रवाह को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इन आंतरिक नियंत्रण संगत कमज़ोरियों के महत्व के कारण, हम उन्हें एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया

निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

इन संगत कमज़ोरियों के महत्व को देखते हुए, हमने एक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को लागू किया है जो पहचानी गई संगत कमज़ोरियों को दूर करने पर केंद्रित है। हमने वित्तीय विवरणों पर इन संगत कमज़ोरियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने के लिए व्यापक गहन परीक्षण किया कि क्या आंतरिक नियंत्रणों किसी भी गलत विवरण को रोका या उसका पता लगाया है। हमने शेष राशि, लेन-देन और प्रकटीकरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए उन्नत मूल प्रक्रियाएँ भी निष्पादित कीं, जिनकी पहचान की गई संगत कमज़ोरियों के कारण गलत तरीके से बताए जाने की संभावना सबसे अधिक है।

यद्यपि हमारी लेखापरीक्षा ने वित्तीय विवरणों में किसी भी संगत गलत विवरण की पहचान नहीं की है, संगत कमज़ोरियों की उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता सावधानी बरतें और रिपोर्ट की गई वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता के संभावित प्रभाव पर विचार करें।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना

10. कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

11. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढ़ना है, और ऐसे करने में विचार करें कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई प्रमुख गलत विवरण है, तो हमें शासन के साथ प्रभावित लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध और अभिशासन के साथ प्रभारितों का उत्तरदायित्व

12. कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में ("अधिनियम") अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल करके भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा

reporting poses a significant risk to the reliability and accuracy of the financial statements. These weaknesses indicate deficiencies in the implementation and monitoring of controls necessary to prevent or detect material misstatements in the financial statements.

Given the identified material weaknesses, there is an elevated risk that the Company's internal financial controls may fail to prevent or detect material misstatements in the financial statements. The inadequacy of internal controls increases the probability of errors, omissions, or fraudulent activities not being detected in a timely manner. This could potentially result in financial statements that do not fairly present the financial position, results of operations, and cash flows of the Company.

Due to the significance of these internal control material weaknesses, we consider them to be a key audit matter.

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

Given the significance of these material weaknesses, we have implemented an audit approach that focuses on addressing the identified material weaknesses. We performed extensive in depth testing to assess the impact of these material weaknesses on the financial statements and to determine whether any material misstatements were not prevented or detected by the internal controls. We also carried out enhanced substantive procedures to independently verify balances, transactions, and disclosures that are most susceptible to misstatement due to the identified material weaknesses.

While our audit did not identify any material misstatements in the financial statements, the presence of material weaknesses necessitates that users of the financial statements exercise caution and consider the potential impact on the reliability of the reported financial information.

INFORMATION OTHER THAN THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

10. The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors Report including the annexures to Directors' Report, Secretarial audit Report, Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the Standalone financial statement does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

11. In connection with our audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

12. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and change in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing

करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और स्टैंडअलोन भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्षभौतिक अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

13. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

14. निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

15. हमारा लक्ष्य है, धोखाधड़ी या गलती के कारण, स्टैंडलोन वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख अयथार्थ विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

16. एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेह का अनुरक्षण किया है। हम भी :

- वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचान करना और आकलन करना, यदि धोखाधड़ी या गलती के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थिति के लिए उचित है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है, कि क्या कंपनी को वित्तीय विवरण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन का औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान देना अपेक्षित है या, यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

13. In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

14. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

15. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the standalone financial statements.

16. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to the financial statement in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

17. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडलोन वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यदि स्टैंडलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- 17. स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के अर्थार्थ विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलकर, इसे संभावित बनाता है, जो वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने मात्रात्मक प्रमुखता और गुणवत्ता घटक (i) हमारे लेखापरीक्षा काम के कार्यक्षेत्र का नियोजन और हमारे काम के परिणाम के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किये गये किसी गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन, पर विचार करते हैं।
- 18. हम लेखापरीक्षा के दौरान, पहचान की गयी आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित अन्य मामलों के अलावा नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करते हैं।
- 19. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी विवरण सहित सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उनको सूचित किया गया है और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।
- 20. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व था और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में निर्धारित करते हैं जब तक विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

21. अन्य मामले

यह रिपोर्ट हमारी पिछली रिपोर्ट दिनांक 06.09.2023 को संशोधित करके जारी की गई है ताकि अनुबंध 2 में दी गई धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट की त्रुटि और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा में बताये गये हमारे द्वारा जारी रिपोर्ट में कुछ क्रॉस संदर्भों को ठीक किया जा सके।

22. अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

आगे अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हम ने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी सूचना और स्पष्टीकरण अपने उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप मांगा और प्राप्त कर लिया है;
- (ख) हमारी राय में, जहाँ तक कि उन लेखाबही की हमारी जाँच से प्रकट होता है कि विधि द्वारा अपेक्षित जैसे खाते के उचित लेखाबही को कंपनी द्वारा बनायी रखी है;
- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बही के साथ समझौते में हैं।
- (घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं;
- (ङ) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित धारा 164 की उप-धारा (2) का प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते है।
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट “इस रिपोर्ट के अनुबंध - 1” में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक प्रतिबंध राय व्यक्त करती है, जो कंपनी के स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।
- (छ) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है।

work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

18. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

19. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

20. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

21. OTHER MATTERS

This report is issued by revising our earlier report dated 06.09.2023 so as to cure the error in the report under section 143 (5) given in Annexure 2 and in certain cross references in the report issued by us, pointed out in the supplementary audit by the Comptroller and Audit General of India.

22. REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

Further, as required by section 143(3) of the Act, we further report that:

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
- c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including the Statement of Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- d. In our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards. Rules), 2015, as amended.
- e. As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, provisions of sub-section (2) of section 164 regarding disqualification of directors are not applicable to the Company;
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure 1 to this report. Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting, which does not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.
- g. As per notification no. GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company.

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है:

- i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है।
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालीन ठेके पर अपेक्षित जैसे लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन प्रत्यक्ष संभावित नुकसान यदि कोई हो के लिए प्रावधान किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, की मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देना या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं;
- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या यूनिट से कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी जो कि फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी हैं;
- (ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास है कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किए जैसे नियम 11 (ई) के उप खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- V. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- (ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

23 अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 2 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव देते हैं।

24. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 3 में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी ए. आई जयसिंघु
साझेदार

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 13 नवंबर, 2023

सदस्यता सं. 205660
चुडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएएल1616

- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone financial statements.
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11 (e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. (a) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.
(b) The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
23. As required by section 143(5) of the Act, we give in Annexure 2, the report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statement of the company.
24. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure 3 a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. I Jayasindhu
Partner

Place: Thiruvananthapuram
Date : 13 November 2023

M. No. 205660
UDIN : 23205660BGSTAL1616

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के खंड अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 22 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

प्रतिबंध राय

हमने, 31 मार्च 2023 तक उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

2. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2023 को नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित प्रत्यक्ष कमजोरियों की पहचान की गई है:

क). बैंक सुलह की प्रक्रिया पर अप्रभावी नियंत्रण, जिससे असंगत प्रविष्टियों की पहचान करने और उनका समाधान करने की कार्यकुशलता को खराब कर दिया है।

ख). प्राधिकरण से पहले जर्नल प्रविष्टियों के सत्यापन में कमी, जिसके परिणामस्वरूप गलत डेटा प्रविष्टि हो सकती है।

ग). केंद्रीय कार्यालय वित्त विभाग के साथ विभिन्न यूनिटों द्वारा समयबद्ध तरीके से वित्तीय सूचना के संचार में कमियाँ जैसे अतिरिक्त प्रावधान को बहाल करना, दावा न की गई बयान राशि जमा या लेनदार, प्रावधान का सृजन आदि और अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को दूर करने के संबंध में प्रक्रियाओं पर जानकारी का अप्रभावी प्रसार, जो वित्तीय विवरणों के समयबद्ध संकलन को प्रभावित कर सकता है; और

घ) कुछ नियंत्रण उपायों की अप्रभावीयता, जैसे देनदारों और लेनदारों से आवधिक शेष की पुष्टि प्राप्त करना।

3. 'प्रत्यक्ष कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, वहाँ ऐसी उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

4. हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर उल्लिखित प्रत्यक्ष कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी प्रत्यक्ष मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार की संस्था द्वारा जारी किए गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

5. हमने कंपनी के 31 मार्च 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारण करने में संगत कमजोरियों की पहचान की और उपयुक्त को रिपोर्ट की और ये प्रत्यक्ष कमजोरियाँ कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

Annexure 1 to The Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 22 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Subsection 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the "Act")

Qualified opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited ("the Company") as of 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the Standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

2. According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses in the operating effectiveness of controls have been identified as at March 31, 2023:

- a) Ineffective control over the process of bank reconciliation, which has impaired the efficiency in identification of un-reconciled entries and resolving the same;
- b) Deficiency in verification of journal entries before authorization thereof, which could result in erroneous data entry;
- c) Deficiencies in the communication of financial information like writing back of excess provision, unclaimed earnest money deposit or creditors, creation of provision etc. by various units with the central office finance department in a timely manner and ineffective dissemination of information on the procedures with regard to addressing the discrepancies found in physical verification of fixed assets, which could impact the timely compilation of financial statements; and
- d) Non-effectiveness of certain control measures like obtaining periodic balance confirmation from debtors and creditors.

3. A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

4. In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5. We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023 standalone financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

6. कंपनी के प्रबंध, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये ("मार्गदर्शन नोट") वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित जैसे मार्गनिर्देश नोट और लेखांकन पर मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और दोनों को भारत के सनदी लेखाकार की संस्था द्वारा जारी किए गए हैं के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना।

8. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमजोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

9. हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

10. एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकॉर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

6. The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

7. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

8. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone financial statements, whether due to fraud or error.

9. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting With Reference to these Standalone financial statements

10. A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone financial statement in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Standalone financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

11. कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी ए. आई जयसिंघु
साझेदार
सदस्यता सं. 205660

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 13 नवंबर, 2023

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएएल1616

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

11. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. I Jayasindhu
Partner

M. No. 205660

UDIN : 23205660BGSTAL1616

Place: Thiruvananthapuram

Date : 13 November 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध - 2

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट “ के अधीन पैरा 2 में संदर्भित।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

| क्रम सं. | निर्देश | की गई कार्रवाई | स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|----------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें। | <p>कंपनी के पास विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक ईआरपी (एसएपी) प्रणाली और अन्य सॉफ्टवेयर हैं। अन्य सॉफ्टवेयर के डेटा को इंटरफेस या बैच अपलोड के माध्यम से एसएपी में भी एकीकृत किये गये हैं, जिन्हें मैनुअल रूप से संकलित किया जाता है और उपयुक्त जाँच और नियंत्रण के साथ एसएपी में अपलोड किया जाता है। सभी लेखांकन लेनदेन आई टी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।</p> <p>हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के किसी भी प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि, हमने आईटी सिस्टम से जुड़े कुछ ऑडिट जोखिमों की पहचान की है, जिनका वर्णन हमारी रिपोर्ट के मुख्य लेखापरीक्षा मामला खंडों में किया गया है साथ ही इसे संबोधित करने की हमारी प्रक्रिया भी है।</p> <p>तदनुसार हमें लेखों की विश्वसनीयता पर उन जोखिमों के कोई भी प्रभाव का पता नहीं चला है।</p> | शून्य |
| 2 | क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट / बट्टा खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।) | हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था। | शून्य |

Annexure 2 to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of even date) Auditors Report for the year ended 31 March 2023 as per the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act 2013

| Sl. No. | Directions | Action Taken | Impact on Standalone Financial Statements |
|---------|---|---|---|
| 1 | <p>Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p> | <p>The company has an ERP (SAP) system and other software for different verticals. The data from other software are also integrated to SAP through interfaces or batch uploads, which are manually compiled and uploaded into SAP, with appropriate checks and controls. All the accounting transactions are processed through IT system.</p> <p>In our opinion and according to the information and explanation provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. However, we have identified certain audit risks associated with the IT system, which are described in the Key Audit Matters section of our report, along with our process to address the same.</p> <p>Accordingly, we have not come across any implications of those risks on the integrity of the accounts.</p> | Nil |
| 2 | <p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).</p> | <p>According to the information and explanations given to us, there were no cases of restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/interests etc, made by a lender to the company's inability to repay the loan, during the year.</p> | Nil |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | <p>क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।</p> | <p>हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों को छोड़कर उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था।</p> <p>1). कंपनी ने मार्च 2023 के दौरान एमओसी & आई को रु. 0.95 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि वापस कर दी है।</p> <p>2). इसके अलावा अनुदान में से रु. 1.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि एमओसी & आई को वापस की जानी है और इसे टिप्पणी सं 23 अन्य चालू देयताएं के अधीन शामिल किया गया है।</p> | <p>समापन की निर्धारित तिथि 31.03.2018 से 31.03.2023 तक 1.29 करोड़ रुपए के ब्याज के लिए आकस्मिक देयताएं अनुमानित है और यह टिप्पणी में खुलासा किया गया है।</p> |
|---|--|--|--|

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 13 नवंबर, 2023

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी ए. आई जयसिंघु
साझेदार
सदस्यता सं. 205660
युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएएल1616

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Whether the funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</p> | <p>According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions except for the following two cases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The company has refunded the unspent balance of Rs. 0.95 Crs to MoC&I during March 2023 2. Further an additional amount of Rs. 1.64 Crs out of the Grant is to be refunded to MoC&I and this has been included under liability in Note No: 23 others current Liabilities. | <p>Contingent liability for interest of Rs.1.29 Crores is estimated as on 31.03.2023 from the scheduled date of completion 31.03.2018 and is disclosed in notes.</p> |
|--|---|--|--|

Place: Thiruvananthapuram
Date : 13 November 2023

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. I Jayasindhu
Partner
M. No. 205660
UDIN : 23205660BGSTAL1616

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध '3'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की धारा 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अधीन

पैरा 24 में संदर्भित)

- i. कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :
- (क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने संपत्ति संयंत्र और उपकरण की परिमाणमात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ग) हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष प्रबंधन द्वारा किया जाता है और वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन पर कोई गंभीर विसंगतियाँ नहीं पायी गयी है।
- (घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के रिकॉर्ड की जाँच हमसे किया गया और एक वित्तीय ऋण दाता से उनके पास जमा किए गए शीर्षक विलेखों के संबंध में प्राप्त पुष्टि, वित्तीय विवरणों पर प्रकट की गई सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।
- (ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (च) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. कंपनी की वस्तुसूची के संबंध में :
- (क) हमें सूचित किया जाता है कि वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष प्रबंधन द्वारा किया गया है। हमें दिए गए सूचना और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे सत्यापन पर प्रत्येक वर्ष के लिए कुल मिलाकर 10% या उसके अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं।
- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को विद्यमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा बैंकों से मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दायर की गई तिमाही रिटर्न या विवरण आम तौर पर कंपनी के लेखा बही के अनुरूप हैं और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं देखी गई हैं।
- iii. कंपनियों, फर्मों सीमित देयता साझेदार या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में किए गए निवेश, प्रदान की गई प्रतिभूति या गारंटी प्रदान करने के संबंध में ऋण या अग्रिम।
- (क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

Annexure 3 to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 24 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements'
section of our report of even date)

- i) In respect of the Company's Property Plant and Equipment and Intangible Assets:
 - a) According to the information and explanation given to us and the records produced to us for our verification, the Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets.
 - b) According to the information and explanation given to us, the Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
 - c) We are informed that the Property, Plant and Equipment of the company are physically verified by the management annually and no material discrepancies were noticed on such verification during the year.
 - d) According to the information and explanation given to us, the records of the Company examined by us and the confirmation received from a financial lender in respect of title deeds deposited with them, the title deeds of all the immovable properties (other than the properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the company) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company.
 - e) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including Right of Use Assets) or Intangible assets during the year.
 - f) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2023 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
- ii) In respect of the Company's Inventories:
 - a) We are informed that the physical verification of inventory has been conducted by the management annually. According to the information furnished to us and records examined by us no discrepancies of 1 0% or more in the aggregate for each class were noticed on such verification. In our opinion, the procedures of physical verification of inventory followed by management are reasonable and adequate in relation to size of the company and the nature of its business
 - b) According to the information and explanations given to us, the company has been sanctioned working capital limit in excess of Five crore rupees, in aggregate, during the year, from banks on the basis of security of current assets the quarterly returns or statements filed by the company with such banks are generally in agreement with the books of account of the Company and no material discrepancies have been observed.
- iii) In respect of Investments made, security or guarantees provided, grant of loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties :
 - a) According to the information and explanation given to us, the company has not provided any loans or advances in the nature of loans, or stood guarantee, or provided security to its subsidiaries, joint ventures or associates, during the year.

- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को कोई निवेश प्रदान की गई, गारंटी दी गई, प्रतिभूति, ऋण के रूप में प्रतिभूत या अप्रतिभूत तौर पर ऋण और अग्रिम, नहीं दिए गए हैं, वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को ऋण के अलावा प्रदत्त जो नियमित आधार पर पेरोल के माध्यम से वसूल किया जाता है और कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जाता है जिसे निर्धारित समय के अनुसार चुकाया जाता है।
- ग) हमारी राय में और हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गये निवेश, प्रदान किए ऋण, दी गई प्रतिभूति और ऋण की प्रकृति में सभी ऋण और अग्रिमों के अनुदान का नियम एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है।
- घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की निर्धारित अनुसूची के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है और अस्थायी ऋण जो बकाया था।
- (ङ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार कोई अतिदेय राशि नहीं है।
- च) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार दिए गये ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, नवीकृत या बढ़ाया गया है या समान पार्टियों को दिए गए विद्यमान ऋणों के अतिदेय निपटान के लिए नए ऋण दिए गए हैं।
- छ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार, कंपनी ने मांग पर या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (76) में निर्धारित प्रमोटर्स या संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई राशि नहीं दी गई।
- iv. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है। हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो कोई गारंटी दी है और न ही कोई प्रतिभूति प्रदान की है।
- v. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया है।
- vi. हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने इसकी निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।
- vii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और सांविधिक देय राशि के संबंध में कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी परीक्षा के अनुसार;
- (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इसके लिए लागू सामान और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, आय-कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और अन्य सांविधित देय सहित निर्विवाद सांविधिक देय जमा करने में सामान्य रूप से नियमित रही है। हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सामान और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, आय-कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और अन्य सांविधित देय 31 मार्च 2023 तक देय होने की तारीख से छे महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे थे के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

- b) According to the information and explanation given to us, the company has not made any investments, provided guarantees, given security, granted loans and advances in the nature of loans, secured or unsecured, to parties other than subsidiaries, joint ventures or associates, during the year, other than loans provided to employees which are recovered through payroll on a regular basis and interest free advance to employees which are being repaid as stipulated.
- c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, investments made, loan provided, security given and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans are, prima facie, not prejudicial to the Company's interest.
- d) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us there is no loans or advances in the nature of loan with stipulated schedule of repayment of principal and payment of interest and the temporary loan that was outstanding.
- e) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there are no overdue amounts.
- f) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, no loans or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties.
- g) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. No amounts were granted as loan to Promoters or related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- iv. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act in respect of the loans granted during the year and the company has not made any investments during the year. According to the information and explanation given to us, the company has not given any guarantee given or provided any security.
- v. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, no deposits have been accepted by the Company from public during the year.
- vi. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion, that prima facie the prescribed cost records have been maintained. We have, however, not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.
- vii. According to the information and explanations furnished to us and according to our examination of the records of the Company in respect of the Statutory dues :
- [a] The company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, employees' state insurance, provident fund, income tax, duty of customs, duty of excise, cess and other material statutory dues applicable to it. According to the information and explanation given to us there are no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, employees' state insurance, provident fund, income tax, duty of customs, duty of excise, cess and other material statutory dues applicable to the company in arrears as at 31st March 2023 for a period of more than six months from the date they become payable.

(ख) बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, धन कर, उत्पाद शुल्क, और उप कर की देय राशि का विवरण जो किसी भी विवाद के कारण ज़मा नहीं किये गये है, नीचे दिये जाते हैं:

| सांविधि का नाम | देय की प्रकृति | फोरम जहाँ मामला लंबित है। | रकम के संबंधित अवधि | सम्मिलित रकम (₹.करोड़ों में) |
|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| केरल वैट | वैट | केरल वैट | 2009-10 | 0.04 |
| दिल्ली वैट | वैट | दिल्ली वैट | 2016-17 | 0.06 |
| दिल्ली वैट | वैट | दिल्ली वैट | 2013-14 से 2016-17 | 0.19 |
| सेवा कर | सीईएसटीएटी (बेंगलोर) | सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) | 2012-15 | 18.46 |
| सेवा कर | सीईएसटीएटी (बेंगलोर) | सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) | 2012-17 | 8.59 |
| सीमा शुल्क अधिनियम 1962 | सीमा शुल्क | सीमा शुल्क के अपर आयुक्त | 2015-16 | 1.12 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | बिक्री कर | सीएसटी प्राधिकरण | 2013-14 | 1.66 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | बिक्री कर | सीएसटी प्राधिकरण | 2014-15 | 3.27 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | बिक्री कर | सीएसटी प्राधिकरण | 2017-18 | 0.17 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | वैट | केरल वैट प्राधिकरण | 2014-15 | 1.34 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | वैट | केरल वैट प्राधिकरण | 2016-17 | 0.49 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | सीईएसटीएटी | सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) | 2010-2012 | 0.11 |
| आय कर अधिनियम 1961 | आय कर | सी आई टी (अपील) | 2012-13 | 0.32 |
| आय कर अधिनियम 1961 | आय कर | सी आई टी (अपील) | 2013-14 | 2.31 |
| आय कर अधिनियम 1961 | आय कर | सी आई टी (अपील) | 2014-15 | 0.54 |
| आय कर अधिनियम 1961 | आय कर | सी आई टी (अपील) | 2016-17 | 1.55 |

[b] Details of dues of sale tax, income tax, customs duty, goods and service tax, wealth tax, excise duty and cess, which have not been deposited on account of any dispute are as shown below :

| Nature of Statute | Nature of Dues | Forum where Dispute pending | Period to which the amount relates | Amount involved (Rs. in crs) |
|-----------------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| Kerala VAT | VAT | Kerala VAT | 2009-10 | 0.04 |
| Delhi VAT | VAT | Delhi VAT | 2016-17 | 0.06 |
| Delhi VAT | VAT | Delhi VAT | 2013-14 to 2016-17 | 0.19 |
| Service Tax | CESTAT (Bangalore) | The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) | 2012-15 | 18.46 |
| Service Tax | CESTAT (Bangalore) | The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) | 2012-17 | 8.59 |
| The Customs Act, 1962 | Customs | Additional Commissioner of Customs | 2015-16 | 1.12 |
| Commercial Taxes Department | Sales Tax | CST authorities | 2013-14 | 1.66 |
| Commercial Taxes Department | Sales Tax | CST authorities | 2014-15 | 3.27 |
| Commercial Taxes Department | Sales Tax | CST authorities | 2017-18 | 0.17 |
| Commercial Taxes Department | VAT | Kerala VAT Authorities | 2014-15 | 1.34 |
| Commercial Taxes Department | VAT | Kerala VAT Authorities | 2016-17 | 0.49 |
| Commercial Taxes Department | CESTAT | The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) | 2010-2012 | 0.11 |
| The Income Tax Act, 1961 | Income Tax | CIT (Appeals) | 2012-13 | 0.32 |
| The Income Tax Act, 1961 | Income Tax | CIT (Appeals) | 2013-14 | 2.31 |
| The Income Tax Act, 1961 | Income Tax | CIT (Appeals) | 2014-15 | 0.54 |
| The Income Tax Act, 1961 | Income Tax | CIT (Appeals) | 2016-17 | 1.55 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------|-------|
| आय कर अधिनियम 1961 | आय कर | सी आई टी (अपील) | 2017-18 | 0.33 |
| आय कर अधिनियम 1961 | लाभांश वितरण कर पर ब्याज | धारा 154 के अधीन सुधार याचिका निर्धारण अधिकारी | 2017-18 | 0.29 |
| केरल वैट अधिनियम | केरल वैट | केरल वैट अपीलीय न्यायाधिकरण | 2008-09 | 0.07 |
| केरल वैट अधिनियम | केरल वैट | केरल वैट अपीलीय न्यायाधिकरण | 2009-10 | 0.12 |
| कुल | | | | 41.03 |

- viii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई लेन देन नहीं था जो आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किये जाने वाले खाता बही में रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
- ix. कंपनी के ऋण और उधार के संबंध में
- क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने बैंकों पर ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है और किसी अन्य उधारदाताओं से कोई ऋण या उधार नहीं है।
- ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के स्टैंडअलोन विवरणों की समग्र परीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा अल्पकालिक अधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि के उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- ङ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षा पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी यूनितों या व्यक्तियों से कोई धन नहीं लिया है।
- च) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।
- x. क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
- ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।
- xi. क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृश्य की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई है।

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|---------|-------|
| The Income Tax Act, 1961 | Income Tax | CIT (Appeals) | 2017-18 | 0.33 |
| The Income Tax Act, 1961 | Interest on Dividend Distribution Tax | Rectification petition u/s 154 Assessing officer | 2017-18 | 0.29 |
| KVAT Act | Kerala VAT | KVAT Appellate Tribunal | 2008-09 | 0.07 |
| KVAT Act | Kerala VAT | KVAT Appellate Tribunal | 2009-10 | 0.12 |
| Total | | | | 41.03 |

- viii. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there were no transactions that are not recorded in the books of account to be surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- ix. In respect of loans and borrowings of the company
- a) According to the information and explanations given to us and as per the records of the Company verified by us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to the banks and there are no loans or borrowings from any other lenders.
 - b) According to the information and explanations given to us, the Company has not been declared as a wilful defaulter by any bank or financial institution or other lenders.
 - c) According to the information and explanations given to us, the Company has not availed any term loans during the year.
 - d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us and on an overall examination of the Standalone Financial Statements of the Company, we report that, prima facie, no funds raised on short term basis have been used by the Company for long-term purposes.
 - e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.
 - f) According to the information and explanations given to us, the company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures, or associate companies.
- x. a) According to the information and explanations given to us and our verification of records, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments).
- b) According to the information and explanations given to us and based on the examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially or optionally convertible debentures during the year.
- xi. a) Based upon the audit procedures performed for the purpose of reporting true and fair view of the financial statements and according to the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year.

- ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के अधीन केंद्र सरकार के साथ कंपनी नियम (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) 2014 की नियम 13 के अधीन निर्धारित जैसे फॉर्म एडीटी - 4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है।
- ग) प्रबंधन द्वारा हमें प्रतिनिधित्व जैसे, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती है।
- xiii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू है और ऐसे लेनदेन के विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv. क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालांकि, हमारी राय में, रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।
- ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षाधीन अवधि के लिए हमारे द्वारा विचार किया गया है।
- xv. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- xvi. क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 ए के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर- बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित जैसे एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ग्रूप के हिस्से के रूप में कोई (सीआईसी) नहीं है।
- xvii. कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा समाविष्ट वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xix. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए वित्तीय अनुपातों के आधार पर, परिपक्वता वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की समय बढ़ाने और अपेक्षित तिथियां, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंतर देय हो जाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंतर देय होनेवाली सभी देयताएं कम हो जाती है, देय होने पर कंपनी द्वारा उन्हें डिस्चार्ज दी जाएगी।

- b) During the year, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- c) As represented to us by the Management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.
- xii. The Company is not a Nidhi company. Accordingly, the reporting requirements under clause (xii) of paragraph 3 of the Order are not applicable.
- xiii. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, all transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Act where applicable and the details of such transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv. a) The Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. However, in our opinion, the reporting and review system need to be strengthened.
- b) The internal audit reports of the Company issued till the date of the audit report, for the period under audit have been considered by us.
- xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them.
- xvi. a) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934.
- c) The company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India.
- d) According to the information and explanations given to us, there are no CIC as part of the Group.
- xvii. The Company has not incurred cash losses during the year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xviii. There has been no resignation of the statutory auditors during the year.
- xix. On the basis of the financial ratios disclosed in the standalone financial statements, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर, चूंकि चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य कोई अव्ययित राशि नहीं है, कंपनी को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन करके चालू परियोजना के संबंध में रु. 0.17 करोड़ की अव्ययित राशि विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गयी है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी ए. आई जयसिंघु
साझेदार

सदस्यता सं. 205660

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएल1616

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 13 नवंबर, 2023

- xx. a) According to the information and explanations given to us, and based on our examination, since there is no unspent amount in respect of other than on-going projects, the company is not required to transfer amounts to any of the funds specified in Schedule VII to the Companies Act;
- b) According to the information and explanations given to us, and based on our examination, unspent amount of Rs.0.17 Crores in respect of on-going projects has been transferred to special account in compliance with the provisions of sub-section (6) of section 135 of the companies Act.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. I Jayasindhu
Partner

M. No. 205660

UDIN : 23205660BGSTAL1616

Place: Thiruvananthapuram

Date: 13 November 2023

**कार्यालय महा निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय व्यय)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002**

सं. सी डब्लियु/2-55/-एचएलएल लाइफ़केयर/2023-24/296

दिनांक 06.12.2023

सेवा में

प्रबंध निदेशक
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पूजपुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6) (ख) के तहत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित) के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र'।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6) (ख) के तहत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र' भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(सतीश कुमार)
निदेशक (सीएडब्लियु)

दूरभाष : 91-11-23702422

ई-मेल : dgace@cag.gov.in

फैक्स : 91-11-23702271

वेबसाइट : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
DGACR Building , Indraprastha Estate, New Delhi - 110002

No.CW/2-55/HLL Lifecare/2023-24/296

Dated: 06.12.2023

To,

The Managing Director
HLL Lifecare Limited
Poojappura Post Office
Thiruvananthapuram – 695012
Kerala

Sub: Zero Comments Certificate of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of Companies Act 2013 on the (Standalone & Consolidated) Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended on 31 March 2023.

Sir,

With this letter a 'Zero Comments Certificate' is being sent by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours Faithfully

(Satheesh Kumar)
Director (CAW)

Ph : 91-11-23702422

e-mail : dgace@cag.gov.in

Fax : 91-11-23702271

Website : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

**एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख)
के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ**

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह दिनांक 13.11.2023 की उनके संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं जो उनके दिनांक 06.09.2023 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पृष्ठताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकॉर्डों पर मुख्यतः सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या परिशिष्ट बनाया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06.12.2023

(राजीव कुमार पाण्डे)
लेखापरीक्षा महा निदेशक
(केंद्रीय व्यय)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of Standalone financial statements of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 13.11.2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 06.09.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to enquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: New Delhi
Date: 06.12.2023

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

31 मार्च, 2023 का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

| विवरण | | टिप्पणी सं | 31.03.2023 तक (₹ करोड़ों में) | 31.03.2022 तक (₹ करोड़ों में) | 31.03.2021 तक (₹ करोड़ों में) |
|------------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| क | परिसंपत्तियाँ | | | | |
| | गैर चालू परिसंपत्तियाँ | | | | |
| | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 3 | 209.33 | 214.90 | 238.98 |
| | पूँजी कार्य में प्रगति | 3 | 1.21 | 12.55 | 10.34 |
| | अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 3 | 2.32 | 2.15 | 2.76 |
| | परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु) | 3 | 19.66 | 27.57 | 35.63 |
| | निवेश संपत्ति | 3 | 9.03 | 10.03 | 11.32 |
| | | | 241.55 | 267.20 | 299.03 |
| | वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | |
| | i) निवेश | 4 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| | ii) अन्य | 5 | 6.10 | 1.54 | 1.41 |
| | आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | 6 | 71.89 | 70.82 | 20.02 |
| | अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 7 | - | - | - |
| | गैर चालू परिसंपत्ति (निवल) | 8 | 31.76 | 19.36 | 6.24 |
| | | | 367.97 | 375.59 | 343.37 |
| | चालू परिसंपत्तियाँ | | | | |
| | वस्तुसूचियाँ | 9 | 296.78 | 199.80 | 337.69 |
| | वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | |
| | i) व्यापार प्राप्य वस्तुएं | 10 | 904.83 | 2,703.57 | 1,965.25 |
| | ii) रोकड़ व रोकड़ समतुल्य | 11 क & ख | 209.94 | 1,053.11 | 869.05 |
| | iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष | 11.ग | 498.98 | 284.31 | 5.34 |
| | iv) ऋण | 12 | 2.69 | 4.22 | 26.83 |
| | v) अन्य | 13 | 30.44 | 21.20 | 12.99 |
| | अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 14 | 164.46 | 924.11 | 250.97 |
| | | | 2,108.12 | 5,190.32 | 3,468.12 |
| | बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ | 2.41 | - | - | 0.39 |
| | कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष | 2.9 | 782.86 | 1,305.75 | 713.00 |
| | कुल परिसंपत्तियाँ | | 3,258.95 | 6,871.66 | 4,524.88 |
| (ख) | इक्विटी व देयताएं | | | | |
| | इक्विटी | | | | |
| | i) इक्विटी शेयर पूँजी | 15 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
| | ii) अन्य इक्विटी | 16 | 643.30 | 731.88 | 352.98 |
| | | | 658.84 | 747.42 | 368.52 |

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

| Particulars | | Note No. | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|-------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | (₹crs) | (₹crs) | (₹ crs) |
| A | ASSETS | | | | |
| | Non-current assets | | | | |
| | Property, Plant & Equipment | 3 | 209.33 | 214.90 | 238.98 |
| | Capital work-in-progress | 3 | 1.21 | 12.55 | 10.34 |
| | Intangible Assets | 3 | 2.32 | 2.15 | 2.76 |
| | Right of Use Assets(ROU) | 3 | 19.66 | 27.57 | 35.63 |
| | Investment Property | 3 | 9.03 | 10.03 | 11.32 |
| | | | 241.55 | 267.20 | 299.03 |
| | Financial Assets | | | | |
| | i) Investments | 4 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| | ii)Others | 5 | 6.10 | 1.54 | 1.41 |
| | Deferred Tax Assets (Net) | 6 | 71.89 | 70.82 | 20.02 |
| | Other Non Current Assets | 7 | - | - | - |
| | Non-Current Tax Asset (Net) | 8 | 31.76 | 19.36 | 6.24 |
| | | | 367.97 | 375.59 | 343.37 |
| | Current assets | | | | |
| | Inventories | 9 | 296.78 | 199.80 | 337.69 |
| | Financial Assets | | | | |
| | i) Trade Receivables | 10 | 904.83 | 2,703.57 | 1,965.25 |
| | ii) Cash and cash equivalents | 11 a&b | 209.94 | 1,053.11 | 869.05 |
| | iii) Bank balances other than (ii) above | 11.c | 498.98 | 284.31 | 5.34 |
| | iv) Loans | 12 | 2.69 | 4.22 | 26.83 |
| | v) Others | 13 | 30.44 | 21.20 | 12.99 |
| | Other current assets | 14 | 164.46 | 924.11 | 250.97 |
| | | | 2,108.12 | 5,190.32 | 3,468.12 |
| | Assets classified as held for sale | 2.41 | - | - | 0.39 |
| | Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra | 2.9 | 782.86 | 1,305.75 | 713.00 |
| | TOTAL ASSETS | | 3,258.95 | 6,871.66 | 4,524.88 |
| B | EQUITY AND LIABILITIES | | | | |
| | Equity | | | | |
| | i) Equity Share Capital | 15 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
| | ii) Other Equity | 16 | 643.30 | 731.88 | 352.98 |
| | | | 658.84 | 747.42 | 368.52 |

| | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|-------|
| देयताएं | | | | | |
| गैर चालू देयताएं | | | | | |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| i) उधार | | | - | - | 22.84 |
| i (क) पट्टा देयता (आर ओ यु) | 2.28 | 11.80 | 20.20 | 30.20 | |
| प्रावधान | 17 | - | 28.68 | 7.57 | |
| अन्य गैर चालू देयताएं | 18 | 10.00 | 13.77 | -- | |
| | | 21.80 | 62.65 | 60.61 | |
| चालू देयताएं | | | | | |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| i) उधार | 19 | 389.85 | 157.80 | 302.77 | |
| i (क) पट्टा देयता (आर ओ यु) | 2.28 | 8.50 | 8.06 | 5.49 | |
| ii) देय व्यापार | 20 | | | | |
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए बकाया | 20.क | 85.84 | 30.41 | 11.23 | |
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा बकाया | 20.ख | 838.28 | 1,025.79 | 1,790.82 | |
| iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 21 | 124.27 | 413.46 | 218.90 | |
| प्रावधान | 22 | 103.14 | 102.32 | 106.91 | |
| अन्य चालू देयताएं | 23 | 245.57 | 3,018.00 | 946.63 | |
| | | 1,795.45 | 4,755.84 | 3,382.75 | |
| कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन रखी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम | 2.9 | 782.86 | 1,305.75 | 713.00 | |
| कुल इक्विटी व देयताएं | | 3,258.95 | 6,871.66 | 4,524.88 | |
| कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 1 | | | | |
| वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ | 2 | | | | |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन: 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डी आई एन: 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | | | |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liabilities | | | | |
| Non-current liabilities | | | | |
| Financial Liabilities | | | | |
| i) Borrowings | | - | - | 22.84 |
| ia) Lease Liability (ROU) | 2.28 | 11.80 | 20.20 | 30.20 |
| Provisions | 17 | - | 28.68 | 7.57 |
| Other Non Current Liabilities | 18 | 10.00 | 13.77 | - |
| | | 21.80 | 62.65 | 60.61 |
| Current liabilities | | | | |
| Financial Liabilities | | | | |
| i) Borrowings | 19 | 389.85 | 157.80 | 302.77 |
| ia) Lease Liability (ROU) | 2.28 | 8.50 | 8.06 | 5.49 |
| ii) Trade payables | 20 | | | |
| Outstanding to Micro and Small Enterprises | 20.a | 85.84 | 30.41 | 11.23 |
| Outstanding Other than Micro and Small Enterprises | 20.b | 838.28 | 1,025.79 | 1,790.82 |
| iii) Other Financial Liabilities | 21 | 124.27 | 413.46 | 218.90 |
| Provisions | 22 | 103.14 | 102.32 | 106.91 |
| Other Current Liabilities | 23 | 245.57 | 3,018.00 | 946.63 |
| | | 1,795.45 | 4,755.84 | 3,382.75 |
| Advances Received for Projects Held under Trust as per contra | 2.9 | 782.86 | 1,305.75 | 713.00 |
| | | | | |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | | 3,258.95 | 6,871.66 | 4,524.88 |
| Corporate Information and Significant Accounting Policies | 1 | | | |
| Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements | 2 | | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN: 08225251]

Remesh.P
VP(F) & CFO
[ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
Company Secretary
[ACS:14328]

CA Jayasindhu I
Partner
Membership No: 205660
UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
Date : 06.09-2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलॉन लाभ-हानि विवरण

| विवरण | टिप्पणी सं. | 31-03-2023 को समाप्त वर्ष | 31-03-2022 को समाप्त वर्ष |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | (₹ करोड़ों में) | (₹ करोड़ों में) |
| आय | | | |
| प्रचालनों से राजस्व | 24 | 3,708.01 | 35,712.36 |
| अन्य आय | 25 | 79.77 | 26.62 |
| कुल आय | | 3,787.78 | 35,738.98 |
| व्यय | | | |
| उपभुक्त मालों की लागत | 26 | 259.46 | 209.54 |
| व्यापार स्टॉक के क्रय | 27 | 2,357.97 | 32,796.02 |
| तैयार माल, चालू कार्य प्रगति में और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन। | 28 | (105.15) | 129.36 |
| कर्मचारी हितलाभ व्यय | 29 | 239.84 | 250.62 |
| वित्त लागत | 30 | 17.47 | 24.11 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय | 3 | 40.25 | 44.57 |
| अन्य व्यय | 31 | 759.96 | 1,665.08 |
| ठेका व्यय | 2.32 | 148.79 | 71.71 |
| कुल व्यय | | 3,718.59 | 35,191.01 |
| कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 69.19 | 547.97 |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डी आई एन :
08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

STANDALONE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

| Particulars | Note No. | Year ended | Year ended |
|--|----------|-----------------|------------------|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| | | (₹crs) | (₹crs) |
| Income | | | |
| Revenue from operations | 24 | 3,708.01 | 35,712.36 |
| Other income | 25 | 79.77 | 26.62 |
| Total Income | | 3,787.78 | 35,738.98 |
| Expenses | | | |
| Cost of materials consumed | 26 | 259.46 | 209.54 |
| Purchases of stock-in-trade | 27 | 2,357.97 | 32,796.02 |
| Changes in inventories of finished goods,work-in-progress and stock-in-trade | 28 | (105.15) | 129.36 |
| Employee benefits expense | 29 | 239.84 | 250.62 |
| Finance costs | 30 | 17.47 | 24.11 |
| Depreciation and amortisation expense | 3 | 40.25 | 44.57 |
| Other expenses | 31 | 759.96 | 1,665.08 |
| Contract Expenses | 2.32 | 148.79 | 71.71 |
| Total Expenses | | 3,718.59 | 35,191.01 |
| Profit / (Loss) before tax | | 69.19 | 547.97 |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George,IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

 Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

 Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023

| | | | |
|---|------|--------|---------|
| कर व्यय | | | |
| चालू कर व्यय | 2.40 | 26.95 | 191.30 |
| पूर्व वर्ष कर समायोजन | 2.40 | 1.57 | 1.00 |
| आस्थगित कर | 6 | 0.90 | (48.71) |
| | | 29.42 | 143.59 |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | | 39.77 | 404.38 |
| अन्य व्यापक आय | | | |
| (i) मदे जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | (7.86) | (8.28) |
| - निर्धारित लाभ योजनाओं में पुनर्मापन | | | |
| (ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 1.98 | 2.08 |
| कुल अन्य व्यापक आय | | (5.88) | (6.20) |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | 33.89 | 398.18 |
| प्रति शेयर अर्जन (₹-मूल (₹ 10/- शेयर का अंकित मूल्य | 1.24 | 25.60 | 260.30 |
| - हल्का | | 25.60 | 260.30 |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन :: 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डी आई एन : 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | | |
|---|------|---------------|---------------|
| Tax expense: | | | |
| Current tax expense | 2.40 | 26.95 | 191.30 |
| Prior year tax adjustments | 2.40 | 1.57 | 1.00 |
| Deferred tax | 6 | 0.90 | (48.71) |
| | | 29.42 | 143.59 |
| Profit / (Loss) for the year | | 39.77 | 404.38 |
| Other Comprehensive Income | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss | | | |
| - Remeasurement of Defined Benefit Plans | | (7.86) | (8.28) |
| (ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss | | 1.98 | 2.08 |
| Total Other Comprehensive Income | | (5.88) | (6.20) |
| Total Comprehensive Income for the year | | 33.89 | 398.18 |
| Earnings per share (₹) - Basic (Face value of ₹10/- Share) | 1.24 | 25.60 | 260.30 |
| - Diluted | | 25.60 | 260.30 |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George,IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

| क. इक्विटी शेयर पूंजी | ₹ करोड़ों में | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | अप्रैल 1, 2022 के प्रारंभ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि | 15.54 | | | 15.54 |
| पिछले रिपोर्टिंग अवधि | अप्रैल 1, 2021 के प्रारंभ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि | 31 मार्च, 2022 के अंत में शेष राशि |
| | 15.54 | | - | 15.54 |
| ख . अन्य इक्विटी | | | | |
| 1. चालू रिपोर्टिंग अवधि | | | | |
| विवरण | | | | |
| | आरक्षित एवं अधिशेष | | | कुल |
| | लंबित शेयर आबंटन | पूंजी आरक्षित | संचय समीकरण लाभांश | अन्य व्यापक आय |
| | | | सामान्य आरक्षण | |
| | | | प्रतिधारित आय | |
| 1 अप्रैल, 2022 को शेष | - | - | 1.30 | 25712 |
| | | | 51722 | (22.26) |
| | | | | 753.38 |

| Statement of Changes in Equity for the Year ended 31st March, 2023 | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------------------|---------|--------|
| A. Equity Share Capital | | | | | | | ₹ crs |
| Current reporting Period | Balance at the beginning of April 1, 2022 | Changes in equity share capital due to Prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of March 31, 2023 | | |
| | 15.54 | - | - | | 15.54 | | |
| Previous reporting period | Balance at the beginning of April 1, 2021 | Changes in equity share capital due to Prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of March 31, 2022 | | |
| | 15.54 | | - | | 15.54 | | |
| B. Other Equity | | | | | | | |
| 1. Current Reporting Period | | | | | | | |
| Particulars | Reserves and Surplus | | | Other Comprehensive Income | | Total | |
| | Shares pending allotment | Capital Reserve | Dividend Equalisation Reserve | General Reserve | Retained Earnings | | |
| Balance as on April 01, 2022 | - | - | 1.30 | 25712 | 51722 | (22.26) | 753.38 |



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|--------|----------|----------|
| लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | | | | | | | | (21.50) | (21.50) |
| 2020-21 तक किया गया पुर्ननिधारित सेवा से आय (टिप्पणी क देखें) | | | | | | | | (17.65) | |
| एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय (टिप्पणी ख देखें) | | | | | | | | 49.96 | |
| जमा पर ब्याज (टिप्पणी ग देखें) | | | | | | | | (46.81) | |
| सहेली उत्पाद इम्पूद्द (टिप्पणी घ देखें) | | | | | | | | (2.88) | |
| अन्य विविध व्यय (टिप्पणी ङ देखें) | | | | | | | | (6.26) | |
| दर और कर (टिप्पणी च देखें) | | | | | | | | 2.66 | |
| परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (टिप्पणी छ देखें) | | | | | | | | (0.50) | |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुर्ननिधारित शेष राशि | | | | | | 1.30 | 257.12 | 495.72 | (22.26) |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | | | | | | | 39.77 | (5.88) |
| लाभांश | | | | | | | | (122.47) | (122.47) |
| प्रतिधारित आय में स्थानांतरण | | | | | | | | - | - |
| 31 मार्च, 2023 के अंत में शेष राशि | | | | | | 1.30 | 257.12 | 413.02 | (28.14) |
| | | | | | | | | | 643.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|------|--------|----------|---------|----------|
| Changes in accounting policy or prior period errors | | | | | | | | | (21.50) | | (21.50) |
| Restatements done till 2020-21 | | | | | | | | | (17.65) | | (17.65) |
| Income from Services (Refer Note a.) | | | | | | | | | 49.96 | | 49.96 |
| HCS Direct Expenses (Refer Note b.) | | | | | | | | | (46.81) | | (46.81) |
| Interest on Deposits (Refer Note c.) | | | | | | | | | (2.88) | | (2.88) |
| Saheli Product Subsidy (Refer Note d.) | | | | | | | | | (6.26) | | (6.26) |
| Other Misc Expense (Refer Note e.) | | | | | | | | | 2.66 | | 2.66 |
| Rates and Taxes (Refer Note f.) | | | | | | | | | (0.50) | | (0.50) |
| Right of Use Assets (Refer Note g.) | | | | | | | | | (0.01) | | (0.01) |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | - | | | | | | 1.30 | 257.12 | 495.72 | (22.26) | 731.88 |
| Total comprehensive income for the year | | | | | | | | | 39.77 | (5.88) | 33.89 |
| Dividend | | | | | | | | | (122.47) | | (122.47) |
| Transfer to retained earnings | | | | | | | | | | | - |
| Balance at the end of March 31, 2023 | | | | | | | 1.30 | 257.12 | 413.02 | (28.14) | 643.30 |

| पिछले रिपोर्टिंग अवधि | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | विवरण | लंबित शेयर आबंटन | पूँजी आरक्षित | संचय समीकरण लाभांश | सामान्य आरक्षण | | |
| 1 अप्रैल, 2021 को शेष | | | | 1.30 | 257.12 | (16.06) | 370.64 |
| लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | | | | | | | (17.65) |
| सेवाओं से आय (टिप्पणी क देखें) | | | | | | | 138.98 |
| एच सी एस प्रत्यक्ष आय (टिप्पणी & देखें) | | | | | | | (130.23) |
| निवेशों पर ब्याज (टिप्पणी ग देखें) | | | | | | | (26.36) |
| परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (टिप्पणी & देखें) | | | | | | | (0.04) |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि | | | | 1.30 | 257.12 | (16.06) | 352.98 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | | | | | (6.20) | 398.18 |
| लाभांश | | | | | | | (19.29) |
| प्रतिनिधारित आय में स्थानांतरण | | | | | | | - |
| 31 मार्च, 2022 के अंत में शेष राशि | | | | 1.30 | 257.12 | (22.26) | 731.88 |

| 2.Previous Reporting Period | | Reserves and Surplus | | | | Other Comprehensive Income | ₹ Crs |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------|
| Particulars | Shares pending allotment | Capital Reserve | Dividend Equalisation Reserve | General Reserve | Retained Earnings | Total | |
| Balance as on April 01, 2021 | - | - | 1.30 | 257.12 | 128.28 | 370.64 | |
| Changes in accounting policy or prior period errors | | | | | (17.65) | (17.65) | |
| Income from Services (Refer Note a.) | | | | | 138.98 | | |
| HCS Direct Expenses (Refer Note b.) | | | | | (130.23) | | |
| Interest on Deposits (Refer Note c.) | | | | | (26.36) | | |
| Right of Use Assets (Refer Note g.) | | | | | (0.04) | | |
| (Restated balance at the beginning of the current reporting period) | | | 1.30 | 257.12 | 110.62 | 352.98 | |
| Total comprehensive income for the year | | | | | 404.38 | 398.18 | |
| Dividend | | | | | (19.29) | (19.29) | |
| Transfer to retained earnings | | | | | | - | |
| Balance at the end of March 31, 2022 | | | 1.30 | 257.12 | 495.72 | 731.88 | |
| | | | | | (22.26) | | |

- क. वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को फरवरी 2018 से जून 2022 की अवधि के लिए एन एच एम महाराष्ट्र परियोजना संबंधित न्यूनतम आश्वासन राजस्व प्राप्त हुआ। राजस्व को संबंधित वर्षों में माना जाता है। (टिप्पणी 2.33)
- ख. संबंधित वर्षों में एन एच एम महाराष्ट्र परियोजना से प्राप्त न्यूनतम आश्वासन से संबंधित सेवा प्रदाता के व्यय पर विचार किया जाता है। (टिप्पणी 2.33)
- ग. पिछले वर्षों में आय के रूप में जाना वाले एम सी एस परियोजना जमा से अर्जित ब्याज अब उलट दिया गया है। (टिप्पणी 2.42)
- घ. पिछले वर्ष में राजस्व के रूप में मानी जाने वाली सहेली उत्पाद और प्रमोशनल सब्सिडी को राजस्व मान्यता मानदंड पूरे नहीं हुए है के रूप में उलट दिया गया है।
- ङ. पिछले वर्ष में निर्यात आपूर्ति पर कानूनी व्यय और दंड प्रावधान कानूनी व्यय नहीं किए गए के रूप में उलट दिया गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इसे प्रासंगिक देयता के अंतर्गत शामिल किया गया।
- च. 21-22 में मांग नोटिस के आधार पर दरों और करों के रूप में खाले में डब्ल्यू सी टी प्राय को हटा दिया गया, अब पूर्वव्यापी के रूप में हिसाब लगाया जाएगा।
- छ. काक्कनाड फैक्ट्री, कोच्चिन में पूर्वव्यापी रूप से किराए में परिवर्तन के कारण आर ओ यू पट्टा दायित्व और आर ओ यू पट्टा परिसंपत्तियों में संशोधन।

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (डॉ आई एम : 08419099) | डॉ. गीता शर्मा निदेशक (वित्त) (डॉ आई एम : 08225251) | रमेश पी उपाध्यक्ष (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी (ए.सी.एम.ए 19552) | जयकृष्णान.ए.आर कंपनी सचिव (ए सी एस : 14328) | सीए जयसिंधु आई साझेदार सदस्यता सं.205660 युडीआईएन23205660 बिजीएस्टीएई 5899 |
|---|---|--|---|---|

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | |
|-----|--|
| (a) | During the year 2022-23, the company received the minimum assurance revenue pertaining to NHM Maharashtra project for the period from February 2018 to June 2022. The revenue is considered in the respective years. (Note. 2.33) |
| (b) | The expenditure to service provider pertaining to the minimum assurance received from NHM Maharashtra project is considered in the respective years. (Note 2.33) |
| (c) | The interest earned from MCS project deposits considered as income in previous years are now reversed (Note 2.42) |
| (d) | Saheli Product & Promotional subsidy considered as revenue in previous year is reversed as revenue recognition criteria not met |
| (e) | Legal expenses & Penalty provision on export supplies in previous year reversed as the legal expenses are not incurred and as the matter was sub-judice included under contingent liability |
| (f) | WCT receivable omitted to account as Rates & Taxes based on demand notice in 21-22 , now accounted retrospectively. |
| (g) | Modifications in ROU lease liability and the ROU lease assets due to change in Rent retrospectively in Kakkanad Factory , Cochin |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BG5TAE5899

Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| कर के पूर्व लाभ | 69.19 | 547.97 |
| समायोजन; | | |
| मूल्यहास और परिशोधन व्यय | 40.25 | 44.57 |
| अवास्तविक विदेशी मुद्रा अभिलाभ और हानियाँ | (3.15) | 1.06 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | 0.07 | 0.06 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ | (0.11) | (0.07) |
| लाभांश आय | (10.00) | (8.00) |
| वित्त लागत | 17.47 | 24.11 |
| ब्याज आय | (26.46) | (6.03) |
| कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि) | 87.26 | 603.67 |
| कार्यशील पूँजी में परिवर्तन | | |
| प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन : | | |
| वस्तुसूची | (96.98) | 137.89 |
| व्यापार प्राप्तियाँ | 1,799.89 | (739.39) |
| अल्पकालीन ऋण एवं पेशगियाँ | 1.52 | 22.59 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 750.41 | (746.97) |
| अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन | (59.34) | (1.05) |
| गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयता (पट्टा) में परिवर्तन | (8.07) | 0.62 |
| प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन : | | |
| व्यापार देनदारियाँ | (129.75) | (745.85) |
| अन्य चालू देयतायें | (3,062.49) | 2,262.96 |
| अल्पकालीन प्रावधान | (35.73) | (1.93) |
| प्रचालन से बनाई रोकड़ | (753.28) | 792.55 |
| निवल आय कर (प्रदत्त)/वापसी | 18.11 | (146.75) |
| प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह - (क) | (735.17) | 645.80 |
| ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| चालू पूँजी कार्य में प्रगति | 11.34 | (2.21) |

| CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023 | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Particulars | For the Year Ended March 31, 2023 | For the year ended March 31, 2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| A. Cash flow from operating activities | | |
| Profit before tax | 69.19 | 547.97 |
| <u>Adjustments for:</u> | | |
| Depreciation and amortisation expenses | 40.25 | 44.57 |
| Unrealised foreign currency gains and losses | (3.15) | 1.06 |
| Loss on sale of Property, plant and equipment | 0.07 | 0.06 |
| Profit on sale of Property, plant and equipment | (0.11) | (0.07) |
| Dividend income | (10.00) | (8.00) |
| Finance costs | 17.47 | 24.11 |
| Interest income | (26.46) | (6.03) |
| Operating profit / (loss) before working capital changes | 87.26 | 603.67 |
| <u>Changes in working capital:</u> | | |
| Adjustments for (increase) / decrease in operating assets: | | |
| Inventories | (96.98) | 137.89 |
| Trade receivables | 1,799.89 | (739.39) |
| Short-term loans and advances | 1.52 | 22.59 |
| Other current assets | 750.41 | (746.97) |
| Changes in other non-current assets | (59.34) | (1.05) |
| Changes in Non Current Assets & Liability (Leases) | (8.07) | 0.62 |
| Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities: | | |
| Trade payables | (129.75) | (745.85) |
| Other current liabilities | (3,062.49) | 2,262.96 |
| Short-term provisions | (35.73) | (1.93) |
| Cash generated from operations | (753.28) | 792.55 |
| Net income tax (paid) / refunds | 18.11 | (146.75) |
| Net cash flow from / (used in) operating activities (A) | (735.17) | 645.80 |
| B. Cash flow from investing activities | | |
| Capital Work in Progress | 11.34 | (2.21) |

| | | |
|--|------------|----------|
| पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/बिक्री | (25.78) | (18.58) |
| प्राप्त ब्याज आय | 26.46 | 6.03 |
| प्राप्त लाभांश आय | 10.00 | 8.00 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन | (0.14) | - |
| शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित है। | (4.43) | - |
| बैंक जमा में निवेश (तीन से अधिक महीनों के मूल परिपक्वता होने वाले) | (214.67) | (278.97) |
| निवेशी कार्यकलापों से (प्रयुक्त)निवल नकद प्रवाह (ख) | (197.21) | (285.73) |
| ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| गैर चालू ऋणों की चुकोती | - | (42.39) |
| अन्य दीर्घकालीन देयताओं की चुकोती | (2.90) | 21.11 |
| चालू ऋणों की चुकोती | - | 14.08 |
| प्रदत्त वित्त लागात | (17.47) | (24.11) |
| प्रदत्त लाभांश | (122.47) | (19.29) |
| वित्तीय कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग) | (142.84) | (50.59) |
| नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग) | (1,075.22) | 309.48 |
| वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक | 895.31 | 585.83 |
| वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष | (179.91) | 895.31 |
| नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान : | (179.91) | 898.15 |
| नकद एवं नकद तुल्यांक | (179.91) | 898.15 |
| न्यून : नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 में परिभाषित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक को बैंक शेष के रूप में नहीं माना गया है। | 0.00 | 2.83 |
| टिप्पणी 1.10 में शामिल किए गए निवल नकद तथा नकद तुल्यांक (नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 में निर्धारित जैसे) | (179.91) | 895.31 |
| वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक * | | |
| * समाविष्टियाँ | | |
| (क) हस्तगत केश | 3.01 | 2.11 |
| (ख) बैंकों के साथ शेष | | |
| (i) जमा खाते में | 176.44 | 976.25 |
| (ii) चालू खाते में | 17.89 | 14.88 |
| (iii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि | - | - |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Purchase/Sale of PPE and intangible assets | (25.78) | (18.58) |
| Interest income received | 26.46 | 6.03 |
| Dividend income received | 10.00 | 8.00 |
| Changes in other Financial Assets | (0.14) | - |
| Share application money pending allotment | (4.43) | - |
| Investments in bank deposits (having original maturity of more than three months) | (214.67) | (278.97) |
| Net cash flow from / (used in) investing activities (B) | (197.21) | (285.73) |
| C. Cash flow from financing activities | | |
| Repayment of non current borrowings | - | (42.39) |
| Repayment of other longterm liabilities | (2.90) | 21.11 |
| Repayment of current borrowings | - | 14.08 |
| Finance cost paid | (17.47) | (24.11) |
| Dividend paid | (122.47) | (19.29) |
| Net cash flow from / (used in) financing activities (C) | (142.84) | (50.59) |
| Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C) | (1,075.22) | 309.48 |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 895.31 | 585.83 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year | (179.91) | 895.31 |
| Reconciliation of Cash and cash equivalents : | | |
| Cash and cash equivalents | (179.91) | 898.15 |
| Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flow | 0.00 | 2.83 |
| Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flow) included in Note 1.10 | (179.91) | 895.31 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year * | | |
| * Comprises: | | |
| (a) Cash on hand | 3.01 | 2.11 |
| (b) Balances with banks | | |
| (i) In Deposit account | 176.44 | 976.25 |
| (ii) In current accounts | 17.89 | 14.88 |
| (iii) Funds earmarked for CSR | - | - |

| | | |
|---|----------|---------|
| (iv) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि | 6.12 | 57.82 |
| (v) ई ई एफ सी खाते में | 6.48 | 2.05 |
| (vi) कैश क्रेडिट खाते में | (246.05) | (89.48) |
| (vii) ओवरड्राफ्ट खाते में | (143.80) | (68.32) |
| | (179.91) | 895.31 |

- उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस-7 में निर्दिष्ट परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।
- इस साल के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करने की ओर पिछले वर्ष के आँकड़ों का, जहाँ आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकरण किया गया है।
- वर्ष के प्रारंभ और अंत में नकद तुल्यांक बैंक ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय नकदी ऋण भी शामिल है।
- न्यास के अधीन रही परियोजना निधि के लेन - देन और शेष ₹1,305.7 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 782.86 करोड़) को नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।

5) वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन ₹ करोड़ों में

| विवरण | 1 अप्रैल, 2022 को | नकद प्रवाह | गैर-नकदी परिवर्तन | | 31 मार्च, 2023 तक |
|---|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | उचित मूल्य समायोजन | अन्य अधिग्रहण के कारण | |
| गैर-चालू उधार (गैर-चालू उधार की चालू परिपक्वता सहित) | - | - | | | - |
| चालू उधार | 157.80 | 232.05 | | | 389.85 |
| | 157.80 | 232.05 | - | - | 389.85 |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन :08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डॉ आई एन : 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजोएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------|
| (iv) Funds earmarked for Projects | 6.12 | 57.82 |
| (v) In EEFC accounts | 6.48 | 2.05 |
| (vi) In cash credit accounts | (246.05) | (89.48) |
| (vii) In overdraft accounts | (143.80) | (68.32) |
| | (179.91) | 895.31 |

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7.
- 2) The previous year's figures have been re-grouped wherever necessary in order to confirm to this year's presentation.
- 3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand
- 4) Transactions of project funds held under Trust and balance of ₹782.86 crs (previous year ₹1,305.75 crs) are not included in the Cashflow

5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities
₹ crs

| Particulars | As at 1st April 2022 | Cashflows | Non - Cash Changes | | As at 31st March 2023 |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | Fair Value Adjustment | Others on account of Acquisition | |
| Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings) | - | - | | | - |
| Current Borrowings | 157.80 | 232.05 | | | 389.85 |
| | 157.80 | 232.05 | - | - | 389.85 |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

 Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

 Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023

टिप्पणी 1 : सूचना एवं सार्थक लेखांकन नीतियाँ।

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरल्स उद्यम है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादों, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादों और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना, फार्मसी और नैदानिक सेवाओं के रीटेल ऋंखला के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है। कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों को प्रबंध करती है।

22 अगस्त, 2023 को निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था, 28 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय के साथ पढ़े कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों के साथ मेल खाने के लिए समान रूप से दिनांकित किया जाना चाहिए।

नए लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से इंड ए एस में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :

- क) इंड ए एस 1 में संशोधन, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति जहाँ कंपनियों को अब अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय संगत लेखांकन नीतियाँ प्रकट करने की आवश्यकता है।
- ख) इंड ए एस 8 में संशोधन, लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ जहाँ 'लेखांकन अनुमान में परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमान' की संशोधित परिभाषा से बदल दिया गया है।
- ग) इंड ए एस 12 में संशोधन, आयकर जहाँ प्रारंभिक मान्यता छूट (आई आर ई) का अवसर कम कर दिया गया है।

प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन संशोधनों का उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

1 क सार्थक लेखांकन नीतियाँ

1.1 तैयारी का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) के अनुसार, प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अधीन तैयार किए जाते हैं:

- (i) कुछ वित्तीय साधन जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है ;
- (ii) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ जिन्हें उनकी अग्रणीत राशि के निचले स्तर पर और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है;
- (iii) व्युत्पन्न वित्तीय साधन और
- (iv) निर्धारित लाभ योजनाएँ - ऐसी योजना परिसंपत्तियाँ जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापी जाती हैं, जैसे कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

इंड ए एस को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के सथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित हैं। लेखांकन नीतियों को जहाँ एक नव जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, को छोड़कर लगातार लागू किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और जहाँ अन्यथा इंगित किए गए करोड़ों को छोड़कर सभी मूल्यों को निकटतम करोड में पूर्णांकित किए जाते हैं।

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल व सेवाओं के लिए विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

Note 1 : Corporate Information and Significant Accounting Policies

Corporate information

HLL Lifecare Limited, incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012. The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The Company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Procurement and Diagnostic services. The Company caters to both domestic and international markets.

The stand-alone financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of directors on 22nd August 2023, read with the decision given by board in the meeting held on 28th August 2023 that the standalone financials statements be evenly dated to coincide with the consolidated financial statements.

Recent accounting Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated 31st March, 2023, has made the following amendments to Ind AS which are effective from 1st April, 2023:

- a. Amendments to Ind AS 1, Presentation of Financial Statements where the companies are now required to disclose material accounting policies rather than their significant accounting policies.
- b. Amendments to Ind AS 8, Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors where the definition of 'change in accounting estimate' has been replaced by revised definition of 'accounting estimate'.
- c. Amendments to Ind AS 12, Income Taxes where the scope of Initial Recognition Exemption (IRE) has been narrowed down.

Based on preliminary assessment, the Company does not expect these amendments to have any significant impact on its standalone financial statements.

1A Significant accounting policies

1.1 Basis of Preparation

These standalone financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for:

- i. Certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period;
- ii. Non-current assets classified as held for sale which are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell;
- iii. Derivative financial instrument and
- iv. Defined benefit plans – plan assets that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest Crores, except otherwise indicated.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या एक व्यवस्थित माप तिथि में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के अनुमान लगाने में कंपनी परिसंपत्ति या दायित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाज़ार सहभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखे है। इन वित्तीय विवरणों में मापन और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण, शेष आधारित भुगतान लेनदेन जो इंड एस 102 के दायरे में है, लीज़िंग लेनदेन जो इंड एस 116 के दायरे में है, और मापन जिसे उचित मूल्य से कुछ समानताएँ हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि इंड एस 2 में निवल वसूली योग्य मूल्य या इंड एस 36 में उपयोग में मूल्य को छोड़कर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापन के इनपुट देखे जा सकते हैं और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी संपूर्णता में है, जो निम्नानुसार वर्णित है :

- स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2 इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट हैं; जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए देखने योग्य हैं;
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए न देखे जा सकने वाले इनपुट हैं।

1.2 परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद व नकद तुल्यांक में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, परिसंपत्ति और देयताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा 12 महीना माना गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू /गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

- i. सामान्य परिचालन चक्र में होने यह वसूल करने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा है: या
- ii. यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से रखा है या
- iii. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल करना अपेक्षित है या
- iv. यह परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से जब तक प्रतिबंधित नहीं या देयता व्यवस्थित करने के लिए उपयोगित करता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियाँ गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

इस प्रकार यह देयता चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं ।

- (i) यह सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है, या
- (ii) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है, या
- (iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है, या
- (iv) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने के लिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्ष के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा, इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/ or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of IndAS 102, leasing transactions that are within the scope of Ind AS 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value in Ind AS 2 or value in use in Ind AS 36.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorised into Level 1, 2, or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

1.2 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Company for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

- i. It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or
- ii. It is held primarily for the purpose of trading; or
- iii. It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or
- iv. The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Similarly, a liability is classified as current if:

- (i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or
- (ii) It is held primarily for the purpose of trading; or
- (iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
- (iv) The Company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यहास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये गये हैं।

अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन के इरादे से उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते। लागत में, जहाँ भी लागू हो, कर क्रेडिट को छोड़कर सभी आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

नई परियोजनाओं/व्यवसायों की नई लाइन की पहचान के लिए हुए राजस्व व्यय को पूँजीगत कार्यप्रगति के रूप में माना जाता है। इसे व्यवसाय शुरू करने के पहले वर्ष में परियोजना लागत में समाहित किया जाएगा। यदि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर नई परियोजना/व्यवसाय की नई लाइन अमल में नहीं आती है, तो पूरे खर्च को तीसरे वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाएगा। उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोड़ा जाता है।

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और यह निर्माण इसकी समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मदों में आबंटित किया जाता है। फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है।

रु. 5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बई उपकरण और सर्वोसिंग उपकरण या 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास किए गए हैं। इसके अलावा संयंत्र और मशीनरी के तहत सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर और अन्य परिसंपत्तियों (अमूर्त संपत्ति और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है ताकि उन परिसंपत्तियों, जिनका उपयोगी जीवन किसी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है, को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बड़े खाते में डाल दिया जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं :

| परिसंपत्ति की श्रेणी | अनुमानित उपयोगी जीवन |
|---|--|
| पट्टा भूमि | पट्टे की अवधि |
| फैक्टरी भवन | 30 वर्ष |
| फैक्टरी भवन के अलावा अन्य भवन | 60 वर्ष |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 15 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| ईसीजी, एक्स-रे, सीटी स्कान, एमआरआई मशीन आदि | 13 वर्ष |
| फर्नाचर व फिक्चर | 10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| मोटर वाहन | 8 वर्ष |
| कार्यालय उपकरण | 5 वर्ष |
| कंप्यूटर व लैपटॉप | 3 वर्ष |
| प्रयोगशाला उपकरण | 10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| विद्युत संस्थापन | 10 वर्ष |

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

1.3 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any.

Cost directly attributable to acquisition are capitalized until the Property, Plant and Equipment are ready for use as intended by the management. Cost includes all incidental expenditure net of tax credits wherever applicable.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year. Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Depreciation on Property, Plant and Equipment other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

The estimated useful life as per Companies Act 2013 are as follows:

| Category of Asset | Estimated Useful life |
|--|---|
| Leasehold land | Period of lease |
| Factory Buildings | 30 years |
| Buildings other than Factory Buildings | 60 years |
| Plant & Machinery | 15 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| ECG, X-Ray, CT scan, MRI machines etc | 13 years |
| Furniture and Fixtures | 10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| Motor Vehicles | 8 years |
| Office equipment | 5 years |
| Computers & Laptops | 3 years |
| Laboratory equipment | 10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| Electrical Installations | 10 years |

The depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each financial year end.

मुख्य परिसंपत्ति के घटकों को अलग से पहचानना और निर्धारित किया गया था, यदि उनके पास एक उपयोगी जीवन है जो मूल परिसंपत्ति से महत्वपूर्ण रूप से अलग है। मूल परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा के रूप में माना गया है कि कोई घटक महत्वपूर्ण है या नहीं।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि जिसकी लागत ₹5000/- प्रत्येक या उससे कम है तो परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के लिए जोड़ने की तिथि पर ध्यान दिए बिना क्रय के वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

मूल मशीनरी के लिए लागू समान दरों और पद्धति का उपयोग करके उपकरण के साथ प्राप्त किए गए मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास किए जाते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए अलग रूप से खरीदे गए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी के समाप्त जीवन के लिए संचित मूल्यहास के बराबर दर वर्ष के मूल्यहास के साथ अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज की जाती है।

अस्वीकृत

निपटान या परिसंपत्ति के सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.4 निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जिस पर कंपनी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है या उसके संचालन के लिए हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मदों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है।

जब किराए पर दी गई संपत्ति को खाली कर दिया जाता है और प्रबंधन का इरादा अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के उद्देश्य के लिए खाली हिस्से का उपयोग करना होता है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा अन्य निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन के अनुरूप है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उसके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है, तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

सेवानिवृत्ति या निवेश संपत्ति के निपटान से होनेवाले अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त किया जाता है।

1.5 अमूर्त परिसंपत्ति

अनुसंधान एवं विकास

नए वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान व समझ को प्राप्त करने की संभावना के साथ किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर किए गए व्यय को खर्च होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विकास गतिविधियों में नए या काफी बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के उत्पादन के लिए एक योजना या डिज़ाइन शामिल है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी प्रदर्शित किए गए हों:

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Property, Plant and Equipment costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

De-recognition:

An item of Property, Plant and Equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of Property, Plant and Equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit and Loss.

1.4 Investment Property:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied, or part occupied by the Company for its operations, is classified as Investment Property.

Investment Property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are charged to revenue when incurred.

When a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment.

Depreciation on Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment.

An Investment Property is derecognised on disposal or when the Investment Property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. When part of an Investment Property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of Investment Property is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognised in Statement of Profit and Loss.

1.5 Intangible Asset

Research and development

Expenditure on research activities undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding are recognised as an expense when incurred.

Development activities involve a plan or design for the production of new or substantially improved products and processes.

An internally-generated intangible asset arising from development is recognised if and only if all of the following have been demonstrated:

- विकास लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है;
- उत्पाद या प्रक्रिया, तकनीकी एवं वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य है ;
- भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य है; तथा
- कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन/क्षमता रखने का इरादा रखता है।

पूँजीकृत किए जानेवाले व्यय में सामग्री की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग की ओर तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य लागतें शामिल हैं।

अनुवर्ती व्ययों को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब वे उस विशिष्ट परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है और लागत कम संचित परिशोधन और संचित खराब हानियों पर ले जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को समेकित लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

असीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधित नहीं की जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती है। अनिश्चितकालीन जीवन आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है तो असीमित से सीमित की ओर उपयोगी जीवन का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

परिशोधन को उनके आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क/पेटेंट 5 साल की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजीगत कार्य के रूप में प्रगति पर माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास/परिशोधन की विधि की समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी बदलाव के प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर हिसाब लगाया जा रहा है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है। एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.6 पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी की पट्टे की परिसंपत्ति में मुख्य रूप से भूमि, भवन संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। अनुबंध की शुरुआत में कंपनी इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध का विचार करने की ओर कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि :

- अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हित लाभ को काफी हद तक प्राप्त करने का अधिकार है।
- कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग के निर्देश देने का अधिकार है।

- development costs can be measured reliably;
- the product or process is technically and commercially feasible;
- future economic benefits are probable; and
- the Company intends to and has sufficient resources/ability to complete development and to use or sell the asset.

The expenditure to be capitalised include the cost of materials and other costs directly attributable to preparing the asset for its intended use. Other development expenditure is recognised in Profit and Loss as incurred.

Subsequent expenditures are capitalised only when they increase the future economic benefits embodied in the specific asset to which they relate.

Intangible assets with finite useful lives are capitalized and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Trademark/Patents are amortized over a period of 5 years.

Trademark Expenses

Expenses incurred on trademark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

The residual values estimated useful life and method of depreciation/amortization of Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in Profit and Loss when the asset is derecognized.

1.6 Leases

Company as a lessee:

The Company's lease assets primarily consist of land, buildings, plant and machinery. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Company assesses whether:

- i. The contract involves the right to control the use of an identified asset
- ii. The Company has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and
- iii. The Company has the right to direct the use of the asset.

पट्टा शुरू होने की तिथि पर कंपनी परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयु) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोड़कर यह एक पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयु की परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यहास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूल नहीं की जा सकती है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य के लिए वसूली योग्य राशि (यानी, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य का उच्च उचित मूल्य) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंब करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है। पुनर्माप सामान्यतः पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को तुलन पत्र में अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.7 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित किया जाता है कि क्या वहाँ कोई संकेत है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और एक क्षति हानि को मान्यता दी जाती है, यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि समेकित लाभ और हानि के विवरण में इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है।

उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाज़ार निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

सीजीयू के संबंध में पहचान की गयी क्षति हानि को पहले सीजीयू को आर्बिटिट सद्भावना (यदि कोई हो) की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए निर्धारित किया जाता है, और फिर अनुपात के आधार पर सीजीयू (या सीजीयू के ग्रूप) की अन्य परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए आर्बिटिट किया जाता है।

सद्भावना के संबंध में एक क्षति हानि को बाद में उलट नहीं किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके लिए पूर्व अवधियों में क्षति हानि की पहचान की गई है, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेत है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को उलट दिया जाता है। इस तरह का उत्क्रमण केवल उस सीमा तक किया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई है, मूल्यहास या परिशोधन के निवल, यदि कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई थी।

विकासाधीन परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान हाल के बजट या परियोजना से संबंधित पूर्वानुमानों के आधार पर लगाया जाता है, जो वर्तमान बाज़ार स्थितियों में समायोजित किया जाता है।

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease. Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Right of use assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e., the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of Use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.7 Impairment of Non-financial assets

The Company's non-financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is any indication that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated, and an impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount in the statement of profit and loss.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Impairment loss recognised in respect of a CGU is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill (if any) allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets of the CGU (or groups of CGUs) on a pro rata basis.

An impairment loss in respect of goodwill is not subsequently reversed. In respect of other assets for which impairment loss has been recognised in prior periods, the Company reviews at each reporting date whether there is any indication that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. Such a reversal is made only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions.

1.8. समनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी इंड एएस 27 के अनुसार अपने सभी निवेशों को समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में लागत पर मापती है।

1.9 वस्तुसूची

कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्पेयर और तैयार माल से युक्त मालसूची और कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में क्रय की लागत और कर और शुल्क शामिल है और पात्र कर क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन के लिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थिति/निरीक्षणधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनर्मूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार के लिए खरीदे गये मालों को, पात्र क्रेडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ रिपोर्टिंग तारीख से 3 महीनों के अंतर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों के मर्दों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि के लिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकल्पित किया जाता है। धीमी गति से चलनेवाली, अप्रचलित और अन्य गैर-बिक्री योग्य वस्तुसूची के लिए भत्ता निर्धारित करने में कंपनी जिन कारकों पर विचार करती है, उनमें अनुमानित शेल्फ लाइफ जीवन, नियोजित उत्पाद विच्छेदन, मूल्य परिवर्तन, वस्तुसूची पुराना हो जाना और प्रतिस्पर्धा नए उत्पादों की शुरुआत शामिल हैं, इनमें से प्रत्येक कारक ग्रूप के व्यवसाय और बाजारों को कुछ हद तक प्रभावित करता है। कंपनी इन सभी घटकों पर विचार करती है और आवधिक आधार पर अपने वास्तविक अनुभव को दर्शाने के लिए वस्तुसूची प्रावधान को समायोजित करता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.10 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष (आमतौर पर 3 महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले) के हैं उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं। इंड एएस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

1.11 वित्तीय साधन

पहचान और प्रारंभिक मापन

जब जारी किए गए व्यापार प्राप्य और ऋण प्रतिभूतियाँ उत्पन्न होते ही उन्हें मान्यता दी जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, जैसा उचित हो, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के सीधे अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागतों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

1.8. Investments in Subsidiaries and Joint venture

The Company measures all its investments in subsidiaries, Joint ventures and Associates at cost in accordance with Ind AS 27.

1.9. Inventories

Inventories consisting of raw materials and packing materials, work-in-progress, stock-in-trade, stores and spares and finished goods and are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible tax credits. Cost of work-in-progress and finished goods comprises of direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible tax credits. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the reporting date are taken at NIL value.

The provision for loss if any in respect of slow-moving items of materials/finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability/marketability. The factors that the Company considers in determining the allowance for slow moving, obsolete and other non-saleable inventory include estimated shelf life, planned product discontinuances, price changes, ageing of inventory and introduction of competitive new products, to the extent each of these factors impact the Company's business and markets. The Company considers all these factors and adjusts the inventory provision to reflect its actual experience on a periodic basis.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

1.10. Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (usually having a maturity period of 3 months or less), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand.

1.11. Financial Instruments

Recognition and initial measurement

Trade receivables and debt securities issued are initially recognised when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through Profit and Loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through Profit and Loss are recognised immediately in the statement of profit and loss.

वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

- I. प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को
 - परिशोधित लागत
 - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
 - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

पर माप कर वर्गीकृत किया जाता है।

- II. एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित नहीं किया गया है।

परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है; तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

- III. एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

- IV. सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें ऊपर वर्णित जैसे परिशोधित लागत एफवीओसीआई में मापा गया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो एफवीटीपीएल में मापा जाता है। इसमें सभी व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अपरिवर्तनीय ढंग से नामित कर सकती है जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत पर या एफवीओसीआई में मापी जानेवाली आवश्यकताओं को पूरा करता है यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होनेवाले लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।

- V. एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय में पहचान की गयी उचित मूल्य परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश सहित आय को समेकित लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत क्षति हानि से कम की जाती है। किसी ब्याज सहित आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और क्षति हानि को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

- VI. वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि और इस अवधि में कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

वित्तीय देयताएँ

- I. वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत और एफवीटीपीएल पर मापने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या
- II. एक वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे होल्ड-फॉर-ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या यह एक व्युत्पन्न है या इसे प्रारंभिक मान्यता इस तरह नामित किया गया है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ व हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।
- III. अन्य वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को भी लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

Classification and subsequent measurement

Financial assets

- I. On initial recognition, a financial asset is classified as measured at
 - Amortised cost
 - Fair value through other comprehensive income
 - Fair value through profit and loss
- II. A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL)

The asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual flows; and The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

- III. A financial asset is subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- IV. All financial assets not classified as measured at amortised cost or as measured at FVOCI as described above are measured at FVTPL. This includes all derivative financial assets. On initial recognition, the Company may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at a mortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.
- V. Financial assets at FVTPL – These are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognised in Profit and Loss.

Financial assets at FVOCI – These assets are subsequently measured at fair value, with fair value changes recognised in other comprehensive income. Income, including any interest or dividend, is recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost – These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The amortised cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment losses are recognised in profit and loss.

- VI. Financial assets are not re-classified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Company changes its business model for managing its financial assets.

Financial liabilities

- I. Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL
- II. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, or it is a derivative or it is designated as such in initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit and loss.
- III. Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense, foreign exchange gains and losses are recognised in profit and loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognised in profit and loss.

गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह किसी लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया गया है या जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखती है।

कंपनी लेनदेन में प्रवेश करती है जिससे वह अपनी तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करती है लेकिन हस्तांतरित परिसंपत्तियों के सभी या पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखती है, हस्तांतरित परिसंपत्ति को अमान्य नहीं किया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त व प्राप्य राशि के बीच का अंतर संचयी अभिलाभ या हानि है जिसे समेकित लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाना है।

वित्तीय देयता

कंपनी एक वित्तीय देयता को तब मान्यता देती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द या समापन हो जाता है। गैर- मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान व देय प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को समेकित अभिलाभ एवं हानि के विवरण में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय देयता की शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है, तो कंपनी इसको भी मान्यता देती है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर अमान्य किया जाता है। समाप्त की गई वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

अपने वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी विभिन्न तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाजार तिथियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों में रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्य और डीलर उद्धरण शामिल हैं। उचित मूल्य का आकलन करने के सभी तरीके जिसके परिणामस्वरूप मूल्य का सामान्य अनुमान लगाया जाता है, और ऐसा मूल्य वास्तव में कभी भी वसूल नहीं किया जा सकता है।

ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि, तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, जब और केवल तभी जब राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और इसका इरादा या तो उन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करना है और देयताओं को एक साथ निपटाने का है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए हानि भत्ता को मान्यता देती है जिसे एफवीटीपीएल में नहीं मापा गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधन लागत/ एफवीओसीआई पर ले जानेवाली ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, क्रेडिट -हानि है। जब एक या अधिक घटनाएँ होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति, क्रेडिट हानि होती है जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

कंपनी बैंक शेष को छोड़कर जीवन भर की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मापती है, जिसे 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के रूप में मापा जाता है, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते को हमेशा आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली प्रत्याशित क्रेडिट हानि है। 12 महीने का ईसीएल, ईसीएल का एक हिस्सा है, जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

De-recognition

Financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Company neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

The Company enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its Balance Sheet but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets, the transferred assets are not derecognised

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is the cumulative gain or loss that has to be recognised in the statement of profit and loss.

Financial liabilities

The Company de-recognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability de-recognised and the sum of consideration paid and payable is recognised as gain or loss in the statement of profit and loss.

The Company also de-recognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognised in profit and loss.

Fair Value of Financial Instruments

In determining the fair value of its financial instruments, the Company uses a variety of methods and assumptions that are based on market conditions and risks existing at each reporting date. The methods used to determine fair value include discounted Cash flow analysis, available quoted market prices and dealer quotes. All methods of assessing fair value result in general approximation of value and such value may never actually be realised.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and net amount presented in the Balance Sheet when, and only when there is a legally enforceable right to set off the amounts and it intend either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of financial assets

The Company recognises loss allowance for expected credit loss ('ECL') on financial asset which are not measured at FVTPL. At each reporting date, the Company assess whether such financial assets carried at amortised cost / FVOCI are credit – impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

The Company measures loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses except for bank balances which are measured as 12 month expected credit losses for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to life time expected credit losses.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन :

व्यापार प्राप्य के लिए आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानि 'ईसीएल' भत्ता को मापने के लिए कंपनी ने इंड एस 109 'वित्तीय साधनों' के तहत एक मॉडल अपनाया है। मॉडल प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को क्रेडिट हानियों के संभाव्यता-वारित अनुमान के रूप में निर्धारित करता है।

क्षति हानियों और उत्क्रमणों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

परिशोधन लागत पर/एफवीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ते को परिसंपत्तियों की सकल अग्रणीत राशि से घटाया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि को इस सीमा तक बढ़े खाते में डाल (आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से) दिया जाता है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

1.12 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से होनेवाले नकदी प्रवाह को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किया जाता है।

1.13 राजस्व मान्यता

माल की बिक्री :

कंपनी, गर्भनिरोधक, अस्पताल, महिला स्वास्थ्य रक्षा फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जैसे अपने उत्पादों की एक श्रृंखला से राजस्व उत्पन्न करती है।

मालों की बिक्री से होनेवाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बेचे जा रहे उत्पादों का नियंत्रण हमारे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और जब कोई अधूरा दायित्व नहीं रह जाता है। हमारे अनुबंधों में निष्पादन दायित्वों का प्रेषण वितरण के समय या ग्राहक की शर्तों के आधार पर औपचारिक ग्राहक स्वीकृति पर पूरा किया जाता है। राजस्व को किसी भी व्यापार छूट, मात्रा में छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए किसी भी कर या शुल्क जैसे माल और सेवा कर आदि की कटौती के बाद अनुबंधित मूल्य के आधार पर मापा जाता है। इस तरह की छूट और घटौती के प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए संचित अनुभव का उपयोग किया जाता है। राजस्व केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण उलटाव नहीं होगा।

सेवाओं का समर्पण :

कंपनी स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं, रीटेल फार्मसी सेवाओं, अवसंरचना विकास सेवाओं, परियोजना प्रबंधन परामर्श व संबद्ध सेवाओं, सुविधा प्रबंधन सेवाओं और प्रपण परामर्श सेवाओं से राजस्व अर्जित करती है।

प्रदान की गई सेवाओं से आय को ग्राहकों के साथ समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर मान्यता दी जाती है जैसा कि सेवा की जाती है और कोई अधूरे दायित्व नहीं हैं। सेवाओं से राजस्व के संबंध में कंपनी समय की अवधि में मान्यता का पालन करती है।

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्वों में कंपनी के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं।

1.14 अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो यह समझ जाने तक की पहचान नहीं की जाती है। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन के आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

Measurement of expected credit losses

The Company has adopted a model, as permitted under Ind AS 109 “Financial Instruments”, for measuring lifetime expected credit loss “ECL” allowance for trade receivables. The model determines the expected credit losses as the probability-weighted estimate of credit losses.

The impairment losses and reversals are recognised in the statement of profit and loss.

Loss allowance for financial assets measured at amortised cost / at FVOCI are deducted from gross carrying amount of the assets. The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery.

1.12. Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on audited financial statements.

1.13. Revenue recognition

Sale of goods:

The Company generates revenue from a range of its products viz., Contraceptives, Hospital products, Women Healthcare Pharma and Personal hygiene products.

Revenue from sale of goods is recognised when control of the products being sold is transferred to our customer and when there are no longer any unfulfilled obligations. The Performance Obligations in our contracts are fulfilled at the time of dispatch, delivery or upon formal customer acceptance depending on customer terms. Revenue is measured on the basis of contracted price, after deduction of any trade discounts, volume rebates and any taxes or duties collected on behalf of the Government such as goods and services tax, etc. Accumulated experience is used to estimate the provision for such discounts and rebates. Revenue is only recognised to the extent that it is highly probable a significant reversal will not occur.

Rendering of services:

The Company generates revenue from Healthcare Services, Laboratory and Diagnostic Services, Retail Pharmacy Services, Infrastructure Development services, Project Management Consultancy and allied services, Facility Management Services, and Procurement Consultancy Services.

Income from services rendered is recognised based on agreements/arrangements with the customers as the service is performed and there are no unfulfilled obligations. In respect of revenue from services the Company follows recognition over a period of time.

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Company and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

1.14. Other Income

Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

1.15 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण

कंपनी के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको इसके कार्यात्मक मुद्रा भी है।

यदि लेन-देन की तिथि पर औसत दर, वास्तविक दर का अनुमान लगती है, तो विदेशी मुद्राओं में लेन-देन, इसकी तारीखों पर विनिमय दरों पर या औसत दर पर कंपनी कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीत मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर निर्धारित होने पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं। योग्य नकदी प्रवाह हेजेज, जो प्रभावी होते हैं और जिन्हें ओसीआई में मान्यता प्राप्त है, को बदलने से उत्पन्न होनेवाले विनिमय मतभेदों को छोड़कर, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (निर्यात प्रोत्साहन सहित) तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उनके साथ संबंध शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यहास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यहास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि खाते में जारी मान्यता प्राप्त है।

सरकारी अनुदान जो चुकाने योग्य हो जाता है, उसे लेखांकन अनुमान (इंड एस 8, लेखा नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन) में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। आय से संबंधित अनुदान की चुकौती को पहले अनुदान के संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी परिशोधित आस्थगित ऋण के लिए लागू किया जाता है। इस हद तक कि चुकौती ऐसे किसी भी आस्थगित ऋण से अधिक है, या जब कोई आस्थगित ऋण मौजूद नहीं है तो चुकौती को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

किसी परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान की चुकौती को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करके या आस्थगित आय शेष को प्रतिदेय राशि से घटाकर मान्यता दी जाएगी। संचयी अतिरिक्त मूल्यहास जिसे अनुदान के अभाव में आज तक लाभ या हानि में मान्यता दी गई होगी, को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाएगी।

1.17 कर्मचारी फायदे

निर्धारित लाभ योजना:

उपदान

कंपनी, पात्र स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना (उपदान योजना) प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, क्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी

1.15 Foreign currency transactions and translations

The Company's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of the Company, at the exchange rates at the dates of the transactions or an average rate if the average rate approximates the actual rate at the date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the exchange rate when the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Exchange differences are recognised in Profit and Loss, except exchange differences arising from the translation of qualifying cash flow hedges to the extent that the hedges are effective, which are recognised in OCI.

1.16 Government grants

Government grants are recognized only when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.

Government grants in the nature of revenue items are recognized in the statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognized as income in the statement of Profit and Loss over the period and the proportion in which depreciation is charged. Government grants related to assets are presented in the Balance sheet as Deferred Grant.

When the Company received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and recognised in the profit and loss account over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

A Government grant that becomes repayable is accounted for as a change in accounting estimate (Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Repayment of a grant related to income is first applied against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment is recognised immediately in Profit and Loss.

Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation that would have been recognised in Profit and Loss to date in the absence of the grant shall be recognised immediately in Profit and Loss.

1.17 Employee benefits

Defined Benefit Plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan ('the GratuityPlan') covering eligible permanent and temporary employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, in capacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and

के साथ रोजगार की अवधि के आधार पर एक रकम का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। भारतीय कानून द्वारा अनुमत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक योजना में योगदान का निवेश किया जाता है।

इन निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में देयताएँ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। ये निर्धारित लाभ योजनाएँ ग्रुप को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाज़ार जोखिम के लिए प्रकट करती हैं।

कंपनी अपनी तुलन पत्र में एक निर्धारित लाभ योजना के निवल दायित्व को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देती है। निवल निर्धारित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनःमापन के माध्यम से लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निर्धारित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दर को लागू करके गणना की गई आय से अधिक योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक रिटर्न, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। किसी भी योजना संशोधन के प्रभाव को लाभ व हानि के विवरण में निवल लाभ में मान्यता दी जाती है।

मुआवज़ा अनुपस्थिति

कंपनी को केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो संचित और गैर-संचित दोनों प्रकार में हैं। अनुपयोगी पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की प्राप्त की जानेवाली अतिरिक्त राशि पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए मुआवज़ा की अनुपस्थिति को संचित करने की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है जो तुलन पत्र की तारीख में जमा हो गया है। गैर-संचित मुआवज़ा अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

रोज़गार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोज़गार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, संहिता लागू होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता लागू होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता लागू होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

निर्धारित अंशदान योजना

भविष्य निधि

कंपनी के योग्य कर्मचारियों को भविष्य निधि से लाभ प्राप्त होते हैं, एक पोस्ट-रोज़गार लाभ, जिसके तहत पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों पीएफ अधिकारियों को कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

ईएसआई और अन्य अंशदान योजनाएँ

निर्धारित अन्य अंशदान योजनाओं, यानी अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों के लिए कंपनी का अंशदान, केलिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारग्रहण की अवधि में समेकित लाभ एवं हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब सेवाएँ कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं। राशि का भुगतान संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को किया जाता है और कंपनी को आगे कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंशन योजना भी शामिल हैं। कंपनी कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डी ए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है। योगदान के अलावा कंपनी को कोई और कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवाएँ समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ के लिए पहचान की जाती है।

the tenure of employment with the Company. The contributions are invested in a scheme with the Life Insurance Corporation of India as permitted by Indian law.

Liabilities with regard to these defined benefit plans are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each Balance Sheet date using the projected unit credit method. These defined benefit plans expose the Company to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest rate risk and market risk.

The Company recognizes the net obligation of a defined benefit plan in its Balance Sheet as an asset or liability. Gains and losses through re-measurements of the net defined benefit liability/(asset) are recognized in Other Comprehensive Income and are not reclassified to Profit and Loss in subsequent periods. The actual return of the portfolio of plan assets, in excess of the yields computed by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation is recognized in Other Comprehensive Income. The effect of any plan amendments is recognized in net profit in the Statement of Profit and Loss.

Compensated Absences

The Company has a policy on compensated absences only to permanent employees which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid / availed as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.

The Code on Social Security, 2020 relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

Defined Contribution Plans

Provident Fund

Eligible employees of Company receive benefits from a provident fund, a post –employment benefit under which both the eligible employee and the Company make monthly contributions to the provident fund plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary to PF authorities and the Company will have no legal or constructive obligation to pay further amounts.

ESI and Other Contribution Plans

Payments to other defined contribution plans i.e., superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees. The amounts are paid to respective government authorities and the Company has no further legal or constructive obligations.

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the Company as on 9-10-2012. Company contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India. The Company has no further legal or constructive obligation beyond the contribution.

Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefit expense in the statement of profit and loss in the periods during which the related services are rendered by the employees.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने के लिए प्रत्याशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापा जाता है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किए गए भुगतान को भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.18 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों, जो ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों।

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रुप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए गए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाता है।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि, जिसमें उनका खर्च किए गए हैं, में लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

1.19 खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता, संसाधनों के आबंटन और प्रचालन खंडों के निष्पादन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.20 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है। चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचान की जाती है, इसके सिवाय वे जब इससे संबंधित मद जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त की जाने की उम्मीद की गई कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को केवल तभी ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और इसका उद्देश्य, परिसंपत्ति का एहसास करना और देयता को निवल आधार पर या एक साथ निपटाना है।

आस्थगित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणी राशियों और करायान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली संगत राशियों के बीच के अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर निम्न के लिए मान्यता नहीं दी जाती है :

- लेन-देन में संपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और वह लेन देन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश से संबंधित अस्थायी मतभेद उस हद तक कि कंपनी अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि वे निकट भविष्य में उल्टा नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ-गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक मान्यता प्राप्त/कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना/अब संभावित नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति प्राप्त किया जाता है या देयता

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Profit and Loss on incurrence.

1.18 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognized in Profit and Loss in the period in which they are incurred.

1.19 Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker of the Company is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

1.20 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in Other Comprehensive Income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in Other Comprehensive Income or directly in equity respectively.

Current Tax:

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes. It is measured using tax rates (and tax laws) enacted or substantively enacted by the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for:

- Temporary differences arising on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable Profit and Loss at the time of the transaction.
- Temporary differences related to investments in subsidiaries, associates and joint arrangements to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets – unrecognised or recognised, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/ no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised.

का निपटारा किया जाता है, जो उन कानूनों के आधार पर होता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर उम्मीद करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएँ ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताएँ और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई या विभिन्न कर संस्थाओं पर वसूल किए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताएँ एक साथ वसूली की जाएंगी।

कर की स्थिति

अनिश्चित कर स्थितियों के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन को संभावित जोखिमों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रोद्भवन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य राशि का उपयोग करके मापा जाता है, जिसके आधार पर इकाई अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करने की अपेक्षा करती है। कर लाभों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि प्रबंधन लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या के आधार पर और कर प्राधिकरण मामले को कैसे हल करेगा, इसकी अपेक्षा के आधार पर समाप्त नहीं होता है कि इस तरह के लाभ अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। एक बार स्वीकार नहीं किए जाने के संभावित माने जाने पर प्रबंधन प्रत्येक भौतिक कर लाभ की समीक्षा करता है और संबंधित कर योग्य राशियों के निर्धारण में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाता है।

1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटना के परिणामस्वरूप जब कंपनी को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जब कंपनी कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करता है, उदाहरण के लिए, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति निश्चित हो। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाज़ार आकलन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न कर रहे एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व को पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे नहीं पहचान की गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभवाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों को राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.22 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति रु.10000/- तथा उससे कमवाले के मद्दों से संबंधित पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

Tax positions:

Accruals for uncertain tax positions require management to make judgments of potential exposures. Accruals for uncertain tax positions are measured using either the most likely amount or the expected value amount depending on which method the entity expects to better predict the resolution of the uncertainty. Tax benefits are not recognised unless the management based upon its interpretation of applicable laws and regulations and the expectation of how the tax authority will resolve the matter concludes that such benefits will be accepted by the authorities. Once considered probable of not being accepted, management reviews each material tax benefit and reflects the effect of the uncertainty in determining the related taxable amounts.

1.21 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, and it is probable that the Company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is probable, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognized.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the current management estimate.

1.22 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.23 बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

यदि रखाव रकम उनके निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी तो गैर चालू परिसंपत्तियों और निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) उनकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तब माना जाता है, बशर्त कि ऐसी परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत होती है और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित होती है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद की जानी है।

बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियों (और निपटान ग्रूप) इनके रखाव रकम के न्यूनतम दर पर मापा जाता है और बेचने के लिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से मापा जाता है

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

1.24 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या के द्वारा इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

| प्रति शेयर मूल एवं हल्का आय | | |
|--|-------------|-------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| निवल लाभ का अंश ₹ करोड़ों में | | |
| लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ | 39.77 | 404.38 |
| डिनोमिनेटर- अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की औसतन संख्या | 1,55,35,000 | 1,55,35,000 |
| शेयरों की संख्या- मूल & हल्का | 1,55,35,000 | 1,55,35,000 |
| अर्जन प्रति शेयर (₹) | | |
| मूल (प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य) | 25.60 | 260.30 |
| हल्का(प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य) | 25.60 | 260.30 |

1 ख महत्वपूर्ण लोखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

इंड एएस के साथ समनुरूपता में वित्तीय विवरण की तैयारी प्रबंध को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचार करके निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाना अपेक्षित है।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

प्रासंगिक व्यय

कानूनी, ठेके दार, भूमि पहुँच और अन्य दावाएं सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा, जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य घटनाओं के परिणाम के संबंध में स्वाभाविक रूप से अनुमानों का उपयोग शामिल है।

1.23 Non-current assets held for sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs of disposal.

Noncurrent assets held for sale are not depreciated or amortised.

1.24 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

| Basic and Diluted Earning per share | | |
|---|-------------|-------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| Numerator Net Profit ₹ In Crs | | |
| Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss | 39.77 | 404.38 |
| Denominator - Average No. of Equity Shares outstanding the period | 1,55,35,000 | 1,55,35,000 |
| No. of Shares - Basic & Diluted | 1,55,35,000 | 1,55,35,000 |
| Earnings per share (₹) | | |
| Basic (Face Value of ₹10/- per share) | 25.60 | 260.30 |
| Diluted (Face Value of ₹10/- per share) | 25.60 | 260.30 |

1 B. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS, requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events.

आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से हैं। परिवर्तन हो जायें जो ऐसे परिवर्तन जब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति से जुड़े जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा की जाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्राप्ति के लिए खराब हानि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना के लिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

राजस्व

ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में एक ग्राहक को कई उत्पादों और सेवाओं को हस्तांतरित करने का वादा शामिल है। ग्राहक अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को मान्यता और माप के लिए माना जाता है जब पार्टियों द्वारा अनुबंध को लिखित रूप में अनुमोदित किया गया है, अनुबंध के पार्टी, अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। कंपनी अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करती है और अनुबंध में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। बाँटने योग्य को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान और ऐसे बाँटने योग्य से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने के लिए ग्राहक की क्षमता की ओर इन विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

आयकर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रदत्त/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या कुछ भाग या सभी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली नहीं की जाएगी। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्त अवधि के दौरान भावी कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देयताओं, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के अनुसूचित उत्क्रमण पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर जिसमें आस्थगित आयकर परिसंपत्ति कटौती योग्य है, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों को माना जाएगा। वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि हालांकि निकट अवधि में कम की जा सकती है यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है।

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates.

Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the Balance Sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the Discounted Cash Flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the Company's past history and other factors at the end of each reporting period.

Revenue

The Company's contracts with customers include promises to transfer multiple products and services to a customer. Revenues from customer contracts are considered for recognition and measurement when the contract has been approved, in writing, by the parties to the contract, the parties to contract are committed to perform their respective obligations under the contract, and the contract is legally enforceable. The Company assesses the services promised in a contract and identifies distinct performance obligations in the contract. Identification of distinct performance obligations to determine the deliverables and the ability of the customer to benefit independently from such deliverables, and allocation of transaction price to these distinct performance obligations involves significant judgement.

Income Tax

Significant judgments are involved in determining the provision for income taxes, including amount expected to be paid/recovered for uncertain tax positions. In assessing the realizability of deferred income tax assets, management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income and tax planning strategies in making this assessment. Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the Company will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced.

2-वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण/ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण से संबंधित कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी नीचे जैसे हैं :

(₹ करोड़ों में)

| क्र.सं | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|--------|---|------------|------------|
| (क) | वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि | 85.84 | 30.41 |
| (ख) | वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान | शून्य | शून्य |
| (ग) | एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज | शून्य | शून्य |
| (घ) | सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज | शून्य | शून्य |
| (ङ) | वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष | शून्य | शून्य |

2.2- समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नानुसार है।

| कंपनी का नाम | संस्थापन देश | संबंध | 31.03.2023 को स्वामित्व ब्याज |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|
| गोवा एंटीबायोटेक्स :फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) | भारत | समनुषंगी | 74% |
| एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | भारत | समनुषंगी | 100% |
| लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड | भारत | संयुक्त उद्यम | 50% |
| एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड | भारत | समनुषंगी | 100% |

2.3 - कंपनी ने कोच्चि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित अपनी यूनिट में महिला कंडोम एफसी 2 नाइट्राइल संस्करण के विनिर्माण के लिए मेसर्स फीमेल हेल्थ कंपनी (यूके) से ऋण के आधार पर ₹.0.89 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्त किए थे। आपूर्ति किए गए उपकरणों की संपत्ति और शीर्षक मेसेर्स फीमेल हेल्थ कंपनी, यू.के. के पास निहित होने के कारण कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की गई हैं।

2.4 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगावी में डब्लियुएचओ जीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। यूनीपिल उत्पाद छह विदेशी देशों के साथ पंजीकृत किया गया है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और कंपनी इन उत्पादों को और अधिक देशों में पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान उत्पन्न राजस्व 1.32 करोड़ रुपए है।

परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनिपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

2.5- वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य है)

2. Explanatory Notes/Additional Disclosure forming part of Standalone Financial statements for the year 2022-23

2.1 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 to the extent information available with the Company is as under:

(₹ in Crs)

| S. No: | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|--------|---|------------|------------|
| (a) | The principal amount remaining unpaid at the end of the year | 85.84 | 30.41 |
| (b) | The delayed Payments of Principal amount paid beyond the appointed date during the year | NIL | NIL |
| (c) | Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act*. | NIL | NIL |
| (d) | Normal Interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms. | NIL | NIL |
| (e) | Total Interest accrued during the year and remaining unpaid. | NIL | NIL |

2.2. The extent of ownership in Subsidiary/Joint Venture Companies are as follows:

| Name of the Company | Country of Incorporation | Relationship | Ownership Interest as on 31.03.2023 |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL) | India | Subsidiary | 74% |
| HLL InfraTech Services Limited (HITES) | India | Subsidiary | 100% |
| Life Spring Hospitals Pvt. Ltd | India | Joint Venture | 50% |
| HLL Mother & Child Care Hospitals Limited | India | Subsidiary | 100% |

2.3. The Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipments valuing ₹0.89 Crores on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.4. Property, Plant and Equipment includes Unipill Plant, a WHO GMP (Geneva) compliant facility, set up by the Company at Kanagala Belagavi. The Unipill products are registered with six foreign countries where registration is mandatory and the Company is in the process of registering these products in more countries. The revenue generated during the year is Rs 1.32 Crores.

The carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognized on the Unipill Plant.

2.5. Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹ Nil)

2.6- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची vii के अनुसार, ₹500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹1000 करोड़ या उससे अधिक के व्यापारावर्त या ₹5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विवरण निम्नलिखित हैं ।

(क) सी एस आर नियम 2022-23 के अनुसार खर्च की जानेवाली सकल रकम - ₹5.25 करोड़।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने वाले बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी एस आर बजट - ₹5.66 करोड़।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी वास्तविक रकम :

| | | नकद में (₹ करोड़) |
|------|---|--------------------|
| (i) | किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण | - |
| (ii) | उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | 5.32 |
| | कुल | 5.32 |

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार)

| विवरण | रकम (करोड़ों में) |
|--|-------------------|
| 01.04.2022 तक अधिशेष | शून्य |
| चालू परियोजनाओं के रूप में निर्धारित राशि | 0.17 |
| 31.03.2023 तक अंतिम शेष | 0.17 |
| कंपनी के साथ(कंपनीअधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर प्रेषित किया जाना है।) | शून्य |
| अलग सीएसआर में अव्ययित खाता | 0.17 |

(ङ) *वर्ष के अंत में कमी :- शून्य

(च) सी एस आर गतिविधियों की तरीका और कमी के कारण :-

₹करोड़ों में

| अनुसूची संख्या | अनुसूची VII | व्यय | वास्तविक खर्च | कमी/ जारी | कारण |
|----------------|--|------|---------------|-----------|---|
| (i) | भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | 4.43 | 4.43 | - | |
| (ii) | शिक्षा को बढ़ावा देना | 0.61 | 0.61 | - | |
| (iii) | लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्यों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना। | 0.40 | 0.23 | 0.17 | चालू परियोजना के रूप में 0.17 करोड़ रुपए अग्रेनीत किए गए। |

2.6. As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every Company with net worth of ₹ 500 Cr or more, or with a turnover of ₹1000 Cr or more or having a net profit of ₹5 Cr or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for the financial year 2022-23.

(a)Gross amount to be spent as per CSR Rules 2022-23 ₹ 5.25 Crs

(b)CSR Budget approved by the board to be spent during the year: - ₹ 5.66 Crs.

(c)Actual Amount spent during the year on: -

| | | In cash (₹ Crs) |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| (i) | Construction/acquisition of any asset | - |
| (ii) | On purposes other than (i) above | 5.32 |
| | Total | 5.32 |

(d)Details of ongoing projects (in line with amendments to 135(5) and 135(6))

| Particulars | Amount (in Crs) |
|--|-----------------|
| Opening balance as on 01.04.2022 | Nil |
| Amount earmarked as ongoing projects | 0.17 |
| Closing balance as on 31.03.2023 | 0.17 |
| With Company (to be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 within 6 months of the end of the Financial Year) | Nil |
| In separate CSR unspent account | 0.17 |

(e) *Shortfall at the end of the year: -Nil

(f)Nature of CSR Activities & Reason for Shortfall: -

(Rs in Crs)

| Sch No | Schedule VII | Expense | Actually spent | Shortfall/ Ongoing | Reason |
|--------|---|---------|----------------|-----------------------|--|
| (i) | Eradicating hunger, poverty and malnutrition and making available safe drinking water | 4.43 | 4.43 | - | |
| (ii) | promoting education | 0.61 | 0.61 | - | |
| (iii) | promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens | 0.40 | 0.23 | 0.17 | Rs.0.17 Crs Carried forward as Ongoing project |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| (iv) | पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना। | 0.01 | 0.01 | - | |
| (vii) | ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | - | - | - | |
| (x) | ग्रामीण विकास परियोजनाएँ | 0.02 | 0.02 | - | |
| (xii) | आपदा प्रबंधन | 0.02 | 0.02 | - | |
| कुल | | 5.49 | 5.32 | 0.17 | |

2.7- बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे के लिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।

2.8- वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी।

2.9- कंपनी सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ समझौतों के अधीन प्रापण परियोजना और अवसंरचना विकास परियोजना चला रही है, जिसके लिए ट्रस्ट के अधीन अलग-अलग बहियों का रखरखाव किया जाता है। इन परियोजनाओं की संपत्ति और देनदारियों परियोजनाओं को आर्बाटित करनेवाली सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं और निरीक्षण और लेखा परीक्षा उनकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का सारांश केवल सूचना के उद्देश्य के लिए अनुबंध | के रूप में प्रकट किया गया है और कंपनी द्वारा ट्रस्ट के तहत रखी गई इन परियोजनाओं के नकद और बैंक शेष और संबंधित देनदारियों को तुलन पत्र में विपरीत मदों के रूप में प्रकट किया गया है।

2.10- भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय-समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। एचएलएल की कैप्टिव पदवी पर दिया गया अंतिम विस्तार 31.03.2024 तक विधिमाम्य है।

कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद(कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, ई सी गोलियाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेगनन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करती है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टैरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है और अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मूल्य के अनुसार, एचएलएल कम से कम 3.88 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि के लिए पात्र है, जिसे वर्ष के दौरान बिल रहित राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। सी ए बी ने अपनी रिपोर्ट में कीमत के निश्चित लागत घटक में सामान्य लागत और असामान्य लागत के रूप में एक अंतर बना दिया है। असामान्य लागत को छोड़कर उचित मूल्य की सिफारिश की गयी थी, जिससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जैसा उचित समझे, असामान्य लागत सहित मूल्य पर विचार करने का अधिकार दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असामान्य लागत को छोड़कर कीमत स्वीकार कर ली है। एचएलएल ने सी ए बी रिपोर्ट में वैकल्पिक मूल्य पर विचार करने के लिए मंत्रालय को प्रतिनिधित्व किया है, जो एचएलएल को पूरक बिल जमा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई वास्तविक लागत पर आधारित है।

2.11- एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था इस संयुक्त उद्यम को

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| (iv) | ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources | 0.01 | 0.01 | - | |
| (vii) | training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports; | - | - | - | |
| (x) | Rural development projects | 0.02 | 0.02 | - | |
| (xii) | Disaster Management | 0.02 | 0.02 | - | |
| Total | | 5.49 | 5.32 | 0.17 | |

2.7. Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits.

2.8. During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.

2.9. The Company has been undertaking the Procurement Projects & Infrastructure Development Projects under agreements with Government and its agencies, for which separate books are maintained under trust. The assets and liabilities of these projects are with the Government and its agencies allotting the projects and the inspection and audit are their responsibility. In accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the summary of these Assets & Liabilities are disclosed as Annexure I only for information purpose and the cash and bank balances of these projects held by the Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance Sheet.

2.10. Govt. of India has accorded "captive status" to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. The latest extension granted on captive status of HLL is valid upto 31.03.2024.

The Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates based on the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of Commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW, based on the representation by the Company has referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2019-20 and the study report is submitted. As per the price communicated by MoHFW, HLL is eligible for a minimum of Rs. 3.88 Crs as price escalation and this is recognized as unbilled revenue during the year. CAB in their report has made a differentiation in the fixed cost component of price as normal cost and abnormal cost. Fair price was recommended excluding the abnormal cost empowering MOHFW to consider price including abnormal cost as it deems fit. MoHFW has accepted the price excluding abnormal cost. HLL has represented to the Ministry to consider the alternate price in the CAB report, which is based on the actual cost incurred by the Company for HLL to submit the supplementary bills.

2.11. M/s. Life Spring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This JV was formed with the

भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20 बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालों स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 9.51 करोड था।

अब, संयुक्त उद्यम हैदराबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी 2016-17 से लाभदायक हो गई और कोविड महामारी के कारण 2020-21 को छोड़कर लगातार लाभ की रिपोर्ट की।

2.12- एमसीए ने दिनांक 22.03.2021 के आदेश के अनुसार एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, जो सीसीईए द्वारा अनुमोदित एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचएलएल द्वारा गठित 100% समनुषंगी कंपनी है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत यानी 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है और एचबीएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के अधीन एक सीपीएसई बन गया है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा निवेश की गई शेयर पूँजी और एचएलएल द्वारा किए गए संबंधित निवेश को घटाकर रु.274.88 करोड है। एचएलएल द्वारा बनाया गया रु.1 लाख का प्रारंभिक निवेश भारत सरकार से प्रायः के रूप में नोट-13 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य में दिखाया गया है। एचएलएल ने पत्र सं. एचएलएल/सी एस/डीमर्जर - एच बी एल दिनांक 23 अगस्त, 2022 के ज़रिए भारत सरकार से एच बी एल की प्रदत्त शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा निवेश किए गए 1.00 लाख रुपए वापस करने का अनुरोध किया।

2.13- कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10 एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित किया गया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10.02.2012 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की और आर्थिक कार्य की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार ₹10.12 करोड (प्रति एकड़ के लिए ₹16.50 लाख की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹2 लाख की दर पर छोटी पहाड़ी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ निर्धारित की गई थी।

पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया गया है। एचएलएल के नाम पर 100 एकड़ भूमि के अंतरण और उसके बदले में एचबीएल को करने की कानूनी औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गयीं, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई 100 एकड़ भूमि 94 वर्षों के लिए रु.1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को दी गई 100 एकड़ में से 3.38 एकड़ भूमि ₹1/- मात्र के वार्षिक पट्टा किराये पर 92 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेडको के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया ।

डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के परिणामस्वरूप, एचबीएल ने 19 अक्टूबर 2021 के पत्र के ज़रिए एचएलएल से एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकारों के स्थानांतरण का संकेत देते हुए एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में, एचएलएल ने 30 अक्टूबर 2021 के पत्र द्वारा एचबीएल को सूचित किया था कि एमसीए 22 मार्च 2021 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित डीमर्जर योजना के पैरा 3.4 के अनुसार चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकार एचबीएल में स्थानांतरित किया गया है। इस पत्र की एक प्रति सीएलटीआरआई को सूचनार्थ भेजी गई है।

इसके अलावा, एचएलएल और एचबीएल ने 6 जनवरी 2023 को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ), चेंगलपेट्टु में व्यवस्था की योजना के अनुसार एक समझौता ज्ञापन (एमओयु) निष्पादित किया है। यह एम ओ यु, स्टॉप शुल्क की छूट के अनुरोध के साथ भारतीय स्टॉप अधिनियम की धारा 8जी के तहत पंजीकरण के लिए उपरोक्त तिथि पर उप-रजिस्ट्रार, चेंगलपेट्टु के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। एसआरओ, चेंगलपेट्टु से समझौता ज्ञापन की पंजीकृत प्रति की प्रतीक्षा है।

2.14- मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपेट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट के अनुमोदन के आधार पर, 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) निगमित किया गया है। उक्त 330.10 एकड़ भूमि एचएमएल को मार्च 2017 के दौरान उप पट्टे के आधार पर आबंटित की गई थी। एचएलएल ने एचएमएल में इक्विटी शेयर पूँजी की ओर 6.40 करोड रुपये का निवेश किया है।

objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide pediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which they are located. At the end of the FY 2022-23 (upto 31.03.2023), total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹9.51 Crores.

Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad.

The JV Company turned profitable since 2016-17 and reported profits consecutively except for 2020-21 due to COVID pandemic.

2.12. MCA has vide order dated 22.03.2021 approved the demerger of HLL Biotech Ltd (HBL), the 100% subsidiary formed by HLL for setting up the Integrated Vaccine Complex as approved by CCEA. HLL Biotech Ltd has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme ie, 01st April 2019 and HBL has become a CPSE under the direct ownership of Govt. of India. Accordingly, the share capital invested by Gol and corresponding investment made by HLL is reduced to the tune of Rs. 274.88 Crores. The initial investment of Rs. 1.00 Lakh made by HLL is shown as receivable from Govt of India in Note 13- Current Financial Assets- Others. HLL Vide Letter No.HLL/CS/Demerger-HBL dated 23rd August 2022, requested Government of India for the refund of Rs.1.00 lakh invested by HLL in the paid-up share capital of HBL

2.13. The Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 recommended and as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), 100 acres of land was earmarked out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres at ₹16.50 lacs per acre and 44 acres of hillock @ ₹ 2 lacs per acre).

M/s HLL Biotech Limited (HBL), was formed as 100% subsidiary of HLL for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL was not completed, the Company had, on 20th February 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL at ₹1/- for 94 years.

Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

Subsequent to the Scheme of arrangement of Demerger, HBL had vide letter dated 19th October 2021 requested HLL to issue a letter indicating transfer of leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamil Nadu. In response, HLL had by letter dated 30th October 2021 informed HBL that according to Para 3.4 of the Demerger Scheme approved by the MCA by its Order dated 22nd March 2021 the leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamil Nadu stands transferred to HBL. A copy of this letter was marked to CLTRI for information.

Further, HLL and HBL have executed a Memorandum of Understanding (MoU) pursuant to the Scheme of arrangement at Sub-Registrar Office (SRO), Chengalpattu on 6th Jan 2023. The MoU was submitted to the office of Sub-Registrar, Chengalpattu on the aforesaid date for registration under Section 8G of the Indian Stamp Act by requesting for waiver of stamp duty. The registered copy of the MoU from the SRO, Chengalpattu is awaited.

2.14. Based on the Cabinet Approval to sub-lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the Company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited (HML) was incorporated as a

एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 के आदेश के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को टिप्पणी सं -13 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों के आधार पर, एचएमएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के एक सीपीएसई बन गया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना के खंड 3.4 के अनुसार पृथक उपक्रम का हिस्सा बननेवाली किसी भी अचल संपत्ति में सभी अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे और परिणामी कंपनी, अर्थात् एचएमएल में निहित हो जाएंगे। इसके बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूमि एक अचल संपत्ति है, एचएमएल के नाम पर सीधे पट्टे के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनः दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है।

जैसा कि पैरा 2.13 में संदर्भित एचबीएल के मामले में, एचएलएल ने 04 दिसंबर 2022 को 330.10 एकड़ भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए टिड्को को प्रस्ताव दिया था। बदले में टिड्को ने एमओएचएफडब्लियु को सूचित किया कि वे दस्तावेजों को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार से भूमि तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने और एमओएचएफडब्लियु द्वारा एचएमएल का प्रबंधन वापस लेने का अनुरोध किया था।

2.15- आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100% की बिक्री के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियुसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेले & कंपनी को चयनित प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्विसस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया।

एचएलएल के प्रस्तावित सामरिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करनेवाली अधिसूचना एचएलएल के बारे में प्रारंभिक सूचना सहित ज्ञापन के साथ 14 दिसंबर 2021 को टीए द्वारा प्रकाशित की गई थी।

एचएलएल पीआईएम प्रकाशित करने और ईओआई के लिए निमंत्रण के बाद, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दीपम) ने दीपम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेन-देन सलाहकार और एचएलएल की वेबसाइटों पर चार (4) शुद्धिपत्र प्रकाशित किए।

टीए द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 थी और ईओआई की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 थी। योग्य इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) को सूचना देने के लिए टीए की नियत तारीख 28 मार्च 2022 थी। जुलाई 2022 की शुरुआत से, टीए ने वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) के माध्यम से इच्छुक शॉर्ट लिस्टेड बोलीदाताओं को उपलब्ध कराने के लिए एचएलएल से संबंधित जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

एचएलएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के संबंध में प्रस्तावित विनिवेश और आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा एचएलएल, लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के संबंधित अन्य विभागों/ मंत्रालयों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समुचित परिश्रम प्रक्रिया अभी भी जारी है और एचएलएल बोलीदाताओं द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है।

separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The said 330.10-acre land was allotted to HML on sublease basis during March 2017. HLL has invested Rs. 6.40 Crores towards Equity share capital in HML.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f, 01st April 2019. As per the scheme, Govt. of India shall pay HLL Lifecare Limited the consideration of equity investment made by HLL in HML of ₹ 6.40 Crores. Accordingly, the investment made by the Company in HLL Medipark Limited is disclosed as Receivable from Govt. of India under Note - Note 13. Current Financial Assets - Others

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML and based on the actions taken by the Ministry, HML has become a CPSE under the direct ownership of the Government of India.

According to Clause 3.4 of the Scheme of Demerger of HML from HLL approved by the Ministry of Corporate Affairs all rights in any immovable property forming part of the demerged Undertaking shall stand transferred and be vested in the resulting Company ie., HML. In spite of this, considering the fact that land is an immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HML.

As in case of HBL referred in para 2.13, HLL had proposed to TIDCO to execute necessary documentations for change in revenue records of the 330.10 acres of land on 04th December 2022. TIDCO in turn informed MOHFW that they are not in a position to execute the documents since, the Chief Secretary, GoTN had requested MOHFW, GoI to transfer the land to Govt. of Tamil Nadu and take back the management of HML by MOHFW.

2.15. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley & Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd was selected as Asset Valuer (AV) by the Administrative Ministry through a competitive bidding process.

The Notification inviting Expression of Interest (EOI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL together with Preliminary Information Memorandum about HLL was published by the TA on 14th December 2021.

After publishing HLL PIM and invitation for EOI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, Government of India [DIPAM] published four (4) corrigenda on the websites of DIPAM, Ministry of Health & Family Welfare, Transaction Advisor and HLL.

According to the schedule published by the TA, last date for submission of EOIs through online mode was 14th March 2022 and the last date for submission of physical copy of EOI was 21st March 2022. The due date for TA to give intimation to Qualified Interested Bidders (QIB) was 28th March 2022. From the beginning of July 2022, TA started gathering information and documents relating to HLL for making them available to interested short-listed bidders through Virtual Data Room (VDR).

Periodic review meetings are organized by the Department of Investment and Public Asset Management with HLL, Transaction Advisor, Legal Advisor, the Ministry of Health & Family Welfare and other Departments / Ministries of the Government of India concerned to discuss about the proposed disinvestment and actions required with regard to proposed strategic disinvestment of HLL.

Due diligence process is still continuing and HLL is providing clarifications/ additional information as sought by the Bidders.

2.16- गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) 2014 से एचएलएल की सहायक कंपनी है, जिसमें ईडीसी लिमिटेड गोवा के साथ एचएलएल का 74% शेयर है। 31.03.2022 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय के अनुसार कंपनी का निवल रकम नकारात्मक है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभरहित कंपनी हो गई।

जीएपीएल प्रबंधन ने 09.05.2022 को आयोजित अपनी 191वीं बोर्ड बैठक में एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की और जीएपीएल बोर्ड द्वारा, दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों, यानी, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड द्वारा उनकी शेयरधारिता के अनुपात में रु.14.31 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी लगाने की योजना पर, सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई। बाद में, ईडीसी लिमिटेड, गोवा ने जीएपीएल में अतिरिक्त इक्विटी नहीं डालने का फैसला किया और अपनी शेयरधारिता कम करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए 26 जुलाई 2022 को आयोजित एचएलएल की 284वीं बोर्ड बैठक में, एचएलएल के बोर्ड ने नीचे बताए जैसे तीन (3) चरणों में एचएलएल के आंतरिक संसाधनों से रु.14.31 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- चरण 1 - जीएपीएल द्वारा प्राधिकृत शेयर पूँजी की लंबित वृद्धि और शेयरधारकों के निबंधन व शर्तों और जीएपीएल के शेयर क्रय समझौते में संशोधन, एचएलएल शुरू में जीएपीएल में रु.4.42 करोड़ तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो रु.5.98 करोड़ की उपलब्ध मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 74% है।
- चरण 2 - ईडीसी को जीएपीएल द्वारा पेश किए गए शेयरों को छोड़ने और जीएपीएल में अतिरिक्त निवेश की सुविधा के लिए शेयरधारकों एवं शेयर क्रय समझौते के निबंधन व शर्तों में उपयुक्त संशोधन के बाद एचएलएल, जीएपीएल में रु.1.56 करोड़ तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो रु.5.98 करोड़ की शेष मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 26% है।
- चरण 3 - जीएपीएल द्वारा अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी को रु.34 करोड़ या किसी अन्य कम लेकिन पर्याप्त राशि तक बढ़ाने के बाद एचएलएल, जीएपीएल में शेष रु.8.33 करोड़ (यानी रु.14.31 करोड़ माइनस रु.5.98 करोड़) तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है।

उपरोक्त रु.14.31 करोड़ के इस अतिरिक्त निवेश के साथ, जीएपीएल में एचएलएल की शेयरधारिता मौजूदा 74% से बढ़कर लगभग 85% हो जाएगी और ईडीसी की शेयरधारिता 26% से घटकर लगभग 15% हो जाएगी।

बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जीएपीएल ने क्रमशः 74:26 के अनुपात में, यानी रु.100 के 4,42,520 शेयर एचएलएल को और रु.100 के 1,55,480 शेयर ईडीसी लिमिटेड को आबंटित किए जाने के लिए, राइट्स इश्यू के माध्यम से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड (मौजूदा शेयरधारक) से कुल अतिरिक्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.5.98 करोड़ जुटाने की ओर 1 नवंबर 2022 को एक प्रस्ताव पत्र जारी किया है। एचएलएल ने 11 नवंबर 2022 को जीएपीएल द्वारा पेश किए गए 4,42,520 शेयरों को स्वीकार कर लिया और 22 नवंबर 2022 को जीएपीएल की शेयर पूँजी में रु.4,42,52,000/- के चरण-1 निवेश पर विचार करने के लिए भेजा गया।

तदनुसार, जीएपीएल ने 19.01.2023 को आयोजित जीएपीएल की 194वीं बोर्ड बैठक में रु.4,42,52,000 की कीमत के प्रत्येक रु.100 मूल्य के 4,42,520 शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बोर्ड बैठक के दौरान, जीएपीएल ने निदेशकों का ध्यान डीआईपीएम द्वारा जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया कि एचएलएल को जीएपीएल की बोर्ड बैठक के पिछले दिन स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त इन परिपत्रों में नीचे उल्लिखित पहलुओं पर संकेत दिया गया।

- (i) सीपीएसई की पूँजी संरचना में मामूली बदलाव वाले प्रस्तावों पर भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार दीपम के आदेश के आलोक में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ii) सीपीएसई की पूँजी संरचना को प्रभावित करनेवाले बड़े बदलावों के मामले में, प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी टिप्पणियों के साथ दीपम को भेजा जाए। ये परिपत्र उन मामलों का भी संकेत देते हैं जिन्हें सीपीएसई की पूँजी संरचना में बड़े बदलाव के रूप में माने जाते हैं।

उपरोक्त बैठक में, बोर्ड ने जीएपीएल को एचएलएल से अनुरोध करने की सलाह दी कि वह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से डीआईपीएम को एक पत्र भेजकर जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के निवेश के लिए मंजूरी माँगे। इसके अलावा, जीएपीएल ने शेयरों के आबंटन के प्रस्ताव की मंजूरी को तब तक के लिए टालने का फैसला किया जब तक कि डीआईपीएम से जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के निवेश के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती। इसलिए नवंबर 2022 में एचएलएल द्वारा जीएपीएल को भुगतान किए गए रु.4,42,52,000/- के शेयरों का आबंटन 31.03.2023 तक लंबित था। इस प्रकार, जीएपीएल की इक्विटी शेयर पूँजी 31.03.2023 तक अपरिवर्तित है।

2.16. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd (GAPL) is a subsidiary of HLL since 2014 along with EDC Ltd Goa, with a 74% stake by HLL. As per the audited financials of the Company as on 31.03.2022, the net worth of the Company was negative and as per the DPE guidelines the Company became sick.

GAPL management in its 191st Board meeting held on 09-05-2022 presented a Revival plan, and the same was agreed to in principle by GAPL Board with a plan to infuse additional equity of Rs. 14.31 Crores by both the JV partners i.e., HLL Lifecare Ltd and EDC Ltd. in the ratio of their shareholding. Later on, EDC Ltd, Goa decided not to infuse the additional equity in GAPL and agreed to dilute its shareholding. Therefore, in the 284th Board meeting of HLL held on 26th July 2022, the Board of HLL has approved the proposal to make additional equity investment of Rs.14.31 Cr. from the internal resources of HLL in three (3) stages as mentioned below.

- Stage 1 - Pending increase of Authorised share Capital by GAPL and amendment of Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement of GAPL, HLL may make initially additional equity investment in GAPL to the extent of Rs. 4.42 Cr, being 74% of available free authorized share capital of Rs.5.98 Cr
- Stage 2 – HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of Rs. 1.56 Cr, being 26 % of remaining free authorized share capital of Rs.5.98 Cr. up on EDC renouncing the shares offered by GAPL and after suitably amending Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement GAPL to facilitate such additional investment.
- Stage 3 - HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of remaining Rs. 8.33 Cr. (i.e., Rs. 14.31 Cr. minus Rs. 5.98 Cr.) after GAPL increases its authorized share capital to Rs. 34.00 Cr. or to any other lower but sufficient amount.

With this additional investment of Rs.14.31 Cr. above, the shareholding of HLL in GAPL will increase from the existing 74 % to about 85 % and shareholding of EDC will decrease from 26 % to about 15 %.

After obtaining approval of the Board and the Shareholders, GAPL has issued a Letter of Offer dated 1st November 2022 to raise aggregate additional equity share capital Rs. 5.98 Cr. from HLL Lifecare Ltd. and EDC Ltd. (existing Shareholders) by way of Rights issue in the ratio of 74: 26 respectively. i.e. 4,42,520 shares of Rs.100 each to be allotted to HLL and 1,55,480 shares of Rs.100 each to EDC Ltd. HLL accepted 4,42,520 shares offered by GAPL on 11th November 2022, and remitted consideration for Stage-1 investment of Rs.4,42,52,000/- in the Share Capital of GAPL on 22nd November 2022.

Accordingly, GAPL submitted the proposal to allot 4,42,520 Shares of Rs.100 each amounting to Rs.4,42,52,000 in 194th Board Meeting of GAPL held on 19-01-2023. During the Board meeting, GAPL drew attention of the Directors to the circulars issued by DIPAM indicating the aspects mentioned below as HLL had received these circulars from the Ministry of Health on the previous day of GAPL Board meeting.

- i. Proposals involving minor changes in the capital structure of CPSEs shall be considered by the Administrative Ministries / Departments in the light of DIPAM's mandate as per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
- ii. In the case of major changes affecting the capital structure of CPSEs, the proposals may be forwarded to DIPAM by the Administrative Ministry / Department with their comments. These Circulars also indicate the matters that are considered as major changes in the capital structure of CPSEs.

In the aforesaid meeting, the Board advised GAPL to request HLL to send a letter to the DIPAM through the Ministry of Health and Family Welfare, GoI seeking clearance for the investment of Rs.14.31 Crores in GAPL. Moreover, GAPL decided to defer approval for the proposal to allot shares until clearance for the investment of Rs.14.31 Crores in GAPL is received from DIPAM. Therefore, allotment of shares for Rs.4,42,52,000/- paid by HLL to GAPL in November 2022 was pending as on 31-03-2023. Thus, the equity share capital of GAPL remains unchanged as on 31.03.2023.

जीएपीएल द्वारा बताए गए बोर्ड के फैसले के आधार पर, एचएलएल ने जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अनुमोदन के लिए डीआईपीएम को भेजा। उसी के आधार पर, 13 मार्च 2023 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठक में एचएलएल द्वारा जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के प्रस्तावित निवेश को मंजूरी दी गई।

आईएमजी बैठक में दी गई मंजूरी के मद्देनजर, एचएलएल ने 15.05.2023 को, एचएलएल को आर्बिट्रिबट किए जाने वाले प्रत्येक रु.100 के 1,55,480 इक्विटी शेयरों पर विचार करते हुए, शेयर आवेदन राशि रु.1,55,48,000/- (केवल एक करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार रुपए) जीएपीएल को भेजा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 23 मई 2023 को आयोजित जीएपीएल की 195वीं बोर्ड बैठक में जीएपीएल निदेशक मंडल ने एचएलएल को रु.5,98,00,000 की कीमत के प्रत्येक रु.100 मूल्य के 5,98,000 शेयर आर्बिट्रिबट करने का निर्णय लिया, जिसके लिए पूरा विचार पहले ही प्राप्त हो चुका है।

इक्विटी निवेश योजना का पहला एवं दूसरा चरण लागू हो चुका है और तीसरा चरण प्रक्रिया में है। अतिरिक्त इक्विटी के समावेश और जीएपीएल के उच्च प्रबंधन को मजबूत करने सहित एचएलएल द्वारा बेहतर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ नई व्यावसायिक रणनीतियों के साथ पुनरुद्धारण योजना के कार्यान्वयन के साथ, यह उम्मीद है कि जीएपीएल 2023-24 के दौरान बदल जाएगा और अतः एचएलएल जीएपीएल के निवेश में किसी भी प्रकार की हानि की परिकल्पना नहीं करता है।

2.17- उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएलएल ने एचएमसीसीएचएल में इक्विटी शेयर पूंजी की ओर रु. 0.10 करोड़ निवेश किया था। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

एचएमसीसीएचएल के निदेशक मंडल ने 23 जुलाई 2021 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार, शेल कंपनी को बनाए रखने की प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन के मुद्दों को दूर करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल का नाम हटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, एचएलएल के निदेशक मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280वीं बोर्ड बैठक में आरओसी के साथ आवश्यक आवेदन जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के अनुसार, एचएमसीसीएचएल ने परिसंपत्तियों और देनदारियों को समाप्त कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'शून्य' तुलन पत्र तैयार किया है, एचएमसीसीएचएल को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) से क्षतिपूर्ति बांड के रूप में आवश्यक अनुमोदन मार्च 2023 को का.ज्ञा.सं.क 45013/166/2021-एचपीई, दिनांक 15.03.2023 के ज़रिए प्राप्त हुआ था। वर्तमान में एचएमसीसीएचएल, कंपनी के रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए फार्म एसटीके-2 दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

2.18- एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, एचएलएल की पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल के अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। निर्माण परियोजना एचएलएल द्वारा एक खुली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड (एसपीसीपीएल), चेन्नै को प्रदान की गई थी।

एसपीसीपीएल द्वारा परियोजना को पूरा होने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी से पूरा किया था। इसलिए, एसपीसीपीएल को देय भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने एचएलएल/एचबीएल के खिलाफ रु.74.95 करोड़ का मध्यस्थता दावा प्रारंभ किया जिसके विरुद्ध एचएलएल/ एचबीएल ने रु.46.07 करोड़ का काउंटर दावा दायर किया है।

चूँकि शुरू में यह परियोजना एचएलएल द्वारा एचबीएल की ओर से एसपीसीपीएल को सौंपी गई थी, एचबीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 22.07.2019 की बैठक में एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने पर सहमति व्यक्त की थी ताकि यह एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है।

मध्यस्थता की कार्यवाही 28.02.2023 को समाप्त हुई और एसपीसीपीएल के सभी दावों को खारिज करने के बाद मध्यस्थ ने एचएलएल/ एचबीएल के कुल रु.25 करोड़ के प्रतिदावे की अनुमति दी और लागत के रूप में रु. 0.35 करोड़ के अलावा आंशिक ब्याज की अनुमति दी गई।

Based on Board's decision conveyed by GAPL, HLL sent its proposal to invest Rs.14.31 Cr. in GAPL to DIPAM for approval through the Ministry of Health & Family Welfare. Based on the same, in the Inter-Ministerial Group (IMG) meeting held on 13th March 2023, approval was granted for the proposed investment of Rs.14.31 Cr by HLL to GAPL.

In view of the approval granted in the IMG meeting, HLL on 15.05.2023 remitted to GAPL share application money of Rs.1,55,48,000 (Rupees One Crore Fifty Five Lakhs Forty Eight Thousand Only), being the consideration for 1,55,480 equity shares of Rs.100 each to be allotted to HLL.

Considering the above, in 195th Board meeting of GAPL held on 23rd May 2023 the GAPL Board of directors decided to allot 5,98,000 Shares of Rs.100 each amounting to Rs.5,98,00,000 to HLL for which the entire consideration has already been received.

The first and second stage of the equity investment scheme has been implemented and the third stage is in process. With the infusing of additional equity and the implementation of the revival plan with new business strategies with a better focused approach by HLL including strengthening the top management of GAPL, it is expected that GAPL will turnaround during 2023-24 and hence HLL does not envisage any impairment in the investment in GAPL.

2.17. HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of Mother & child Hospitals Wings in Uttar Pradesh. HLL had invested Rs. 0.10 crs towards equity share capital in HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up.

The Board of Directors of HMCCHL in 12th Board meeting held on 23rd July, 2021 decided to get removed the name of HMCCHL from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 [the Act] in order to do away with the administrative cost and legal compliance issues of maintaining a shell Company. Additionally, HLL Board of Directors in its 280th Board meeting held on 27th July, 2021 approved the proposal to submit necessary application with the ROC.

As required by Section 248(2) of Companies Act, 2013, HMCCHL had extinguished assets and liabilities, and prepared "Nil" Balance sheet for the Financial Year 2020-21, HMCCHL is not required to prepare financial statements from Financial Year 2021-22 onwards.

The necessary approvals in the form of an Indemnity bond, from Ministry of Health and Family Welfare (Government of India) were received in March 2023, vide OM No. A.45013/166/2021-HPE dated 15.03.2023. Presently, HMCCHL is in the process of filing Form STK-2 to strike off name of the Company from the Register of Companies.

2.18. HLL Biotech Ltd, the erstwhile 100% subsidiary of HLL had appointed HLL's - Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. The construction project was awarded by HLL to M/s Shapoorji Pallonji & Company Pvt Ltd (SPCPL), Chennai through an Open Tender Process.

The project was completed by SPCPL with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Therefore, a dispute arose between the parties with regard to payment due to SPCPL. SPCPL has initiated an arbitration claim of ₹74.95 Crores against HLL/HBL against which HLL/HBL has filed a counter claim of ₹ 46.07 Crores.

Since the project was awarded initially by HLL to SPCPL on behalf of HBL, the Board of Directors of HBL vide meeting dated 22.07.2019, had agreed to taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL- IVC.

The arbitration proceedings concluded on 28.02.2023, and after dismissing all the claims of SPCPL the arbitrator allowed the counter claims of HLL/HBL aggregating to Rs.25 Crs and part interest was allowed, apart from Rs. 0.35 Crs as cost.

एचएलएल ने आदेश में गणना त्रुटियों और लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 के तहत दिनांक 28.03.2023 को एक याचिका दायर की है। इसके बाद, एसपीसीपीएल ने अप्रैल 2023 में एचएलएल की धारा 33 याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। माननीय मध्यस्थ ने सूचित किया है कि आवेदन को अधिसूचित करने के लिए भविष्य की तारीख पर सुनवाई की जाएगी।

2.19- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वप्रेरणा से वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी (30.09.2014) और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

मेसर्स इंडस मेडिकेयर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2019 के डब्लियु.पी नं.22293 में तेलंगाना न्यायलय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019 के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया और 15.11.2019 को अन्य विरोधी पक्षों के साथ एचएलएल को इसकी सूचना दी।

15.11.2019 के बाद सीसीआई से और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ।

2.20- वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्त, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के 30% से कम नहीं छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं।

सीजीएचएस को चिकित्सा आपूर्ति पर लागत प्लस 25 % मार्कअप पर बिल्लिंग की शर्तों को बाद की तारीख में संशोधित किया गया था। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा (25 % मार्कअप) अभी भी लंबित है।

31.03.2023 तक सीजीएचएस से सेवा शुल्क के लिए कुल बकाया रु.15.71 करोड़ है। एचएलएल पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए सीजीएचएस के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है और सीजीएचएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हालांकि उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने के बावजूद कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया है। लेखाबही में 2021-22 के दौरान प्राप्य के प्रति प्रावधान पहले से ही बनाया गया है, हालांकि एचएलएल नियमित रूप से प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

2.21- आरबीडी और एचसीएस प्रभाग, सेंट्रो में दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, एलआईएस एचएमआईएस, आरआईएस और बिल्लिंग मोड्यूल, टेलिरेडियॉलजी, पीएसीएस और आरआईएसपीएसीएस जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

2.22 - सरकारी अनुदान

क. ईएमआई ईएमसी लैब

एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी & आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसआईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड़ की रकम प्राप्त हुई थी।

मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार,

(क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।

(ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है

(ग) एचएलएल को 31.03.2018 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

(घ) अनुदानग्राही अनुदेशों नियमों व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

हालांकि, कोविड और कई अन्य कारणों से लैब की स्थापना में देरी हुई और अंततः & लैब स्थापित हो गई, चालू हो गई और 21 अक्टूबर 2022 से एनएबीएल मान्यता प्रभावी हो गई।

HLL has filed a petition dated 28.03.2023 under Section 33 of the Arbitration & Conciliation Act 1996 for correction of computation errors and clerical or typographical errors in the order. Subsequently, SPCPL filed their reply to HLL's Section 33 petition in April 2023. The Honorable arbitrator has informed that the application will be heard on a future date, to be notified.

2.19. The Competition Commission of India (CCI) suo moto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation. All information sought from the HLL was submitted.

In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 22293 of 2019, filed by M/s Indus Medicare Limited, Hyderabad staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019 and communicated the same to HLL along with other Opposite Parties on 15.11.2019.

No further communication from CCI was received after 15.11.2019.

2.20 During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed.

The terms of billing were revised at a later date to Cost plus 25% markup on medical supplies to CGHS. CGHS paid to HLL amount towards purchase cost plus GST only, however the claim towards (25% markup) service charges is still pending.

The total dues from CGHS towards such service charges is Rs. 15.71 crores as on 31.03.2023. HLL is following up with CGHS for the full and final settlement and representing to CGHS, however no resolution has been provided in spite of a high level meeting held. A provision towards the receivable is already created during 2021-22 in the books, though HLL is regularly following up with the authorities.

2.21. RBD and HCS divisions are using multiple software's like Eco Green, LIS, HMIS, RIS & Billing module, Teleradiology, PACS and RISPACS for capturing daily transactions at centres. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.

2.22. Government Grants:

a. EMI EMC Lab

An amount of ₹14 Crores was received by HLL from MoC&I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE).

As per the terms of the sanction letter,

- (a) A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the Department of Commerce,
- (b) the project is to be completed in time bound manner,
- (c) HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018,
- (d) In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest at 10% per annum.

However due to COVID and various other reasons there was a delay in the setting up of the lab and finally Lab got installed, commissioned and got NABL accreditation effective from 21st October 2022.

नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी & आई को प्रस्तुत किये गए हैं और 31 मार्च 2023 तक का यूसी भी जमा किया गया है।

कंपनी ने मार्च 2023 के दौरान एमओसी & आई को रु.0.95 करोड़ की अव्ययित शेष राशि वापस कर दी है। इसके अलावा अनुदान में से रु.1.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि एमओसी & आई को वापस की जानी है और इसे नोट संख्या :23 अन्य चालू देनदारियों में देयता के तहत शामिल किया गया है।

कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। हालांकि, मंत्रालय ने एचएलएल के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है, जैसे कि परियोजना अब पूरी हो चुकी है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है।

31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2023 तक के अप्रयुक्त रकम के ब्याज की ओर ₹ 1.29 करोड़ की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूंजी के साथ-साथ राजस्व अनुदान भी शामिल है। ड्युअल परपस फ्लूरोसीन और इलक्ट्रोकेम के लिए इलक्ट्रोस्पण क्यू डॉट्स नैनोफिब्रस मेम्ब्रेन के विकास की ओर परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड से (रु. 0.24 करोड़), मेटल रिड्यूस्ड कार्बन नैनोमेटिरियल्स - मलेरिया का पता लगाने की ओर कागज आधारित ऑप्टिकल बायोसेंसर के लिए समग्र नैनोफैब्रस मेंब्राइन - के विकास और विश्लेषीकरण के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (0.17 करोड़) से और 'छोटे पैमाने पर अपशिष्ट जल शोधन के लिए नवीन, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल सेलूलोज़ नैनोफैबर (सीएनएफ) आधारित पॉलीइलेक्ट्रोलाइट माइक्रोफिल्ट्रेशन फिल्टर' पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (0.22 करोड़) से सरकारी अनुदान हैं। उपरोक्त आंकड़े इस प्रकार हैं।

| निधीयन एजेंसी | स्वीकृत राशि | वित्तीय वर्ष 20-21 तक | वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान | वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान | कुल (रु) |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| बीआरएनएस | 0.37 | - | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| एसईआरबी | 0.29 | 0.17 | - | - | 0.17 |
| डीओईसीसी | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |

2.23- वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल फंड और सफ्लाई एजेंसी, इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को पुरुष कंडोम के 69.88 दशलक्ष अदद निर्यात किया था और संग्रहण भी प्राप्त हुआ था।

बाद में 26.11.2015 को पीएफएसए ने सूचित किया कि इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। 28.11.2016 को पूरी आपूर्ति चार परेषण में इस शर्त पर प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामग्रियों के समान मात्रा वापस भेजना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मास्यूटिकल्स फंड और आपूर्ति एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए।

वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये।

पीएफएसए ने 13.2.2018 को सूचित किया था कि वे पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे। पीएफएसए, इथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 के कानूनी नोटीस भेजा था। हालांकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60 करोड़ आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकद्दमा दायर किया।

एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी।

The utilization certificates were submitted to MoC & I as stipulated on regular basis and the UC up to 31st March 2023 is also submitted.

The Company has refunded the unspent balance of Rs. 0.95 Crs to MoC&I during March 2023. Further an additional amount of Rs. 1.64 Crs out of the Grant is to be refunded to MoC&I and this has been included under liability in Note No: 23 other current Liabilities.

The Company is yet to get a written approval for the extension of time. However, Ministry has not denied HLL's request categorically. The Company does not envisage repayment of the grant as the lab is now completed and commissioned in all aspects.

A Contingent liability of Rs 1.29 Crs is considered towards interest on the un-utilised amount as on 31.03.2023 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.

b. Grant for R&D Projects

The corporate R&D centre is in receipt of grants from Govt for various projects which includes capital as well as revenue grant. The Government Grants are from Board of Research in Nuclear Sciences (Rs.0.24 Crore)is for "Development of Electrospun-Q-dots Nanofibrous-membrane for dual purpose fluorescence and electrochem", from Science & Engineering Research Board (Rs.0.17 Crore) for "Development and characterization of Metal Reduced carbon nanomaterials-composite nanofibrous membrane for paper based optical biosensor for Malaria detection" & from Directorate of Environment & Climate Change (Rs.0.22 Crore) on "Novel, cost effective and eco-friendly cellulose nanofibre(CNF)-based Polyelectrolyte microfiltration filter for small scale waste water purification". The above figures are arrived as follows.

| Funding agency | Sanctioned amount | Till FY 20-21 | During FY 21-22 | During FY 22-23 | Total (Rs. in Crs) |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| BRNS | 0.37 | - | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| SERB | 0.29 | 0.17 | - | - | 0.17 |
| DoECC | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |

2.23. During the year 2015-16, the Company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia and the collections were also received.

Later, on 26.11.2015, PFSA communicated that some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace on 28.11.2016 the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL.

The Company replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Supply Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18.

The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed.

PFSA had informed on 13.02.2018 that they would not continue with the replacement, as agreed earlier. PFSA, Ethiopia had sent a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, HLL denied the same vide letter dated 21.02.2018.

On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to INR 45.60 Cr.

HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on the first hearing on the matter in February 2021.

एचएलएल ने वकील के माध्यम से बचाव पक्ष का बयान और लिखित दलीलें दायर की हैं और कई सुनवाई के बाद यह मामला 23 जनवरी 2023 को आदेश के लिए आरक्षित कर दिया गया और मामले की व्यापकता के कारण स्थगित कर दिया गया। 24 जुलाई 2023 को मामले का फैसला प्राप्त हुआ और फैसला एचएलएल के अनुकूल पाया गया। पीएफएसए के दावों को संघीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तदनुसार, रु.45.60 करोड़ का दावा आकस्मिक देयता से हटा दिया गया है।

2.24- लेखांकन मानक इंड एस - 37 के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

| विवरण | वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान* | अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता** | अन्य के लिए प्रावधान** |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| वर्ष | 22-23 | 21-22 | 22-23 |
| प्रारंभिक शेष | 5.32 | 1.79 | 191.00 |
| परिवर्धन | 0.17 | 4.18 | 12.00 |
| उपयोग | | | 0.55 |
| व्युत्क्रम | 0.78 | 0.65 | 0.36 |
| अंतिम शेष | 4.71 | 5.32 | 202.09 |
| | | | 21-22 |
| | | | 22-23 |
| | | | 15.39 |
| | | | 5.58 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | 191.00 |
| | | | 20.97 |
| | | | 15.39 |

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

** प्राप्य, ऋण और अग्रिम तथा कर्मचारियों को अग्रिम की ओर प्रावधान बनाया गया।

2.25- टिप्पणी सं 10 के अनुसार व्यापार प्राप्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड़ शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड़ केरल के पारिप्लली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, परियोजना नवंबर, 2010 में पूरी हुई और 21/10/2016 को ईएसआईसी द्वारा अधिग्रस्तित की गयी और शेष रकम रु. 13.67 करोड़ अन्य असाइनमेंट से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड़, रु. 28.98 करोड़ किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड़ का एक्सलेशन क्लेम अक्टूबर 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन है।

इस ₹94.76 करोड़ प्राप्य के खिलाफ ₹62.45 करोड़ को इस टर्न की परियोजना पर मेर्सस एल & टी को देय वर्धित दावों के खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

एचएलएल अनुबंध के अनुसार देय पात्र भुगतान जारी करने के लिए प्रयास करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹ 92.93 करोड़ को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है।

लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार 28.03.2018 को विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया था और मध्यस्थता में रु. 437.19 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया है।

हालांकि, एचएलएल द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने और कार्यवाही चलने के बाद, ईएसआईसी के अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त कर दिया गया था।

इससे विवाद समाधान में अत्यधिक देरी होने से, एचएलएल ने इस विवाद में सीपीएसईएस विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अपनाने का निर्णय लिया और 24.01.2022 को हुई 282 वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति प्रदान की गई। एएमआरसीडी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुरोध/ आवेदन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किया गया था। दिनांक 26.04.2022 के आदेश के अधीन एक समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और विधि कार्य विभाग के सचिव शामिल हैं।

समिति को अपने गठन के 3 महीने के अंदर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना अनिवार्य है। पहली बैठक 02.05.2022 को आयोजित की गई थी और नवीनतम (तीसरी) बैठक 27.01.2023 को आयोजित की गई, जिसमें समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पार्टियों को विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने का प्रस्ताव दिया। लंबे समय तक लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए और एहतियाती उपाय के रूप में वर्ष 2021-22 में इस प्राप्य के लिए बही में एक प्रावधान बनाया गया है।

एचएलएल के खिलाफ उसी अनुबंध पर एल & टी द्वारा दावा किया गया है और मेर्सस एल & टी के साथ बकाया राशि लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेर्सस एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई थी।

HLL has filed the defense statement and written arguments through counsel and after multiple hearings the matter was reserved for orders on 23rd January 2023 and getting adjourned due to massiveness of the case. On 24th July 2023, the judgement for the case is received and the decision is passed in favour of HLL. The claims of the PFSA was not accepted by the Federal High Court. Accordingly, the claim of Rs. 45.60 Crores is removed from Contingent Liability

2.24. Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2023 is as follows:

| Particulars | Provision against Inventories* | | Allowance for bad and Doubtful debts** | | Provision for others** | |
|-----------------|--------------------------------|-------|--|--------|------------------------|-------|
| | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 |
| Opening balance | 5.32 | 1.79 | 191.00 | 20.75 | 15.39 | 15.39 |
| Additions | 0.17 | 4.18 | 12.00 | 172.10 | 5.58 | |
| Utilizations | | | 0.55 | 1.51 | - | |
| Reversals | 0.78 | 0.65 | 0.36 | 0.34 | - | |
| Closing balance | 4.71 | 5.32 | 202.09 | 191.00 | 20.97 | 15.39 |

*Provision created against obsolete inventories.

**Provision created against Receivables, Loans and Advances & Advance to Employees

2.25. Trade Receivables as per Note No 10 includes ₹ 137.41 crores receivable from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, the project started in November 2010, was completed, and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹ 123.74 crores, ₹ 28.98 crores is value of work done and ₹ 94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

As against this ₹ 94.76 crores of receivable, ₹ 62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s. L & T as part of their bills on this turnkey project.

While HLL was following for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹ 92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010.

Considering the long pending receivables, HLL had requested for dispute redressal process dated 28.03.2018 as per agreement between ESIC and a claim of Rs.437.19 crores is submitted in arbitration.

However, after the claims were submitted by HLL and proceedings were going on, the mandate of arbitrator was terminated by Hon'ble Delhi High Court on request of ESIC.

Since this was causing inordinate delay in the dispute resolution, HLL decided to adopt Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes [AMRCD] in this dispute and approval to this effect was accorded in 282nd Board meeting held on 24.01.2022. The request / application for initiating AMRCD proceedings was made to the Secretary, MoHFW. Vide order dated 26.04.2022, a committee comprising of Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Secretary, Ministry of Labour and Employment, and Secretary, Department of Legal affairs was constituted.

The committee is mandated to finalize its decision within 3 months of its constitution. The first meeting of the committee was held on 02.05.2022, and the latest (3rd) meeting was held on 27.01.2023, wherein the Committee inter alia proposed the parties to arrive at an amicable settlement of the dispute. Considering the long pendency, and as precautionary measure a provision has been created in the books in the year 2021-22 towards this receivable.

There is a claim by L&T on the same contract against HLL and due to the pendency of dues with M/s. L & T, Dispute redressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T.

तदनुसार, एचएलएल ने 20.07.2019 को एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है, जिस पर एल & टी ने सहमति दी थी और मेसेर्स एल & टी ने ₹248.07 करोड़ के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹278.95 का दावा प्रस्तुत किया।

एचएलएल ने 24.12.2019 को ₹ 38.50 करोड़ के काउंटर दावे के साथ दावों को खारिज करते हुए अपना बचाव बयान प्रस्तुत किया।

आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को 14.07.2020 को ₹53.98 करोड़ में संशोधित कर दिया गया। वर्ष 21-22 के दौरान, एचएलएल ने काउंटर दावों में संशोधन के लिए अर्जी दायर की। एल & टी ने एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एक अर्जी दायर की और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्जी की अनुमति दी और एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का आदेश पारित किया और एक नया एकल मध्यस्थ (न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) को नियुक्त किया।

एचएलएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

दिनांक 16.05.2023 की सुनवाई के बाद एसएलपी का निपटारा हो गया और एचएलएल ने आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है।

हालांकि, माननीय एकल मध्यस्थ ने दिनांक 16.05.2023 के आदेश के अनुपालन में, संदर्भ में दर्ज किया और पुनर्गठित न्यायाधिकरण की पहली बैठक 03 जून 2023 को आयोजित की गई और आगे दूसरी बैठक 05 जुलाई 2023 को आयोजित की गई।

2.26 एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जनरल ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनने तक फार्मेशियों की स्थापना और संचालन के लिए एमओयु हस्ताक्षर किया। एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। 2017 में, गुजरात सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन इसने रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएँ और प्रचालन को नहीं निकाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार द्वारा पारित दिनांक 18.05.2018 के संकल्प के अनुसार, एचएलएल ने स्टोर का प्रचालन ले लिया। संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड़ की रकम की संचित हानि टिप्पणी 14 - अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है। आगे रु. 13.70 करोड़ मेडिसिन आपूर्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल किया गया है और इसके लिए एक प्रावधान बहियों में उपलब्ध है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15.00 करोड़ की रकम टिप्पणी 21- चालू वित्तीय देयताएँ - अन्य के अधीन दिखायी गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिनांक 28.01.2021 के पत्र संख्या जीएमएससीएल के अनुसार जीएमएससीएल ने मेसेर्स धीरूभाई शाह : कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

जीएमएससीएल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जीएमएससीएल को सौंप दी है और एचएलएल को भी इसकी एक प्रति प्राप्त हुई है। उपरोक्त लेखापरीक्षक ने कुल रु.12.32 करोड़ में से रु.8.44 करोड़ की सिफारिश की है। लेखापरीक्षक द्वारा कुल अस्वीकृति रु.3.88 करोड़ है जिसके प्रावधान बहियों में उपलब्ध है। जीएमएससीएल अपने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बकाया राशि का निपटान करेगा।

2.27 टिप्पणी -14 अन्य चालू परिसंपत्तियों में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 4.92 करोड़ की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में को 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 4.92 करोड़ के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रावधान बही में उपलब्ध है।

मई 2020 से मार्च 2023 के दौरान, एचएलएल ने मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज/उनके उत्तराधिकारियों की परिसंपत्ति का विवरण एकत्र करने के लिए जासूस/वसूली/परिसंपत्ति पहचान एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए चार मौकों पर निविदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित कीं। हालांकि एचएलएल को कोई प्रतिक्रियाशील प्रस्ताव नहीं मिला।

Accordingly, HLL appointed Sole arbitrator on 20.07.2019 which was consented to by L&T, and M/s. L&T submitted claim of ₹ 278.95 crores along with interest (up to 30.09.2019) of ₹ 248.07 crores.

HLL submitted its statement of Defence, denying the claims along with a counter claim of ₹ 38.50 crores on 24.12.2019.

Further while responding to the Rejoinder of L&T, the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores on 14.07.2020. L & T filed a petition with Hon'ble Delhi High Court to terminate the mandate of sole Arbitrator and the Hon'ble High Court allowed the petition and passed order terminating the mandate of Sole Arbitrator and appointed a new sole Arbitrator, (Justice Indu Malhotra, retired justice of Supreme Court)

HLL filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court challenging the order of the Hon'ble High Court of Delhi.

The SLP got disposed off subsequent to the hearing dated 16.05.2023, and HLL has filed a Review petition against the Order.

However, Hon'ble Sole Arbitrator, in compliance with the order dated 16.05.2023, entered into reference and the 1st meeting of the reconstituted tribunal was held on 03rd June 2023 and further 2nd meeting was held on 05th July 2023.

2.26. HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th September 2016 for setting up and operating pharmacies until a JV Company is formed. HLL had set up 52 AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores in Gujarat in the month of November 2016. In 2017, A JV Company was formed by Govt of Gujarat, but it did not take over the Assets, Liabilities and Operations of Retail Drug Stores. As per the Resolution dated 08.05.2018 passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL had taken over the operations of the stores.

As per the above Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same.

The cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹ 12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat Arogya Seva Private Limited [GASPL] under Note 14 – Other Current Assets. Further ₹ 13.70 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables and a provision towards this is available in the books. An amount of ₹ 15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Note 21 – Current Financial Liabilities Others.

As per the MOU terms, GMSCL vide letter dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss.

The auditors appointed by GMSCL has submitted their final report to GMSCL and HLL also received a copy of the same. The above auditor has recommended Rs.8.44 Cr out of the total of Rs.12.32 Cr. The total dis-allowance by the auditor is Rs.3.88 Cr for which provisions is available in the books. GMSCL will settle the outstanding amount after obtaining the approval from their competent authority.

2.27. Note 14 - Other Current Assets include an amount of ₹4.92 Crs receivable from M/s GoaMining Industries which was under Arbitration. During the year 2018-19, the Company has received an arbitral award in favour of the Company for ₹ 4.92 Crs with interest at 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision towards this is available in the books.

During May 2020 to March 2023, HLL published tender notifications on four occasions inviting proposals from detective/recovery /asset identification agencies for collecting details of assets of M/s Goa Mining Industries/ their heirs. However, HLL did not receive any responsive offers.

इसके बाद अप्रैल 2023 में, एचएलएल ने मेसर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ से देय राशि की वसूली तक निष्पादन याचिका दायर करने और/या संबद्ध सेवाओं के लिए कानूनी फर्म मेसर्स लीगल आइकन एडवोकेट्स और कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट्स एलएलपी, कोच्चि को नियुक्त किया। लॉ फर्म, मेसर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की परिसंपत्ति का पता लगाने की प्रक्रिया में है।

2.28 पट्टे जहाँ एचएलएल पट्टेदार है

कंपनी के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं। आरओयु परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. करोड़ों में

| विवरण | मकान | संयंत्र व उपकरण | कुल |
|---|------|-----------------|-------|
| 1 अप्रैल 2021 तक के शेष-निवल ब्लॉक | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन | | | - |
| निपटान | | | |
| 31 मार्च 2022 तक के शेष | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| मूल्यहास 21 -22 | 0.65 | 7.41 | 8.06 |
| 31 मार्च 2022 तक के निवल ब्लॉक | 5.25 | 22.32 | 27.57 |
| 1 अप्रैल 2022 तक के शेष | 5.25 | 22.32 | 27.57 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | 0.12 | | 0.12 |
| निपटान | | | - |
| 31 मार्च 2023 तक के शेष | 5.37 | 22.32 | 27.69 |
| मूल्यहास 22-23 | 0.63 | 7.41 | 8.04 |
| 31 मार्च 2023 तक के निवल ब्लॉक | 4.74 | 14.91 | 19.66 |

पट्टा देयता

रु. करोड़ों में

| विवरण | पट्टा देयता |
|--|-------------|
| 1 अप्रैल 2021 तक के शेष | 35.69 |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन | |
| अर्जित ब्याज | 2.57 |
| पट्टा किराया | 10.00 |
| 31 मार्च 2022 तक के शेष | 28.26 |
| 1 अप्रैल 2022 तक के शेष | 28.26 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | 0.12 |
| अर्जित ब्याज | 1.95 |
| पट्टा किराया | 10.02 |
| 31 मार्च 2023 तक का शेष | 20.30 |
| चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता | 8.50 |
| गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता | 11.80 |

मानक द्वारा अपेक्षित जैसे, पट्टा देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण अन्य वित्तीय देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दिखाया गया है टिप्पणी-32 : वित्तीय साधन

Subsequently, in April 2023, HLL engaged the law firm M/s Legal Icon Advocates and Corporate Legal Consultants LLP, Cochin for filing Execution Petition and / or allied services till realization of amount due from M/s Goa Mining Industries. The law firm is in the process of ascertaining the assets of M/s Goa Mining Industries .

2.28. Leases where HLL is Lessee

The Company's leases mainly comprise of buildings and Plant and equipment for manufacturing, business as well as warehouse facilities.

The details of ROU Assets and Liabilities are as follows.

Right of Use Assets (Leased Assets) ₹ in crores

| Particulars | Building | Plant & Equipment | Total |
|--|----------|-------------------|-------|
| Balance as on 1st April 2021-Net Block | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| Additions during FY 2021-22 | | | - |
| Disposals | | | |
| Balance as on 31st March 2022 | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| Depreciation 21-22 | 0.65 | 7.41 | 8.06 |
| Net Block as on 31st March 2022 | 5.25 | 22.32 | 27.57 |
| Balance as on 1st April 2022 | 5.25 | 22.32 | 27.57 |
| Additions during FY 2022-23 | 0.12 | | 0.12 |
| Disposals | | | - |
| Balance as on 31st March 2023 | 5.37 | 22.32 | 27.69 |
| Depreciation 22-23 | 0.63 | 7.41 | 8.04 |
| Net Block as on 31st March 2023 | 4.74 | 14.91 | 19.66 |

Lease Liability ₹ in Crore

| Particulars | Lease liability |
|---|-----------------|
| Balance as on 1st April 2021 | 35.69 |
| Additions during FY 2021-22 | |
| Interest accrued | 2.57 |
| Lease rent | 10.00 |
| Balance as on 31st March 2022 | 28.26 |
| Balance as on 1st April 2022 | 28.26 |
| Additions during FY 2022-23 | 0.12 |
| Interest accrued | 1.95 |
| Lease rent | 10.02 |
| Balance as on 31st March 2023 | 20.30 |
| Lease liability classified as current | 8.50 |
| Lease liability classified as Non-current | 11.80 |

As required by the Standard, maturity analysis of Lease Liabilities have been shown separately from the maturity analysis of other financial liabilities under Note 32 : Financial Instruments.

2.29 कोविड - 19 के प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लाव्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीदी के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया। दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निधीकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे। चूंकि भारत में कोविड-19 संक्रमण कम हो गया है, 2021-22 के दौरान जारी किए गए क्रय आदेशों के अप्रयुक्त हिस्से को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिना किसी नए आदेश के पूरा किया गया।

अपूर्तिकर्ता

| आपूर्तिकर्ता | वैक्सीन | डोजों की संख्या |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड | कोवैक्सीन | 3.17 करोड |
| बायोलजिकल ई लिमिटेड | कोरबीवैक्स | 4.85 करोड |

एचएलएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमओएचएफडब्लियु निधि के स्रोतों से नीचे उल्लिखित कोविड वैक्सिनों खरीदे और आपूर्ति की है।

एचएलएल ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से सेवाओं का लाभ उठाया है, कोविड वैक्सीन प्रापण की दिशा में एचएलएल की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी है। एचएलएल ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से वैक्सिनों की आपूर्ति के लिए एमओएचएफडब्लियु से प्राप्त प्रबंधन शुल्क का 50% एचबीएल को भुगतान किया है।

उपरोक्त वैक्सिनों के अलावा, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने वेंटिलेटर की अग्रणी आपूर्ति भी जारी रखी।

2.30 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है। तथापि निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि/मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं।

2.31 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

किराए से आय

(रु. करोड़ों में)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| किराए से आय | 3.81 | 3.93 |
| किराए की आय बनानेवाले प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय | | |
| प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिससे किराए की आय नहीं बनाते हैं। | | |
| मूल्यहास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ | 3.81 | 3.93 |
| मूल्यहास | 0.62 | 0.69 |
| निवेश संपत्तियों के पट्टे पर देने से लाभ | 3.19 | 3.24 |

2.29. Nodal agency for Procurement of COVID-19

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products ie., Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. A 24/7 Emergency Control Room was made operational for this purpose.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from three domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd. As covid 19 infections have subsided in India, the unexecuted portions of Purchase orders issued during 2021-22 were completed in the financial year 2022-23 without any new orders.

Supplier

| Supplier | Vaccine | No. of Doses |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Bharat Biotech International Ltd | Covaxin | 3.17 Crs |
| Biological E Ltd | Corbevax | 4.85 Crs |

HLL has purchased and supplied Covid Vaccines for the Financial Year 2022-23 from the sources of MoHFW fund.

HLL has availed the services from HLL Biotech Ltd, erstwhile subsidiary of HLL towards Covid vaccine Procurement. HLL has paid 50% of the management fee received from MOHFW, for supplies of vaccines from Bharat Biotech International Ltd

In addition to the above Vaccines, HLL Lifecare Limited has continued the carried forward supplies of Ventilators also

2.30. Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. However, most of the debtors are government /government institutions. Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency valuation gain or loss may vary.

2.31. Additional Disclosure for Investment Properties:

| Rental Income: | ₹ in Crores) | |
|--|------------------|------------------|
| | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Description | | |
| Rental income | 3.81 | 3.93 |
| Direct operating expenses that generated rental income | | |
| Direct operating expenses that did not generate rental income | | |
| Profit from leasing of investment properties before depreciation | 3.81 | 3.93 |
| Depreciation | 0.62 | 0.69 |
| Profit from leasing of investment properties | 3.19 | 3.24 |

(ii) उचित मूल्य

31 मार्च 2023 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडीब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिथ क्षेत्र संदर्भ) ₹12.79 करोड़ अनुमानित है।

(ii) मूल्यहास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

2.32- अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसकी ओर अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।

2.33- क) एचएलएल को 2017 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत सभी स्वास्थ्य सेवा वितरण संस्थानों में मुफ्त नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए 5 साल की अनुबंध वैधता के साथ निविदा प्रदान की गई थी। तदनुसार फरवरी 2017 के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी महाराष्ट्र और एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच एक समझौता निष्पादित किया गया था। समझौते के खंड 7(ii) के अनुसार, एचएलएल न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा के लिए पात्र है जो कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन की तारीख से या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 महीने, जो भी बाद में हो, से शुरू होती है। तब तक भुगतान वास्तविक आधार पर होगा। न्यूनतम सुनिश्चित नमूना मात्रा प्रति कार्य दिवस 22000 नमूने हैं। इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक नमूना मात्रा के समान अनुपात में की जाएगी।

एचएलएल ने नवंबर 2017 से ही अपने दावों में इस खंड को लागू करना शुरू कर दिया था। हालाँकि एनएचएम ने यह कहते हुए हमारे दावे को स्वीकार नहीं किया कि एचएलएल ने समझौते के अनुसार सभी पहलुओं में कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया है और हम से, केवल वास्तविक आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यद्यपि बाद के दावे वास्तविक आधार पर एनएचएम को प्रस्तुत किए गए थे, एचएलएल अलग-अलग पत्र संचार के माध्यम से न्यूनतम आश्वासन (नवंबर 2017 से) के लिए अपने दावे को समानांतर रूप से आगे बढ़ा रहा था।

एनएचएम के अनुसार, अनुबंध के निष्पादन दायित्वों को एचएलएल द्वारा समझौते में वर्णित तरीके के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया था, जोकि यह अनुबंध से उत्पन्न होनेवाले पूर्ण आर्थिक लाभ ले सके। ऊपर वर्णित जैसे ग्राहक स्वीकृति के अभाव के कारण, एचएलएल ने अनुबंध की शुरुआत से न्यूनतम सुनिश्चित नमूना मात्रा के लिए अपनी बहियों में राजस्व को मान्यता नहीं दी।

पिछले 3-4 वर्षों के दौरान एनएचएम के साथ कई अनुवर्ती कार्रवाई और चर्चाओं के बाद, एनएचएम ने फरवरी 2023 के दौरान 10 फरवरी 2018 से जून 2022 तक के न्यूनतम आश्वासन के लिए हमारे दावे को मंजूरी दी। तदनुसार, फरवरी 2023 के दौरान 10.02.2018 से न्यूनतम आश्वासन और सितंबर 2021 से 3% वार्षिक मूल्य वृद्धि सहित की प्रतिपूर्ति के लिए एनएचएम द्वारा अनुमोदित रु.200.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। रु.200.10 करोड़ का राजस्व और रु.187.51 करोड़ का सेवा प्रदाता का व्यय लागू वर्षों में निम्नानुसार फैला हुआ है :

| रु.करोड़ों में | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| आय | 6.12 | 52.86 | 30.93 | 49.07 | 49.96 | 11.17 |
| व्यय | 5.73 | 49.53 | 28.98 | 45.99 | 46.81 | 10.47 |

ख) इसके अलावा, एनएचएम महाराष्ट्र के साथ समझौते के अनुसार, एचएलएल उद्धृत दरों में 3% वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र है। एचएलएल ने नवंबर 2018 से जून 2021 की अवधि के लिए रु.20.05 करोड़ का हिसाब लगाया था। हालाँकि एनएचएम ने सितंबर 2021 से ही वार्षिक दर वृद्धि लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार रु.20.05 करोड़ की वृद्धि पी:एल पर लगाया जाता है और सेवा प्रदाता को रु.18.85 करोड़ की संबंधित देनदारी वापस दी जाती है। लाभ या हानि के विवरण में निवल प्रभाव रु.1.20 करोड़ है।

2.34 - संग्रह बैंक खातों में कुछ रसीदों की पहचान उन प्रासंगिक ग्राहकों के प्रति नहीं की जा सकी, जिनसे संग्रह प्राप्त किया गया है, उन्हें नोट संख्या 23 (ए) ग्राहकों/क्लाइंट से अग्रिम में 'अनिर्दिष्ट रसीदों' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं। ये शेष देनदारों या अग्रिम प्राप्तियों से

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2023 is estimated at ₹ 12.79 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth area reference).

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

2.32. Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.

2.33 (a) HLL was awarded the tender with contract validity of 5 years for providing free diagnostic services in all healthcare delivery institutions under the Directorate of Health Services in the state of Maharashtra during 2017. Accordingly, an agreement was executed between the State Health Society Maharashtra and HLL Lifecare Limited during Feb 2017. As per Clause 7(ii) of the agreement, HLL is eligible for a Minimum assured volume which starts from the date of complete implementation of the program or 3 months from the date of signing the contract whichever is later. Until such time, payment would be on actual basis. The minimum assured sample volume is 22000 samples per working day. It will be reimbursed in the same proportion as that of the actual sample volume achieved during the respective period.

HLL started applying this clause in our claims with effect from November 2017 itself. However, NHM did not accept our claim citing that the HLL had not completed the implementation of the program in all the aspects as per the agreement and asked us to submit our claims on actual basis only. Though subsequent claims were submitted on actual basis to NHM, HLL was pursuing its claim for minimum assurance (w.e.f. November 2017) parallelly through separate letter communications.

As per NHM, the performance obligations in the contract was not fully satisfied by HLL in the same manner as described in the agreement so that it can take complete economic benefits arising out of the contract. Due to the absence of customer acceptance as described above, HLL did not recognize revenue in its books for the minimum assured sample volume from the beginning of the contract.

After several follow ups & discussions with NHM during the past 3-4 years, NHM finally approved our claim for minimum assurance from 10th February 2018 onward till June 2022 during February 2023. Accordingly, an amount of Rs 200.10 Cr was received during February 2023 as approved by NHM for reimbursement comprising of Minimum assurance from 10.02.2018 and 3% annual price escalation from September 2021. The revenue of Rs. 200.10 Crores and expenditure, being the expenditure to service provider of Rs. 187.51 Crores is spread across the applicable years as follows:

| Rs. In crores | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Income | 6.12 | 52.86 | 30.93 | 49.07 | 49.96 | 11.17 |
| Expenses | 5.73 | 49.53 | 28.98 | 45.99 | 46.81 | 10.47 |

b. Further, as per the agreement with NHM Maharashtra, HLL is eligible for 3% annual escalation in the quoted rates. HLL had accounted Rs. 20.05 Crore towards this for the period November 2018 to June 2021. However, NHM has given approval for applying the annual rate escalation from September 2021 only. Thus, the escalation Rs. 20.05 Crore is charged off to P&L and the corresponding liability towards service provider of Rs. 18.85 Crore is written back. The net impact in Statement of Profit or loss is Rs. 1.20 Crore.

2.34. Some of the receipts in collection bank accounts could not be identified against the relevant customers from whom the collection is received are classified as "Unspecified Receipts" in Note No. 23 (a) Advance from Customers/

वसूली की जा सकती हैं। देनदार/अग्रिम शेष पुष्टि के अधीन हैं और उस सीमा तक परिवर्तन के अधीन हैं।

2.35 - इंड एस 109 के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 32 में दिया गया है।

2.36 - इंड एस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।

2.37 - इंड एस 37 के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिये गये हैं।

2.38 - इंड एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिया गया है।

2.39 - कंपनी ने वर्ष के दौरान इंड एस 108 के अनुसार प्रारंभिक सीमा पर विचार करते हुए रीटेल व्यवसाय और नैदानिक सेवाओं को अलग-अलग खंडों के रूप में शामिल किया है। तदनुसार, पिछले वर्षों के परिणाम भी नए खंडों के अनुसार घोषित किए जाते हैं। इंड एस 108 के अनुसार प्रचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी - 36 में दिया जाता है।

2.40 - इंड एस 12 के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 37 में दिया गया है।

2.41 - बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियाँ पुराने होने के कारण अनुप्रयोगी है और उन्हें स्क्रेप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्क्रेप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा। बिक्री के लिए रखी गई और एक वर्ष के भीतर बेची नहीं गई स्क्रेप की गई संपत्ति को गैर-चालू संपत्ति में ले जाया जाता है और बहियों में प्रदान किया जाता है।

2.42 - मेडिकल काउंसलिंग सेल परियोजना, जो मेडिकल काउंसलिंग समिति, एमओएचएफडब्लियु और एचएलएल के बीच में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर शुरू की गई परियोजना है, से संग्रह की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को समझौते में स्पष्टता की कमी के कारण पिछले वर्षों के आय माना गया है। चालू वर्ष के दौरान, कानूनी राय के आधार पर, पिछले वर्षों में पहचानी गई आय को रिवर्स कर दी गयी है और न्यास के तहत आयोजित परियोजना की बहियों में देनदारी के रूप में माना गया है।

2.43- एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने 22 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी 290 वीं बोर्ड बैठक के दौरान रु. 11.93 करोड़ का लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव किया है।

2.44 - पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्समूहित किया गया है।

कंपनि अधिनियम द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक जानकारी

- 1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए पत्र दिनांक 22 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 पर 01.04.2019 के प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नोट 2.13 और 2.14 में बताए गए परिवर्तनों को छोड़कर ऐसे परिवर्तनों का हिसाब लिया है।
- 2 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
- 3 कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- 4 परिसंपत्ति पर सभी शुल्क सांविधिक अवधि के अंदर आरओसी के साथ पंजीकृत किए गए हैं।
- 5 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- 6 वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।
- 7 कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- 8 कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों के साथ कार्यशील पूँजी की सीमा है और बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ सामान्य रूप से बही खाते के साथ समझौते में है।

Clients. These balance can be realisation from debtors or advance receipts. The debtors/advance balances are subject to confirmation and are subject to change to that extent.

2.35. The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 32

2.36. The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note-33.

2.37. The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 37 are given in Note-34.

2.38. The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note-35.

2.39. The Company has included the Retail business and Diagnostic services as separate segments considering the threshold limits as per Ind AS 108 during the year. Accordingly, the previous years results are also disclosed as per the new segments. The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note-36.

2.40. The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note-37.

2.41. Assets classified as held for sale consists of non-Current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed of through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal. Scrapped assets held for sale and not sold within a year are taken to non-current assets and provided for in the books

2.42. Interest earned on deposits made out of the collections from Medical Counseling Cell project, being a project undertaken based on an MoU between Medical Counselling Committee, MoHFW & HLL, was considered as income in the previous years due to lack of clarity in the agreement. During the current year, based on the legal opinion, the income so recognized in the previous years has been reversed and considered as liability in the books of Project held under Trust.

2.43. The Board of Directors of the company has recommended a dividend of Rs.11.93 Crores in its 290th Board Meeting held on the 22nd August, 2023.

2.44. Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary.

Additional Regulatory information as required by Companies Act

- 1 The ministry of corporate affairs has approved the scheme of arrangement of demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd with effect from 01.04.2019 vide MCA order dated 22nd March 2021 and 31st March 2021. The Company has accounted the effect of such changes in the financial year 2020-21 except for those stated in Note 2.13 and 2.14.
- 2 No proceeding under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) has been initiated against the Company.
- 3 The Company has not been declared as willful defaulter by any bank or financial institution or lenders during the year.
- 4 All charges on assets have been registered with ROC within the statutory period.
5. The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the financial year 2022-23.
6. The title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the Company.
7. The Company has not revalued its Plant, Property and Equipment during the year.
8. The Company has working capital limits with banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns submitted to the banks are generally in agreement with books of accounts.

- 9 कंपनियों की परतों की संख्याओं के साथ अनुपालन के संबंध में, कंपनी (परतों की संख्या का प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2 (घ) के अनुसार यह प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- 10 कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को नोट संख्या 12 ऋण और नोट 35 संबंधित पार्टी लेनदेन के तहत प्रकट किए गए अग्रिम के अलावा गंभीर रूप से या संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।
- 11 कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी को कंपनी अधिनियम के अधीन बंद की गई कंपनी से कोई संबंध नहीं है।
- 12 हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में समझ के साथ कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य श्रोत या प्रकार के निधि से) चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा।
- 13 हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था सहित कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, यह समझने के साथ लिखित रूप में दर्ज किया गया है या अन्यथा कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
- 14 कंपनी की कोई अघोषित आय नहीं है जिसे सरेंडर कर दिया गया है या आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

9. With respect of compliance with number of layers of companies, the provision is not applicable to a Government Company as per Rule 2(d) of Companies (Restriction of number of Layers) Rules, 2017.
10. The Company has not granted any loans or advance in the nature of loans to Promoters, Directors, KMPs and to Related parties either severally or jointly other than Advance disclosed under Note No 12 Loans and Note 35 Related party transaction.
11. As per the information available with the Company the Company does not have an relation with Company struck off under the Companies Act.
12. To the best of our knowledge and belief no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
13. To the best of our knowledge and belief no funds have been received by the Company from any person or any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
14. The Company doesn't have any undisclosed income that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income tax act 1961.

टिप्पणी 3 संयंत्र, संपत्ति और उपकरण

| क | (क) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि | | | | | | | | | | (रू करोड़ों में) | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | अचल परिसंपत्तियाँ | | | | सकल ब्लॉक | | | संचित मूल्यहास और हानि | | | निवल ब्लॉक | |
| | 1 अप्रैल 2022 | परिवर्धन | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2023 | 1 अप्रैल 2022 | वर्ष के दौरान मूल्यहास/परिशोधन व्यय | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | |
| क | मूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| | (क) भूमि | | | | | | | | | | | |
| | पूर्ण स्वामित्व | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| | पट्टे पर भूमि | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.57 | 0.08 | - | 0.66 | - | 6.37 | 6.46 |
| | (ख) इमारतें | 159.34 | 0.57 | -0.42 | 160.32 | 60.74 | 7.24 | -0.04 | 68.02 | - | 92.30 | 98.60 |
| | (ग) रोड | 1.07 | - | - | 1.07 | 0.91 | 0.01 | - | 0.92 | - | 0.15 | 0.16 |
| | (घ) संयंत्र व उपकरण | 194.44 | 1713 | 0.89 | 210.69 | 115.92 | 14.27 | 0.79 | 129.41 | 0.79 | 81.28 | 78.52 |
| | (ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन व उपकरण | 46.72 | 0.59 | 0.12 | 47.20 | 36.77 | 2.49 | 0.10 | 39.17 | 0.10 | 8.03 | 9.95 |
| | (च) फर्नीचर व जुड़नार | 32.69 | 2.47 | 0.11 | 35.05 | 26.73 | 2.62 | 0.11 | 29.24 | 0.11 | 5.82 | 5.97 |
| | (छ) मोटर गाडियाँ | 0.73 | 0.86 | 0.58 | 1.01 | 0.64 | 0.12 | 0.53 | 0.22 | 0.53 | 0.79 | 0.09 |
| | (ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग | 15.74 | 1.72 | 0.93 | 16.53 | 13.30 | 1.64 | 0.89 | 14.04 | 0.89 | 2.49 | 2.44 |
| | (झ) कार्यालय उपकरण | 6.52 | 1.46 | 0.05 | 7.93 | 4.95 | 1.08 | 0.04 | 5.99 | 0.04 | 1.94 | 1.57 |
| | (ञ) लेब उपकरण | 26.23 | 0.34 | 0.03 | 26.53 | 21.00 | 1.32 | 0.03 | 22.30 | 0.03 | 4.23 | 5.22 |
| | कुल | 496.43 | 2515 | 2.29 | 519.30 | 281.54 | 30.87 | 2.44 | 309.96 | 2.44 | 209.33 | 214.90 |
| | पिछले वर्ष | 486.59 | 10.30 | 0.47 | 496.43 | 247.61 | 34.90 | 0.98 | 281.54 | 0.98 | 214.90 | 238.98 |
| ख | निवेश संपत्ति | 15.26 | - | 0.42 | 14.84 | 5.23 | 0.62 | 0.04 | 5.81 | 0.04 | 9.03 | 10.03 |
| | पिछले वर्ष | 15.96 | - | 0.70 | 15.26 | 4.64 | 0.69 | 0.10 | 5.23 | 0.10 | 10.03 | 11.32 |

Note 3 : Plant, Property and Equipment Rs. In Crs

| a) Current Reporting period | Gross block | | | | Accumulated depreciation and impairment | | | Net block | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------|
| | 1 April 2022 | Additions | Disposals/ Adjustments | 31 March 2023 | 1 April 2022 | Depreciation / amortisation expense for the year | Disposals/ Adjustments | 31 March 2023 | 31 March 2022 |
| A. Tangible assets | | | | | | | | | |
| (a) Land | | | | | | | | | |
| Freehold | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| Leasehold | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.57 | 0.08 | - | 6.37 | 6.46 |
| (b) Buildings | 159.34 | 0.57 | -0.42 | 160.32 | 60.74 | 7.24 | -0.04 | 92.30 | 98.60 |
| (c) Roads | 1.07 | - | - | 1.07 | 0.91 | 0.01 | - | 0.15 | 0.16 |
| (d) Plant and Equipment | 194.44 | 17.13 | 0.89 | 210.69 | 115.92 | 14.27 | 0.79 | 81.28 | 78.52 |
| (e) Electrical Installation & Eqpt. | 46.72 | 0.59 | 0.12 | 47.20 | 36.77 | 2.49 | 0.10 | 8.03 | 9.95 |
| (f) Furniture & Fixture | 32.69 | 2.47 | 0.11 | 35.05 | 26.73 | 2.62 | 0.11 | 5.82 | 5.97 |
| (g) Motor Vehicles | 0.73 | 0.86 | 0.58 | 1.01 | 0.64 | 0.12 | 0.53 | 0.79 | 0.09 |
| (h) Computer Data Processing | 15.74 | 1.72 | 0.93 | 16.53 | 13.30 | 1.64 | 0.89 | 2.49 | 2.44 |
| (i) Office Equipment | 6.52 | 1.46 | 0.05 | 7.93 | 4.95 | 1.08 | 0.04 | 5.99 | 1.57 |
| (j) Lab Equipment | 26.23 | 0.34 | 0.03 | 26.53 | 21.00 | 1.32 | 0.03 | 4.23 | 5.22 |
| Total | 496.43 | 25.15 | 2.29 | 519.30 | 281.54 | 30.87 | 2.44 | 209.33 | 214.90 |
| Previous year | 486.59 | 10.30 | 0.47 | 496.43 | 247.61 | 34.90 | 0.98 | 281.54 | 238.98 |
| B Investment Property | 15.26 | - | 0.42 | 14.84 | 5.23 | 0.62 | 0.04 | 9.03 | 10.03 |
| Previous year | 15.96 | - | 0.70 | 15.26 | 4.64 | 0.69 | 0.10 | 5.23 | 11.32 |

टिप्पणी :

1. पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में निम्नलिखित शामिल हैं -
 - क) केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 11.44 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
 - ख) केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 7.14 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
 - ग) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड़ और 38 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹4.86 लाख रहा है।
 - घ) कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹16.83 लाख रहा है।
 - ङ) चेन्नै में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹ 567.92 लाख रहा है।
 - च) चेरुवेक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹0.76 लाख रहा है।
 - छ) केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 2.16 लाख रहा है।
2. इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है। एसएपी सॉफ्टवेयर भारत के लिए लेखांकन मानकों द्वारा घोषित परिवर्तनों का समर्थन नहीं करता है। एसएपी में परिसंपत्ति मॉड्यूल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, इंड एस संक्रमण से पहले खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर में बनाए गए परिसंपत्ति रजिस्टर का सकल ब्लॉक मूल लागत पर है। हालाँकि, परिसंपत्ति का निवल बही मूल्य परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार निवल ब्लॉक के साथ मिलान किया जाता है।
3. पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं।
 - क) केरल के बालरामपुरम में 99 वर्षों के लिए पट्टे पर रही 3 एकड़ भूमि और इमारत की लागत ₹130.46 लाख रही है। (01.04.2015 को समझा लागत - रु.12374 लाख)
 - ख) मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटर्स का प्लॉट आबंटन मूल्य ₹ 92.41 लाख रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - रु.87.48 लाख)
 - ग) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आबंटित 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य ₹ 261.94 लाख रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - रु.231.51 लाख)
 - घ) रबड़ पार्क इंडिया प्राइवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, ऐरापुरम, पेरुंबावूर, केरल राज्य की 306 सेन्ट भूमि का मूल्य ₹ 262.39 लाख रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - रु.260.07 लाख)
4. केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित 430.10 एकड़ भूमि के मूल्य ₹ 99/- रहा है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड़ भूमि में 100 एकड़ भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को ₹10.12 करोड़ की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड़ प्रति एकड़ के लिए ₹ 16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड़ प्रति एकड़ ₹ 2.00 लाख पर)। यह एचएलएल से एचबीएल को चौरानबे वर्ष की अवधि के लिए रु.1/- के विचारार्थ उप पट्टे पर हस्तांतरित किया गया था, लेकिन यह एचबीएल द्वारा आकलित नहीं किया गया।
5. अधिकार के 100 एकड़ों में 3.38 एकड़ भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है।
6. केरल सरकार ने कोन्नी तालुक, इरवोन गांव, पत्तनमतिट्टा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लडबैग परियोजना स्थापित करने की ओर आबंटित किया। भूमि कंपनी को सुपुर्द की गयी है। भूमि को प्रति वर्ष ₹19400/- की दर से पट्टे करिये पर 30 वर्षों की अवधि के लिए आबंटित किया गया है।
7. अपनाई गई मूल्यहास रीति निम्न जैसी हैं।

Note:

1. Cost of Free hold Land includes -
 - a) ₹ 1/- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
 - b) ₹ 1/- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
 - c) ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
 - d) ₹ 16.83 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
 - e) ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.
 - f) ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.
 - g) ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.
2. As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date. SAP software does not support the changes pronounced by the Accounting Standards for India. Due to the inherent limitations of Asset Module in SAP the Gross block of Asset Register maintained in SAP software for assets procured prior to Ind AS transition are at the original cost. However, the net book value of the assets is tallied with the Net block as per the Asset Register.
3. Cost of Lease hold land includes the following
 - a) ₹130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Balramapuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.123.74 Lacs)
 - b) ₹92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.87.48 Lacs)
 - c) ₹261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.231.51 Lacs)
 - d) ₹262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.260.07 Lacs)
4. ₹99/- being the value of 430.10 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.93 /-). In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 430.10 acres in possession, for HLL Biotech Limited, valued at Rs. 10.12 crores (56 acres at Rs. 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hilllock at Rs. 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub leasedeed on the consideration of Rs.1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.
5. 3.38 Acres of land, out of 100 acres in possession, is given on lease for a period of 92 years at ₹1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd
6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village, Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project. The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent at Rs. 19400/- per year for a period of 30 years.
7. Methods of depreciation adopted are as follows.

- (क) मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
- (ख) संयंत्र और मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यहासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यहासित कर सकें।
- (ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया।
- (घ) ईआरपी सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 3 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की गयी है, जबकि ईआर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 8 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की गयी है। भुगतान किये लाइसेंस शुल्क करार अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया।
- (ङ) निरंतर प्रक्रिया से प्रकृति के संयंत्रों में बंद होने के बावजूद उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास लगाया गया है।
8. चेंगलपेट्ट, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड़ भूमि मेडिपार्क के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 20.12.2016 को प्रारंभ किया गया। और उक्त 330.10 भूमि मार्च 2017 की अवधि में उपपट्टे के आधार पर एच एम एल को आर्बिट्रि किया गया।
9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।
10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न पूँजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल हैं।

| | 2022-23 | 2021-22 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| | (₹ करोड़ों में) | (₹ करोड़ों में) |
| लैब उपकरण | 0.12 | 0.15 |
| कार्यालय उपकरण | 0.05 | 0.01 |
| कंप्यूटर & डाटा क्रय | 0.06 | - |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 0.00 | - |
| | 0.22 | 0.17 |

11. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को इंड ए एस 116 को कार्यान्वित किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया और टिप्पणी 2.28 में परिसंपत्ति के उपयोग करने के अधिकार का खुलासा किया।

- a) Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.
- b) Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets(except intangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.
- c) Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.
- d) The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. Licence fee paid is amortized over the agreement period.
- e) Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shut downs in plants which are in the nature of Continuous Process.
8. Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10 acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited was incorporated on 20.12.2016 and the said 330.10 land was allotted to HML on sublease basis during March 2017
9. Depreciation on Property plant and Equipment which are under operating lease, is provided on the basis of useful life as per companies act or as per lease agreement whichever is lower.
10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility.

| | 2022-23 | 2021-22 |
|----------------------|------------|------------|
| | (₹ in Crs) | (₹ in Crs) |
| Lab Equipments | 0.12 | 0.15 |
| Office Equipments | 0.05 | 0.01 |
| Computer & Data Proc | 0.06 | - |
| Plant and Machinery | 0.00 | - |
| | 0.22 | 0.17 |

- 11 The Company implemented IND AS 116 on 1st April 2019, and applied the modified retrospective method and right of use assets are disclosed in Note 2.28

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ
टिप्पणी 3 संयंत्र, संपत्ति और उपकरण

₹ करोड़ों में)

| अचल परिसंपत्तियाँ | सकल ब्लॉक | | | संचित मूल्यहास और हानि | | | | निवल ब्लॉक | |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 1 अप्रैल 2021 | परिवर्धन | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2022 | 1 अप्रैल 2021 | वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 |
| क मूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | |
| (क) भूमि | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व | | | | | | | | | |
| पट्टे पर भूमि | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| (ख) इमारतें | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.49 | 0.08 | - | 6.46 | 6.54 |
| (ग) रोड | 158.00 | 0.64 | (0.70) | 159.34 | 52.51 | 8.13 | (0.10) | 98.60 | 105.48 |
| (घ) संयंत्र व मशीनरी | 1.07 | - | - | 1.07 | 0.88 | 0.04 | - | 0.16 | 0.19 |
| (ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण | 190.77 | 4.47 | 0.79 | 194.44 | 100.49 | 16.15 | 0.72 | 78.52 | 90.28 |
| (च) फर्नीचर व जुड़नार | 46.56 | 0.18 | 0.02 | 46.72 | 33.29 | 3.50 | 0.02 | 9.95 | 13.26 |
| (छ) मोटर गाड़ियाँ | 31.10 | 1.64 | 0.05 | 32.69 | 23.28 | 3.50 | 0.05 | 5.97 | 7.82 |
| (ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग | 0.73 | 0.00 | - | 0.73 | 0.61 | 0.02 | - | 0.09 | 0.12 |
| (झ) कार्यालय उपकरण | 14.16 | 1.85 | 0.27 | 15.74 | 12.42 | 1.14 | 0.26 | 2.44 | 1.74 |
| (ञ) लैब उपकरण | 5.44 | 1.10 | 0.02 | 6.52 | 4.28 | 0.70 | 0.02 | 1.57 | 1.16 |
| कुल | 25.83 | 0.41 | 0.01 | 26.23 | 19.37 | 1.65 | 0.01 | 5.22 | 6.46 |
| पिछले वर्ष | 486.59 | 10.30 | 0.47 | 496.43 | 247.61 | 34.90 | 0.98 | 214.90 | 238.98 |

HLL LIFECARE LIMITED
Notes to Standalone financial statements for the year ended 31 March 2022
Note 3 : Plant, Property and Equipment

Rs. In Crs

| b) Previous Reporting period | Fixed Assets | Gross block | | | Accumulated depreciation and impairment | | | Net block | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| | | 1 April 2021 | Additions | Disposals/ Adjustments | 31 March 2022 | 1 April 2021 | Depreciation / amortisation expense for the year | Disposals/ Adjustments | 31 March 2022 | 31 March 2021 |
| A. | Tangible assets | | | | | | | | | |
| | (a) Land | | | | | | | | | |
| | Freehold | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| | Leasehold | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.08 | - | 0.57 | 6.46 | 6.54 |
| | (b) Buildings | 158.00 | 0.64 | (0.70) | 159.34 | 52.51 | (0.10) | 60.74 | 98.60 | 105.48 |
| | (c) Roads | 1.07 | - | - | 1.07 | 0.88 | - | 0.91 | 0.16 | 0.19 |
| | (d) Plant and Equipment | 190.77 | 4.47 | 0.79 | 194.44 | 100.49 | 0.72 | 115.92 | 78.52 | 90.28 |
| | (e) Electrical Installation & Eqpt. | 46.56 | 0.18 | 0.02 | 46.72 | 33.29 | 0.02 | 36.77 | 9.95 | 13.26 |
| | (f) Furniture & Fixture | 31.10 | 1.64 | 0.05 | 32.69 | 23.28 | 0.05 | 26.73 | 5.97 | 7.82 |
| | (g) Motor Vehicles | 0.73 | 0.00 | - | 0.73 | 0.61 | - | 0.64 | 0.09 | 0.12 |
| | (h) Computer Data Processing | 14.16 | 1.85 | 0.27 | 15.74 | 12.42 | 0.26 | 13.30 | 2.44 | 1.74 |
| | (i) Office Equipment | 5.44 | 1.10 | 0.02 | 6.52 | 4.28 | 0.02 | 4.95 | 1.57 | 1.16 |
| | (j) Lab Equipment | 25.83 | 0.41 | 0.01 | 26.23 | 19.37 | 0.01 | 21.00 | 5.22 | 6.46 |
| | Total | 486.59 | 10.30 | 0.47 | 496.43 | 247.61 | 0.98 | 281.54 | 214.90 | 238.98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ख | निवेश संपत्ति | 478.91 | 9.09 | 1.40 | 486.59 | 209.43 | 39.44 | 1.26 | 247.61 | 238.98 | 269.47 |
| | पिछले वर्ष | 15.96 | | | 15.96 | 3.86 | 0.78 | - | 4.64 | 11.32 | 12.10 |
| ग | पूँजी कार्य में प्रगति | | | | | | | | | | |
| | (क) सिविल कार्य में प्रगति | 9.52 | 1.79 | 0.70 | 10.60 | - | - | - | - | 10.60 | 9.52 |
| | (ख) परामर्श चार्ज | 0.16 | - | - | 0.16 | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 |
| | (ग) मशीनरी डब्लियु आई पी | 0.66 | 1.48 | 0.35 | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 | 0.66 |
| | कुल | 10.34 | 3.27 | 1.06 | 12.55 | - | - | - | - | 12.55 | 10.34 |
| | पिछले वर्ष | 4.10 | 6.60 | 0.36 | 10.34 | - | - | - | - | 10.34 | 4.10 |
| घ | अमूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | | |
| | (क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 12.68 | 0.27 | - | 12.96 | 9.97 | 0.89 | -0.00 | 10.87 | 2.09 | 2.71 |
| | (ख) ट्रेडमार्क और पेटेंट | 1.00 | 0.04 | - | 1.03 | 0.95 | 0.03 | - | 0.98 | 0.05 | 0.05 |
| | कुल | 13.68 | 0.31 | - | 13.99 | 10.92 | 0.92 | -0.00 | 11.85 | 2.15 | 2.76 |
| | पिछले वर्ष | 13.51 | 0.17 | | 13.68 | 9.93 | 0.99 | -0.00 | 10.92 | | 3.58 |
| ङ | परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकांश | | | | | | | | | | |
| | (क) संयंत्र व मशीनरी | 40.20 | - | - | 40.20 | 10.47 | 7.41 | | 17.88 | 22.32 | 29.73 |
| | (ख) इमारतें | 6.87 | - | - | 6.87 | 0.97 | 0.65 | | 1.62 | 5.25 | 5.90 |
| | कुल | 47.07 | - | - | 47.07 | 11.45 | 8.06 | - | 19.50 | 27.57 | 35.63 |
| | पिछले वर्ष 20-21 | 36.06 | 11.01 | | 47.07 | 5.53 | 5.92 | - | 11.45 | 35.63 | 30.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Previous year | 478.91 | 9.09 | 1.40 | 486.59 | 209.43 | 39.44 | 1.26 | 247.61 | 238.98 | 269.47 |
| B | Investment Property | 15.96 | - | 0.70 | 15.26 | 4.64 | 0.69 | 0.10 | 5.23 | 10.03 | 11.32 |
| | Previous year | 15.96 | | | 15.96 | 3.86 | 0.78 | - | 4.64 | 11.32 | 12.10 |
| C | Capital Work In Progress | | | | | | | | | - | |
| | (a) Civil work in progress | 9.52 | 1.79 | 0.70 | 10.60 | - | - | - | - | 10.60 | 9.52 |
| | (b) Consultancy Charges | 0.16 | | - | 0.16 | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 |
| | (c) Machinery WIP | 0.66 | 1.48 | 0.35 | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 | 0.66 |
| | Total | 10.34 | 3.27 | 1.06 | 12.55 | - | - | - | - | 12.55 | 10.34 |
| | Previous year | 4.10 | 6.60 | 0.36 | 10.34 | - | - | - | - | 10.34 | 4.10 |
| D | Intangible assets | | | | | | | | | - | |
| | (a) Computer Software | 12.68 | 0.27 | - | 12.96 | 9.97 | 0.89 | -0.00 | 10.87 | 2.09 | 2.71 |
| | (b) Trademarks & Patents | 1.00 | 0.04 | - | 1.03 | 0.95 | 0.03 | - | 0.98 | 0.05 | 0.05 |
| | Total | 13.68 | 0.31 | - | 13.99 | 10.92 | 0.92 | -0.00 | 11.85 | 2.15 | 2.76 |
| | Previous year | 13.51 | 0.17 | | 13.68 | 9.93 | 0.99 | -0.00 | 10.92 | 2.76 | 3.58 |
| E | Right of use Assets | | | | | | | | | - | |
| | (a) Plant and Machinery | 40.20 | - | - | 40.20 | 10.47 | 7.41 | | 17.88 | 22.32 | 29.73 |
| | (b) Buildings | 6.87 | - | - | 6.87 | 0.97 | 0.65 | | 1.62 | 5.25 | 5.90 |
| | Total | 47.07 | - | - | 47.07 | 11.45 | 8.06 | - | 19.50 | 27.57 | 35.63 |
| | Previous year 20-21 | 36.06 | 11.01 | | 47.07 | 5.53 | 5.92 | - | 11.45 | 35.63 | 30.54 |

(क) सी डब्लियु आई पी पुराने अनुसूची

(₹ करोड़ों में)

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2023) | | | | कुल |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|------|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| प्रगतिरत परियोजनाएँ | 0.67 | 0.00 | 0.18 | 0.36 | 1.21 |
| अस्थाई रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2022) | | | | कुल |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|-------|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| प्रगतिरत परियोजना | 3.27 | 8.65 | 0.18 | 0.46 | 12.55 |
| अस्थाई रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, निम्नलिखित सी डब्लियु आई पी समाप्ति अनुसूची दी जाएगी।

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम | | | | कुल |
|------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|-------|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| शून्य | | | | | शून्य |

(ग) विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

| विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ | सी डब्लियु आई पी में रकम | | | | कुल |
|--|--------------------------|----------|----------|------------------|-----|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| शून्य | | | | | - |
| | | | | | - |

| (a) CWIP ageing schedule | | | | | (₹ in Crs) |
|---|-----------------------------|---------|---------|----------------|------------|
| CWIP | Amount in CWIP (31.03.2023) | | | | Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Projects in progress | 0.67 | 0.00 | 0.18 | 0.36 | 1.21 |
| Projects temporarily suspended | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| CWIP | Amount in CWIP (31.03.2022) | | | | Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Projects in progress | 3.27 | 8.65 | 0.18 | 0.46 | 12.55 |
| Projects temporarily suspended | - | - | - | - | - |
| [(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given] | | | | | |
| CWIP | Amount in CWIP | | | | Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Nil | | | | | Nil |
| [(c) Intangible Assets under development completion] | | | | | |
| Intangible Assets under development completion | Amount in CWIP | | | | Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Nil | | | | | - |

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-निवेश

| क्रम सं. | निगमित निकाय का नाम | धारण की सीमा % | शेयर/यूनिटों की संख्या | रकम ₹ करोड़ों में | शेयर/यूनिटों की संख्या | रकम ₹ करोड़ों में |
|--|---|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | |
| | | | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
| | अनुद्धृत-पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर | | | | | |
| | लागत पर किया गया | | | | | |
| 1 | इक्विटी उपकरणों में निवेश | | | | | |
| | समनुषंगियाँ | | | | | |
| | क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर | | | | | |
| | एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लिमिटेड | 100.00 | 20,00,000 | 0.05 | 20,00,000 | 0.05 |
| | एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 2. 17 देखें) | 100.00 | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - |
| | ख) प्रत्येक ₹100 का इक्विटी शेयर | | | | | |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 74.00 | 14,07,480 | 7.09 | 14,07,480 | 7.09 |
| | II) संयुक्त उद्यम | | | | | |
| | क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर | | | | | |
| | लाइफसिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड | 50.00 | 85,79,929 | 9.51 | 85,79,929 | 9.51 |
| | III) संरचित संस्थाएं | | | | | |
| | केरल एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 0.16 | 20,000 | 0.02 | 20,000 | 0.02 |
| | कुल | | | 16.67 | | 16.67 |
| टिप्पणी : | | | | | | |
| एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के संबंध में निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि रु. 0.10 करोड़ है। | | | | | | |

Note 4. Non-Current Financial Assets - Investments

| Sl. No. | Name of the Body Corporate | Extent of Holding (%) | No. of Shares / Units | Amount in ₹ crs | No. of Shares / Units | Amount in ₹ crs |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | |
| | | | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | Unquoted - Fully paid equity Shares | | | | | |
| | Carried at cost | | | | | |
| 1 | Investment in Equity Instruments | | | | | |
| | I) Subsidiaries | | | | | |
| | a) Equity Shares of ₹10 each | | | | | |
| | HLL Infratech Services Ltd | 100.00 | 20,00,000 | 0.05 | 20,00,000 | 0.05 |
| | HLL Mother & Child Care Hospital Limited (Refer Note 2.17) | 100.00 | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - |
| | b) Equity Shares of ₹ 100 each | | | | | |
| | Goa Antibiotics And Pharmaceuticals Limited | 74.00 | 14,07,480 | 7.09 | 14,07,480 | 7.09 |
| | II) Joint Ventures | | | | | |
| | a) Equity Shares of ₹10 each | | | | | |
| | Life Spring Hospital Pvt.Ltd | 50.00 | 85,79,929 | 9.51 | 85,79,929 | 9.51 |
| | III) Structured Entities | | | | | |
| | Kerala Enviro Infrastructures Ltd. | 0.16 | 20,000 | 0.02 | 20,000 | 0.02 |
| | Total | | | 16.67 | | 16.67 |
| | Note:- | | | | | |

In respect of HLL Mother & Child Care Hospital Ltd the aggregate amount of Impairment in the value of investments is Rs 0.10 Crs.



| टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य | | |
|--|---------------|---------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अप्रतिभूत, शोध समझे गए | | |
| प्रतिभूति जमा | 1.67 | 1.54 |
| शेयर आबंटन के लिए लंबित निवेश | 4.43 | |
| कुल | 6.10 | 1.54 |

टिप्पणी 6. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आस्थगित कर देयताएं (निवल) | | |
| क) आस्थगित कर देयताएं | (6.41) | (10.28) |
| ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | 78.30 | 81.10 |
| कुल | 71.89 | 70.82 |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ | | |
| परिसंपत्तियों का डब्लियु डी वी (आर ओ यु परिसंपत्तियों के अलावा) | (1.46) | (3.35) |
| आर ओ यु परिसंपत्तियाँ | (4.95) | (6.93) |
| आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | (6.41) | (10.28) |
| आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | | |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | 56.14 | 51.94 |
| अचल स्टॉक और अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान | 1.19 | 1.34 |
| कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | 15.86 | 20.73 |
| आर ओ यु देयताएँ | 5.11 | 7.09 |
| आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | 78.30 | 81.10 |
| निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ | 71.89 | 70.82 |

टिप्पणी 7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अप्रचलित परिसंपत्तियाँ | 0.09 | 0.31 |
| न्यून: अप्रचलित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | (0.09) | (0.31) |
| कुल | - | - |

| Note 5. Non-Current Financial Assets - Others | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Unsecured, Considered good | | |
| Security Deposits | 1.67 | 1.54 |
| Investment pending for Share allotment | 4.43 | |
| Total | 6.10 | 1.54 |
| Note 6. Deferred Tax Asset (Net) | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Deferred tax asset (Net) | | |
| a) Deferred tax liabilities | (6.41) | (10.28) |
| b) Deferred tax assets | 78.30 | 81.10 |
| Total | 71.89 | 70.82 |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Deferred tax (liability) / asset | | |
| WDV of Assets (Other than ROU Assets) | (1.46) | (3.35) |
| ROU Assets | (4.95) | (6.93) |
| Tax effect of items constituting deferred tax liability | (6.41) | (10.28) |
| Tax effect of items constituting deferred tax assets | | |
| Provision for doubtful debts | 56.14 | 51.94 |
| Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock | 1.19 | 1.34 |
| Provision for Employee benefits | 15.86 | 20.73 |
| ROU Liabilities | 5.11 | 7.09 |
| Tax effect of items constituting deferred tax assets | 78.30 | 81.10 |
| Net deferred tax (liability) / asset | 71.89 | 70.82 |

Note 7. Other Non - Current Assets

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Obsolete Asset | 0.09 | 0.31 |
| Less: Provision for Obsolete Asset | (0.09) | (0.31) |
| Total | - | - |

| टिप्पणी 8. गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | | |
|---|---------------|---------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अग्रिम आय कर (निवल प्रावधान)* | 31.76 | 19.36 |
| कुल | 31.76 | 19.36 |

*इसमें प्रायः टी डी एस और टी सी एस शामिल है जो 26 ए एस के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं।

टिप्पणी 9. वस्तुसूची
(निम्नतम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| क. कच्चे माल | 18.48 | 25.53 |
| ख. पैकिंग सामग्रियाँ | 13.04 | 8.41 |
| ग. कार्य प्रगति | 27.32 | 18.01 |
| घ. तैयार माल | | |
| विनिर्मित उत्पाद | 69.12 | 31.06 |
| सामाजिक विपणन उत्पाद | 0.03 | 0.90 |
| आउटसोर्सड उत्पाद | 156.71 | 98.11 |
| मार्गस्थ माल | 0.06 | 0.01 |
| | 225.92 | 130.08 |
| ड. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य | 3.91 | 10.40 |
| च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि | 12.06 | 11.91 |
| छ. प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औजार | 0.12 | 0.15 |
| ज. अन्य | | |
| उपहार मदें | 0.11 | 0.13 |
| लेखन सामग्री | 0.53 | 0.51 |
| | 0.64 | 0.64 |
| | 301.49 | 205.12 |
| न्यून : अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान | 4.71 | 5.32 |
| कुल | 296.78 | 199.80 |

टिप्पणी 10. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-व्यापार प्राप्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| प्रतिभूत, शोध समझे गए।* | 26.10 | 4.92 |
| अप्रतिभूत, शोध समझे गए | 878.73 | 2,698.65 |
| संदिग्ध समझे गए | 202.08 | 190.99 |
| | 1,106.91 | 2,894.56 |
| न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता | 202.08 | 190.99 |
| कुल | 904.83 | 2,703.57 |

* साख पत्र, बैंक गारंटी या ग्राहक जमा के प्रति सुरक्षित

| Note 8. Non-Current Tax Asset (Net) | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Advance Income Tax (Net of Provisions)* | 31.76 | 19.36 |
| Total | 31.76 | 19.36 |

* This includes TDS & TCS receivable which are note fully reconciled with 26AS

| Note 9. Inventories | | |
|---|------------------|------------------|
| (At lower of, cost or net realisable value) | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| a. Raw Materials | 18.48 | 25.53 |
| b. Packing Materials | 13.04 | 8.41 |
| c. Work-in-progress | 27.32 | 18.01 |
| d. Finished goods | | |
| Manufactured Products | 69.12 | 31.06 |
| Social Marketing Products | 0.03 | 0.90 |
| Outsourced Products | 156.71 | 98.11 |
| Goods-in transit | 0.06 | 0.01 |
| | 225.92 | 130.08 |
| e. General Stores and Consumables | 3.91 | 10.40 |
| f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc. | 12.06 | 11.91 |
| g. Tools revalued and certified by management | 0.12 | 0.15 |
| h. Others | | |
| Gift items | 0.11 | 0.13 |
| Stationery | 0.53 | 0.51 |
| | 0.64 | 0.64 |
| | 301.49 | 205.12 |
| Less : Provision for Obsolete Stock | 4.71 | 5.32 |
| Total | 296.78 | 199.80 |

| Note 10. Current Financial Assets - Trade Receivables | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Secured, considered good* | 26.10 | 4.92 |
| Unsecured, considered good | 878.73 | 2,698.65 |
| Considered Doubtful | 202.08 | 190.99 |
| | 1,106.91 | 2,894.56 |
| Less: Allowance for doubtful debts | 202.08 | 190.99 |
| Total | 904.83 | 2,703.57 |

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee or Customer Deposit



| पुराने अनुसूची - व्यापार प्राप्तियाँ | | | | | | | ₹ करोड़ों में |
|---|---|---------------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | | कुल |
| | | 6 महीने से कम | 6 महीने से- 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| (i) विवादित - शोध समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ | 31.03. 2023 तक | 669.27 | 84.59 | 42.82 | 64.44 | 43.71 | 904.83 |
| | 31.03. 2022 तक | 1,806.10 | 357.77 | 377.96 | 64.42 | 97.31 | 2,703.56 |
| (ii) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | 31.03. 2023 तक | 3.78 | 0.97 | 3.16 | 3.95 | 5.41 | 17.27 |
| | 31.03. 2022 तक | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण | 31.03. 2023 तक | 0.25 | 0.01 | 3.30 | - | 5.61 | 9.17 |
| | 31.03. 2022 तक | 5.08 | 0.79 | 0.09 | - | 2.93 | 8.89 |
| (iv) विवादित - शोध समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ | 31.03. 2023 तक | - | - | - | - | 137.41 | 137.41 |
| | 31.03. 2022 तक | - | 0.01 | - | 0.50 | 138.88 | 139.39 |
| (v) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | 31.03. 2023 तक | - | 8.83 | 3.14 | 3.90 | 21.74 | 37.61 |
| | 31.03. 2022 तक | - | 0.11 | 1.47 | 18.96 | 21.55 | 42.09 |
| (vi) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण | 31.03. 2023 तक | - | - | - | - | 0.62 | 0.62 |
| | 31.03. 2022 तक | - | - | - | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
| कुल योग | 31.03. 2023 तक | 673.30 | 94.40 | 52.42 | 72.29 | 214.50 | 1,106.91 |
| | 31.03. 2022 तक | 1,811.18 | 358.68 | 379.52 | 83.90 | 261.28 | 2,894.56 |

टिप्पणी 11. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) बैंकों में शेष | | |
| (i) चालू खाते में | 17.89 | 14.88 |
| (ii) परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि | 6.12 | 57.82 |
| (iii) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में | 176.44 | 976.25 |

| Ageing Schedule- Trade Receivables (in Crs.) | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Particulars | Outstanding for following periods from due date of payment | | | | | | Total (in Crs) |
| | | Less than 6 months | 6 months - 1 year | 1-2 years | 2-3 years | More than 3 years | |
| (i) Undisputed - Trade receivables considered good | As at 31.03.2023 | 669.27 | 84.59 | 42.82 | 64.44 | 43.71 | 904.83 |
| | As at 31.03.2022 | 1,806.10 | 357.77 | 377.96 | 64.42 | 97.32 | 2,703.57 |
| (ii) Undisputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk | As at 31.03.2023 | 3.78 | 0.97 | 3.16 | 3.95 | 5.41 | 17.27 |
| | As at 31.03.2022 | - | - | - | - | - | - |
| (iii) Undisputed - Trade receivables credit impaired | As at 31.03.2023 | 0.25 | 0.01 | 3.30 | - | 5.61 | 9.17 |
| | As at 31.03.2022 | 5.08 | 0.79 | 0.09 | - | 2.93 | 8.89 |
| (iv) Disputed - Trade receivables considered good | As at 31.03.2023 | - | - | - | - | 137.41 | 137.41 |
| | As at 31.03.2022 | - | 0.01 | - | 0.50 | 138.88 | 139.39 |
| (v) Disputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk | As at 31.03.2023 | - | 8.83 | 3.14 | 3.90 | 21.74 | 37.61 |
| | As at 31.03.2022 | - | 0.11 | 1.47 | 18.96 | 21.54 | 42.08 |
| (vi) Disputed - Trade receivables credit impaired | As at 31.03.2023 | - | - | - | - | 0.62 | 0.62 |
| | As at 31.03.2022 | - | - | - | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
| Grand Total | As at 31.03.2023 | 673.30 | 94.40 | 52.42 | 72.29 | 214.50 | 1,106.91 |
| | As at 31.03.2022 | 1,811.18 | 358.68 | 379.52 | 83.90 | 261.28 | 2,894.56 |

| Note 11.Cash and cash equivalents | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Balances with banks | | |
| (i) In Current accounts | 17.89 | 14.88 |
| (ii) Funds earmarked for Projects | 6.12 | 57.82 |
| (iii) In Term deposit accounts with less than 3 months maturity | 176.44 | 976.25 |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| (iv) ई ई एफ सी खाते में | 6.48 | 2.05 |
| (ख) अन्य | | |
| (i) हस्तगत केश | 3.01 | 2.11 |
| (ii) हस्तगत स्टाम्प | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 209.94 | 1,053.11 |
| (ग) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष | | |
| जमा खाते में | 498.98 | 281.48 |
| उधार और गारंटी के लिए मार्जिन मणी के रूप में रखे सावधि जमा | 0.00 | 2.83 |
| कुल | 498.98 | 284.31 |

टिप्पणी : 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च 2022 को नकद और नकद समतुल्यों में क्रमशः ₹ 0 करोड़ और ₹ 2.83 करोड़ के प्रतिबंधित नकद और बैंक शेष शामिल हैं। प्रतिबंध मुख्य रूप से गारंटी के खिलाफ मार्जिन राशि जमा के रूप में रखे गए बैंक शेष के कारण हैं।

टिप्पणी 12. ऋण

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ | | |
| प्रतिभूत, शोध समझे गए | - | 0.00 |
| अप्रतिभूत, शोध समझे गए | 2.69 | 4.22 |
| संदिग्ध समझे गए | 0.34 | 0.03 |
| न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता | 3.03 | 4.25 |
| | (0.34) | (0.03) |
| कुल | 2.69 | 4.22 |
| टिप्पणी: चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण और पेशगियों में देय राशि शामिल है | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| निदेशक | 0.02 | 0.00 |
| कंपनी के अन्य अधिकारीगण | 0.87 | 0.54 |
| कुल | 0.89 | 0.54 |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| (iv) In EEFC accounts | 6.48 | 2.05 |
| (b) Others | | |
| (i) Cash in hand | 3.01 | 2.11 |
| (ii) Stamps in Hand | 0.00 | 0.00 |
| Total | 209.94 | 1,053.11 |
| (c) Bank balances other than (a) above | | |
| In deposit accounts | 498.98 | 281.48 |
| In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee | 0.00 | 2.83 |
| Total | 498.98 | 284.31 |
| Cash and cash equivalents as at March 31,2023 and March31,2022 include restricted cash and bank balances of ₹0 crs and ₹2.83 crs,respectively.The restrictions are primarily on account of bank balances held as margin money deposit against guarantees. | | |

Note 12. Loans

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Loans and Advances to employees | | |
| Secured, considered good | - | 0.00 |
| Unsecured, considered good | 2.69 | 4.22 |
| Considered Doubtful | 0.34 | 0.03 |
| | 3.03 | 4.25 |
| Less: Allowance for doubtful loans and advances | (0.34) | (0.03) |
| Total | 2.69 | 4.22 |

Note: Current Financial Assets - Loans and Advances include amounts due from:

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Directors | 0.02 | 0.00 |
| Other officers of the Company | 0.87 | 0.54 |
| Total | 0.89 | 0.54 |



| टिप्पणी 13. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ -अन्य | | |
|--|---------------|---------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) प्रोद्भूत ब्याज | 16.88 | 10.34 |
| (ख) भारत सरकार से प्राप्तियाँ | 6.42 | 6.42 |
| (ग) प्रतिभूति जमा | 7.14 | 4.44 |
| कुल | 30.44 | 21.20 |

टिप्पणी 14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम | | |
| लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जमा, अन्य आदि | | |
| शोध समझे गए | 158.60 | 917.95 |
| संदिग्ध समझे गए | 20.63 | 15.35 |
| उप कुल | 179.23 | 933.30 |
| न्यून : पेशगियों के लिए प्रावधान | (20.63) | (15.35) |
| उप कुल | 158.60 | 917.95 |
| अन्य | | |
| (क) निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क | 2.58 | 1.92 |
| (ख) डी ई पी बी लाइसेंस एफ एम आई, एम ई आई एस & आर ओ डी टी ई पी का स्टॉक | 0.50 | 1.75 |
| (ग) पूर्व प्रदत्त व्यय | 2.78 | 2.49 |
| (घ) प्राप्य सहेली अनुदान | - | - |
| उप कुल | 5.86 | 6.16 |
| कुल | 164.46 | 924.11 |

टिप्पणी 15. शेयर पूँजी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) प्राधिकृत शेयर पूँजी | | |
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर-30,00,00,000 संख्याएं | 300.00 | 300.00 |
| (ख) जारी की गई शेयर पूँजी | | |

| Note 13. Current Financial Assets - Others | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Accrued Interest | 16.88 | 10.34 |
| (b) Receivable from Govt of India | 6.42 | 6.42 |
| (c) Security Deposit | 7.14 | 4.44 |
| Total | 30.44 | 21.20 |
| Note 14. Other current assets | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Advances Other than Capital Advances | | |
| Advance to Creditors , Deposit to various Govt agencies, others etc | | |
| Considered good | 158.60 | 917.95 |
| Considered Doubtful | 20.63 | 15.35 |
| Sub Total | 179.23 | 933.30 |
| Less:-Provision for Advances | (20.63) | (15.35) |
| Sub Total | 158.60 | 917.95 |
| Others | | |
| (a) Export Incentives/Duty Draw back | 2.58 | 1.92 |
| (b) Stock of DEPB Licence FMI,MEIS &RoDTEP | 0.50 | 1.75 |
| (c) Prepaid Expenses | 2.78 | 2.49 |
| (d) Saheli Subsidy Receivable | - | - |
| Sub Total | 5.86 | 6.16 |
| Total | 164.46 | 924.11 |

| Note 15. Share capital | | |
|--|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Authorised Share Capital | | |
| Equity shares of ₹10/-each - 30,00,00,000 Nos. | 300.00 | 300.00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर- 1,55,35,000 संख्या (31.03.2023 तक) 1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक) | 15.54 | 15.54 |
| (ग)अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूँजी | | |
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर- 1,55,35,000 संख्या (31.03.2023 तक) 1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक) | 15.54 | 15.54 |
| कुल | 15.54 | 15.54 |

शेयर पूँजी का मेल मिलाप

| विवरण | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | शेयरों की संख्या | ₹ करोड़ों में | शेयरों की संख्या | ₹ करोड़ों में |
| इक्विटी शेयर पूँजी | | | | |
| प्राधिकृत | | | | |
| अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| परिवर्धन | - | - | - | - |
| अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| जारी किए गए | | | | |
| अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| परिवर्धन/(छूट) | | | | |
| अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| अभिदत्त और प्रदत्त | | | | |
| अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| परिवर्धन/(छूट) | | | | |
| अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |

5% से अधिक शेयर पास रखे प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों के विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | धारणा किए शेयरों की संख्या | धारण की प्रतिशतता | धारण किए शेयरों की संख्या | धारण की प्रतिशतता |
| भारत के राष्ट्रपति | 1,55,35,000 | 100% | 1,55,35,000 | 100% |

प्रवर्तकों की शेयरधारिता के विवरण

| | | |
|--|--------------|--------------|
| (b) Issued Share Capital | | |
| Equity shares of ₹10/- each: 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2023) 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2022) | 15.54 | 15.54 |
| (c) Subscribed and fully paid up Share Capital | | |
| Equity shares of ₹ 10/- each: 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2023) 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2022) | 15.54 | 15.54 |
| Total | 15.54 | 15.54 |

| Reconciliation of Share Capital | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Description | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | No of Shares | ₹ crs | No of Shares | ₹ crs |
| Equity Share Capital | | | | |
| Authorized | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| Additions | | | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| Issued | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Additions/(Reductions) | | | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Subscribed & Paid up | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Additions/(Reductions) | | | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares: | | | | |
| Name of shareholder | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | Number of shares held | % of Holding | Number of shares held | % of Holding |
| President of India | 1,55,35,000 | 100% | 1,55,35,000 | 100% |
| Details of Shareholdings of Promoters | | | | |



| प्रवर्तक का नाम | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| भारत के राष्ट्रपति | 1,55,35,000 | 100% | - |

टिप्पणी 16. अन्य इक्विटी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) लाभांश समीकरण आरक्षित | 1.30 | 1.30 |
| (ख) सामान्य आरक्षित | | |
| अथ शेष | 257.12 | 257.12 |
| अंतिम शेष | 257.12 | 257.12 |
| (ग) प्रतिधारित अर्जन | | |
| अथ शेष | 495.72 | 110.62 |
| जोड़ : वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | 39.77 | 404.38 |
| न्यून : लाभांश | 122.47 | 19.29 |
| अंतिम शेष | 413.02 | 495.72 |
| (घ) अन्य व्यापक आय | | |
| अथ शेष | (22.26) | (16.06) |
| जोड़ : प्रतिधारित कमाई से पुनर्वर्गीकृत शेष | - | - |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | (5.88) | (6.20) |
| अंतिम शेष | (28.14) | (22.26) |
| कुल | 643.30 | 731.88 |

टिप्पणी.16 अन्य इक्विटी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| लाभांश समीकरण आरक्षित | 1.30 | 1.30 |
| सामान्य आरक्षित | 257.12 | 257.12 |
| अन्य व्यापक आय | (28.14) | (22.26) |
| प्रतिधारित अर्जन | 413.02 | 495.72 |
| कुल | 643.30 | 731.88 |

टिप्पणी 17. प्रावधान (गैर चालू)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान | - | 28.68 |
| कुल | - | 28.68 |

| Promoter Name | No of Shares | % of total Shares | % Change during the year |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| President of India | 1,55,35,000 | 100% | - |

Note 16. Other Equity

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Dividend Equalisation Reserve | 1.30 | 1.30 |
| (b) General reserve | | |
| Opening balance | 257.12 | 257.12 |
| Closing balance | 257.12 | 257.12 |
| (c) Retained Earnings | | |
| Opening balance | 495.72 | 110.62 |
| Add: Profit / (Loss) for the year | 39.77 | 404.38 |
| Less: Dividend | 122.47 | 19.29 |
| Closing balance | 413.02 | 495.72 |
| (d) Other Comprehensive Income | | |
| Opening Balance | (22.26) | (16.06) |
| Add: Balance reclassified from Retained earnings | - | - |
| Other comprehensive income for the year | (5.88) | (6.20) |
| Closing Balance | (28.14) | (22.26) |
| Total | 643.30 | 731.88 |

Note 16. Other Equity

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Dividend Equalisation Reserve | 1.30 | 1.30 |
| General Reserve | 257.12 | 257.12 |
| Other Comprehensive Income | (28.14) | (22.26) |
| Retained Earnings | 413.02 | 495.72 |
| Total | 643.30 | 731.88 |

Note 17. Provisions (Non Current)

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Provision for performance related pay | - | 28.68 |
| Total | - | 28.68 |



| टिप्पणी 18. अन्य गैर-चालू देयताएं | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आस्थगित सरकारी अनुदान | 10.00 | 13.77 |
| कुल | 10.00 | 13.77 |

टिप्पणी 19. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार (परिशोधित लागत पर विवरित)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) मांग पर प्रतिदेय ऋण (नकदी ऋण) - प्रतिभूत | | |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से | 181.06 | 77.26 |
| कैनरा बैंक से | 39.67 | 0.00 |
| एच डी एफ सी बैंक से | 25.32 | 12.21 |
| उप कुल | 246.05 | 89.48 |
| (ख) बैंकों से अल्पकालीन ऋण -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट | | |
| कैनरा बैंक से | 75.27 | 0.02 |
| एस बी आई से | 68.53 | 68.31 |
| उप कुल | 143.80 | 68.32 |
| कुल | 389.85 | 157.80 |

टिप्पणियाँ:

(i) प्रतिभूत अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :

| विवरण | प्रतिभूति की प्रकृति | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |

बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण

| | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|
| एस बी आई | कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारि पासु चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान सहित भूमि पर जमानती के रूप में साम्यिक बंधक। मंजूर की गई सीमा है- एस बी आई (₹.220 करोड़), कैनरा बैंक (₹.50 करोड़) & एच डी एफ सी बैंक (₹.42 करोड़) | | |
| कैनरा बैंक | | 181.06 | 77.26 |
| एच डी एफ सी बैंक | | 39.67 | 0.00 |
| | | 25.32 | 12.21 |
| कुल | | 246.05 | 89.47 |

कुल बैंकों से अल्पकालिक ऋण -प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| कैनरा बैंक से | परियोजना जमा से प्रतिभूत | 75.27 | 0.02 |
| एस बी आई से | | 68.53 | 68.31 |
| कुल | | 143.80 | 68.32 |

Note 18. Other Non Current Liabilities

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Deferred Government Grant | 10.00 | 13.77 |
| Total | 10.00 | 13.77 |

Note 19. Current Financial Liabilities - Borrowings (stated at amortized cost)

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured | | . |
| From State Bank of India | 181.06 | 77.26 |
| From Canara Bank | 39.67 | 0.00 |
| From HDFC Bank | 25.32 | 12.21 |
| Sub Total | 246.05 | 89.47 |
| (b) Short Term Loans from Banks -Secured Overdraft | | |
| From Canara Bank | 75.27 | 0.02 |
| From SBI | 68.53 | 68.31 |
| Sub Total | 143.80 | 68.33 |
| Grand Total | 389.85 | 157.80 |

Notes:
(i) Details of security for the secured short-term borrowings:

| Particulars | Nature of security | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|---|------------------|------------------|
| | | ₹ crs | ₹ crs |
| Loans repayable on demand from banks: | | | |
| SBI | Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India. The limits sanctioned are SBI (Rs.220 Cr), Canara Bank(Rs. 50 Cr) & HDFC Bank (Rs. 42 Cr) | 181.06 | 77.26 |
| Canara Bank | | 39.67 | 0.00 |
| HDFC Bank | | 25.32 | 12.21 |
| Total | | 246.05 | 89.47 |
| Short Term Loans from Banks - Secured overdraft | | | |
| From Canara Bank | Secured by Project Deposits | 75.27 | 0.02 |
| From SBI | | 68.53 | 68.31 |
| Total | | 143.80 | 68.33 |

टिप्पणी 20. चालू वित्तीय देयताएं-देय व्यापार

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| व्यापार देनदारियाँ: | | |
| सामग्रियों, सेवाओं और व्ययों के लिए | | |
| क. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम | 85.84 | 30.41 |
| ख. अन्य | 838.28 | 1,025.79 |
| कुल | 924.12 | 1,056.20 |

देय व्यापार एजिंग अनुसूची
₹ करोड़ों में

| विवरण | | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | कुल |
|--------------------------------------|------------------|--|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| (i) एम एस एम ई | 31 मार्च 2023 तक | 77.97 | 5.32 | 0.05 | 0.22 | 83.57 |
| | 31 मार्च 2022 तक | 29.87 | 0.14 | 0.08 | 0.32 | 30.41 |
| (ii) अन्य | 31 मार्च 2023 तक | 694.67 | 46.22 | 19.35 | 18.95 | 779.19 |
| | 31 मार्च 2022 तक | 729.20 | 82.02 | 30.62 | 126.42 | 968.26 |
| (iii) विवादित देय राशि एम एस एम ई | 31 मार्च 2023 तक | - | 2.27 | - | - | 2.27 |
| | 31 मार्च 2022 तक | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित देय राशि अन्य | 31 मार्च 2023 तक | 0.03 | 0.26 | 0.25 | 58.55 | 59.09 |
| | 31 मार्च 2022 तक | - | - | - | 57.53 | 57.53 |
| कुल योग | 31 मार्च 2023 तक | 772.67 | 54.08 | 19.65 | 77.72 | 924.12 |
| | 31 मार्च 2022 तक | 759.07 | 82.16 | 30.70 | 184.27 | 1,056.20 |

टिप्पणी 21 चालू वित्तीय देयताएं-अन्य

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अन्य | | |
| (i) ई एम डी और प्रतिभूति जमा | 50.40 | 47.65 |
| (ii) अन्य देयताएं | 73.87 | 365.81 |
| कुल | 124.27 | 413.46 |

Note 20. Current Financial Liabilities - Trade payables

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Trade payables: | | |
| for materials, services and expenses | | |
| a. Micro Small and Medium Enterprises | 85.84 | 30.41 |
| b. Others | 838.28 | 1,025.79 |
| Total | 924.12 | 1,056.20 |

Trade Payables ageing schedule

| Particulars | | Outstanding for following periods from due date of payment | | | | ₹ crs |
|---------------------------|----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Less than 1 year | 1 - 2 years | 2 - 3 years | More than 3 yrs | TOTAL |
| (i) MSME | As at March 31, 2023 | 77.97 | 5.32 | 0.05 | 0.22 | 83.57 |
| | As at March 31, 2022 | 29.87 | 0.14 | 0.08 | 0.32 | 30.41 |
| (ii) Others | As at March 31, 2023 | 694.67 | 46.22 | 19.35 | 18.95 | 779.19 |
| | As at March 31, 2022 | 729.20 | 82.02 | 30.62 | 126.42 | 968.26 |
| (iii) Disputed dues MSME | As at March 31, 2023 | - | 2.27 | - | - | 2.27 |
| | As at March 31, 2022 | - | - | - | - | - |
| (iv) Disputed dues Others | As at March 31, 2023 | 0.03 | 0.26 | 0.25 | 58.55 | 59.09 |
| | As at March 31, 2022 | - | - | - | 57.53 | 57.53 |
| Grand Total | As at March 31, 2023 | 772.67 | 54.08 | 19.65 | 77.72 | 924.12 |
| | As at March 31, 2022 | 759.07 | 82.16 | 30.70 | 184.27 | 1,056.20 |

Note 21. Current Financial Liabilities - Others

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Others | | |
| (i) EMD & Security Deposits | 50.40 | 47.65 |
| (ii) Other Liabilities | 73.87 | 365.81 |
| Total | 124.27 | 413.46 |

टिप्पणी 22. प्रावधान (चालू)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान : | | |
| (i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान | 2.42 | 2.62 |
| (ii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान | 28.69 | 7.57 |
| (iii) उपदान के लिए प्रावधान | 27.00 | 26.69 |
| (iv) ग्रुप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान | 4.92 | 7.95 |
| (ख) प्रावधान - अन्य : | | |
| (i) सी एस आर देयताओं के लिए प्रावधान | 0.17 | 0.14 |
| (ii) देय व्यय के लिए प्रावधान | 39.94 | 57.35 |
| कुल | 103.14 | 102.32 |

टिप्पणी 23 अन्य चालू देयताएं

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) ग्राहक/मुविकिल से अग्रिम | 237.86 | 2,986.99 |
| (ख) अग्रिम में प्राप्त आय | 1.21 | 0.72 |
| (ग) परियोजनाओं के लिए देय | 5.32 | 29.97 |
| (घ) स्थगित सरकारी अनुदान | 1.18 | 0.32 |
| कुल | 245.57 | 3,018.00 |

टिप्पणी : 24 प्रचालन से राजस्व

| क्रम सं | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) | उत्पादों की बिक्री | 2,870.08 | 33,401.29 |
| (ख) | सेवाओं की बिक्री | 658.42 | 2,206.95 |
| (ग) | ठेके से आय | 158.97 | 81.23 |
| (घ) | अन्य प्रचालन राजस्व | 20.54 | 22.89 |
| | कुल | 3,708.01 | 35,712.36 |

Note 22. Provisions (Current)

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Provision for employee benefits: | | |
| (i) Provision for bonus and incentive | 2.42 | 2.62 |
| (ii) Provision for performance related pay | 28.69 | 7.57 |
| (iii) Provision for gratuity | 27.00 | 26.69 |
| (iv) Provision for group EL Premium | 4.92 | 7.95 |
| (b) Provision - Others: | | |
| (i) Provision for CSR liability | 0.17 | 0.14 |
| (ii) Provision for Expense Payable | 39.94 | 57.35 |
| Total | 103.14 | 102.32 |

Note 23. Other Current Liabilities

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Advance from Customers/Clients | 237.86 | 2,986.99 |
| (b) Income Received in Advance | 1.21 | 0.72 |
| (c) Payable to Projects | 5.32 | 29.97 |
| (d) Deferred Government Grant | 1.18 | 0.32 |
| Total | 245.57 | 3,018.00 |

Note 24. Revenue from operations

| S.No | Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (a) | Sale of products | 2,870.08 | 33,401.29 |
| (b) | Sale of services | 658.42 | 2,206.95 |
| (c) | Income from Contract | 158.97 | 81.23 |
| (d) | Other operating revenues | 20.54 | 22.89 |
| | Total | 3,708.01 | 35,712.36 |

| टिप्पणी | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) | उत्पादों की बिक्री में शामिल है | | |
| | गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री | 250.69 | 274.63 |
| | स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री | 106.53 | 79.79 |
| | फार्मा उत्पाद | 1,107.81 | 744.45 |
| | कोविड - 19 की आपातकालीन आपूर्ति | 1,405.05 | 32,302.42 |
| | उप कुल | 2,870.08 | 33,401.29 |
| | सेवाओं की बिक्री | 578.47 | 574.69 |
| | कोविड सेवाएँ | 79.95 | 1,632.26 |
| | ठेके से आय | 158.97 | 81.23 |
| | अन्य प्रचालन राजस्व | 20.54 | 22.89 |
| | कुल योग | 3,708.01 | 35,712.36 |
| | अन्य प्रचालन राजस्व शामिल हैं : | | |
| | शुल्क छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन | 14.66 | 4.51 |
| | रद्दी माल, रद्दी कंडोम और अन्य विविध मर्चों की बिक्री | 5.80 | 4.68 |
| | निविदा फार्म की बिक्री | 0.08 | 0.20 |
| | खर्चों की प्रतिपूर्ति (कोविड - 19 आपूर्ति के लिए) | - | 13.50 |
| | कुल | 20.54 | 22.89 |

टिप्पणी : 25 अन्य आय

| | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) | ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें) | 26.46 | 3.15 |
| (ख) | अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें) | 53.31 | 23.47 |
| | कुल | 79.77 | 26.62 |
| टिप्पणी | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) | ब्याज आय में शामिल है : | | |
| | क) अन्यो पर | 26.32 | 3.01 |
| | ख) जर्मों पर | 0.14 | 0.14 |
| | कुल-ब्याज आय | 26.46 | 3.15 |

| Note | Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (i) | Sale of products comprises | | |
| | Sale of Contraceptive Products | 250.69 | 274.63 |
| | Sale of Healthcare Products | 106.53 | 79.79 |
| | Pharma Products | 1,107.81 | 744.45 |
| | Emergency supplies for COVID-19 | 1,405.05 | 32,302.42 |
| | Sub Total | 2,870.08 | 33,401.29 |
| | Sale of services | 578.47 | 574.69 |
| | Covid services | 79.95 | 1,632.26 |
| | Income from Contract | 158.97 | 81.23 |
| | Other operating revenues | 20.54 | 22.89 |
| | Grand Total | 3,708.01 | 35,712.36 |
| | Other operating revenues comprise: | | |
| | Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives | 14.66 | 4.51 |
| | Sale of scrap, waste condoms and other misc.items | 5.80 | 4.68 |
| | Sale of tender form | 0.08 | 0.20 |
| | Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies) | - | 13.50 |
| | Total | 20.54 | 22.89 |

Note 25. Other income

| Particulars | | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) | Interest income (Refer Note (i) below) | 26.46 | 3.15 |
| (b) | Other non-operating income (Refer Note (ii) below) | 53.31 | 23.47 |
| | Total | 79.77 | 26.62 |
| Note | Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | | ₹ crs | ₹ crs |
| (i) | Interest income comprises: | | |
| | a) On Others | 26.32 | 3.01 |
| | b) On Deposits | 0.14 | 0.14 |
| | Total - Interest income | 26.46 | 3.15 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| (ii) | अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं : | | |
| | कर्मचारी आवासों से किराए का आय | 0.03 | 0.03 |
| | अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | 0.11 | 0.07 |
| | बीमा दावा | 0.23 | 0.03 |
| | पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/ऋण | 24.45 | 5.12 |
| | पट्टा किराया | 3.98 | 4.27 |
| | लाभांश आय (समनुषंगी-एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वोसेस लिमिटेड से) | 10.00 | 8.00 |
| | विनिमय में उतार-चढ़ाव | 6.12 | 0.45 |
| | अन्य विविध आय | 8.39 | 5.50 |
| | कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय | 53.31 | 23.47 |

टिप्पणी : 26 खपा हुआ माल की लागत

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आरंभिक स्टॉक | 33.03 | 37.86 |
| जोड़ : खरीद | 257.05 | 205.62 |
| | 290.98 | 243.48 |
| न्यून : अंतिम स्टॉक | 31.52 | 33.93 |
| खपा हुआ माल की लागत | 259.46 | 209.54 |
| उपभुक्त सामग्री में शामिल है : | | |
| कच्चे माल | 129.13 | 102.11 |
| रसायन | 43.59 | 44.78 |
| पैकिंग सामग्रियाँ | 73.73 | 53.75 |
| गुणवत्ता एवं उप-टेका व्यय की लागत | 0.10 | 0.09 |
| रद्दी माल की खपत | 12.78 | 8.71 |
| बेची गई सामग्रियों की लागत | 0.13 | 0.11 |
| कुल | 259.46 | 209.54 |

टिप्पणी : 27 व्यापार स्टॉक की खरीदी

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| व्यापार उत्पाद | 2,354.14 | 32,789.64 |
| सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद | 3.83 | 6.38 |
| कुल | 2,357.97 | 32,796.02 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| (ii) | Other non-operating income comprises: | | |
| | Rental income from Staff quarters | 0.03 | 0.03 |
| | Profit on sale of fixed assets | 0.11 | 0.07 |
| | Insurance claims | 0.23 | 0.03 |
| | Excess provision / credits written back | 24.45 | 5.12 |
| | Lease rent | 3.98 | 4.27 |
| | Dividend Income (from subsidiary-HLL Infra Tech Services Ltd) | 10.00 | 8.00 |
| | Exchange Fluctuation | 6.12 | 0.45 |
| | Other Misc.Income | 8.39 | 5.50 |
| | Total - Other non-operating income | 53.31 | 23.47 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Note 26. Cost of materials consumed | | |
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Opening stock | 33.93 | 37.86 |
| Add: Purchases | 257.05 | 205.61 |
| | 290.98 | 243.47 |
| Less: Closing stock | 31.52 | 33.93 |
| Cost of material consumed | 259.46 | 209.54 |
| Material consumed comprises: | | |
| Raw Materials | 129.13 | 102.11 |
| Chemicals | 43.59 | 44.78 |
| Packing Materials | 73.73 | 53.75 |
| Cost of quality and Sub contract Expense | 0.10 | 0.09 |
| Consumption of Scrap | 12.78 | 8.71 |
| Cost of Goods sold Materials | 0.13 | 0.11 |
| Total | 259.46 | 209.54 |
| Note 27. Purchases of stock-in-trade | | |
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Trading Products | 2,354.14 | 32,789.64 |
| Social Marketing Branded Products | 3.83 | 6.38 |
| Total | 2,357.97 | 32,796.02 |

टिप्पणी : 28 तैयार मालों, कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| वर्ष के अंत में वस्तुसूची | | |
| तैयार माल | 225.92 | 130.08 |
| कार्य प्रगति | 27.32 | 18.01 |
| | 253.24 | 148.09 |
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | | |
| तैयार माल | 130.08 | 259.04 |
| कार्य प्रगति | 18.01 | 18.42 |
| | 148.09 | 277.45 |
| निवल(वृद्धि)/कमी | (105.15) | 129.36 |
| कुल | (105.15) | 129.36 |

टिप्पणी: 29 कर्मचारी हितलाभ व्यय

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) वेतन और प्रोत्साहन | 189.20 | 202.20 |
| (ख) अंशदान - | | |
| भविष्य निधि | 16.80 | 15.04 |
| नई पेंशन योजना | 2.55 | 2.36 |
| उपदान और अर्जित छुट्टी | 9.95 | 12.68 |
| कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान | 1.00 | 1.07 |
| (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय | 20.34 | 17.28 |
| कुल | 239.84 | 250.62 |

टिप्पणी : 30 वित्त लागत

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) ब्याज व्यय : | | |
| (i) नकदी उधार | 15.34 | 17.88 |
| (ii) आवधिक ऋण | - | 2.40 |
| (ख) अन्य उधार लागत | 0.18 | 1.26 |
| (ग) परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए अधिकार पर ब्याज (आर ओ यु) | 1.95 | 2.57 |
| कुल | 17.47 | 24.11 |

| Note 28. Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock - in - trade | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Inventories at the end of the year: | | |
| Finished goods | 225.92 | 130.08 |
| Work-in-progress | 27.32 | 18.01 |
| | 253.24 | 148.09 |
| Inventories at the beginning of the year: | | |
| Finished goods | 130.08 | 259.04 |
| Work-in-progress | 18.01 | 18.42 |
| | 148.09 | 277.45 |
| Net (increase) / decrease | (105.15) | 129.36 |
| TOTAL | (105.15) | 129.36 |

| Note 29. Employee benefits expense | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Salaries and incentives | 189.20 | 202.20 |
| (b) Contributions to - | | |
| Provident fund | 16.80 | 15.04 |
| New pension scheme | 2.55 | 2.36 |
| Gratuity and Earned Leave | 9.95 | 12.68 |
| Contribution to ESI | 1.00 | 1.07 |
| (c) Staff welfare expenses | 20.34 | 17.28 |
| Total | 239.84 | 250.62 |

| Note 30. Finance costs | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 1.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Interest expense on: | | |
| (i) Cash credit | 15.34 | 17.88 |
| (ii) Term Loan | - | 2.40 |
| (b) Other borrowing costs | 0.18 | 1.26 |
| (c) Interest on Right of Use Assets(ROU) | 1.95 | 2.57 |
| Total | 17.47 | 24.11 |



टिप्पणी : 31 अन्य व्यय

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोन्नतन व्यय | 35.16 | 31.18 |
| एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय | 351.38 | 364.92 |
| बिजली और इंधन चार्ज | 47.07 | 41.68 |
| भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय | 29.80 | 68.86 |
| यात्रा तथा परिवहन | 10.90 | 9.08 |
| अन्य उत्पादन व्यय | 15.37 | 15.39 |
| ठेके कर्मचारियों को वेतन | 64.83 | 55.04 |
| परामर्श तथा सेवा शुल्क | 85.88 | 828.35 |
| विविध व्यय | 18.34 | 21.18 |
| अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान | 17.59 | 177.97 |
| मशीनरी का मरम्मत तथा अनुरक्षण | 5.53 | 5.10 |
| डाक तथा तार, दूरभाष | 3.90 | 4.79 |
| अनुसंधान एवं विकास व्यय | 0.00 | 0.26 |
| निगमित आर & डी केंद्र व्यय | 5.56 | 5.02 |
| किराया | 13.43 | 7.58 |
| मुद्रण तथा लेखन सामग्रियाँ | 3.95 | 3.22 |
| अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण | 4.74 | 4.67 |
| जल चार्ज | 2.17 | 1.83 |
| बीमा चार्ज | 3.08 | 2.94 |
| बैंक चार्ज | 2.10 | 2.32 |
| कर्मचारियों की भर्ती व्यय | 0.11 | 0.13 |
| दर एवं कर | 1.96 | 2.21 |
| बट्टे खाते डाले गए बेकार स्टॉक के लिए प्रावधान | 0.17 | 4.18 |
| बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार और परिसंपत्ति को बट्टे खाते डालना/प्रावधान | 0.32 | 0.86 |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय | 0.29 | 0.21 |
| इमारतों की मरम्मत तथा अनुरक्षण | 2.24 | 1.89 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं अग्रिम | 28.22 | 2.25 |
| लेखापरीक्षकों के भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें) | 0.24 | 0.21 |
| लागत लेखापरीक्षा शुल्क | 0.05 | 0.05 |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | 0.07 | 0.07 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च | 5.49 | 1.65 |
| प्रदत्त रायल्टी | 0.03 | 0.01 |
| कुल | 759.96 | 1,665.08 |

| Note 31 Other expenses | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Particulars | Year ended 1.03.2023 | Year ended 1.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses | 35.16 | 31.18 |
| HCS Direct expenses | 351.38 | 364.92 |
| Power & fuel charges | 47.07 | 41.68 |
| Freight & Other Selling Expenses | 29.80 | 68.86 |
| Travelling & Conveyance | 10.90 | 9.08 |
| Other Production expenses | 15.37 | 15.39 |
| Wages to Contract Labourers | 64.83 | 55.04 |
| Consultancy & Service Charges | 85.88 | 828.35 |
| Miscellaneous Expenses | 18.34 | 21.18 |
| Provision for bad & doubtful debts/Advances | 17.59 | 177.97 |
| Repairs & Maintenance Machinery | 5.53 | 5.10 |
| Postage & Telegram, Telephone | 3.90 | 4.79 |
| Research & Development Expenses | 0.00 | 0.26 |
| Corporate R&D Centre Expenses | 5.56 | 5.02 |
| Rent | 13.43 | 7.58 |
| Printing & Stationery | 3.95 | 3.22 |
| Repairs & maintenance of other assets | 4.74 | 4.67 |
| Water charges | 2.17 | 1.83 |
| Insurance charges | 3.08 | 2.94 |
| Bank Charges | 2.10 | 2.32 |
| Staff recruitment expenses | 0.11 | 0.13 |
| Rates & Taxes | 1.96 | 2.21 |
| Provision for obsolete stock written off | 0.17 | 4.18 |
| Obsolete store written off & Asset Write off/ Provision | 0.32 | 0.86 |
| Training program expenses | 0.29 | 0.21 |
| Repairs & maintenance of buildings | 2.24 | 1.89 |
| Bad debt & advances written off | 28.22 | 2.25 |
| Payments to auditors (Refer Note (i) below)* | 0.24 | 0.21 |
| Cost audit fees | 0.05 | 0.05 |
| Loss on sale of Fixed Assets | 0.07 | 0.07 |
| Corporate Social Responsibility expenses | 5.49 | 1.65 |
| Royalty paid | 0.03 | 0.01 |
| Total | 759.96 | 1,665.08 |

टिप्पणी (i) लेखापरीक्षकों के भुगतान

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) लेखापरीक्षकों के भुगतान में शामिल है। | | |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 0.16 | 0.16 |
| लेखापरीक्षा शुल्क कर | 0.03 | 0.03 |
| लेखापरीक्षा व्यय | 0.05 | 0.02 |
| कुल | 0.24 | 0.21 |

अनुपात

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | अंतर |
|--|---------------------------|---------------------------|---------|
| (क) वर्तमान अनुपात | 1.18 | 1.09 | 8.26% |
| (चालू परिसंपत्ति/ चालू देयताएँ) | | | |
| चालू देयताएँ : - चालू देयताएँ - पट्टा दायित्व-दीर्घकालिक के उधार की वर्तमान परिपक्वता | | | |
| (ख) ऋण इक्विटी अनुपात (ऋण/इक्विटी) | 0.62 | 0.25 | 150.08% |
| कम लाभ और उच्च कार्यशील पूंजी उपयोग की तुलना में 2021-22 में उच्च लाभ और कम कार्यशील पूंजी उपयोग के परिणामस्वरूप भिन्नता हुई। | | | |
| (ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (निवल प्रचालन आय/ऋण सेवा) | 7.26 | 25.58 | -71.60% |
| चालू वर्ष के दौरान उच्च उधार और कम निवल परिचालन आय की तुलना में 2021-22 के दौरान निवल परिचालन आय अधिक थी और उधार कम था, जिसके परिणामस्वरूप भिन्नता हुई है। | | | |
| (घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी | 0.06 | 0.54 | -88.84% |
| (पी ए टी/(कुल इक्विटी) | | | |
| वर्ष 21-22 में कोविड प्रचालन के कारण अधिक लाभ, चालू वर्ष के लाभ और निवल लाभ की तुलना की अनुपात में भिन्नता हुई है। | | | |
| (ड) वस्तुसूची व्यापारवर्त अनुपात | 10.12 | 123.29 | -91.79% |
| (बेचे गए माल की कीमत/औसत वस्तुसूची | | | |
| कोविड प्रचालन में अधिक व्यापारवर्त के कारण बेचे गए माल की लागत अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान सामान्य परिचालन की तुलना में वस्तुसूची व्यापारवर्त की अनुपात अधिक हो गया। | | | |

| Note (i) Payment to Auditors | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (i) Payments to the auditors comprises | | |
| Audit fees | 0.16 | 0.16 |
| Tax Audit fees | 0.03 | 0.03 |
| Audit expenses | 0.05 | 0.02 |
| Total | 0.24 | 0.21 |

RATIOS:-

| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 | Variance |
|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | % |
| (a) Current Ratio | 1.18 | 1.09 | 8.26% |
| (Current Assets / Current Liabilities) | | | |
| Current Liabilities:-Current Liabilities - Lease obligation-current maturities of long term borrowings | | | |
| (b) Debt Equity Ratio | 0.62 | 0.25 | 150.08% |
| (Debt/Equity) | | | |
| The high profits and low working capital utilisation in 2021-22 compared to low profits and high working capital utilisation resulted in variation. | | | |
| (c) Debt Service Coverage Ratio | 7.26 | 25.58 | -71.60% |
| (Net Operating Income / Debt Service) | | | |
| Net operating Income was high and borrowing was less during 2021-22 in comparison to high borrowing and low Net operating income during the current year resulting in variation | | | |
| (d) Return on Equity Ratio | 0.06 | 0.54 | -88.84% |
| (PAT/(Total equity)) | | | |
| The high profits in 21-22 due to Covid operations led the variation in the ratio in comparison with current year profits and networkth | | | |
| (e) Inventory Turnover Ratio | 10.12 | 123.29 | -91.79% |
| (Cost of Goods Sold/Average Inventory) | | | |
| The high turnover in Covid operations led to high cost of goods sold leading to high inventory turnover ratio in comparison with normal operations during the current year | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|---------|
| (च) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात | 2.06 | 15.30 | -86.57% |
| (प्रचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य | | | |
| चालू वर्ष के दौरान सामान्य प्रचालन की तुलना में कोविड प्रचालन के कारण अधिक व्यापारावर्त के परिणामस्वरूप उच्च अनुपात हासिल किया । | | | |
| (छ) व्यापार देय व्यापारावर्त अनुपात | 2.54 | 23.19 | -89.06% |
| (बेचे गए माल की कीमत/औसत व्यापार प्राप्य) | | | |
| पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए माल की लागत कोविड प्रचालन के कारण अधिक थी जिसके कारण अनुपात में भिन्नता हुई। | | | |
| (ज) चालू पूँजीकार्य व्यापारावर्त अनुपात | 12.19 | 83.75 | -85.44% |
| प्रचालन से राजस्व/चालू पूँजी कार्य | | | |
| कोविड प्रचालन के कारण प्रचालन से राजस्व अधिक था और इस प्रकार पिछले वर्ष के दौरान चालू पूँजीकार्य व्यापारावर्त अनुपात अधिक था। | | | |
| (झ) निवल लाभ अनुपात | 1.07% | 1.13% | -5.28% |
| (पी ए टी/निवल बिक्री | | | |
| (ञ) नियोजित पूँजी पर वापसी | 0.13 | 0.77 | -82.81% |
| (ई बी ई टी)/नियोजित पूँजी | | | |
| वर्ष 21-22 के दौरान कोविड प्रचालन के कारण ईबीआईटी अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप एचएलएल के सामान्य प्रचालन की तुलना में अनुपात अधिक था। | | | |
| (ट) निवेश पर वापसी | 60% | 48% | 25.00% |
| (निवेश पर आय)/(कुल निवेश) | | | |

| | | | |
|--|-------|-------|---------|
| (f) Trade receivables Turnover Ratio | 2.06 | 15.30 | -86.57% |
| (Revenue from operations/Average Trade Receivables) | | | |
| The high turnover due to Covid Operations resulted in high ratio in comparison with normal operations during the current year | | | |
| (g) Trade Payables Turnover Ratio | 2.54 | 23.19 | -89.06% |
| (Cost of good sold/Average Trade Payables) | | | |
| The cost of Goods sold was high during previous year due to covid operations which lead to the variation in ratio | | | |
| (h) Working capital Turnover ratio | 12.19 | 83.75 | -85.44% |
| Revenue from operations/ Working Capital | | | |
| Revenue from operations was high due to covid operations and thus the working capital turnover ratio was high during previous year | | | |
| (i) Net Profit Ratio | 1.07% | 1.13% | -5.28% |
| (PAT/Net Sales) | | | |
| (j) Return on Capital Employed | 0.13 | 0.77 | -82.81% |
| (EBIT/(Capital Employed) | | | |
| EBIT was high due to Covid Operations during 21-22 resulting in higher ratio in comparison to normal operations of HLL. | | | |
| (k) Return on Investment | 60% | 48% | 25.00% |
| (Income on Investments)/(Total Investments) | | | |

टिप्पणी 32 : वित्तीय साधन (टिप्पणी : 2.35 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करने के दौरान कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी। कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है। कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/ह्रस्वकालिक ऋणों के जरिए पूरी की जाती हैं। कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 19 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल हैं। कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है।

₹ करोड़ों में

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------|---------------|---------------|
| उधार | 389.85 | 157.80 |
| इक्विटी पूँजी | 15.54 | 15.54 |
| आरक्षण और अधिशेष | 643.30 | 731.88 |
| इक्विटी | 658.84 | 747.42 |
| ऋण/इक्विटी | 0.59:1 | 0.21:1 |

ख. वित्तीय साधनों की श्रेणी

₹ करोड़ों में

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | |
| क. परिशोधित लागत पर मापित | | |
| i) व्यापार प्राप्य | 904.83 | 2,703.57 |
| ii) नकद और नकद तुल्यांक | 708.92 | 1,337.42 |
| iii) ऋण एवं अन्य | 33.13 | 25.42 |
| <i>ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित</i> | | |
| व्युत्पन्न परिसंपत्ति | - | - |
| वित्तीय देयताएं | | |

| | | |
|---|--------|----------|
| क. परिशोधित लागत पर मापित | - | - |
| वित्तीय देयताएं | | |
| i) उधार | 389.85 | 157.80 |
| ii) देय व्यापार | 924.12 | 1,056.20 |
| iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 124.27 | 413.46 |
| iv) देयता उपयोग करने का अधिकार | 20.30 | 28.26 |
| <i>ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित</i> | | |
| व्युत्पन्न देयता | - | - |

Note 32: Financial Instruments (Refer Note:2.35)

A. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Company determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Company consists of net debt (borrowings as detailed in Note 19) and total equity of the Company. The Company monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio of the Company.

₹ in Crs

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Borrowings | 389.85 | 157.80 |
| Equity Capital | 15.54 | 15.54 |
| Reserves & Surplus | 643.30 | 731.88 |
| Equity | 658.84 | 747.42 |
| Debt/ Equity | 0.59:1 | 0.21:1 |

B. Categories of Financial Instruments

₹ in Crs

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Financial Assets | | |
| <i>a. Measured at Amortised Cost</i> | | |
| i) Trade Receivables | 904.83 | 2,703.57 |
| ii) Cash and cash equivalents | 708.92 | 1,337.42 |
| iii) Loans & Others | 33.13 | 25.42 |
| <i>b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss</i> | | |
| Derivative Asset | | - |
| Financial Liabilities | | |
| <i>a. Measured at Amortised Cost</i> | | |
| Financial Liabilities | - | - |
| i) Borrowings | 389.85 | 157.80 |
| ii) Trade payables | 924.12 | 1,056.20 |
| iii) Other financial liabilities | 124.27 | 413.46 |
| iv) Right to Use Liability | 20.30 | 28.26 |
| <i>b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss</i> | | |
| Derivative Liability | - | - |

ग. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

राजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है जो एक्सपोज़र का विश्लेषण डिग्री और जोखिम के परिमाण द्वारा किया जाता है। इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर पर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम सहित) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल है।

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोज़रों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है। वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम पर लिखित सिद्धांत, वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश प्रदान करता है। कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

घ. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूलीयोग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह, जो एक वित्तीय उपकरण के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, में किसी हानि के जोखिम है। कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करती है। कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर के प्रबंधन के द्वारा नियमित निगरानी रखती है।

ङ. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंधन करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में मूल्यवर्गित कंपनी के विदेशी मुद्रा की रखाव रकम टिप्पणी में दी गई हैं।

विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव मूल्य

31 मार्च, 2023 तक (सभी रकम रुपए लाखों के बराबर है)

₹ करोड़ों में

| मुद्रा | देयताएं | | | परिसंपत्तियाँ | | | मुद्रा-निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं) पर निवल समग्र एक्सपोज़र |
|----------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|
| | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र | |
| यु एस डी | 1.47 | | 1.47 | 45.00 | | 45.00 | 43.53 |
| ई यू आर | 0.13 | | 0.13 | 0.003 | | 0.003 | (0.13) |
| सी एच एफ | 0.04 | | 0.04 | | | | (0.04) |
| ए ई डी | - | | - | | | | - |
| जी बी पी | 0.01 | | 0.01 | | | | (0.01) |
| कुल | 1.65 | | 1.65 | 45.003 | | 45.003 | 43.36 |

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Company seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Company's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Company actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given below:-

Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2023 (all amounts are in equivalent

(₹in Crs)

| Currency | Liabilities | | | Assets | | | Net overall exposure on the currency-net assets / (net liabilities) |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | |
| USD | 1.47 | | 1.47 | 45.00 | | 45.00 | 43.53 |
| EUR | 0.13 | | 0.13 | 0.003 | | 0.003 | (0.13) |
| CHF | 0.04 | | 0.04 | | | | (0.04) |
| AED | - | | - | | | | - |
| GBP | 0.01 | | 0.01 | | | | (0.01) |
| Total | 1.65 | | 1.65 | 45.003 | | 45.003 | 43.36 |

31 मार्च, 2022 को (सभी रकम रुपए करोड़ों के बराबर है)

| मुद्रा | देयताएं | | | परिसंपत्तियाँ | | | मुद्रा-निवल परिसंपत्तियों/ (निवल देयताएं) पर निवल समग्र एक्सपोजर |
|------------|--------------|---|-------------------------------|---------------|---|------------------------------------|--|
| | सकल एक्सपोजर | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोजर | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोजर | सकल एक्सपोजर | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोजर | मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोजर | |
| यु एस डी | 14.88 | | 14.88 | 12.08 | | 12.08 | (2.8) |
| ई यू आर | 0.12 | | 0.12 | 0.061 | | 0.061 | (0.059) |
| ए ई डी | 0.04 | | 0.041 | | | | (0.041) |
| सी एच एफ | 0.13 | | 0.13 | | | | (0.13) |
| जी बी पी | - | | - | | | | |
| कुल | 15.17 | | 15.17 | 12.14 | | 12.14 | (3.03) |

च. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है। कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमजोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित हो सकती है और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूँजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोजर के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है।

प्रबंधन की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोजर वर्ष के दौरान के एक्सपोजर पर प्रभावित नहीं करता है।

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में कंपनी की संवेदनशील गतिविधि प्रस्तुत करती है।

₹ करोड़ों में

| यु एस डी प्रभाव | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | 0.87 | (0.06) |
| यूरो प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0025) | (0.0012) |
| जी बी पी प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0003) | - |

As on March 31, 2022 (all amounts are in equivalent

₹ in Crs):

| Currency | Liabilities | | | Assets | | | Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities) |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | |
| USD | 14.88 | | 14.88 | 12.08 | | 12.08 | (2.8) |
| EUR | 0.12 | | 0.12 | 0.061 | | 0.061 | (0.059) |
| AED | 0.04 | | 0.041 | | | | (0.041) |
| CHF | 0.13 | | 0.13 | | | | (0.13) |
| GBP | - | | - | | | | - |
| Total | 15.17 | | 15.17 | 12.14 | | 12.14 | (3.03) |

F. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Company against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the Company's cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the Company's capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

₹ in Crs

| | USD impact | |
|----------------|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | 0.87 | (0.06) |
| | EURO Impact | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0025) | (0.0012) |
| | GBP Impact | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0003) | - |

| ए ई डी प्रभाव | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | - | (0.0026) |
| सी एच एफ प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0009) | (0.0008) |

छ. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम को एक्सपोज़ किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है। यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वैप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है। उत्तम लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं।

ज. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं। अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पॉइंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन के प्रबंधन निर्धारण प्रतिनिधान करता है।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है।

₹ करोड़ों में

| उधार | कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव | |
|----------|---------------------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| आई एन आर | 0.68 | 0.79 |

झ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्षी इसके संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है। प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल है। कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है। कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करती है। बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम एक्सपोज़र है।

ञ. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं।

| AED Impact | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | - | (0.0026) |
| CHF Impact | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0009) | (0.0008) |

G. Interest rate risk management

The Company is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Company by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

H. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25-basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant.

₹ in Crs

| Borrowings | Effect on Profit before Tax | |
|------------|-----------------------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| INR | 0.68 | 0.79 |
| | | |

I. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Company's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Company is not exposed to concentration risk. The Company makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and, on a case, to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

J. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

ट. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है। लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाजार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूंजी बाजारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों का लगातार निगरानी भी करती है।

ठ. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं। तालिकाएं जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं।

₹ करोड़ों में

| विवरण | प्रथम वर्ष में देय | 2 से 5 वर्षों में देय | 5 वर्ष के बाद देय | रखाव रकम/संविदात्मक नकदी प्रवाह |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| मार्च 31, 2023 | | | | |
| उधार | 389.85 | | | 389.85 |
| देय व्यापार | 924.12 | | | 924.12 |
| पट्टा दायित्व | 9.80 | 11.40 | 1.94 | 23.14 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 124.27 | | | 124.27 |
| मार्च 31, 2022 | | | | |
| उधार | 157.80 | | - | 157.80 |
| देय व्यापार | 1056.20 | - | - | 1056.20 |
| पट्टा दायित्व | 10.03 | 20.84 | 2.29 | 33.17 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 413.46 | - | - | 413.46 |

टिप्पणी 33 : कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 2.36 देखें)

इंड ए एस 19 “कर्मचारी हितलाभ” परिभाषित योगदान योजनाओं के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण, वर्ष के दौरान, परिभाषित योगदान योजना के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी गई है:

| | उपदान (निधिक) | | मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक) | |
|--|--|-----------|---------------------------|-----------|
| | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 |
| (i) बीमांकिक अनुमान | करोड़ों में | | करोड़ों में | |
| छूट दर (प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर (प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| मुआवजा वृद्धि दर(प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| मृत्यु दर | भारतीय जीवन मृत्यु दर (1994-96) अंतिम तालिका | | | |

K. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Company also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

L. Liquidity Table

The following table details the Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay.

₹ in Crs

| Particulars | Due in 1st year | Due in 2nd to 5th year | Due after 5th year | Carrying amount/ Contractual Cash Flow |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| March 31,2023 | | | | |
| Borrowings | 389.85 | | | 389.85 |
| Trade payables | 924.12 | | | 924.12 |
| Lease Obligations | 9.80 | 11.40 | 1.94 | 23.14 |
| Other financial liabilities | 124.27 | | | 124.27 |
| March 31,2022 | | | | |
| Borrowings | 157.80 | - | - | 157.80 |
| Trade payables | 1056.20 | - | - | 1056.20 |
| Lease Obligations | 10.03 | 20.84 | 2.29 | 33.17 |
| Other financial liabilities | 413.46 | - | - | 413.46 |

Note 33: Employee Benefit Expenses (Refer Note 2.36)

Disclosures required under Ind AS 19 "Employee Benefits" Defined contribution plans During the year the following amounts have been recognised in the statement of profit and loss on account of defined contribution plan:

| | | Gratuity (Funded) | | Compensated absences (Funded) | |
|-----|--|---|---------|-------------------------------|---------|
| | | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| | | in crs | | in crs | |
| (i) | Actuarial Assumptions | | | | |
| | Discount Rate (per annum) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | Expected rate of return on plan assets (per annum) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| | Compensation escalation Rate (per annum) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | Mortality Rate | Indian Lives Mortality (1994-96) Ultimate Table | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|--------|
| (ii) | दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समाधान | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 89.46 | 81.00 | 25.62 | 20.47 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 4.21 | 4.10 | 11.02 | 10.78 |
| | ब्याज लागत | 5.72 | 5.39 | 1.65 | 1.37 |
| | बीमाकिक (अभिलाभ)/दायित्वों पर हानि | 7.60 | 8.51 | -7.61 | (4.51) |
| | भूगतान/निपटान किए गए लाभ | (17.48) | (9.54) | -4.95 | (2.49) |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| (iii) | योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 61.27 | 56.16 | 18.59 | 12.53 |
| | योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 4.18 | 4.00 | 1.39 | 1.07 |
| | नियोक्ता द्वारा योगदान | 13.49 | 10.41 | 6.90 | 7.48 |
| | स्थानांतरण/अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | भुगतान किए गए लाभ/निपटान | (17.48) | (9.54) | (4.95) | (2.49) |
| | पुनर्माप - प्रत्याशित प्रतिलाभ से अधिक योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल | (0.26) | 0.23 | (0.12) | 0.00 |
| | वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 61.20 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| (iv) | योजना परिसंपत्तियों प्रबंधित परिसंपत्तियों के विवरण | 61.20 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| (v) | कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी | | | | |
| | इक्विटीज | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | बांड्स | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | गिल्ड्स | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | खुद का निवेश/संपत्ति | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | अन्य-बीमाकर्ता प्रबंधित निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम)। | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | * बीमा कंपनी द्वारा वित्त पोषित योजना परिसंपत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की योजना परिसंपत्तियों की संरचना, प्रत्येक श्रेणी की राशि पर योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है। | | | | |
| (vi) | वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (परिसंपत्ति)/देयता | | | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| | वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 61.19 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| | (परिसंपत्ति) देयता के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त वित्त पोषित निवल वर्तमान मूल्य | (28.31) | (28.19) | (3.92) | (7.03) |

| | | | | | |
|-------|--|---------|---------|--------|--------|
| (ii) | Reconciliation of present value of obligations | | | | |
| | Present value of obligation at the beginning of the year | 89.46 | 81.00 | 25.62 | 20.47 |
| | Current service cost | 4.21 | 4.10 | 11.02 | 10.78 |
| | Interest cost | 5.72 | 5.39 | 1.65 | 1.37 |
| | Actuarial (gain)/loss on obligations | 7.60 | 8.51 | -7.61 | (4.51) |
| | Benefits paid/Settlement | (17.48) | (9.54) | -4.95 | (2.49) |
| | Present value of obligation at the end of the year | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| (iii) | Reconciliation of fair value of plan assets | | | | |
| | Fair value of plan assets at the beginning of the year | 61.27 | 56.16 | 18.59 | 12.53 |
| | Expected return on plan assets | 4.18 | 4.00 | 1.39 | 1.07 |
| | Contributions by employer | 13.49 | 10.41 | 6.90 | 7.48 |
| | Transfer In/Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Benefits paid/Settlement | (17.48) | (9.54) | (4.95) | (2.49) |
| | Remeasurements- Return on Plan assets over expected return | (0.26) | 0.23 | (0.12) | 0.00 |
| | Fair value of plan assets at the end of the year | 61.20 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| (iv) | Description of plan assets managed assets | 61.20 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| (v) | Major category of plan assets as % of total plan assets | | | | |
| | Equities | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Bonds | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Gilts | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Own Investment/ Properties | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Others- Insurer Managed Funds (LIC of India)* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | * In the absence of detailed information regarding plan assets which is funded by Insurance Company, the composition of each major category of plan assets, the percentage on amount of each category to the fair value of plan assets has not been disclosed. | | | | |
| (vi) | Net (Asset)/Liability recognised in the balance sheet as at the end of the year | | | | |
| | Present value of obligation at the end of the year | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| | Fair value of plan assets at the end of the year | 61.19 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| | Net present value of funded obligation recognised as (asset) / liability in the balance sheet | (28.31) | (28.19) | (3.92) | (7.03) |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|--------|---------------------------|
| (vii) | लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | | | |
| | चालू सेवा लागत | 4.21 | 4.10 | 11.02 | 10.78 |
| | ब्याज लागत | 5.72 | 5.39 | 1.65 | 1.37 |
| | योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | (4.18) | (4.00) | (1.39) | (1.07) |
| | अवधि में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 | (7.49) | (4.51) |
| | वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय | 5.74 | 5.49 | 3.79 | 6.57 |
| (viii) | अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक हानियाँ/ (अभिलाभ) | | | | |
| | योजना परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रतिफल | 7.86 | 8.28 | (7.49) | (4.51) |
| | योजना परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रतिफल | 3.92 | 4.24 | 1.27 | 1.07 |
| (ix) | दायित्व का गैर चालू और चालू मूल्य | | | | |
| | गैर-चालू | 23.08 | 22.16 | | 3.51 |
| | चालू | 5.68 | 6.03 | 3.92 | 3.52 |
| | दायित्व का कुल मूल्य | | | | |
| (x) | चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्यता प्राप्त राशि | | | | |
| | उपदान (निधिक) | | | | |
| | निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| | योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य | 61.19 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| | निधिक स्थिति-(परिसंपत्ति)/देयता | (28.31) | (28.19) | (3.92) | (7.03) |
| | दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | 7.60 | 8.51 | (7.61) | (4.51) |
| | परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | (0.26) | 0.23 | (0.12) | 0.00 |
| (xi) | महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण(निर्धारित लाभ दायित्व पर प्रभाव) इस प्रकार है: | | | | |
| | क. उपदान (निधिक) | | | | |
| | | | | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
| | | 1% वृद्धि | | 1% कमी | |
| | बढ़ा दर | | 85.81 | | 93.61 |
| | वर्द्धित वेतन दर | | 91.81 | | 87.10 |
| | कर्मचारी टर्नओवर | | 89.72 | | 89.26 |
| | ख. मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक) | | | | |
| | | | | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
| | | 1% वृद्धि | | 1% कमी | |
| | बढ़ा दर | 24.11 | | 27.58 | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------|---------|-------------|--------|
| (vii) | Expenses recognised in the statement of profit and loss | | | | |
| | Current service cost | 4.21 | 4.10 | 11.02 | 10.78 |
| | Interest cost | 5.72 | 5.39 | 1.65 | 1.37 |
| | Return on plan assets | (4.18) | (4.00) | (1.39) | (1.07) |
| | Actuarial (gain)/loss recognised in the period | 0.00 | 0.00 | (7.49) | (4.51) |
| | Total expenses recognised in the statement of profit and loss for the year | 5.74 | 5.49 | 3.79 | 6.57 |
| (viii) | Net Actuarial losses /(gains) recognised in Other Comprehensive Income | | | | |
| | Actual return of plan assets | 3.92 | 4.24 | 1.27 | 1.07 |
| (ix) | Non current and current value of obligation | | | | |
| | Non-current | 23.08 | 22.16 | | 3.51 |
| | Current | 5.68 | 6.03 | 3.92 | 3.52 |
| | Total value of obligation | | | | |
| (x) | Amount recognised in current year and previous four years | | | | |
| | Gratuity (Funded) | | | | |
| | Present value of defined benefit obligations | 89.50 | 89.46 | 25.73 | 25.62 |
| | Fair value of plan assets | 61.19 | 61.27 | 21.81 | 18.59 |
| | Funded status - (asset)/liability | (28.31) | (28.19) | (3.92) | (7.03) |
| | Actuarial (gain)/loss on plan obligations | 7.60 | 8.51 | (7.61) | (4.51) |
| | Actuarial (gain)/loss on plan assets | (0.26) | 0.23 | (0.12) | 0.00 |
| (xi) | A quantitative sensitivity analysis for significant assumption (impact on defined benefit obligation) is as below: | | | | |
| | A. Gratuity (Funded)- | | | | |
| | | Year ended 31.03.2023 | | | |
| | | 1% Increase | | 1% Decrease | |
| | Discount Rate | 85.81 | | 93.61 | |
| | Salary increase rate | 91.81 | | 87.10 | |
| | Employee turnover | 89.72 | | 89.26 | |
| | B. Compensated absences (Funded)- | | | | |
| | | Year ended 31.03.2023 | | | |
| | | 1% Increase | | 1% Decrease | |
| | Discount Rate | 24.11 | | 27.58 | |

| | | | |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| | वेतन वृद्धि दर | 27.47 | 24.18 |
| | कर्मचारी टर्नओवर | 25.71 | 25.75 |
| | उपरोक्त विश्लेषण में अन्य घटकों में परिवर्तन अन्य घटकों के साथ किया जाता है । | | |
| | वर्षों से बिना छूट वाला नकद प्रवाह, बिना छूट के कुल नकदी प्रवाह है, लेकिन अन्य घटकों को बरकरार रखता है और कर्मचारियों के वर्तमान पूरक के लिए कुल भुगतान है । | | |
| (xii) | परिपक्वता प्रोफाइल-भविष्य में अपेक्षित भुगतान | | |
| | समय सीमा (वर्षों में) | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | |
| | | उपदान (निधिक) | मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक) |
| | 1 से कम या बराबर | 18.59 | 4.46 |
| | 2-5 | 49.68 | 13.50 |
| | 6-10 | 26.36 | 8.49 |
| | 10 से अधिक | 26.94 | 23.90 |
| (xiii) | प्रमुख बीमांकिक जोखिमों पर टिप्पणी । | | |
| (क) | <p>बीमांकिक जोखिम - यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे । यह निम्न में से किसी एक कारण से उत्पन्न हो सकता है ।</p> <p>प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव : वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि होगी ।</p> <p>मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा । चूंकि मृत्यु फायदा पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा ।</p> <p>निकासी दरों में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक निकासी दर अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा । इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख के अनुसार लाभ निहित है या नहीं ।</p> | | |
| (ख) | <p>निवेश जोखिम : निधिक योजनाओं के लिए जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित संपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है । ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है । यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बड़ा दर में परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या निधिक स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है ।</p> | | |
| (ग) | <p>लिक्विडिटी जोखिम : यह वह जोखिम है जो कंपनी अल्पकालिक उपदान भुगतान को पूरा करने में सक्षम नहीं है । यह देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी/नकद की बराबर की अनुपलब्धता या समय पर लिक्विड परिसंपत्तियों की बिक्री न होने के कारण हो सकता है । उच्च वेतन और लंबी अवधि की सेवा वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, महत्वपूर्ण स्तर के लाभ जमा करते हैं । यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं/सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है ।</p> | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| Salary increase rate | 27.47 | 24.18 |
| Employee turnover | 25.71 | 25.75 |
| In the above analysis the change in the factor is made with other factors remaining intact. | | |
| Undiscounted Cash flow over the years is the aggregate cash flow without discounting but keeping other factors intact and is the total payout for the current complement of staff. | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| (xii) Maturity profile - future expected payments | | |
| Time period (in years) | Year ended 31.03.2023 | |
| | Gratuity (Funded) | Compensated absences (Funded) |
| Less than or equal to 1 | 18.59 | 4.46 |
| 2 - 5 | 49.68 | 13.50 |
| 6 -10 | 26.36 | 8.49 |
| Above 10 | 26.94 | 23.90 |
| (xiii) Note on key actuarial risks | | |
| (a) | <p>Actuarial Risk- It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons.</p> <p>Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than the assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected.</p> <p>Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.</p> <p>Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.</p> | |
| (b) | <p>Investment Risk - For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.</p> | |
| (c) | <p>Liquidity Risk - This is the risk that the Company is not able to meet the short-term gratuity pay outs. This may arise due to non availability of enough cash/cash equivalent to meet the liabilities or holding of illiquid assets not being sold in time. Employees with high salaries and long durations of service or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign / retire from the company there can be strain on the cash flows.</p> | |

| | |
|-----|--|
| (घ) | बाज़ार जोखिम : बाज़ार जोखिम वित्तीय बाज़ारों के परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है। एक बीमाकिक धारणा जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वह है बट्टा दर। बट्टा दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाता है। बट्टा दर में वृद्धि से योजना के लाभों के निर्धारित लाभ दायित्व में कमी आती है और इसके विपरीत। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी ब्रांडों पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है। |
| (ङ) | वैधानिक जोखिम : वैधानिक जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देनदारियों में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है जिससे कंपनियों को कर्मचारिय वेलिए अधिक लाभ का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। यह सीधे निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा। नया श्रम संहिता एक मामला है और इसे उसी वर्ष तुरंत मान्यता देनी होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी होगा। |

टिप्पणी :

| | |
|----|--|
| 1. | उपरोक्त प्रकटीकरण स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा प्रमाणित और कंपनी द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर आधारित हैं। |
| 2. | कंपनी की योजना परिसंपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसकी उपदान और मुआवजा अनुपस्थिति योजना के संबंध में कंपनी की निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में किया जाता है। कंपनी के पास योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। |

टिप्पणी सं. 34 प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.37 देखें)

| प्रासंगिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (हद तक उपलब्ध नहीं है) | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|--|---------------|---------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (I) प्रासंगिक देयताएँ | | | |
| (i) | आय कर क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगें, ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं करती है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में रहे हैं प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित पडे निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है। | 5.05 | 5.30 |
| | ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के खिलाफ पडे बिक्री कर और सेवा कर दावे, | 35.49 | 36.07 |
| (ii) | ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गए कंपनी के खिलाफ पडे दावे। | 326.40 | 349.55 |
| (iii) | सरकारी विभागों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि) | 84.48 | 68.57 |
| (iv) | अन्यों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि) | 1.70 | 1.59 |
| (v) | कॉर्पोरेट गारंटियाँ जारी की गई और आज की तारीख तक बकाया है | 88.92 | 106.45 |
| (vi) | साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि) | 0.29 | 2.42 |
| (vii) | अन्य | 1.30 | 0.57 |
| कुल | | 543.63 | 570.52 |

| | |
|---------------|---|
| (d) | Market Risk - Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate / government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date. |
| (e) | Legislative Risk- Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation / regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation. The new labour code is a case in point and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective. |
| Notes: | |
| 1 | The above disclosures are based on information certified by the independent actuary and relied upon by the company. |
| 2 | The plan assets of the company are managed by the Life Insurance Corporation of India in terms of insurance policies taken to fund the obligations of the Company with respect to its Gratuity and Compensated Absences Plan. Information on categories of plan assets is not available with the company |

NOTE: 34 CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REF:2.37)

| Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for) | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|--|---------------|---------------|
| | | Rs. In Cr | Rs. in Cr. |
| (I) Contingent Liabilities | | | |
| (i) | Income Tax | | |
| | (a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest. | 5.05 | 5.30 |
| | (b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt | 35.49 | 36.07 |
| (ii) | Claims against the Company not acknowledged as debts | 326.40 | 349.55 |
| (iii) | Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money) | 84.48 | 68.57 |
| (iv) | Bank Guarantees to others(net of margin money) | 1.70 | 1.59 |
| (v) | Corporate Guarantees issued and outstanding as on date | 88.92 | 106.45 |
| (vi) | Letter of Credits (net of Margin Money) | 0.29 | 2.42 |
| (vii) | Others | 1.30 | 0.57 |
| TOTAL | | 543.63 | 570.52 |

| | | |
|---|-------|-------|
| (II) प्रतिबद्धताएं | | |
| (i) लंबित रिबेट दावा जिसके लिए अपील फायल किया गया। | - | 0.01 |
| कुल | - | 0.01 |
| (III) प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ | | |
| राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा एजेंसी (सिफप्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के अनुकूल मध्यस्थता निर्णय। | 26.84 | 26.84 |
| टिप्पणियाँ | | |
| प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12% की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किये गये। | | |
| ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए दावों में रु.8.71 करोड़ शामिल है, जिसके खिलाफ रु.7.31 करोड़ की बैंक गारंटी अदालत में प्रस्तुत की गई हैं। इसलिए दोहराव से बचने के लिए रु.7.31 करोड़ को बैंक गारंटी से रखा गया है। | | |
| ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में प्रार्थी द्वारा दावा की गई कोई विकल्प लागत/हानि शामिल नहीं है। | | |

टिप्पणी : 35 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.38 देखें)

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

| संबंध का विवरण | नाम |
|----------------|--|
| सहायक कंपनी | गोवा एंटीबायोटेक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) |
| | एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) |
| संयुक्त उद्यम | लाइफ्रिफिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच) |
| सहयोगी | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) |
| | एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| (II) Commitments | | | |
| (i) | Pending rebate claim for which appeals filed | - | 0.01 |
| TOTAL | | - | 0.01 |
| (III) Contingent Assets | | | |
| Arbitration award in favour of the company in the legal case with state Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA) | | 26.84 | 26.84 |

Notes

"Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest @ 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken @ 12% p.a. in cases where the interest is above 12% p.a. Interest on contingent assets have not been considered

Claims not acknowledged as debts include Rs. 8.71 Crores against which a bank guarantee of Rs. 7.31 Cr is submitted to Court. Hence Rs. 7.31 Cr is excluded from Bank Guarantee to avoid duplication.

Claims not acknowledged as debts does not include any opportunity cost/loss claimed by the petitioner

Note : 35 Related Party Disclosure (Refer Note. 2.38)
Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

| Description of Relation | Names |
|-------------------------|--|
| Subsidiaries | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) |
| | HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL) |
| Joint Venture | Life Spring Hospital Private Ltd (LSH) |
| Associates | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) |
| | HLL Management Academy (HMA) |
| | HLL Pratheeksha Charitable Society |

| | |
|---|--|
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी) | क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ |
| | श्री के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी) |
| | श्री टी.राजशेखर - निदेशक (विपणन) (31/03/2023 को निदेशक (विपणन) के पद से कार्यमुक्त) |
| | डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त) |
| | श्री ई.ए सुब्रमण्यन, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) (30 अप्रैल 2022 को निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) के पद से कार्यमुक्त) |
| | डॉ. अनिता तंपी निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) (03/01/2023 से नियुक्त) |
| | श्री संतोष चेरियान सी - एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ (30/12/2022 को एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ के पद से कार्यमुक्त) |
| | श्री रमेश पी, वी पी वित्त & सी एफ ओ (07 जनवरी 2023 से नियुक्त) |
| | श्री जयकृष्णन ए.आर. -कंपनी सचिव |
| | ख.स्वतंत्र निदेशक |
| | डॉ.विजयचंद्र रेड्डी (27/01/2023 को निदेशक के पद से कार्यमुक्त) |
| | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज |
| | श्रीमती नीता बूचरा |
| | ग. सरकारी नॉमिती निदेशक |
| श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस (18-10-2022 को निदेशक के पद से कार्यमुक्त) | |
| श्री जयदीप कुमार मिश्रा आईसीएएस (18-10-2022 से निदेशक के रूप नियुक्त) | |
| श्रीमती रोली सिंह आई ए एस | |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय | ₹ 3.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.74 करोड़) (विवरण अनुबंध - 1 के रूप में संलग्न है।) |

टिप्पणी : 35 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.38 देखें)

महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

₹ करोड़ों में

| क्रम सं. | इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण | नियंत्रण | 2022-23 | 2021-22 |
|----------|--|----------|---------|---------|
| 1. | बिक्री/दावा | | | |
| | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) | 100% | 0.31 | 2.08 |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए) | 100% | 1.27 | - |
| 2. | खरीदियाँ | | | |
| | गोवा एंटीबायोटेक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 0.26 | 0.12 |
| 3. | किराया आय | | | |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 3.16 | 2.79 |
| | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) | 100% | 0.60 | 0.57 |

| | |
|--|--|
| Key Management Personnel (KMP) | A. Chairman & Managing Directors, Whole Time Directors, Company Secretary & CFO |
| | Shri. K.Beji George ,IRTS Chairman & Managing Director (CMD) |
| | Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing) (ceased to be Director (Marketing) on 31/03/2023) |
| | Dr. Geeta Sharma- Director (Finance) |
| | Shri E A Subramanian, Director (Technical & Operations) (Ceased to be Director (Technical & Operations) on 30/04/2022) |
| | Dr. Anitha Thampi- Director (Technical and Operations) (appointed w.e.f 03/01/2023) |
| | Shri. Santhosh Cherian.C - SVP(F) i/c & CFO (ceased to be SVP(F) i/c & CFO on 30/12/2022) |
| | Shri Remesh P - VP Finance & CFO (appointed w.e.f 07/01/2023) |
| | Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary |
| | B. Independent Directors |
| | Dr. P Vijaychander Reddy (ceased to be Director on 27/01/2023) |
| | Prof.(Dr.) Adarsh Pal Vig |
| | Smt.Neeta Boochra |
| | C. Government Nominee Directors |
| | Shri.Ashish Srivastava IAS (ceased to be Director on 18/10/2022) |
| Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS (appointed as Director with effect from 18/10/2022) | |
| Smt.Roli Singh IAS | |
| Remuneration to Key Managerial Personnel | ₹3.32 crores (Previous period - ₹2.74 crores)(details enclosed as annexure-1) |

Note : 35 Related Party Disclosure (Refer Note. 2.38)

| Significant Related Party Transactions (₹ crs) | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| Sr. No. | Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24 | Control | 2022-23 | 2021-22 |
| 1 | Sales/Claims | | | |
| | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) | 100% | 0.31 | 2.08 |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 1.27 | - |
| 2 | Purchases | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 0.26 | 0.12 |
| 3 | Rental Income | | | |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 3.16 | 2.79 |
| | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) | 100% | 0.60 | 0.57 |

| | | | | |
|------------|--|------|-------|------|
| 4. | परामर्श/सेवाओं से आय | | | |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 1.13 | 0.88 |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 1.84 | 1.55 |
| | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) | 100% | 0.63 | 0.20 |
| | लाइफ़्रिग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच) | 50% | - | - |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) । | 100% | 0.81 | 0.05 |
| 5. | प्राप्त लाभांश से आय | | | |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 10.00 | 8.00 |
| 6. | वेतन और भत्ता | | | |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 0.75 | 0.63 |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) । | 100% | 0.42 | 0.20 |
| 7. | अन्य व्यय | | | |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 0.01 | 0.02 |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 1.87 | 2.06 |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) | | 0.01 | 0.01 |
| 8 | विविध देनदार | | | |
| | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) | 100% | 0.82 | 3.88 |
| | लाइफ़्रिग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच) | 50% | - | 0.11 |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 10.95 | 7.50 |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 1.90 | 2.93 |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) | 100% | 2.35 | - |
| 9 | प्रदत्त अग्रिम | | | |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 5.11 | - |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) । | 100% | 4.26 | 4.26 |
| 10. | विविध लेनदार | | | |
| | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) | 100% | - | 0.40 |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | - | 0.36 |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 0.01 | 3.53 |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) | 100% | 0.18 | 0.20 |
| 11. | शेयरों में निवेश | | | |
| | लाइफ़्रिग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच) | 50% | 9.51 | 9.51 |
| | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) | 74% | 7.09 | 7.09 |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) | 100% | 0.01 | 0.05 |
| 12. | अन्य देयताएं | | | |
| | एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी | 100% | 0.01 | 0.01 |

| | | | | |
|-----------|--|------|-------|------|
| 4 | Income from Consultancy/Service | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 1.13 | 0.88 |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 1.84 | 1.55 |
| | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) | 100% | 0.63 | 0.20 |
| | Life Spring Hospital Private Ltd (LSH) | 50% | - | - |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 0.81 | 0.05 |
| 5 | Income from dividend | | | |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 10.00 | 8.00 |
| 6 | Salaries & Allowances | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 0.75 | 0.63 |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 0.42 | 0.20 |
| 7 | Other Expenses | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 0.01 | 0.02 |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 1.87 | 2.06 |
| | HLL Management Academy (HMA) | | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Sundry Debtors | | | |
| | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) | 100% | 0.82 | 3.88 |
| | Life Spring Hospital Private Ltd (LSH) | 50% | - | 0.11 |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 10.95 | 7.50 |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 1.90 | 2.93 |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 2.35 | - |
| 9 | Advances given | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 5.11 | - |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 4.26 | 4.26 |
| 10 | Sundry Creditors | | | |
| | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) | 100% | - | 0.40 |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | - | 0.36 |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 0.01 | 3.53 |
| | HLL Management Academy (HMA) | 100% | 0.18 | 0.20 |
| 11 | Investment in Shares | | | |
| | Life Spring Hospital Private Ltd (LSH) | 50% | 9.51 | 9.51 |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) | 74% | 7.09 | 7.09 |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) | 100% | 0.05 | 0.05 |
| | | | | |
| 12 | Other Liabilities | | | |
| | Pratheeksha Charitable Society | 100% | 0.01 | 0.01 |

| |
|---|
| सरकारी संबंधित संस्थाएं जहाँ महत्वपूर्ण लेन-देन किए गए |
| ऊपर रिपोर्ट किये गये लेन-देनों के अलावा, कंपनी को अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन है, जिस में निम्न शामिल है लेकिन निम्न तक सीमित नहीं है । |
| * एचएलएफपीपीटी & एचएमए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के लिए सी एस आर गतिविधियों के लिए नामित एजेंसी है । |
| सरकार का नाम : भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार) |
| लेन-देन की प्रकृति |
| <ul style="list-style-type: none"> उत्पाद और सेवाओं की बिक्री अन्य व्यय विविध देनदार अन्य देयताएं |
| ये लेन-देन अन्य संस्थाओं, जो सरकार से संबंधित नहीं है, की तुलना में कंपनी के व्यवसाय शर्तों के साधारण क्रम में किया गया है । |

अनुबंध- | टिप्पणी 35

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

₹ करोड़ों में

| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ | रोजगारोत्तर लाभ | अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ | सेवा निवृत्ति हितलाभ | कुल पारिश्रमिक | बैठक शुल्क | बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम |
|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| श्री के.बेजी जोर्ज | 0.56 | - | - | - | 0.56 | - | - |
| श्री ई.ए सुब्रमण्यन.(अप्रैल 2022 तक) | 0.04 | - | - | 0.32 | 0.36 | - | - |
| श्री राजशेखर.टी (मार्च 2023 तक) | 0.54 | - | - | 0.42 | 0.96 | - | - |
| श्रीमती डॉ.गीता शर्मा | 0.67 | - | - | - | 0.67 | - | - |
| श्रीमती डॉ अनिता तंपी (जनवरी 2023 से) | 0.11 | - | - | - | 0.11 | - | 0.001 |
| श्री संतोष चेरियान.सी (दिसंबर ' 2022 तक) | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - |
| श्री रमेश पी (जनवरी 2023 से) | 0.12 | - | - | - | 0.12 | - | 0.001 |
| श्री जयकृष्णन.ए.आर | 0.28 | - | - | - | 0.28 | - | 0.001 |
| डॉ.विजयचंदर रेड्डी | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| श्री आदर्श पाल विज | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| श्रीमती नीता बोचरा | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| कुल | 2.57 | - | - | 0.74 | 3.32 | 0.10 | 0.004 |

| | |
|--|---|
| | Government related entities where significant transactions carried out |
| | Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following: |
| | *HLFPPT & HMA are the designated agencies for CSR activities for HLL Lifecare Ltd |
| | Name of Government: Government of India (Central and State Government) |
| | Nature of Transactions: |
| | · Sale of Products and Services |
| | · Other Expenses |
| | · Sundry Debtors |
| | · Other Liabilities |
| | These transactions are conducted in the ordinary course of the Company's business on terms comparable to those with other entities that are not government related. |

Annexure I: Note 35
Remuneration of Key Managerial Personnel

| Key managerial Personnel | Short Term employee Benefit | Post employment Benefit * | Other long term employee benefit | Terminal Benefits | Total Remuneration | Sitting Fees | Rs in cr |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Outstanding Loans (Gross) / Advance receivables |
| Shri. K.Beji George | 0.56 | - | - | - | 0.56 | - | - |
| Shri.E.A.Subramanian (upto Apr 2022) | 0.04 | - | - | 0.32 | 0.36 | - | - |
| Shri.Rajasekar T (upto March 2023) | 0.54 | - | - | 0.42 | 0.96 | - | - |
| Smt.Dr.Geeta Sharma | 0.67 | - | - | - | 0.67 | - | - |
| Smt.Dr.Anitha Thampi (w.e.f Jan 2023) | 0.11 | - | - | - | 0.11 | - | 0.001 |
| Shri.Santhosh Cherian C (upto Dec 2022) | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - |
| Shri.Remesh.P (w.e.f Jan 2023) | 0.12 | - | - | - | 0.12 | - | 0.001 |
| Shri.Jai Krishnan A R | 0.28 | - | - | - | 0.28 | - | 0.001 |
| Dr.P.Vijayachander Reddy | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Shri.Adarsh Pal Vig | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Smt.Neeta Boochra | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Total | 2.57 | - | - | 0.74 | 3.32 | 0.10 | 0.004 |

अतिरिक्त प्रकटीकरण

₹ करोड़ों में

| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | वेतन और भत्ता | भविष्य निधि में योगदान | सी पी एस/ पेंशन में योगदान | अन्य लाभ व भत्ते | सेवा निवृत्ति हितलाभ | कुल |
|--|---------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------|
| श्री के.बेजी जोर्ज | 0.54 | - | | 0.01 | | 0.56 |
| श्री ई.ए सुब्रमण्यन (अप्रैल 2022 तक) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.36 |
| श्री राजशेखर.टी(मार्च 2023 तक) | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.42 | 0.96 |
| श्रीमती डॉ.गीता शर्मा | 0.61 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | 0.67 |
| श्रीमती डॉ अनिता तंपी (जनवरी 2023 से) | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.11 |
| श्री संतोष चेरियान.सी (दिसंबर 2022 से) | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.27 |
| श्री रमेश पी (जनवरी 2023 से) | 0.11 | 0.01 | 0.00 | - | | 0.12 |
| श्री जयकृष्णन.ए.आर | 0.26 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.28 |

*रोज़गारोत्तर हितलाभों को समग्र आधार पर निर्धारित/भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर पता लगाने योग्य नहीं है।

| Additional disclosure | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| Rs in cr | | | | | | |
| Key managerial Personnel | Salaries & Allowance | Contribution to PF | Contribution to CPS / Pension | Other benefits & Perks | Terminal Benefits | Total |
| Shri. K.Beji George | 0.54 | - | - | 0.01 | - | 0.56 |
| Shri.E.A.Subramanian (upto Apr 2022) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.36 |
| Shri.Rajasekar T (upto March 2023) | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.42 | 0.96 |
| Smt.Dr.Geeta Sharma | 0.61 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | 0.67 |
| Smt.Dr.Anitha Thampi (w.e.f Jan 2023) | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | 0.11 |
| Shri.Santhosh Cherian C (upto Dec 2022) | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.27 |
| Shri.Remesh.P (w.e.f Jan 2023) | 0.11 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.12 |
| Shri.Jai Krishnan A R | 0.26 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.28 |
| * Post-employment benefits are actuarially determined/paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis | | | | | | |

टिप्पणी 36. इंड ए एस-108 खंड रिपोर्टिंग के अधीन प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.39 देखें)

| विवरण | 2022-23 | | | | | | | | | | 2021-22 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियो जनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | | | | |
| राजस्व खंड गभनिरोधक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रचालन से राजस्व | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 236.85 | 1,485.01 | 167.06 | 6.54 | 3,708.01 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 162.09 | 33,948.11 | 121.00 | 2.57 | 35,712.36 | | | | |
| अन्य प्रचालन राजस्व | | | | | | | 79.77 | 79.77 | | | | | | | 26.62 | 26.62 | | | | |
| कुल | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 236.85 | 1,485.01 | 167.06 | 86.31 | 3,787.78 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 162.09 | 33,948.11 | 121.00 | 29.19 | 35,738.98 | | | | |
| कर के पूर्व लाभ | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियो जनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | | | | |
| ब्याज और कर के पूर्व लाभ | (96.67) | 8.26 | 81.37 | 19.65 | 49.38 | (1111) | (43.99) | 6.89 | (99.21) | 25.95 | 13.28 | 7.31 | 835.27 | (20.67) | (216.47) | 545.46 | | | | |
| न्यून : - ब्याज | 4.01 | 4.61 | 6.23 | 2.17 | - | 0.50 | (0.05) | 17.47 | 6.92 | 4.58 | 4.12 | 5.12 | - | - | 3.37 | 24.11 | | | | |
| जोड़:- अन्य अविनिधानीय व्यय | - | - | - | - | - | - | 79.77 | 79.77 | - | - | - | - | - | - | 26.62 | 26.62 | | | | |
| कर के पूर्व लाभ | (100.68) | 3.65 | 75.14 | 17.48 | 49.38 | (11.61) | 35.83 | 69.19 | (106.13) | 21.37 | 9.16 | 2.19 | 835.27 | (20.67) | (193.22) | 547.97 | | | | |
| नियुक्त पूंजी | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवा | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएं एवं सेवाएं | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | | | | |
| (क) अचल परिसंपत्तियाँ | 98.78 | 35.51 | 7.98 | 17.98 | - | 21.43 | 59.87 | 241.55 | 101.40 | 45.96 | 7.40 | 13.62 | - | 35.09 | 63.73 | 267.20 | | | | |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | | 126.42 | 126.42 | | | | | | | 108.39 | 108.39 | | | | |
| (ग) चालू परिसंपत्तियाँ | 273.79 | 124.59 | 1,336.40 | (564.85) | 403.49 | 236.90 | 297.79 | 2,108.12 | 85.60 | 76.36 | 1,126.46 | (70.76) | 3,509.99 | 108.70 | 353.96 | 5,190.32 | | | | |
| (क+ख+ग) | 372.57 | 160.11 | 1,344.39 | (546.87) | 403.49 | 258.33 | 484.08 | 2,476.09 | 187.00 | 122.32 | 1,133.87 | (57.14) | 3,509.99 | 143.79 | 526.08 | 5,565.91 | | | | |

| Note 36: Disclosure Under Ind AS-108 Segment Reporting (Refer Note:-2.39) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Particulars | 2022-23 | | | | | | 2021-22 | | | | | | Rs in cr | | | |
| | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | Covid | others | Unallocable | Total | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | | Covid | others | Unallocable |
| Revenue from operations | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 236.85 | 1,485.01 | 167.05 | 3,708.01 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 162.09 | 33,948.11 | 121.00 | 2.57 | 35,712.36 | |
| Other Operating Revenue | - | - | - | - | - | - | 79.77 | - | - | - | - | - | - | 26.62 | 26.62 | |
| Total | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 236.85 | 1,485.01 | 167.05 | 3,787.78 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 162.09 | 33,948.11 | 121.00 | 29.19 | 35,738.98 | |
| Profit before Tax | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | Covid | others | Unallocable | Total | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | Covid | others | Unallocable | Total |
| Profit before Interest & Tax | (96.67) | 8.26 | 81.37 | 19.65 | 49.38 | (11.11) | (43.99) | 6.89 | (99.21) | 25.95 | 13.28 | 7.31 | 835.27 | (20.67) | (216.47) | 545.46 |
| Less:- Interest | 4.01 | 4.61 | 6.23 | 2.17 | - | 0.50 | (0.05) | 17.47 | 6.92 | 4.58 | 4.12 | 5.12 | - | - | 3.37 | 24.11 |
| Add:-Other unallocable income | - | - | - | - | - | - | 79.77 | - | - | - | - | - | - | - | 26.62 | 26.62 |
| Profit before tax | (100.68) | 3.65 | 75.14 | 17.48 | 49.38 | (11.61) | 35.83 | 69.19 | (106.13) | 21.37 | 9.16 | 2.19 | 835.27 | (20.67) | (193.22) | 547.97 |
| Capital Employed | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | Covid | others | Unallocable | Total | Contra | Diagnostic services | Retail Business | Projects & Services | Covid | others | Unallocable | Total |
| (a)Fixed Assets | 98.78 | 35.51 | 7.98 | 17.98 | - | 21.43 | 59.87 | 241.55 | 101.40 | 45.96 | 7.40 | 13.62 | - | 35.09 | 63.73 | 267.20 |
| (b)Financial assets | - | - | - | - | - | - | 126.42 | - | - | - | - | - | - | - | 108.39 | 108.39 |
| (c)Current Assets | 273.79 | 124.60 | 1,336.40 | (564.85) | 403.49 | 236.90 | 297.79 | 2,108.12 | 85.60 | 76.36 | 1,126.47 | (70.76) | 3,509.99 | 108.70 | 353.96 | 5,190.32 |
| (a+b+c) | 372.57 | 160.11 | 1,344.38 | (546.87) | 403.49 | 258.33 | 484.08 | 2,476.09 | 187.00 | 122.32 | 1,133.87 | (57.14) | 3,509.99 | 143.79 | 526.08 | 5,565.91 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| चालू देयताएं | 127.01 | 179.94 | 1,034.60 | (907.64) | 2,238.90 | (941.43) | 64.07 | 1,795.46 | (455.78) | 788.67 | (604.02) | 5,337.16 (509.17) | 112.92 | 4,755.85 |
| गैर चालू देयताएं | - | - | - | - | - | - | 21.80 | 21.80 | - | - | - | - | 62.65 | 62.65 |
| नियुक्त पूंजी आबंटन | 245.56 | (19.83) | 309.78 | 360.77 | (1,835.41) | 1,199.76 | 398.21 | 658.84 | 642.78 | 345.20 | 546.88 | (1,827.17) | 350.52 | 747.42 |
| कुल नियुक्त पूंजी | | | | | | | | 658.84 | | | | | | 747.42 |

2. सेकंडरी खंड सूचना-भौगोलिक

₹ करोड़ों में

| राजस्व | 2022-23 | 2021-22 |
|---------------|----------|-----------|
| भारत | 3,630.06 | 35,648.75 |
| भारत के बाहर | 157.72 | 90.23 |
| नियुक्त पूंजी | 3,787.78 | 35,738.98 |
| भारत | 2022-23 | 2021-22 |
| भारत के बाहर | 658.83 | 747.41 |
| | - | - |
| | 658.83 | 747.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|------------|----------|--------|----------|
| Current Liabilities | 127.01 | 179.94 | 1,034.60 | (907.64) | 2,238.90 | (941.43) | 64.07 | 1,795.45 | (455.78) | 86.07 | 788.67 | (604.02) | 5,337.16 | (509.17) | 112.91 | 4,755.84 |
| Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 21.80 | 21.80 | - | - | - | - | - | - | 62.65 | 62.65 |
| Capital Employed Allocation | 245.56 | (19.83) | 309.78 | 360.77 | (1,835.41) | 1,199.76 | 398.21 | 658.84 | 642.78 | 36.25 | 345.20 | 546.88 | (1,827.17) | 652.96 | 350.52 | 747.42 |
| Total Capital Employed | | | | | | | | 658.84 | | | | | | | | 747.42 |

2. Secondary Segment Information - Geographical

| Revenue | 2022-23 | | 2021-22 | |
|------------------|---------|----------|---------|-----------|
| | India | 3,630.06 | | 35,648.75 |
| Outside India | 157.72 | | 90.23 | |
| Capital Employed | 2022-23 | 2021-22 | | |
| India | 658.84 | 747.42 | | |
| Outside India | - | - | | |
| | 658.84 | 747.42 | | |

टिप्पणी 37 : आय कर (टिप्पणी 2.40 देखें)
सतत प्रचालनों से संबंधित आय कर

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| चालू कर | 26.95 | 191.30 |
| | | - |
| पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल | | |
| आय कर | 1.57 | 1.00 |
| मैट क्रेडिट पात्रता | - | - |
| मैट क्रेडिट का व्युत्क्रम | - | - |
| आस्थगित कर/(देयता) | | |
| चालू वर्ष से संबंधित | 71.89 | 70.82 |
| पिछले वर्ष से संबंधित | -70.82 | -20.02 |
| लाभ और हानि में पहचान किए गए कुल आय कर व्यय | 27.44 | 141.50 |

| वर्ष के लिए लेखांकन लाभ में मेल मिलाप किये गये आय कर व्यय : | | |
|---|---------------|---------------|
| कर के पूर्व लाभ | 69.19 | 551.81 |
| आय कर दर | 25.168% | 25.168% |
| लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय | 17.41 | 138.88 |
| अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव | 5.59 | 1.65 |
| गैर कर योग्य आय का प्रभाव | - | -8.00 |
| मूल्यहास और ऋणमुक्ति का प्रभाव | 1.51 | 5.96 |
| प्रावधानों का प्रभाव | 20.15 | 209.34 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रभाव | (0.03) | 0.01 |
| पट्टे का प्रभाव | (0.04) | 0.61 |
| अन्य आय का प्रभाव | 10.70 | -1.28 |
| कुल | 37.88 | 208.29 |
| आय कर के अनुसार आय | 107.07 | 760.10 |
| न्यून : हानियों को आगे ले आना | - | - |
| कर योग्य आय | 107.07 | 760.10 |
| | 26.95 | 191.30 |

| Note 37 Income Taxes (Refer Note 2.40) | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Income tax relating to continuing operations | | |
| Particulars | Year ended March 31, 2023 | Year ended March 31, 2022 |
| Current Tax | 26.95 | 191.30 |
| Adjustments/(credits) related to previous years-Net | | |
| Income Tax | 1.57 | 1.00 |
| Mat Credit Entitlement | - | - |
| Reversal of MAT Credit | - | - |
| Deferred Tax Asset/ (Liability) | | |
| In respect of the current year | 71.89 | 70.82 |
| In respect of the previous year | -70.82 | -20.02 |
| Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss | 27.45 | 141.50 |
| Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit: | | |
| Profit before Tax | 69.19 | 551.81 |
| Income Tax Rate* | 25.168% | 25.168% |
| Income Tax expense as per Book Profits | 17.41 | 138.88 |
| Effect of Expenses not allowed | 5.59 | 1.65 |
| Effect of Income not taxable | - | -8.00 |
| Effect of Depreciation and Amortisations | 1.51 | 5.96 |
| Effect of Provisions | 20.15 | 209.34 |
| Effect of Sale of Assets | (0.03) | 0.01 |
| Effect of Leases | (0.04) | 0.61 |
| Effect of other income | 10.70 | -1.28 |
| Total | 37.88 | 208.29 |
| Income as per Income Tax | 107.07 | 760.10 |
| Less:Carry forward of losses | - | - |
| Taxable Income | 107.07 | 760.10 |
| | 26.95 | 191.30 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का प्रभाव | | |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | | |
| मूल्यहास परिसंपत्ती का प्रभाव | 50.71 | 51.92 |
| वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव | 1.18 | 1.34 |
| कर्मचारी भुगतान और कटौतियों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव | 72.01 | 72.67 |
| पट्टे की परिसंपत्तियों पर प्रभाव | 5.11 | 7.09 |
| कुल (क) | 129.01 | 133.02 |
| आस्थगित कर देयताएँ | | |
| पट्टे की परिसंपत्तियों पर प्रभाव | 4.95 | 6.93 |
| मूल्यहास देयता का प्रभाव | 52.17 | 55.27 |
| कुल (ख) | 57.12 | 62.20 |
| निवल आस्थगित परिसंपत्तियाँ (क) - (ख) | 71.89 | 70.82 |
| अन्य व्यापक आय में पहचान किए गए आय कर | | |
| निर्धारित लाभ दायित्व के पुनः मापन | -1.98 | -2.08 |

टिप्पणी: कंपनी द्वारा निर्धारित वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए के अधीन कम कर दर चयन किया है।

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डी आई एन :08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस
सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Effect of deductible temporary differences | | |
| Deferred Tax Assets | | |
| Effect of Depreciation-Asset | 50.71 | 51.92 |
| Effect of provisions related to Inventory | 1.18 | 1.34 |
| Effect of provisions related to Employee payments and deductions | 72.01 | 72.67 |
| Effect to Leased Assets | 5.11 | 7.09 |
| Total (A) | 129.01 | 133.02 |
| Deferred Tax Liabilities | | |
| Effect to Lease | 4.95 | 6.93 |
| Effect of Depreciation-Liability | 52.17 | 55.27 |
| Total (B) | 57.12 | 62.20 |
| Net Deferred Tax Assets (A)-(B) | 71.89 | 70.82 |
| Income Tax recognised in other comprehensive income | | |
| Remeasurement of defined benefit obligation | -1.98 | -2.08 |

Note: Lower tax rates v/s 115 BAA of Income tax Act are opted by company from Ay 2020-21

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum

Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum

Date : 06.09-2023



अनुबंध I - टिप्पणी नं. 2.9 में उल्लिखित
31 मार्च, 2023 को कार्यान्वयाधीन पड़ी परियोजनाओं की परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

| परियोजनाएं | परिसंपत्तियाँ | | | | देयताएँ | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | एचएलएल के साथ न्यास के अधीन पड़े नकद और बैंक शेष | | अन्य परिसंपत्तियाँ | | कुल परिसंपत्तियाँ | | चालू देयताएँ | | कुल | |
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| आई डी उत्तर | | | | | | | | | | |
| आचार्या बरीहर आर जी एल रीजियणल कैंसर केयर सेंटर, कटुक | 1.45 | 1.43 | 0.08 | 0.04 | 1.53 | 1.46 | 1.53 | 1.46 | 1.53 | 1.46 |
| अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज (पी एम एस एस वाई) | 18.96 | 18.60 | 0.95 | 0.35 | 19.91 | 18.95 | 19.91 | 18.95 | 19.91 | 18.95 |
| सी जी एच एस | 3.01 | 2.74 | 0.26 | 0.21 | 3.27 | 2.95 | 3.27 | 2.95 | 3.27 | 2.95 |
| आई पी सी (गालियाबाद) | 4.95 | 11.78 | 0.30 | 1.60 | 5.25 | 13.37 | 5.25 | 13.37 | 5.25 | 13.37 |
| आयुष के अधीन एन ई आई एफ एम, पासीघाट | 2.53 | 3.19 | 1.02 | 1.02 | 3.56 | 4.21 | 3.56 | 4.21 | 3.56 | 4.21 |
| एन आई पी एस/आर आई पी एस | 51.60 | 52.63 | 6.12 | 4.64 | 57.72 | 57.26 | 57.72 | 57.26 | 57.72 | 57.26 |
| पी जी आई एम एस रोहतक | 22.26 | 24.36 | 0.83 | 0.27 | 23.10 | 24.63 | 23.10 | 24.63 | 23.10 | 24.63 |
| पी एम एस एस वाई निवासीय परियोजना (ऋषिकेश एवं पटना) | 4.10 | 4.03 | 0.58 | 0.47 | 4.68 | 4.50 | 4.68 | 4.24 | 4.68 | 4.24 |
| रिपन्स-एसवाल-मिसोरा | 30.74 | 25.93 | 11.90 | 26.03 | 42.64 | 51.96 | 42.64 | 51.96 | 42.64 | 51.96 |
| अन्य परियोजनाएं | - | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.14 | 0.41 |
| आई डी उत्तर कुल | 139.60 | 144.68 | 22.18 | 34.76 | 161.78 | 179.44 | 161.78 | 179.44 | 161.78 | 179.44 |
| आई डी दक्षिण | | | | | | | | | | |
| जिप्पर | 5.54 | 8.67 | 0.28 | 0.37 | 5.81 | 9.04 | 5.81 | 9.04 | 5.81 | 9.04 |
| एमएमसी | 16.76 | 18.49 | 0.18 | 1.88 | 16.94 | 20.38 | 16.94 | 20.38 | 16.94 | 20.38 |
| एम सी कोन्नि | 1.90 | 1.82 | 17.37 | 17.37 | 19.28 | 19.19 | 19.28 | 19.19 | 19.28 | 19.19 |
| एम सी कोषिकोड परियोजनाएं | 2.85 | 2.69 | 1.05 | 1.05 | 3.89 | 3.73 | 3.89 | 3.73 | 3.89 | 3.73 |
| एम सी तिरुवनंतपुरम परियोजनाएं | 2.52 | 2.39 | 0.17 | 0.16 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.55 |
| उद्योग विभाग परियोजनाएं | 8.59 | 8.26 | 0.24 | 0.22 | 8.82 | 8.48 | 8.82 | 8.48 | 8.82 | 8.48 |
| के एस एस टी एम | 3.58 | 3.65 | 0.99 | 1.24 | 4.57 | 4.89 | 4.57 | 4.89 | 4.57 | 4.89 |
| मलबार कैंसर केंद्र | 0.11 | 0.10 | -0.93 | (23.79) | (0.82) | (23.69) | (0.82) | (23.69) | (0.82) | (23.69) |
| एन आर एच एम | 0.07 | 0.12 | 3.07 | 3.48 | 3.14 | 3.59 | 3.14 | 3.59 | 3.14 | 3.59 |

| ANNEXURE I - Referred to in Note No. 2.9 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Assets and Liabilities of Projects under implementation as on 31st March 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Projects | ASSETS | | | | | | LIABILITIES | | | Total | | |
| | Cash & Bank balances held under trust with HLL | | Other Assets | | Total Assets | | Current Liabilities | | | Total (₹ in Crs) | | |
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2021-22 | |
| ID North | | | | | | | | | | | | |
| Acharya Barihar RGL Cancer Care Cuttak | 1.45 | 1.43 | 0.08 | 0.04 | 1.53 | 1.46 | 1.53 | 1.46 | 1.53 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Aigrah Medical College (PMSSY) | 18.96 | 18.60 | 0.95 | 0.35 | 19.91 | 18.95 | 19.91 | 18.95 | 19.91 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |
| CGHS | 3.01 | 2.74 | 0.26 | 0.21 | 3.27 | 2.95 | 3.27 | 2.95 | 3.27 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| IPC (Gaziabad) | 4.95 | 11.78 | 0.30 | 1.60 | 5.25 | 13.37 | 5.25 | 13.37 | 5.25 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |
| NEIFM Pasighat under AYUSH | 2.53 | 3.19 | 1.02 | 1.02 | 3.56 | 4.21 | 3.56 | 4.21 | 3.56 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| NIPS / RIPS | 51.60 | 52.63 | 6.12 | 4.64 | 57.72 | 57.26 | 57.72 | 57.26 | 57.72 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |
| PGIMS Rohtak | 22.26 | 24.36 | 0.83 | 0.27 | 23.10 | 24.63 | 23.10 | 24.63 | 23.10 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |
| PMSSY Residential project (Rishikesh & Patna) | 4.10 | 4.03 | 0.58 | 0.47 | 4.68 | 4.50 | 4.68 | 4.24 | 4.68 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| RIPANS-AIZAWL-MIZORA | 30.74 | 25.93 | 11.90 | 26.03 | 42.64 | 51.96 | 42.64 | 51.96 | 42.64 | 51.96 | 51.96 | 51.96 |
| Other Projects | - | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| ID North Total | 139.60 | 144.68 | 22.18 | 34.76 | 161.78 | 179.44 | 161.78 | 179.44 | 161.78 | 179.44 | 179.44 | 179.44 |
| ID South | | | | | | | | | | | | |
| JIPMER | 5.54 | 8.67 | 0.28 | 0.37 | 5.81 | 9.04 | 5.81 | 9.04 | 5.81 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |
| MMC | 16.76 | 18.49 | 0.18 | 1.88 | 16.94 | 20.38 | 16.94 | 20.38 | 16.94 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |
| MC Konni | 1.90 | 1.82 | 17.37 | 17.37 | 19.28 | 19.19 | 19.28 | 19.19 | 19.28 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |
| MC Kozhikode Projects | 2.85 | 2.69 | 1.05 | 1.05 | 3.89 | 3.73 | 3.89 | 3.73 | 3.89 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| MCTrivandrum Projects | 2.52 | 2.39 | 0.17 | 0.16 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Industries Department Projects | 8.59 | 8.26 | 0.24 | 0.22 | 8.82 | 8.48 | 8.82 | 8.48 | 8.82 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
| KSSTM | 3.58 | 3.65 | 0.99 | 1.24 | 4.57 | 4.89 | 4.57 | 4.89 | 4.57 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
| Malabar Cancer Center | 0.11 | 0.10 | -0.93 | (23.79) | (0.82) | (23.69) | (0.82) | (23.69) | (0.82) | (23.69) | (0.82) | (23.69) |
| NRHM | 0.07 | 0.12 | 3.07 | 3.48 | 3.14 | 3.59 | 3.14 | 3.59 | 3.14 | 3.59 | 3.14 | 3.59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Other Projects | 1.36 | 1.25 | 14.17 | 14.08 | 15.54 | 15.33 | 15.54 | 15.33 | 15.54 | 15.33 | 15.54 | 15.33 |
| TRIDA | 0.37 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| Dental College Alappuzha | 0.44 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| ID South Total | 44.07 | 48.23 | 36.75 | 16.21 | 80.82 | 64.43 | 80.82 | 64.43 | 80.82 | 64.43 | 80.82 | 64.43 |
| PCD | | | | | | | | | | | | |
| AIIMS LIKE INSTITUTE | 98.69 | 117.19 | 102.35 | 99.25 | 201.04 | 216.44 | 201.04 | 216.44 | 201.04 | 216.44 | 201.04 | 216.44 |
| Central drug standard control organization | 8.20 | 13.92 | 3.62 | 2.91 | 11.83 | 16.83 | 11.83 | 16.83 | 11.83 | 16.83 | 11.83 | 16.83 |
| GMC&H NAGPUR | 9.98 | 9.29 | 5.47 | 5.53 | 15.44 | 14.83 | 15.44 | 14.83 | 15.44 | 14.83 | 15.44 | 14.83 |
| GMSD_COLD PCD | 11.74 | 11.31 | 0.21 | 0.20 | 11.94 | 11.50 | 11.94 | 11.50 | 11.94 | 11.50 | 11.94 | 11.50 |
| Govt. National capital territory, delhi | 8.06 | 7.71 | 7.86 | 7.92 | 15.92 | 15.62 | 15.92 | 15.62 | 15.92 | 15.62 | 15.92 | 15.62 |
| IMMUNIZATION | 43.03 | 35.04 | 1.48 | 1.13 | 44.50 | 36.17 | 44.50 | 36.17 | 44.50 | 36.17 | 44.50 | 36.17 |
| International Institute of Population Sciences | 3.19 | 3.05 | 0.10 | 0.15 | 3.29 | 3.21 | 3.29 | 3.21 | 3.29 | 3.21 | 3.29 | 3.21 |
| Municipal corporation of delhi | 1.47 | 2.94 | 3.56 | 2.73 | 5.03 | 5.67 | 5.03 | 5.67 | 5.03 | 5.67 | 5.03 | 5.67 |
| NACO PCD | 2.72 | 2.62 | 1.03 | 1.03 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.65 |
| Other Projects | 38.27 | 37.18 | 12.99 | 8.38 | 51.25 | 45.56 | 51.25 | 45.56 | 51.25 | 45.56 | 51.25 | 45.56 |
| PGIMS Rohtak | 18.03 | 18.83 | 2.43 | 2.52 | 20.47 | 21.34 | 20.47 | 21.34 | 20.47 | 21.34 | 20.47 | 21.34 |
| PMSSY PCD | 76.10 | 72.02 | 23.26 | 24.23 | 99.36 | 96.26 | 99.36 | 96.26 | 99.36 | 96.26 | 99.36 | 96.26 |
| PCD Total | 319.47 | 331.10 | 164.35 | 155.98 | 483.83 | 487.08 | 483.83 | 487.08 | 483.83 | 487.08 | 483.83 | 487.08 |
| Vaccine Projects | 1.37 | 3.93 | 3.39 | 2.38 | 4.77 | 6.31 | 4.77 | 6.31 | 4.77 | 6.31 | 4.77 | 6.31 |
| MCS & AIIA Project | 278.34 | 777.81 | 5.41 | (754.22) | 283.74 | 23.59 | 283.74 | 23.59 | 283.74 | 23.59 | 283.74 | 23.59 |
| Grand Total | 782.86 | 1,305.75 | 232.08 | (544.89) | 1,014.93 | 760.86 | 1,014.93 | 760.86 | 1,014.93 | 760.86 | 1,014.93 | 760.86 |

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड,

पूजप्पुरा, केरल-695012 के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अन्य मामले भाग के तहत पैरा 24 में दिए गए कारणों के लिए यूडीआईएन 23205660बीजीएसटीई5899 के साथ दिनांक 06.09.2023 की रिपोर्ट को संशोधित करके जारी किया गया है और इसे उपरोक्त यूडीआईएन वाले वित्तीय विवरणों में संदर्भित सम तिथि की रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है।

प्रतिबंध राय

- हमने एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ("धारण कंपनी"), इसकी सहायक कंपनियों (धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी दोनों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यम के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक के समेकित तुलन-पत्र लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ, नकदी प्रवाह विवरण, सार्थक लेखांकन नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश (बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) समाविष्ट हैं।
- हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिबंध राय के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, प्रतिबंध विचार के पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके में देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (इंड एस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों, 31 मार्च 2023 तक की ग्रुप के कार्यों की समेकित स्थिति में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनकी समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन एवं समेकित नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है।

प्रतिबंध राय के लिए आधार

- निम्नलिखित दो मामलों को छोड़कर धारण कंपनी और इसकी सहायक कंपनियाँ समान लेखांकन नीतियों का पालन करती है :
 - समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं.1.5 के अनुसार, जो ग्रुप की अमूर्त परिसंपत्तियों के रख-रखाव का वर्णन करता है, ट्रेडमार्क/पेटेंट को 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। हालांकि, गोवा एंटीबायोटेक्स और फामस्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक सहायक कंपनी के मामले में ट्रेडमार्क खर्चों को मान्यता की तारीख से 10 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं.1.3 के अनुसार, जो ग्रुप की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रख-रखाव का वर्णन करता है, मूल्यहास संयंत्र एवं मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधे रेखा विधि और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास मूल्यविधि (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रभारित किया जाता है ताकि कोई भी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित उपयोगी कार्यकाल के उन परिसंपत्तियों को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर लागत के 5% अवशेष मूल्य बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बढ़े खाते में डालना है। हालांकि, गोवा एंटीबायोटेक्स और फामस्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक सहायक कंपनी के मामले में, सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास को मान्यता दी जाती है ताकि परिसंपत्तियों की लागत (पूर्ण स्वामित्व भूमि, पट्टे पर भूमि, पट्टे पर सुधार और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा) को सीधे-रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी कार्यकाल पर उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम किया जा सके।

Independent Auditor's Report

To the Members of HLL Life care Limited
Poojapura, Kerala-695012

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Issued by revising the report dated 06.09.2023 with UDIN 23205660BGSTAE5899 for the reasons given in para 24 under Other Matters section and this may be treated as the report of even date referred in the financial statements bearing the aforementioned UDIN.

QUALIFIED OPINION

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of HLL Life care Limited ("the Holding Company"), its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") and its joint venture which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Consolidated Statement of changes in Equity and the Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "Consolidated Financial Statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the Consolidated State of Affairs of the Group as at 31st March 2023, its Consolidated Profit, Consolidated Total Comprehensive Income, the Consolidated Changes in Equity and its Consolidated Cash Flows for the year ended on that date.

BASIS OF QUALIFIED OPINION

3. The Holding company and its subsidiaries follow the same accounting policies except for the following three cases :
 - i. As per Note No.15 of Consolidated Financial Statements, which describes treatment of Group's intangible assets, Trademark/Patents are amortized over a period of 5 years. However, in the case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, trademark expenses are amortized over a period of 10 years from the date of recognition.
 - ii. As per Note No.1.3 of Consolidated Financial Statements which describes treatment of Group's Property, Plant and Equipment, depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice. However, in case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, depreciation for all assets is recognized so as to write off the cost of assets (other than freehold land, leasehold land, leasehold improvements and properties under construction) less their residual values over their useful lives, using straight-line method.

- iii. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 1.10 के अनुसार, ग्रुप ने व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) भत्ते को मापने के लिए एक मॉडल अपनाया है, जो क्रेडिट हानियों की संभावना-भारित अनुमान के रूप में अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निर्धारित करता है। हालाँकि, एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वोसिस लिमिटेड (हाइट्स), एक सहायक कंपनी के मामले में, संदिग्ध ऋण का प्रावधान सरकारों या संबंधित एजेंसियों या संस्थानों के संबंध में किया जाता है, यदि परिस्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि प्राप्य की प्राप्ति संदिग्ध है और निजी और अन्य ग्राहक से व्यापार प्राप्य को संदिग्ध माना जाएगा यदि बिलिंग तिथि से 3 साल के भीतर इसकी वसूली नहीं की जाती है।

पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त तीन भिन्नताओं के प्रभाव का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं।

4. हम आपका ध्यान एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा राय की निम्नलिखित योग्यता की ओर आकर्षित करते हैं, जो हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है ;

- i. गैर-चालू कर परिसंपत्ति (नोट :8) में विभिन्न तृतीय पार्टियों द्वारा कंपनी को किए गए भुगतान के स्रोत पर काटा गया कर शामिल है। चूँकि, नोट 8 में बताए जैसे, फॉर्म 26 एस में उपलब्ध डाटा के साथ इसका मिलान पूरा नहीं हुआ है, हम उक्त राशि की वसूली के विस्तार पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

- ii. अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 14) में रु.124.99 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी)/वैट/एसटी इनपुट शामिल है। चूँकि हिसाब-किताब और बही-खातों और जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध डेटा के अनुसार इनपुट क्रेडिट का मिलान कंपनी द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उपरोक्त राशि की उचित सटीकता का आकलन हमारे द्वारा नहीं किया जा सका है।

5. हम गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा राय की निम्नलिखित योग्यता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा दिनांक 23.08.2023 की रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई है, को संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ के लिए उपयुक्त संशोधन के साथ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है ;

- i. कंपनी ने इंड ए एस -109 वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्याशित क्रेडिट हानि को नहीं मापा है। प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ प्रतिबिंबित करने के लिए मापन करना अपेक्षित है।

(क) एक निष्पक्ष संभावित-भारित राशि जो संभावित परिणामों की एक श्रृंखला का मूल्यांकन करके निर्धारित की जाती है।

(ख) धन का सामयिक मूल्य; और

(ग) पिछली घटनाओं, वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में पूर्वानुमानों के बारे में रिपोर्टिंग तिथि पर अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध उचित और समर्थन योग्य जानकारी।

- ii. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 10 के अनुसार जीएपीएल के रु. 28 करोड़ के व्यापार प्राप्तियों (अतीत में प्रदत्त प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए निवल भत्ता) में से,

क) जिसने एनसीएलटी के समक्ष इन्सॉल्वेंसी याचिका दायर की थी उन पार्टियों से रु. 4.30 करोड़ प्राप्य है।

ख) अदालतों के समक्ष रु. 0.70 करोड़ का विवाद है और,

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, रु.2.74 करोड़ की अन्य प्राप्ति की वसूली भी संदिग्ध है।

यदि उपर्युक्त प्रावधानों को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई होती, तो व्यापार प्राप्य राशि रु.7.74 करोड़ कम होती और समेकित वित्तीय विवरण के नोट सं. 16- अन्य इक्विटी का शेष (आरक्षित एवं अधिशेष) और गैर नियंत्रित ब्याज, अधिकारियों और अल्पसंख्यक हित के कारण रु.7.74 करोड़ के संबंधित शेयर से कम/(अधिक) होता।

- iii. एसएलएम के तहत मूल्यहास के लिए प्रावधान पिछले वर्ष को छोड़कर अपने उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की कुल लागत पर गणना की जाती है, जहाँ शेष राशि में संपत्ति की लागत का 5% से ऊपर छोड़ दिया जाता है। यह तरीका अधिनियम की अनुसूची II की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। वर्ष के लिए इसी के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है।

पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त प्रतिबंधों के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।

iii. As per Note No.110 of Consolidated Financial Statements, the Group has adopted a model for measuring lifetime expected credit loss (ECL) allowance for trade receivables, which determines the expected credit losses as the probability-weighted estimate of credit losses. However, in the case of HLL Infra Tech Services Limited (HITES), a subsidiary, the provision for doubtful debt are made in respect of governments or relates agencies or institutions if circumstances evident that the realization of receivable are doubtful and trade receivable from private and other client will be considered as doubtful if the same is not realized within 3 years from billing date.

In the absence of sufficient data, we are unable to quantify the impact of the above three deviations on the Consolidated Financial Statements.

4. We draw your attention to the following qualification to the audit opinion of the financial statements of HLL Lifecare Limited, the Holding Company issued vide our report of even date, reproduced as under ;

i. Non-Current Tax Asset (Note: 8) include Tax deducted at Source on the payments made to the company by various third parties. Since, as disclosed in Note 8, reconciliation of the same with the data available in Form 26AS is not complete, we are unable to express an opinion on extend of the realisability of the said amount.

ii. Other current assets (Note 14) include the Goods and Service Tax (GST) / VAT/ ST input of Rs 124.99 Cr. Since the reconciliation of the input credit as per books of accounts and Ledgers and data available in the GST portal is not yet completed by the company, the reasonable accuracy of the aforesaid amount could not be assessed by us.

5. We draw attention to the following qualification to the audit opinion of the financial statements of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary issued by an independent firm of Chartered Accountants vide its Report dated 23.08.2023 reproduced as under with suitable modification for the reference to the accompanying financial statements;

i. The Company has not measured expected credit losses of financial assets as per requirements of IND-AS 109 Financial Instruments. Expected credit losses are required to be measured to reflect;

(a) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;

(b) the time value of money; and

(c) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

ii. Out of Trade Receivables of GAPL (net of allowance for expected credit loss provided in the past) of Rs. 28 Crore included in Note No.10 of consolidated financial statements;

a. Rs.4.30 Crores is receivable from parties who filed insolvency petitions before the NCLT,

b. Rs.0.70 Crores are contested before Courts and,

c. As per the information and explanations given to us, other receivables of Rs.2.74 Crores are also doubtful of recovery.

Had the aforesaid provisions been recognised in the financial statements, Trade Receivables would have been lower by Rs. 7.74 crores and balance of Other Equity (Reserves and Surplus) – Note No. 16 to consolidated financial statement and non-controlling interest would have been lower/(higher) by respective share of Rs.7.74 crores attributable to owners and minority interest.

iii. Provision for Depreciation under SLM is computed on total cost of an asset over its useful Life except the last year wherein the balance amount left out above 5% of the cost of the asset is provided. This method is not as per the requirements of Schedule II of the Act. Effect of the same for the year is not ascertained.

In the absence of sufficient data, we are unable to quantify the impact of the above qualifications on the Consolidated Financial Statements.

6. हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षक के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिबंध राय को एक आधार देने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

7. हम नीचे दिए गए विस्तृत मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
- एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड, एक सहायक कंपनी की हड़ताल की स्थिति पर समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 2.17 और ग्रूप के समेकन से इसको निकाल देना।
 - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.1, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, विकास अधिनियम की धारा 16 के अधीन ब्याज से संबंधित कार्य का वर्णन करता है।
 - टिप्पणी सं. 2.30 समेकित वित्तीय विवरणों की शेष राशि और सुलह की पुष्टि।
 - गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) के संबंध में, घटक लेखापरीक्षक ने दिनांक 23.08.2023 के अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ के लिए उपयुक्त संशोधन के साथ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है।
 - रु. 0.10 करोड़ की पूंजी कार्य प्रगति, ट्रेड मार्क्स के पंजीकरण के प्रति भुगतान की गई राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह के ट्रेडमार्क के नवीकरण का दस्तावेजी प्रमाण कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि को अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकृत या परिशोधित नहीं किया जाता है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 3 देखें)
 - शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्रों को व्यापार प्राप्तियों के चार पार्टियों और व्यापार भुगतान के दस पार्टियों को भेजा गया था, लेकिन केवल एक ने जवाब दिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्रों को व्यापार प्राप्तियों और व्यापार भुगतान के अन्य पार्टियों को, ऋण और अग्रिम, दावा और अग्रिम आपूर्तिकारों को नहीं भेजा गया था (समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 2.30 देखें)।
8. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (हाइट्स) के संबंध में, घटक लेखापरीक्षक ने दिनांक 07.08.2023 के अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ के लिए उपयुक्त संशोधन के साथ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण नोटों की टिप्पणी 2.6 (च)(ii) जो सीएसआर के रु. 0.50 करोड़ की राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में जमा किए जाने के संबंध में है क्योंकि कंपनी के पास सीएसआर की कोई चालू परियोजना नहीं है।
 - निष्पादन संबंधी भुगतान के संबंध में व्याख्यात्मक/स्पष्टीकरण नोटों की टिप्पणी 2.35, वित्तीय वर्ष के दौरान पीआरपी के लिए रु.1.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
 - व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण नोटों की टिप्पणी 2.37 जो कि रु.60.65 करोड़ (लगभग) के जीएसटी इनपुट क्रेडिट के बारे में है जो कंपनी के जीएसटीआर 2 बी में प्रतिबिंबित हो रहा है, हालांकि कंपनी द्वारा दावा नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी यह दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
 - व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण नोटों की टिप्पणी 2.38 जो परियोजना संचालन अग्रिम और अल्पकालिक जमा राशियों पर ब्याज से संबंधित रु. 3.16 करोड़(लगभग) के ऊपर टीडीएस प्राप्य का दावा करने के बारे में है जो कंपनी की आय नहीं परियोजना निधि का हिस्सा है।
 - हाइट्स ने वर्ष के दौरान प्रापण एवं परामर्श प्रभाग (पीसीडी) और अवसंरचना प्रभाग (आईडी) के अधीन परियोजनाएँ शुरू की है। ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत, कंपनी किसी निर्दिष्ट वस्तु या सेवा, ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले उस वस्तु या सेवा को नियंत्रित करती है,

6. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the Consolidated Financial Statements.

EMPHASIS OF MATTER

7. We draw attention to the matters detailed below.
- i. Note No.217 of the Consolidated Financial Statements on the status of the strike of process of HLL Mother & Child Care Hospitals Limited, a subsidiary, and exclusion of it from the consolidation of the Group.
 - ii. Note No 21 of the Consolidated Financial Statements, which describes the practice regarding provisioning of interest under section 16 of the Micro, Small & Medium Enterprises, Development Act.
 - iii. Note No 2.30 of the Consolidated Financial Statements on the confirmation of balance and reconciliation.
 - iv. As regard to Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), the component auditor has drawn attention the following matters in their independent auditors report dated 23.08.2023, which are reproduced as under with suitable modification for the reference to the accompanying financial statements:
 - a) Capital work-In-Progress of Rs. 0.10 crores represents amount paid towards registration of trademarks. Documentary proof of renewal of such trademarks is not received by the Company. Accordingly, the said amount is not capitalized under intangible assets or amortized. (Refer Note No.3 to the consolidated financial statements)
 - b) Letters asking confirmation of balances were sent to four parties of Trade Receivables and ten parties of Trade Payables but only one has responded. Except as stated above, letters asking confirmation of balances were not sent to other parties of Trade Receivables and Trade Payables, Loans and Advances, Claims and Advances to Suppliers. (Refer Note No.2.30 to the consolidated financial statements).
8. As regard to HLL Infra Tech Services Limited (HITES), the component auditor has drawn attention the following matters in their independent auditors report dated 07.08.2023, which are reproduced as under with suitable modification for the reference to the accompanying financial statements:
- a) Note 2.6.(f)(ii) of Explanatory/ Clarificatory notes regarding CSR to be deposited in fund specified in Schedule VII amounting to Rs 0.50 crores as the company does not have any ongoing projects of CSR.
 - b) Note 2.35 of Explanatory/Clarification notes regarding Performance Related Payment (PRP), a provision of Rs. 1.49 Crores has been made for PRP during the financial year.
 - c) Note 2.37 of Explanatory/ Clarificatory notes regarding GST input credit of Rs.60.65 crores (approx.) which is reflected in GSTR 2B of the Company. However, not claimed by the company as company is not eligible to claim this.
 - d) Note 2.38 of Explanatory/ Clarification notes regarding claiming of TDS receivable of Rs 3.16 Crores (approx.) pertaining to interest on Project's mobilization advances and short-term deposits which is part of project funds and not income of the company.
 - e) HITES has undertaken projects under Procurement & Consultancy Division (PCD) and Infrastructure Division (ID), during the year. Under such projects, the company controls the specified good or service before that good or service is transferred to a customer, and hence the nature of its promise is a performance

और अतः इसके वादे की प्रकृति निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक निष्पादन दायित्व है (यानी कंपनी एक प्रमुख है)। हालाँकि कंपनी ने प्रतिफल की सकल राशि में राजस्व को मान्यता नहीं दी है जिससे वह हस्तांतरित निर्दिष्ट वस्तु या सेवा के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करता है। वित्तीय विवरणों के व्याख्यात्मक/स्पष्टीकरणात्मक नोटों की टिप्पणी 2.39 में कहे जैसे, पीसीडी और आईडी के तहत परियोजनाओं के मामले में, कंपनी ने शुद्ध एजेंट के रूप में अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार केवल परामर्श शुल्क को लेनदेन मूल्य के रूप में माना है, क्योंकि पूरी सामग्री एमओएचएफडब्लियु की ओर से उसके जीएसटीआईएन और आईईसी कोड का उपयोग करके कंपनी द्वारा क्रय/आयात की जा रही है और उक्त सामग्री की आपूर्ति सीधे संबंधित परियोजना स्थल पर की जा रही है। कंपनी के लाभ पर उक्त लेनदेन का प्रभाव शून्य है। इससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित इंड एस 115 के अनुसार लेनदेन मूल्य और कंपनी द्वारा विचार किए गए लेनदेन मूल्य पर मतभेद होता है। तदनुसार, स्थानीय स्तर पर खरीदी गई और आयातित सामग्री की लागत केवल लेखांकन के उद्देश्य से लेनदेन मूल्य का हिस्सा होनी चाहिए। अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय, हमने विशेष रूप से कंपनी के प्रापण एवं परामर्श प्रभाग और अवसंरचना प्रभाग के मामले में राजस्व मान्यता के लेखांकन उपचार के विषय पर विशेषज्ञों से कंपनी द्वारा प्राप्त राय पर भरोसा किया है।

9. उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

लाभकारी संस्था से संबंधित संगत अनिश्चितता

10. गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) के संबंध में, घटक लेखापरीक्षक ने दिनांक 23.08.2023 के अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों और कंपनी के संदर्भ के लिए उपयुक्त संशोधन के साथ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है।

घटक लेखापरीक्षक ने संलग्न वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 2.16 की ओर आपका ध्यान देता है, जिसमें बताया गया है कि जीएपीएल को 2018-19 से लगातार नकद हानि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक निवल लाभ हुआ है। जीएपीएल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रु.5.25 करोड़ की निवल हानि (अन्य व्यापक आय के बाद) हुई है और उस तारीख के अंत तक, जीएपीएल की संचित हानि रु. 41.57 करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के निवल मूल्य में पूरी तरह से गिरावट आई है और जीएपीएल की वर्तमान देनदारियाँ 31 मार्च, 2023 तक इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से रु.13.95 करोड़ बढ़ गई हैं। विभिन्न पक्षों को भुगतान की शर्तों पर पुनः बातचीत सहित उपरोक्त टिप्पणी में उल्लिखित इन शर्तों और अन्य मामलों में प्रबंधन का मानना है कि लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान उचित है।

उपरोक्त के संबंध में, घटक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्य में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल थीं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थीं:

- उन घटनाओं या स्थितियों की पहचान के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की जो जीएपीएल की एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर और ऐसी प्रत्येक घटना या स्थिति की ओर मौजूदा संबंधित शमन कारकों का आकलन करने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।
- जीएपीएल की प्रबंधन से उनकी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं के आधार पर अगले बारह महीनों के लिए नकदी प्रवाह अनुमान प्राप्त हुआ;
- अगले बारह महीनों के लिए नकदी प्रवाह अनुमानों का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मान्यताओं और अनुमानों को समझने के लिए जीएपीएल के प्रबंधन कर्मियों के साथ चर्चा की गई;
- ऐतिहासिक डेटा ट्रेंड्स, भविष्य के ट्रेंड्स, मौजूदा स्थितियों और व्यावसायिक योजनाओं के आधार पर राजस्व में अपेक्षित वृद्धि, लागत में अपेक्षित बचत आदि जैसी प्रमुख धारणाओं की तार्किकता का मूल्यांकन किया गया;
- गणनाओं की अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया; और
- लागू लेखांकन मानकों के अनुसार इस मामले के संबंध में जीएपीएल के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

obligation to provide the specified goods or services itself (i.e. the company is a principal). The company, however, has not recognized revenue in the gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for the specified good or service transferred. As stated in the Note 2.39 of Explanatory /Clarificatory notes. to the Financial Statements, in case of projects under PCD & ID, the company has considered only Consultancy Fee as Transaction Value as per the terms of contract considering its status as Pure Agent as the entire material is being purchased / imported by the company on behalf of MoHFW (Govt. of India) by using its GSTIN& IEC Code and the said material is being supplied directly at the site of the respective project. The impact of the said transactions on the profit of the company is Nil. This constitutes a difference of opinion on transaction value as per Ind AS115 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and the transaction value considered by the company. Accordingly, the cost of material purchased locally & imported should form a part of Transaction Value for the purpose of accounting only. While framing our Audit Report, we have relied upon the opinions obtained by the Company from the experts on the subject on accounting treatment of Revenue Recognition specifically in case of Procurement & Consultancy Division and Infrastructure Division of the company.

9. Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Material Uncertainty related to Going Concern,

10. As regard to Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), the component auditor has drawn attention the following matters in their independent auditors report dated 23.08.2023, which is reproduced as under with suitable modification for the reference to the accompanying financial statements and to the company;

‘Component auditor is drawing attention to Note No. 2.16 to the accompanying financial statements which describes that the GAPL has incurred continuous cash losses since 2018-19 which resulted in negative networth. The GAPL has incurred a net loss (after other comprehensive income) of Rs.5.25 crores for the year ended March 31,2023 and as at the end of that date, the GAPL’s accumulated losses amounts to Rs.41.57 crores which resulted in complete erosion of net worth of GAPL and the current liabilities have exceeded its current assets by Rs.13.95 crores as at March 31,2023.These conditions and other matters set forth in the aforesaid note including re-negotiation of payment terms to various parties, management is of the view that the going concern basis of accounting is appropriate.

In relation to the above, the component auditor’s audit work included, but was not restricted to, following procedures:

- Obtained an understanding of the management’s process for identification of events or conditions that may cast significant doubt over the GAPL’s ability to continue as a going concern and the process to assess the corresponding mitigating factors existing against each such event or condition;
- Obtained the cash flow for the next twelve months from the GAPL’s management, basis their future business plans;
- Held discussion with the GAPL’s management personnel to understand the assumptions used and estimates made by them for determining the cash flow projections for the next twelve months.
- Evaluated the reasonableness of the key assumptions such as expected growth in the revenue, expected savings in cost etc, based on the historical data trends, future trends, existing conditions and business plans;
- Tested arithmetical accuracy of the calculations; and
- Evaluated the appropriateness and adequacy of disclosures in the GAPL’s financial statements with respect to this matter in accordance with applicable accounting standards.

Our opinion is not modified in respect of this matter.’

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

11. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

धारण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियाँ, जैसा कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सहायक कंपनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में रिपोर्ट की गई है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला विवरण

कंपनी की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है, जैसे कि एक जोखिम विद्यमान है जो आईटी नियंत्रण वातावरण में, अंतराल बनाता है, के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। इसके अलावा, धारण कंपनी एसएपी ईआरपी समाधान के एक पुराने संस्करण का उपयोग कर रही है जिसे बहुत पहले लागू किया गया था रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कुछ स्तरों पर मैनुअल गणना की आवश्यकता होती है और इसलिए अब इसे पूर्ण विकसित एंड टु एंड समाधान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। धारण कंपनी द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर से डेटा जिनमें से कुछ कई स्थानों पर बड़े लेनदेन की मात्रा को संभाल रहे हैं, को भी एकीकरण इंटरफेस के माध्यम से एसएपी में केचर किया जाता है। एक व्यापक प्रणाली परीक्षण और वर्तमान सॉफ्टवेयर वातावरण की समीक्षा लंबित है। पुराने संस्करण के उपयोग, रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए मैनुअल गणना और हाल ही में व्यापक परीक्षण और समीक्षा के बिना कई सॉफ्टवेयर के उपयोग के कारण हमने आईटी सिस्टम और नियंत्रण को प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।

हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था

निष्पादित मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर यूजर एक्सेस प्रबंधन, मास्टर प्रबंधन परिवर्तन प्रबंधन, कर्तव्यों का अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम ऑप्लिकेशन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन, मास्टर प्रबंधन, कर्तव्यों के प्रबंधन अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम समाधान नियंत्रण और प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग ध्यान केंद्रित किया। हमने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन पर प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता और कर्तव्यों के अलगाव को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए निवारक नियंत्रणों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर संचालित प्रमुख नियंत्रणों के एक नमूने का परीक्षण किया। वित्तीय और रिपोर्टिंग प्रणालियों पर प्रमुख नियंत्रणों के एक चयनित समूह के लिए हमने स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया कि ये नियंत्रण वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहे या मानक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के पालन करके बदले गए। अन्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया उन में सुरक्षा कॉन्फिगरेशन और सिस्टम इंटरफेस नियंत्रण शामिल हैं।

हमने मैनुअल गणना क्षेत्रों की पहचान की है और अपनी राय बनाने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किया है। हमने प्रभारी नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में नमूनों का परीक्षण किया है।

ख. होल्लिंड कंपनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में हमारे द्वारा रिपोर्ट की गई आंतरिक नियंत्रण।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले का विवरण

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्लिंड कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में संगत कमज़ोरियों की पहचान की है। ये संगत कमज़ोरियाँ अनुबंध 1 में प्रस्तुत किए जैसे हमारी अलग रिपोर्ट के प्रतिबंध राय खंड में विस्तृत हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्लिंड कंपनी के

KEY AUDIT MATTERS

11. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the holding company of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole of the holding company, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

A. Key Information technology (IT) systems used in financial reporting process of the Holding Company, as reported by us in the auditors' report to the standalone financial statement as the independent auditor of the Holding company.

Key Audit Matter Description

The holding company's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being misstated. Also, the holding company is using an older version of the SAP ERP Solution implemented long back and hence could not be used now as a full-fledged end to end solution, necessitating manual calculations at certain levels for reporting purposes. Data from various other software used by the holding company, some of which are handling large transaction volumes at multiple locations, are also captured into SAP through integration interfaces. A comprehensive system testing and review of the present software environment is pending. We have identified 'IT systems and controls' as key audit matter of the holding company because of the use of older version, manual calculation for reporting purpose and the use of multiple software without a recent comprehensive test and review.

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

We focused on user access management, master management, change management, segregation of duties, system reconciliation controls and system application controls over key financial accounting and reporting systems.

We tested a sample of key controls operating over the information technology in relation to financial accounting and reporting systems, design and operating effectiveness of key controls over user access management and preventive controls designed to enforce segregation of duties. For a selected group of key controls over financial and reporting systems, we independently performed procedures to determine that these control remained unchanged during the year or were changed following the standard change management process. Other areas that were assessed included security configurations and system interface controls.

We have identified the manual calculation areas and performed additional test to obtain reasonable assurance to form our opinion. We have tested samples in key areas of concern to ensure the effectiveness of the control system in force.

B. Internal Control as reported by us in the auditors' report to the standalone financial statement as the independent auditor of the Holding company

Key Audit Matter Description

We have identified material weaknesses in the operating effectiveness of the holding Company's internal control over financial reporting. These material weaknesses are detailed in the Qualified Opinion section of our separate report,

आंतरिक नियंत्रण में संगत कमज़ोरियों का अस्तित्व अपने वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। ये कमज़ोरियाँ होल्टिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानियों को रोकने या उनका पता लगाने के लिए आवश्यक नियंत्रणों के कार्यान्वयन और निगरानी में कमियों का संकेत देती है।

पहचानी गई संगत कमज़ोरियों को देखते हुए, यह जोखिम बढ़ गया है कि होल्टिंग कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपने वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण गलत विवरण को रोकने या पता लगाने में विफल हो सकते हैं। आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता से त्रुटियों, चूकों या कपटपूर्ण गतिविधियों का समय पर पता न चलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके संभावित परिणाम वित्तीय विवरण में हो सकते हैं जो होल्टिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इन आंतरिक नियंत्रण संगत कमज़ोरियों के महत्व के कारण, हम उन्हें एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था

निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

इन संगत कमज़ोरियों के महत्व को देखते हुए, हम ने एक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण लागू किया है जो पहचानी गई संगत कमज़ोरियों को दूर करने पर केंद्रित है। हमने वित्तीय विवरणों पर इन संगत कमज़ोरियों के प्रभाव का आकलन करने और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण को रोकने या पता नहीं लगाए गए को निर्धारित करने के लिए व्यापक गहन परीक्षण किया है। हमने शेष राशि, लेन-देन और प्रकटीकरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए उन्नत ठोस प्रक्रियाएँ भी अपनाई जो पहचानी गई संगत कमज़ोरियों के कारण गलत विवरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

हालांकि हमारे लेखापरीक्षा ने वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण की पहचान नहीं की है, लेकिन संगत कमज़ोरियों की उपस्थिति के लिए जरूरी है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता सावधानी बरतें और होल्टिंग कंपनी की रिपोर्ट की गई वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता के संभावित प्रभाव पर विचार करें।

ग. एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (हाइट्स) के घटक लेखापरीक्षकों द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बतायी राजस्व मान्यता।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले का विवरण

इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। इंड एस 115 के लिए राजस्व को मान्यता देने की आवश्यकता होती है जब इकाई वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर स्थानांतरित करती है जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए इकाई उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व को अनुबंध के अनुसार प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। इंड एस 115 के कार्यान्वयन से हाइट्स की राजस्व मान्यता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

सेवाओं का प्रतिपादन :

सेवाओं से राजस्व तब पहचाना जाता है जब सेवाएँ अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं और जब परिणामी प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित होती है। अनुरक्षण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को अनुबंध की अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है। अवसंरचना विकास प्रभाग और प्रापण परामर्शदाता प्रभाग से संबंधित गतिविधियों से राजस्व को आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर निम्न जैसे मान्यता दी जाती है :

- क) टर्नकी अनुबंधों के मामले में सर्वेक्षण पद्धति के तहत अनुबंध मूल्य की प्रगति बिलिंग के आधार पर।
- ख) अन्य अनुबंधों के मामले में, संबंधित एजेंसियों के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार परामर्श शुल्क की बाध्यता पूरी होने के आधार पर। सुविधा प्रबंधन प्रभाग और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग प्रभाग से राजस्व ग्राहक को प्रदत्त सेवाओं के लिए ग्राहक के अनुमोदन के आधार पर पहचान की जाती है।

as presented in Annexure 1. The existence of material weaknesses in the holding Company's internal control over financial reporting poses a significant risk to the reliability and accuracy of its financial statements. These weaknesses indicate deficiencies in the implementation and monitoring of controls necessary to prevent or detect material misstatements in the financial statements of the holding Company.

Given the identified material weaknesses, there is an elevated risk that the holding Company's internal financial controls may fail to prevent or detect material misstatements in its financial statements. The inadequacy of internal controls increases the probability of errors, omissions, or fraudulent activities not being detected in a timely manner. This could potentially result in financial statements that do not fairly present the financial position, results of operations, and cash flows of the holding Company.

Due to the significance of these internal control material weaknesses, we consider them to be a key audit matter.

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

Given the significance of these material weaknesses, we have implemented an audit approach that focuses on addressing the identified material weaknesses. We performed extensive in- depth testing to assess the impact of these material weaknesses on the financial statements and to determine whether any material misstatements were not prevented or detected by the internal controls. We also carried out enhanced substantive procedures to independently verify balances, transactions, and disclosures that are most susceptible to misstatement due to the identified material weaknesses.

While our audit did not identify any material misstatements in the financial statements, the presence of material weaknesses necessitates that users of the financial statements exercise caution and consider the potential impact on the reliability of the reported financial information of the holding company.

C. Revenue Recognition as reported in the auditors' report to the standalone financial statement by component auditors of HLL Infra Tech Services Limited (HITES).

Key Audit Matter Description

IND AS 115 - Revenue from Contracts with customers is effective from 01st April 2018. IND AS 115 requires revenue to be recognized when the entity transfers the control of goods or services to customer at an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable as per contract. The implementation of IND AS 115 has not significantly impacted the revenue recognition of HITES.

Rendering of services:

Revenue from services is recognized when the services are rendered in accordance with the specific terms of contract and when collectability of the resulting receivable is reasonably assured. Revenues from maintenance contracts are recognized pro rata over the period of the contract. Revenue from Infrastructure development division and Procurement Consultancy division related activities are recognized on proportionate completion method as follows:

- a. In case of turnkey contracts, on the basis of progress billing to the contract value under Survey method.
- b. In the case of other contracts, on the basis of completion of obligation of the consultancy fee as per the terms of contract with the agencies concerned. Revenue from the Facility Management Division and Bio Medical Engineering division is recognized based on the approval of the client for the services rendered to the client.

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्व में हाइट्स के प्रचालन से जुड़ी सहायक गतिविधियों से होनेवाली आय शामिल है और इसे तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार कायम हो जाता है। निविदा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य आय : ब्याज

ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है। (बशर्त यह संभव है कि आर्थिक लाभ हाइट्स को प्राप्त होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।)

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

घटक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ (1) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान (2) यह निर्धारित करना कि क्या हाइट्स एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और (3) क्या निश्चित मूल्य अनुरक्षण राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है या संपूर्ण पद्धति की प्रतिशतता का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को शामिल किया गया है, से संबंधित हैं।

- घटक लेखापरीक्षक ने (क) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान (ख) यह निर्धारित करना कि क्या हाइट्स एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और (ग) यह निर्धारित करना कि क्या कुछ अनुबंधों के लिए निश्चित मूल्य अनुरक्षण राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है या संपूर्ण पद्धति की प्रतिशतता का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है, से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।
- घटक लेखापरीक्षक ने ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं :
 - प्रत्येक चयन के लिए मास्टर सेवा समझौते और अन्य दस्तावेज़ जैसे अनुबंध दस्तावेज़ों, जो समझौते का हिस्सा थे, को प्राप्त किया और पढ़ा।
 - प्रबंधन के निम्न निष्कर्षों के आकलन करने के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और सुपुर्दगी योग्य की पहचान की गई
 - (i) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान ;
 - (ii) क्या हाइट्स एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है; और
 - (iii) क्या निश्चित मूल्य अनुरक्षण राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर या संपूर्ण पद्धति की प्रतिशतता का उपयोग करके पहचाना जाता है।

घ) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (हाइट्स) के घटक लेखापरीक्षकों द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताई गई परिसंपत्तियों की हानि।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले का विवरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी सभी परिसंपत्तियों (वित्तीय और गैर वित्तीय) के मूल्य में हानि के संकेत का आकलन करती है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं पाई जाती है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

घटक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और घटक लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- इंड एस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के अनुसार हानि के संबंध में ग्रुप की लेखांकन नीतियों को पढ़ें।

Other Operating Revenues:

Other operating revenue comprises of income from ancillary activities incidental to the operations of HITES and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract. The revenue from sale of tender is recognized on cash basis.

Other Income: Interest

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable (provided that it is probable that the economic benefits will flow to HITES and the amount of income can be measured reliably).

Auditor's Response

Principal Audit Procedures Performed

Component auditor's audit procedures related to the (1) identification of distinct performance obligations, (2) determination of whether HITES is acting as a principal or agent and (3) whether fixed price maintenance revenue is recognized on a straight-line basis or using the percentage of completion method included the following. Among others:

- Component Auditor tested the effectiveness of controls relating to the (a) identification of distinct performance obligations, (b) determination of whether HITES is acting as a principal or an agent and (c) determination of whether fixed price maintenance revenue for certain contracts is recognized on a straight-line basis or using the percentage of completion method.
- Component Auditor selected a sample of contracts with customers and performed the following procedures:
 - Obtained and read contract documents for each selection, including master service agreements, and other documents that were part of the agreement.
 - Identified significant terms and deliverables in the contract to assess management's conclusions regarding the
 - (i) Identification of distinct performance obligations;
 - (ii) Whether HITES is acting as a principal or an agent; and
 - (iii) Whether fixed price maintenance revenue is recognized on a straight-line basis or using the percentage of completion method.

D. Impairment of Assets as reported in the auditors' report to the standalone financial statement by component auditors of HLL Infra Tech Services Limited (HITES)

Key Audit Matter Description

At the end of each reporting period, the company assesses indication of impairment in the carrying value of all the Assets (Financial & Non Financial) and for the FY 2022-23, no impairment in carrying value of Assets is found.

Auditor's Response

Principal Audit Procedures Performed

Component Auditor's audit procedures and procedures performed by component auditors included the following:

- Read the Group's accounting policies with respect to impairment in accordance with Ind AS 36 "Impairment of assets".

- साक्ष्यों के निरीक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों के लेखांकन, मूल्यांकन और पुनर्प्राप्ति से संबंधित प्रमुख वित्तीय नियंत्रणों पर नियंत्रण का परीक्षण करना।
- निम्नलिखित सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ निष्पादित करना :
 - प्रबंधन की हानि का मूल्यांकन प्राप्त करना।
 - अनुमानित उत्पादन, कोयले की कीमतें, विनिमय दर, बिजली खरीद समझौते की अवधि के बाद ऊर्जा की कीमतें और पूँजी की भारित औसत लागत सहित प्रमुख मान्यताओं का पूर्व वर्षों और बाहरी डेटा, जहाँ उपलब्ध हो, के साथ तुलना करके मूल्यांकन करना।
 - संवेदनशीलता विश्लेषण प्राप्त करना और उसका मूल्यांकन करना।
 - इंड एस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण का आकलन करना।

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना

12. धारण कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।
13. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढ़ें, और ऐसे करने में उस बात पर विचार करें कि समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई प्रमुख गलत विवरण है, तो हमें शासन के साथ प्रभारित लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध और अभिशासन के साथ प्रभारितों का उत्तरदायित्व

14. धारक कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में ("अधिनियम") अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) शामिल करके भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, समेकित नकदी प्रवाह और कंपनी की समेकित इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में ग़ुप और उसके संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और समेकित भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था विवरण से मुक्त है।

- Performing test of controls over key financial controls related to accounting, valuation and recoverability of assets through inspection of evidence.
- Performing substantive audit procedures including:
 - Obtaining the managements impairment assessment
 - Evaluating the key assumptions including projected generation, coal prices, exchange rate, energy prices post power purchase agreement period and weighted average cost of capital by comparing them with prior years and external data, where available.
 - Obtaining and evaluating the sensitivity analysis
 - Assessing the disclosures in accordance with the requirements of Ind AS 36 "Impairment of assets".

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

12. The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors Report including the annexures to Directors' Report; Secretarial audit Report, Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.
13. In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

14. The Holding Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance including Consolidated other comprehensive income, Consolidated cash flows and Consolidated change in equity of the Group and its joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and of its joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

15. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल को चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए ग्रूप की क्षमता का आकलन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।
16. ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

17. हमारा लक्ष्य है, धोखाधड़ी या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएसके के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख अयथार्थ विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।
18. एसएसके के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेह का अनुरक्षण किया है। हम भी :
- समेकित वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचानने और आकलन करें चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
 - परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है कि धारण कंपनी को वित्तीय विवरण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।
 - उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाये गये लेखांकन आकलन और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें। समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रूप और उसका संयुक्त जोखिम के अंतर्गत संस्थानों या व्यावसायिक कार्याकलापों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट अन्य संस्थाओं के लिए, जिनको अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
 - लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की ग्रूप और उसके समयुक्त उद्यम की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होगा या यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्तें ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम को एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने में नुकसान होने के कारण बंद कर सकता है।

15. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its joint venture is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
16. The respective Board of Directors of companies included in the Group and of its joint venture are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

17. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the Consolidated Financial Statements.
18. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Holding Company has adequate internal financial controls with reference to the financial statement in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its joint venture to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements for which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audit carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's and of its joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its joint venture to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यदि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक कार्याकलापों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट ऐसे संस्थाओं के वित्तीय विवरणों /वित्तीय सूचनाओं की लेखपरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट अन्य संस्थाओं के लिए, जिनको अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, इस तरह के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकक्षणों के निर्देशन लेखपरीक्षा के पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' के शीर्षक वाले खंड में किया गया है।
- 19. भौतिकत्व समेकित वित्तीय विवरणों के अयथार्थ विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित हो सकते हैं।
- 20. हम धारण कंपनी के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय और अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- 21. हम धारण कंपनी के अभिशासन से प्रभारित लोगों को एक विवरण प्रयास करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उनको सूचित करना।
- 22. हम धारण कंपनी के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व थे और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

अन्य मामले

- 23. हम ने 2 सहायक कंपनियों से संबंधित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण में - 31 मार्च 2023 तक रु. 4133.34 करोड़ की कुल परिसत्तियाँ शामिल है, उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए रु. 414.80 करोड़ की कुल राजस्व और रु. 30.49 करोड़ का निवल नकद प्रवाह और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 0.16 करोड़ निवल लाभ का ग्रुप शेयर दर्शाता है। ये वित्तीय विवरण और वित्तीय सूचना अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण अन्य वित्तीय सूचना और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक कि उन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक कि यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, और नीचे अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों में संशोधित नहीं है।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial statements / financial information of such entities or business activities within the Group and its subsidiaries, associates and joint ventures to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements / financial information of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in the section titled 'Other Matters' in this audit report
19. Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced.
 20. We communicate with those charged with governance of the Holding Company of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 21. We also provide those charged with governance of the Holding Company with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 22. From the matters communicated with those charged with governance of the Holding Company, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

23. We did not audit the financial statements and other financial information, in respect of 2 subsidiaries whose financial statements include total assets of Rs. 4133.34 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 414.80 crore and net cash outflow of Rs. 30.49 crore for the year ended on that date and financial statements and other financial information of joint venture which reflects Group's share of net profits of Rs. 0.16 crore for the year ended March 31, 2023. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors, whose financial statements, other financial information, and auditor's report have been furnished to us by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture, and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and joint venture, is based solely on the reports of such other auditors. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

24. यह रिपोर्ट हमारी पिछली रिपोर्ट दिनांक 06.09.2023 को संशोधित करके जारी की गई है ताकि अनुबंध 2 में दी गई धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट की त्रुटि और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा में बताए गए हमारे द्वारा जारी रिपोर्ट में कुछ क्रॉस संदर्भों को ठीक किया जा सके।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

25. आगे अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, “ अन्य मामलों” पैरा में वर्णित जैसे सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अलग वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर लागू सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क हम ने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए अपने उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप अपेक्षित सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिये हैं:

ख हमारी राय में, अभी तक हमारी उन बहियों की परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखाबही बनायी रखी है।

ग इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय के समेकित विवरण सहित समेकित लाभ एवं हानि का विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अनुरक्षित संगत लेखाबहियों के साथ समझौता है।

घ हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, संशोधित जैसे के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं।

ङ हमारी राय में, उपर्युक्त प्रतिबंध विचारों के आधार वर्णित मामलों का ग्रुप के कार्यकलाप में एक प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

च कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित धारा 164 की उप धारा (2) का प्रावधान धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है।

छ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट “ अनुबंध - 1 “ में देखें जो कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट उन कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

ज कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 197 धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है।

झ हमारी राय और हमारे उत्तम सूचना और हमें दिये स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार करने के आधार पर और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अन्य वित्तीय सूचना, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, पैराग्राफ “अन्य मामले” में नोट किये जैसे है:

- i. समेकित वित्तीय विवरण, ग्रुप और संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमा के प्रभाव को प्रकट करता है।
- ii. समेकित वित्तीय विवरणों में लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालीन ठेके पर अपेक्षित जैसे यदि कोई प्रत्यक्ष संभावित नुकसान की ओर समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवधान किया गया है।
- iii. 31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के दौरान भारत में निगमित धारण कंपनी उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम नहीं थी।

24. This report is issued by revising our earlier report dated 06.09.2023 so as to cure the error in the report under section 143 (5) given in Annexure 2 and in certain cross references in the report issued by us, pointed out in the supplementary audit by the Comptroller and Audit General of India.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

25. Further, as required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements of such subsidiaries and joint venture, as noted in the 'Other Matters' paragraph, we report, to the extent applicable that:
- a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements;
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and reports of the other auditors;
 - c. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss including the Consolidated Statement of Other Comprehensive Income, the Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;
 - d. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
 - e. The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Group;
 - f. As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, provisions of sub-section (2) of section 164 regarding disqualification of directors are not applicable to the Holding Company and its subsidiaries.
 - g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure 1, which is based on the auditors' reports of the Company and its subsidiary companies. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of those Companies.
 - h. As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Holding Company and its subsidiaries.
 - i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statement as also the other financial information of the subsidiaries and joint venture, as noted in the "Other Matter" paragraph :
 - i. The Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on its financial position in its Consolidated Financial Statements.
 - ii. Provision has been made in the Consolidated Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company, its subsidiaries and joint venture incorporated in India during the year ended March 31, 2023.

iv. (क) धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है ने प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम लिया गया या धारण कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) सहित, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, की मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें;

(ख) धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, ने प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है। धारण कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ प्राप्त किया गया है कि कंपनी या ऐसी कोई सहायक कंपनी चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी हैं;

(ग) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर हमारे द्वारा दिग्घातित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास है कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किए जैसे नियम 11 (ई) के उप खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v (क) वर्ष के दौरान धारण कंपनी और सहायक कंपनी, हाइट्स द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूपन में है। अन्य सहायक और संयुक्त उद्यम, जीएपीएल ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ख) धारण कंपनी और सहायक कंपनियों में से एक, हाइट्स के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

26. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 2 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और ग्रुप के खाते और ग्रुप का समेकित वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव देते हैं।

27. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 3 में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सीए. आई जयसिंधु
साझेदार

(सदस्यता सं. 205660)

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 13 नवंबर, 2023

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएम5781

- iv. (a) The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act, have represented that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company or any of such subsidiaries to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act, have represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company or any of such subsidiaries from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, performed by us on the Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. (a) The dividend declared or paid during the year by the Holding company and subsidiary HIITES is in compliance with Section 123 of the Act. GAPL, the other subsidiary and joint venture, has not declared or paid any dividend during the year.
- (b) The Board of Directors of the Holding Company and one of the subsidiaries HIITES have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
26. As required by section 143(5) of the Act, we give in Annexure 2, the report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and consolidated financial statement of the group.
27. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure 3 a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

Place: Thiruvananthapuram
Date : 13 November 2023

CA. I Jayasindhu
Partner
M. No. 205660
UDIN : 23205660BGSTAM5781

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 25 (जी) के अधीन अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट खंड में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

प्रतिबंध राय

हमने, 31 मार्च 2023 तक उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (“धारण कंपनी”) उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम, जो भारत में संस्थापित कंपनियों, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

2. हम आपका ध्यान एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, धारण कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा राय के लिए निम्नलिखित योग्यता की ओर आकर्षित करते हैं, जो सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :

i) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2023 को नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित प्रत्यक्ष कमजोरियों की पहचान की गई है:

क) बैंक सुलह की प्रक्रिया पर अप्रभावी नियंत्रण, जिससे असंगत प्रविष्टियों की पहचान करने और उनका समाधान करने की कार्यकुशलता को खराब कर दिया है।

ख) प्राधिकरण से पहले जर्नल प्रविष्टियों के सत्यापन में कमी, जिसके परिणामस्वरूप गलत डेटा प्रविष्टि हो सकती है।

ग) केंद्रीय कार्यालय वित्त विभाग के साथ विभिन्न यूनिटों द्वारा समयबद्ध तरीके से वित्तीय सूचना के संचार में कमियाँ जैसे अतिरिक्त प्रावधान को बहाल करना, दावा न की गई बयान राशि जमा या लेनदार, प्रावधान का सृजन आदि और अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को दूर करने के संबंध में प्रक्रियाओं पर जानकारी का अप्रभावी प्रसार, जो वित्तीय विवरणों के समयबद्ध संकलन को प्रभावित कर सकता है; और

घ) कुछ नियंत्रण उपायों की अप्रभावीयता, जैसे देनदारों और लेनदारों से आवधिक शेष की पुष्टि प्राप्त करना।

ii) 'प्रत्यक्ष कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, वहाँ ऐसी उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

3. हम गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल), एक सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा राय के निम्नलिखित अस्वीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सनदी लेखाकार के एक स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.08.2023 के तहत निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई है ;

राय का अस्वीकरण

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्था ('मार्गदर्शन नोट') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम नहीं किया है। इस कारण से, हम अपनी/हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण थे और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

Annexure 1 to The Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 25 (g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the "Act")

Qualified Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited ("the Holding Company") its subsidiaries and joint venture, which are companies incorporated in India, as of 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

2. We draw your attention to the following qualification to the audit opinion of the financial statements of HLL Lifecare Limited, the Holding Company issued vide our report of even date, reproduced as under;

- i. i. According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses in the operating effectiveness of controls have been identified as at March 31, 2023:
 - a) Ineffective control over the process of bank reconciliation, which has impaired the efficiency in identification of un-reconciled entries and resolving the same;
 - b) Deficiency in verification of journal entries before authorization thereof, which could result in erroneous data entry;
 - c) Deficiencies in the communication of financial information like writing back of excess provision, unclaimed earnest money deposit or creditors, creation of provision etc. by various units with the central office finance department in a timely manner and ineffective dissemination of information on the procedures with regard to addressing the discrepancies found in physical verification of fixed assets, which could impact the timely compilation of financial statements; and
 - d) Non-effectiveness of certain control measures like obtaining periodic balance confirmation from debtors and creditors.
- ii. A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

3. We draw attention to the following disclaimer of audit opinion of the financial statements of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary issued by an independent firm of Chartered Accountants vide its Report dated 23.08.2023 reproduced as under;

"Disclaimer of Opinion

According to the information and explanation given to us, the Company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note"). Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for my / our opinion whether the Company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2023.

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है, और हमने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है ।'

4. हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए हमारी रिपोर्ट में ऊपर वर्णित संगत कमज़ोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों और कंपोनेन्ट ऑडिटर के लेखापरीक्षक द्वारा दी गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय के अस्वीकरण को छोड़कर, धारण कंपनी, इसकी समनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के पास सभी संगत मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारत के सनदी लेखाकार संस्था ('मार्गदर्शन नोट') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए धारण कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारी

5. संबंधित कंपनी के प्रबंध और निदेशक मंडल मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारण कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

6. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारण कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित जैसे मार्गनिर्देश नोट और लेखांकन पर मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और दोनों को भारत के सनदी लेखाकार की संस्था द्वारा जारी किए गए हैं के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना ।

7. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमज़ोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में समेकित वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

8. हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे दिये अन्य मामलों में संदर्भित संबंधित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company, and we have issued a qualified opinion on the financial statements.”

4. In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above in our report for achievement of the objectives of the control criteria and the disclaimer of opinion on internal financial control over financial reporting given by the auditor of the component auditor, the Holding Company its subsidiaries and joint venture, has in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “Guidance Note”).

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

5. The respective Company’s management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor’s Responsibility

6. Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company its subsidiaries and joint venture, internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

7. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error.

8. We believe that the audit evidence we have obtained and audit evidences obtained by the component auditors of the relevant subsidiaries and joint venture in terms of their reports referred to in Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

उन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

9. एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकॉर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

10. कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अन्य मामला

11. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह 2 सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के अलग-अलग वित्तीय विवरण से संबंधित है यह पूरी तरह से ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी. आई. जयसिंधु
साझेदार

(सदस्यता सं. 205660)

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 13 नवंबर, 2023

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएम5781

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting With Reference to these Consolidated Financial Statements

9. A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

10. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

11. Our report under Section 143(3) (i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to separate financial statement of 2 subsidiaries and a joint venture is based solely on the corresponding reports of the auditors of such subsidiaries and joint venture. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 0039785

Place: Thiruvananthapuram
Date : 13 November 2023

CA. I Jayasindhu
Partner
M. No. 205660
UDIN : 23205660BGSTAM5781

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -2

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 26 के अधीन “अन्य कानूनी विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट” खंड में संदर्भित।)

इन कंपनियों पर लागू अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए, धारण कंपनियों और उसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे देते हैं :

| क्रम. सं | निर्देश | की गई कार्रवाई | समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|----------|--|---|----------------------------------|
| 1 | क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें। | <p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड</p> <p>कंपनी के पास विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक ईआरपी (एसएपी) प्रणाली और अन्य सॉफ्टवेयर हैं। अन्य सॉफ्टवेयर के डेटा को भी इंटरफेस या बैच अपलोड के माध्यम से एसएपी में भी एकीकृत किये गये हैं, जिन्हें मैनुअल रूप से संकलित किया जाता है और उपयुक्त जाँच और नियंत्रण के साथ एसएपी में अपलोड किया जाता है। सभी लेखांकन लेनदेन आई टी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।</p> <p>हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के किसी भी प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि, हमने आईटी सिस्टम से जुड़े कुछ ऑडिट जोखिमों की पहचान की है, जिनका वर्णन हमारी रिपोर्ट के मुख्य लेखापरीक्षा मामला खंडों में किया गया है साथ ही इसे संबोधित करने की हमारी प्रक्रिया भी है।</p> <p>तदनुसार हमें लेखों की विश्वसनीयता पर उन जोखिमों के कोई भी प्रभाव का पता नहीं चला है।</p> <p>2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड</p> <p>सभी लेनदेन एस ए पी लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यमसे संसाधित किए जाते हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए व्याख्या के अनुसार हमने आई टी सिस्टम के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन नहीं देखा।</p> <p>3. गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड</p> <p>कंपनी के पास विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक ईआरपी (एसएपी) प्रणाली और अन्य सॉफ्टवेयर हैं। अन्य सॉफ्टवेयर के डेटा को भी इंटरफेस या बैच अपलोड के माध्यम से एसएपी में भी एकीकृत किये गये हैं, जिन्हें मैनुअल रूप से संकलित किया जाता है और उपयुक्त जाँच और नियंत्रण के साथ एसएपी में अपलोड किया जाता है। सभी लेखांकन लेनदेन आई टी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के किसी भी प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं दिया है।</p> | शून्य |

Annexure 2 to the Independent Auditor's Report
(Referred to in paragraph 26 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Based on the comments in the Auditors Report of the Holding Company its Subsidiaries and its Joint Venture companies, to the extent provisions of Section 143(5) of the Act applicable to these companies, we give below a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India

| Sl No | Directions | Action Taken | Impact on Consolidated Financial Statements |
|-------|--|--|---|
| 1 | Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | <p>1. HLL Lifecare Limited</p> <p>The company has an ERP (SAP) system and other software for different verticals. The data from other software are also integrated to SAP through interfaces or batch uploads, which are manually compiled and uploaded into SAP, with appropriate checks and controls. All the accounting transactions are processed through IT system.</p> <p>In our opinion and according to the information and explanation provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. However, we have identified certain audit risks associated with the IT system, which are described in the Key Audit Matters section of our report, along with our process to address the same.</p> <p>Accordingly, we have not come across any implications of those risks on the integrity of the accounts.</p> <p>2. HLL Infra Tech Services Limited</p> <p>All the transactions are processed through SAP Accounting software. As explained by the management and during our audit we did not find any accounting transactions outside the IT system.</p> <p>3. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited</p> <p>The company has an ERP (SAP) system and other software for different verticals. The data from other software are also integrated to SAP through interfaces or batch uploads, which are manually compiled and uploaded into SAP, with appropriate checks and controls. All the accounting transactions are processed through IT system. In our opinion and according to the information and explanation given to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system.</p> | NIL |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | <p>क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)</p> | <p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।</p> <p>2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसेस लिमिटेड कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बताए गए किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।</p> <p>3. गोवा एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।</p> | शून्य |
| 3 | <p>क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।</p> | <p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों को छोड़कर उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था। कंपनी ने मार्च 2023 के दौरान एम ओ सी & आई को रु. 0.95 करोड़ की अव्यय शेष राशि वापस कर दी है। इसके अलावा अनुदान में से रु.1.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि एम ओ सी & आई को वापस की जानी है और इसे नोट संख्या 23 अन्य चालू देयता के अधीन शामिल किया गया है।</p> <p>2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसेस लिमिटेड कंपनी के लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त मामलों में किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>3. गोवा एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (ई डी सी लिमिटेड) से ब्याज इमदाद का उपयोग ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है। कंपनी द्वारा केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के विरुद्ध धनराशि प्राप्त/प्राप्य होने का कोई अन्य मामला नहीं था।</p> | <p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड</p> <p>समापन की निर्धारित तिथि 31.03.2018 से 31.03.2023 तक 1.29 करोड़ रुपए के ब्याज के लिए आकस्मिक देयताएं अनुमानित है और यह टिप्पणी में खुलासा किया गया है।</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p> |

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सीए. आई जयसिंधु
साझेदार
(सदस्यता सं. 205660)

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख: 13 नवंबर, 2023

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएएम5781

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company). | <p>1. HLL Lifecare Limited According to the information and explanations given to us, there were no cases of restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/interests etc, made by a lender to the company's inability to repay the loan, during the year.</p> <p>2. HLL Infra Tech Services Limited There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver /write off of debts/loan/interest etc. made by the lender to the company due to the company's inability to repay the loan.</p> <p>3.Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited According to the information and explanations given to us, there were no cases of restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/ interests etc, due to the company's inability to repay the loan, during the year.</p> | NIL |
| 3 | Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation. | <p>1. HLL Lifecare Limited According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions except for the following two cases : 1) The Company has refunded the unspent balance of Rs. 0.95 Crs to MoC&I during March 2023. Further an additional amount of Rs. 1.64 Crs out of the Grant is to be refunded to MoC&I and this has been included under liability in Note No: 24 other current Liabilities.</p> <p>2. HLL Infra Tech Services Limited The company has properly accounted for/utilised funds received/ receivable for specific schemes from central / state government or its agencies as per its terms and conditions.</p> <p>3.Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited According to the information and explanations given to us, Interest Subsidy from Economic Development Corporation of Goa Limited (EDC Limited) is utilised as per the terms and conditions of the Loan. There were no other cases of funds being received / receivable by the Company against specific schemes from central / state agencies.</p> | <p>1.HLL Lifecare Limited Contingent liability for interest of Rs.1.29 Crores is estimated as on 31.03.2023 from the scheduled date of completion 31.03.2018 and is disclosed in notes.</p> <p>NIL</p> <p>NIL</p> |

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 0039785

Place: Thiruvananthapuram
Date : 13 November 2023

CA. I Jayasindhu
Partner
M. No. 205660
UDIN : 23205660BGSTAM5781

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध '3'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 27 के अधीन "अन्य कानूनी विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड में संदर्भित।)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित कंपनियों को, कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) के अधीन संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनुचित टिप्पणियाँ, विसंगतियाँ या प्रतिकूल टिप्पणियाँ दी गई हैं :

| क्रम सं | कंपनियों का नाम & सी आई एन | धारण कंपनी/ सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम | सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो प्रतिकूल या विसंगतिपूर्ण या हानिकारक है। |
|---------|--|--|--|
| 1 | एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड सी आई एन : यु45200केएल2014जीओआई036617 | सहायक कंपनी | खंड xix |
| 2 | गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सी आई एन : यु24231जीए1980एसजीसी000412 | सहायक कंपनी | खंड ix, xiv, xvii & xix |
| 3 | लाइफसिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड सी आई एन : यु85110केएल2008पीटीसी 021819 | संयुक्त उद्यम | शून्य |

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978एस)

सी.ए. आई जयसिंधु
साझेदार
(सदस्यता सं. 205660)

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख: 13 नवंबर, 2023

युडीआईएन: 23205660बीजीएसटीएम5781

Annexure 3 to the Independent Auditor's Report
 (Referred to in paragraph 27 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

In our opinion and according to the information and explanations given to us, following companies incorporated in India and included in the Consolidated Financial Statements, have unfavourable remarks, qualifications or adverse remarks given by the respective auditors in their reports under the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (CARO):

| Sl No | Name of companies & CIN | Holding Company/ Subsidiary/ JV | Clause number of the CARO report which is unfavourable or qualified or adverse |
|-------|--|---------------------------------|--|
| 1 | HLL Infra Tech Services Limited CIN: U45200KL2014G01036617 | Subsidiary | Clause xix |
| 2 | Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited CIN : U24231GA1980SGC000412 | Subsidiary | Clause ix, xiv,xvii and xix |
| 3 | Lifespring Hospitals Private Ltd. CIN : U85110KL2008PTC021819 | JV | Nil |

For Sridhar & Co
 Chartered Accountants
 Firm No: 003978S

Place: Thiruvananthapuram
 Date : 13 November 2023

CA. I Jayasindhu
 Partner
 M. No. 205660
 UDIN : 23205660BGSTAM5781

कार्यालय महा निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय व्यय)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002

सं. सी डब्ल्यू/2-55/-एचएलएल लाइफकेयर/2023-24/296

दिनांक 06.12.2023

सेवा में

प्रबंध निदेशक
एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
पूजपुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6) (बी) के तहत एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित) के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र'।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6)(बी) के तहत एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र' भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(सतीश कुमार)
निदेशक
(सीएडब्ल्यू)

दूरभाष : 91-11-23702422

फैक्स : 91-11-23702271

ई-मेल : dgace@cag.gov.in

वेबसाइट : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
DGACR Building , Indraprastha Estate, New Delhi - 110002

No.CW/2-55/HLL Lifecare/2023-24/296

Dated: 06.12.2023

To,

The Managing Director
HLL Lifecare Limited
Poojappura Post Office
Thiruvananthapuram – 695012
Kerala

Sub: Zero Comments Certificate of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of Companies Act 2013 on the (Standalone & Consolidated) Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended on 31 March 2023.

Sir,

With this letter a 'Zero Comments Certificate' is being sent by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours Faithfully

(Satheesh Kumar)
Director (CAW)

Ph : 91-11-23702422

e-mail : dgace@cag.gov.in

Fax : 91-11-23702271

Website : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) या 139 (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह उनके दिनांक 13.11.2023 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं, जो उनके दिनांक 06.09.2023 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त समेकित वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमने एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है लेकिन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लिमिटेड और गोवा एंटीबायोटेक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (गैर - समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया) और लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के नाते) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकॉर्डों पर मुख्यतः सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या परिशिष्ट बनाया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(राजीव कुमार पाण्डे)
लेखापरीक्षा महा निदेशक
(केंद्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06.12.2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of consolidated financial statements of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) or 139 (7) read with section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 13.11.2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 06.09.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We have conducted a supplementary audit of the financial statements of HLL Lifecare Limited but did not conducted supplementary audit of HLL Infra Tech Services Limited, Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (Non-review certificate issued), and the financial statements of Lifespring Hospitals Private Limited (being a Joint Venture Company) for the year ended 31st March 2023. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: New Delhi

Date: 06.12.2023

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Rajiv Kumar Panday)
Director General of Audit
(Central Expenditure)**

31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन-पत्र

| विवरण | टिप्पणी सं | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को | 01.04.2021 को |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| क परिसंपत्तियाँ | | | | |
| गैर-चालू परिसंपत्तियाँ | | | | |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | 3 | 221.47 | 227.48 | 252.60 |
| पूंजी कार्य में प्रगति | 3 | 1.22 | 12.57 | 10.35 |
| गुडविल (समेकन पर) | | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 3 | 2.40 | 2.32 | 3.05 |
| परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु) | 3 | 19.66 | 27.71 | 35.63 |
| निवेश संपत्ति | 3 | 1.36 | 2.36 | 3.12 |
| | | 252.13 | 278.46 | 310.77 |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | |
| i) इक्विटी विधि के अधीन हिसाब निवेश | 4 | 3.09 | 2.94 | 1.57 |
| ii) अन्य निवेश | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| iii) अन्य | 5 | 1.90 | 1.77 | 1.67 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | 6 | 71.41 | 69.09 | 20.47 |
| अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 7 | - | - | - |
| गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | 8 | 41.54 | 30.39 | 15.67 |
| | | 370.09 | 382.67 | 350.17 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | | | | |
| वस्तुसूचियाँ | 9 | 297.71 | 200.76 | 338.50 |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | |
| i) व्यापार प्राप्तियाँ | 10 | 1,117.52 | 2,925.00 | 2,178.19 |
| ii) नकद एवं नकद तुल्यांक | 11. क & ख | 246.32 | 1,069.03 | 889.38 |
| iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष | 11. सी | 500.62 | 285.87 | 6.61 |
| vi) ऋण | 12 | 3.37 | 5.64 | 28.22 |
| v) अन्य | 13 | 30.50 | 21.72 | 13.09 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 14 | 188.60 | 947.87 | 265.05 |
| | | 2,384.64 | 5,455.88 | 3,719.05 |

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

| Particulars | Note No. | As at | As at | As at |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 01.04.2021 |
| | | (₹crs) | (₹crs) | (₹crs) |
| A ASSETS | | | | |
| Non-current assets | | | | |
| Property, Plant & Equipment | 3 | 221.47 | 227.48 | 252.60 |
| Capital work-in-progress | 3 | 1.22 | 12.57 | 10.35 |
| Goodwill (on consolidation) | | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Intangible Assets | 3 | 2.40 | 2.32 | 3.05 |
| Right of Use Assets(ROU) | 3 | 19.66 | 27.71 | 35.63 |
| Investment Property | 3 | 1.36 | 2.36 | 3.12 |
| | | 252.13 | 278.46 | 310.77 |
| Financial Assets | | | | |
| i) Investments Accounted under Equity Method | 4 | 3.09 | 2.94 | 1.57 |
| ii) Other Investments | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| iii) Others | 5 | 1.90 | 1.77 | 1.67 |
| Deffered tax asset (Net) | 6 | 71.41 | 69.09 | 20.47 |
| Other Non Current Assets | 7 | - | - | - |
| Non-Current Tax Asset (Net) | 8 | 41.54 | 30.39 | 15.67 |
| Non-Current Asset | | 370.09 | 382.67 | 350.17 |
| Current assets | | | | |
| Inventories | 9 | 297.71 | 200.76 | 338.50 |
| Financial Assets | | | | |
| i) Trade Receivables | 10 | 1,117.52 | 2,925.00 | 2,178.20 |
| ii) Cash and cash equivalents | 11.a&b | 246.32 | 1,069.03 | 889.38 |
| iii) Bank balances other than (ii) above | 11.c | 500.62 | 285.87 | 6.61 |
| iv) Loans | 12 | 3.37 | 5.64 | 28.22 |
| v) Others | 13 | 30.50 | 21.71 | 13.09 |
| Other current assets | 14 | 188.60 | 947.87 | 265.05 |
| | | 2,384.64 | 5,455.88 | 3,719.05 |



| | | | | |
|---|------|-----------------|------------------|-----------------|
| बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ | 2.41 | - | - | 0.39 |
| कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष | 2.9 | 4,541.91 | 4,847.49 | 4,388.00 |
| कुल परिसंपत्तियाँ | | 7,296.64 | 10,686.04 | 8,457.61 |
| ख इक्विटी व देयताएँ | | | | |
| इक्विटी | | | | |
| i) इक्विटी शेयर पूंजी | 15 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
| ii) अन्य इक्विटी | 16 | 661.65 | 742.15 | 361.34 |
| सत्ता के मालिकों को देने योग्य इक्विटी | | 677.18 | 757.69 | 376.88 |
| गैर नियंत्रित ब्याज | | (5.90) | (4.53) | (1.40) |
| कुल इक्विटी | | 671.29 | 753.17 | 375.48 |

| | | | | |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| देयताएँ | | | | |
| गैर - चालू देयताएँ | | | | |
| वित्तीय देयताएँ | | | | |
| i. उधार | 17 | 1.20 | 1.32 | 24.43 |
| i. क) पट्टा देयताएँ निवल(आर ओ यु) | 2.28 | 11.81 | 20.36 | 25.07 |
| प्रावधान | 18 | 2.51 | 28.68 | 7.57 |
| अन्य गैर चालू देयताएँ | 19 | 19.94 | 24.21 | 9.91 |
| | | 35.46 | 74.57 | 66.98 |
| चालू देयताएँ | | | | |
| वित्तीय देयताएँ | | | | |
| i उधार | 20 | 399.17 | 177.32 | 316.70 |
| i क) पट्टा देयता (आर ओ यु) | 2.28 | 8.52 | 8.06 | 10.63 |
| ii) देय व्यापार | 21 | | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया | 21 क | 87.64 | 31.06 | 11.51 |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के लिए बकाया | 21 ख | 1,012.87 | 1,214.31 | 1,969.05 |
| iii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 22 | 172.52 | 450.78 | 306.03 |
| प्रावधान | 23 | 116.80 | 110.75 | 66.06 |
| अन्य चालू देयताएँ | 24 | 250.46 | 3,018.53 | 947.17 |
| | | 2,047.98 | 5,010.82 | 3,627.15 |
| कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम | 2.9 | 4,541.91 | 4,847.49 | 4,388.00 |

| | | | | | |
|----------|---|------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Assets classified as held for sale | 2.41 | - | - | 0.39 |
| | Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra | 2.9 | 4,541.91 | 4,847.49 | 4,388.00 |
| | TOTAL ASSETS | | 7,296.64 | 10,686.04 | 8,457.61 |
| B | EQUITY AND LIABILITIES | | | | |
| | Equity | | | | |
| | i) Equity Share Capital | 15 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
| | ii) Other Equity | 16 | 661.65 | 742.15 | 361.34 |
| | Equity attributable to owners of the entity | | 677.19 | 757.69 | 376.88 |
| | Non - Controlling interests | | (5.90) | (4.53) | (1.40) |
| | Total Equity | | 671.29 | 753.16 | 375.48 |
| | Liabilities | | | | |
| | Non-current liabilities | | | | |
| | Financial Liabilities | | | | |
| | i. Borrowings | 17 | 1.20 | 1.32 | 24.43 |
| | i. a) Lease Liability (ROU) | 2.28 | 11.81 | 20.36 | 25.07 |
| | Provisions | 18 | 2.51 | 28.68 | 7.57 |
| | Other non current liabilities | 19 | 19.94 | 24.21 | 9.91 |
| | | | 35.46 | 74.57 | 66.98 |
| | Current liabilities | | | | |
| | Financial Liabilities | | | | |
| | i) Borrowings | 20 | 399.17 | 177.33 | 316.70 |
| | i. a) Lease Liability (ROU) | 2.28 | 8.52 | 8.06 | 10.63 |
| | ii) Trade payables | 21 | | | |
| | Outstanding to Micro and Small enterprises | 21.a | 87.64 | 31.06 | 11.51 |
| | Outstanding to creditors otherthan Micro and Small enterprises | 21.b | 1,012.87 | 1,214.31 | 1,969.05 |
| | iii) Other financial liabilities | 22 | 172.52 | 450.78 | 306.03 |
| | Provisions | 23 | 116.80 | 110.75 | 66.06 |
| | Other current liabilities | 24 | 250.46 | 3,018.53 | 947.17 |
| | | | 2,047.98 | 5,010.82 | 3,627.15 |
| | Advances Received for Projects Held under Trust as per contra | 2.9 | 4,541.91 | 4,847.49 | 4,388.00 |



| | | | | |
|--|---|----------|-----------|----------|
| कुल इक्विटी एवं देयताएँ | | 7,296.64 | 10,686.04 | 8,457.61 |
| निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 1 | | | |
| वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ | 2 | | | |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डॉ आईएन: 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजोएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | | 7,296.64 | 10,686.04 | 8,457.61 |
| Corporate Information and Significant Accounting Policies | 1 | | | |
| Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements | 2 | | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN: 08225251]

Remesh.P
VP(F) & CFO
[ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
Company Secretary
[ACS:14328]

CA Jayasindhu I
Partner
Membership No: 205660
UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
Date : 06.09-2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण

| विवरण | टिप्पणी सं | वर्ष 31.03.2023 को समाप्त | वर्ष 31.03.2022 को समाप्त |
|---|---------------|------------------------------|------------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| सतत प्रचालन | | | |
| आय | | | |
| प्रचालनों से राजस्व | 25 | 4,115.60 | 36,083.61 |
| अन्य आय | 26 | 70.84 | 16.38 |
| कुल आय | | 4,186.44 | 36,099.99 |
| व्यय | | | |
| उपभुक्त मालों की लागत | 27 | 293.55 | 260.12 |
| व्यापार स्टॉक के क्रय | 28 | 2,361.21 | 32,798.39 |
| तैयार माल, चालू कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन | 29 | (105.16) | 129.47 |
| कर्मचारी हितलाभ व्यय | 30 | 296.39 | 304.86 |
| वित्त लागत | 31 | 20.09 | 25.96 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय | 3 | 41.18 | 45.54 |
| अन्य व्यय | 32 | 773.71 | 1,680.58 |
| ठेका व्यय | 2.32 | 418.71 | 298.08 |
| कुल व्यय | | 4,099.67 | 35,543.00 |
| एक सहयोगी/एक संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि के शेयर के पूर्व लाभ/हानि | | 86.77 | 556.99 |
| एक सहयोगी/एक संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि के शेयर | | 0.16 | 1.37 |
| कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 86.93 | 558.36 |
| कर व्यय : | | | |
| चालू कर व्यय | | 35.55 | 197.43 |
| पूर्व वर्ष कर समायोजन | | 1.57 | 0.99 |
| आस्थगित कर | 6 | (0.34) | (42.82) |
| | | 36.78 | 155.61 |
| सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | | 50.15 | 402.75 |
| बंद प्रचालनों से हानि | | - | - |
| बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए हानि | | | |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | | 50.15 | 402.75 |
| अन्य व्यापक आय | | | |
| (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी | | (12.59) | (6.00) |

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2023

| Particulars | Note No | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| Continuing Operations | | | |
| Income | | | |
| Revenue from operations | 25 | 4,115.60 | 36,083.61 |
| Other income | 26 | 70.84 | 16.38 |
| Total Income | | 4,186.44 | 36,099.99 |
| Expenses | | | |
| Cost of materials consumed | 27 | 293.55 | 260.12 |
| Purchases of stock-in-trade | 28 | 2,361.21 | 32,798.39 |
| Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade | 29 | (105.16) | 129.47 |
| Employee benefits expense | 30 | 296.39 | 304.86 |
| Finance costs | 31 | 20.09 | 25.96 |
| Depreciation and amortisation expense | 3 | 41.18 | 45.54 |
| Other expenses | 32 | 773.70 | 1,680.58 |
| Contract Expenses | 2.32 | 418.71 | 298.08 |
| Total expenses | | 4,099.67 | 35,543.00 |
| Profit/loss before share of profit/loss of an associate /a joint venture | | 86.77 | 556.99 |
| Share of profit/loss of an associate/a joint venture | | 0.16 | 1.37 |
| Profit / (Loss) before tax | | 86.93 | 558.36 |
| Tax expense: | | | |
| Current tax expense | | 35.55 | 197.44 |
| Prior year tax adjustments | | 1.57 | 0.99 |
| Deferred tax | 6 | (0.34) | (42.82) |
| | | 36.78 | 155.61 |
| Profit / (Loss) for the year from the continuing operations | | 50.15 | 402.75 |
| Loss from discontinued operations | | - | - |
| Loss for the year from discontinued operations | | | |
| Profit / (Loss) for the year | | 50.15 | 402.75 |
| Other Comprehensive Income | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss | | (12.59) | (6.00) |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन | | | |
| (ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। | | 3.04 | 1.65 |
| कुल अन्य व्यापक आय | | (9.55) | (4.35) |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | 40.60 | 398.40 |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) के कारण कंपनी के मालिक | | 51.38 | 406.02 |
| गैर नियंत्रित ब्याज | | (1.23) | (3.27) |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के कारण कंपनी के मालिक | | (9.42) | (4.49) |
| गैर नियंत्रित ब्याज | | (0.13) | 0.14 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के कारण कंपनी के मालिक | | | |
| सतत प्रचालन | | 41.97 | 401.53 |
| बंद प्रचालन | | | |
| गैर नियंत्रित ब्याज | | (1.37) | (3.13) |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर ₹ 10/- के लिए अंकित मूल्य) (सतत प्रचालनों के लिए) | | | |
| - मूल | 1.23 | 33.08 | 261.36 |
| - हल्का | | 33.08 | 261.36 |
| निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 1 | | |
| वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ | 2 | | |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(झे आईएन: 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | | |
|--|------|--------------|---------------|
| - Remeasurement of Defined Benefit Plans | | | |
| (ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss | | 3.04 | 1.65 |
| Total Other Comprehensive Income | | (9.55) | (4.35) |
| Total Comprehensive Income for the year | | 40.60 | 398.40 |
| Profit / (Loss) for the year attributable to | | | |
| Owners of the company | | 51.38 | 406.02 |
| Non - Controlling Interests | | (1.23) | (3.27) |
| Other Comprehensive Income for the year attributable to | | | |
| Owners of the company | | (9.42) | (4.49) |
| Non - Controlling Interests | | (0.13) | 0.14 |
| Total Comprehensive Income for the year attributable to | | | |
| Owners of the company | | | |
| Continuing Operations | | 41.97 | 401.53 |
| Discontinued Operations | | | |
| Non - Controlling Interests | | (1.37) | (3.13) |
| Earnings per equity share (₹) (Face value of ₹10/- share) (for continuing operations) | | | |
| - Basic | 1.23 | 33.08 | 261.36 |
| - Diluted | | 33.08 | 261.36 |
| Corporate Information and Significant Accounting Policies | 1 | | |
| Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements | 2 | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

| क.इक्विटी शेयर पूँजी | | | | | ₹ करोड़ों में |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| चालू रिपोर्टिंग अवधि | अप्रैल 1, 2022 के प्रारंभ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन | 31 मार्च, 2023 के अंत में शेष राशि |
| | 15.54 | | | - | 15.54 |
| | | | | | ₹ करोड़ों में |
| पिछले रिपोर्टिंग अवधि | अप्रैल 1, 2021 के प्रारंभ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन | 31 मार्च, 2022 के अंत में शेष राशि |
| | 15.54 | | - | - | 15.54 |

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March 2023

A. Equity Share Capital

| | | | | | ₹ crs |
|---------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| Current Reporting Period | Balance at the beginning of April 1, 2022 | Changes in equity share capital due to Prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of 31st March 2023 |
| | 15.54 | | - | | 15.54 |
| | | | | | ₹ crs |
| Previous reporting period | Balance at the beginning of April 1, 2021 | Changes in equity share capital due to Prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of March 31, 2022 |
| | 15.54 | | - | | 15.54 |

| ख. अन्य इक्विटी | | ₹ करोड़ों में | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-----|
| | | 1. चालू रिपोर्टिंग अवधि | | | | | | |
| विवरण | लंबित शेयर आबंटन | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | प्रतिधारित अर्जन | अन्य व्यापक आय | कुल |
| | | निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित | लाभांश समकरण आरक्षित | सामान्य आरक्षित | | | | |
| 1 अप्रैल, 2022 तक के शेष | - | - | 1.30 | 256.53 | 532.31 | (20.55) | 769.59 | |
| लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अर्थात् त्रुटियाँ | - | - | - | - | (27.43) | - | (27.43) | |
| 2020-21 तक पुनः विवरण | | | | | (17.65) | | | |
| सेवाओं से आय (टिप्पणी क देखें) | | | | | 49.96 | | | |
| एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय (टिप्पणी ख देखें) | | | | | (46.81) | | | |
| जमा पर व्याज (टिप्पणी ग देखें) | | | | | (2.88) | | | |
| सहेली उत्पाद अनुदान (टिप्पणी घ देखें) | | | | | (6.26) | | | |
| अन्य विविध व्यय (टिप्पणी ङ देखें) | | | | | 2.66 | | | |
| दर और कर (टिप्पणी च देखें) | | | | | (0.50) | | | |
| परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (टिप्पणी छ देखें) | | | | | (0.01) | | | |
| पी वाई एन सी आई में सुधार | | | | | (1.58) | | | |

| B. Other Equity | | | | | | | ₹ crs |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1.Current Reporting Period | | | | | | | |
| Particulars | Shares pending allotment | Reserves and Surplus | | | | Other Comprehensive Income | Total |
| | | Corporate Social Responsibility Reserve | Dividend Equalisation Reserve | General Reserve | Retained Earnings | | |
| Balance as on April 01, 2022 | - | - | 1.30 | 256.53 | 532.31 | (20.55) | 769.59 |
| Changes in accounting policy or prior period errors | - | - | - | - | (27.43) | - | (27.43) |
| Restatements done till 2020-21 | | | | | (17.65) | | |
| Income from Services (Refer Note a.) | | | | | 49.96 | | |
| HCS Direct Expenses (Refer Note b. | | | | | (46.81) | | |
| Interest on Deposits (Refer Note c.) | | | | | (2.88) | | |
| Saheli Product Subsidy (Refer Note d.) | | | | | (6.26) | | |
| Other Misc Expense (Refer Note e.) | | | | | 2.66 | | |
| Rates and Taxes (Refer Note f.) | | | | | (0.50) | | |
| Right of Use Assets (Refer Note g.) | | | | | (0.01) | | |
| Correction in PY NCI | | | | | (1.58) | | |

| विवरण | लंबित शेयर आबंटन | निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित | लाभांश समकरण आरक्षित | सामान्य आरक्षित | प्रतिधारित अर्जन | अन्य व्यापक आय | कुल ₹ करोड़ों में |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| वर्ष 2021-2022 के लिए जी ए पी एल आस्थिति कर निवल परिसंपत्ति (टिप्पणी ज) | | | | | (5.90) | | |
| आर ओ यु परिसंपत्ति 2021-2022 के लिए जी ए पी एल मूल्यहास (टिप्पणी झ) | | | | | (0.13) | | |
| जी ए पी एल किराया 2021-2022 आर ओ यु देयता में स्थानांतरण (टिप्पणी झ) | | | | | 0.14 | | |
| आर ओ यु देयता पर जी ए पी एल ब्याज 2021-22 (टिप्पणी झ) | | | | | (0.02) | | |
| लाभ और हानि में परिवर्तन के कारण जी ए पी एल 21-22 एन सी आई पुनः विवरण | | | | | 1.57 | | |
| वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि | - | - | 1.30 | 256.53 | 504.88 | (20.55) | 742.15 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | - | - | - | - | 51.38 | (9.42) | 41.97 |
| लाभांश | | | | | (122.47) | | (122.47) |
| प्रतिधारित अर्जन में अंतरण | | | | | | | |
| 31 मार्च, 2023 के अंत में शेष | | | 1.30 | 256.53 | 433.80 | (29.97) | 661.65 |

| Particulars | Shares pending allotment | Corporate Social Responsibility Reserve | Dividend Equalisation Reserve | General Reserve | Retained Earnings | Other Comprehensive Income | ₹ crs Total |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| GAPL Deferred tax asset net for the year 2021-2022 (note h.) | | | | | (5.90) | | |
| GAPL Depreciation for ROU Asset 2021-2022 (note i.) | | | | | (0.13) | | |
| GAPL Rent 2021-2022 transferred to ROU Liability (note i.) | | | | | 0.14 | | |
| GAPL Interest on ROU liability 2021-22 (note i.) | | | | | (0.02) | | |
| GAPL 21-22 NCI restatement due to change in P&L | | | | | 1.57 | | |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | - | - | 1.30 | 256.53 | 504.88 | (20.55) | 742.15 |
| Total comprehensive income for the year | | | | - | 51.38 | (9.42) | 41.97 |
| Dividend | | | | | (122.47) | | (122.47) |
| Transfer to retained earnings | | | | | | | - |
| Balance at the end of March 31, 2023 | | | 1.30 | 256.53 | 433.79 | (29.97) | 661.65 |

| विवरण | ₹ करोड़ों में | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|---------|
| | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | | | |
| | लंबित शेयर आबंटन | निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित | लाभांश समकरण आरक्षित | सामान्य आरक्षित | प्रतिधारित अर्जन | अन्य व्यापक आय | |
| 1 अप्रैल, 2021 तक के शेष | - | - | 1.30 | 256.41 | 137.34 | (16.06) | 378.99 |
| लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवाधि त्रुटियाँ | - | - | - | - | (19.24) | - | (19.24) |
| सेवाओं से आय (टिप्पणी क देखें) | | | | | 138.97 | | |
| एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय (टिप्पणी ख देखें) | | | | | (130.23) | | |
| जमा पर व्यय (टिप्पणी ग देखें) | | | | | (26.36) | | |
| परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (टिप्पणी छ देखें) | | | | | (0.04) | | |
| पी वाई एन सी आई में सुधार | | | | | (1.59) | | |
| वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि | - | - | 1.30 | 256.41 | 118.10 | (16.06) | 359.76 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | | | 0.12 | 406.06 | (4.49) | 401.69 |
| लाभांश | | | | | (19.29) | | (19.29) |
| प्रतिधारित अर्जन में अंतरण | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 मार्च, 2022 के अंत में शेष | - | - | 1.30 | 256.53 | 504.88 | (20.55) | 742.16 |

टिप्पणी : -

क. एनएचएम महाराष्ट्र (ग्राहक) से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आय प्राप्त हुई थी। प्रारंभ में, संगठन ने इसकी प्राप्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण संचय आधार पर आय को विचार नहीं करने का निर्णय लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा के बाद, आय को संबंधित संचय वर्षों में किए गए अवलोकन के अनुसार वितरित किया गया था।

ख. एनएचएम महाराष्ट्र की परीक्षण सेवाओं से प्राप्त आय से संबंधित संबद्ध व्यय जिनका संगत वर्षों के दौरान हिसाब नहीं किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में, चूंकि, आय को संबंधित संचय वर्षों में उचित रूप से वितरित किया गया है, आय के रणनीतिक भागीदार के हिस्से से संबंधित हिस्से को उन संबंधित संचय वर्षों के लिए व्यय के रूप में विचार किया गया है।

| 2.Previous Reporting Period | Particulars | Reserves and Surplus | | | | | Other Comprehensive Income | ₹ Crs Total |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Shares pending allotment | Corporate Social Responsibility Reserve | Dividend Equalisation Reserve | General Reserve | Retained Earnings | | |
| | Balance as on April 01, 2021 | - | - | 1.30 | 256.41 | 137.34 | (16.06) | 378.99 |
| | Changes in accounting policy or prior period errors | - | - | - | - | (19.24) | - | (19.24) |
| | Income from Services (Refer Note a.) | | | | | 138.97 | | |
| | HCS Direct Expenses (Refer Note b.) | | | | | (130.23) | | |
| | Interest on Deposits (Refer Note c.) | | | | | (26.36) | | |
| | Right of Use Assets (Refer Note g.) | | | | | (0.04) | | |
| | Correction in PY NCI | | | | | (1.59) | | |
| | Restated balance at the beginning of the current reporting period | - | - | 1.30 | 256.41 | 118.10 | (16.06) | 359.76 |
| | Total comprehensive income for the year | | | | 0.12 | 406.06 | (4.49) | 401.69 |
| | Dividend | | | | | (19.29) | | (19.29) |
| | Transfer to retained earnings | | | | | | | - |
| | Balance at the end of March 31, 2022 | - | - | 1.30 | 256.53 | 504.88 | (20.55) | 742.15 |

Notes:-

- Income was received during the fiscal year 2022-23 from NHM Maharashtra (Customer). Initially, the organization chose not to recognize this income on an accrual basis due to uncertainties surrounding its receipt. However, following an audit, the income was distributed across the relevant accrual years in accordance with the observation made.
- The associated expenses related to the income generated from NHM Maharashtra's testing services which were not accounted for during the relevant years. In the current fiscal year, as the income has been appropriately distributed across the corresponding accrual years the corresponding portion of the strategic partner's share of the income has been recognized as expenses for those respective accrual years.

- ग. एम सी एस जमा से अर्जित ब्याज को पिछली वित्तीय अवधि में आय के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, ब्याज के आकलन के संबंध में समझौते के भीतर स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण, इस ब्याज को आय के रूप में विचार करना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप, पूर्व वर्षों में दर्ज की गई ब्याज आय को पूर्वव्यापी प्रभाव से विधिवत् उलटा दिया गया है।
- घ) सहेली उत्पाद इमदाद की वसूली करने में असर्धता के कारण, प्रारंभिक बुकिंग के वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22) से संबंधित राशि को पूर्वव्यापी रूप से उलटना आवश्यक हो गया है।
- ङ) जो प्रावधान शुरू में ब्याज और कानूनी शुल्कों के लिए स्थापित किए गए थे, उन्हें पूर्वव्यापी रूप से उलटा किया गया है। यह निर्णय इन दायित्वों को आकास्मिक देनदारियों की श्रेणी में शामिल करने के कारण लिया गया, क्योंकि भविष्य में दायित्व उत्पन्न होने की संभावना न्यूनतम है।
- च) डब्लियुसीटी प्राय को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग के प्रति ऑफसेटिंग करके ठीक किया गया है, जो प्रारंभिक लेखांकन में एक चूक थी। यह समायोजन डब्लियुसीटी प्राय को उलट कर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है।
- छ) केरल के काक्कनाड फैक्ट्री, कोचिन में पड़े पर दी गई संपत्तियों के किराए में संशोधन से आर ओ यु पट्टा दायित्व और आर ओ यु पट्टा संपत्ति दोनों में सुधार हुआ है। ये परिवर्तन भविष्य के किराया भुगतान के रियायती अनुदानों के आधार पर पुनर्गणना से उत्पन्न होते हैं।
- ज) जी ए पी एल ने वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं दी थी, अब मान्यता प्राप्त है और तदनुसार शेष राशी पुनः निर्धारित की गई है।
- झ) जी ए पी एल ने अपने अजमेर और जयपुर पट्टे वाले संयंत्रों के संबंध में आर ओ यु संपत्ति और देयता को मान्यता नहीं दी थी, जिसे वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 01.04.2021 से मान्यता दी गई थी और तदनुसार तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा पुनःनिर्धारित किया गया है।

- c. The interest earned from MCS deposits had been accounted for as income in the preceding financial periods. However, as per the audit observation due to absence of explicit provisions within the agreement regarding interest treatment, it is not feasible to continue recognizing this interest as income. As a result, the interest income previously recorded in prior years has been duly reversed with retrospective effect.
- d. Due to the inability to recover the Saheli product subsidy, it has been necessary to retroactively reverse the corresponding amounts from the year of initial booking (FY 2021-22).
- e. The provisions that were initially established for interest and legal charges have been retrospectively reversed. This decision was made due to the inclusion of these obligations in the category of contingent liabilities, as the likelihood of future obligations arising is minimal.
- f. The WCT receivable has been rectified by offsetting it against the demand in the fiscal year 2021-22, an omission in the initial accounting. This adjustment has been implemented retrospectively by reversing the WCT receivable.
- g. The revision of rent for leased properties at the Kakkanad Factory in Cochin, Kerala has led to modifications in both the ROU lease liability and the ROU lease assets. These changes arise from recalculations based on the discounted estimates of future rent payments.
- h. GAPL had not recognised deferred tax liability during FY 21-22, now recognised and accordingly balance restated.
- i. GAPL had not recognised ROU asset and liability in respect of their Ajmer and Jaipur leased plants which is recognised during FY 22-23 w.e.f 01.04.2021 and accordingly Balancesheet and Profit and loss account restated.

वर्ष 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त अवधि | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| कर के पूर्व लाभ | 86.77 | 556.99 |
| समायोजन; | | |
| मूल्यहास और परिशोधन | 41.18 | 45.40 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | 0.07 | 0.06 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ | (0.11) | (0.07) |
| वित्त लागत | 20.09 | 25.94 |
| ब्याज आय | (27.65) | (6.45) |
| चालू पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि) | 120.35 | 621.87 |
| चालू पूँजी में परिवर्तन : | | |
| प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन | | |
| वस्तुसूचियाँ | (96.95) | 137.74 |
| व्यापार प्राप्तियाँ | 1,807.48 | (737.15) |
| अल्पावधि ऋण एवं पेशगियाँ | 2.27 | 13.93 |
| अन्य परिसंपत्तियाँ | 669.00 | (763.36) |
| प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन | | |
| देय व्यापार | (144.87) | (735.18) |
| अन्य चालू देयताएँ | (3,046.32) | 2,248.89 |
| दीर्घकालीन प्रावधान | (30.44) | - |
| अल्पावधि प्रावधान | (6.54) | 47.35 |
| बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियाँ | - | 0.39 |
| प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़ | (726.03) | 834.49 |
| निवल आय कर(प्रदत्त)/वापसी | 25.91 | (153.31) |
| प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (क) | (700.12) | 681.18 |
| ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| चालू पूँजी कार्य में प्रगति | 11.34 | (2.21) |
| पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों के खरीद | (26.03) | (18.79) |
| प्राप्त ब्याज | 27.65 | 6.45 |
| बैंक जमा में निवेश (तीन महीनों से अधिक के मूल परिपक्वता रहनेवाले) | (214.74) | (279.27) |
| निवल रोकड़ प्रवाह/ (प्रयुक्त) निवेश कार्यकलापों से (ख) | (201.78) | (293.82) |
| ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| गैर-चालू ऋणों से प्राप्तियाँ | (0.28) | (42.82) |

Consolidated Cash Flow Statement for the Period ended 31.03.2023

| Particulars | Period ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| A. Cash flow from Operating Activities | | |
| Profit before tax | 86.77 | 556.99 |
| Adjustments for: | | |
| Depreciation and amortisation | 41.18 | 45.40 |
| Loss on sale of Property, plant and equipment | 0.07 | 0.06 |
| Profit on sale of Property, plant & equipment | (0.11) | (0.07) |
| Finance costs | 20.09 | 25.94 |
| Interest income | (27.65) | (6.45) |
| Operating profit / (loss) before working capital changes | 120.35 | 621.87 |
| Changes in working capital: | | |
| Adjustments for (increase) / decrease in operating assets: | | |
| Inventories | (96.95) | 137.74 |
| Trade receivables | 1,807.48 | (737.15) |
| Short-term loans and advances | 2.27 | 13.93 |
| Other assets | 669.00 | (763.36) |
| Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities: | | |
| Trade payables | (144.87) | (735.18) |
| Other current liabilities | (3,046.32) | 2,248.89 |
| Long-term provisions | (30.44) | - |
| Short-term provisions | (6.54) | 47.35 |
| Assets held for sale | - | 0.39 |
| Cash generated from operations | (726.03) | 834.49 |
| Net income tax (paid) / refunds | 25.91 | (153.31) |
| Net cash flow from / (used in) operating activities (A) | (700.12) | 681.18 |
| B. Cash flow from Investing Activities | | |
| Capital Work in Progress | 11.34 | (2.21) |
| Purchase of PPE and intangible assets | (26.03) | (18.79) |
| Interest received | 27.65 | 6.45 |
| Investments in bank deposits (having original maturity of more than three months) | (214.74) | (279.27) |
| Net cash flow from / (used in) investing activities (B) | (201.78) | (293.82) |
| C. Cash flow from Financing Activities | | |
| Proceeds from non current borrowings | (0.28) | (42.82) |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| अन्य गैर-चालू देयताओं से प्राप्तियाँ | - | - |
| अल्पसंख्यक ब्याज को भुगतान | - | - |
| प्रदत्त ब्याज | (20.09) | (25.94) |
| लाभांश | (122.47) | (19.29) |
| वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग) | (142.84) | (88.04) |
| नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग) | (1,044.73) | 299.33 |
| वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक | 892.15 | 592.82 |
| वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक | (152.58) | 892.15 |
| तुलन पत्र के साथ नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान : | | |
| नकद एवं नकद तुल्यांक | (150.94) | 896.55 |
| न्यून : इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक के रूप में नहीं माने गये बैंक शेष | 1.64 | 4.40 |
| टिप्पणी 1.10 में शामिल निवल नकद एवं नकद तुल्यांक (इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे) | (152.58) | 892.15 |
| वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक । | | |
| *समाविष्ट : | | |
| (क) रोकड़ शेष | 3.01 | 2.11 |
| (ख) बैंकों के साथ शेष | | |
| (i) जमा खाते में | 198.68 | 986.73 |
| (ii) चालू खाते में | 32.03 | 20.32 |
| (iii) ई ई एफ सी खाते में | 6.48 | 2.05 |
| (iv) नकदी ऋण खाते में | (255.09) | (98.53) |
| (v) ओ डी खाते में | (143.81) | (78.35) |
| (vi) सी एस आर/परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधि | 6.12 | 57.82 |
| | (152.58) | 892.15 |

- 1) उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस -7 में प्रारंभित परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।
- 2) इस वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप करने की ओर जहाँ कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
- 3) वर्ष के प्रारंभ और अंत के नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय नकदी ऋण शामिल हैं।
- 4) न्यास के अधीन पडी परियोजना निधि के लेनदेन और बकाया ₹ 4541.91 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 4847.49 करोड़) नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Proceeds from other non current liabilities | - | - |
| Payment to Minority interest | - | - |
| Interest paid | (20.09) | (25.94) |
| Dividend | (122.47) | (19.29) |
| Net cash flow from / (used in) financing activities (C) | (142.84) | (88.04) |
| Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C) | (1,044.73) | 299.33 |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 892.15 | 592.82 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year | (152.58) | 892.15 |
| Reconciliation of Cash and cash equivalents with the Balance Sheet: | | |
| Cash and cash equivalents | (150.94) | 896.55 |
| Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flows | 1.64 | 4.40 |
| Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flows) included in Note 1.10 | (152.58) | 892.15 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year * | | |
| * Comprises: | | |
| (a) Cash on hand | 3.01 | 2.11 |
| (b) Balances with banks | | |
| (i) In deposit accounts | 198.68 | 986.73 |
| (ii) In current accounts | 32.03 | 20.32 |
| (iii) In EEFC accounts | 6.48 | 2.05 |
| (iv) In cash credit accounts | (255.08) | (98.53) |
| (v) In OD accounts | (143.81) | (78.35) |
| (vi) Funds earmarked for CSR/Projects | 6.12 | 57.82 |
| | (152.58) | 892.15 |

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7.
- 2) The previous year's figures have been re-grouped wherever necessary in order to confirm to this year's presentation.
- 3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand
- 4) Transactions of project funds held under Trust and balance of Rs. 4541.91 crores (previous year Rs.4847.49 crores) are not included in the Cashflow



| 5) वित्तीयन कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन | | | | | ₹ करोड़ों में |
|---|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| विवरण | 1 अप्रैल, 2022 तक | नकद प्रवाह | गैर-नकद परिवर्तन | | 31 मार्च, 2023 तक |
| | | | उचित मूल्य समायोजन | अधिग्रहण के कारण अन्य | |
| गैर चालू उधार (गैर-चालू उधार के चालू परिपक्वता सहित) | 1.32 | (0.12) | | | 1.20 |
| चालू उधार | 177.33 | 221.85 | | | 399.17 |
| | 178.64 | 221.73 | | | 400.37 |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डॉ आईएन: 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| 5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities | | | | | ₹ in Cr |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Particulars | As at 1st April 2022 | Cashflows | Non - Cash Changes | | As at 31st March 2023 |
| | | | Fair Value Adjustment | Others on account of Acquisition | |
| Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings) | 1.32 | (0.12) | - | - | 1.20 |
| Current Borrowings | 177.33 | 221.85 | - | - | 399.17 |
| | 178.64 | 221.73 | - | - | 400.37 |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023

टिप्पणी 1- समेकित वित्तीय विवरणों की निगमित सूचना एवं सार्थक लेखांकन नीतियाँ।

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ('मूल कंपनी') वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरत्ना उद्यम है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। मूल कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादों, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादों और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना, फार्मसी और नैदानिक सेवाओं के रिटेल श्रृंखला के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है। कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को प्रबंध करती है। मूल कंपनी को तीन सहायक कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम है। सहायक कंपनी जीएपीएल स्वास्थ्य रक्षा के लिए हैं और हाइट्स, निर्माण, अवसंरचना विकास, इंजीनियरी सेवाएँ, प्रापण प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने में लगे रहते हैं और सहायक कंपनी एचएमसीसीएचएल निष्क्रिय है। बाद में सहायक कंपनियों के साथ मिलकर मूल कंपनी 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को 22 अगस्त, 2023 को निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था और 28 अगस्त, 2023 के एक संकल्प के साथ तकनीकी आधार पर फिर से अनुमोदित किया गया था।

जो, बताये,

नए लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से इंड एस में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :

- क) इंड ए एस 1 में संशोधन, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति जहाँ कंपनियों को अब अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय संगत लेखांकन नीतियाँ प्रकट करने की आवश्यकता है।
- ख) इंड ए एस 8 में संशोधन, लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ जहाँ 'लेखांकन अनुमान में परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमान' की संशोधित परिभाषा से बदल दिया गया है।
- ग) इंड ए एस 12 में संशोधन, आयकर जहाँ प्रारंभिक मान्यता छूट (आई आर ई) का अवसर कम कर दिया गया है।

प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन संशोधनों का उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

1 क सार्थक लेखांकन नीतियाँ

1.1 तैयारी/समेकन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार, प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अधीन (i) कुछ वित्तीय साधन जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है; (ii) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ जिन्हें उनकी अग्रणी राशि के निचले स्तर पर और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है; (iii) व्युत्पन्न वित्तीय साधन और (iv) निर्धारित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ, जो नीचे लेखांकन नीतियों में बताएँ जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर तैयार किए जाते हैं।

इंड ए एस, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित हैं। लेखांकन नीतियों को जहाँ एक नव जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, को छोड़कर लगातार लागू किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और जहाँ अन्यथा इंगित किए गए करोड़ों को छोड़कर सभी मूल्यों को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किए जाते हैं।

Note 1: Corporate Information and Significant Accounting Policies of Consolidated Financial Statements

Corporate information

HLL Lifecare Limited, (“Parent Company”) incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012. The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The Parent company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Retail chain of pharmacies and Diagnostic services. The company caters to both domestic and international markets. The parent company has three subsidiaries and one joint venture. The subsidiary GAPL is into health care and HITES is engaged in providing the services in the area of construction, infrastructure development, engineering services, procurement management, supply chain management, facility management services and the subsidiary HMCCHL is defunct. The Parent Company together with its subsidiaries is hereinafter referred to as the “Group”.

The consolidated financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of directors on 22nd August 2023 and re-approved on technical grounds with a resolution dated 28th August 2023.

Recent accounting pronouncements

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated 31st March, 2023, has made the following amendments to Ind AS which are effective from 1st April, 2023:

- a. Amendments to Ind AS 1, Presentation of Financial Statements where the companies are now required to disclose material accounting policies rather than their significant accounting policies.
- b. Amendments to Ind AS 8, Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors where the definition of ‘change in accounting estimate’ has been replaced by revised definition of ‘accounting estimate’.
- c. Amendments to Ind AS 12, Income Taxes where the scope of Initial Recognition Exemption (IRE) has been narrowed down.

Based on preliminary assessment, the Company does not expect these amendments to have any significant impact on its consolidated financial statements.

1 A Significant accounting policies

1.1 Basis of Preparation/Consolidation

These consolidated financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under the historical cost convention on accrual basis except for: (i) certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period; (ii) Non-current assets classified as held for sale which are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell; (iii) derivative financial instrument and (iv) defined benefit plans – plan assets that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest Crores except where otherwise indicated.

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल व सेवाओं के लिए विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या एक व्यवस्थित माप तिथि में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के अनुमान लगाने में ग्रूप परिसंपत्ति या दायित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाजार सहभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखे है। इन वित्तीय विवरणों में मापन और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण, शेर आधारित भुगतान लेनदेन जो इंड एस 102 के दायरे में है, लीजिंग लेनदेन जो इंड एस 116 के दायरे में है, और माप जिसे उचित मूल्य से कुछ समानताएँ हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि इंड ए एस 2 में निवल वसूली योग्य मूल्य या इंड एस 36 में उपयोग में मूल्य को छोड़कर ऐसे आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापन के इनपुट देखे जा सकते हैं और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी संपूर्णता में है, जो निम्नानुसार वर्णित है :

- स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2 इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट हैं; जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए देखने योग्य हैं; और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए न देखे जा सकने वाले इनपुट हैं।

1.1 क समेकन सिद्धांत

एचएलएल उन संस्थाओं को समेकित करता है जिनका वह स्वामित्व या नियंत्रण करता है। समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी, उसके नियंत्रित न्यासों और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब मौजूद होता है जब मूल कंपनी को इकाई के साथ उसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए इकाई पर शक्ति होती है, उजागर होता है या अधिकार होता है और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मौजूदा अधिकारों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है जो क्षमता को प्रत्यक्ष प्रासंगिक गतिविधियाँ देते हैं जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सहायक कंपनियाँ नियंत्रण प्रारंभ होने की तारीख से नियंत्रण समाप्त होने तक की तिथि तक समेकित किए जाते हैं।

क समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखांकन मानक 110 (इंड ए एस 110) 'समेकित वित्तीय विवरण', भारतीय लेखांकन मानक 28 (इंड ए एस 28) 'कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित 'सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किया गया है।

ख ग्रूप के समेकित वित्तीय विवरण, परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, आय और खर्च जैसे समान मदों को जोड़कर मद्दार आधार पर जोड़ दिया गया है। इंटर-ग्रूप शेष एवं इंटर-ग्रूप लेनदेन और अप्राप्त लाभ पूर्ण रूप से हटाया गया है।

ग सहायक कंपनियों में निवेश की लागत, सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय पर निवल परिसंपत्तियों के बीच का अंतर समेकन पर सद्भाव के रूप में समेकित वित्तीय विवरण में पहचान किया जाता है। समेकन पर सद्भाव प्रतिवर्ष खराब हानि के लिए जाँच किया जाता है और मूल्यांकित किसी भी हानि प्रदान की जाती है।

घ समेकित सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में गैर नियंत्रण ब्याज में सहायक कंपनियों में मूल कंपनी द्वारा बनाए गए निवेश की तारीख पर गैर-नियंत्रण शेयरधारकों के लिए आरोप्य इक्विटी की रकम और निवेश की तारीख के अनुवर्ती इक्विटी में उनके शेयर के अतिरिक्त गति शामिल हैं।

ड संयुक्त उद्यम में मूल कंपनी का निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए परिकलित किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अधीन, साझेदार या संयुक्त उद्यम का निवेश प्रारंभ में लागत पर पहचान किया जाता है। निवेश की रखाव रकम, अधिग्रहण की तारीख तक संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों के ग्रूप शेयरों के परिवर्तनों को पहचान करने के लिए समायोजित की जाती है।

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/ or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of Ind AS 102, leasing transactions that are within the scope of Ind AS 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value in Ind AS 2 or value in use in Ind AS 36.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorised into Level 1, 2, or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

1.1A Principles of Consolidation

HLL consolidates entities which it owns or controls. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of the Company, its controlled trusts and its subsidiaries. Control exists when the parent has power over the entity, when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns by using its power over the entity. Power is demonstrated through existing rights that give the ability to direct relevant activities, those which significantly affect the entity's returns. Subsidiaries are consolidated from the date control commences until the date control ceases.

- a. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard 110 (Ind AS 110) "Consolidated Financial Statements", Indian Accounting Standard 28 (Ind AS 28) "Investments in Associates and Joint Ventures" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- b. The Consolidated Financial Statements of the Group have been combined on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. The intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits have been fully eliminated.
- c. The difference between the cost of investment in the subsidiaries, over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the Consolidated Financial Statements as Goodwill on Consolidation. The Goodwill on consolidation is tested for impairment every year and any loss assessed is provided for.
- d. Non-controlling interests in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the non-controlling shareholders at the dates on which investments are made by the Parent Company in the subsidiary companies and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investment.
- e. The parent company's investment in the joint venture is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the joint venture since the acquisition date.

1.2 परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

यह ग्रुप वर्तमान /गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित ग्रुप के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद व नकद तुल्यांक में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, परिसंपत्ति और देयताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए ग्रुप द्वारा 12 महीना माना गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू/गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

- सामान्य परिचालन चक्र में होने यह वसूल करने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा है: या
- यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से रखा है या
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल करना अपेक्षित है या
- यह परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से जब तक प्रतिबंधित नहीं या देयता व्यवस्थित करने के लिए उपयोगित करता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियाँ गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं यदि :

इस प्रकार यह देयता चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

- यह सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है, या
- यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है, या
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है, या
- ग्रुप को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने के लिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्ष के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा, इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

1.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यहास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये गये हैं।

अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन के इरादे से उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह, यदि है, फार्मास्यूटिकल्स, लागत में जहाँ भी लागू हो, कर क्रेडिट के अलावा सभी आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

नई परियोजनाओं/व्यवसायों की नई लाइन की पहचान के लिए हुए राजस्व व्यय को पूँजीगत कार्यप्रगति के रूप में माना जाता है। इसे व्यवसाय शुरू करने के पहले वर्ष में परियोजना लागत में समाहित किया जाएगा। यदि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर नई परियोजना/व्यवसाय की नई लाइन अमल में नहीं आती है, तो पूरे खर्च को तीसरे वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाएगा। उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोड़ा जाता है।

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और यह निर्माण इसकी समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मदों में आबंटित किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है।

1.2 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

The Group presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on Current/Non- Current classification.

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the Group's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Group for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

- (i) It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or
- (ii) It is held primarily for the purpose of trading; or
- (iii) It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or
- (iv) The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Similarly, a liability is classified as current if:

- (i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or
- (ii) It is held primarily for the purpose of trading; or
- (iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
- (iv) The Group does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any.

Cost directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use as intended by the management. Cost includes all incidental expenditure net of tax credits wherever applicable.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year. Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

रु. 5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बर्ड उपकरण और सर्विसिंग उपकरण या 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास किए गए हैं। इसके अलावा संयंत्र और मशीनरी के तहत सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर और अन्य परिसंपत्तियों (अमूर्त संपत्ति और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है ताकि उन परिसंपत्तियों, जिनका उपयोगी जीवन किसी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है, को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बढ़े खाते में डाल दिया जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं :

| परिसंपत्ति की श्रेणी | अनुमानित उपयोगी जीवन |
|---|---|
| पट्टा भूमि | पट्टे की अवधि |
| फैक्टरी भवन | 30 वर्ष |
| फैक्टरी भवन के अलावा अन्य भवन | 60 वर्ष |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 15 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| ईसीजी, एक्स-रे, सीटी स्कान, एमआरआई मशीन आदि | 13 वर्ष |
| फर्नीचर व फिक्चर | 10 वर्ष या या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| मोटर वाहन | 8 वर्ष |
| कार्यालय उपकरण | 5 वर्ष |
| कंप्यूटर व लैपटॉप | 3 वर्ष |
| प्रयोगशाला उपकरण | 10 वर्ष या या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो। |
| विद्युत संस्थापन | 10 वर्ष |

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

मुख्य परिसंपत्ति के घटकों को अलग से पहचानना और निर्धारित किया गया था, यदि उनके पास एक उपयोगी जीवन है जो मूल परिसंपत्ति से महत्वपूर्ण रूप से अलग है। मूल परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा के रूप में माना गया है कि कोई घटक महत्वपूर्ण है या नहीं।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि जिसकी लागत ₹ 5000/- प्रत्येक या उससे कम है तो परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के लिए जोड़ने की तिथि पर ध्यान दिए बिना क्रय के वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

मूल मशीनरी के लिए लागू समान दरों और पद्धति का उपयोग करके उपकरण के साथ प्राप्त किए गए मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास किए जाते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए अलग रूप से खरीदे गए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी के समाप्त जीवन के लिए संचित मूल्यहास के बराबर दर वर्ष के मूल्यहास के साथ अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज की जाती है।

अस्वीकृति

निपटान या परिसंपत्ति के सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Depreciation on Property, Plant and Equipment other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

The estimated useful life as per Companies Act 2013 are as follows:

| Category of Asset | Estimated Useful life |
|--|---|
| Leasehold land | Period of lease |
| Factory Buildings | 30 years |
| Buildings other than Factory Buildings | 60 years |
| Plant & Machinery | 15 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| ECG, X-Ray, CT scan, MRI machines etc | 13 years |
| Furnitures and Fixtures | 10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| Motor Vehicles | 8 years |
| Office equipments | 5 years |
| Computers & Laptops | 3 years |
| Laboratory equipments | 10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier |
| Electrical Installations | 10 years |

The depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically including at each financial year end.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Property Plant and Equipment, costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

De-recognition:

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit or Loss.

1.4 निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूँजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जिस पर ग्रूप द्वारा कब्जा नहीं किया गया है या उसके संचालन के लिए हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ ग्रूप को प्राप्त होंगे और मदों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है।

जब किराए पर दी गई संपत्ति को खाली कर दिया जाता है और प्रबंधन का इरादा अपनी व्यावसायिक जरूरतों के उद्देश्य के लिए खाली हिस्से का उपयोग करना होता है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा अन्य निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन के अनुरूप है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उसके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है, तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

सेवानिवृत्ति या निवेश संपत्ति के निपटान से होनेवाले अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त किया जाता है।

1.5 अमूर्त परिसंपत्ति

अनुसंधान एवं विकास

नए वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान व समझ को प्राप्त करने की संभावना के साथ किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर किए गए व्यय को खर्च होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विकास गतिविधियों में नए या काफी बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के उत्पादन के लिए एक योजना या डिजाइन शामिल है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी प्रदर्शित किए गए हों:

- विकास लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है;
- उत्पाद या प्रक्रिया, तकनीकी एवं वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य है ;
- भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य है; तथा
- ग्रूप विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन/क्षमता रखने का इरादा रखता है।

पूँजीकृत किए जानेवाले व्यय में सामग्री की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग की ओर तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य लागतें शामिल हैं।

अनुवर्ती व्ययों को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब वे उस विशिष्ट परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है और लागत कम संचित परिशोधन और संचित खराब हानियों पर ले जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को समेकित लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

1.4 Investment Property

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied, or part occupied by the Group for its operations, is classified as investment property.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.

When a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment.

Depreciation on Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment.

An investment property is derecognised on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognised in Statement of profit or loss.

1.5 Intangible Asset

Research and development

Expenditure on research activities undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding are recognised as an expense when incurred.

Development activities involve a plan or design for the production of new or substantially improved products and processes.

An internally generated intangible asset arising from development is recognised if and only if all of the following have been demonstrated:

- development costs can be measured reliably;
- the product or process is technically and commercially feasible;
- future economic benefits are probable; and
- the Group intends to and has sufficient resources/ability to complete development and to use or sell the asset.

The expenditure to be capitalised include the cost of materials and other costs directly attributable to preparing the asset for its intended use. Other development expenditure is recognised in profit or loss as incurred.

Subsequent expenditures are capitalised only when they increase the future economic benefits embodied in the specific asset to which they relate.

Intangible assets with finite useful lives are capitalized and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of consolidated profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

असीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधित नहीं की जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती हैं। अनिश्चितकालीन जीवन आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है तो असीमित से सीमित की ओर उपयोगी जीवन का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

परिशोधन को उनके आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क/पेटेंट 5 साल की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजीगत कार्य के रूप में प्रगति पर माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास/परिशोधन की विधि की समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर हिसाब लगाया जा रहा है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है। एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.6 पट्टा

पट्टेदार के रूप में ग्रूप

ग्रूप की पट्टे की परिसंपत्ति में मुख्य रूप से भूमि, भवन संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। अनुबंध की शुरुआत में ग्रूप इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध का विचार करने की ओर बदले में कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों का उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि :

- अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- ग्रूप को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हित लाभ को काफी हद तक प्राप्त करने का अधिकार है।
- ग्रूप को परिसंपत्ति के उपयोग के निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तिथि पर ग्रूप परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयु) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधिवाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोड़कर यह एक पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए ग्रूप, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयु की परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यहास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

Intangible assets with indefinite useful lives are not Amortized but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Trademark/Patents are amortized over a period of 5 years.

Trademark Expenses

Expenses incurred on trademark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

The residual values, estimated useful life and method of depreciation/amortization of Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

1.6 Leases

Group as a lessee:

The Group's lease assets primarily consist of land, buildings, plant and machinery. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Group assesses whether:

- (i) The contract involves the right to control the use of an identified asset
- (ii) The Group has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and
- (iii) The Group has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease. Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली नहीं की जा सकती है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य के लिए वसूली योग्य राशि (यानी, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य का उच्च उचित मूल्य) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है। पुनःमापन आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को तुलना पत्र में अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.7 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

ग्रुप की गैर-वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या वहाँ कोई संकेत है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और एक क्षति हानि को मान्यता दी जाती है, यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि समेकित लाभ और हानि के विवरण में इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है।

उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाज़ार निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

सीजीयू के संबंध में पहचान की गयी क्षति हानि को पहले सीजीयू को आंबटित सद्भावना (यदि कोई हो) की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए निर्धारित किया जाता है, और फिर अनुपात के आधार पर सीजीयू (या सीजीयू के ग्रुप) की अन्य परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए आंबटित किया जाता है।

सद्भावना के संबंध में एक क्षति हानि को बाद में उलट नहीं किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके लिए पूर्व अवधियों में क्षति हानि की पहचान की गई है, ग्रुप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेत है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को उलट दिया जाता है। इस तरह का उत्क्रमण केवल उस सीमा तक किया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई है, मूल्यहास या परिशोधन के निवल, यदि कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई थी।

विकासधीन परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान हाल के बजट या परियोजना से संबंधित पूर्वानुमानों के आधार पर लगाया जाता है, जो वर्तमान बाज़ार स्थितियों में समायोजित किया जाता है।

1.8 वस्तुसूची

कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्पेयर और तैयार माल से युक्त मालसूची और कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में क्रय की लागत और कर और शुल्क शामिल है और पात्र कर क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आंबटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

Right of use assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e., the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of Use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.7 Impairment of Non-financial assets

The Group's non-financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is any indication that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated, and an impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount in the statement of consolidated profit and loss.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted

Impairment loss recognised in respect of a CGU is allocated first to reduce the carrying amount of goodwill (if any) allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets of the CGU (or groups of CGUs) on a pro rata basis.

An impairment loss in respect of goodwill is not subsequently reversed. In respect of other assets for which impairment loss has been recognised in prior periods, the Group reviews at each reporting date whether there is any indication that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. Such a reversal is made only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions.

1.8 Inventories

Inventories consisting of raw materials and packing materials, work-in-progress, stock-in-trade, stores and spares and finished goods and are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible tax credits. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन के लिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थित/ निरीक्षणधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनर्मूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार के लिए खरीदे गये मालों को, पात्र क्रेडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रेय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ रिपोर्टिंग तारीख से 3 महीनों के अंतर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों के मर्दों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि के लिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकलित किया जाता है। धीमी गति से चलनेवाली, अप्रचलित और अन्य गैर-बिक्री योग्य वस्तुसूची के लिए भत्ता निर्धारित करने में ग्रूप जिन कारकों पर विचार करता है, उनमें अनुमानित शेल्फ लाइफ जीवन, नियोजित उत्पाद विच्छेदन, मूल्य परिवर्तन, वस्तुसूची पुराना हो जाना और प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों की शुरुआत शामिल हैं, इनमें से प्रत्येक कारक ग्रूप के व्यवसाय और बाजारों को कुछ हद तक प्रभावित करता है। ग्रूप इन सभी घटकों पर विचार करता है और आवधिक आधार पर अपने वास्तविक अनुभव को दर्शाने के लिए वस्तुसूची प्रावधान को समायोजित करता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.9 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष (आमतौर पर 3 महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले) के है उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं। इंड एस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

1.10 वित्तीय साधन

मान्यता और प्रारंभिक मापन

जब जारी किए गए व्यापार प्राप्य और ऋण प्रतिभूतियाँ उत्पन्न होते ही उन्हें मान्यता दी जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में मान्यता दी जाती है जब ग्रूप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, जैसा उचित हो, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के सीधे अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागतों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

- प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को निम्न पर माप कर वर्गीकृत किया जाता है।
 - परिशोधित लागत
 - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
 - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
- एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित नहीं किया गया है।
 - परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है; तथा

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible tax credits. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the reporting date are taken at NIL value.

The provision for loss if any in respect of slow-moving items of materials/finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability/marketability. The factors that the Group considers in determining the allowance for slow moving, obsolete and other non-saleable inventory include estimated shelf life, planned product discontinuances, price changes, ageing of inventory and introduction of competitive new products, to the extent each of these factors impact the Group's business and markets. The Group considers all these factors and adjusts the inventory provision to reflect its actual experience on a periodic basis.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

1.9 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (usually having a maturity period of 3 months or less), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand.

1.10 Financial Instruments

Recognition and initial measurement

Trade receivables and debt securities issued are initially recognised when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in the statement of consolidated profit and loss.

Classification and subsequent measurement

Financial assets

- i) On initial recognition, a financial asset is classified as measured at
 - Amortised cost
 - Fair value through other comprehensive income
 - Fair value through profit and loss

- ii) A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
 - The asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual flows; and

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।
- iii) एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।
- iv) सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें ऊपर वर्णित जैसे परिशोधित लागत पर मापा गया या एफवीओसीआई में मापा गया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो एफवीटीपीएल में मापा जाता है। इसमें सभी व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता पर, ग्रूप एक वित्तीय परिसंपत्ति को अपरिवर्तनीय ढंग से नामित कर सकता है जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत पर या एफवीओसीआई में मापी जानेवाली आवश्यकताओं को पूरा करता है यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होनेवाले लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।
- v) एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय में पहचान की गयी उचित मूल्य परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश सहित आय को समेकित लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत क्षति हानि से कम की जाती है। किसी ब्याज सहित आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और क्षति हानि को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।
- vi) वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है, यदि इसके सिवाय इस अवधि में ग्रूप अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

वित्तीय देयताएँ

- i) वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत एफवीटीपीएल पर मापने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
- ii) एक वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे हेल्ड-फॉर- ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या यह एक व्युत्पन्न है या इसे प्रारंभिक मान्यता इस तरह नामित किया गया है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ व हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।
- iii) अन्य वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को भी लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह किसी लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है, तो ग्रूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर देता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया गया है या जिसमें ग्रूप स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

ग्रूप लेनदेन में प्रवेश करता है जिससे वह अपनी तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है लेकिन हस्तांतरित परिसंपत्तियों के सभी या पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखता है, हस्तांतरित परिसंपत्ति को अमान्य नहीं किया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त व प्राप्य राशि के बीच का अंतर संचयी अभिलाभ या हानि है जिसे समेकित लाभ एवं हानि विवरण में पहचाना जाना है।

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iii) A financial asset is subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iv) All financial assets not classified as measured at amortised cost or as measured at FVOCI as described above are measured at FVTPL. This includes all derivative financial assets. On initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.
- v) Financial assets at FVTPL – These are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognised in profit or loss.

Financial assets at FVOCI – These assets are subsequently measured at fair value, with fair value changes recognised in other comprehensive income. Income, including any interest or dividend, are recognised in statement of consolidated profit and loss.

Financial assets at amortised cost – These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The amortised cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment losses are recognised in profit and loss.

- vi) Financial assets are not re-classified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Group changes its business model for managing its financial assets.

Financial liabilities

- i. Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL
- ii. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, or it is a derivative or it is designated as such in initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit and loss.
- iii. Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense, foreign exchange gains and losses are recognised in profit and loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognised in profit and loss.

De-recognition

Financial assets

The Group de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its balance sheet but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets, the transferred assets are not derecognised.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is the cumulative gain or loss that has to be recognised in the statement of consolidated profit and loss.

वित्तीय देयता

ग्रूप एक वित्तीय देयता को तब मान्यता देता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द या समापन हो जाता है। गैर- मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान व देय प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को समेकित अभिलाभ एवं हानि के विवरण में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय देयता की शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है, तो ग्रूप इसको भी मान्यता देता है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर अमान्य किया जाता है। समाप्त की गई वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

अपने वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने में, ग्रूप विभिन्न तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करता है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाज़ार तिथियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों में रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाज़ार मूल्य और डीलर उद्धरण शामिल हैं। उचित मूल्य का आकलन करने के सभी तरीके जिसके परिणामस्वरूप मूल्य का सामान्य अनुमान लगाया जाता है, और ऐसा मूल्य वास्तव में कभी भी वसूल नहीं किया जा सकता है।

ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि, तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, जब और केवल तभी जब राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और इसका इरादा या तो उन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करना है और देयताओं को एक साथ निपटाने का है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

ग्रूप वित्तीय परिसंपत्ति पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है जिसे एफवीटीपीएल में नहीं मापा गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ग्रूप यह आकलन करता है कि क्या परिशोधन लागत/ एफवीओसीआई पर ले जानेवाली ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों, क्रेडिट-हानि है। जब एक या अधिक घटनाएँ होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति, क्रेडिट हानि होती है जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

ग्रूप बैंक शेष को छोड़कर जीवन भर की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मापता है, जिसे 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के रूप में मापा जाता है, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते को हमेशा आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली प्रत्याशित क्रेडिट हानि है। 12 महीने का ईसीएल, ईसीएल का एक हिस्सा है, जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन :

व्यापार प्राप्य के लिए आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानि 'ईसीएल' भत्ता को मापने के लिए ग्रूप ने इंड एस 109 'वित्तीय साधनों' के तहत एक मॉडल अपनाया है। मॉडल प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को क्रेडिट हानियों के संभाव्यता-भारित अनुमान के रूप में निर्धारित करता है।

क्षति हानियों और उत्क्रमणों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

परिशोधन लागत पर /एफवीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ते को परिसंपत्तियों की सकल अग्रणीत राशि से घटाया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि को इस सीमा तक बट्टे खाते में डाल (आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से) दिया जाता है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

1.11 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य केश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित किया जाता है।

Financial liabilities

The Group de-recognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability de-recognised and the sum of consideration paid and payable is recognised as gain or loss in the statement of consolidated profit and loss.

The Group also de-recognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognised in profit and loss.

Fair Value of Financial Instruments

In determining the fair value of its financial instruments, the Group uses a variety of methods and assumptions that are based on market conditions and risks existing at each reporting date. The methods used to determine fair value include discounted cash flow analysis, available quoted market prices and dealer quotes. All methods of assessing fair value resulting general approximation of value, and such value may never actually be realized.

Offsetting:

Financial assets and financial liabilities are offset, and net amount presented in the balance sheet when, and only when there is a legally enforceable right to set off the amounts and it intend either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of financial assets

The Group recognises loss allowance for expected credit loss (ECL) on financial asset which are not measured at FVTPL. At each reporting date, the Group assess whether such financial assets carried at amortised cost / FVOCI are credit – impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

The Group measures loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses except for bank balances which are measured as 12 month expected credit losses for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime expected credit losses.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

Measurement of expected credit losses:

The Group has adopted a model, as permitted under Ind AS 109 “Financial Instruments”, for measuring lifetime expected credit loss “ECL” allowance for trade receivables. The model determines the expected credit losses as the probability-weighted estimate of credit losses.

The impairment losses and reversals are recognised in statement of consolidated profit and loss.

Loss allowance for financial assets measured at amortised cost / at FVOCI are deducted from gross carrying amount of the assets. The gross carrying amount of a financial assets is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery.

1.11 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts

ग्रूप के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से होनेवाले नकदी प्रवाह को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किया जाता है।

1.12 राजस्व मान्यता

माल की बिक्री :

ग्रूप, गर्भनिरोधक, अस्पताल उत्पाद, महिला स्वास्थ्य रक्षा फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जैसे अपने उत्पादों की एक श्रृंखला से राजस्व उत्पन्न करता है।

माल की बिक्री से होनेवाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बेचे जा रहे उत्पादों का नियंत्रण हमारे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और जब कोई अधूरा दायित्व नहीं रह जाता है। हमारे अनुबंधों में निष्पादन दायित्वों का प्रेषण वितरण के समय या ग्राहक की शर्तों के आधार पर औपचारिक ग्राहक स्वीकृति पर पूरा किया जाता है। राजस्व को किसी भी व्यापार छूट, मात्रा में छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए किसी भी कर या शुल्क जैसे माल और सेवा कर आदि की कटौती के बाद अनुबंधित मूल्य के आधार पर मापा जाता है। इस तरह की छूट और घटौती के प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए संचित अनुभव का उपयोग किया जाता है। राजस्व केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण उलटाव नहीं होगा।

सेवाओं का समर्पण :

ग्रूप स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं, रिटेल फार्मसी सेवाओं, अवसंरचना विकास सेवाओं, परियोजना प्रबंधन परामर्श व संबद्ध सेवाओं, सुविधा प्रबंधन सेवाओं और प्राण परामर्श सेवाओं से राजस्व अर्जित करता है।

प्रदान की गई सेवाओं से आय को ग्राहकों के साथ समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर मान्यता दी जाती है जैसा कि सेवा की जाती है और कोई अधूरे दायित्व नहीं हैं। सेवाओं से राजस्व के संबंध में ग्रूप समय की अवधि में मान्यता का पालन करता है।

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्वों में ग्रूप के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं।

1.13 अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो व्यवस्थाओं, उसे तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक वसूली न हो जाए। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

1.14 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण

ग्रूप के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके कार्यात्मक मुद्रा भी है।

यदि लेन-देन की तिथि पर औसत दर, वास्तविक दर का अनुमान लगती है, तो विदेशी मुद्राओं में लेन-देन, इसकी तारीखों पर विनिमय दरों पर या औसत दर पर ग्रूप की कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीत की मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य निर्धारित होने पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं। योग्य नकदी प्रवाह हेजेज, जो प्रभावी होते हैं और जिन्हें ओसीआई में मान्यता प्राप्त है, को बदलने से उत्पन्न होनेवाले विनिमय मतभेदों को छोड़कर, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Group are segregated based on audited financial statements.

1.12 Revenue recognition

Sale of goods:

The Group generates revenue from a range of its products viz., Contraceptives, Hospital products, Women Healthcare Pharma and Personal hygiene products.

Revenue from sale of goods is recognised when control of the products being sold is transferred to our customer and when there are no longer any unfulfilled obligations. The Performance Obligations in our contracts are fulfilled at the time of dispatch, delivery or upon formal customer acceptance depending on customer terms. Revenue is measured on the basis of contracted price, after deduction of any trade discounts, volume rebates and any taxes or duties collected on behalf of the Government such as goods and services tax, etc. Accumulated experience is used to estimate the provision for such discounts and rebates. Revenue is only recognised to the extent that it is highly probable a significant reversal will not occur.

Rendering of services:

The Group generates revenue from Healthcare Services, Laboratory and Diagnostic Services, Retail Pharmacy Services, Infrastructure Development services, Project Management Consultancy and allied services, Facility Management Services, and Procurement Consultancy Services.

Income from services rendered is recognised based on agreements/arrangements with the customers as the service is performed and there are no unfulfilled obligations. In respect of revenue from services the Group follows recognition over a period of time.

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Group and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

1.13 Other Income

Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

1.14 Foreign currency transactions and translations

The Group's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of the Group, at the exchange rates at the dates of the transactions or an average rate if the average rate approximates the actual rate at the date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the exchange rate when the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Exchange differences are recognized in profit or loss, except exchange differences arising from the translation of qualifying cash flow hedges to the extent that the hedges are effective, which are recognized in OCI.

1.15 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि ग्रुप उनके साथ संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें ग्रुप संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यहास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूंजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यहास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब ग्रुप को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समेकित लाभ एवं हानि खाते में जारी मान्यता प्राप्त है।

सरकारी अनुदान जो चुकाने योग्य हो जाता है, उसे लेखांकन अनुमान (इंड एस 8, लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन) में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। आय से संबंधित अनुदान की चुकौती को पहले अनुदान के संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी परिशोधित आस्थगित ऋण के लिए लागू किया जाता है। इस हद तक कि चुकौती ऐसे किसी भी आस्थगित ऋण से अधिक है, या जब कोई आस्थगित ऋण मौजूद नहीं है तो चुकौती को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

किसी परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान की चुकौती को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करके या आस्थगित आय शेष को प्रतिदेय राशि से घटाकर मान्यता दी जाएगी। संघयी अतिरिक्त मूल्यहास जिसे अनुदान के अभाव में आज तक लाभ या हानि में मान्यता दी गई होगी, को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाएगी।

1.16 कर्मचारी फायदे

निर्धारित लाभ योजना:

उपदान

ग्रुप, पात्र स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना (उपदान योजना) प्रदान करता है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, क्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और ग्रुप के साथ रोजगार की अवधि के आधार पर एक रकम का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। भारतीय कानून द्वारा अनुमत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक योजना में योगदान का निवेश किया जाता है।

इन निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में देयताएँ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। ये निर्धारित लाभ योजनाएँ ग्रुप को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाज़ार जोखिम के लिए प्रकट करती हैं।

ग्रुप अपनी तुलन पत्र में एक निर्धारित लाभ योजना के निवल दायित्व को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देता है। निवल निर्धारित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनःमाप के माध्यम से लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय मान्यता दी जाती है और बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निर्धारित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दर को लागू करके गणना की गई आय से अधिक योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक रिटर्न, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। किसी भी योजना संशोधन के प्रभाव को समेकित लाभ व हानि के विवरण में निवल लाभ में मान्यता दी जाती है।

1.15 Government grants

Government grants are recognized only when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.

Government grants in the nature of revenue items are recognized in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognized as income in the statement of profit or loss over the period and the proportion in which depreciation is charged. Government grants related to assets are presented in the Balance sheet as Deferred Grant.

When the Group received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and recognised in the consolidated profit and loss account over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

A Government grant that becomes repayable is accounted for as a change in accounting estimate (Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Repayment of a grant related to income is first applied against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment is recognised immediately in profit or loss.

Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation that would have been recognised in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognised immediately in profit or loss.

1.16 Employee benefits

Defined Benefit Plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan ('the Gratuity Plan') covering eligible permanent and temporary employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, in capacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the Group. The contributions are invested in a scheme with the Life Insurance Corporation of India as permitted by Indian law.

Liabilities with regard to these defined benefit plans are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each Balance Sheet date using the projected unit credit method. These defined benefit plans expose the Group to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest rate risk and market risk.

The Group recognizes the net obligation of a defined benefit plan in its Balance Sheet as an asset or liability. Gains and losses through re-measurements of the net defined benefit liability/(asset) are recognized in other comprehensive income and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. The actual return of the portfolio of plan assets, in excess of the yields computed by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation is recognized in other comprehensive income. The effect of any plan amendments is recognized in net profit in the Statement of Consolidated Profit and Loss.

मुआवज़ा अनुपस्थिति

ग्रुप को केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो संचित और गैर-संचित दोनों हैं। अनुपयोगी पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जानेवाली/प्राप्त की जानेवाली अतिरिक्त राशि पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकक मूल्यांकन के ज़रिए मुआवज़ा की अनुपस्थिति को संचित करने की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है जो तुलन पत्र की तारीख में जमा हो गया है। गैर-संचित मुआवज़ा अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

रोज़गार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोज़गार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, संहिता लागू होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। ग्रुप संहिता लागू होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता लागू होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

निर्धारित अंशदान योजना

भविष्य निधि

ग्रुप के योग्य कर्मचारियों को भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, एक पोस्ट-रोज़गार लाभ, जिसके तहत पात्र कर्मचारी और ग्रुप दोनों पीएफ अधिकारियों को कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए ग्रुप का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

ईएसआई और अन्य अंशदान योजनाएँ

निर्धारित अन्य अंशदान योजनाओं, यानी अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों के लिए कंपनी का अंशदान, के लिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारग्रहण की अवधि में समेकित लाभ एवं हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब सेवायें कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं। राशि का भुगतान संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को किया जाता है और ग्रुप को आगे कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंशन योजना भी शामिल हैं। ग्रुप कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डीए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है। योगदान के अलावा ग्रुप को कोई और कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान समेकित लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवायें समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ के लिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने के लिए प्रत्याशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापा जाता है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किए गए भुगतान को भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

Compensated Absences

The Group has a policy on compensated absences only to permanent employees which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid / availed as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.

The Code on Social Security, 2020 relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Group will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

Defined Contribution Plans

Provident Fund

Eligible employees of the Group receive benefits from a provident fund, a post –employment benefit under which both the eligible employee and the Group make monthly contributions to the provident fund plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary to PF authorities and the Group will have no legal or constructive obligation to pay further amounts.

ESI and Other Contribution Plans

Payments to other defined contribution plans i.e., superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Consolidated Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees. The amounts are paid to respective government authorities and the Group has no further legal or constructive obligation.

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the Group as on 9-10-2012. Group contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India. The Group has no further legal or constructive obligation beyond the contribution.

Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefit expense in the Statement of Consolidated Profit and Loss in the periods during which the related services are rendered by the employees.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Consolidated Profit and Loss on incurrence.

1.17 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों, जो ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों।

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रुप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए गए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाता है।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि जिसमें उनका खर्च किए गए हैं, में लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

1.18 खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड, मुख्य प्रचालन निर्णायकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। ग्रुप का मुख्य प्रचालन निर्णायकर्ता, संसाधनों के आबंटन और प्रचालन खंडों के निष्पादन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.19 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है। चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचान की जाती है इसके सिवाय वे जब इससे संबंधित मद अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त की जाने की उम्मीद की गई कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को केवल तभी ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और इसका उद्देश्य, परिसंपत्ति का एहसास करना और देयता को निवल आधार पर या एक साथ निपटाना है।

आस्थगित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणीत राशियों और करायान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली संगत राशियों के बीच के अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर निम्न के लिए मान्यता नहीं दी जाती है :

- लेन-देन में संपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और वह लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश से संबंधित अस्थायी मतभेद उस हद तक कि ग्रुप अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ-गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक मान्यता प्राप्त/कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना/अब संभावित नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का प्राप्त किया जाता है या देयता का निपटारा किया जाता है, जो उन कानूनों के आधार पर होता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

1.17 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

1.18 Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker of the Group is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

1.19 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current Tax:

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes. It is measured using tax rates (and tax laws) enacted or substantively enacted by the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for:

- temporary differences arising on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.
- temporary differences related to investments in subsidiaries, associates and joint arrangements to the extent that the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets – unrecognised or recognised, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/ no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से ग्रूप अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर उम्मीद करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएँ ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताएँ और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई या विभिन्न कर संस्थाओं पर वसूल किए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताएँ एक साथ वसूली की जाएंगी।

कर की स्थिति

अनिश्चित कर स्थितियों के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन को संभावित जोखिमों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रोद्भवन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य राशि का उपयोग करके मापा जाता है, जिसके आधार पर इकाई अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करने की अपेक्षा करती है। कर लाभों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि प्रबंधन लागू कानूनों और नियमों की व्याख्या के आधार पर और कर प्राधिकरण मामले को कैसे हल करेगा, इसकी अपेक्षा के आधार पर समाप्त नहीं होता है कि इस तरह के लाभ अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। एक बार स्वीकार नहीं किए जाने के संभावित माने जाने पर प्रबंधन प्रत्येक भौतिक कर लाभ की समीक्षा करता है और संबंधित कर योग्य राशियों के निर्धारण में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाता है।

1.20 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटना के परिणामस्वरूप जब ग्रूप को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि ग्रूप को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जब ग्रूप कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करता है, उदाहरण के लिए, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति निश्चित हो। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के समेकित लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, जिनकी आय की प्राप्ति संभावित है, का अलग से प्रकट किया जायेगा। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ती आकस्मिक परिसंपत्ती नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न कर रहे एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व को पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे नहीं पहचान की गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभवाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों को राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.21 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति रु.10000/- तथा उससे कमवाले के मदों से संबंधित पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

यदि रखाव रकम उनके निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी तो गैर चालू परिसंपत्तियों और निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) उनकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तब माना जाता है, बशर्त कि ऐसी परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत होती

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

Tax position:

Accruals for uncertain tax positions require management to make judgments of potential exposures. Accruals for uncertain tax positions are measured using either the most likely amount or the expected value amount depending on which method the entity expects to better predict the resolution of the uncertainty. Tax benefits are not recognised unless the management based upon its interpretation of applicable laws and regulations and the expectation of how the tax authority will resolve the matter concludes that such benefits will be accepted by the authorities. Once considered probable of not being accepted, management reviews each material tax benefit and reflects the effect of the uncertainty in determining the related taxable amounts.

1.20 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Group expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is certain. The expense relating to a provision is presented in the Statement of Consolidated Profit and Loss net of any reimbursement.

If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is probable, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognized.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the current management estimate.

1.21 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.22 Non-current assets held for sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must

है और इसकी बिक्री अत्याधिक संभावित होती है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद की जानी है।

बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियों (और निपटान ग्रूप) इनके रखाव रकम के न्यूनतम पर मापा जाता है और बेचने के लिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से मापा जाता है और बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

1.23 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या के द्वारा इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

| प्रति शेयर मूल एवं हल्का आय। | | |
|---|------------|------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| निवल लाभ का अंश ₹ करोड़ों में | | |
| लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ | 51.38 | 406.02 |
| डिनोमिनेटर- अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की औसत संख्या | 15535000 | 15535000 |
| शेयरों की संख्या- मूल & हल्का | 15535000 | 15535000 |
| अर्जन प्रति शेयर (₹) | | |
| मूल (प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य) | 33.08 | 261.36 |
| हल्का(प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य) | 33.08 | 261.36 |

1 ख महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

इंड एस के साथ समनुरूपता में वित्तीय विवरण की तैयारी प्रबंधन को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचार करके निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाना अपेक्षित है।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

प्रासंगिक व्यय

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुँच और अन्य दावाएँ सहित ग्रूप के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा। जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य के घटनाओं के परिणाम के संबंध में स्वाभाविक रूप से अनुमानों का उपयोग शामिल है।

आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य

be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs of disposal. Noncurrent assets held for sale are not depreciated or amortised.

1.23 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

| Basic and Diluted Earnings per share | | |
|--|------------|------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| Numerator Net Profit ₹. In Crores | | |
| Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss | 51.38 | 406.02 |
| Denominator - Average No. of Equity Shares outstanding during the period | 15535000 | 15535000 |
| No. of Shares - Basic & Diluted | 15535000 | 15535000 |
| Earnings per share (₹) | | |
| Basic (Face Value of ₹ 10/- per share) | 33.08 | 261.36 |
| Diluted (Face Value of ₹ 10/- per share) | 33.08 | 261.36 |

1 B Critical accounting estimation and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS, requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Group, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या ग्रुप के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से हैं। परिवर्तन हो जायें जो ऐसे परिवर्तन जब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमाकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमाकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में जुड़े जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा की जाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्रायों के लिए खराब हानि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित है। ग्रुप इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना के लिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

राजस्व

ग्राहकों के साथ ग्रुप के अनुबंधों में एक ग्राहक को कई उत्पादों और सेवाओं को हस्तांतरित करने का वादा शामिल है। ग्राहक अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को मान्यता और माप के लिए माना जाता है जब पार्टियों द्वारा अनुबंध को लिखित रूप में अनुमोदित किया गया है, अनुबंध के पार्टी, अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। ग्रुप अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करता है और अनुबंध में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान करता है। बाँटने योग्य को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान और ऐसे बाँटने योग्य से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने के लिए ग्राहक की क्षमता और इन विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

आयकर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रदत्त/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या कुछ भाग या सभी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली नहीं की जाएगी। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्त अवधि के दौरान भावी कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देयताओं, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के अनुसूचित उत्क्रमण पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर जिसमें आस्थगित आयकर परिसंपत्ति कटौती योग्य है, प्रबंधन का मानना है कि ग्रुप उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों को माना जाएगा। वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि हालांकि निकट अवधि में कम की जा सकती है यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है।

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates.

Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Group uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the Group's past history and other factors at the end of each reporting period.

Revenue

The Group's contracts with customers include promises to transfer multiple products and services to a customer. Revenues from customer contracts are considered for recognition and measurement when the contract has been approved, in writing, by the parties to the contract, the parties to contract are committed to perform their respective obligations under the contract, and the contract is legally enforceable. The Group assesses the services promised in a contract and identifies distinct performance obligations in the contract. Identification of distinct performance obligations to determine the deliverables and the ability of the customer to benefit independently from such deliverables, and allocation of transaction price to these distinct performance obligations involves significant judgement.

Income Tax

Significant judgments are involved in determining the provision for income taxes, including amount expected to be paid/recovered for uncertain tax positions. In assessing the realizability of deferred income tax assets, management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income and tax planning strategies in making this assessment. Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the Group will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced.

वर्ष 2022-23 के लिए समोक्त वित्तीय विवरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण/ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण से संबंधित कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी नीचे जैसी है :

(₹ करोड़ों में)

| क्र.सं | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|--------|---|------------|------------|
| (क) | वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि | 87.64 | 31.06 |
| (ख) | वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान | शून्य | शून्य |
| (ग) | एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज | शून्य | शून्य |
| (घ) | सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज | शून्य | शून्य |
| (ङ) | वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष | शून्य | शून्य |

*कंपनी, प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावा/अधिनिर्णय के मामले में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत देय ब्याज. यदि कोई हो, का अनुमान लगाने और प्रदान करने की प्रथा का पालन कर रही है।

2.2 समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नानुसार है।

| कंपनी का नाम | संस्थापन देश | संबंध | 31.03.2023 को स्वामित्व ब्याज |
|---|--------------|---------------|-------------------------------|
| गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) | भारत | समनुषंगी | 74% |
| एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लिमिटेड (हाइट्स) | भारत | समनुषंगी | 100% |
| लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड | भारत | संयुक्त उद्यम | 50% |
| एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड | भारत | समनुषंगी | 100% |

2.3 कंपनी ने कोच्चि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित अपनी यूनिट में महिला कंडोम एफसी 2 नाइट्राइल संस्करण के विनिर्माण के लिए मेसेर्स फीमेल हेल्थ कंपनी (यूके) से ऋण के आधार पर रु.0.89 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्त किए थे। आपूर्ति किए गए उपकरणों की संपत्ति और शीर्षक मेसेर्स फीमेल हेल्थ कंपनी, यूके. के पास निहित होने के कारण कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की गई हैं।

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगावी में डब्लियुएचओ जीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। यूनीपिल उत्पाद छह विदेशी देशों के साथ पंजीकृत किया गया है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और कंपनी इन उत्पादों को और अधिक देशों में पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान उत्पन्न राजस्व 1.32 करोड़ रुपए है। परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनीपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

Explanatory Notes/Additional Disclosure forming part of Consolidated Financial Statements for the year 2022-23

2.1 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 to the extent information available with the group is as under:

(₹ in Crores)

| Sl No. | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|--------|---|------------|------------|
| (a) | The principal amount remaining unpaid at the end of the year. | 87.64 | 31.06 |
| (b) | The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year. | Nil | Nil |
| (c) | Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act. * | Nil | Nil |
| (d) | Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms. | Nil | Nil |
| (e) | Total interest accrued during the year and remaining unpaid. | Nil | Nil |

*The group is following the practise of estimating and providing interest, if any, payable under section 16 of MSMED Act only in case claimed/adjudicated by authorities.

2.2 The extent of ownership in Subsidiary/Jointly Venture Companies are as follows:

| Name of the Subsidiary/Jointly Controlled Entity | Country of Incorporation | Relationship | Ownership Interest as on 31.03.2023 |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL) | India | Subsidiary | 74% |
| HLL Infra Tech Services Limited (HITES) | India | Subsidiary | 100% |
| Life Spring Hospitals Pvt. Ltd | India | Joint Venture | 50% |
| HLL Mother & Child Care Hospitals Limited | India | Subsidiary | 100% |

2.3 The Parent Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipment valuing ₹0.89 Crores on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.4 Property, Plant and Equipment includes Unipill Plant, a WHO GMP (Geneva) compliant facility, set up by the parent company at Kanagala Belagavi. The Unipill products are registered with six foreign countries where registration is mandatory, and the parent company is in the process of registering the product in more countries. The revenue generated during the year is Rs 1.32 Crores. The carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognized on the Unipill Plant.

2.5 वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

2.6 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, ₹500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹1000 करोड़ या उससे अधिक के व्यापारावर्त या ₹5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रूप के लिए विवरण निम्नलिखित हैं।

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रूप द्वारा खर्च की जानेवाली सकल रकम - ₹5.80 करोड़।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने वाले बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी एस आर बजट - ₹6.21 करोड़।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी वास्तविक रकम :

| | विवरण | नकद में (₹करोड़) |
|------|---|-------------------|
| (i) | किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण | - |
| (ii) | उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | 5.36 |
| | कुल | 5.36 |

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार)

| विवरण | रकम(करोड़ों में) |
|--|------------------|
| 01.04.2022 तक अधिशेष | शून्य |
| चालू परियोजनाओं के रूप में निर्धारित राशि | 0.17 |
| अलग से अव्ययित | 0.50 |
| 31.03.2023 तक अंतिम शेष | 0.67 |
| कंपनी के साथ(कंपनीअधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर प्रेषित किया जाना है।) | 0.50 |
| सीएसआर में अव्ययित अलग रखम | 0.17 |

(ङ) वर्ष के अंत में कमी :- 0.50 करोड़

(च) सी एस आर गतिविधियों की तरीका और बजट के प्रति कमी के कारण :-

| क्रम संख्या | अनुसूची VII | व्यय | वास्तविक खर्च | कमी/ जारी | कारण |
|-------------|--|------|---------------|-----------|--|
| (i) | भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
| (ii) | शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना | 1.15 | 0.66 | 0.50 | कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची VII के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने भीतर निर्दिष्ट निधि में जमा किया जाना है। |
| (iii) | लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्यों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना। | 0.40 | 0.23 | 0.17 | चालू परियोजना के रूप में 0.17 करोड़ रुपए अग्रणीत किए गए। |

2.5 Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹Nil)

2.6 As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every company with net worth of ₹ 500 Cr or more, or with a turnover of ₹1000 Cr or more or having a net profit of ₹5 Cr or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for group in the financial year 2022-23.

(a) Gross amount to be spent by the Group during the year 2022-23 ₹ 5.80 Crores.

(b) CSR budget approved by the board to be spent during the year- ₹ 6.21 Crores.

(c) Actual amount spent during the year on:

| | Particulars | In cash (₹ Crores) |
|------|---------------------------------------|--------------------|
| (i) | Construction/acquisition of any asset | - |
| (ii) | On purposes other than (i) above | 5.36 |
| | Total | 5.36 |

d. Details of ongoing projects in line with amendments to 135(5) and 135(6):

| Particulars | Amount (in Crores) |
|--|--------------------|
| Opening balance as on 01.04.2022 | Nil |
| Amount earmarked as ongoing projects | 0.17 |
| Separate unspent | 0.50 |
| Closing balance as on 31.03.2023 | 0.67 |
| With Group (to be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 within 6 months of the end of the Financial Year) | 0.50 |
| In separate CSR unspent amount | 0.17 |

e. Shortfall at the end of the year: 0.50 Crores

f. Nature of CSR Activities & Reason for Shortfall against budget:

Rs in Crs

| Sch No | Schedule VII | Expense | Actually Spend | Shortfall/Ongoing | Reason |
|--------|---|---------|----------------|-------------------|---|
| (i) | Eradicating hunger, poverty and malnutrition and making available safe drinking water | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
| (ii) | Promoting education and livelihood enhancement projects. | 1.15 | 0.66 | 0.50 | To be remitted to the designated fund within 6 months from the end of the FY as per schedule VII Companies Act 2013 |
| (iii) | Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens | 0.40 | 0.23 | 0.17 | Rs 0.17Cr Carried forward as Ongoing project |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| (iv) | पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना। | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| (v) | ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) | ग्रामीण विकास परियोजनाएँ | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| (vii) | आपदा प्रबंधन | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| कुल | | 6.03 | 5.36 | 0.67 |

2.7 बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे के लिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।

2.8 वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी।

2.9 कंपनी सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ समझौतों के अधीन प्रापण परियोजना और अवसंरचना विकास परियोजना चला रही है, जिसके लिए ट्रस्ट के अधीन अलग-अलग बहियों का रखरखाव किया जाता है। इन परियोजनाओं की संपत्ति और देनदारियों परियोजनाओं को आर्बाइट करनेवाली सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं और निरीक्षण और लेखा परीक्षा उनकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का सारांश केवल सूचना के उद्देश्य के लिए प्रकट किया गया है और कंपनी द्वारा ट्रस्ट के तहत रखी गई इन परियोजनाओं के नकद और बैंक शेष और संबंधित देनदारियों को तुलन पत्र में विपरीत मदों के रूप में प्रकट किया गया है।

2.10 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय-समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। एचएलएल की कैप्टिव पदवी पर दिया गया अंतिम विस्तार 31.03.2024 तक विधिमान्य है।

मूल कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद (कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, ई सी गोलियाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेनन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करती है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टैरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) ने कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है और अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मूल्य के अनुसार, एचएलएल कम से कम 3.88 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि के लिए पात्र है, जिसे वर्ष के दौरान बिल रहित राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। सी ए बी ने अपनी रिपोर्ट में कीमत के निश्चित लागत घटक में सामान्य लागत और असामान्य लागत के रूप में एक अंतर बना दिया है। असामान्य लागत को छोड़कर उचित मूल्य की सिफारिश की गयी थी, जिससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जैसा उचित समझे, असामान्य लागत सहित मूल्य पर विचार करने का अधिकार दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असामान्य लागत को छोड़कर कीमत स्वीकार कर ली है। एचएलएल ने सी ए बी रिपोर्ट में वैकल्पिक मूल्य पर विचार करने के लिए मंत्रालय को प्रतिनिधित्व किया है, जो एचएलएल को पूरक बिल जमा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई वास्तविक लागत पर आधारित है।

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| (iv) | ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| (v) | training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (vi) | Rural development projects | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| (vii) | Disaster management | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Total | | 6.03 | 5.36 | 0.67 | |

- 2.7 Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits.
- 2.8 During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.
- 2.9 The Parent Company and its subsidiary HITES has been undertaking the Procurement Projects & Infrastructure Development Projects under agreements with Government and its agencies, for which separate books are maintained under trust. The assets and liabilities of these projects are with the Government and its agencies allotting the projects and the inspection and audit are their responsibility. In accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the summary of these Assets & Liabilities are disclosed only for the information purpose and the cash and bank balances of these projects are held by the Parent Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance sheet.
- 2.10 Govt. of India has accorded "captive status" to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. The latest extension granted on captive status of HLL is valid up to 31.03.2024.

The Parent Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates based on the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of Commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW based on the representation by HLL, referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2019-20 and the study report is submitted. As per the price communicated by MoHFW, HLL is eligible for a minimum of Rs. 3.88 crore as price escalation and this is recognized as unbilled revenue during the year. CAB in their report has made a differentiation in the fixed cost component of price as normal cost and abnormal cost. Fair price was recommended excluding the abnormal cost empowering MOHFW to consider price including abnormal cost as it deems fit. MoHFW has accepted the price excluding abnormal cost. HLL has represented to the Ministry to consider the alternate price in the CAB report, which is based on the actual cost incurred by the company for HLL to submit the supplementary bills.

2.11 एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था इस संयुक्त उद्यम को भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20 बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालों स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 9.51 करोड़ था।

अब, संयुक्त उद्यम हैदराबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है। संयुक्त उद्यम कंपनी 2016-17 से लाभदायक हो गई और कोविड महामारी के कारण 2020-21 को छोड़कर लगातार लाभ की रिपोर्ट की।

2.12 एमसीए ने दिनांक 22.03.2021 के आदेश के अनुसार एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, जो सीसीईए द्वारा अनुमोदित एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचएलएल द्वारा गठित 100% समनुषंगी कंपनी है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत यानी 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है और एचबीएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के अधीन एक सीपीएसई बन गया है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा निवेश की गई शेयर पूँजी और एचएलएल द्वारा किए गए संबंधित निवेश को घटाकर रु.274.878 करोड़ है। एचएलएल द्वारा बनाया गया रु. 1 लाख का प्रारंभिक निवेश भारत सरकार से प्राय के रूप में नोट-13 चालू वित्तीय परिस्पत्तियाँ-अन्य में दिखाया गया है। एचएलएल ने पत्र सं. एचएलएल/सी एस/डीमर्जर - एच बी एल दिनांक 23 अगस्त, 2022 के ज़रिए भारत सरकार से एच बी एल की प्रदत्त शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा निवेश किए गए 1.00 लाख रुपए वापस करने का अनुरोध किया।

2.13 कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10 एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आर्बिट्रिट किया गया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10.02.2012 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की और आर्थिक कार्य की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार ₹10.12 करोड़ (प्रति एकड़ के लिए ₹0.17 करोड़ की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹0.02 करोड़ की दर पर छोटी पहाड़ी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ निर्धारित की गई थी।

पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया गया है। एचएलएल के नाम पर 100 एकड़ भूमि के अंतरण और उसके बदले में एचबीएल को करने की कानूनी औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गयीं, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई 100 एकड़ भूमि 94 वर्षों के लिए रु.1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को दी गई 100 एकड़ में से 3.38 एकड़ भूमि ₹ 1/- मात्र के वार्षिक पट्टा किराये पर 92 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेडको के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया।

डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के परिणामस्वरूप, एचबीएल ने 19 अक्टूबर 2021 के पत्र के ज़रिए एचएलएल से एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकारों के स्थानांतरण का संकेत देते हुए एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में, एचएलएल ने 30 अक्टूबर 2021 के पत्र द्वारा एचबीएल को सूचित किया था कि एमसीए 22 मार्च 2021 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित डीमर्जर योजना के पैरा 3.4 के अनुसार चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकार एचबीएल में स्थानांतरित किया गया है। इस पत्र की एक प्रति सीएलटीआरआई को सूचनार्थ भेजी गई है।

इसके अलावा, एचएलएल और एचबीएल ने 6 जनवरी 2023 को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ), चेंगलपेट्टु में व्यवस्था की योजना के अनुसार एक समझौता ज्ञापन (एमओयु) निष्पादित किया है। यह एम ओ यु, स्टॉप शुल्क की छूट के अनुरोध के साथ भारतीय स्टॉप अधिनियम की धारा 8 जी के तहत पंजीकरण के लिए उपरोक्त तिथि पर उप-रजिस्ट्रार, चेंगलपेट्टु के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। एसआरओ, चेंगलपेट्टु से समझौता ज्ञापन की पंजीकृत प्रति की प्रतीक्षा है।

- 2.11 M/s. Life Spring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This JV was formed with the objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide paediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which they are located. At the end of the FY 2022-23 (up to 31.03.2023), total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹9.51 Crores.

Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad. The JV company turned profitable since 2016-17 and reported profits consecutively except for FY 2020-21 due to Covid pandemic.

- 2.12 MCA has vide order dated 22.03.2021 approved the demerger of HLL Biotech Ltd, the 100% subsidiary formed by HLL for setting up the Integrated Vaccine Complex as approved by CCEA. HLL Biotech Ltd has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme i.e., 01st April 2019 and HBL has become a CPSE under the direct ownership of Govt. of India. Accordingly, the share capital invested by Gol and corresponding investment made by HLL is reduced to the tune of Rs. 274.88 Crores. The initial investment of Rs. 0.01 crs made by HLL is shown as receivable from Govt of India in Note 13- Current Financial Assets- Others. HLL Vide Letter No.HLL/CS/Demerger-HBL dated 23rd August 2022, requested Government of India for refund of Rs.0.01 crs invested by HLL in the paid-up share capital of HBL

- 2.13 The Parent Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 recommended and as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), 100 acres of land was earmarked out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres @ ₹0.17 crs per acre and 44 acres of hillock @ ₹ 0.02 crs per acre).

M/s HLL Biotech Limited (HBL), was formed as 100% subsidiary of HLL for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL was not completed, the Company had, on 20th February 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL @ ₹1/- for 94 years.

Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

Subsequent to the Scheme of arrangement of Demerger, HBL had vide letter dated 19th October 2021 requested HLL to issue a letter indicating transfer of leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamilnadu. In response, HLL had by letter dated 30th October 2021 informed HBL that according to Para 3.4 of the Demerger Scheme approved by the MCA by its Order dated 22nd March 2021 the leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamilnadu stands transferred to HBL. A copy of this letter was marked to CLTRI for information.

Further, HLL and HBL have executed a Memorandum of Understanding (MOU) pursuant to the Scheme of arrangement at Sub-Registrar Office (SRO), Chengalpattu on 6th Jan 2023. The MoU was submitted to the office of Sub-Registrar, Chengalpattu on the aforesaid date for registration under Section 8G of the Indian Stamp Act by requesting for waiver of stamp duty. The registered copy of the MoU from the SRO, Chengalpattu is awaited.

2.14 मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट के अनुमोदन के आधार पर, 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) निगमित किया गया है। उक्त 330.10 एकड़ भूमि एचएमएल को मार्च 2017 के दौरान उप पट्टे के आधार पर आर्बाटित की गई थी। एचएलएल ने एचएमएल में इक्विटी शेयर पूंजी की ओर 6.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 के आदेश के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को टिप्पणी सं -13 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों के आधार पर, एचएमएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के एक सीपीएसई बन गया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना के खंड 3.4 के अनुसार पृथक उपक्रम का हिस्सा बननेवाली किसी भी अचल संपत्ति में सभी अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे और परिणामी कंपनी, अर्थात् एचएमएल में निहित हो जाएंगे। इसके बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूमि एक अचल संपत्ति है, एचएमएल के नाम पर सीधे पट्टे के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनः दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है।

जैसा कि पैरा 2.13 में संदर्भित एचबीएल के मामले में, एचएलएल ने 04 दिसंबर 2022 को 330.10 एकड़ भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए टिड्को को प्रस्ताव दिया था। बदले में टिड्को ने एमओएचएफडब्लियु को सूचित किया कि वे दस्तावेजों को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार से भूमि तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने और एमओएचएफडब्लियु द्वारा एचएमएल का प्रबंधन वापस लेने का अनुरोध किया था।

2.15 आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैकसीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100% की बिक्री के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियुसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेले & कंपनी को चयनित प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रॉइट टेक्निकल सर्विसस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया।

एचएलएल के प्रस्तावित सामरिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करनेवाली अधिसूचना एचएलएल के बारे में प्रारंभिक सूचना सहित ज्ञापन के साथ 14 दिसंबर 2021 को टीए द्वारा प्रकाशित की गई थी।

एचएलएल पीआईएम प्रकाशित करने और ईओआई के लिए निमंत्रण के बाद, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दीपम) ने दीपम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेन-देन सलाहकार और एचएलएल की वेबसाइटों पर चार (4) शुद्धिपत्र प्रकाशित किए।

टीए द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 थी और ईओआई की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 थी। योग्य इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) को सूचना देने के लिए टीए की नियत तारीख 28 मार्च 2022 थी। जुलाई 2022 की शुरुआत से, टीए ने वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) के माध्यम से इच्छुक शॉर्ट लिस्टेड बोलीदाताओं को उपलब्ध कराने के लिए एचएलएल से संबंधित जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

एचएलएल के साथ समनुषंगियों और सहयोगियों के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के संबंध में प्रस्तावित विनिवेश और आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा एचएलएल, लेन-देन सलाहकार, कानूनी

- 2.14 Based on the Cabinet Approval to sub-lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited (HML) was incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The said 330.10-acre land was allotted to HML on sublease basis during March 2017. HLL has invested Rs. 6.40 Crores towards Equity share capital in HML.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f. 01st April 2019. As per the scheme, Govt of India shall pay HLL Lifecare Ltd the consideration of equity investment made by HLL in HML of Rs 6.40 Crore. Accordingly, the investment made by the company in HLL Medipark Limited is disclosed as Receivable from Govt. of India under -Note 13. Current Financial Assets - Others

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML and based on the actions taken by the Ministry, HML has become a CPSE under the direct ownership of the Government of India.

According to Clause 3.4 of the Scheme of Demerger of HML from HLL approved by the Ministry of Corporate Affairs all rights in any immovable property forming part of the demerged Undertaking shall stand transferred and be vested in the resulting company ie.,HML. In spite of this, considering the fact that land is immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HML.

As in case of HBL referred in Para 2.13, HLL had proposed to TIDCO to execute necessary documentations for change in revenue records of the 330.10 acres of land on 04th December 2022. TIDCO in turn informed MOHFW that they are not in a position to execute the documents since, the Chief Secretary, GoTN had requested MOHFW, GoI to transfer the land to Govt. of Tamil Nadu and take back the management of HML by MOHFW.

- 2.15 The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley & Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd was selected as Asset Valuer (AV) by the Administrative Ministry through competitive bidding process.

The Notification inviting Expression of Interest (EOI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL together with Preliminary Information Memorandum about HLL was published by the TA on 14th December 2021.

After publishing HLL PIM and invitation for EOI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, Government of India [DIPAM] published four (4) corrigenda on the websites of DIPAM, Ministry of Health & Family Welfare, Transaction Advisor and HLL.

According to the schedule published by the TA, last date for submission of EOIs through online mode was 14th March 2022 and the last date for submission of physical copy of EOI was 21st March 2022. The due date for TA to give intimation to Qualified Interested Bidders (QIB) was 28th March 2022. From the beginning of July 2022, TA started gathering information and documents relating to HLL, HLL subsidiaries and HLL Associates for making them available to interested short-listed bidders through Virtual Data Room (VDR).

Periodic review meetings are organized by the Department of Investment and Public Asset Management with HLL, Transaction Advisor, Legal Advisor, the Ministry of Health & Family Welfare and other Departments / Ministries of the Government of India concerned to discuss about the proposed disinvestment and actions

सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के संबंधित अन्य विभागों/ मंत्रालयों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समुचित परिश्रम प्रक्रिया अभी भी जारी है और एचएलएल ग्रुप संस्थायें बोलीदाताओं द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है।

- 2.16** गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) 2014 से एचएलएल की सहायक कंपनी है, जिसमें ईडीसी लिमिटेड गोवा के साथ एचएलएल का 74% शेयर है। 31.03.2022 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय के अनुसार कंपनी का निवल रकम नकारात्मक है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभरहित कंपनी हो गई।

जीएपीएल प्रबंधन ने 09.05.2022 को आयोजित अपनी 191वीं बोर्ड बैठक में एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की और जीएपीएल बोर्ड द्वारा, दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों, यानी, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड द्वारा उनकी शेयरधारिता के अनुपात में रु.14.31 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी लगाने की योजना पर, सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई। बाद में, ईडीसी लिमिटेड, गोवा ने जीएपीएल में अतिरिक्त इक्विटी नहीं डालने का फैसला किया और अपनी शेयरधारिता कम करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए 26 जुलाई 2022 को आयोजित एचएलएल की 284वीं बोर्ड बैठक में, एचएलएल के बोर्ड ने नीचे बताए जैसे तीन (3) चरणों में एचएलएल के आंतरिक संसाधनों से रु.14.31 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- चरण 1 - जीएपीएल द्वारा प्राधिकृत शेयर पूँजी की लंबित वृद्धि और शेयरधारकों के निबंधन व शर्तों और जीएपीएल के शेयर क्रय समझौते में संशोधन, एचएलएल शुरू में जीएपीएल में रु.4.42 करोड़ तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो रु.5.98 करोड़ की उपलब्ध मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 74% है।
- चरण 2 - ईडीसी को जीएपीएल द्वारा पेश किए गए शेयरों को छोड़ने और जीएपीएल में अतिरिक्त निवेश की सुविधा के लिए शेयरधारकों एवं शेयर क्रय समझौते के निबंधन व शर्तों में उपयुक्त संशोधन के बाद एचएलएल, जीएपीएल में रु.1.56 करोड़ तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है, जो रु.5.98 करोड़ की शेष मुफ्त प्राधिकृत शेयर पूँजी का 26% है।
- चरण 3 - जीएपीएल द्वारा अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी को रु.34 करोड़ या किसी अन्य कम लेकिन पर्याप्त राशि तक बढ़ाने के बाद एचएलएल, जीएपीएल में शेष रु.8.33 करोड़ (यानी रु.14.31 करोड़ माइनस रु.5.98 करोड़) तक का अतिरिक्त इक्विटी निवेश कर सकता है।

उपरोक्त रु.14.31 करोड़ के इस अतिरिक्त निवेश के साथ, जीएपीएल में एचएलएल की शेयरधारिता मौजूदा 74% से बढ़कर लगभग 85% हो जाएगी और ईडीसी की शेयरधारिता 26% से घटकर लगभग 15% हो जाएगी।

बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जीएपीएल ने क्रमशः 74:26 के अनुपात में, यानी रु.100 के 4,42,520 शेयर एचएलएल को और रु.100 के 1,55,480 शेयर ईडीसी लिमिटेड को आर्बिट्रि किए जाने के लिए, राइट्स इश्यू के माध्यम से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड (मौजूदा शेयरधारक) से कुल अतिरिक्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.5.98 करोड़ जुटाने की ओर 1 नवंबर 2022 को एक प्रस्ताव पत्र जारी किया है। एचएलएल ने 11 नवंबर 2022 को जीएपीएल द्वारा पेश किए गए 4,42,520 शेयरों को स्वीकार कर लिया और 22 नवंबर 2022 को जीएपीएल की शेयर पूँजी में रु.4,42,52,000/- के चरण-1 निवेश पर विचार करने के लिए भेजा गया।

तदनुसार, जीएपीएल ने 19.01.2023 को आयोजित जीएपीएल की 194 वीं बोर्ड बैठक में रु.4,42,52,000 की कीमत के प्रत्येक रु.100 मूल्य के 4,42,520 शेयर आर्बिट्रि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बोर्ड बैठक के दौरान, जीएपीएल ने निदेशकों का ध्यान डीआईपीएएम द्वारा जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया कि एचएलएल को जीएपीएल की बोर्ड बैठक के पिछले दिन स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त इन परिपत्रों में नीचे उल्लिखित पहलुओं पर संकेत दिया गया।

- (i) सीपीएसई की पूँजी संरचना में मामूली बदलाव वाले प्रस्तावों पर भारत सरकार (व्यवसाय का आर्बंटन) नियम, 1961 के अनुसार दीपम के आदेश के आलोक में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ii) सीपीएसई की पूँजी संरचना को प्रभावित करनेवाले बड़े बदलावों के मामले में, प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी टिप्पणियों के साथ दीपम को भेजा जाए। ये परिपत्र उन मामलों का भी संकेत देते हैं जिन्हें सीपीएसई की पूँजी संरचना में बड़े बदलाव के रूप में माने जाते हैं।

required with regard to proposed strategic disinvestment of HLL along with subsidiaries and associates.

Due diligence process is still continuing and HLL group entities are providing clarifications/ additional information as sought by the Bidders.

- 2.16 Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd(GAPL) is a subsidiary of HLL since 2014 along with EDC Ltd Goa, with a 74% stake by HLL. As per the audited financials of the company as on 31.03.2022, the networth of the company was negative and as per the DPE guidelines the company became sick.

GAPL management in its 191st Board meeting held on 09-05-2022 presented a Revival plan, and the same was agreed to in principle by GAPL Board with a plan to infuse additional equity of Rs. 14.31 Crores by both the JV partners i.e. HLL Lifecare Ltd and EDC Ltd. in the ratio of their shareholding. Later on, EDC Ltd, Goa decided not to infuse the additional equity in GAPL and agreed to dilute its shareholding. Therefore, in the 284th Board meeting of HLL held on 26th July 2022, the Board of HLL has approved the proposal to make additional equity investment of Rs.14.31 Cr. from the internal resources of HLL in three (3) stages as mentioned below.

- Stage 1 - Pending increase of Authorised share Capital by GAPL and amendment of Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement of GAPL, HLL may make initially additional equity investment in GAPL to the extent of Rs. 4.42 Cr, being 74% of available free authorized share capital of Rs.5.98 Cr
- Stage 2 – HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of Rs. 1.56 Cr, being 26 % of remaining free authorized share capital of Rs.5.98 Cr. up on EDC renouncing the shares offered by GAPL and after suitably amending Terms and Conditions of Shareholders and Share Purchase Agreement GAPL to facilitate such additional investment.
- Stage 3 - HLL may make additional equity investment in GAPL to the extent of remaining Rs. 8.33 Cr. (i.e., Rs. 14.31 Cr. minus Rs. 5.98 Cr.) after GAPL increases its authorized share capital to Rs. 34.00 Cr. or to any other lower but sufficient amount.

With this additional investment of Rs.14.31 Cr. above, the shareholding of HLL in GAPL will increase from existing 74 % to about 85 % and shareholding of EDC will decrease from 26 % to about 15 %.

After obtaining approval of the Board and the Shareholders, GAPL has issued Letter of Offer dated 1st November 2022 to raise aggregate additional equity share capital Rs. 5.98 Cr. from HLL Lifecare Ltd. and EDC Ltd. (existing Shareholders) by way of Rights issue in the ratio of 74 : 26 respectively. i.e. 4,42,520 shares of Rs.100 each to be allotted to HLL and 1,55,480 shares of Rs.100 each to EDC Ltd. HLL accepted 4,42,520 shares offered by GAPL on 11th November 2022, and remitted consideration for Stage-1 investment of Rs.4,42,52,000/- in the Share Capital of GAPL on 22nd November 2022.

Accordingly, GAPL submitted the proposal to allot 4,42,520 Shares of Rs.100 each amounting to Rs.4,42,52,000 in 194th Board Meeting of GAPL held on 19-01-2023. During the Board meeting, GAPL drew attention of the Directors to the circulars issued by DIPAM indicating the aspects mentioned below as HLL had received these circulars from the Ministry of Health on the previous day of GAPL Board meeting.

- (i) Proposals involving minor changes in the capital structure of CPSEs shall be considered by the Administrative Ministries/ Departments in the light of DIPAM's mandate as per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
- (ii) In the case of major changes affecting the capital structure of CPSEs, the proposals may be forwarded to DIPAM by the Administrative Ministry / Department with their comments. These Circulars also indicate the matters that are considered as major changes in the capital structure of CPSEs.

उपरोक्त बैठक में, बोर्ड ने जीएपीएल को एचएलएल से अनुरोध करने की सलाह दी कि वह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से डीआईपीएएम को एक पत्र भेजकर जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के निवेश के लिए मंजूरी माँगे। इसके अलावा, जीएपीएल ने शेयरों के आबंटन के प्रस्ताव की मंजूरी को तब तक के लिए टालने का फैसला किया जब तक कि डीआईपीएएम से जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के निवेश के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती। इसलिए नवंबर 2022 में एचएलएल द्वारा जीएपीएल को भुगतान किए गए रु.4,42,52,000/- के शेयरों का आबंटन 31.03.2023 तक लंबित था। इस प्रकार, जीएपीएल की इक्विटी शेयर पूँजी 31.03.2023 तक अपरिवर्तित है।

जीएपीएल द्वारा बताए गए बोर्ड के फैसले के आधार पर, एचएलएल ने जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अनुमोदन के लिए डीआईपीएएम को भेजा। उसी के आधार पर, 13 मार्च 2023 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठक में एचएलएल द्वारा जीएपीएल में रु.14.31 करोड़ के प्रस्तावित निवेश को मंजूरी दी गई।

आईएमजी बैठक में दी गई मंजूरी के मद्देनज़र, एचएलएल ने 15.05.2023 को, एचएलएल को आबंटित किए जाने वाले प्रत्येक रु.100 के 1,55,480 इक्विटी शेयरों पर विचार करते हुए, शेयर आवेदन राशि रु.1,55,48,000/- (केवल एक करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार रुपए) जीएपीएल को भेजा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 23 मई 2023 को आयोजित जीएपीएल की 195वीं बोर्ड बैठक में जीएपीएल निदेशक मंडल ने एचएलएल को रु.5,98,00,000 की कीमत के प्रत्येक रु.100 मूल्य के 5,98,000 शेयर आबंटित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए पूरा विचार पहले ही प्राप्त हो चुका है।

इक्विटी निवेश योजना का पहला एवं दूसरा चरण लागू हो चुका है और तीसरा चरण प्रक्रिया में है। अतिरिक्त इक्विटी के समावेश और जीएपीएल के उच्च प्रबंधन को मज़बूत करने सहित एचएलएल द्वारा बेहतर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ नई व्यावसायिक रणनीतियों के साथ पुनरुद्धारण योजना के कार्यान्वयन के साथ, यह उम्मीद है कि जीएपीएल 2023-24 के दौरान बदल जाएगा और अतः एचएलएल जीएपीएल के निवेश में किसी भी प्रकार की हानि की परिकल्पना नहीं करता है।

- 2.17** उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएलएल ने एचएमसीसीएचएल में इक्विटी शेयर पूँजी की ओर रु. 0.10 करोड़ निवेश किया था। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

एचएमसीसीएचएल के निदेशक मंडल ने 23 जुलाई 2021 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार, शेल कंपनी को बनाए रखने की प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन के मुद्दों को दूर करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल का नाम हटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, एचएलएल के निदेशक मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280वीं बोर्ड बैठक में आरओसी के साथ आवश्यक आवेदन जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के अनुसार, एचएमसीसीएचएल ने परिसंपत्तियों और देनदारियों को समाप्त कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'शून्य' तुलन पत्र तैयार किया है, एचएमसीसीएचएल को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) से क्षतिपूर्ति बांड के रूप में आवश्यक अनुमोदन मार्च 2023 को का.ज्ञा.सं.क 45013/166/2021-एचपीई, दिनांक 15.03.2023 के ज़रिए प्राप्त हुआ था। वर्तमान में एचएमसीसीएचएल, कंपनी के रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए फार्म एसटीके-2 दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

- 2.18** एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, एचएलएल की पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल के अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। निर्माण परियोजना एचएलएल द्वारा एक खुली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड (एसपीसीपीएल), चेन्नै को प्रदान की गई थी।

In the aforesaid meeting, the Board advised GAPL to request HLL to send a letter to the DIPAM through the Ministry of Health and Family Welfare, GoI seeking clearance for the investment of Rs.14.31 Crores in GAPL. Moreover, GAPL decided to defer approval for the proposal to allot shares until clearance for the investment of Rs.14.31 Crores in GAPL is received from DIPAM. Therefore, allotment of shares for Rs.4,42,52,000/- paid by HLL to GAPL in November 2022 was pending as on 31-03-2023. Thus, the equity share capital of GAPL remains unchanged as on 31.03.2023.

Based on Board's decision conveyed by GAPL, HLL sent its proposal to invest Rs.14.31 Cr. in GAPL to DIPAM for approval through the Ministry of Health & Family Welfare. Based on the same, in the Inter Ministerial Group (IMG) meeting held on 13th March 2023, approval was granted for the proposed investment of Rs.14.31 Cr by HLL to GAPL.

In view of the approval granted in the IMG meeting, HLL on 15.05.2023 remitted to GAPL share application money of Rs.1,55,48,000 (Rupees One Crore Fifty Five Lakhs Forty Eight Thousand Only), being the consideration for 1,55,480 equity shares of Rs.100 each to be allotted to HLL.

Considering the above, in 195th Board meeting of GAPL held on 23rd May 2023 the GAPL Board of directors decided to allot 5,98,000 Shares of Rs.100 each amounting to Rs.5,98,00,000 to HLL for which the entire consideration has already been received.

The first and second stage of the equity investment scheme has been implemented and the third stage is in process. With the infusing of additional equity and the implementation of the revival plan with new business strategies with a better focused approach by HLL including strengthening the top management of GAPL, it is expected that GAPL will turnaround during 2023-24 and hence HLL does not envisage any impairment in the investment in GAPL.

- 2.17 HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of Mother & child Hospitals Wings in Uttar Pradesh. HLL had invested Rs. 0.10 Crs towards equity share capital in HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up.

The Board of Directors of HMCCHL in 12th Board meeting held on 23rd July, 2021 decided to get removed the name of HMCCHL from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 [the Act] in order to do away with the administrative cost and legal compliance issues of maintaining a shell company. Additionally, HLL Board of Directors in its 280th Board meeting held on 27th July 2021 approved the proposal to submit necessary application with the ROC.

As required by Section 248(2) of Companies Act, 2013, HMCCHL had extinguished assets and liabilities, and prepared "Nil" Balance sheet for the Financial Year 2020-21, HMCCHL is not required to prepare financial statements from Financial Year 2021-22 onwards.

The necessary approvals in the form of an Indemnity bond, from Ministry of Health and Family Welfare (Government of India) were received in March 2023, vide OM No. A.45013/166/2021-HPE dated 15.03.2023. Presently, HMCCHL is in the process of filing Form STK-2 to strike off name of the Company from the Register of Companies.

- 2.18 HLL Biotech Ltd, the erstwhile 100% subsidiary of HLL had appointed HLL's - Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. The construction project was awarded by HLL to M/s Shapoorji Pallonji & Company Pvt Ltd (SPCPL), Chennai through an Open Tender Process.

एसपीसीपीएल द्वारा परियोजना को पूरा होने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी से पूरा किया था। इसलिए, एसपीसीपीएल को देय भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने एचएलएल/एचबीएल के खिलाफ रु.74.95 करोड़ का मध्यस्थता दावा प्रारंभ किया जिसके विरुद्ध एचएलएल/ एचबीएल ने रु.46.07 करोड़ का काउंटर दावा दायर किया है।

चूँकि शुरू में यह परियोजना एचएलएल द्वारा एचबीएल की ओर से एसपीसीपीएल को सौंपी गई थी, एचबीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 22.07.2019 की बैठक में एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने पर सहमति व्यक्त की थी ताकि यह एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है।

मध्यस्थता की कार्यवाही 28.02.2023 को समाप्त हुई और एसपीसीपीएल के सभी दावों को खारिज करने के बाद मध्यस्थ ने एचएलएल/एचबीएल के कुल रु.25 करोड़ के प्रतिदावे की अनुमति दी और लागत के रूप में रु. 0.35 करोड़ के अलावा आंशिक ब्याज की अनुमति दी गई।

एचएलएल ने आदेश में गणना त्रुटियों और लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 के तहत दिनांक 28.02.2023 को एक याचिका दायर की है। इसके बाद, एसपीसीपीएल ने अप्रैल 2023 में एचएलएल की धारा 33 याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। माननीय मध्यस्थ ने सूचित किया है कि आवेदन को अधिसूचित करने के लिए भविष्य की तारीख पर सुनवाई की जाएगी।

- 2.19** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वप्रेरणा से वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियू) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी (30.09.2014) और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

मेसर्स इंडस मेडिकेयर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2019 के डब्लियू.पी नं.22293 में तेलंगाना न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019 के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया और 15.11.2019 को अन्य विरोधी पक्षों के साथ एचएलएल को इसकी सूचना दी। 15.11.2019 के बाद सीसीआई से और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ।

- 2.20** वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्त, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के कम से कम 30% छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं।

सीजीएचएस को चिकित्सा आपूर्ति पर लागत प्लस 25% मार्कअप पर बिल्लिंग की शर्तों को बाद की तारीख में संशोधित किया गया था। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा (25% मार्कअप) अभी भी लंबित है।

31.03.2023 तक सीजीएचएस से सेवा शुल्क के लिए कुल बकाया रु.15.71 करोड़ है। एचएलएल पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए सीजीएचएस के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है और सीजीएचएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हालांकि उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने के बावजूद कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया है। लेखाबही में 2021-22 के दौरान प्राप्य के प्रति प्रावधान पहले से ही बनाया गया है, हालांकि एचएलएल नियमित रूप से प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

- 2.21** आरबीडी और एचसीएस प्रभाग, सेंट्रों में दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, एलआईएस, एचएमआईएस, आरआईएस और बिल्लिंग मोड्यूल, टेलिरेडियॉलजी, पीएसीएस और आरआईएसपीएसीएस जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

- 2.22** सरकारी अनुदान

क. ईएमआई ईएमसी लैब

एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी & आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसाईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड़ की रकम प्राप्त हुई थी।

The project was completed by SPCPL with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Therefore, a dispute arose between the parties with regard to payment due to SPCPL. SPCPL has initiated an arbitration claim of ₹74.95 Crores against HLL/HBL, against which HLL/HBL has filed a counter claim of ₹ 46.07 Crores.

Since the project was awarded initially by HLL to SPCPL on behalf of HBL, the Board of Directors of HBL vide meeting dated 22.07.2019, had agreed to taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL- IVC.

The arbitration proceedings concluded on 28.02.2023, and after dismissing all the claims of SPCPL the arbitrator allowed the counter claims of HLL/HBL aggregating to Rs.25 Crs and part interest was allowed, apart from Rs.0.35 crs as cost.

HLL has filed a petition dated 28.02.2023 under Section 33 of the Arbitration & Conciliation Act , 1996 for correction of computation errors and clerical or typographical errors in the order. Subsequently, SPCPL filed their reply to HLL's Section 33 petition in April 2023. The Honorable arbitrator has informed that the application will be heard on a future date, to be notified.

- 2.19 The Competition Commission of India (CCI) suo moto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation. All information sought from HLL was also submitted.

In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 22293 of 2019, filed by M/s Indus Medicare Limited, Hyderabad staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019 and communicated the same to HLL along with other Opposite Parties on 15.11.2019. No further communication from CCI was received after 15.11.2019.

- 2.20 During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed.

The terms of billing were revised at a later date to Cost plus 25% markup on medical supplies to CGHS. CGHS paid to HLL amount towards purchase cost plus GST only, however the claim towards (25% markup) service charges is still pending.

The total dues from CGHS towards such service charges is Rs. 15.71 crores as on 31.03.2023. HLL is following up with CGHS for the full and final settlement and representing to CGHS, however no resolution has been provided in spite of a high level meeting held .A provision towards the receivable is already created during 2021-22 in the books. HLL is regularly following up with the authorities.

- 2.21 RBD and HCS divisions of the parent company are using multiple softwares like Eco Green, LIS, HMIS, RIS & Billing module, Teleradiology, PACS and RISPACS for capturing daily transactions at centres. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.

- 2.22 Government Grants:

- a. EMI EMC Lab

An amount of ₹14 Crores was received by HLL, the parent company from MoC&I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipment at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE).

मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार,

- (क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।
- (ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है
- (ग) एचएलएल को 31.03.2018 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा
- (घ) अनुदानग्राही अनुदेयी नियमों व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

हालाँकि, कोविड और कई अन्य कारणों से लैब की स्थापना में देरी हुई और अंततः लैब स्थापित हो गई, चालू हो गई और 21 अक्टूबर 2022 से एनएबीएल मान्यता प्रभावी हो गई।

नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी & आई को प्रस्तुत किये गए हैं और 31 मार्च 2023 तक का यूसी भी जमा किया गया है।

कंपनी ने मार्च 2023 के दौरान एमओसी & आई को रु.0.95 करोड़ की अव्ययित शेष राशि वापस कर दी है। इसके अलावा अनुदान में से रु.1.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि एमओसी & आई को वापस की जानी है और इसे नोट संख्या & 24 अन्य चालू देनदारियों में देयता के तहत शामिल किया गया है।

कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। हालाँकि, मंत्रालय ने एचएलएल के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है, जैसे कि परियोजना अब पूरी हो चुकी है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है।

31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2023 तक के अप्रयुक्त रकम के ब्याज की ओर ₹ 1.29 करोड़ की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूंजी के साथ-साथ राजस्व अनुदान भी शामिल है। ड्युअल परपस फ्लूरोसीन और इलक्ट्रोकेम के लिए इलक्ट्रोस्पण क्यू डॉट्स नैनोफिब्रस मेम्ब्रेन के विकास की ओर परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड से (रु. 0.24 करोड़), मेटल रिड्यूस्ड कार्बन नैनोमेटोरियल्स - मलेरिया का पता लगाने की ओर कागज़ आधारित ऑप्टिकल बायोसेंसर के लिए समग्र नैनोफैब्रस मेंमब्राइन - के विकास और विश्लेषीकरण के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (0.17 करोड़) से और 'छोटे पैमाने पर अपशिष्ट जल शोधन के लिए नवीन, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल सेलूलोज़ नैनोफैब्र (सीएनएफ) आधारित पॉलीइलेक्ट्रोलाइट माइक्रोफिल्ट्रेशन फिल्टर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (0.22 करोड़) से सरकारी अनुदान हैं। उपरोक्त आंकड़े इस प्रकार हैं।

| निधीयन एजेंसी | स्वीकृत राशि | वित्तीय वर्ष 20-21 तक | वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान | वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान | कुल (रु) करोड़ों में |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| बीआरएनएस | 0.37 | - | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| एसईआरबी | 0.29 | 0.17 | - | - | 0.17 |
| डीओईसीसी | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |

2.23 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल फंड और सफ्टवेयर एजेंसी, इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को पुरुष कंडोम के 69.88 दशलक्ष अदद निर्यात किया था और संग्रहण भी प्राप्त हुआ था।

बाद में 26.11.2015 को पीएफएसए ने सूचित किया कि इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। 28.11.2016 को पूरी आपूर्ति चार परेषण में इस शर्त पर प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामग्रियों के समान मात्रा वापस भेजना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मास्यूटिकल्स फंड और आपूर्ति एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए।

As per the terms of the sanction letter,

- a. A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the Department of Commerce,
- b. the project is to be completed in time bound manner,
- c. HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018,
- d. In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest at 10% per annum.

However due to COVID and various other reasons there was a delay in the setting up of the lab and finally Lab got installed, commissioned and got NABL accreditation effective from 21st October 2022.

The utilization certificates were submitted to MoC & I as stipulated on regular basis and the UC up to 31st March 2023 is also submitted.

The company has refunded the unspent balance of Rs. 0.95 crs to MoC&I during March 2023. Further an additional amount of Rs. 1.64 crs out of the Grant is to be refunded to MoC&I and this has been included under liability in Note No:24 other current Liabilities.

The company is yet to get a written approval for the extension of time. However, Ministry has not denied HLL's request categorically. The company does not envisage repayment of the grant as the lab is now completed and commissioned in all aspects.

A Contingent liability of Rs 1.29 crs is considered towards interest on the un-utilised amount as on 31.03.2023 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.

b. Grant for R& D Projects

The corporate R&D centre of the parent company is in receipt of grants from Govt for various projects which includes capital as well as revenue grant. The Government Grants are from Board of Research in Nuclear Sciences (Rs.0.24 Crore)is for "Development of Electrospun-Q-dots Nanofibrous-membrane for dual purpose fluorescence and electrochem", from Science & Engineering Research Board (Rs.0.17 Crore) for "Development and characterization of Metal Reduced carbon nanomaterials-composite nanofibrous membrane for paper based optical biosensor for Malaria detection" & from Directorate of Environment & Climate Change (Rs.0.22 Crore) on "Novel, cost effective and eco-friendly cellulose nanofibre(CNF)-based Polyelectrolyte microfiltration filter for small scale waste water purification". The above figures are arrived as follows.

| Funding agency | Sanctioned amount | Till FY 20-21 | During FY 21-22 | During FY 22-23 | Total (Rs in Crs) |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BRNS | 0.37 | - | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| SERB | 0.29 | 0.17 | - | - | 0.17 |
| DoECC | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.22 |

2.23 During the year 2015-16, the parent company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia and the collections were also received.

Later, on 26.11.2015, PFSA communicated that some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace on 28.11.2016 the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL.

HLL replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Supply Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18.

वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये।

पीएफएसए ने 13.2.2018 को सूचित किया था कि पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे। पीएफएसए, एथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 के कानूनी नोटीस भेजा था। हालांकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60 करोड़ आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकद्दमा दायर किया।

एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी।

एचएलएल ने वकील के माध्यम से बचाव पक्ष का बयान और लिखित दलीलें दायर की हैं और कई सुनवाई के बाद यह मामला 23 जनवरी 2023 को आदेश के लिए आरक्षित कर दिया गया और मामले की व्यापकता के कारण स्थगित कर दिया गया। 24 जुलाई 2023 को मामले का फैसला प्राप्त हुआ और फैसला एचएलएल के अनुकूल पाया गया। पीएफएसए के दावों को संघीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तदनुसार, रु.45.60 करोड़ का दावा आकस्मिक देयता से हटा दिया गया है।

2.24 लेखांकन मानक इंड एस - 37 के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

रु. करोड़ों में

| विवरण | वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान* | | अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता** | | अन्य के लिए प्रावधान** | |
|---------------|------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------|
| | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 |
| प्रारंभिक शेष | 5.32 | 1.79 | 195.77 | 25.52 | 15.39 | 15.39 |
| परिवर्धन | 0.17 | 4.18 | 12.00 | 172.10 | 5.58 | - |
| उपयोग | - | - | 0.55 | 1.51 | - | - |
| व्युत्क्रम | 0.78 | 0.65 | 0.36 | 0.34 | - | - |
| अंतिम शेष | 4.71 | 5.32 | 206.86 | 195.77 | 20.97 | 15.39 |

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

**प्राप्य, ऋण और अग्रिम तथा कर्मचारियों को अग्रिम की ओर प्रावधान बनाया गया।

2.25 टिप्पणी सं 10 के अनुसार व्यापार प्राप्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड़ शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड़ केरल के पारिप्लली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, परियोजना नवंबर, 2010 में पूरी हुई और 21/10/2016 को ईएसआईसी द्वारा अधिग्रस्तित की गयी और शेष रकम रु. 13.67 करोड़ अन्य असाइनमेंट से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड़, रु. 28.98 करोड़ किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड़ का एक्सलेशन क्लेम अक्टूबर 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन है।

इस ₹ 94.76 करोड़ प्राप्य के खिलाफ ₹62.45 करोड़ को इस टर्न की परियोजना पर मेर्सस एल & टी को देय वर्धित दावों के खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

एचएलएल अनुबंध के अनुसार देय पात्र भुगतान जारी करने के लिए प्रयास करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹ 92.93 करोड़ को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है।

लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार 28.03.2018 को विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया था और मध्यस्थता में रु. 437.19 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया था।

The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed. PFSA had informed on 13.02.2018 that they would not continue with the replacement, as agreed earlier. PFSA, Ethiopia had sent a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, HLL denied the same vide letter dated 21.02.2018.

On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to INR 45.60 Cr.

HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on the first hearing on the matter in February 2021.

HLL has filed the defense statement and written arguments through counsel and after multiple hearings the matter was reserved for orders on 23rd January 2023 and getting adjourned due to massiveness of the case. On 24th July 2023, the judgement for the case is received and the decision is passed in favour of HLL. The claims of the PFSA was not accepted by the Federal High Court. Accordingly, the claim of Rs 45.60 Cr is removed from the contingent liability.

2.24 Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2023 is as follows:

(₹ in Crore)

| Particulars | Provision against Inventories* | | Allowance for Bad and doubtful debts** | | Provision for Others** | |
|-----------------|--------------------------------|-------|--|--------|------------------------|-------|
| | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 | 22-23 | 21-22 |
| Opening Balance | 5.32 | 1.79 | 195.77 | 25.52 | 15.39 | 15.39 |
| Additions | 0.17 | 4.18 | 12.00 | 172.10 | 5.58 | - |
| Utilizations | - | - | 0.55 | 1.51 | - | - |
| Reversals | 0.78 | 0.65 | 0.36 | 0.34 | - | - |
| Closing Balance | 4.71 | 5.32 | 206.86 | 195.77 | 20.97 | 15.39 |

*Provision created against obsolete inventories

**Provision created against receivables, Loans & advances and Advance to employees

2.25 Trade Receivables as per Note No 10 includes ₹137.41 crores receivable to HLL from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, the project started in November 2010, was completed, and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹ 123.74 crores, ₹ 28.98 crores is value of work done and ₹ 94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

As against this ₹ 94.76 crores of receivable, ₹ 62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s. L & T as part of their bills on this turnkey project.

While HLL was following for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹ 92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010.

Considering the long pending receivables, HLL had requested for dispute redressal process dated 28.03.2018 as per agreement between ESIC and a claim of Rs.437.19 crores is submitted in arbitration.

हालांकि, एचएलएल द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने और कार्यवाही चलने के बाद, ईएसआईसी के अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त कर दिया गया था।

इससे विवाद समाधान में अत्यधिक देरी होने से, एचएलएल ने इस विवाद में सीपीएसईएस विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अपनाने का निर्णय लिया और 24.01.2022 को हुई 282 वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति प्रदान की गई। एएमआरसीडी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुरोध/ आवेदन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किया गया था। दिनांक 26.04.2022 के आदेश के अधीन एक समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और विधि कार्य विभाग के सचिव शामिल हैं।

समिति को अपने गठन के 3 महीने के अंदर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना अनिवार्य है। पहली बैठक 02.05.2022 को आयोजित की गई थी और नवीनतम (तीसरी) बैठक 27.01.2023 को आयोजित की गई, जिसमें समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पार्टियों को विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने का प्रस्ताव दिया। लंबे समय तक लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए और एहतियाती उपाय के रूप में वर्ष 2021-22 में इस प्राप्य के लिए बही में एक प्रावधान बनाया गया है।

एचएलएल के खिलाफ उसी अनुबंध पर एल & टी द्वारा दावा किया गया है और मेसेर्स एल & टी के साथ बकाया राशि लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेसेर्स एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरूआत की गई थी।

तदनुसार, एचएलएल ने 20.07.2019 को एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है, जिस पर एल & टी ने सहमति दी थी और मेसेर्स एल & टी ने ₹248.07 करोड़ के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹278.95 का दावा प्रस्तुत किया।

एचएलएल ने 24.12.2019 को ₹38.50 करोड़ के काउंटर दावे के साथ दावों को खारिज करते हुए अपना बचाव बयान प्रस्तुत किया।

आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को 14.07.2020 को ₹53.98 करोड़ में संशोधित कर दिया गया। एल & टी ने एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एक अर्जी दायर की और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्जी की अनुमति दी और एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का आदेश पारित किया और एक नया एकल मध्यस्थ (न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) को नियुक्त किया।

एचएलएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

दिनांक 16.05.2023 की सुनवाई के बाद एसएलपी का निपटारा हो गया और एचएलएल ने आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है।

हालांकि, माननीय एकल मध्यस्थ ने दिनांक 16.05.2023 के आदेश के अनुपालन में, संदर्भ में दर्ज किया और पुनर्गठित न्यायाधिकरण की पहली बैठक 03 जून 2023 को आयोजित की गई और आगे दूसरी बैठक 05 जुलाई 2023 को आयोजित की गई।

- 2.26** एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनने तक फार्मेशियों की स्थापना और संचालन के लिए एमओयु हस्ताक्षर किया। एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। 2017 में, गुजरात सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन इसने रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन को नहीं निकाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार द्वारा पारित दिनांक 18.05.2018 के संकल्प के अनुसार, एचएलएल ने स्टोर का प्रचालन ले लिया।

संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

However, after the claims were submitted by HLL and proceedings were going on, the mandate of arbitrator was terminated by Hon'ble Delhi High Court on request of ESIC.

Since this was causing inordinate delay in the dispute resolution, HLL decided to adopt Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes [AMRCD] in this dispute and approval to this effect was accorded in 282nd Board meeting held on 24.01.2022. The request / application for initiating AMRCD proceedings was made to the Secretary, MoHFW . Vide order dated 26.04.2022, a committee comprising of Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Secretary, Ministry of Labour and Employment, and Secretary, Department of Legal affairs was constituted.

The committee is mandated to finalize its decision within 3 months of its constitution. The first meeting of the committee was held on 02.05.2022, and the latest (3rd) meeting was held on 27.01.2023, wherein the Committee inter alia proposed the parties to arrive at an amicable settlement of the dispute. Considering the long pendency, and as precautionary measure a provision has been created in the books in the year 2021-22 towards this receivable.

There is a claim by L&T on the same contract against HLL and due to the pendency of dues with M/s. L & T, Dispute redressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T.

Accordingly, HLL appointed Sole arbitrator on 20.07.2019 which was consented to by L&T, and M/s. L&T submitted claim of ₹ 278.95 crores along with interest (up to 30.09.2019) of ₹ 248.07 crores.

HLL submitted its statement of Defence, denying the claims along with a counter claim of ₹ 38.50 crores on 24.12.2019.

Further while responding to the Rejoinder of L&T, the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores on 14.07.2020. L & T filed a petition with Hon'ble Delhi High Court to terminate the mandate of sole Arbitrator and the Hon'ble High Court allowed the petition and passed order terminating the mandate of Sole Arbitrator and appointed a new sole Arbitrator, (Justice Indu Malhotra, retired justice of Supreme Court)

HLL filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court challenging the order of the Hon'ble High Court of Delhi.

The SLP got disposed off subsequent to the hearing dated 16.05.2023, and HLL has filed a Review petition against the Order.

However, Hon'ble Sole Arbitrator, in compliance with the order dated 16.05.2023, entered into reference and the 1st meeting of the reconstituted tribunal was held on 03rd June 2023 and further 2nd meeting was held on 05th July 2023

- 2.26 HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th September 2016 for setting up and operating pharmacies until a JV Company is formed. HLL had set up 52 AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores in Gujarat in the month of November 2016. In 2017, A JV company was formed by Govt of Gujarat, but it did not take over the Assets, Liabilities and Operations of Retail Drug Stores. As per the Resolution dated 08.05.2018 passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL had taken over the operations of the stores. As per the above Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same.

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड की रकम की संचित हानि टिप्पणी 14 - अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है। आगे रु. 13.70 करोड मेडिसिन आपूर्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल किया गया है और इसके लिए एक प्रावधान बहियों में उपलब्ध है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15.00 करोड की रकम टिप्पणी 21-चालू वित्तीय देयताएँ -अन्य के अधीन दिखायी गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिनांक 28.01.2021के पत्र के द्वारा जीएमएससीएल ने मेसेर्स धीरूभाई शाह & कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

जीएमएससीएल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जीएमएससीएल को सौंप दी है और एचएलएल को भी इसकी एक प्रति प्राप्त हुई है। उपरोक्त लेखापरीक्षक ने कुल रु.12.32 करोड में से रु.8.44 करोड की सिफारिश की है। लेखापरीक्षक द्वारा कुल अस्वीकृति रु.3.88 करोड है जिसके प्रावधान बहियों में उपलब्ध है। जीएमएससीएल अपने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बकाया राशि का निपटान करेगा।

2.27 टिप्पणी -14 अन्य चालू परिसंपत्तियों में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 4.92 करोड की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 4.92 करोड के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रावधान बही में उपलब्ध है।

मई 2020 से मार्च 2023 के दौरान, एचएलएल ने मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज/उनके उत्तराधिकारियों की परिसंपत्ति का विवरण एकत्र करने के लिए जासूस/वसूली/परिसंपत्ति पहचान एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए चार मौकों पर निविदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित कीं। हालांकि एचएलएल को कोई प्रतिक्रियाशील प्रस्ताव नहीं मिला।

इसके बाद अप्रैल 2023 में, एचएलएल ने मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से देय राशि की वसूली तक निष्पादन याचिका दायर करने और/या संबद्ध सेवाओं के लिए कानूनी फर्म मेसेर्स लीगल आइकन एडवोकेट्स और कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट्स एलएलपी, कोच्चि को नियुक्त किया। यह लॉ फर्म, मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज की परिसंपत्ति का पता लगाने की प्रक्रिया में है।

2.28 पट्टे जहाँ ग्रूप पट्टेदार है

ग्रूप के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं।

आरओयु परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. करोडों में

| विवरण | मकान | संयंत्र व उपकरण | कुल |
|---|------|-----------------|-------|
| 1अप्रैल 2021तक के शेष-निवल ब्लॉक | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन | 0.27 | | 0.27 |
| निपटान | | | |
| 31 मार्च 2022 तक के शेष | 6.17 | 29.73 | 35.90 |
| मूल्यहास 21 -22 | 0.78 | 7.41 | 8.19 |
| 31 मार्च 2022 तक के निवल ब्लॉक | 5.39 | 22.32 | 27.71 |
| 1अप्रैल 2022 तक के शेष | 5.39 | 22.32 | 27.71 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | 0.12 | | 0.12 |
| निपटान | | | - |
| 31 मार्च 2023 तक के शेष | 5.51 | 22.32 | 27.83 |
| मूल्यहास 22-23 | 0.76 | 7.41 | 8.17 |
| 31 मार्च 2023 तक के निवल ब्लॉक | 4.75 | 14.91 | 19.66 |

The cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹ 12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat Arogya Seva Private Limited [GASPL] under Note 14 – Other Current Assets. Further ₹ 13.70 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables and a provision towards this is available in the books. An amount of ₹ 15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Note 22 – Current Financial Liabilities Others.

As per the MOU terms, GMSCL vide letter dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss.

The auditors appointed by GMSCL has submitted their final report to GMSCL and HLL also received a copy of the same. The above auditor has recommended Rs.8.44 Cr out of the total of Rs.12.32 Cr. The total disallowance by the auditor is Rs.3.88 Cr for which provisions is available in the books. GMSCL will settle the outstanding amount after obtaining the approval from their competent authority.

- 2.27 Note 14 - Other Current Assets include an amount of ₹4.92 Crs receivable from M/s Goa Mining Industries which was under Arbitration. During the year 2018-19, the parent company has received an arbitral award in favour of the company for ₹ 4.92 Crs with interest at 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision towards this is available in the books.

During May 2020 to March 2023, HLL published tender notifications on four occasions inviting proposals from detective/recovery /asset identification agencies for collecting details of assets of M/s Goa Mining Industries/ their heirs. However, HLL did not receive any responsive offers.

Subsequently, in April 2023, HLL engaged the law firm M/s Legal Icon Advocates and Corporate Legal Consultants LLP, Cochin for filing Execution Petition and / or allied services till realization of amount due from M/s Goa Mining Industries. The law firm is in the process of ascertaining the assets of M/s Goa Mining Industries

2.28 Leases where the group is Lessee.

The Group's leases mainly comprise of land and buildings and Plant and equipment for manufacturing, business as well as warehouse facilities.

The details of ROU Assets and Liabilities are as follows:

Right of Use Assets (Leased Assets)

₹ in Crore

| Particulars | Building | Plant & Equipment | Total |
|---|----------|-------------------|-------|
| Balance as on 1 st April 2021- Net Block | 5.90 | 29.73 | 35.63 |
| Additions during FY 2021-22 | 0.27 | | 0.27 |
| Disposals | | | |
| Balance as on 31 st March 2022 | 6.17 | 29.73 | 35.90 |
| Depreciation 21-22 | 0.78 | 7.41 | 8.19 |
| Net Block as on 31 st March 2022 | 5.39 | 22.32 | 27.71 |
| | | | |
| Balance as on 1 st April 2022 | 5.39 | 22.32 | 27.71 |
| Additions during FY 2022-23 | 0.12 | | 0.12 |
| Disposals | | | |
| Balance as on 31 st March 2023 | 5.51 | 22.32 | 27.83 |
| Depreciation 22-23 | 0.76 | 7.41 | 8.17 |
| Net Block as on 31 st March 2023 | 4.75 | 14.91 | 19.66 |

पट्टा देयता
रु. करोड़ों में

| विवरण | पट्टा देयता |
|---|-------------|
| 1 अप्रैल 2021 तक के शेष | 35.69 |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन | 0.27 |
| अर्जित ब्याज | 2.59 |
| पट्टा किराया | 10.14 |
| 31 मार्च 2022 तक के शेष | 28.42 |
| 1 अप्रैल 2022 तक के शेष | 28.42 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | 0.12 |
| अर्जित ब्याज | 1.96 |
| पट्टा किराया | 10.17 |
| 31 मार्च 2023 तक का शेष | 20.33 |
| चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता | 8.52 |
| गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता | 11.81 |

मानक द्वारा अपेक्षित जैसे, पट्टा देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण अन्य वित्तीय देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दिखाया गया है टिप्पणी-33 : वित्तीय साधन

2.29 कोविड - 19 के प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

एमओएचएफडब्लियु ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लान्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीदी के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निधीकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे। चूंकि भारत में कोविड-19 संक्रमण कम हो गया है, 2021-22 के दौरान जारी किए गए क्रय आदेशों के अप्रयुक्त हिस्से को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिना किसी नए आदेश के पूरा किया गया।

एचएलएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमओएचएफडब्लियु निधि के स्रोतों से नीचे उल्लिखित कोविड वैक्सिन खरीद कर आपूर्ति की है।

| आपूर्तिकर्ता | वैक्सीन | डोजों की संख्या |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड | कोवैक्सीन | 3.17 करोड |
| बायोलजिकल ई लिमिटेड | कोरबीवैक्स | 4.85 करोड |

एचएलएल ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से सेवाओं का लाभ उठाया है, कोविड वैक्सीन प्रापण की दिशा में एचएलएल की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी है। एचएलएल ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से वैक्सिनों की आपूर्ति के लिए एमओएचएफडब्लियु से प्राप्त प्रबंधन शुल्क का 50% एचबीएल को भुगतान किया है।

Lease Liability
₹ in Crore

| Particulars | Lease liability |
|---|-----------------|
| Balance as on 1st April 2021 | 35.69 |
| Additions during FY 2021-22 | 0.27 |
| Interest accrued | 2.59 |
| Lease rent | 10.14 |
| Balance as on 31st March 2022 | 28.42 |
| Balance as on 1st April 2022 | 28.42 |
| Additions during FY 2022-23 | 0.12 |
| Interest accrued | 1.96 |
| Lease rent | 10.17 |
| Balance as on 31st March 2023 | 20.33 |
| Lease liability classified as current | 8.52 |
| Lease liability classified as Non-current | 11.81 |

As required by the Standard, maturity analysis of Lease Liabilities have been shown separately from the maturity analysis of other financial liabilities under Note 33: Financial Instruments.

2.29 Nodal agency for Procurement of COVID-19

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products ie, Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. A 24/7 Emergency Control Room was made operational for the purpose.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from three domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd. As covid 19 infections have subsided in India, the unexecuted portions of Purchase orders issued during 2021-22 were completed in the financial year 2022-23 without any new orders.

HLL has purchased and supplied Covid Vaccines for the Financial Year 2022-23 from the sources of MoHFW fund.

| Supplier | Vaccine | No. of Doses |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Bharat Biotech International Ltd | Covaxin | 3.17 Crs |
| Biological E Ltd | Corbevax | 4.85 Crs |

HLL has availed services from HLL Biotech Ltd, erstwhile subsidiary of HLL towards Covid Vaccine procurement. HLL paid 50% of the management fee received from MOHFW for supplies of vaccines from Bharat Biotech International Ltd.

उपरोक्त वैक्सिनों के अलावा, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने वेंटिलेटर की अग्रणीत आपूर्ति भी जारी रखी।

2.30 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है। तथापि अधिकांश देनदार सरकार/ सरकारी संस्थानों हैं। निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि/मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं।

2.31 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

(i) किराए से आय

(रु. करोड़ों में)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| किराए से आय | 0.60 | 0.85 |
| किराए की आय बनानेवाले प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय | 0.00 | 0.00 |
| प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिससे किराए की आय नहीं बनाते हैं। | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यहास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ | 0.60 | 0.85 |
| मूल्यहास | 0.07 | 0.17 |
| निवेश संपत्तियों के पट्टे पर देने से लाभ | 0.53 | 0.69 |

(ii) उचित मूल्य

31 मार्च 2023 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडीब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिथ क्षेत्र संदर्भ) ₹1.62 करोड़ अनुमानित है।

(iii) मूल्यहास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

2.32 अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसकी ओर अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।

2.33 क) एचएलएल को 2017 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत सभी स्वास्थ्य सेवा वितरण संस्थानों में मुफ्त नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए 5 साल की अनुबंध वैधता के साथ निविदा प्रदान की गई थी। तदनुसार फरवरी 2017 के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी महाराष्ट्र और एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के बीच एक समझौता निष्पादित किया गया था। समझौते के खंड 7(ii) के अनुसार, एचएलएल न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा के लिए पात्र है जो कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन की तारीख से या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 महीने, जो भी बाद में हो, से शुरू होती है। तब तक भुगतान वास्तविक आधार पर होगा। न्यूनतम सुनिश्चित नमूना मात्रा प्रति कार्य दिवस 22000 नमूने हैं। इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक नमूना मात्रा के समान अनुपात में की जाएगी।

एचएलएल ने नवंबर 2017 से ही अपने दावों में इस खंड को लागू करना शुरू कर दिया था। हालाँकि एनएचएम ने यह कहते हुए हमारे दावे को स्वीकार नहीं किया कि एचएलएल ने समझौते के अनुसार सभी पहलुओं में कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया है और हम से, केवल वास्तविक आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यद्यपि बाद के दावे वास्तविक आधार पर एनएचएम को प्रस्तुत किए गए थे, एचएलएल अलग-अलग पत्र संचार के माध्यम से न्यूनतम आश्वासन (नवंबर 2017 से) के लिए अपने दावे को समानांतर रूप से आगे बढ़ा रहा था।

एनएचएम के अनुसार, अनुबंध के निष्पादन दायित्वों को एचएलएल द्वारा समझौते में वर्णित तरीके के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया था, जोकि यह अनुबंध से उत्पन्न होनेवाले पूर्ण आर्थिक लाभ ले सके। ऊपर वर्णित जैसे ग्राहक स्वीकृति के अभाव के कारण, एचएलएल ने अनुबंध की शुरुआत से न्यूनतम सुनिश्चित नमूना मात्रा के लिए अपनी बहियों में राजस्व को मान्यता नहीं दी।

In addition to the above Vaccines, HLL Lifecare Limited has continued the carried forward supplies of Ventilators also

2.30 Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. However, most of the debtors are government /government institutions Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency Valuation gain or loss may vary.

2.31 Additional Disclosure for Investment Properties:

(i) Rental Income:

₹ in Crores

| Description | As at 31st March 2023 | As at 31st March 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Rental income | 0.60 | 0.85 |
| Direct operating expenses that generated rental income | 0.00 | 0.00 |
| Direct operating expenses that did not generate rental income | 0.00 | 0.00 |
| Profit from leasing of investment properties before depreciation | 0.60 | 0.85 |
| Depreciation | 0.07 | 0.17 |
| Profit from leasing of investment properties | 0.53 | 0.69 |

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2023 is estimated at ₹ 1.62 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth Area Reference).

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

2.32 Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.

2.33 (a) HLL was awarded the tender with contract validity of 5 years for providing free diagnostic services in all healthcare delivery institutions under the Directorate of Health Services in the state of Maharashtra during 2017. Accordingly, an agreement was executed between the State Health Society Maharashtra and HLL Lifecare Limited during Feb 2017. As per Clause 7(ii) of the agreement, HLL is eligible for a Minimum assured volume which starts from the date of complete implementation of the program or 3 months from the date of signing the contract whichever is later. Until such time, payment would be on actual basis. The minimum assured sample volume is 22000 samples per working day. It will be reimbursed in the same proportion as that of the actual sample volume achieved during the respective period.

HLL started applying this clause in our claims with effect from November 2017 itself. However, NHM did not accept our claim citing that the HLL had not completed the implementation of the program in all the aspects as per the agreement and asked us to submit our claims on actual basis only. Though subsequent claims were submitted on actual basis to NHM, HLL was pursuing its claim for minimum assurance (w.ef. November 2017) parallelly through separate letter communications.

As per NHM, the performance obligations in the contract was not fully satisfied by HLL in the same manner as described in the agreement so that it can take complete economic benefits arising out of the contract. Due to the absence of customer acceptance as described above, HLL did not recognize revenue in its books for the minimum assured sample volume from the beginning of the contract.

पिछले 3-4 वर्षों के दौरान एनएचएम के साथ कई अनुवर्ती कार्रवाई और चर्चाओं के बाद, एनएचएम ने फरवरी 2023 के दौरान 10 फरवरी 2018 से जून 2022 तक के न्यूनतम आश्वासन के लिए हमारे दावे को मंजूरी दी। तदनुसार, फरवरी 2023 के दौरान 10.02.2018 से न्यूनतम आश्वासन और सितंबर 2021 से 3% वार्षिक मूल्य वृद्धि सहित की प्रतिपूर्ति के लिए एनएचएम द्वारा अनुमोदित रु.200.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। रु.200.10 करोड़ का राजस्व और रु.187.51 करोड़ का सेवा प्रदाता का व्यय लागू वर्षों में निम्नानुसार फैला हुआ है :

| रु.करोड़ों में | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| आय | 6.12 | 52.86 | 30.93 | 49.07 | 49.96 | 11.17 |
| व्यय | 5.73 | 49.53 | 28.98 | 45.99 | 46.81 | 10.47 |

ख) इसके अलावा, एनएचएम महाराष्ट्र के साथ समझौते के अनुसार, एचएलएल उद्धृत दरों में 3% वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र है। एचएलएल ने नवंबर 2018 से जून 2021 की अवधि के लिए रु.20.05 करोड़ का हिसाब लगाया था। हालांकि एनएचएम ने सितंबर 2021 से ही वार्षिक दर वृद्धि लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार रु.20.05 करोड़ की वृद्धि पी&एल पर लगाया जाता है और सेवा प्रदाता को रु.18.85 करोड़ की संबंधित देनदारी वापस दी जाती है। लाभ या हानि के विवरण में निवल प्रभाव रु.1.20 करोड़ है।

2.34 संग्रह बैंक खातों में कुछ रसीदों की पहचान उन प्रासंगिक ग्राहकों के प्रति नहीं की जा सकी, जिनसे संग्रह प्राप्त किया गया है, उन्हें नोट संख्या 23 (ए) ग्राहकों/क्लाइंट से अग्रिम में 'अनिर्दिष्ट रसीदों' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं। ये शेष देनदारों या अग्रिम प्राप्तियों से वसूली की जा सकती हैं। देनदार/अग्रिम शेष पुष्टि के अधीन हैं और उस सीमा तक परिवर्तन के अधीन हैं।

2.35 डीपीई ओ.एम.सं. 2(70)/08-डीपीई(डब्लियूसी)-जीएल-XVI/08, दिनांक 26 नवंबर 2008, के अनुबंध -III के प्रावधान के अनुसार, पीआरपी प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगा और सीपीएससी के लाभ से निकलेगा। पीआरपी के 60%, कर के पहले लाभ (पीबीटी) के 3% लाभ तक दिया जाएगा और पीआरपी के 40%, वृद्धिशील लाभ के 10% होगा। वृद्धिशील लाभ का अर्थ, पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लाभ में वृद्धि होगा। हालांकि कुल पीआरपी वर्ष के पीबीटी के 5% तक सीमित होगा, जो सीपीएससी में अधिकारियों व गैर संघीय पर्यवेक्षकों के लिए होगा।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार पीआरपी की अधिकतम सीमा मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों (निष्क्रिय नकदी/ बैंक शेष पर ब्याज पर विचार किए बिना) से वर्ष के लाभ का 5% है, तदनुसार, लेखांकन के मिलान सिद्धांत के अनुसार, हाइट्स की बहियों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीआरपी के लिए 1.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलान सिद्धांत के अनुसार, खर्च की गयी अवधि दर्ज की जानी चाहिए, भले ही नकदी का हस्तांतरण कब भी हुआ हो।

हालांकि, उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी की पात्रता के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से अलग अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त प्रावधान की देयता का निर्वहन किया जाएगा।

2.36 हाइट्स ने उन अनुबंधों के लिए इंड ए एस 115 से संबंधित प्रकटीकरण के अनुसार शेष निष्पादन दायित्व का खुलासा नहीं किया है जो निष्पादन के अधीन हैं और 31/03/2023 तक पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि शेष निष्पादन दायित्व परिवर्तन के अधीन हैं और कई कारकों से प्रभावित हैं, जिनमें समाप्ति, अनुबंधों के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्वैधीकरण, राजस्व के लिए समायोजन जो पूरा नहीं हुआ है और मुद्रा के लिए समायोजन शामिल हैं।

2.37 हाइट्स एक निष्पादन एजेंसी और प्राणण समर्थन एजेंट है और ग्राहकों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से संबंधित निर्माण एवं प्राणण परियोजनाएँ चालू करते हैं।

निर्माण एवं प्राणण के लिए किए गए भुगतान को हाइट्स द्वारा चालू रखी परियोजनाओं के लिए चार्ज किया जाता है। कंपनी के राजस्व को इंड ए एस 115 में परिभाषित जैसे और न सकल निर्माण एवं प्राणण मूल्य के लिए ग्राहक के साथ के समझौते के अनुसार योग्य परामर्श शुल्क के लिए ही अंकित किया जाता है। इसलिए परियोजनाओं के लिए निर्माण व खरीद के लिए किए गए भुगतान से संबंधित जीएसटी क्रेडिट हाइट्स के लिए पात्र नहीं है।

After several follow ups & discussions with NHM during the past 3-4 years, NHM finally approved our claim for minimum assurance from 10th February 2018 onward till June 2022 during February 2023. Accordingly, an amount of Rs 200.10 Cr was received during February 2023 as approved by NHM for reimbursement comprising of Minimum assurance from 10.02.2018 and 3% annual price escalation from September 2021. The revenue of Rs 200.10 Crores and expenditure, being the expenditure to service provider of Rs 187.51 Crores is spread across the applicable years as follows:

| Rs. In crores | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Income | 6.12 | 52.86 | 30.93 | 49.07 | 49.96 | 11.17 |
| Expenses | 5.73 | 49.53 | 28.98 | 45.99 | 46.81 | 10.47 |

(b) Further, as per the agreement with NHM Maharashtra, HLL is eligible for 3% annual escalation in the quoted rates. HLL had accounted Rs. 20.05 Crore towards this for the period November 2018 to June 2021. However, NHM has given approval for applying the annual rate escalation from September 2021 only. Thus, the escalation Rs. 20.05 Crore is charged off to P&L and the corresponding liability towards service provider of Rs. 18.85 Crore is written back. The net impact in Statement of Profit or loss is Rs. 1.20 Crore.

- 2.34 Some of the receipts in collection bank accounts of the parent company could not be identified against the relevant customers from whom the collection is received are classified as "Unspecified Receipts" in Note No. 24 (a) Advance from Customers/Clients. These balance can be realisation from debtors or advance receipts. The debtors/advance balances are subject to confirmation and are subject to change to that extent.
- 2.35 As per the provision of Annexure- III of the DPE O.M. No. 2(70)/08-DPE (WC)-GL-XVI/08 dated 26th Nov, 2008, the PRP would be based on physical and financial performance and will come out of profits of the CPSE. 60% of the PRP will be given with the ceiling of 3% of profit before Tax (PBT) and 40% of PRP will come from 10% of incremental profit. Incremental profit would mean the increase in profit as compared to previous year's profit. The total PRP, however, will be limited to 5% of the year's PBT, which will be for executives as well as non-unionised supervisors in a CPSE.

As per the above guidelines maximum ceiling of PRP is 5% of the year's profit from core business activities (without consideration of interest on idle cash/ bank balances), accordingly a provision of Rs 1.49 crs has been made for PRP during current Financial Year in the books of HITES in order to follow the matching principle of accounting. As per the matching principle, the expenses should be recorded during the period in which they are incurred, regardless of when the transfer of cash occurs.

However, Payment of above mentioned amount will be made after obtaining separate approvals from the competent authorities as per the eligibility of the company with reference to the above mentioned DPE guidelines

- 2.36 HITES has not disclosed the remaining performance obligation as per IND AS 115 related disclosures for contracts which are under execution and not completed as on 31/03/2023 as remaining performance obligation are subject to change and are affected by several factors, including terminations, changes in the scope of contracts, periodic revalidations, adjustment for revenue that has not materialized and adjustments for currency.
- 2.37 HITES is an executing agency & procurement support agent and undertakes the construction and procurements projects related to Hospitals & Medical College for the clients.

The payment made for construction and procurement are charged to the projects held by HITES. The revenue of the company is booked only for the eligible consultancy fee as per the agreement with client and as defined in IND AS 115 and not for the gross construction and procurement value. Hence the GST credit related to the payments made for the construction and procurement for projects are not eligible to HITES.

वर्ष के दौरान, प्रापण/ठेकेदार के भुगतान के खिलाफ के जीएसटी क्रेडिट की ओर ₹ 6065.00 लाख (लगभग) का रकम, हाइट्स के लिए पात्र नहीं है और उसी का दावा नहीं किया जाता है। हालांकि वही हाइट्स के जीएसटी संख्या पर प्रतिबिंबित किया जाता है।

2.38 हाइट्स के संबंध में, कंपनी के कर दायित्व को ₹ 3.16 करोड़ (लगभग) के प्राप्य टीडीएस, अर्थात् परियोजना निधि और परियोजना के जुटाव अग्रिमों पर ब्याज से घटाया गया है, के साथ समायोजित करके धनवापसी का दावा कर रहा है। चूंकि ग्राहकों के साथ के समझौते के अनुसार परियोजनाओं की निधि के अंतर्गत के ब्याज पर घटाए गए टीडीएस को हाइट्स के पैस में दर्ज किया जाता है, उसी को आयकर उद्देश्य के लिए क्रेडिट के रूप में लिया जाता है और समतुल्य निधि को संबंधित परियोजना निधि में वापस अंतरित किया जाता है।

2.39 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे समझौते की शर्तों के अनुसार, विभिन्न एम्स और राज्य स्तरीय परियोजनाएं, हाइट्स अपनी ओर से शुद्ध एजेंट की क्षमता में अपने स्वयं के जीएसटीआईएन और आईईसी का उपयोग करके चिकित्सा उपकरण (धरेलू/आयातित) खरीदने के लिए उत्तरदायी है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार खरीदे गए संपूर्ण चिकित्सा उपकरण संबंधित परियोजनाओं (परेषिती/साइटों) को सीधे आपूर्ति/प्रेषित किया जा रहा है। ऐसी सामग्रियों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है -

क.

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|-------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | रुपए करोड़ों में | | | | |
| आयातित माल की खरीद | 269.88 | 308.73 | 367.36 | 326.97 | 605.61 |
| स्वदेशी वस्तुओं की खरीद | 469.83 | 863.29 | 911.21 | 509.22 | 310.40 |
| खरीद का कुल मूल्य | 739.71 | 1172.02 | 1278.57 | 836.19 | 916.01 |

चूंकि हाइट्स एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार की ओर से उनकी परियोजनाओं के लिए समर्थन एजेंट के रूप में काम कर रहा है, माल का लाभकारी स्वामित्व केवल संबंधित परियोजनाओं को है, परियोजना के परेषितियों को आपूर्ति सामग्रियों की रकम को लेनदेन मूल्य के हिस्से के रूप में नहीं माना गया है।

ख.

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|--------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | रुपए करोड़ों में | | | | |
| निष्पादित कार्य का मूल्य | 472.02 | 757.77 | 558.18 | 899.80 | 400.61 |

2.40 जीएपीएल के वित्तीय विवरणों के संबंध में :

- विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों, दावों, आपूर्तिकर्ताओं और विविध लेनदारों के साथ अग्रिम की शेष राशि पुष्टि/समाधान एवं परिणामी समाधान, यदि कोई हो, के अधीन है।
- जीएपीएल की आकस्मिक परिसंपत्ति शून्य है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गोवा सरकार से प्राप्त ब्याज इमदाद रु. 0.09 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 0.09 करोड़ थी।
- भुगतान के लिए देय तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया अप्रतिभूत व्यापार प्राप्य में गोवा फुड एंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जीएफपीपीएल) से प्राप्त रु. 4.13 करोड़ शामिल हैं। पार्टी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवालियापन के लिए आवेदन दायर किया है।
- 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रदान की गई क्षति हानि शून्य है।
- पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंध की अनुमानित राशि और जो विकास के तहत मूर्त परिसंपत्ति के लिए प्रदान नहीं किया गया है, शून्य हैं।

During the year, an amount of Rs.60.65 crs (Approx.) towards GST credit against the procurement/contractor payments is not eligible to HITES and the same is not claimed. However, the same is reflected on the GST number of HITES.

2.38 HITES is claiming refund by adjusting Company's tax liability with TDS receivable of Rs. 3.16 crs (Approx.) i.e., deducted from the interest on project funds and project's mobilization advances. Since the interest belongs to the projects fund, as per the agreement with clients and the TDS deducted on the interest is recorded at the PAN of HITES, the same is taken as credit for income tax purpose and the equivalent fund is transferred back to the respective project fund

2.39 As per the terms of the agreement being awarded by MoHFW, various AIIMS and state level projects, HITES is liable to procure the medical equipment's (Domestic/Import) by using its own GSTIN & IEC in the capacity of pure agent on their behalf. The entire medical equipment's procured as per the terms of the contract is being supplied/dispatched to the respective projects (consignees/sites) directly. The year wise break up of such materials are as under

A.

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | Rs in crs |
| Procurement of Imported Goods | 269.88 | 308.73 | 367.36 | 326.97 | 605.61 |
| Procurement of Indigenous Goods | 469.83 | 863.29 | 911.21 | 509.22 | 310.40 |
| Total Value of Procurement | 739.71 | 1172.02 | 1278.57 | 836.19 | 916.01 |

Since HITES is working as a Procurement and support agent on behalf of MoHFW, Government of India for their projects, the beneficial ownership of goods are with the respective projects only, the amount of the materials so supplied to the projects consignees has not been considered as a part of transaction value.

B.

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | Rs in crs |
| Value of Work executed | 472.02 | 757.77 | 558.18 | 899.80 | 400.61 |

2.40 With respect to GAPL financial statements:

1. The balances of Sundry Debtors, Loans and Advances, Claims, Advance with Suppliers and Sundry Creditors are subject to confirmation/reconciliation and consequent reconciliation, if any.
2. The Contingent Assets of GAPL is Nil.
3. Interest subsidy received from Goa Government is Rs. 0.09 Crores in the Financial Year 2022-23 as against Rs. 0.09 Crores in Financial Year 2021-22.
4. The Unsecured Trade Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment includes Rs. 4.13 Crores receivable from Goa Food and Pharma Private Limited (GFPPL). The party has filed application for insolvency in National Company Law Tribunal (NCLT).
5. Impairment loss provided for the period ended 31st March 2023 is Nil.
6. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital accounts and not provided for Tangible assets, under Development are NIL.

- 2.41** बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियाँ पुराने होने के कारण अनुप्रयोगी है और उन्हें स्क्रेप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्क्रेप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा। बिक्री के लिए रखी गई और एक वर्ष के भीतर बेची नहीं गई स्क्रेप की गई संपत्ति को गैर -चालू संपत्ति में ले जाया जाता है और बहियों में प्रदान किया जाता है।
- 2.42** मेडिकल काउंसलिंग सेल परियोजना, जो मेडिकल काउंसलिंग समिति, एमओएचएफडब्लियु और एचएलएल के बीच में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर शुरू की गई परियोजना है, से संग्रह की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को समझौते में स्पष्टता की कमी के कारण पिछले वर्षों के आय माना गया है। चालू वर्ष के दौरान, कानूनी राय के आधार पर, पिछले वर्षों में पहचानी गई आय को रिवर्स कर दी गयी है और न्यास के तहत आयोजित परियोजना की बहियों में देनदारी के रूप में माना गया है।
- 2.43** इंड एस 109 के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।
- 2.44** इंड एस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिया गया है।
- 2.45** इंड एस 37 के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिये गये हैं।
- 2.46** इंड एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 36 में दिया गया है।
- 2.47** मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान इंड एस 108 के अनुसार प्रारंभिक सीमा पर विचार करते हुए रीटेल व्यापार और नैदानिक सेवाओं को अलग-अलग खंडों के रूप में शामिल किया है। तदनुसार, नये खंडों के अनुसार पिछले वर्षों के परिणाम का खुलासा किया गया है। इंड एस 108 के अनुसार प्रचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी - 37 में दिया गया है। हाइट्स की वित्तीय स्थिति 'परियोजनाओं और सेवाओं' के अंतर्गत शामिल है और जीएपीएल की वित्तीय स्थिति समेकित वित्तीय विवरणों में 'अन्य' के अधीन शामिल है।
- 2.48** इंड एस 12 के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 38 में दिया गया है।
- 2.49** कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में वित्तीय जानकारी अनुबंध। एवं II में दी गई है।
- 2.50** कंपनी ने ऊपर बताए गए कारणों से पिछले वर्ष के आंकड़ों का संशोधन किया गया है और 01.04.2021 तक के तुलनात्मक प्रारंभिक तुलन-पत्र मूल कंपनी के संशोधित तुलन-पत्र के आधार पर तैयार की गई है, जीएपीएल का प्रारंभिक तुलन पत्र और 31.03.2021 तक के हाइट्स के शेष, यहाँ हाइट्स में कोई संशोधन नहीं है।
- 2.51** मूल कंपनी ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी 290 वीं बोर्ड बैठक में 11.93 करोड़ रुपये के लाभांश की सिफारिश की है।
- 2.52** पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्समूहित किया गया है।

| कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक जानकारी | |
|---|--|
| 1 | कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए पत्र दिनांक 22 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 पर 01.04.2019 के प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के नोट 2.13 और 2.14 में बताए गए परिवर्तनों को छोड़कर ऐसे परिवर्तनों का हिसाब लिया है। |
| 2 | बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। |
| 3 | कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। |
| 4 | परिसंपत्ति पर सभी शुल्क सांविधिक अवधि के अंदर आरओसी के साथ पंजीकृत किए गए हैं। |

- 2.41 Assets classified as held for sale consists of non-current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed off through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal. Scrapped assets held for sale and not sold within a year are taken to non-current assets and provided for in the books.
- 2.42 Interest earned on deposits made out of the collections from Medical Counseling Cell project, being a project undertaken based on an MoU between Medical Counselling Committee, MoHFW & the parent company HLL, was considered as income in the previous years due to lack of clarity in the agreement. During the current year, based on the legal opinion, the income so recognized in the previous years has been reversed and considered as liability in the books of Project held under Trust.
- 2.43 The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 33
- 2.44 The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note 34
- 2.45 The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 37 are given in Note 35
- 2.46 The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note 36
- 2.47 The parent company has included the Retail business and Diagnostic services as separate segments considering the threshold limits as per Ind AS 108 during the year. Accordingly, the previous years results are also disclosed as per the new segments. The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note-37. The financials of HITES are included under 'Projects & Services' and that of GAPL are included under 'Others' in the consolidated financial statements.
- 2.48 The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note 38
- 2.49 Financial Information regarding subsidiaries and joint venture as required by Companies Act, 2013 is given in Annexure I & II.
- 2.50 The company has restated the previous year figures due to reasons mentioned above and the comparative opening balance sheet as on 01.04.2021 is prepared based on the restated balance sheet of parent company, opening balance sheet of GAPL and balance as on 31.03.2021 of HITES as there was no restatement in HITES.
- 2.51 The Parent company has recommended a dividend of Rs.11.93 Crores in its 290th Board meeting held on the 22nd August, 2023.
- 2.52 Figures of the previous year has been rearranged and regrouped wherever necessary.

| Additional Regulatory information as required by Companies Act | |
|--|--|
| 1 | The Ministry of Corporate affairs has approved the scheme of arrangement of demerger of HLL Biotech limited and HLL Medipark limited with effect from 01-04-2019 vide MCA letter dated 22nd March 2021 and 31 ST March 2021. The holding company has accounted the effect of such changes in the financial year 2020-21 except for those stated in 2.13 and 2.14. |
| 2 | No proceeding under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) has been initiated against the group. |
| 3 | The Group has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or lenders. |
| 4 | All charges on assets have been registered with ROC within the statutory period. |

| | |
|----|---|
| 5 | ग्रूप ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है। |
| 6 | वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख ग्रूप के नाम पर रखे जाते हैं। |
| 7 | ग्रूप ने वर्ष के दौरान अपने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। |
| 8 | ग्रूप की चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों के साथ कार्यशील पूँजी की सीमा है और बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ सामान्य रूप से बही खाते के साथ समझौते में है। |
| 9 | कंपनियों की परतों की संख्याओं के साथ अनुपालन के संबंध में, कंपनी (परतों की संख्या का प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2 (घ) के अनुसार यह प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है। |
| 10 | ग्रूप ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को नोट संख्या 12 ऋण और नोट 36 संबंधित पार्टी लेनदेन के तहत प्रकट किए गए अग्रिम के अलावा गंभीर रूप से या संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। |
| 11 | कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी को कंपनी अधिनियम के अधीन बंद की गई कंपनी से कोई संबंध नहीं है। |
| 12 | हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में समझ के साथ कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य श्रोत या प्रकार के निधि से) चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा। |
| 13 | हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था सहित कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, यह समझने के साथ लिखित रूप में दर्ज किया गया है या अन्यथा कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें। |
| 14 | कंपनी की कोई अघोषित आय नहीं है जिसे सरेंडर कर दिया गया है या आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में प्रकट किया गया है। |

| | |
|----|---|
| 5 | The Group has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the Financial year 2022-23 |
| 6 | The title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the Group |
| 7 | The Group has not revalued its Plant, Property and Equipment during the year |
| 8 | The Group has working capital limits with banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns submitted to the banks are generally in agreement with books of accounts |
| 9 | With respect of compliance with number of layers of companies, the provision is not applicable to a Government Company as per Rule 2(d) of Companies (Restriction of number of Layers) Rules, 2017 |
| 10 | The Group has not granted any loans or advance in the nature of loans to Promoters, Directors, KMPs and to Related parties either severally or jointly other than Advance disclosed under Note No 12 Loans and Note 36 Related party transaction. |
| 11 | As per the information available with the company the company does not have any relation with company struck off under the Companies Act. |
| 12 | To the best of our knowledge and belief no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Group to or in any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries. |
| 13 | To the best of our knowledge and belief no funds have been received by the Group from any person or any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries. |
| 14 | The Group doesn't have any undisclosed income that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income tax act 1961. |

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

क) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(₹ करोड़ों में)

| अचल परिसंपत्तियाँ | सकल ब्लॉक | | | संचित मूल्यहास और हानि | | | | निवल ब्लॉक | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 1 अप्रैल 2022 | जोड | निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2023 | 1 अप्रैल 2022 | वर्ष के दौरान मूल्यहास/ परिशोधन व्यय | निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
| क मूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | |
| (क) भूमि | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| पट्टे पर भूमि | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.57 | 0.08 | - | 6.37 | 6.46 |
| (ख) इमारतें | 174.35 | 0.57 | -0.42 | 175.33 | 67.00 | 7.31 | -0.04 | 74.35 | 107.35 |
| (ग) सडक | 1.10 | - | - | 1.10 | 0.95 | 0.01 | - | 0.96 | 0.16 |
| (घ) संयंत्र व उपकरण | 201.04 | 17.15 | 0.89 | 217.30 | 119.73 | 14.56 | 0.79 | 133.50 | 81.30 |
| (ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण | 47.08 | 0.60 | 0.12 | 47.56 | 37.05 | 2.51 | 0.10 | 39.46 | 10.02 |
| (च) फर्नीचर व जुड़नार | 33.77 | 2.47 | 0.11 | 36.13 | 27.42 | 2.72 | 0.11 | 30.02 | 6.35 |
| (छ) मोटर गाडियाँ | 0.73 | 0.86 | 0.58 | 1.01 | 0.64 | 0.12 | 0.53 | 0.22 | 0.09 |
| (ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग | 17.08 | 1.94 | 0.93 | 18.09 | 14.35 | 1.82 | 0.89 | 15.28 | 2.73 |
| (झ) कार्यालय उपकरण | 6.82 | 1.48 | 0.05 | 8.25 | 5.23 | 1.09 | 0.04 | 6.27 | 1.59 |
| (ञ) लेब उपकरण | 26.96 | 0.34 | 0.03 | 27.27 | 21.46 | 1.36 | 0.03 | 22.79 | 5.50 |
| कुल | 521.88 | 25.41 | 2.29 | 545.00 | 294.39 | 31.58 | 2.45 | 323.52 | 227.48 |
| पिछले वर्ष | 511.86 | 10.52 | 0.49 | 521.88 | 259.26 | 36.14 | 1.0 | 294.39 | 252.60 |
| ख निवेश संपत्ति | 3.12 | - | 0.42 | 2.70 | 0.76 | 0.62 | 0.04 | 1.34 | 2.36 |
| पिछले वर्ष | 3.82 | - | 0.70 | 3.12 | 0.70 | 0.17 | 0.10 | 0.76 | 3.12 |
| ग पूँजी कार्य में प्रगति | | | | | | | | | - |



HLL LIFECARE LIMITED

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

| | | Gross block | | | | Accumulated depreciation and impairment | | | | Rs. In Crs | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 April 2022 | Additions | Disposals/ Adjustments | 31 March 2023 | 1 April 2022 | Depreciation / amortisation expense for the year | Disposals/ Adjustments | 31 March 2023 | 31 March 2023 | 31 March 2022 |
| Note 3 : Plant, Property and Equipment | | | | | | | | | | | |
| a) Current Reporting period | | | | | | | | | | | |
| Fixed Assets | | | | | | | | | | | |
| A. | Tangible assets | | | | | | | | | | |
| | (a) Land | | | | | | | | | | |
| | Freehold | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| | Leasehold | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.57 | 0.08 | - | 6.37 | 6.37 | 6.46 |
| | (b) Buildings | 174.35 | 0.57 | -0.42 | 175.33 | 67.00 | 7.31 | -0.04 | 100.98 | 100.98 | 107.35 |
| | (c) Roads | 1.10 | - | - | 1.10 | 0.95 | 0.01 | - | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| | (d) Plant and Equipment | 201.04 | 17.15 | 0.89 | 217.30 | 119.73 | 14.56 | 0.79 | 83.80 | 83.80 | 81.30 |
| | (e) Electrical Installation & Eqpt. | 47.08 | 0.60 | 0.12 | 47.56 | 37.05 | 2.51 | 0.10 | 8.09 | 8.09 | 10.02 |
| | (f) Furniture & Fixture | 33.77 | 2.47 | 0.11 | 36.13 | 27.42 | 2.72 | 0.11 | 6.10 | 6.10 | 6.35 |
| | (g) Motor Vehicles | 0.73 | 0.86 | 0.58 | 1.01 | 0.64 | 0.12 | 0.53 | 0.79 | 0.79 | 0.09 |
| | (h) Computer Data Processing | 17.08 | 1.94 | 0.93 | 18.09 | 14.35 | 1.82 | 0.89 | 2.81 | 2.81 | 2.73 |
| | (i) Office Equipment | 6.82 | 1.48 | 0.05 | 8.25 | 5.23 | 1.09 | 0.04 | 1.98 | 1.98 | 1.59 |
| | (j) Lab Equipment | 26.96 | 0.34 | 0.03 | 27.27 | 21.46 | 1.36 | 0.03 | 4.47 | 4.47 | 5.50 |
| | Total | 521.88 | 25.41 | 2.29 | 545.00 | 294.39 | 31.58 | 2.45 | 221.47 | 221.47 | 227.48 |
| | Previous year | 511.86 | 10.52 | 0.49 | 521.88 | 259.26 | 36.14 | 1.0 | 227.48 | 227.48 | 252.60 |
| B | Investment Property | 3.12 | - | 0.42 | 2.70 | 0.76 | 0.62 | 0.04 | 1.36 | 1.36 | 2.36 |
| | Previous year | 3.82 | - | 0.70 | 3.12 | 0.70 | 0.17 | 0.10 | 2.36 | 2.36 | 3.12 |
| C | Capital Work In Progress | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (क) सिविल कार्य में प्रगति | 10.61 | 0.43 | 10.24 | 0.80 | - | - | - | - | - | 0.80 | 10.61 |
| (ख) परामर्श चार्ज | 0.17 | - | 0.10 | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.17 |
| (ग) मशीनरी डब्लियु आई पी | 1.79 | 0.05 | 1.48 | 0.35 | - | - | - | - | - | 0.35 | 1.79 |
| कुल | 12.57 | 0.48 | 11.82 | 1.23 | - | - | - | - | - | 1.22 | 12.57 |
| पिछले वर्ष | 10.35 | 3.27 | 1.06 | 12.57 | - | - | - | - | - | 12.57 | 10.35 |
| घ अमूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| (क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 13.77 | 0.86 | - | 14.63 | 11.50 | 0.80 | - | 12.30 | 2.33 | 2.33 | 2.26 |
| (ख) ट्रेडमार्क एवं पेटेंट | 1.04 | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| कुल | 14.80 | 0.88 | 0.00 | 15.68 | 12.48 | 0.81 | 0.00 | 13.29 | 2.40 | 2.40 | 2.32 |
| पिछले वर्ष | 14.49 | 0.31 | - | 14.80 | 11.44 | 1.04 | -0.00 | 12.48 | 2.32 | - | 3.05 |
| परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार | | | | | | | | | | | |
| (क) संयंत्र व मशीनरी | 40.20 | - | - | 40.20 | 17.88 | 7.41 | - | 25.29 | 14.91 | 14.91 | 22.32 |
| (ख) इमारतें | 7.14 | 0.12 | - | 7.26 | 1.76 | 0.76 | - | 2.52 | 4.75 | 4.75 | 5.39 |
| (ग) भूमि | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 47.35 | 0.12 | - | 47.47 | 19.64 | 8.17 | - | 27.81 | 19.66 | 19.66 | 27.71 |
| पिछले वर्ष 21-22 | 47.08 | 0.27 | - | 47.35 | 11.45 | 8.19 | - | 19.64 | 27.71 | 27.71 | 35.63 |

टिप्पणी :

- पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में शामिल हैं -
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 11.44 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 7.14 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
 - कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड़ और 38 गुंटा की पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹ 4.86 लाख रहा है।
 - कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹16.83 लाख रहा है।
 - चेन्नै में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹ 567.92 लाख रहा है।
 - चेरुवैक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹ 0.76 लाख रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 2.16 लाख रहा है।

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (a) Civil work in progress | 10.61 | 0.43 | 10.24 | 0.80 | - | - | - | - | 0.80 | 10.61 |
| (b) Consultancy Charges | 0.17 | - | 0.10 | 0.07 | - | - | - | - | 0.07 | 0.17 |
| (c) Machinery WIP | 1.79 | 0.05 | 1.48 | 0.35 | - | - | - | - | 0.35 | 1.79 |
| Total | 12.57 | 0.48 | 11.82 | 1.23 | - | - | - | - | 1.22 | 12.57 |
| Previous year | 10.35 | 3.27 | 1.06 | 12.57 | - | - | - | - | 12.57 | 10.35 |
| D Intangible assets | | | | | | | | | - | |
| (a) Computer Software | 13.77 | 0.86 | - | 14.63 | 11.50 | 0.80 | - | 12.30 | 2.33 | 2.26 |
| (b) Trademarks & Patents | 1.04 | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 0.07 | 0.06 |
| Total | 14.80 | 0.88 | 0.00 | 15.68 | 12.48 | 0.81 | 0.00 | 13.29 | 2.40 | 2.32 |
| Previous year | 14.49 | 0.31 | - | 14.80 | 11.44 | 1.04 | -0.00 | 12.48 | 2.32 | 3.05 |
| E Right of use Assets | | | | | | | | | - | |
| (a) Plant and Machinery | 40.20 | - | - | 40.20 | 17.88 | 7.41 | - | 25.29 | 14.91 | 22.32 |
| (b) Buildings | 7.14 | 0.12 | - | 7.26 | 1.76 | 0.76 | - | 2.52 | 4.75 | 5.39 |
| (c) Land | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 47.35 | 0.12 | - | 47.47 | 19.64 | 8.17 | - | 27.81 | 19.66 | 27.71 |
| Previous year 21-22 | 47.08 | 0.27 | - | 47.35 | 11.45 | 8.19 | - | 19.64 | 27.71 | 35.63 |

Note:

1. Cost of Free hold Land includes -

- ₹ 1/- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
- ₹ 1/- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
- ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
- ₹ 16.83 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
- ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.
- ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.
- ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.

2. इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है।
3. पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल है।
 - क) 99 वर्षों के लिए केरल के बालरामपुरम में पट्टे पर रही 3 एकड़ भूमि और इमारत की मूल्य लागत ₹ 130.46 लाख रही है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 123.74 लाख)
 - ख) मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटर्स प्लॉट का आर्बिटन मूल्य ₹ 92.41 लाख रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 87.48 लाख)
 - ग) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आर्बिट 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य ₹ 261.94 लाख रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 231.51 लाख)
 - घ) रबड़ पार्क इंडिया प्राइवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, एरगपुरम, पेरंबाबूर, केरल राज्य की 306 सेंट भूमि का मूल्य ₹ 262.39 लाख रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 260.07 लाख)
4. केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आर्बिट 430.10 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 99/- रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - रु.93/-)।
आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड़ भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को @10.12 करोड़ की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड़ प्रति एकड़ के लिए @ ₹16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड़ प्रति एकड़ @ ₹ 2.00 लाख पर)। यह एचएलएल से एचबीएल को चौरानबे वर्ष की अवधि के लिए रुपये 1 के विचारार्थ उप पट्टे पर हस्तांतरित किया गया था, लेकिन यह एचबीएल द्वारा अकालित नहीं किया गया।
5. अधिकार के 430.10 एकड़ों में 3.38 एकड़ भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीबूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है।
6. केरल सरकार ने कोन्नी तालूक, इरावोन गांव, पत्तनमट्टिटा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लड बैग परियोजना स्थापित करने की ओर आर्बिट भूमि कंपनी को सुपुर्द की है। भूमि को प्रति वर्ष ₹ 19400/- की दर से पट्टे किराये पर 30 वर्षों की अवधि के लिए आर्बिट किया गया है।
7. अपनाई गई मूल्यहास रीति निम्न जैसी है।
 - (क) मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
 - (ख) संयंत्र और मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यहासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यहासित कर सकें।
 - (ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया।

2. As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date.
3. Cost of Lease hold land includes the following
 - a) ₹130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Balramapuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.123.74 Lacs)
 - b) ₹92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.87.48 Lacs)
 - c) ₹261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.231.51 Lacs)
 - d) ₹262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.260.07 Lacs)
4. ₹ 99/- being the value of 43010 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.93 /-)
 In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 43010 acres in possession, for HLL Biotech Limited, valued @Rs. 10.12 crores (56 acres @ Rs. 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hillock @ Rs. 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub leased on the consideration of Rs.1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.
5. 3.38 Acres of land, out of 100 acres in possession, is given on lease for a period of 92 years @ ` 1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd
6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village, Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project. The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent @ Rs. 19400/- per year for a period of 30 years.
7. Methods of depreciation adopted are as follows.
 - a) Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.
 - b) Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets(except in-tangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.
 - c) Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.

(घ) ईआरपी सोफ्टवेयर के अलावा अन्य सोफ्टवेयर सोल्यूशन 3 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की गयी है, जबकि ईआर पी सोफ्टवेयर सोल्यूशन 8 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की जाती है। भुगतान किये लाइसेंस शुल्क करार अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया।

(ड.) संयंत्रों, के बंद होने के बावजूद भी उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है, जो सतत प्रक्रिया की प्रकृति में है।

8. चेंगलपेट्टे, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड़ भूमि मंडिपार्क के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देने का कैंबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मंडिपार्क लिमिटेड 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल के 100% अलग समनुबंधी के रूप में प्रारंभ किया गया। एचएलएल मंडिपार्क लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर द्वारा 90% तक और तमिलनाडु उद्योग विकास बोर्ड (टिड्को) द्वारा 10% तक इक्विटी भागीदारी होगी। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने मार्च, 2017 को नयी समनुबंधी कंपनी में ₹10.01 लाख का निवेश किया है। तमिलनाडु में चेत्रे के पास चेंगलपेट्टे 330.10 एकड़ क्षेत्र में संस्थापित किये जा रहे मंडिपार्क लिमिटेड में मंडिपार्क प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और साधारण सुविधाएं होंगी।

9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न पूंजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल हैं।

| | 2022-23 | 2021-22 |
|------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| लैब उपकरण | 0.34 | 0.155 |
| कार्यालय उपकरण | 1.48 | 0.014 |
| विद्युत संस्थापन | 0.60 | - |
| | 2.42 | 0.17 |

11. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को नए मानक कार्यान्वित किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया और टिप्पणी सं. 2.28 में परिसंपत्तियों के उपयोग करने के अधिकार का खुलासा किये गये हैं।

- d) The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. License fee paid is amortized over the agreement period.
- e) Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shut downs in plants which are in the nature off Continuous Process.
8. Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 33010 acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to it in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited has been incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The subsidiary company, HLL Medipark Ltd will have equity participation by HLL Lifecare Ltd not exceeding 90% and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding 10%. HLL Lifecare Ltd has invested ` 10.01 lakh in the new subsidiary company in March 2017. The Medipark being set up in Chengalpattu near Chennai in Tamilnadu in an area of 33010 acres shall comprise of state-of-art infrastructure and common facilities to support the medical technology industry.
9. Depreciation on Property plant and Equipment which are under operating lease, is provided on the basis of useful life as per companies act or as per lease agreement whichever is lower.
10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility:

| | 2022-23 (₹ in Crs) | 2021-22 (₹ in Crs) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lab Equipments | 0.34 | 0.155 | | | | | | | |
| office Equipments | 1.48 | 0.014 | | | | | | | |
| Electrical Installation | 0.60 | | | | | | | | |
| | 2.42 | 0.17 | | | | | | | |

- 11 The Company implemented IND AS 116 on 1st April 2019, and applied the modified retrospective method and right of use assets are disclosed in Note 2.28

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ
टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ख) पिछले रिपोर्टिंग अवधि

(₹ करोड़ों में)

| अचल परिसंपत्तियाँ | सकल ब्लॉक | | | संचित मूल्यहास और हानि | | | निवल ब्लॉक | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 1 अप्रैल 2021 | परिवर्धन | निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2022 | 1 अप्रैल 2021 | वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय | निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 |
| क मूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | |
| (क) भूमि | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| पट्टे पर भूमि | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.49 | 0.08 | - | 6.46 | 6.54 |
| (ख) इमारतें | 173.0 | 0.64 | -0.70 | 174.34 | 58.18 | 8.72 | -0.10 | 107.35 | 114.83 |
| (ग) सड़क | 1.10 | - | - | 1.10 | 0.91 | 0.04 | - | 0.16 | 0.20 |
| (घ) संयंत्र व उपकरण | 197.36 | 4.47 | 0.79 | 201.04 | 104.02 | 16.43 | 0.72 | 81.30 | 93.34 |
| (ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण | 46.92 | 0.18 | 0.02 | 47.08 | 33.56 | 3.51 | 0.02 | 10.02 | 13.36 |
| (च) फर्नीचर व जुड़नार | 32.17 | 1.64 | 0.05 | 33.77 | 23.85 | 3.61 | 0.05 | 6.35 | 8.32 |
| (छ) मोटर गाड़ियाँ | 0.73 | 0.00 | - | 0.73 | 0.61 | 0.02 | - | 0.09 | 0.12 |
| (ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग | 15.32 | 2.06 | 0.29 | 17.08 | 13.33 | 1.31 | 0.28 | 2.73 | 1.99 |
| (झ) कार्यालय उपकरण | 5.74 | 1.11 | 0.03 | 6.82 | 4.54 | 0.71 | 0.03 | 1.59 | 1.20 |
| (ञ) लैब उपकरण | 26.56 | 0.41 | 0.01 | 26.96 | 19.77 | 1.69 | 0.01 | 5.50 | 6.79 |
| कुल | 511.86 | 10.52 | 0.49 | 521.88 | 259.26 | 36.14 | 1.00 | 227.48 | 252.60 |
| पिछले वर्ष | 503.83 | 9.45 | 1.41 | 511.86 | 219.69 | 40.83 | 1.3 | 252.60 | 284.13 |
| ख निवेश संपत्ति | 3.82 | - | 0.70 | 3.12 | 0.70 | 0.17 | 0.10 | 2.36 | 3.12 |
| पिछले वर्ष | 3.82 | | | 3.82 | 0.58 | 0.12 | - | 3.12 | 3.24 |

| Notes to Consolidated Financial Statements for the year ended 31 March 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------------------|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Note 3 : Plant, Property and Equipment | | | | | | | | | | |
| b) Previous Reporting period | | | | | | | | | | |
| Fixed Assets | 1 April 2021 | Gross block | | | Accumulated depreciation and impairment | | | Rs. In Crs | | |
| | | Additions | Disposals/ Adjustments | 31 March 2022 | 1 April 2021 | Depreciation / amortisation expense for the year | Disposals/ Adjustments | 31 March 2022 | 31 March 2022 | 31 March 2021 |
| A. Tangible assets | | | | | | | | | | |
| (a) Land | | | | | | | | | | |
| Freehold | 5.93 | - | - | 5.93 | - | - | - | - | 5.93 | 5.93 |
| Leasehold | 7.03 | - | - | 7.03 | 0.49 | 0.08 | - | 0.57 | 6.46 | 6.54 |
| (b) Buildings | 173.0 | 0.64 | -0.70 | 174.34 | 58.18 | 8.72 | -0.10 | 67.0 | 107.35 | 114.83 |
| (c) Roads | 1.10 | - | - | 1.10 | 0.91 | 0.04 | - | 0.95 | 0.16 | 0.20 |
| (d) Plant and Equipment | 197.36 | 4.47 | 0.79 | 201.04 | 104.02 | 16.43 | 0.72 | 119.73 | 81.30 | 93.34 |
| (e) Electrical Installation & Eqpt. | 46.92 | 0.18 | 0.02 | 47.08 | 33.56 | 3.51 | 0.02 | 37.05 | 10.02 | 13.36 |
| (f) Furniture & Fixture | 32.17 | 1.64 | 0.05 | 33.77 | 23.85 | 3.61 | 0.05 | 27.42 | 6.35 | 8.32 |
| (g) Motor Vehicles | 0.73 | 0.00 | - | 0.73 | 0.61 | 0.02 | - | 0.64 | 0.09 | 0.12 |
| (h) Computer Data Processing | 15.32 | 2.06 | 0.29 | 17.08 | 13.33 | 1.31 | 0.28 | 14.35 | 2.73 | 1.99 |
| (i) Office Equipment | 5.74 | 1.11 | 0.03 | 6.82 | 4.54 | 0.71 | 0.03 | 5.23 | 1.59 | 1.20 |
| (j) Lab Equipment | 26.56 | 0.41 | 0.01 | 26.96 | 19.77 | 1.69 | 0.01 | 21.46 | 5.50 | 6.79 |
| Total | 511.86 | 10.52 | 0.49 | 521.88 | 259.26 | 36.14 | 1.00 | 294.39 | 227.48 | 252.60 |
| Previous year | 503.83 | 9.45 | 1.41 | 511.86 | 219.69 | 40.83 | 1.3 | 259.26 | 252.60 | 284.13 |
| B Investment Property | 3.82 | - | 0.70 | 3.12 | 0.70 | 0.17 | 0.10 | 0.76 | 2.36 | 3.12 |
| Previous year | 3.82 | | | 3.82 | 0.58 | 0.12 | - | 0.70 | 3.12 | 3.24 |

(क) समेकित सी डब्लियु आई पी एजिंग अनुसूची

(₹ करोड़ों में)

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2023) | | | | कुल |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|------|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| चल रही परियोजनाएँ | 0.67 | 0.00 | 0.19 | 0.36 | 1.22 |
| अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2022) | | | | कुल |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|-------|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| चल रही परियोजनाएँ | 3.27 | 8.66 | 0.18 | 0.46 | 12.57 |
| अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, निम्नलिखित सी डब्लियु आई पी समाप्ति अनुसूची दी जाएगी।

(₹ करोड़ों में)

| सी डब्लियु आई पी | सी डब्लियु आई पी में रकम | | | | कुल |
|------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|-----|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| शून्य | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |

(ग) विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

| विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ | सी डब्लियु आई पी में रकम | | | | कुल |
|--|--------------------------|----------|----------|------------------|-----|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| शून्य | - | - | - | - | - |

| (a) Consolidated CWIP ageing schedule | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|
| CWIP | Amount in CWIP (31.03.2023) | | | | (in ₹ Crs) Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Projects in progress | 0.67 | 0.00 | 0.19 | 0.36 | 1.22 |
| Projects temporarily suspended | - | - | - | | - |
| | | | | | |
| CWIP | Amount in CWIP (31.03.2022) | | | | Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Projects in progress | 3.27 | 8.66 | 0.18 | 0.46 | 12.57 |
| Projects temporarily suspended | - | - | - | | - |
| (b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given | | | | | |
| CWIP | Amount in CWIP | | | | (in ₹Crs) Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Nil | | | | | - |
| | | | | | - |
| (c) Intangible Assets under development completion | | | | | |
| Intangible Assets under development completion | Amount in CWIP | | | | (in ₹ Crs) Total |
| | Less than 1year | 1-2 yrs | 2-3 yrs | More than 3yrs | |
| Nil | | | | | - |

Note 4. Non Current Financial Assets - Investments

| Sl no | Name of the Body Corporate | Extent of Holding (%) | No. of Shares / Units | Amount in ₹ Crs | No. of Shares / Units | Amount in ₹ Crs) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| | | | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | Unquoted -Fully paid equity Shares | | | | | |
| | Carried at cost | | | | | |
| | Investment in Equity Instruments | | | | | |
| | I) Subsidiaries | | | | | |
| | a) Equity Shares of ₹10 each | | | | | |
| | HLL Infratech Services Ltd | 100.00 | 20,00,000 | - | 20,00,000 | |
| | HLL Mother & Child Care Hospital Limited | 100.00 | 1,00,000 | - | 1,00,000 | |
| | b) Equity Shares of ₹100 each | | | | | |
| | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited | 74.00 | 14,07,480 | - | 14,07,480 | |
| | II) Joint Ventures | | | | | |
| | Equity Shares of ₹10 each | | | | | |
| | Life Spring Hospital Pvt.Ltd | 50.00 | 85,79,929 | 3.09 | 85,79,929 | 2.94 |
| | III) Structured entities | | | | | |
| | Goa State Cooperative bank * | 0.00 | 250 | 0.00 | 250 | 0.00 |
| | Kerala Enviro Infrastructures Ltd. | 0.16 | 20,000 | 0.02 | 20,000 | 0.02 |
| | | | | | | |
| | Total | | | 3.11 | | 2.96 |

Notes:-

In respect of HLL Mother & Child Care Hospital Ltd the aggregate amount of Impairment in the value of investments is Rs 0.10 Crs.

*GAPL holds 250 shares of ₹ 100 each in the Goa state Co-operative bank ltd.The percentage of shares is 0.00025%

टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अप्रतिभूत, शोध समझे गए | | |
| प्रतिभूति जमाएँ | 1.90 | 1.77 |
| अन्य अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 1.90 | 1.77 |

टिप्पणी 6. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | | |
| क) आस्थगित कर देयताएँ | (6.94) | (10.91) |
| ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | 78.35 | 80.00 |
| कुल | 71.41 | 69.09 |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आस्थगित कर (देयता)/ परिसंपत्ति | | |
| परिसंपत्तियों का डब्लियु डी वी (आर ओ यु परिसंपत्तियों के अलावा | (1.99) | (3.98) |
| आर ओ यु परिसंपत्तियाँ | (4.95) | (6.93) |
| आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | (6.94) | (10.91) |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | | |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 56.14 | 53.27 |
| अचल स्टॉक और अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान | 1.18 | 1.34 |
| कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | 15.86 | 20.73 |
| अन्य | 0.05 | 3.47 |
| आर ओ यु देयताएँ | 5.11 | 1.19 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव | 78.35 | 80.00 |
| निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति | 71.41 | 69.09 |

टिप्पणी 7. अन्य गैर -चालू परिसंपत्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अप्रचलित परिसंपत्ति | 0.09 | 0.31 |
| न्यून : अप्रचलित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | (0.09) | (0.31) |
| कुल | - | - |

| Note 5. Non Current Financial Assets - Others | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Unsecured, Considered good | | |
| Security Deposits | 1.90 | 1.77 |
| Other advances | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1.90 | 1.77 |
| Note 6. Deferred tax asset (Net) | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Deferred tax asset (Net) | | |
| a) Deffered tax liabilities | (6.94) | (10.91) |
| b) Deffered tax assets | 78.35 | 80.00 |
| Total | 71.41 | 69.09 |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Deferred tax (liability) / asset | | |
| WDV of Assets (Other than ROU Assets) | (1.99) | (3.98) |
| ROU Assets | (4.95) | (6.93) |
| Tax effect of items constituting deferred tax liability | (6.94) | (10.91) |
| Tax effect of items constituting deferred tax assets | | |
| Provision for doubtful debts | 56.14 | 53.27 |
| Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock | 1.19 | 1.34 |
| Provision for Employee Benefits | 15.86 | 20.73 |
| Others | 0.05 | 3.47 |
| ROU Liabilities | 5.11 | 1.19 |
| Tax effect of items constituting deferred tax assets | 78.35 | 80.00 |
| Net deferred tax (liability) / asset | 71.41 | 69.09 |
| Note 7. Other Non - Current Assets | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹crs |
| Obsolete Asset | 0.09 | 0.31 |
| Less: Provision for Obsolete Asset | (0.09) | (0.31) |
| Total | - | - |

टिप्पणी 8. गैर -चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| अग्रिम आय कर (निवल प्रावधान) | 41.54 | 30.39 |
| कुल | 41.54 | 30.39 |

इसमें प्राप्य टीडीएस और टीसीएस शामिल है जो 26 एएस के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं।

टिप्पणी 9. वस्तुसूची

(निम्नतम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| क. कच्चे माल | 18.92 | 26.00 |
| ख. पैकिंग सामग्रियाँ | 13.24 | 8.59 |
| ग. कार्य प्रगति | 27.32 | 18.01 |
| घ. तैयार माल | | |
| विनिर्मित उत्पाद | 69.12 | 31.06 |
| व्यापार माल (व्यापार के लिए अधिग्रहीत) | 0.13 | 0.11 |
| सामाजिक विपणन उत्पाद | 0.03 | 0.90 |
| आउट सोर्सड उत्पाद | 156.71 | 98.11 |
| मार्गस्थ माल | 0.06 | 0.01 |
| | 226.05 | 130.19 |
| ड. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य | 4.01 | 10.53 |
| च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि | 12.10 | 11.95 |
| छ. प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औज़ार | 0.12 | 0.15 |
| ज. अन्य : | | |
| उपहार मर्दे | 0.11 | 0.13 |
| लेखन सामग्री | 0.55 | 0.53 |
| | 0.66 | 0.66 |
| | 302.42 | 206.08 |
| न्यून : अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान | 4.71 | 5.32 |
| कुल | 297.71 | 200.76 |

| Note 8. Non-Current Tax Asset (Net) | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Advance Income Tax (Net of Provisions)* | 41.54 | 30.39 |
| Total | 41.54 | 30.39 |

*This includes TDS & TCS receivable which are not fully reconciled with 26AS

| Note 9. Inventories | | |
|---|------------------|------------------|
| (At lower of, cost or net realisable value) | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| a. Raw Materials | 18.92 | 26.00 |
| b. Packing Materials | 13.24 | 8.59 |
| c. Work-in-progress | 27.32 | 18.01 |
| d. Finished goods | | |
| Manufactured Products | 69.12 | 31.06 |
| Stock-in-trade (Acquired For Trading) | 0.13 | 0.11 |
| Social Marketing Products | 0.03 | 0.90 |
| Outsourced Products | 156.71 | 98.11 |
| Goods-in transit | 0.06 | 0.01 |
| | 226.05 | 130.19 |
| e. General Stores and Consumables | 4.01 | 10.53 |
| f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc. | 12.10 | 11.95 |
| g. Tools revalued & certified by management | 0.12 | 0.15 |
| h. Others : | | |
| Gift items | 0.11 | 0.13 |
| Stationery | 0.55 | 0.53 |
| | 0.66 | 0.66 |
| | 302.42 | 206.08 |
| Less : Provision for Obsolete Stock | 4.71 | 5.32 |
| Total | 297.71 | 200.76 |

टिप्पणी 10. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| प्रतिभूत, शोध्य समझे गए। | 26.10 | 4.92 |
| अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए | 1,091.42 | 2,920.08 |
| संदिग्ध समझे गए | 206.86 | 195.77 |
| | 1,324.38 | 3,120.76 |
| न्यून :संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता | 206.86 | 195.77 |
| कुल | 1,117.52 | 2,925.00 |

* ऋण पत्र, बैंक गारंटी और ग्राहकों के जमा की ओर प्रतिभूत

टिप्पणी 10.क एजिंग अनुसूची - व्यापार प्राप्तियाँ

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | | कुल |
|--|---|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|
| | | 6 महीने से कम | 6 महीने से-1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| (i) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ | 31 मार्च, 2023 तक | 807.35 | 101.16 | 57.77 | 69.71 | 81.53 | 1,117.52 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | 1,944.07 | 375.29 | 400.35 | 93.18 | 112.11 | 2,925.00 |
| (ii) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | 31 मार्च, 2023 तक | 3.79 | 0.97 | 3.16 | 3.95 | 7.54 | 19.41 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण | 31 मार्च, 2023 तक | 0.25 | 0.01 | 3.30 | | 5.61 | 9.17 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | 5.08 | 0.79 | 0.09 | (0.00) | 2.93 | 8.89 |
| (iv) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ | 31 मार्च, 2023 तक | - | - | - | - | 137.41 | 137.41 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | - | 0.01 | - | 0.50 | 138.88 | 139.39 |
| (v) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | 31 मार्च, 2023 तक | - | 8.83 | 3.14 | 3.90 | 24.39 | 40.26 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | - | 0.11 | 1.47 | 18.96 | 26.32 | 46.86 |

| Note 10. Current Financial Assets - Trade receivables | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Secured, considered good* | 26.10 | 4.92 |
| Unsecured, considered good | 1,091.42 | 2,920.08 |
| Considered doubtful | 206.86 | 195.77 |
| | 1,324.38 | 3,120.77 |
| Less: Allowance for doubtful debts | 206.86 | 195.77 |
| Total | 1,117.52 | 2,925.00 |

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee & Customer Deposit

| Note 10. a Ageing Schedule- Trade Receivables | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| Particulars | | Outstanding for following periods from due date of payment | | | | | ₹ crs |
| | | Less than 6 months | 6 months - 1 year | 1-2 years | 2-3 years | More than 3 years | Total |
| (i) Undisputed - Trade receivables considered good | As at March 31, 2023 | 807.35 | 101.16 | 57.77 | 69.71 | 81.53 | 1,117.52 |
| | As at March 31, 2022 | 1,944.07 | 375.29 | 400.35 | 93.18 | 112.11 | 2,925.00 |
| (ii) Undisputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk | As at March 31, 2023 | 3.79 | 0.97 | 3.16 | 3.95 | 7.54 | 19.41 |
| | As at March 31, 2022 | - | - | - | - | - | - |
| (iii) Undisputed - Trade receivables credit impaired | As at March 31, 2023 | 0.25 | 0.01 | 3.30 | | 5.61 | 9.17 |
| | As at March 31, 2022 | 5.08 | 0.79 | 0.09 | (0.00) | 2.93 | 8.89 |
| (iv) Disputed - Trade receivables considered good | As at March 31, 2023 | - | - | - | - | 137.41 | 137.41 |
| | As at March 31, 2022 | - | 0.01 | - | 0.50 | 138.88 | 139.39 |
| (v) Disputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk | As at March 31, 2023 | - | 8.83 | 3.14 | 3.90 | 24.39 | 40.26 |
| | As at March 31, 2022 | - | 0.11 | 1.47 | 18.96 | 26.32 | 46.86 |



| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| (vi) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण | 31 मार्च, 2023 तक | - | - | - | - | 0.61 | 0.61 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | - | - | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
| कुल योग | 31 मार्च, 2023 तक | 811.39 | 110.97 | 67.37 | 77.56 | 257.09 | 1,324.38 |
| | 31 मार्च, 2022 तक | 1,949.15 | 376.21 | 401.91 | 112.65 | 280.85 | 3,120.77 |

टिप्पणी 11. रोकड़ व रोकड़ समानार्थी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) बैंकों के साथ बकाया | | |
| (i) चालू खाते में | 32.03 | 20.32 |
| (ii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि | - | - |
| (iii) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि | 6.12 | 57.82 |
| (iv) नकद ऋण खाते में | - | 0.00 |
| (v) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में | 198.68 | 986.73 |
| (vi) ई ई एफ सी खाते में | 6.48 | 2.05 |
| (ख) अन्य | | |
| (i) हस्तगत कैश | 3.01 | 2.11 |
| (ii) हस्तगत स्टाम्प | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 246.32 | 1,069.03 |
| (ग) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष | | |
| (i) जमा खाते में | 498.97 | 281.47 |
| (ii) उधार और गारंटी के लिए मार्जिन राशि के लिए धारित सावधि जमा में | 1.64 | 4.40 |
| कुल | 500.62 | 285.87 |

*चालू खाते के जमा शेष को चालू उधार में पुनःवर्गीकृत किया गया है ।

टिप्पणी 12 . ऋण

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ | | |
| प्रतिभूत, शोध्ध समझे गए | 0.00 | 0.00 |
| अप्रतिभूत, शोध्ध समझे गए | 3.37 | 5.64 |
| संदिग्ध समझे गए | 0.34 | 0.03 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| (vi) Disputed - Trade receivables credit impaired | As at March 31, 2023 | - | - | - | - | 0.61 | 0.61 |
| | As at March 31, 2022 | - | - | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
| Grand Total | As at March 31, 2023 | 811.39 | 110.97 | 67.37 | 77.56 | 257.09 | 1,324.38 |
| | As at March 31, 2022 | 1,949.15 | 376.21 | 401.91 | 112.65 | 280.85 | 3,120.77 |

Note 11. Cash and cash equivalents

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ ` crs |
| (a) Balances with banks | | |
| (i) In Current Accounts | 32.03 | 20.32 |
| (ii) Funds earmarked for CSR | - | - |
| (iii) Funds earmarked for Projects | 6.12 | 57.82 |
| (iv) In Cash credit Accounts | - | 0.00 |
| (v) In Term Deposit accounts with less than 3 months maturity | 198.68 | 986.73 |
| (vi) In EEFC accounts | 6.48 | 2.05 |
| (b) Others | | |
| (i) Cash in hand | 3.01 | 2.11 |
| (ii) Stamps in hand | 0.00 | 0.00 |
| Total | 246.32 | 1,069.03 |
| (c) Bank balances other than (a) above | | |
| (i) In deposit accounts | 498.98 | 281.47 |
| (ii) In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee | 1.64 | 4.40 |
| Total | 500.62 | 285.87 |

* Credit balances in Current accounts have been reclassified to Current Borrowings

Note 12. Loans

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Loans and advances to employees | | |
| Secured, considered good | 0.00 | 0.00 |
| Unsecured, considered good | 3.37 | 5.64 |
| Considered Doubtful | 0.34 | 0.03 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| | 3.71 | 5.67 |
| न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता | (0.34) | (0.03) |
| उप कुल | 3.37 | 5.64 |
| कुल | 3.37 | 5.64 |

टिप्पणी : चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण में देश राशि शामिल है।

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| निदेशक | 0.02 | 0.00 |
| कंपनी के अन्य अधिकारीगण | 0.87 | 0.54 |
| कुल | 0.89 | 0.54 |

टिप्पणी 13. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) प्रोद्भूत ब्याज | 16.94 | 10.39 |
| (ख) भारत सरकार से प्राप्तियाँ | 6.41 | 6.41 |
| (ग) प्रतिभूति जमा | 7.15 | 4.46 |
| (घ) अन्यो से प्राप्य राशि | - | 0.45 |
| कुल | 30.50 | 21.71 |

टिप्पणी 14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम | | |
| लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जमा, आदि को | | |
| शोध समझे गए | 182.69 | 941.66 |
| संदिग्ध समझे गए | 20.63 | 15.35 |
| उप कुल | 203.32 | 957.01 |
| न्यून : अग्रिम के लिए प्रावधान | (20.63) | (15.35) |
| उप कुल | 182.69 | 941.66 |
| अन्य | | |
| (क) निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क | 2.58 | 1.92 |
| (ख) डी ई पी बी लाइसेंस एफ एम आई एवं एम ई आई एस का स्टॉक | 0.50 | 1.75 |
| (ग) पूर्व प्रदत्त व्यय | 2.83 | 2.54 |
| (घ) ग्राहकों से शेष | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) प्राप्य सहेली सब्सिडी | - | - |
| कुल | 188.60 | 947.87 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| | 3.71 | 5.67 |
| Less: Allowance for doubtful loans and advances | (0.34) | (0.03) |
| Sub Total | 3.37 | 5.64 |
| Total | 3.37 | 5.64 |

Note: Current Financial Assets - Advances include amounts due from:

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Directors | 0.02 | 0.00 |
| Other officers of the Company | 0.87 | 0.54 |
| Total | 0.89 | 0.54 |

Note 13. Current Financial Assets - Others

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Accrued Interest | 16.94 | 10.39 |
| (b) Receivable from Govt of India | 6.41 | 6.41 |
| (c) Security Deposit | 7.15 | 4.46 |
| (d) Amount receivable from others | - | 0.45 |
| Total | 30.50 | 21.71 |

Note 14. Other current assets

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Advances Other than Capital Advances | | |
| Advance to Creditors , Deposit to various Govt agencies, others etc | | |
| Considered good | 182.69 | 941.66 |
| Considered doubtful | 20.63 | 15.35 |
| Sub Total | 203.32 | 957.01 |
| Less:-Provision for Advances | (20.63) | (15.35) |
| Sub Total | 182.69 | 941.66 |
| Others | | |
| (a) Export Incentives/Duty Draw back | 2.58 | 1.92 |
| (b) Stock of DEP B Licence FMI & MEIS | 0.50 | 1.75 |
| (c) Prepaid expenses | 2.83 | 2.54 |
| (d) Balance with customers | 0.00 | 0.00 |
| (e) Saheli subsidy receivable | - | - |
| Total | 188.60 | 947.87 |

टिप्पणी 15. शेयर पूँजी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) प्राधिकृत शेयर पूँजी | | |
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - 30,00,00, 000 संख्याएँ | 300.00 | 300.00 |
| (ख) जारी की गई शेयर पूँजी | | |
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर | | |
| 1,55,35000 संख्या (31.03.2021 तक) | 15.54 | 15.54 |
| 1,55,35000 संख्या (31.03.2022 तक) | | |
| (ग) अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूँजी | | |
| प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - | | |
| 1,55,35000 संख्या (31.03.2021 तक) | 15.54 | 15.54 |
| 1,55,35000 संख्या (31.03.2022 तक) | | |
| कुल | 15.54 | 15.54 |

शेयर पूँजी का मेल मिलाप

| विवरण | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | शेयरों की संख्या | ₹ करोड़ों में | शेयरों की संख्या | ₹ करोड़ों में |
| इक्विटी शेयर पूँजी | | | | |
| प्राधिकृत | | | | |
| अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| परिवर्धन | - | - | - | - |
| अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| जारी किए गए | | | | |
| अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| परिवर्धन/(कटौतियाँ) | - | - | - | - |
| अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| अभिदत्त और प्रदत्त | | | | |
| अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| परिवर्धन/(कटौतियाँ) | - | - | - | - |
| अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |

| Note 15. Share capital | | |
|--|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Authorised Share Capital | | |
| Equity shares of ₹10/-each - 30,00,00,000 Nos. | 300.00 | 300.00 |
| (b) Issued Share Capital | | |
| Equity shares of ` 10/- each: | | |
| 1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2021) | 15.54 | 15.54 |
| 1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2022) | | |
| (c) Subscribed and fully paid up Share Capital | | |
| Equity shares of ` 10/- each: | | |
| 1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2021) | 15.54 | 15.54 |
| 1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2022) | | |
| Total | 15.54 | 15.54 |

| Reconciliation of Share Capital | | | | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|
| Description | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | No of Shares | ₹ crs | No of Shares | ₹ crs |
| Equity Share Capital | | | | |
| Authorized | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| Additions | - | - | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 30,00,00,000 | 300.00 | 30,00,00,000 | 300.00 |
| Issued | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Additions/(Reductions) | - | - | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Subscribed & Paid up | | | | |
| Opening Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |
| Additions/(Reductions) | - | - | | |
| Closing Balance (Face value of ₹10/- each) | 1,55,35,000 | 15.54 | 1,55,35,000 | 15.54 |

5% से अधिक शेयर पास रखे प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | रखे शेयरों की संख्या | धारण की प्रतिशतता | रखे शेयरों की संख्या | धारण की प्रतिशतता |
| भारत के राष्ट्रपति | 1,55,35,000 | 100% | 1,55,35,000 | 100% |

प्रमोटरों के शेयरधारण का विवरण

| प्रमोटर का नाम | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| भारत के राष्ट्रपति | 1,55,35,000 | 100% | - |

टिप्पणी 16. अन्य इक्विटी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) आरक्षित | | |
| अथ शेष | - | - |
| जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन/स्थानांतरण | 0.55 | 0.58 |
| न्यून : वर्ष के दौरान व्यय | 0.05 | 0.02 |
| निधि में जमा किए जानेवाले सी एस आर। | 0.50 | 0.56 |
| अंतिम शेष | 0.00 | (0.00) |
| (ख) लाभांश समीकरण आरक्षित | 1.30 | 1.30 |
| (ग) सामान्य आरक्षित | | |
| अथ शेष | 256.53 | 256.41 |
| जोड़ : एफ डी पर प्राप्त ब्याज का समाधान | - | 0.12 |
| अंतिम शेष | 256.53 | 256.53 |
| (घ) प्रतिधारित कमाई | | |
| अथ शेष | 504.88 | 118.10 |
| जोड़ : वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | 51.38 | 406.02 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ | - | - |
| अन्य समायोजन | - | 0.04 |
| आरक्षित से स्थानांतरित | 0.55 | 0.58 |
| न्यून : प्रदत्त लाभांश | 122.47 | 19.29 |
| स्थानांतरित | | |
| सी एस आर के लिए आरक्षित | 0.55 | 0.58 |
| अंतिम शेष | 433.79 | 504.88 |

| Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares: | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Name of shareholder | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
| | Number of shares held | % of Holding | Number of shares held | % of Holding |
| President of India | 1,55,35,000 | 100% | 1,55,35,000 | 100% |
| Details of shareholdings of Promoters | | | | |
| Promoter Name | | No of Shares | % of total Shares | % Change during the year |
| President of India | | 1,55,35,000 | 100% | - |

Note 16. Other Equity

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Corporate Social Responsibility (CSR) Reserve | | |
| Opening balance | - | - |
| Add: Additions / transfers during the year | 0.55 | 0.58 |
| Less: Expenditure during the year | 0.05 | 0.02 |
| Less: CSR to be Deposited in Fund | 0.50 | 0.56 |
| Closing balance | 0.00 | (0.00) |
| (b) Dividend Equalisation Reserve | 1.30 | 1.30 |
| (c) General reserve | | |
| Opening balance | 256.53 | 256.41 |
| Add: Reconciliation of Interest received on FD | - | 0.12 |
| Closing balance | 256.53 | 256.53 |
| (d) Retained Earnings | | |
| Opening balance | 504.88 | 118.10 |
| Add: Profit / (Loss) for the year | 51.38 | 406.02 |
| Changes in Accounting Policy or Prior Period Errors | - | - |
| Other Adjustment | - | 0.04 |
| Transferred from reserves | 0.55 | 0.58 |
| Less: Dividend paid | 122.47 | 19.29 |
| Transferred to | | |
| Reserve for CSR | 0.55 | 0.58 |
| Closing balance | 433.79 | 504.88 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| (ड) अन्य व्यापक आय | | |
| अथ शेष | (20.55) | (16.06) |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | (9.42) | (4.49) |
| अंतिम शेष | (29.97) | (20.55) |
| कुल | 661.65 | 742.15 |

टिप्पणी 16. अन्य इक्विटी

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| लाभांश समीकरण आरक्षण | 1.30 | 1.30 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षण | 0.00 | (0.00) |
| अन्य व्यापक आय | (29.97) | (20.55) |
| सामान्य आरक्षण | 256.53 | 256.53 |
| प्रतिधारित अर्जन | 433.79 | 504.88 |
| कुल | 661.65 | 742.15 |

टिप्पणी . 17. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार
(परिशोधित रखाव रकम)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| प्रतिभूत उधार | 1.20 | 1.32 |
| अवधिक ऋण: | | |
| ई डी सी लिमिटेड से आवधिक ऋण | | |
| कुल | 1.20 | 1.32 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (e) Other Comprehensive Income | | |
| Opening Balance | (20.55) | (16.06) |
| Add: Other Comprehensive Income for the year | (9.42) | (4.49) |
| Closing balance | (29.97) | (20.55) |
| Total | 661.65 | 742.15 |

Note 16. Other Equity

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Dividend Equalisation Reserve | 1.30 | 1.30 |
| Corporate social responsibility reserve | 0.00 | (0.00) |
| Other Comprehensive Income | (29.97) | (20.55) |
| General Reserve | 256.53 | 256.53 |
| Retained Earnings | 433.79 | 504.88 |
| | 661.65 | 742.15 |

Note 17. Non-Current Financial Liabilities - Borrowings

| (Carried at Amortized Cost) | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Secured Borrowings | | |
| Term loans: | | |
| Term Loan from EDC limited | 1.20 | 1.32 |
| Total | 1.20 | 1.32 |

(i) दीर्घकालिक उधार के लिए चुकौती के शर्त के विवरण और प्राप्त दीर्घकालिक उधार के संबंध में दी गई प्रतिभूति ।

| विवरण | प्रतिभूति के विवरण। | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | प्रतिभूत | अप्रतिभूत | प्रतिभूत | अप्रतिभूत |
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| एन बी एफ सी से आवधिक ऋण : | | | | | |
| ई डी सी लिमिटेड से | पट्टे की भूमि अधिकार, भूमि पर मकान और अन्य ढाँचा के साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत। संयंत्र और मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, इलैक्ट्रिकल संस्थापन, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन और अन्य चल संपत्ति (गोवा एंटीबायोटेक्स & फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड) का साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत | 1.48 | | 1.76 | - |
| एन बी एफ सी से कुल आवधिक ऋण | | 1.48 | | 1.76 | - |
| न्यून: अगले 12 महीनों में देय को चालू देयताओं के रूप में माना जाता है। | | 0.28 | | 0.44 | - |
| 12 महीनों के बाद देय | | 1.20 | | 1.32 | - |

टिप्पणी . 18. प्रावधान (गैर-चालू)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान | - | 28.68 |
| उपदान के लिए प्रावधान | 1.83 | - |
| अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान | 0.68 | - |
| कुल | 2.51 | 28.68 |

टिप्पणी . 19. अन्य गैर-चालू देयताएं

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| प्रतिभूति जमा | 6.86 | 7.17 |
| देय वेतन बकाया | 3.07 | 3.25 |
| अंतिम निपटान | 0.01 | 0.02 |
| आस्थगित सरकारी अनुदान | 10.00 | 13.77 |
| कुल | 19.94 | 24.21 |

(i) Details of terms of repayment for the long term borrowings and security provided in respect of the secured long-term borrowings:

| Particulars | Details of security* | AS AT 31.03.2023 | | AS AT 31.03.2022 | |
|--|--|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Secured | Unsecured | Secured | Unsecured |
| | | ₹crs | ₹crs | ₹crs | ₹crs |
| Term loans from NBFC: | | | | | |
| From EDC Limited | Secured by an equitable mortgage of leasehold rights of the land, building and other structures on the land. Hypothecation of plant & machinery, laboratory equipments, electrical installations, furniture & fixtures, vehicles and other movable assets. (Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited) | 1.48 | | 1.76 | - |
| Total - Term loans from NBFC | | 1.48 | | 1.76 | - |
| Less: Payable within next 12 months treated as Current Liabilities | | 0.28 | | 0.44 | - |
| Payable after 12 months | | 1.20 | | 1.32 | - |

Note 18. Provisions (non - current)

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| Provision for performance related pay | - | 28.68 |
| Provision for gratuity | 1.83 | - |
| Provision for earned leave | 0.68 | - |
| Total | 2.51 | 28.68 |

Note 19. Other Non-current Liabilities

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | ₹crs | ₹ crs |
| Security deposits | 6.86 | 7.17 |
| Salary Arrears Payable | 3.07 | 3.25 |
| Final settlement | 0.01 | 0.02 |
| Deferred Government Grant | 10.00 | 13.77 |
| Total | 19.94 | 24.21 |

टिप्पणी 20. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार(परिशोधन लागत पर कथित)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) मांग पर प्रतिदेय उधार (नकदी ऋण) - प्रतिभूत | | |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से | 190.10 | 86.32 |
| कैनरा बैंक से | 39.66 | 0.00 |
| एच डी एफ सी बैंक से | 25.32 | 12.21 |
| उप कुल | 255.08 | 98.53 |
| (ख) बैंकों से अल्पकालीन उधार -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट | | |
| कैनरा बैंक से | 75.28 | 0.02 |
| एच डी एफ सी बैंक से | 0.00 | 0.00 |
| एस बी आई से | 68.53 | 78.34 |
| उप कुल | 143.81 | 78.36 |
| (ग) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता | | |
| आवधिक ऋण | | |
| ई डी सी से आवधिक ऋण | 0.28 | 0.44 |
| उप कुल | 0.28 | 0.44 |
| कुल योग | 399.17 | 177.33 |

टिप्पणी :

(i) प्राप्त अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :

| विवरण | प्रतिभूति की प्रकृति | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण | | | |
| एस बी आई | | 181.06 | 77.27 |
| कैनरा बैंक | कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारिपासु चार्ज। | 39.66 | - |
| एच डी एफ सी बैंक | भारतीय स्टेट बैंक की ओर पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान सहित भूमि पर जमानती के रूप में साम्यिक बंधक। मंजूर की गई सीमा है- एस बी आई (₹.220 करोड़), कैनरा बैंक (₹.50 करोड़), एच डी एफ सी बैंक (₹.42 करोड़) | 25.32 | 12.21 |
| एस बी आई | गोवा सरकार- गोवा एंटीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पट्टे पर भूमि द्वारा प्रतिभूत | 9.04 | 9.05 |
| कुल | | 255.08 | 98.53 |

| Note 20. Current Financial Liabilities - Borrowings (stated at amortized cost) | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|
| Particulars | | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 | |
| | | ₹crs | ₹ crs | |
| (a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured | | | | |
| From State Bank of India | | 190.10 | 86.32 | |
| From Canara Bank | | 39.66 | 0.00 | |
| From HDFC Bank | | 25.32 | 12.21 | |
| Sub Total | | 255.08 | 98.53 | |
| (b) Short Term Loans from Banks - Secured Overdraft | | | | |
| From Canara Bank | | 75.28 | 0.02 | |
| From HDFC Bank | | 0.00 | 0.00 | |
| From SBI | | 68.53 | 78.34 | |
| Sub Total | | 143.81 | 78.36 | |
| (c) Current maturities of long term debt | | | | |
| Term loans | | | | |
| Term loan from EDC | | 0.28 | 0.44 | |
| Sub Total | | 0.28 | 0.44 | |
| Grand Total | | 399.17 | 177.33 | |
| Notes: | | | | |

| (i) Details of security for the secured short-term borrowings: | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|
| Particulars | Nature of security | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 | |
| | | ₹crs | ₹ crs | |
| Loans repayable on demand from banks | | | | |
| SBI | Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India. The limits sanctioned are SBI (Rs.220 cr), Canara bank (Rs.50 cr), HDFC Bank (Rs.42 cr) | 181.06 | 77.27 | |
| Canara Bank | | 39.66 | - | |
| HDFC Bank | | 25.32 | 12.21 | |
| SBI | Secured by Lease land of Goa Govt- Goa Anti-biotics & Pharmacauticals Ltd | 9.04 | 9.05 | |
| TOTAL | | 255.08 | 98.53 | |

| बैंकों से अल्पकालिक ऋण-प्राप्त ओवरड्राफ्ट | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| कैनरा बैंक से | परियोजना जमा द्वारा प्रतिभूत | 75.28 | 0.02 |
| एच डी एफ सी बैंक | | - | - |
| एस बी आई से | | 68.53 | 78.34 |
| कुल | | 143.81 | 78.36 |
| दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता | | | |
| अगले 12 महीनों के भीतर देय वर्तमान देनदारियों के रूप में माना जाता है। | टिप्पणी 17 दीर्घकालिक उधार में प्रतिभूति का विवरण | 0.28 | 0.44 |
| कुल योग | | 399.17 | 177.33 |

टिप्पणी 21. चालू वित्तीय देयताएँ - देय व्यापार

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| देय व्यापार : | | |
| सामग्री, सेवाएँ और व्यय के लिए | | |
| क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 87.64 | 31.06 |
| ख. अन्य | 1,012.87 | 1,214.31 |
| कुल | 1,100.51 | 1,245.37 |

देय व्यापार एजिंग अनुसूची

₹ करोड़ों में

| विवरण | | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | कुल |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से ज्यादा | |
| (i) एम एस एम ई | 31-03-23 तक | 79.74 | 5.33 | 0.07 | 0.23 | 85.37 |
| | 31-03-22 तक | 30.50 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 31.06 |
| (ii) अन्य | 31-03-23 तक | 836.03 | 47.14 | 27.83 | 42.78 | 953.78 |
| | 31-03-22 तक | 826.61 | 129.02 | 70.56 | 130.58 | 1,156.78 |
| (iii) विवादित देय राशि एम एस एम ई | 31-03-23 तक | - | 2.27 | - | - | 2.27 |
| | 31-03-22 तक | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित देय राशि अन्य | 31-03-23 तक | 0.03 | 0.26 | 0.25 | 58.55 | 59.09 |
| | 31-03-22 तक | - | - | - | 57.53 | 57.53 |
| कुल योग | 31-03-23 तक | 915.79 | 55.01 | 28.15 | 101.56 | 1,100.51 |
| | 31-03-22 तक | 857.11 | 129.17 | 70.66 | 188.43 | 1,245.37 |

| Short Term Loans from Banks - Secured overdraft | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| From Canara Bank | Secured by Project Deposits | 75.28 | 0.02 |
| From HDFC Bank | | - | |
| From SBI | | 68.53 | 78.34 |
| TOTAL | | 143.81 | 78.36 |
| Current maturities of long-term debt | | | |
| Payable within next 12 months treated as Current Liabilities | Details of Security in Note 17 Non current financial liabilities - Borrowings | 0.28 | 0.44 |
| Grand Total | | 399.17 | 177.33 |

| Note 21. Current Financial Liabilities - Trade payables | | |
|---|------------------|------------------|
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Trade payables: | | |
| for materials, services and expenses | | |
| a. Micro Small and Medium Enterprises | 87.64 | 31.06 |
| b. Others | 1,012.87 | 1,214.31 |
| Total | 1,100.51 | 1,245.37 |

| Trade Payables ageing schedule | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Particulars | | Outstanding for following period from due date of payment | | | | ₹crs TOTAL |
| | | Less than 1 Year | 1 - 2 years | 2 - 3 years | More than 3 yrs | |
| (i) MSME | As on 31-03-23 | 79.74 | 5.33 | 0.07 | 0.23 | 85.37 |
| | As on 31-03-22 | 30.50 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 31.06 |
| (ii) Others | As on 31-03-23 | 836.03 | 47.14 | 27.83 | 42.78 | 953.78 |
| | As on 31-03-22 | 826.61 | 129.02 | 70.56 | 130.58 | 1,156.78 |
| (iii) Disputed dues MSME | As on 31-03-23 | - | 2.27 | - | - | 2.27 |
| | As on 31-03-22 | - | - | - | - | - |
| (iv) Disputed dues Others | As on 31-03-23 | 0.03 | 0.26 | 0.25 | 58.55 | 59.09 |
| | As on 31-03-22 | - | - | - | 57.53 | 57.53 |
| GRAND TOTAL | As on 31-03-23 | 915.79 | 55.01 | 28.15 | 101.56 | 1,100.51 |
| | As on 31-03-22 | 857.11 | 129.17 | 70.66 | 188.43 | 1,245.37 |

टिप्पणी 22. चालू वित्तीय देयताएँ -अन्य

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| ई एम डी और प्रतिभूति जमा | 62.66 | 51.45 |
| ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं | 0.04 | 0.05 |
| अन्य देयताएँ | 109.82 | 399.28 |
| कुल | 172.52 | 450.78 |

टिप्पणी 23. प्रावधान (चालू)

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|---|---------------|---------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान : | | |
| (i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान | 2.67 | 3.02 |
| (ii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान | 35.97 | 13.37 |
| (iii) उपदान के लिए प्रावधान | 29.79 | 27.18 |
| (iv) ग्रुप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान | 6.76 | 8.54 |
| (v) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान | 0.11 | 0.18 |
| (ख) प्रावधान - अन्य : | | |
| (i) देय व्यय के लिए प्रावधान | 40.83 | 57.76 |
| (ii) सी एस आर देयता के लिए प्रावधान | 0.67 | 0.70 |
| कुल | 116.80 | 110.75 |

टिप्पणी 24. अन्य चालू देयताएँ

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) उपभोक्ता/ग्राहकों से अग्रिम | 242.75 | 2,987.53 |
| (ख) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय | 1.21 | 0.72 |
| (ग) परियोजनाओं के लिए देय | 5.32 | 29.97 |
| (घ) आस्थगित सरकारी अनुदान | 1.18 | 0.31 |
| कुल | 250.46 | 3,018.53 |

टिप्पणी 25. प्रचालन से राजस्व

| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) | उत्पादों की बिक्री | 2,920.37 | 33,473.27 |
| (ख) | सेवाओं की बिक्री | 1,015.43 | 2,502.04 |
| (ग) | ठेका से आय | 158.97 | 81.23 |
| (घ) | अन्य प्रचालन राजस्व | 20.83 | 27.07 |
| | कुल | 4,115.60 | 36,083.61 |

Note 22. Current Financial Liabilities - Others

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| EMD & Security Deposits | 62.66 | 51.45 |
| Interest Accrued but not due | 0.04 | 0.05 |
| Other Liabilities | 109.82 | 399.28 |
| Total | 172.52 | 450.78 |

Note 23. Provisions (current)

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| (a) Provision for employee benefits: | | |
| (i) Provision for bonus and incentive | 2.67 | 3.02 |
| (ii) Provision for Performance related pay | 35.97 | 13.37 |
| (iii) Provision for gratuity | 29.79 | 27.18 |
| (iv) Provision for group EL Premium | 6.76 | 8.54 |
| (v) Provision for Pay Revision | 0.11 | 0.18 |
| (b) Provision - Others: | | |
| (i) Provision for Expenses payable | 40.83 | 57.76 |
| (ii) Provision for CSR liability | 0.67 | 0.70 |
| Total | 116.80 | 110.75 |

Note 24. Other Current Liabilities

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| (a) Advance from Customers/Clients | 242.75 | 2,987.53 |
| (b) Income Received in Advance | 1.21 | 0.72 |
| (c) Payable to Projects | 5.32 | 29.97 |
| (d) Deferred Government grant | 1.18 | 0.31 |
| Total | 250.46 | 3,018.53 |

Note 25. Revenue from operations

| S.No | Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (a) | Sale of products | 2,920.37 | 33,473.27 |
| (b) | Sale of services | 1,015.43 | 2,502.04 |
| (c) | Income from Contract | 158.97 | 81.23 |
| (d) | Other operating revenues | 20.83 | 27.07 |
| | Total | 4,115.60 | 36,083.61 |



| टिप्पणी | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) | उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं | | |
| | गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री | 250.69 | 277.15 |
| | स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री | 106.53 | 79.79 |
| | फार्मा उत्पादों की बिक्री | 1,158.10 | 813.91 |
| | कोविड-19 के लिए आपातकालीन आपूर्ति | 1,405.05 | 32,302.42 |
| | उप कुल | 2,920.37 | 33,473.27 |
| | सेवाओं की बिक्री | 935.48 | 869.78 |
| | कोविड सेवाएं | 79.95 | 1,632.26 |
| | ठेके से आय | 158.97 | 81.23 |
| | अन्य प्रचालन राजस्व | 20.83 | 27.07 |
| | कुल योग | 4,115.60 | 36,083.61 |
| | अन्य प्रचालन राजस्व में शामिल है : | | |
| | सहेली और नोवेक्स की बिक्री पर प्रोन्नमन इमदाद | - | 3.74 |
| | शुल्क में छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन | 14.66 | 4.52 |
| | रद्दी, अपशिष्ट कंडोम और अन्य विविध मदों की बिक्री | 6.09 | 5.11 |
| | निविदा फार्म की बिक्री | 0.08 | 0.20 |
| | खर्चों की प्रतिपूर्ति (कोविड -19 के लिए आपूर्ति) | - | 13.50 |
| | कुल | 20.83 | 27.07 |

टिप्पणी 26. अन्य आय

| विवरण | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) | ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें) | 27.65 | 3.57 |
| (ख) | अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें) | 43.19 | 12.81 |
| | कुल | 70.84 | 16.38 |

| टिप्पणी | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) | ब्याज आय में सम्मिलित : | | |
| | क) अन्यो पर | 27.42 | 3.35 |
| | ख) जमों पर | 0.23 | 0.22 |
| | कुल-ब्याज आय | 27.65 | 3.57 |
| (ii) | अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल है : | | |
| | कर्मचारी आवासों से किराए आय | 0.03 | 0.03 |
| | अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | 0.11 | 0.07 |
| | बीमा दावा | 0.23 | 0.03 |

| Note | Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (i) | Sale of products comprises | | |
| | Sale of Contraceptive Products | 250.69 | 277.15 |
| | Sale of Healthcare Products | 106.53 | 79.79 |
| | Sale of Pharma Products | 1,158.10 | 813.91 |
| | Emergency supplies for COVID-19 | 1,405.05 | 32,302.42 |
| | Sub Total | 2,920.37 | 33,473.27 |
| | Sale of services | 935.48 | 869.78 |
| | Covid services | 79.95 | 1,632.26 |
| | Income from Contract | 158.97 | 81.23 |
| | Other operating revenues | 20.83 | 27.07 |
| | Grand Total | 4,115.60 | 36,083.61 |
| | Other operating revenues comprise: | | |
| | Promotional Subsidy on Saheli and Novex sales | - | 3.74 |
| | Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives | 14.66 | 4.52 |
| | Sale of scrap, waste condoms and other misc.items | 6.09 | 5.11 |
| | Sale of tender form | 0.08 | 0.20 |
| | Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies) | - | 13.50 |
| | Total | 20.83 | 27.07 |

Note 26. Other income

| | Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (a) | Interest income (Refer Note (i) below) | 27.65 | 3.57 |
| (b) | Other non-operating income (Refer Note (ii) below) | 43.19 | 12.81 |
| | Total | 70.84 | 16.38 |

| Note | Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | ₹crs | ₹crs |
| (i) | Interest income comprises: | | |
| | a) On Others | 27.42 | 3.35 |
| | b) On Deposits | 0.23 | 0.22 |
| | Total - Interest income | 27.65 | 3.57 |
| (ii) | Other non-operating income comprises: | | |
| | Rental income from Staff quarters | 0.03 | 0.03 |
| | Profit on sale of fixed assets | 0.11 | 0.07 |
| | Insurance claims | 0.23 | 0.03 |



| | | |
|---|--------------|--------------|
| पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/क्रेडिट | 24.75 | 5.12 |
| पट्टा किराया | 0.82 | 1.48 |
| लाभांश आय (सहायक कंपनी -एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वोसेस लिमिटेड से) | - | - |
| विनिमय में उतार-चढ़ाव | 6.15 | 0.44 |
| अन्य विविध आय | 11.10 | 5.64 |
| कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय | 43.19 | 12.81 |

टिप्पणी 27. खपा हुआ माल की लागत

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| आरंभिक स्टॉक | 34.59 | 38.29 |
| जोड़ : खरीदियाँ | 291.13 | 256.42 |
| | 325.72 | 294.71 |
| न्यून : अंतिम स्टॉक | 32.17 | 34.59 |
| प्रयुक्त सामग्री की लागत | 293.55 | 260.12 |
| प्रयुक्त सामग्री में शामिल है : | | |
| कच्चे माल | 157.83 | 143.09 |
| केमिकल | 43.66 | 44.85 |
| पैकिंग सामग्रियाँ | 79.06 | 63.36 |
| गुणवत्ता एवं उप-ठेका व्यय की लागत | 0.10 | 8.82 |
| रद्दी की खपत | 12.77 | 0.00 |
| बेची गई सामग्री की लागत | 0.13 | - |
| कुल | 293.55 | 260.12 |

टिप्पणी 28. विक्रेय मालों का खरीद

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| व्यापार उत्पाद | 2,357.38 | 32,792.01 |
| सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद | 3.83 | 6.38 |
| कुल | 2,361.21 | 32,798.39 |

टिप्पणी 29. तैयार मालों की वस्तुसूची, चालू कार्य प्रगति में, और बिक्री माल

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | Excess provision / credits written back | 24.75 | 5.12 |
| | Lease rent | 0.82 | 1.48 |
| | Dividend Income (from subsidiary-HLL Infra Tech Services Ltd) | - | - |
| | Exchange Fluctuation | 6.15 | 0.44 |
| | Other Misc.Income | 11.10 | 5.64 |
| | Total - Other non-operating income | 43.19 | 12.81 |

| Note 27. Cost of materials consumed | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Opening stock | 34.59 | 38.29 |
| Add: Purchases | 291.13 | 256.42 |
| | 325.72 | 294.71 |
| Less: Closing stock | 32.17 | 34.59 |
| Cost of material consumed | 293.55 | 260.12 |
| Material consumed comprises: | | |
| Raw Materials | 157.83 | 143.09 |
| Chemicals | 43.66 | 44.85 |
| Packing Materials | 79.06 | 63.36 |
| Cost of quality and Sub contract Expense | 0.10 | 8.82 |
| Consumption of Scrap | 12.77 | 0.00 |
| Cost of Goods sold Materials | 0.13 | - |
| Total | 293.55 | 260.12 |

| Note 28. Purchases of stock-in-trade | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| Trading Products | 2,357.38 | 32,792.01 |
| Social Marketing Branded Products | 3.83 | 6.38 |
| Total | 2,361.21 | 32,798.39 |



| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| वर्ष के अंत में वस्तुसूची | | |
| तैयार माल | 225.92 | 130.08 |
| कार्य प्रगति | 27.32 | 18.01 |
| बिक्री माल | 0.13 | 0.11 |
| | 253.37 | 148.20 |
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | | |
| तैयार माल | 130.08 | 259.06 |
| कार्य प्रगति | 18.02 | 18.51 |
| बिक्री माल | 0.11 | 0.10 |
| | 148.21 | 277.67 |
| निवल(वृद्धि)/कमी | (105.16) | 129.47 |
| न्यून : असाधारण मद के रूप में दिखाई गई वस्तुसूची के एन आर बी की कमी | - | - |
| कुल | (105.16) | 129.47 |

टिप्पणी 30. कर्मचारी हितलाभ व्यय

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) वेतन और प्रोत्साहन | 237.21 | 249.56 |
| (ख) अंशदान - | | |
| भविष्य निधि | 21.93 | 20.27 |
| नई पेंशन योजना | 2.55 | 2.35 |
| उपदान एवं अर्जित छुट्टी | 10.59 | 13.33 |
| अर्जित छुट्टी निधि | 1.65 | 0.05 |
| कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान | 1.00 | 1.07 |
| (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय | 21.46 | 18.23 |
| कुल | 296.39 | 304.86 |

टिप्पणी 31. वित्त लागत

Note 29. Changes in inventories of finished goods, and work-in-progress and stock - in - trade

| Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| Inventories at the end of the year: | | |
| Finished goods | 225.92 | 130.08 |
| Work-in-progress | 27.32 | 18.01 |
| Stock in Trade | 0.13 | 0.11 |
| | 253.37 | 148.20 |
| Inventories at the beginning of the year: | | |
| Finished goods | 130.08 | 259.06 |
| Work-in-progress | 18.02 | 18.51 |
| Stock in Trade | 0.11 | 0.10 |
| | 148.21 | 277.67 |
| Net (increase) / decrease | (105.16) | 129.47 |
| Less: Write down of inventory to NRV shown as exceptional item | - | - |
| TOTAL | (105.16) | 129.47 |

Note 30. Employee benefits expense

| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ₹crs | ₹crs |
| (a) Salaries and incentives | 237.21 | 249.56 |
| (b) Contributions to - | | |
| Provident fund | 21.93 | 20.27 |
| New pension scheme | 2.55 | 2.35 |
| Gratuity & Earned Leave | 10.59 | 13.33 |
| Earned Leave Fund | 1.65 | 0.05 |
| Contribution to ESI | 1.00 | 1.07 |
| (c) Staff welfare expenses | 21.46 | 18.23 |
| Total | 296.39 | 304.86 |



| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (क) ब्याज व्यय : | | |
| (i) नकदी उधार | 17.71 | 18.99 |
| (ii) आवधिक ऋण | 0.18 | 2.59 |
| (ख) अन्य उधार लागत | 0.24 | 1.79 |
| (ग) परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु) | 1.95 | 2.59 |
| (घ) पट्टा देयताओं पर ब्याज | 0.01 | 0.00 |
| कुल | 20.09 | 25.96 |

टिप्पणी : 32 अन्य व्यय

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोत्तमन व्यय | 35.22 | 31.44 |
| एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय | 351.38 | 364.92 |
| बिजली और इंधन चार्ज | 48.93 | 43.33 |
| स्टोर और पूर्यों की खपत | 0.14 | 0.14 |
| भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय | 30.85 | 72.30 |
| यात्रा तथा परिवहन | 13.74 | 12.23 |
| अन्य उत्पादन व्यय | 18.73 | 16.14 |
| ठेके कर्मचारियों को वेतन | 64.83 | 55.04 |
| परामर्श तथा सेवा शुल्क | 85.63 | 827.50 |
| प्रशासनिक शुल्क | 0.57 | 1.15 |
| विविध व्यय | 19.26 | 23.02 |
| अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान | 17.59 | 177.97 |
| मरम्मत तथा अनुरक्षण मशीनरी | 5.93 | 6.61 |
| डाक तथा तार, दूरभाष | 4.14 | 4.79 |
| अनुसंधान एवं विकास व्यय | 0.00 | 0.26 |
| निगमित आर & डी केंद्र व्यय | 5.56 | 5.02 |
| किराया | 13.77 | 8.52 |
| मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 4.23 | 3.48 |

| Note 31. Finance costs | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| (a) Interest expense on: | | |
| (i) Cash credit | 17.71 | 18.99 |
| (ii) Term Loan | 0.18 | 2.59 |
| (b) Other borrowing costs | 0.24 | 1.79 |
| (c) Interest on Right of Use Assets(ROU) | 1.95 | 2.59 |
| (d) Interest on Lease Liabilities | 0.01 | 0.00 |
| Total | 20.09 | 25.96 |
| Note 32. Other expenses | | |
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
| | ₹ crs | ₹ crs |
| Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses | 35.22 | 31.44 |
| HCS Direct expenses | 351.38 | 364.92 |
| Power & fuel charges | 48.93 | 43.33 |
| Consumption of stores and spares | 0.14 | 0.14 |
| Freight & Other Selling Expenses | 30.85 | 72.30 |
| Travelling & Conveyance | 13.74 | 12.23 |
| Other Production expenses | 18.73 | 16.14 |
| Wages to Contract Labourers | 64.83 | 55.04 |
| Consultancy & Service Charges | 85.63 | 827.50 |
| Administrative charges | 0.57 | 1.15 |
| Miscellaneous Expenses | 19.26 | 23.02 |
| Provision for bad & doubtful debts/Advances | 17.59 | 177.97 |
| Repairs & Maintenance Machinery | 5.93 | 6.61 |
| Postage & Telegram, Telephone | 4.14 | 4.79 |
| Research & Development Expenses | 0.00 | 0.26 |
| Corporate R&D Centre Expenses | 5.56 | 5.02 |
| Rent | 13.77 | 8.52 |



| | | |
|--|---------------|-----------------|
| अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण | 5.07 | 4.99 |
| जल चार्ज | 2.24 | 1.92 |
| बीमा चार्ज | 3.14 | 2.99 |
| बैंक चार्ज | 2.10 | 2.32 |
| कर्मचारियों के भर्ती व्यय | 0.11 | 0.13 |
| दर एवं कर | 1.96 | 2.23 |
| बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार के लिए प्रावधान | 0.17 | 4.18 |
| बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार और परिसंपत्ति बट्टे खाते डालने/प्रावधान | 0.35 | 0.88 |
| प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय | 0.34 | 0.22 |
| इमारतों के मरम्मत तथा अनुरक्षण | 2.25 | 2.00 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं पेशगियाँ | 28.49 | 2.25 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें) | 0.29 | 0.26 |
| लागत लेखापरीक्षा शुल्क | 0.05 | 0.05 |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | 0.07 | 0.07 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खर्च | 6.03 | 2.22 |
| रॉयल्टी प्रदत्त | 0.03 | 0.01 |
| अन्य व्यय | 0.51 | 0.00 |
| कुल | 773.70 | 1,680.58 |

टिप्पणी i. लेखापरीक्षकों को भुगतान

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (i) लेखापरीक्षकों के भुगतान में शामिल है | | |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 0.21 | 0.20 |
| लेखापरीक्षा शुल्क कर | 0.03 | 0.03 |
| लेखापरीक्षा व्यय | 0.05 | 0.03 |
| कुल | 0.29 | 0.26 |

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Printing & Stationery | 4.23 | 3.48 |
| Repairs & maintenance of other assets | 5.07 | 4.99 |
| Water charges | 2.24 | 1.92 |
| Insurance charges | 3.14 | 2.99 |
| Bank Charges | 2.10 | 2.32 |
| Staff recruitment expenses | 0.11 | 0.13 |
| Rates & Taxes | 1.96 | 2.23 |
| Provision for obsolete stores written off | 0.17 | 4.18 |
| Obsolete stores written off and asset write off/provision | 0.35 | 0.88 |
| Training program expenses | 0.34 | 0.22 |
| Repairs & maintenance of buildings | 2.25 | 2.00 |
| Bad debt & advances written off | 28.49 | 2.25 |
| Payments to auditors (Refer Note (i) below) | 0.29 | 0.26 |
| Cost audit fees | 0.05 | 0.05 |
| Loss on sale of Fixed Assets | 0.07 | 0.07 |
| Corporate Social Responsibility expenses | 6.03 | 2.22 |
| Royalty paid | 0.03 | 0.01 |
| Other Expenses | 0.51 | 0.00 |
| Total | 773.70 | 1,680.58 |
| Note i.Payment to auditors | | |
| Particulars | Year Ended 31.03.2023 | Year Ended 31.03.2022 |
| | ₹crs | ₹crs |
| (i) Payments to the auditors comprises | | |
| Audit fees | 0.21 | 0.20 |
| Tax Audit fees | 0.03 | 0.03 |
| Audit expenses | 0.05 | 0.03 |
| Total | 0.29 | 0.26 |

अनुपात

| विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | अंतर % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| (क) वर्तमान अनुपात | 1.17 | 1.09 | 7.22% |
| (वर्तमान परिसंपत्ति/वर्तमान देयताएँ) | | | |
| वर्तमान देयताएँ : - वर्तमान देयताएँ - पट्टा दायित्व-लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता | | | |
| (ख) ऋण इक्विटी अनुपात | 0.62 | 0.27 | 127% |
| (ऋण/इक्विटी) | | | |
| 2021-22 में कम लाभ और उच्च चालू पूँजी कार्य के उपयोग की तुलना में उच्च लाभ और कम चालू पूँजी कार्य के उपयोग के परिणामस्वरूप भिन्नता हुई। | | | |
| (ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात | 7.38 | 24.26 | -70% |
| (निवल प्रचालन आय/ऋण सेवा) | | | |
| चालू वर्ष के दौरान उच्च उधार और कम निवल परिचालन आय की तुलना में 2021-22 के दौरान निवल परिचालन आय अधिक थी और उधार कम था, जिसके फलस्वरूप भिन्नता हुई। | | | |
| (घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी | 0.07 | 0.53 | -86% |
| (पी ए टी/(कुल इक्विटी) | | | |
| कोविड परिचालन के कारण 21-22 में अधिक लाभ के कारण चालू वर्ष के लाभ और निवल मूल्य की तुलना में अनुपात में भिन्नता आई। | | | |
| (ङ) वस्तुसूची व्यापारावर्त अनुपात | 10.23 | 123.09 | -92% |
| (बेचे गए माल की कीमत/औसत वस्तुसूची) | | | |
| कोविड परिचालन में उच्च व्यापारावर्त से बेची गई वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, जिससे चालू वर्ष के दौरान सामान्य परिचालन की तुलना में उच्च वस्तुसूची व्यापारावर्त बढ़ गया। | | | |
| (च) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात | 2.04 | 14.14 | -86% |
| (प्रचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य) | | | |
| चालू वर्ष के दौरान सामान्य परिचालन की तुलना में कोविड परिचालन के कारण उच्च व्यापारावर्त का अनुपात अधिक रहा। | | | |
| (छ) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात | 2.17 | 20.58 | -89% |
| (बेचे गए माल की कीमत/औसत व्यापार प्राप्य) | | | |
| चालू वर्ष के दौरान सामान्य परिचालन की तुलना में कोविड प्रचालन के कारण उच्च व्यापारावर्त का अनुपात अधिक रहा। | | | |
| (ज) चालू पूँजीकार्य व्यापारावर्त अनुपात | 12.55 | 82.65 | -85% |
| प्रचालन से राजस्व/चालू पूँजी कार्य | | | |

| RATIOS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| Particulars | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 | Variance % |
| (a) Current Ratio | 1.17 | 1.09 | 7.22% |
| (Current Assets / Current Liabilities) | | | |
| Current Liabilities:-Current Liabilities - Lease obligation-current maturities of long term borrowings | | | |
| (b) Debt Equity Ratio | 0.62 | 0.27 | 127% |
| (Debt/Equity) | | | |
| The high profits and low working capital utilisation in 2021-22 compared to low profits and high working capital utilisation resulted in variation. | | | |
| (c) Debt Service Coverage Ratio | 7.38 | 24.26 | -70% |
| (Net Operating Income / Debt Service) | | | |
| Net operating Income was high and borrowing was less during 2021-22 in comparison to high borrowing and low Net operating income during the current year resulting in variation | | | |
| (d) Return on Equity Ratio | 0.07 | 0.53 | -86% |
| (PAT/(Total equity)) | | | |
| The high profits in 21-22 due to Covid operations led the variation in the ratio in comparison with current year profits and networkth | | | |
| (e) Inventory Turnover Ratio | 10.23 | 123.09 | -92% |
| (Cost of Goods Sold/Average Inventory) | | | |
| The high turnover in Covid operations led to high cost of goods sold leading to high inventory turnover ratio in comparison with normal operations during the current year | | | |
| (f) Trade receivables Turnover Ratio | 2.04 | 14.14 | -86% |
| (Revenue from operations/Average Trade Receivables) | | | |
| The high turnover due to Covid Operations resulted in high ratio in comparison with normal operations during the current year | | | |
| (g) Trade Payables Turnover Ratio | 2.17 | 20.58 | -89% |
| (Cost of good sold/Average Trade Payables) | | | |
| The high turnover due to Covid Operations resulted in high ratio in comparison with normal operations during the current year | | | |
| (h) Working capital Turnover ratio | 12.55 | 82.65 | -85% |
| Revenue from operations/ Working Capital | | | |

कोविड परिचालन के कारण प्रचालन से राजस्व अधिक था और इस प्रकार पिछले वर्ष के दौरान चालू पूँजी कार्य का अनुपात अधिक था।

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|
| (झ) निवल लाभ अनुपात | 1.22% | 1.12% | 9% |
| (पी ए टी)/निवल बिक्री | | | |
| (ज) नियोजित पूँजी पर वापसी | 0.16 | 0.77 | -80% |
| (ई बी ई टी)/नियोजित पूँजी | | | |

21-22 के दौरान कोविड प्रचालन के कारण ई बी आई टी अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप एचएलएल के सामान्य प्रचालन की तुलना में अनुपात अधिक था।

टिप्पणी 33 : वित्तीय उपकरण (टिप्पणी : 2.43 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करके कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी। कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है। कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/ह्रस्वकालिक ऋणों के ज़रिए पूरी की जाती है। कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 17 और 20 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल है। कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है।

₹ करोड़ों में

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|------------------|---------------|---------------|
| उधार | 400.37 | 178.65 |
| इक्विटी पूँजी | 15.54 | 15.54 |
| आरक्षण और अधिशेष | 661.65 | 742.15 |
| इक्विटी | 677.19 | 757.69 |
| ऋण/इक्विटी | 0.59:1 | 0.24:1 |

ख. वित्तीय उपकरणों की श्रेणी

₹ करोड़ों में

| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
|--|---------------|---------------|
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | |
| क. परिशोधित लागत पर मापित | | |
| i) व्यापार प्राप्य | 1117.52 | 2925.00 |
| ii) नकद और नकद तुल्यांक | 746.94 | 1354.90 |
| iii) ऋण व अन्य | 33.87 | 27.35 |
| ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित | | |
| व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ | - | - |
| वित्तीय देयताएं | - | - |

Revenue from operations was high due to covid operations and thus the working capital turnover ratio was high during previous year

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| (i) Net Profit Ratio (PAT/Net Sales) | 1.22% | 1.12% | 9% |
| (j) Return on Capital Employed (EBIT/(Capital Employed)) | 0.16 | 0.77 | -80% |

EBIT was high due to Covid Operations during 21-22 resulting in higher ratio in comparison to normal operations of HLL.

Note 33: Financial Instruments (Refer Note:2.43)

A. Capital Management

The Group manages its capital to ensure that entities will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Group determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Group consists of net debt (borrowings as detailed in notes 17 and 20) and total equity. The Group monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio.

₹ in cr

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Borrowings | 400.37 | 178.65 |
| Equity Capital | 15.54 | 15.54 |
| Reserves & Surplus | 661.65 | 742.15 |
| Equity | 677.19 | 757.69 |
| Debt/ Equity | 0.59:1 | 0.24:1 |

B. Categories of Financial Instruments

₹ in cr

| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|--|------------------|------------------|
| Financial Assets | | |
| a. Measured at Amortised Cost | | |
| i) Trade Receivables | 1117.52 | 2925.00 |
| ii) Cash and cash equivalents | 746.94 | 1354.90 |
| iii) Loans & Others | 33.87 | 27.35 |
| b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss | | |
| Derivative Asset | - | - |
| Financial Liabilities | - | - |

| | | |
|--|---------|---------|
| क. परिशोधित लागत पर मापित | - | - |
| वित्तीय देयताएं | - | - |
| i) उधार | 400.37 | 178.65 |
| ii) देय व्यापार | 1100.51 | 1245.37 |
| iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 172.52 | 450.78 |
| vi) दायित्व का उपयोग करने का अधिकार | 20.33 | 28.42 |
| ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित | | |
| व्युत्पन्न देयताएं | - | - |

ग. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

राजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है, जो एक्सपोजर का विश्लेषण जोखिम की डिग्री और परिमाण द्वारा किया जाता है। इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम सहित) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल हैं।

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोजरों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है। वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश पर लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

घ. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूलीयोग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह जो एक वित्तीय साधन के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, किसी हानि के जोखिम है। कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करता है। कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग प्रबंधन के उचित स्तरों द्वारा सीमाओं और नियमित निगरानी के अधीन है।

ङ. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में अंकित कंपनी के विदेशी मुद्रा की मूल राशि टिप्पणी में दी गई हैं।

| | | |
|--|---------|---------|
| a. Measured at Amortised Cost | - | - |
| Financial Liabilities | | |
| i) Borrowings | 400.37 | 178.65 |
| ii) Trade payables | 1100.51 | 1245.37 |
| iii) Other financial liabilities | 172.52 | 450.78 |
| iv) Right to use Liability | 20.33 | 28.42 |
| b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss | | |
| Derivative Liability | - | - |

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Group actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Group undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Group actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given in Note

च. विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की मूल कीमत

31 मार्च, 2023 तक (सभी रकम ₹ करोड़ों के बराबर है)

| मुद्रा | देयताएं | | | परिसंपत्तियाँ | | | मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र- निवल परिसंपत्तियाँ/(निवल देयताएं) |
|----------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|
| | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र | |
| यु एस डी | 1.81 | | 1.81 | 45.81 | | 45.81 | 44.00 |
| ई यु आर | 0.13 | | 0.13 | 0.003 | | 0.003 | (0.13) |
| सी एच एफ | 0.04 | | 0.04 | | | | (0.04) |
| ए ई डी | - | | - | | | | - |
| जी बी पी | 0.01 | | 0.01 | | | | (0.01) |
| कुल | 1.99 | | 1.99 | 45.82 | | 45.82 | 43.83 |

31 मार्च, 2022 को (सभी रकम रुपए करोड़ों के बराबर है)

| मुद्रा | देयताएं | | | परिसंपत्तियाँ | | | मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र-निवल परिसंपत्तियाँ/(निवल देयताएं) |
|----------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|
| | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र | सकल एक्सपोज़र | व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र | मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोज़र | |
| यु एस डी | 15.19 | | 15.19 | 12.83 | | 12.83 | (2.36) |
| ई यु आर | 0.12 | | 0.12 | 0.06 | | 0.06 | (0.06) |
| ए ई डी | 0.04 | | 0.04 | - | | - | (0.04) |
| सी एच एफ | 0.13 | | 0.13 | - | | - | (0.13) |
| जी बी पी | 0.00 | | 0.00 | - | | - | (0.00) |
| कुल | 15.48 | | 15.48 | 12.89 | | 12.69 | (2.59) |

*चूंकि जीएपीएल के अंकेक्षित विवरण में, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है, उपरोक्त आंकड़े एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और हाइट्स से संबंधित हैं।

छ. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है। कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमजोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित करेंगे और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूंजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोज़र के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है।

F. Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2023 (all amounts are in equivalent ₹ in Cr):

| Currency | Liabilities | | | Assets | | | Net overall exposure on the currency -net assets / (net liabilities) |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|--|
| | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | |
| USD | 1.81 | | 1.81 | 45.81 | | 45.81 | 44.00 |
| EUR | 0.13 | | 0.13 | 0.003 | | 0.003 | (0.13) |
| CHF | 0.04 | | 0.04 | | | | (0.04) |
| AED | - | | - | | | | - |
| GBP | 0.01 | | 0.01 | | | | (0.01) |
| Total | 1.99 | | 1.99 | 45.82 | | 45.82 | 43.83 |

As on March 31, 2022 (all amounts are in equivalent

₹ in Cr):

| Currency | Liabilities | | | Assets | | | Net overall exposure on the currency -net assets / net liabilities) |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | Gross exposure | Exposure hedged using derivatives | Net liability exposure on the currency | |
| USD | 15.19 | | 15.19 | 12.83 | | 12.83 | (2.36) |
| EUR | 0.12 | | 0.12 | 0.06 | | 0.06 | (0.06) |
| AED | 0.04 | | 0.04 | - | | - | (0.04) |
| CHF | 0.13 | | 0.13 | - | | - | (0.13) |
| GBP | 0.00 | | 0.00 | - | | - | (0.00) |
| Total | 15.48 | | 15.48 | 12.89 | | 12.69 | (2.59) |

* Since in the Audited Statements of GAPL, the carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities is not disclosed, the above figures pertain to HLL Lifecare Ltd & HITES.

G. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Group against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

प्रबंध की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोज़र वर्ष के दौरान के एक्सपोज़र पर प्रभावित नहीं करता है।

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में संवेदिता गतिविधि प्रस्तुत करती है।

| विवरण | यु एस डी प्रभाव | ₹ करोड़ों में |
|------------------------|------------------------|---------------|
| | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | 0.87 | (0.06) |
| यूरो प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0025) | (0.0012) |
| विवरण | जी बी पी प्रभाव | |
| | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0003) | - |
| ए ई डी प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | - | (0.0026) |
| सी एच एफ प्रभाव | | |
| विवरण | 31.03.2023 तक | 31.03.2022 तक |
| लाभ या हानि | (0.0009) | (0.0008) |

* चूँकि जी ए पी एल और हाइट्स के लेखापरीक्षित विवरण में, विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है, उपरोक्त आंकड़े एचएलएल लाइफ़केयर से संबंधित हैं।

ज. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर को जोखिम एक्सपोज़र किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है। यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वेप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है। उत्तम लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं।

झ. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रूप और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं। अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पोइंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन प्रबंधन के निर्धारण प्रतिनिधान करता है।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है।

| उधार | कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव | ₹ करोड़ों में |
|----------|---------------------------|---------------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| आई एन आर | 0.68 | 0.79 |

* चूँकि जी ए पी एल और हाइट्स के लेखापरीक्षित विवरण में, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है, उपरोक्त आंकड़े एचएलएल लाइफ़केयर से संबंधित हैं।

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

| Particulars | USD impact | ₹ in cr |
|--------------------|------------------|------------------|
| | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | 0.87 | (0.06) |
| EURO Impact | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0025) | (0.0012) |
| GBP Impact | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0003) | - |
| AED Impact | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | - | (0.0026) |
| CHF Impact | | |
| Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| Profit or Loss | (0.0009) | (0.0008) |

* Since in the Audited Statements of GAPL & HITES, Foreign Currency sensitivity analysis is not disclosed, the above figures pertain to HLL Lifecare Ltd.

H. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

I. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25-basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant.

| Borrowings | Effect on Profit before Tax | |
|------------|-----------------------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| INR | 0.68 | 0.79 |

* Since in the Audited Statements of GAPL & HITES Interest rate sensitivity analysis is not disclosed, the above figures pertain to HLL Lifecare Ltd.

ज. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है। प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल हैं। कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है। कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम प्रभाव है।

ट. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं।

ठ. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है। लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाज़ार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूँजी बाज़ारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों को लगातार निगरानी भी करती है।

ड. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं। तालिकाएँ, जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं।

₹ करोड़ों में

| विवरण | प्रथम वर्ष में देय | 2 से 5 वर्षों में देय | 5 वर्ष के बाद देय | रखाव रकम |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| मार्च 31, 2023 | | | | |
| उधार | 400.37 | | | 400.37 |
| देय व्यापार | 1100.51 | | | 1100.51 |
| पट्टा दायित्व | 9.81 | 11.40 | 1.94 | 23.15 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 172.52 | | | 172.52 |
| मार्च 31, 2022 | | | | |
| उधार | 178.65 | - | - | 178.65 |
| देय व्यापार | 1245.37 | - | - | 1245.37 |
| पट्टा दायित्व | 10.18 | 20.86 | 2.29 | 33.33 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 450.78 | - | - | 450.78 |

J. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Group's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Group is not exposed to concentration risk. The Group makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and on a case to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

K. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

L. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Group cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Group invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Group also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

M. Liquidity Table

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay.

₹ in cr

| Particulars | Due in 1st year | Due in 2nd to 5th year | Due after 5th year | Carrying amount/ Contractual cash flow |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| March 31,2023 | | | | |
| Borrowings | 400.37 | | | 400.37 |
| Trade payables | 1100.51 | | | 1100.51 |
| Lease Obligations | 9.81 | 11.40 | 1.94 | 23.15 |
| Other financial liabilities | 172.52 | | | 172.52 |
| March 31,2022 | | | | |
| Borrowings | 178.65 | - | - | 178.65 |
| Trade payables | 1245.37 | - | - | 1245.37 |
| Lease Obligations | 10.18 | 20.86 | 2.29 | 33.33 |
| Other financial liabilities | 450.78 | - | - | 450.78 |

टिप्पणी 34: कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी 2.44 देखें)
इंड ए एस 19 'कर्मचारी हितलाभ' के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण

पारिभाषित अंशदान योजना

वर्ष के दौरान पारिभाषित अंशदान योजनाओं के कारण लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित रकमों को मान्यता दी गई है :

| | ₹ करोड़ों में | | ₹ करोड़ों में | |
|---|---------------------|---------|--|---------|
| | उपदान (वित्त पोषित) | | मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित) | |
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| (i) बीमांकिक अनुमान | | | | |
| छूट दर (प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| मुआवजा वृद्धि दर (प्रति वर्ष) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| मृत्यु दर | | | भारतीय जीवन मृत्यु दर (1994-96) अंतिम तालिका | |
| (ii) दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समाधान | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 100.08 | 93.45 | 29.87 | 25.03 |
| वर्तमान सेवा लागत | 4.91 | 4.91 | 12.05 | 11.72 |
| ब्याज लागत | 6.42 | 6.18 | 1.94 | 1.64 |
| दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 8.56 | 7.33 | (7.76) | 5.29 |
| प्रदत्त लाभ/निपटान | (19.57) | (11.79) | -5.69 | 3.23 |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| (iii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य | 71.53 | 66.00 | 22.70 | 16.17 |
| योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी | 4.90 | 4.68 | 1.67 | 1.31 |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 14.91 | 11.46 | 7.01 | 8.45 |
| स्थानांतरण/अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रदत्त लाभ/निपटान | (19.57) | (10.79) | (5.69) | (3.23) |
| पुनर्माप -अपेक्षित वापसी से अधिक योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी | (0.35) | 0.18 | (0.16) | (0.01) |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| (iv) योजना परिसंपत्तियों, प्रबंधन परिसंपत्तियों का विवरण | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |

Note 34: Employee Benefit Expenses (Refer Note 2.44)
Disclosures required under Ind AS 19 "Employee Benefits"
Defined Contribution Plans

During the year the following amounts have been recognised in the statement of profit and loss on account of defined contribution plans:

| | | in crs | | in crs | |
|-------|--|---|---------|-------------------------------|---------|
| | | Gratuity (Funded) | | Compensated absences (Funded) | |
| (i) | Actuarial Assumptions | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| | Discount Rate (per annum) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | Expected rate of return on plan assets (per annum) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| | Compensation escalation Rate (per annum) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | Mortality Rate | Indian Lives Mortality (1994-96) Ultimate Table | | | |
| (ii) | Reconciliation of present value of obligations | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| | Present value of obligation at the beginning of the year | 100.08 | 93.45 | 29.87 | 25.03 |
| | Current service cost | 4.91 | 4.91 | 12.05 | 11.72 |
| | Interest cost | 6.42 | 6.18 | 1.94 | 1.64 |
| | Actuarial (gain)/loss on obligations | 8.56 | 7.33 | (7.76) | 5.29 |
| | Benefits paid/Settlement | (19.57) | (11.79) | (5.69) | 3.23 |
| | Present value of obligation at the end of the year | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| (iii) | Reconciliation of fair value of plan assets | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| | Fair value of plan assets at the beginning of the year | 71.53 | 66.00 | 22.70 | 16.17 |
| | Expected return on plan assets | 4.90 | 4.68 | 1.67 | 1.31 |
| | Contributions by employer | 14.91 | 11.46 | 7.01 | 8.45 |
| | Transfer In/Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Benefits paid/Settlement | (19.57) | (10.79) | (5.69) | (3.23) |
| | Remeasurements- Return on Plan assets over expected return | (0.35) | 0.18 | (0.16) | (0.01) |
| | Fair value of plan assets at the end of the year | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| (iv) | Description of plan assets managed assets | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |



| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------|--------|
| (v) | कुल योजना परिसंपत्तियों के % के रूप में योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी | | | | |
| | इक्विटी | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | बांड | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | गिल्ट्स | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | खुद का निवेश/संपत्ति | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम)। | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | * बीमा कंपनी द्वारा वित्त पोषित योजना परिसंपत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की योजना परिसंपत्तियों की संरचना योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर प्रत्येक श्रेणी की राशि के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है। | | | | |
| (vi) | वर्ष के अंत में तुलन पत्र में पहचाने निवल (परिसंपत्ति) / देयता | | | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| | वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| | तुलन पत्र में (परिसंपत्ति)/देयता के रूप में पहचाने वित्त पोषित दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य | (28.98) | (28.55) | (4.87) | (7.17) |
| (vii) | लाभ और हानि के विवरण में पहचाने व्यय | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 4.91 | 4.94 | 12.05 | 11.72 |
| | ब्याज लागत | 6.42 | 5.85 | 1.94 | 1.56 |
| | योजना परिसंपत्तियों पर वापसी | (4.90) | (4.41) | (1.67) | (1.24) |
| | अवधि में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 | (7.60) | (5.12) |
| | वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में पहचाने कुल व्यय | 6.43 | 6.38 | 4.72 | 6.91 |
| (viii) | अन्य व्यापक आय में निवल बीमांकिक हानि/(लाभ) को मान्यता दी गई है | 8.91 | 7.87 | 0.00 | (0.06) |
| | योजना परिसंपत्तियों की वास्तविक वापसी | 0.35 | 4.86 | 0.16 | 1.03 |
| (ix) | दायित्व का गैर चालू और चालू मूल्य | | | | |
| | गैर चालू | 24.91 | 27.58 | 0.76 | 7.38 |
| | चालू | 6.32 | 6.70 | 4.12 | 3.90 |
| | दायित्व का कुल मूल्य | 31.24 | 34.28 | 4.87 | 11.28 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------|--------|--------|
| (v) | Major category of plan assets as % of total plan assets | | | | |
| | Equities | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Bonds | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Gilts | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Own Investment/ Properties | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Others- Insurer Managed Funds (LIC of India)* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | * In the absence of detailed information regarding plan assets which is funded by Insurance Company, the composition of each major category of plan assets, the percentage on amount of each category to the fair value of plan assets has not been disclosed. | | | | |
| (vi) | Net (Asset)/Liability recognised in the balance sheet as at the end of the year | | | | |
| | Present value of obligation at the end of the year | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| | Fair value of plan assets at the end of the year | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| | Net present value of funded obligation recognised as (asset) / liability in the balance sheet | (28.98) | (28.55) | (4.87) | (7.17) |
| (vii) | Expenses recognised in the statement of profit and loss | | | | |
| | Current service cost | 4.91 | 4.94 | 12.05 | 11.72 |
| | Interest cost | 6.42 | 5.85 | 1.94 | 1.56 |
| | Return on plan assets | (4.90) | (4.41) | (1.67) | (1.24) |
| | Actuarial (gain)/loss recognised in the period | 0.00 | 0.00 | (7.60) | (5.12) |
| | Total expenses recognised in the statement of profit and loss for the year | 6.43 | 6.38 | 4.72 | 6.91 |
| (viii) | Net Actuarial losses /(gains) recognised in Other Comprehensive Income | 8.91 | 7.87 | 0.00 | (0.06) |
| | Actual return of plan assets | 0.35 | 4.86 | 0.16 | 1.03 |
| (ix) | Non current and current value of obligation | | | | |
| | Non-current | 24.91 | 27.58 | 0.76 | 7.38 |
| | Current | 6.32 | 6.70 | 4.12 | 3.90 |
| | Total value of obligation | 31.24 | 34.28 | 4.87 | 11.28 |

| | उपदान (निधिक) | | मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक) | |
|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | ₹ करोड़ों में | | ₹ करोड़ों में |
| (X) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में पहचान की गयी रकम | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| उपदान (निधिक) | | | | |
| निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| वित्त पोषित स्थिति - (परिसंपत्ति)/देयता | (28.98) | (28.55) | (4.87) | (7.17) |
| योजना दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि | 8.56 | 7.33 | (7.76) | (5.29) |
| योजना परिसंपत्तियों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि | (0.35) | 0.18 | (0.16) | (0.01) |

(xi) महत्वपूर्ण धारणा (निर्धारित लाभ दायित्व पर प्रभाव) के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया जाता है।

क. उपदान (निधिक)

| | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | |
|------------------|---------------------------|--------|
| | 1% वृद्धि | 1% कमी |
| छूट की दर | 96.04 | 105.27 |
| वेतन वृद्धि दर | 103.42 | 97.32 |
| कर्मचारी टर्नओवर | 100.64 | 100.15 |

ख. मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)-

| | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | |
|------------------|---------------------------|--------|
| | 1% वृद्धि | 1% कमी |
| छूट की दर | 28.29 | 32.81 |
| वेतन वृद्धि दर | 32.67 | 28.38 |
| कर्मचारी टर्नओवर | 30.39 | 30.42 |

उपरोक्त विश्लेषण में घटक में परिवर्तन अन्य घटकों के बरकरार रहने के साथ किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में बिना छूट वाला नकदी प्रवाह है, लेकिन अन्य घटकों को बरकरार रखते हुए और कर्मचारियों के वर्तमान पूरक के लिए कुल भुगतान है।

| | | Gratuity (Funded) | | Compensated absences (Funded) | |
|------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| | | | ₹in crs | | ₹in crs |
| (x) | Amount recognised in current year and previous four years | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| | Gratuity (Funded) | | | | |
| | Present value of defined benefit obligations | 100.40 | 100.08 | 30.40 | 29.87 |
| | Fair value of plan assets | 71.43 | 71.53 | 25.53 | 22.70 |
| | Funded status - (asset)/liability | (28.98) | (28.55) | (4.87) | (7.17) |
| | Actuarial (gain)/loss on plan obligations | 8.56 | 7.33 | (7.76) | (5.29) |
| | Actuarial (gain)/loss on plan assets | (0.35) | 0.18 | (0.16) | (0.01) |
| (xi) | A quantitative sensitivity analysis for significant assumption (impact on defined benefit obligation) is as below: | | | | |
| | A. Gratuity (Funded)- | | | | |
| | | Year ended 31.03.2023 | | | |
| | | | 1% Increase | 1% Decrease | |
| | Discount Rate | | 96.04 | 105.27 | |
| | Salary increase rate | | 103.42 | 97.32 | |
| | Employee turnover | | 100.64 | 100.15 | |
| | B. Compensated absences (Funded)- | | | | |
| | | Year ended 31.03.2023 | | | |
| | | | 1% Increase | 1% Decrease | |
| | Discount Rate | | 28.29 | 32.81 | |
| | Salary increase rate | | 32.67 | 28.38 | |
| | Employee turnover | | 30.39 | 30.42 | |
| | In the above analysis the change in the factor is made with other factors remaining intact. | | | | |
| | Undiscounted Cash flow over the years is the aggregate cash flow without discounting but keeping other factors intact and is the total payout for the current complement of staff. | | | | |

(xii) परिपक्वता प्रोफाइल - भविष्य में अपेक्षित भुगतान

| समयसीमा (वर्षों में) | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | उपदान (निधिक) | मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक) |
| 1 से कम या उसके बराबर | 18.70 | 5.53 |
| 2 - 5 | 54.76 | 15.46 |
| 6-10 | 32.55 | 10.97 |
| 10 से ऊपर | 51.44 | 30.42 |
| (xiii) प्रमुख बीमाकिक जोखिमों पर ध्यान दें | | |

- (क) बीमाकिक जोखिम - यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। यह निम्न में से किसी एक कारण से उत्पन्न हो सकता है।
 प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव : वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि होगी। मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु फायदा पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमाकिक हानि या लाभ होगा। निकासी दरों में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक निकासी दर अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख के अनुसार लाभ निहित है या नहीं।
- (ख) निवेश जोखिम : निधिक योजनाओं के लिए जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित संपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बट्टा दर में परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या निधिक स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- (ग) लिक्विडिटी जोखिम : यह वह जोखिम है जो कंपनी अल्पकालिक उपदान भुगतान को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यह देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी/नकद की बराबर की अनुपलब्धता या समय पर लिक्विड परिसंपत्तियों की बिक्री न होने के कारण हो सकता है। उच्च वेतन और लंबी अवधि की सेवा वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, महत्वपूर्ण स्तर के लाभ जमा करते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं/सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
- (घ) बाज़ार जोखिम : बाज़ार जोखिम वित्तीय बाज़ारों के परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है। एक बीमाकिक धारणा जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वह है बट्टा दर। बट्टा दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाता है। बट्टा दर में वृद्धि से योजना के लाभों के निर्धारित लाभ दायित्व में कमी आती है और इसके विपरीत। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी ब्रांडों पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है।
- (ङ) वैधानिक जोखिम : वैधानिक जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देनदारियों में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है जिससे कंपनियों को कर्मचारियों को अधिक लाभ का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। यह सीधे निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा। नया श्रम संहिता एक मामला है और इसे उसी वर्ष तुरंत मान्यता देनी होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी होगा।

टिप्पणी :

- उपरोक्त प्रकटीकरण स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा प्रमाणित और कंपनी द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर आधारित हैं।
- कंपनी की योजना परिसंपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसकी उपदान और मुआवजा अनुपस्थिति योजना के संबंध में कंपनी की निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में किया जाता है। कंपनी के पास योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

| | | | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------------------------|--|-------|
| (xii) | Maturity profile - future expected payments | | | | |
| | Time period (in years) | Year ended 31.03.2023 | | | |
| | | Gratuity (Funded) | Compensated absences (Funded) | | |
| | Less than or equal to 1 | 18.70 | | | 5.53 |
| | 2 - 5 | 54.76 | | | 15.46 |
| | 6 -10 | 32.55 | | | 10.97 |
| | Above 10 | 51.44 | | | 30.42 |
| (xiii) | Note on key actuarial risks | | | | |

- (a) Actuarial Risk- It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons. Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than the assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected. Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate. Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.
- (b) Investment Risk - For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.
- (c) Liquidity Risk - This is the risk that the Company is not able to meet the short-term gratuity pay outs. This may arise due to non availability of enough cash/cash equivalent to meet the liabilities or holding of illiquid assets not being sold in time. Employees with high salaries and long durations of service or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign / retire from the company there can be strain on the cash flows.
- (d) Market Risk - Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate / government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.
- (e) Legislative Risk- Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation / regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation. The new labour code is a case in point and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

Notes:

- 1 The above disclosures are based on information certified by the independent actuary and relied upon by the Group.
- 2 The plan assets of the Group are managed by the Life Insurance Corporation of India in terms of insurance policies taken to fund the obligations of the Group with respect to its Gratuity and Compensated Absences Plan. Information on categories of plan assets is not available with the Group.

टिप्पणी : 35 प्रासंगिक देयताएँ : प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.45 देखें)

| प्रासंगिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (प्रावधान नहीं किए गए हद तक) | | 2022-23 | 2021-22 |
|--|--|---------------|---------------|
| | | ₹ करोड़ों में | ₹ करोड़ों में |
| (I) प्रासंगिक देयताएँ | | | |
| (i) | आय कर | | |
| | क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगों ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में और प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है । | 5.05 | 5.30 |
| | ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के विरुद्ध पडे बिक्री कर और सेव कर दावे | 35.52 | 36.10 |
| (ii) | ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये कंपनी के खिलाफ पडे दावे। | 326.51 | 349.70 |
| (iii) | सरकारी विभागों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि) | 97.35 | 82.88 |
| (iv) | अन्यों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि) | 1.70 | 1.59 |
| (v) | जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी और उसी तारीख में बकाया | 88.92 | 106.45 |
| (vi) | साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि) | 0.28 | 2.42 |
| (vii) | अन्य | 1.29 | 0.57 |
| कुल | | 556.62 | 585.01 |
| (II) प्रतिबद्धताएँ | | - | - |
| (i) | फायल किए गए अपीलों के लिए लंबित छूट दावा | - | 0.01 |
| कुल | | - | 0.01 |
| (III) प्रासंगिक परिपतियाँ | | - | - |
| राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा एजेन्सी (सिफप्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के पक्ष में मध्यस्थता एवार्ड । | | 26.84 | 26.84 |

टिप्पणी

प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12 % की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किए गए।

श्रृण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में रु. 8.71 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसके खिलाफ 7.31 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी अदालत में जमा की गई है। अतः 7.31 करोड़ रुपए दोहराव से बचने के लिए बैंक गारंटी से बाहर रखा गया है।

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में प्रार्थी द्वारा दावा किया गया कोई अवसर लागत/हानि शामिल नहीं है।

| NOTE: 35 CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REF:2.45) | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for) | | 2022-23 | 2021-22 |
| | | Rs. In Cr | Rs. in Cr. |
| (I) Contingent Liabilities | | | |
| (i) | Income Tax | | |
| | (a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest. | 5.05 | 5.30 |
| | (b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt | 35.52 | 36.10 |
| (ii) | Claims against the Company not acknowledged as debts | 326.51 | 349.70 |
| (iii) | Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money) | 97.35 | 82.88 |
| (iv) | Bank Guarantees to others(net of margin money) | 1.70 | 1.59 |
| (v) | Corporate Guarantees issued and outstanding as on date | 88.92 | 106.45 |
| (vi) | Letter of Credits (net of Margin Money) | 0.28 | 2.42 |
| (vii) | Others | 1.29 | 0.57 |
| TOTAL | | 556.62 | 585.01 |
| (II) Commitments | | | |
| (i) | Pending rebate claim for which appeals filed | - | 0.01 |
| TOTAL | | - | 0.01 |
| (III) Contingent Assets | | | |
| Arbitration award in favour of the company in the legal case with state Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA) | | 26.84 | 26.84 |
| Notes | | | |
| "Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest @ 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken @ 12% p.a. in cases where the interest is above 12% p.a. Interest on contingent assets have not been considered | | | |
| Claims not acknowledged as debts include Rs. 8.71 Crores against which a bank guarantee of Rs. 7.31 Cr is submitted to Court. Hence Rs. 7.31 Cr is excluded from Bank Guarantee to avoid duplication. | | | |
| Claims not acknowledged as debts does not include any opportunity cost/loss claimed by the petitioner | | | |



मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ | रोज़गार के बाद के लाभ। | अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ | सेवानिवृत्ति लाभ | कुल पारिश्रमिक | बैठक शुल्क | बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| श्री के.बेजी जोर्ज | 0.56 | - | - | - | 0.56 | - | - |
| श्री ई.ए. सुब्रमण्यन (अप्रैल 2022 तक) | 0.04 | - | - | 0.32 | 0.36 | - | - |
| श्री राजशेखर.टी | 0.54 | - | - | 0.42 | 0.96 | - | - |
| श्रीमती डॉ.गीता शर्मा | 0.67 | - | - | - | 0.67 | - | - |
| श्रीमती डॉ.अनिता तंपी (जनवरी 2023 से) | 0.11 | - | - | - | 0.11 | - | 0.001 |
| श्री संतोष चेरियान.सी (दिसंबर 2022 तक) | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - |
| श्री रमेश.पी (जनवरी 2022 से) | 0.12 | - | - | - | 0.12 | - | 0.001 |
| श्री जयकृष्णन.ए.आर | 0.28 | - | - | - | 0.28 | - | 0.001 |
| डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डी | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| श्री आदर्श पाल विग | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| श्रीमती नीता बूचरा | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| कुल | 2.57 | - | - | 0.74 | 3.32 | 0.10 | 0.004 |

अतिरिक्त प्रकटीकरण

| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | वेतन एवं भत्ता | पी एफ में योगदान | सीपीएस/पेंशन में योगदान | अन्य फायदे एवं सुविधाएँ | सेवानिवृत्ति लाभ | कुल |
|--|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| श्री के.बेजी जोर्ज | 0.54 | - | - | 0.01 | - | 0.56 |
| श्री ई.ए. सुब्रमण्यन (अप्रैल 2022 तक) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.36 |
| श्री राजशेखर.टी | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.42 | 0.96 |
| श्रीमती डॉ.गीता शर्मा | 0.61 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | 0.67 |
| श्रीमती डॉ.अनिता तंपी (जनवरी 2023 से) | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | 0.11 |
| श्री संतोष चेरियान.सी (दिसंबर 2022 तक) | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.27 |
| श्री रमेश.पी (जनवरी 2022 से) | 0.11 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.12 |
| श्री जयकृष्णन.ए.आर | 0.26 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.28 |

* रोज़गार के बाद के हितलाभों का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जाता है/समग्र आधार पर भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

| Remuneration of Key Managerial Personnel | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|
| Key Managerial Personnel | Short Term employee Benefit | Post employment Benefit * | Other long term employee benefit | Terminal Benefits | Total Remuneration | Rs in cr | |
| | | | | | | Sitting Fees | Outstanding Loans (Gross) /Advance receivables |
| Shri. K.Beji George | 0.56 | - | - | - | 0.56 | - | - |
| Shri.E.A.Subramanian (upto Apr 2022) | 0.04 | - | - | 0.32 | 0.36 | - | - |
| Shri.Rajasekar T | 0.54 | - | - | 0.42 | 0.96 | - | - |
| Smt.Dr.Geeta Sharma | 0.67 | - | - | - | 0.67 | - | - |
| Smt.Dr.Anitha Thampi (w.e.f Jan 2023) | 0.11 | - | - | - | 0.11 | - | 0.001 |
| Shri.Santhosh Cherian C (upto Dec 2022) | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - |
| Shri.Remesh.P (w.e.f Jan 2023) | 0.12 | - | - | - | 0.12 | - | 0.001 |
| Shri.Jai Krishnan A R | 0.28 | - | - | - | 0.28 | - | 0.001 |
| Dr. PVijayachander Reddy | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Shri.Adarsh Pal Vig | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Smt.Neeta Boochra | - | - | - | - | - | 0.03 | - |
| Total | 2.57 | - | - | 0.74 | 3.32 | 0.10 | 0.004 |
| Additional disclosure | | | | | | | |
| Key Managerial Personnel | Salaries & Allowance | Contribution to PF | Contribution to CPS / Pension | Other benefits & Perks | Terminal Benefits | Rs in cr Total | |
| Shri. K.Beji George | 0.54 | - | - | 0.01 | - | 0.56 | |
| Shri.E.A.Subramanian (upto Apr 2022) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.36 | |
| Shri.Rajasekar T | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.42 | 0.96 | |
| Smt.Dr.Geeta Sharma | 0.61 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | 0.67 | |
| Smt.Dr.Anitha Thampi (w.e.f Jan 2023) | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | 0.11 | |
| Shri.Santhosh Cherian C (upto Dec 2022) | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.27 | |
| Shri.Remesh.P (w.e.f Jan 2023) | 0.11 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.12 | |
| Shri.Jai Krishnan A R | 0.26 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.28 | |
| * Post-employment benefits are actuarially determined/paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis | | | | | | | |

टिप्पणी : 36 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.46 देखें)

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

| संबंध का विवरण | नाम |
|--|---|
| समनुषंगी | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल) |
| | एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसस लिमिटेड (हाइट्स) |
| | एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एचएमसीसीएचएल) |
| संयुक्त उद्यम | लाइफस्प्रींग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड (एल एस एच) |
| सहयोगी | हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) |
| | एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) |
| | एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी) | क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ |
| | श्री के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी) |
| | श्री टी.राजशेखर-निदेशक (विपणन) (31/03/2023 को निदेशक (विपणन) से कार्यमुक्त) |
| | डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त) |
| | श्री ई.ए.सुब्रमण्यन - निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) (30 अप्रैल 2022 को निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) से कार्यमुक्त) |
| | डॉ.अनिता तंपी- निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) (03/01/2023 से नियुक्त) |
| | श्री संतोष चेरियान.सी - एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ (30/12/2022 को एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ से कार्यमुक्त) |
| | श्री रमेश.पी-उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ (07 जनवरी 2023 से नियुक्त) |
| | श्री जयकृष्णन ए.आर - कंपनी सचिव |
| | ख.स्वतंत्र निदेशक |
| | डॉ.विजयचंद्र रेड्डी (27/01/2023 को निदेशक से कार्यमुक्त) |
| | प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विग |
| | श्रीमती नीता बूचरा |
| | ग. सरकारी नॉमिती निदेशक |
| | श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस (18-10-2022 को निदेशक से कार्यमुक्त) |
| श्री जयदीप कुमार मिश्रा आई सी ए एस (18-10-2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त) | |
| श्रीमती रोली सिंह आई ए एस | |

Note : 36 Related Party Disclosure (Refer Note. 2.46)
Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

| Description of Relation | Names |
|--------------------------------|--|
| Subsidiaries | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) |
| | HLL InfraTech Services Limited (HITES) |
| | HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL) |
| Joint Venture | Life Spring Hospital Private Ltd (LSH) |
| Associates | Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) |
| | HLL Management Academy (HMA) |
| | HLL Pratheeksha Charitable Society |
| Key Management Personnel (KMP) | A. Chairman & Managing Directors, Whole Time Directors, Company Secretary & CFO |
| | Shri. K.Beji George ,IRTS Chairman & Managing Director (CMD) |
| | Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing) (ceased to be Director (Marketing) on 31/03/2023) |
| | Dr. Geeta Sharma- Director (Finance) |
| | Shri E A Subramanian, Director (Technical & Operations) (Ceased to be Director (Technical & Operations) on 30/04/2022) |
| | Dr. Anitha Thampi- Director (Technical and Operations) (appointed w.e.f 03/01/2023) |
| | Shri. Santhosh Cherian.C - SVP(F) i/c & CFO (ceased to be SVP(F) i/c & CFO on 30/12/2022) |
| | Shri Remesh P - VP Finance & CFO (appointed w.e.f 07/01/ 2023) |
| | Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary |
| | B. Independent Directors |
| | Dr. P Vijaychander Reddy (ceased to be Director on 27/01/2023) |
| | Prof.(Dr.) Adarsh Pal Vig |
| | Smt.Neeta Boochra |
| | C. Government Nominee Directors |
| | Shri.Ashish Srivastava IAS (ceased to be Director on 18/10/2022) |
| | Shri Jaideep Kumar Mishra ICAS (appointed as Director with effect from 18/10/2022) |
| | Smt.Roli Singh IAS |

टिप्पणी 37 : इंड ए एस - 108 खंड रिपोर्टिंग के अधीन प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.47 देखें)

₹ करोड़ों में

| विवरण | 2022-23 | | | | | | | 2021-22 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवाएं | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएँ एवं सेवाएँ | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल | गर्भनिरोधक | नैदानिक सेवाएं | रीटेल व्यवसाय | परियोजनाएँ एवं सेवाएँ | कोविड | अन्य | अविनिधानीय | कुल |
| राजस्व खंड | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 593.03 | 1,485.01 | 218.48 | 6.52 | 4,115.60 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 465.15 | 33,948.11 | 189.19 | 2.57 | 36,083.61 |
| प्रचालन से राजस्व | | | | | | | 70.84 | 70.84 | | | | | | | 16.38 | 16.38 |
| अन्य आय | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 593.03 | 1,485.01 | 218.48 | 77.36 | 4,186.44 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 465.15 | 33,948.11 | 189.19 | 18.95 | 36,099.99 |
| कर के पूर्व लाभ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कर के पूर्व लाभ | (96.67) | 8.26 | 81.36 | 56.03 | 49.38 | (18.32) | (44.02) | 36.02 | (99.21) | 25.95 | 13.28 | 31.66 | 835.27 | (25.63) | (214.77) | 566.56 |
| न्यून - ब्याज | 4.01 | 4.61 | 6.23 | 3.57 | - | 1.72 | (0.05) | 20.09 | 6.92 | 4.58 | 4.12 | 5.46 | | 1.51 | 3.35 | 25.95 |
| जोड़ - अन्य अविनिधानीय आय | | | | | | | 70.84 | 70.84 | | | | | | | 16.38 | 16.38 |
| कर के पूर्व लाभ | 100.68 | 3.65 | 75.13 | 52.46 | 49.38 | (20.04) | 26.87 | 86.77 | (106.13) | 21.37 | 9.16 | 26.20 | 835.27 | (27.14) | (201.74) | 556.99 |
| नियुक्त पूंजी | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) अचल परिसंपत्तियाँ | 98.78 | 35.51 | 7.98 | 18.49 | - | 25.47 | 65.89 | 252.13 | 101.40 | 45.96 | 7.40 | 67.74 | - | 39.65 | 16.31 | 278.46 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | | 117.96 | 117.96 | | | | | | | 104.21 | 104.21 |
| (ग) चालू परिसंपत्तियाँ | 273.79 | 124.59 | 1,336.40 | (310.31) | 403.49 | 258.87 | 297.79 | 2,384.64 | 85.60 | 76.36 | 1,126.46 | 178.34 | 3,509.99 | 143.99 | 335.14 | 5,455.88 |

| Note 37: Disclosure Under Ind AS-108 SEGMENT REPORTING (Refer note 2.47) | | | | | | | | | | | | | | Rs in cr | | |
|--|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Particulars | 2022-23 | | | | | | | 2021-22 | | | | | | | | |
| | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | Others | Unallocable | Total | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | Others | Unalloca- ble | Total |
| Revenue from operations | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 593.03 | 1,485.01 | 218.48 | 6.52 | 4,115.60 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 465.15 | 33,948.11 | 189.19 | 2.57 | 36,083.61 |
| Other Income | | | | | | | 70.84 | 70.84 | | | | | | | 16.38 | 16.38 |
| Total | 292.93 | 492.76 | 1,026.87 | 593.03 | 1,485.01 | 218.48 | 77.36 | 4,186.44 | 286.87 | 486.58 | 705.14 | 465.15 | 33,948.11 | 189.19 | 18.95 | 36,099.99 |
| Profit before Tax | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | others | Unalloca- ble | Total | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | others | Unalloca- ble | Total |
| Profit before Interest & Tax | (96.67) | 8.26 | 81.36 | 56.03 | 49.38 | (18.32) | (44.02) | 36.02 | (99.21) | 25.95 | 13.28 | 31.66 | 835.27 | (25.63) | (214.77) | 566.56 |
| Less:- Interest | 4.01 | 4.61 | 6.23 | 3.57 | - | 1.72 | (0.05) | 20.09 | 6.92 | 4.58 | 4.12 | 5.46 | 1.51 | 3.35 | 25.95 | |
| Add-Other income | | | - | | | | 70.84 | 70.84 | | | - | | | | 16.38 | 16.38 |
| Profit before tax | 100.68 | 3.65 | 75.13 | 52.46 | 49.38 | (20.04) | 26.87 | 86.77 | (106.13) | 21.37 | 9.16 | 26.20 | 835.27 | (27.14) | (201.74) | 556.99 |
| Capital Employed | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | others | Unalloca- ble | Total | Contra | Diag- nostic services | Retail Business | Projects& Services | Covid | others | Unalloca- ble | Total |
| (a)Fixed Assets | 98.78 | 35.51 | 7.98 | 18.49 | - | 25.47 | 65.89 | 252.13 | 101.40 | 45.96 | 7.40 | 67.74 | - | 39.65 | 16.31 | 278.46 |
| (b)Financial assets | | | | | | | 117.96 | 117.96 | | | | | | | 104.21 | 104.21 |
| (C)Current Assets | 273.79 | 124.59 | 1,336.40 | (310.31) | 403.49 | 258.87 | 297.79 | 2,384.64 | 85.60 | 76.36 | 1,126.46 | 178.34 | 3,509.99 | 143.99 | 335.14 | 5,455.88 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|
| (क) + (ख) + (ग) | 372.57 | 160.11 | 1,344.39 | (291.82) | 403.49 | 284.35 | 481.64 | 2,754.73 | 187.00 | 122.32 | 1,133.86 | 246.08 | 3,509.99 | 183.64 | 455.66 | 5,838.55 |
| चालू देयताएँ | 127.01 | 179.94 | 1,034.60 | (691.04) | 2,238.90 | (905.50) | 64.07 | 2,047.98 | (455.78) | 86.07 | 788.67 | (373.99) | 5,337.16 | (463.70) | 92.39 | 5,010.82 |
| गेर-चालू देयताएँ | | | | | | | 35.46 | 35.46 | | | | | | | 74.57 | 74.57 |
| नियुक्त पूँजी आबंटन | 245.56 | (19.84) | 309.78 | 399.23 | (1,835.41) | 1,189.85 | 382.13 | 671.29 | 642.78 | 36.25 | 345.19 | 620.07 | (1,827.16) | 647.34 | 288.70 | 753.16 |
| कुल नियुक्त पूँजी | | | | | | | | 671.29 | | | | | | | | 753.16 |

2. सेकेंडरी खंड सूचना - भौगोलिक

₹ करोड़ों में

| | 2022-23 | 2021-22 |
|---------------|----------|-----------|
| राजस्व | 4,028.72 | 36,009.76 |
| भारत | 157.72 | 90.23 |
| भारत के बाहर | 4,186.44 | 36,099.99 |
| नियुक्त पूँजी | 671.29 | 753.16 |
| भारत | - | - |
| भारत के बाहर | 671.29 | 753.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|
| (a+b+c) | 372.57 | 160.11 | 1,344.39 | (291.82) | 403.49 | 284.35 | 481.64 | 2,754.73 | 187.00 | 122.32 | 1,133.86 | 246.08 | 3,509.99 | 183.64 | 455.66 | 5,838.55 |
| Current Liabilities | 127.01 | 179.94 | 1,034.60 | (691.04) | 2,238.90 | (905.50) | 64.07 | 2,047.98 | (455.78) | 86.07 | 788.67 | (373.99) | 5,337.16 | (463.70) | 92.39 | 5,010.82 |
| Non-current Liabilities | | | | | | | 35.46 | 35.46 | | | | | | | 74.57 | 74.57 |
| Capital Employed Allocation | 245.56 | (19.84) | 309.78 | 399.23 | (1,835.41) | 1,189.85 | 382.13 | 671.29 | 642.78 | 36.25 | 345.19 | 620.07 | (1,827.16) | 647.34 | 288.70 | 753.16 |
| Total Capital Employed | | | | | | | | 671.29 | | | | | | | | 753.16 |

| 2. Secondary Segment Information - Geographical | | | Rs in cr | |
|---|----------|-----------|----------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | | |
| Revenue | | | | |
| India | 4,028.72 | 36,009.76 | | |
| Outside India | 157.72 | 90.23 | | |
| Capital Employed | | | | |
| India | 671.29 | 753.16 | | |
| Outside India | - | - | | |
| | 671.29 | 753.16 | | |

टिप्पणी 38 : आय कर (टिप्पणी 2.48 देखें)
सतत प्रचालन से संबंधित आय कर

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| चालू कर | 35.55 | 197.44 |
| पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल | | |
| आय कर | 1.57 | 0.99 |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता) ओसीआई पर कर को छोड़कर | | |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) | 67.35 | 67.01 |
| चालू वर्ष से संबंधित | -67.01 | -24.19 |
| पिछले वर्ष से संबंधित | -3.04 | -1.65 |
| लाभ और हानि में मान्य कुल आय कर व्यय | 33.74 | 153.96 |

वर्ष के लिए लेखांकन लाभ से मेल मिलाप किए गए आय कर व्यय :

| | | |
|---|---------------|------------------|
| कर के पूर्व लाभ/हानि | 102.79 | 575.53 |
| आय कर दर। | | कंपनी पर लागू दर |
| लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय | 25.87 | 144.85 |
| अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव | 6.13 | 2.22 |
| गैर कर योग्य आय का प्रभाव | - | -8.00 |
| मूल्यहास और ऋणमुक्ति का प्रभाव | 1.55 | 6.01 |
| प्रावधानों का प्रभाव | 20.15 | 209.34 |
| परिसंपत्ति की बिक्री का प्रभाव | -0.03 | 0.01 |
| पट्टे का प्रभाव | -0.04 | 0.61 |
| अन्य आय का प्रभाव | 10.69 | -1.28 |
| कुल | 38.46 | 208.91 |
| आय कर के अनुसार आय | 141.25 | 784.44 |
| न्यून : नुकसान को आगे ले जाना | 1.00 | - |
| कर योग्य आय | 141.25 | 784.44 |
| | 35.55 | 197.43 |
| कर लाभ के अनुसार आयकर व्यय | | |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | | |
| मूल्यहास का प्रभाव -परिसंपत्ति | -1.94 | -3.89 |
| वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव | 1.18 | 1.34 |
| कर्मचारी भुगतान और कटौतियों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव | 67.95 | 70.59 |
| पट्टे परिसंपत्तियों के प्रभाव | 5.11 | 7.08 |
| कुल (क) | 72.30 | 75.12 |

| Note 38 Income Taxes (Refer Note 2.48) | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Income tax relating to continuing operations | | |
| Particulars | Year ended March 31, 2023 | Year ended March 31, 2022 |
| Current Tax | 35.55 | 197.44 |
| Adjustments/(credits) related to previous years-Net | | |
| Income Tax | 1.57 | 0.99 |
| Deferred Tax Asset/ (Liability) excluding tax on OCI | | |
| In respect of the current year | 67.35 | 67.01 |
| In respect of the previous year | -67.01 | -24.19 |
| Tax on OCI | -3.04 | -1.65 |
| Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss | 33.74 | 153.96 |
| Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit: | | |
| Profit before Tax | 102.79 | 575.53 |
| Income Tax Rate* | Rate as Applicable to the Company | |
| Income Tax expense as per Book Profits | 25.87 | 144.85 |
| Effect of Expenses not allowed | 6.13 | 2.22 |
| Effect of Income not taxable | - | -8.00 |
| Effect of Depreciation and Amortisations | 1.55 | 6.01 |
| Effect of Provisions | 20.15 | 209.34 |
| Effect of Sale of Assets | -0.03 | 0.01 |
| Effect of Leases | -0.04 | 0.61 |
| Effect of other income | 10.69 | -1.28 |
| Total | 38.46 | 208.91 |
| Income as per Income Tax | 141.25 | 784.44 |
| Less:Carry forward of losses | - | - |
| Taxable Income | 141.25 | 784.44 |
| | 35.55 | 197.44 |
| Effect of deductible temporary differences | | |
| Deferred Tax Assets | | |
| Effect of Depreciation Net | -1.94 | -3.89 |
| Effect of provisions related to Inventory | 1.18 | 1.34 |
| Effect of provisions related to Employee payments and deductions | 67.95 | 70.59 |
| Effect to Leased Assets | 5.11 | 7.08 |
| Total (A) | 72.30 | 75.12 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| आस्थगित कर देयताएं | | |
| पट्टे का प्रभाव | 4.95 | 8.11 |
| कुल (ख) | 4.95 | 8.11 |
| निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क)-(ख) | 67.35 | 67.01 |
| अन्य व्यापक आय में मान्य आय कर | | |
| निर्धारित लाभ दायित्व का पुनः मापन | -3.04 | -1.65 |
| * टिप्पणी - एचएलएल और हाइट्स ने आयकर अधिनियम की धारा 115 बी ए ए के अधीन 25.168% (उपकर और अधिभार सहित) की दर से कम कर दरों का विकल्प चुना है। | | |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डॉ आईएन: 08225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | |
|--|-------|-------|
| Deferred Tax Liabilities | | |
| Effect to Lease | 4.95 | 8.11 |
| Total (B) | 4.95 | 8.11 |
| Net Deferred Tax Assets (A)-(B) | 67.35 | 67.01 |
| Income Tax recognised in other comprehensive income | | |
| Remeasurement of defined benefit obligation | -3.04 | -1.65 |
| *Note -HLL and HITES have opted for Lower tax rates @ 25.168% (including cess and surcharge) u/s 115 BAA of Income Tax Act. | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co

Chartered Accountants

Firm No: 003978S

K.Beji George,IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN: 08225251]

Remesh.P
VP(F) & CFO
[ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
Company Secretary
[ACS:14328]

CA Jayasindhu I
Partner
Membership No: 205660
UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
Date : 06.09-2023

अनुबंध I : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार समनुषंगी और संयुक्त उद्यम की अतिरिक्त जानकारी (टिप्पणी 2.49 देखें)

| सत्ता का नाम | निवल परिसंपत्तियाँ (कुल परिसंपत्तियाँ न्यून कुल देयताएँ) | | लाभ या हानि में शेयर | | अन्य व्यापक आय में शेयर | | कुल व्यापक आय में शेयर | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | समेकित निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में | ₹ करोड़ों में | समेकित कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता के रूप में | ₹ करोड़ों में | अन्य व्यापक आय की प्रतिशतता के रूप में | ₹ करोड़ों में | समेकित कुल व्यापक आय की प्रतिशतता के रूप में | ₹ करोड़ों में |
| मूल | | | | | | | | |
| एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड | 98.14% | 658.84 | 79.30% | 39.77 | 61.57% | -5.88 | 83.47% | 33.89 |
| समनुषंगी (भारत) | | | | | | | | |
| गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | -2.70% | -18.13 | -9.46% | -4.75 | 5.30% | -0.51 | -12.94% | -5.25 |
| एचएलएल इंफ्रटेक सर्विसेस लिमिटेड | 6.34% | 42.55 | 49.86% | 25.01 | 33.10% | -3.16 | 53.80% | 21.84 |
| एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| कुल | | 683.26 | | 60.03 | | -9.55 | | 50.48 |
| जोड़/न्यून : अंतर कंपनी समायोजन/उन्मूलन का प्रभाव | | | | | | | | |
| | -2.24% | -15.06 | -20.01% | -10.04 | 0.03% | -0.00 | -24.34% | -9.88 |
| इक्विटी प्रणाली के अधीन परिकल्पित संयुक्त उद्यम के बिना कुल | | 668.20 | | 49.99 | | -9.55 | | 40.60 |
| संयुक्त उद्यम | | | | | | | | |
| लाइफसिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड | 0.46% | 3.09 | 0.31% | 0.16 | 0.00% | - | 0.00% | - |
| कुल | | 671.29 | | 50.15 | | -9.55 | | 40.60 |

| ANNEXURE I : ADDITIONAL INFORMATION AS PER SCHEDULE III OF COMPANIES ACT, 2013 OF SUBSIDIARIES & JOINT VENTURE (REFER NOTE: 2.49) | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|
| Name of the entity | Net Assets (Total Assets minus Total Liabilities) | | Share in profit or loss Share in profit or loss | | Share in Other Comprehensive Income | | Share in Total Comprehensive Income | | ₹ Crs |
| | As % of Consolidated Net Assets | ₹ Crs | As a % of Consolidated Profit or Loss | ₹ Crs | As a % of Consolidated Other Comprehensive Income | ₹ Crs | As a % of Consolidated Total Comprehensive Income | | |
| Parent | | | | | | | | | |
| HLL Lifecare Limited | 98.14% | 658.84 | 79.30% | 39.77 | 61.57% | -5.88 | 83.47% | 33.89 | |
| Subsidiaries (Indian) | | | | | | | | | |
| Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited | -2.70% | -18.13 | -9.46% | -4.75 | 5.30% | -0.51 | -12.94% | -5.25 | |
| HLL Infra Tech Services Limited | 6.34% | 42.55 | 49.86% | 25.01 | 33.10% | -3.16 | 53.80% | 21.84 | |
| HLL Mother & Child Care Hospitals Limited | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | |
| Total | | 683.26 | | 60.03 | | -9.55 | | 50.48 | |
| Add/ Less: Effect of intercompany adjustments/ eliminations | | | | | | | | | |
| | -2.24% | -15.06 | -20.01% | -10.04 | 0.03% | -0.00 | -24.34% | -9.88 | |
| Total without Joint Venture accounted under Equity method | | 668.20 | | 49.99 | | -9.55 | | 40.60 | |
| Joint Venture | | | | | | | | | |
| Lifespring Hospitals (P) Limited | 0.46% | 3.09 | 0.31% | 0.16 | 0.00% | - | 0.00% | - | |
| Total | 100.00% | 671.29 | 100.00% | 50.15 | 100.00% | -9.55 | 100.00% | 40.60 | |

अनुबंध II: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी (फॉर्म ए ओ सी-1 में कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ित धारा 129(3)(1) के अनुसार भाग 'क' समनुषंगी (वित्तीय वर्ष 2022-23)

| क्रम सं. | समनुषंगी कंपनी का नाम | गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | एचएलएल इंफ्रॉटेक सर्विसस लिमिटेड | एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल |
|--|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | रिपोर्टिंग मुद्रा | (रु. करोड़) | (रु. करोड़) | (रु. करोड़) |
| 2 | शेयर पूँजी | 19.02 | 2.00 | - |
| 3 | आरक्षित और अधिशेष | -37.15 | 40.55 | - |
| 4 | कुल परिसंपत्तियाँ | 37.93 | 4033.33 | - |
| 5 | कुल देयताएं | 56.05 | 3990.78 | - |
| 6 | निवेश | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | व्यापारावर्त | 51.68 | 359.15 | - |
| 8 | कर के पूर्व लाभ | -5.98 | 33.60 | - |
| 9 | कर के लिए प्रावधान | (1.24) | 8.59 | - |
| 10 | कर के बाद लाभ/ हानि | -4.75 | 25.01 | - |
| 11 | प्रस्तावित लाभांश | शून्य | शून्य | - |
| 12 | शेयरधारिता की प्रतिशतता | 74% | 100% | 100% |
| समनुषंगियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है | | | | शून्य |
| समनुषंगियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बेचा गया है | | | | कोई नहीं |

भाग 'बी' सह और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम : लाइफ़ स्प्रिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 1 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख | | 31.03.2023 |
| 2 | वर्ष के अंत पर कंपनी द्वारा लिए गए सहयोगी/ संयुक्त उद्यम की शेयरों की संख्या | | 85,79,929 |
| 3. | सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि | | 9.51 |
| 4 | धारण विस्तार % | | 50% |

**ANNEXURE II : ADDITIONAL INFORMATION AS PER COMPANIES ACT, 2013 (PURSUANT TO SECTION 129 (3) (1) READ WITH RULE 5 OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014) IN FORM AOC-1
PART "A" SUBSIDIARIES (FY 2022-23)**

| Sl. No | Name of the subsidiary company | Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited | HLL Infra Tech Services Limited | HLL Mother & Child Care Hospital Limited |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | Reporting Currency | (₹ crs) | (₹ crs) | (₹ crs) |
| 2 | Share Capital | 19.02 | 2.00 | - |
| 3 | Reserves & Surplus | -37.15 | 40.55 | - |
| 4 | Total Assets | 37.93 | 4033.33 | - |
| 5 | Total Liabilities | 56.05 | 3990.78 | - |
| 6 | Investments | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | Turnover | 51.68 | 359.15 | - |
| 8 | Profit Before Tax | -5.98 | 33.60 | - |
| 9 | Provision for Tax | (1.24) | 8.59 | - |
| 10 | Profit/loss After Tax | -4.75 | 25.01 | - |
| 11 | Proposed Dividend | Nil | Nil | - |
| 12 | Percentage of Shareholding | 74% | 100% | 100% |
| Names of subsidiaries which are yet to commence operations: | | | | Nil |
| Names of subsidiaries which have liquidated or sold during the year: | | | | None |

PART "B" ASSOCIATES & JOINT VENTURES

Name of Joint Venture Company : Life Spring Hospital (P) Limited

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 1 | Latest audited Balance Sheet Date | | 31.03.2023 |
| 2 | No. of shares of Associate / Joint Ventures held by the company on the year end | | 85,79,929 |
| 3 | Amount of Investment in Associates/Joint Ventures | | 9.51 |
| 4 | Extend of Holding % | | 50% |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 5 | महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है का विवरण | 50 % इक्विटी शेयर धारण और अक्युमन के साथ तुल्य बोर्ड प्रतिनिधान | |
| 6 | सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकन नहीं करने का कारण | | लागू नहीं |
| 7 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य | | 3.09 |
| 8 | वर्ष के लिए लाभ/हानि | | 0.32 |
| | i. समेकन में विचार किए गए | | 0.16 |
| | ii. समेकन में विचार नहीं किए गए | | 0.16 |

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
(डी आई एन : 08419099)

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
(डॉ आई एन: 8225251)

रमेश.पी
उपाध्यक्ष (वित्त) &
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए.सी.एम.ए 19552)

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव
(ए सी एस : 14328)

सीए जयसिंधु आई
साझेदार
सदस्यता सं.205660
युडीआईएन23205660 बिजीएसटीआई 5899

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08-2023

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 06.09.2023

| | | | |
|---|--|--|------|
| 5 | Description of how there is significant influence | 50% Equity Share holding and equal Board representation along with Acumen Fund INC | |
| 6 | Reason/why the associate /joint venture is not consolidated | | N.A |
| 7 | Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet | | 3.09 |
| 8 | Profit/Loss for the year | | 0.32 |
| | (i) Considered in Consolidation | | 0.16 |
| | (ii) Not Considered in Consolidation | | 0.16 |

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co
 Chartered Accountants
 Firm No: 003978S

K.Beji George,IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN: 08225251]

Remesh.P
 VP(F) & CFO
 [ACMA:19552]

Jaikrishnan A.R
 Company Secretary
 [ACS:14328]

CA Jayasindhu I
 Partner
 Membership No: 205660
 UDIN: 23205660BGSTAE5899

Place : Trivandrum
 Date : 28.08-2023

Place : Trivandrum
 Date : 06.09-2023



HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)



एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN : U25193KL1966GOI002621

Registered & Corporate Office
HLL Bhavan, Poojappura
Thiruvananthapuram - 695 012
Tel: 91-471-2354949
Fax: 91-471-2356739
Email: enquiry@lifecarehll.com

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एचएलएल भवन, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम - 695 012
दूरभाष: 91-471-2354949
फैक्स : 91-471-2356739
ई-मैल : enquiry@lifecarehll.com

www.lifecarehll.com

Innovating for Healthy Generations

स्वस्थ पीढ़ियों के लिए नवान्वेषण
